

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय अर्थशास्त्र

सरल अध्ययन

(Indian Economics Made Easy)

आगरा, सलनऊ, इलाहाबाद, पटना, पंजाब, कलकत्ता,
बिहार, राजस्थान, दिल्ली, सागर, उज्जैन, गोरखपुर,
नागपुर आदि अनेक विश्वविद्यालयों के
पिछले १० वर्ष के प्रश्न पत्रों एवं
पाठ्य-क्रम के आधार पर
तथा परीक्षा की दृष्टि
से संभावित प्रश्नों
के उत्तर

५१५१०

लेखक प्रो० अवध किशोर ^{१९६०} संक्षेप
अध्यक्ष, अर्थशास्त्र-विभाग
नानक चन्द डिग्री कालेज, मेरठ
भूतपूर्व प्राध्यापक
बी. एम. एस. डी. कॉलेज, कानपुर ।

पृथ्वा संशोधित एवम् परिवर्द्धित द्वितीय संस्करण १९५८

प्रकाशक

राजहंस प्रकाशन मन्दिर
मेरठ ।

[मूल्य ५ रुपए

“सरल अध्ययन माला” के अन्तर्गत प्रकाशित उपयोगी स्तकें

- १ भारतीय अर्थशास्त्र सरल अध्ययन ले०—प्रो० अवध किशोर सक्सेना एम ए
- २ अर्थशास्त्र के सिद्धांत सरल अध्ययन ले०—प्रो० अवध किशोर सक्सेना एम ए
- ३ यूरोपीय इतिहास सरल अध्ययन ले०—प्रो० ए के गुप्ता व प्रो० एस १ गुप्ता
- ४ राजनीति विज्ञान सरल अध्ययन ले०—प्रो० गंगा प्रसाद गंग एम ए
- ५ नागरिक शास्त्र सरल अध्ययन ले०—प्रो० दया प्रकाश रस्तोगी एम ए
- ६ भारतीय इतिहास सरल अध्ययन ले०—प्रो० निधिलेश चन्द उपाध्याय एम ए
- ७ विश्व भूगोल सरल अध्ययन ले०—प्रो० गुप्ता एम ए
- ८ अर्थशास्त्र सरल अध्ययन ले०—प्रो० विजयपाल सिंह एम ए
- ९ भौतिक शास्त्र सरल अध्ययन ले०—प्रो० शान्ति प्रसाद गंग एम एससी
प्रथम भाग—प्रथम प्रश्न पत्र
द्वितीय भाग—द्वितीय प्रश्न पत्र
- १० रसायन शास्त्र सरल अध्ययन ले०—प्रो० जे के लज्जा एम एससी
प्रथम भाग—आकाबनिक तथा प्रयोगिक
द्वितीय भाग—आकाबनिक तथा भौतिक
- ११ प्राणी शास्त्र सरल अध्ययन ले०—प्रो० एस० डी० माथुर एम एससी
- १२ वनस्पति शास्त्र सरल अध्ययन ले०—प्रो० एस० डी० अग्रवाल एम एससी
- १३ प्रयोगिक वनस्पति सरल अध्ययन ले०—प्रो० एस० डी० अग्रवाल एम एससी
- १४ हिन्दी साहित्य का इतिहास सरल अध्ययन ले०—प्रो० बरस एम. ए
- १५ बीजगणित सरल अध्ययन ले०—प्रो० पूरनमल गुप्ता एम ए
- १६ स्थिति विज्ञान सरल अध्ययन ले०—प्रो० पूरनमल गुप्ता एम ए
- १७ गति विज्ञान सरल अध्ययन ले०—प्रो० पूरनमल गुप्ता एम ए
- १८ ठोस ज्यामिति सरल अध्ययन ले०—प्रो० पूरनमल गुप्ता एम ए

सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन हैं ।

प्रथम संस्करण	जनवरी	१९५८
द्वितीय संस्करण	सितम्बर	१९५८

प्रकाशक
राजहंस प्रकाशन मन्दिर,
मेरठ ।

मुद्रक
राजहंस प्रेस
मेरठ ।

द्वितीय संस्करण की भूमिका

६७

भाष्य अर्थशास्त्र का प्रथम संस्करण छ माह की अल्प अवधि में ही समाप्त हो गया, इस मुझे विशेष प्रसन्नता है। यह इस बात का निश्चित प्रमाण है कि विद्यार्थियों लिए मेरा प्रयास उपयोगी सिद्ध हुआ। विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने पुस्तक को पढ़ाया इसके लिए वह मेरे धन्यवाद के पात्र हैं।

इस पुस्तक का नया संस्करण प्रस्तुत कर रहा हूँ। नवीनतम आकड़े देने के साथ साथ भिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा १९५८ की परीक्षाओं में पूछे गये परीक्षा प्रश्नों एवम् भारत की नवीन आर्थिक समस्याओं, प्रगति तथा नई नई योजनाओं के आधार पर परीक्षा की दृष्टि से सम्भावित प्रश्नों के आधार पर बहुत से नये प्रश्नों का समावेश किया है।

प्रति पुस्तक इस बात को ध्यान में रखकर लिखी गई है कि इससे परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में विद्यार्थियों को पूरी सहायता मिल सके। भारतीय अर्थशास्त्र परी भी पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं उनका मूल्य इतना अधिक है कि वे हस्तचार्थी की क्षमता से बाहर हैं। हिन्दी भाषा में प्रश्नोत्तर रूप में एक अच्छी पुस्तक बाजार में अभाव देखते हुये तथा परीक्षा पास करने के लिये एक अच्छी पुस्तक की आवश्यकता का अनुभव करते हुये भारत के उन सभी विश्वविद्यालयों के जिनमें शि माध्यम है बी० ए के अर्थशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक ली गई है। इसमें उन सभी विषयों को सम्मिलित कर लिया गया है जो भारतीय अर्थशास्त्र के अन्तर्गत पढ़ाये जाते हैं अथवा परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिन प्रश्नों भारतीय अर्थशास्त्र इंटरमीडियेट कक्षाओं में पढ़ाया जाता है वहां इन कक्षाओं विद्यार्थी भी इससे पूरा लाभ उठा सकते हैं।

तक सरल हिन्दी भाषा में लिखी गई है। कठिन हिन्दी शब्दों के स्थान पर सरल हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिन्दी शब्दों के पर्यायवाची अर्थों को शब्द भाष्य ही साथ दिये गये हैं ताकि विद्यार्थियों को समझने में सुविधा हो।

भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन में नवीनतम आकड़ों का विशेष महत्व है। प्रस्तुत पुस्तक में नवीनतम तथा अधिकृत आकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस विषय एक और बात भी महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक आकड़े तथा तालिकाएँ देना विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से लाभदायक नहीं है क्योंकि न तो वह उन सबको याद कर सके और न इतने कम समय में परीक्षा में लिख सकता है। इसलिए पुस्तक में वे आकड़े दिए गये हैं जो अत्यन्त आवश्यक तथा नवीनतम हैं।

मुझे आशा है कि प्रस्तुत संस्करण पाठकों को और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो। पुस्तक में सुधार के जो भी सुझाव मुझे प्राप्त होंगे उनका मैं हृदय से स्वागत करूंगा।

सितम्, १५, १९५८

— अवध किशोर सक्सेना

विषय सूची

प्रश्न संख्या

पृष्ठ संख्या

अध्याय १—परिभाषा तथा क्षेत्र

- १—भारतीय अर्थशास्त्र की परिभाषा, इसका महत्व तथा विस्तार १
 २—भारत की अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएं ४

अध्याय २—भौगोलिक पृष्ठ भूमि

- ३—भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव ७
 ४—भारत के आर्थिक विकास की सामाजिक वातावरण पर निर्भरता १०
 ५—'भारत एक धनी देश है जिसमें निर्धन लोग रहते हैं'—व्याख्या १४
 ६—भारत की खनिज सम्पत्ति तथा उसके विकास की योजना १८
 ७—भारत के शक्ति साधन तथा उनके विकास की योजना २२
 ८—भारत में जल विद्युत का महत्व एवं योजनाएं २६
 ९—भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं तथा उनका विकास ३१
 १०—भारत के वनों का आर्थिक महत्व ३७

अध्याय ३—भारतीय जनसंख्या

- ११—भारत में पेशे के अनुसार जनसंख्या का विभाजन, अर्द्ध रोजगार तथा उसे दूर करने के उपाय ४२
 १२—जनसंख्या का घनत्व और उसकी भिन्नता के कारण ४५
 १३—भारतीय जनसंख्या की मुख्य समस्या ४७
 १४—"प्राचीन काल से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत कुछ स्थिर चली आ रही है और जनसंख्या की वेग युक्त वृद्धि की मांग के अनुसार उसमें उचित परिवर्तन नहीं हुआ"—व्याख्या ५१

अध्याय ४—भारत में आर्थिक संक्रान्ति

- ५—१९ वीं शताब्दी की भांगत में होने वाली आर्थिक संक्रान्ति ५३

अध्याय ५—भारतीय कृषि समस्याएँ

- ६—भारत की प्रमुख कृषि समस्याएँ तथा उनके समाधान के उपाय ५६
 ७—भारत में प्रमुख फसलों का क्षेत्रीय वितरण ६३
 ८—भारत के विभिन्न सिंचाई के साधन तथा उनका विकास ७०
 ९—भूमि का कटाव तथा उसको रोकने के उपाय — ७५
 १०—"पशु समस्या भारतीय कृषि की पहेली है"—व्याख्या ७८
 ११—कृषि के यन्त्रीकरण की भारत के लिये उपयुक्तता ८१
 १२—भारत की सामुदायिक विकास योजनाएँ तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खाद्य ८५

अध्याय ६—भूमि का उपविभाजन तथा उपखण्डन

- ३—भूमि के उपखण्डन व उपविभाजन के भारतीय कृषि पर दुष्परिणाम तथा उपचार के लिए किये गये उपाय ९१

- २४—उत्तर प्रदेश में भूमि के उपखंडन व उपविभाजन की समस्या का स्वरूप ६७
- २५—आर्थिक जोत का अर्थ तथा उसे प्राप्त करने के लिए गए उपाय ६६
- ✓ अध्याय ७—कृषि पदार्थों की बिक्री
- २६—भारत में कृषि पदार्थों की बिक्री की प्रथा के दोष तथा उन्हें दूर करने के उपाय १०२
- २७—भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सहकारी बिक्री प्रथा का प्रभाव १०६
- ✓ अध्याय ८—खाद्य समस्या तथा अकाल
- २८—भारत में खाद्य समस्या व उसके समाधान के लिए किए गए प्रयत्न १११
- २९—अनाज के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने तथा खाद्य स्थिति को नियन्त्रण में रखने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये गए कदम ११६
- ३०—भारत में अकाल पड़ने के कारण तथा निवारण के उपाय ११६
- ✓ अध्याय ९—भू-स्वामित्व प्रणाली
- ३१—भारत की विभिन्न भू-स्वामित्व प्रणालियाँ तथा अच्छी भू-स्वामित्व प्रणाली की विशेषताएँ १२४
- ३२—जमींदारी उन्मूलन का किसान के आर्थिक जीवन पर प्रभाव एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून की विशेषताएँ १२८
- ३३—जमींदारी उन्मूलन का भू-स्वामित्व की सुरक्षा तथा उचित लगान की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति पर प्रभाव १३१
- ३४—भारतीय कृषि समस्या और उसको हल करने के उपाय १३४
- ✓ अध्याय १०—ग्रामीण अर्थ व्यवस्था
- ३५—भारत में ग्रामीण ऋण के कारण, उसके प्रभाव, उपचार के लिये किए गए उपाय तथा आपके सुझाव १३८
- ३६—भारत में ग्रामीण साक्ष प्रदान करने वाली संस्थाएँ, उनके दोष तथा दूर करने के लिये किए गए उपाय १४२
- ३७—भूमि बन्धव बैंकों के संगठन और कार्य की विवेचना तथा कृषि साक्ष प्रदान करने में उनका महत्व १४६
- ✓ अध्याय ११—कृषि मजदूर
- ३८—भारत में भूमिहीन किसानों को पूर्ण रोजगार दिलाने के लिए किए गये उपाय तथा आपके सुझाव १४६
- ३९—सूदान यज्ञ आंदोलन तथा भूमिहीन मजदूरों के लिए उसकी उपादेयता १५२
- ✓ अध्याय १२—कृषि पदार्थों के मूल्य
- ४०—भारतीय कृषि मूल्यों में 'स्थिरता' लाने की आवश्यकता एवं 'तदार्थ' किये गए उपाय १५८
- ✓ अध्याय १३—सहकारी खेती
- ४१—सहकारी खेती का अर्थ, भारत में इसकी मन्द प्रगति के कारण तथा उन्नति की सम्भावना १६१

४२—सहकारी ग्राम प्रबन्ध की मुख्य विशेषतायें	१६४
अध्याय १४—सरकार की कृषि नीति	
४३—भारत सरकार की वर्तमान कृषि सम्बन्धी नीति	१६८
अध्याय १५—सहकारी आन्दोलन	
४४—१९०४ से अब तक सहकारी आन्दोलन का इतिहास	१७२
४५—भारत में सहकारी आन्दोलन की रूप रेखा	१७७
४६—भारत में सहकारी आन्दोलन की सफलता	१८२
४७—भारत में सहकारी आन्दोलन की मंद प्रगति के कारण तथा ग्रामों में इसके सुधार की योजना	१८६
४८—भारत में सहकारी आन्दोलन की नवीन प्रवृत्तियाँ तथा पंचवर्षीय योजना के लिए इसका महत्व	१९०
४९—भारतीय कृषकों को ऋण देने में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सहकारी बैंकों का महत्व	१९४
५०—बहुउद्देशीय सहकारी समिति की कार्य प्रणाली	१९८
५१—बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ हमारी आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का कहां तक समाधान कर सकती हैं	२०२
५२—भारत में सहकारी उपभोक्ता भंडार आन्दोलन की वर्तमान स्थिति तथा इस अधिक लोकप्रिय बनाने के सुझाव	२०५
अध्याय १६—बड़े पैमाने के उद्योग	
५३—स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक का भारत का औद्योगिक विकास	२०९
५४—भारत में उद्योगों के मंद विकास के कारण	२१२
५५—भारत में सांख्यिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास का विवरण	२१५
५६—भारतीय लोहा तथा इस्पात उद्योग	२१८
५७—भारतीय मूली वस्त्र उद्योग	२२३
५८—भारतीय जूट उद्योग	२२७
५९—भारतीय चीनी उद्योग	२३२
६०—भारतीय कोयला उद्योग	२३९
६१—भारतीय सीमेंट उद्योग	२४२
६२—भारतीय कामज उद्योग	२४७
अध्याय १७—औद्योगिक वित्त व्यवस्था	
६३—भारतीय औद्योगिक वित्त व्यवस्था, उसकी समस्यायें तथा समाधान के लिए किए गए उपाय	२५२
६४—भारतीय औद्योगिक निधि, निषेध	२५५
६५—भारत में विदेशी पूँजी के गुण तथा दोष, तत्संबन्धी सरकारी नीति	२५९
अध्याय १८—औद्योगिक नीति	
६६—स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक की भारत सरकार की औद्योगिक नीति	२६३

अध्याय १६—कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योग

६७—भारतीय ग्रयं व्यवस्था के लिए बडे तथा छोटे पमाने के उद्योगों की तुलनात्मक उपयोगिता	२६७
६८—भारत के प्रमुख कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों की वर्तमान स्थिति तथा उन्नति के लिये सुभाव	२६६
६९—भारत मे कुटीर उद्योगो का महत्व	२७४
७०—भारत मे कुटीर उद्योगो के पतन के कारण	२७६
७१—पंचवर्षीय योजनाओं मे कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगो का स्थान	२८१

अध्याय २०—औद्योगिक श्रम

७२—भारतीय श्रमिक की तुलनात्मक कार्य बुशलता, कम होने के कारण तथा सुधार के लिए उपाय	२८६
७३—श्रम हितकारी कार्य	२९०
७४—१९४८ का कर्मचारी राज्य बीमा कानून तथा उसका श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर प्रभाव	२९४
७५—भारत मे औद्योगिक श्रम की मकान सम्बन्धी समस्या	२९७
७६—भारत मे औद्योगिक श्रम की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की आवश्यकता	३००
७७—भारत मे श्रम सघ आन्दोलन	३०३
७८—फैक्ट्री कानून का पिछले ४० वर्षों का इतिहास	३०८
७९—भारत मे औद्योगिक झगडो को निपटान की प्रणाली	३१२

अध्याय २१—यातायात के साधन

८०—भारतीय यातायात की मुख्य समस्याएँ और उनका समाधान	३१७
८१—भारत मे रेलो का विकास	३२०
८२—भारत मे सडक यातायात	३२४
८३—भारत मे रेल तथा सडक के सामनस्य की आवश्यकता	३२६
८४—निजी मोटर कम्पनियो तथा सरकारी रोडवेज की तुलनात्मक उपादेयता	३३३
८५—भारतीय जहाजरानी का विकास तथा वर्तमान स्थिति	३३६
८६—भारत मे वायु यातायात	३४०

अध्याय २२—भारत में आर्थिक नियोजन

८८—प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषतायें	३४५
८९—दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य तथा विशेषतायें	३५०
९०—दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विदेशी सहायता तथा घाटे की ग्रयं-व्यवस्था का महत्व	३५६
९१—दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति	३५६

६२—भारत में बेकारी की समस्या	३६७
६३—राष्ट्रीय आय—इसे मापने की विधि	३७२
— अध्याय २३— <u>भारतीय विदेशी व्यापार</u>	
६४—भारत के विदेशी व्यापार में गत २० वर्षों में हुए परिवर्तन	३७७
६५—विदेशी व्यापार की प्रमुख वस्तुएँ	३८०
— अध्याय २४— <u>भारतीय मुद्रा तथा विनिमय</u>	
६६—१६२५ तक भारतीय चलन का इतिहास	३८६
६६—१६२५ से १६३६ तक भारतीय चलन का इतिहास	३९१
६७—भारतीय चलन तथा विनिमय के इतिहास में दूसरे महायुद्ध का प्रभाव	३९७
६८—भारतीय चलन तथा मुद्रा का द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद का इतिहास	४०१
६९—भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली	४०७
१००—दर्शक मुद्रा प्रणाली	४१२
— अध्याय २५— <u>भारतीय बैंकिंग प्रणाली</u>	
१०१—भारतीय बैंकिंग प्रणाली के मुख्य दोष	४१८
१०२—भारत में व्यापारिक बैंकों की वर्तमान स्थिति	४२३
१०३—इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक में परिवर्तित करने के कारण	४२७
१०४—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की कार्य प्रणाली	४३१
— अध्याय २६— <u>भारतीय वित्त व्यवस्था</u>	
१०५—भारत सरकार की आय तथा व्यय की मर्दाने	४३६
१०६—राज्य सरकारों की आय तथा व्यय की मर्दाने	४४१
१०७—भारतीय सार्वजनिक ऋण	४४५
१०८—केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच आय का बटवारा	४४८
विश्वविद्यालय प्रश्न पत्र	४५६



अध्याय १

परिभाषा तथा क्षेत्र

प्रश्न १—भारतीय अर्थशास्त्र की परिभाषा कीजिए । इसके क्षेत्र पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिये और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिये ?

Q 1 Define Indian Economics and discuss its scope Also discuss its importance

भारतीय अर्थशास्त्र की परिभाषा

(DEFINITION OF INDIAN ECONOMICS)

भारतीय अर्थशास्त्र की परिभाषा करने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि भारतीय अर्थशास्त्र शब्द के तीन प्रकार में अर्थ लगाये जाते हैं जो यद्यपि भ्राम्यक हैं किन्तु साथ ही महत्वपूर्ण भी हैं । उदाहरण के लिये —

(१) भारतीय अर्थशास्त्र भारतीय आर्थिक विचारों का इतिहास है—इसका अर्थ यह है कि कुछ विद्वान भारतीय अर्थशास्त्र को भारतीय विचारों की आर्थिक विचार धाराओं का इतिहास—मात्र मानते हैं । दूसरे शब्दों में मुक्त और कौटिल्य से लेकर वर्तमान समय तक के भारतीय अर्थशास्त्रियों की विचार धाराओं के इतिहास को भारतीय अर्थशास्त्र कहा जाता है । वास्तव में भारतीय अर्थशास्त्र का यह अर्थ सही नहीं है । क्योंकि इस प्रकार का कोई क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है ।

(२) अर्थशास्त्र के सिद्धान्त का भारतीय उदाहरणों द्वारा निरूपण—कुछ विद्वानों के अनुसार भारतीय अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें भारतीय उदाहरणों की सहायता से अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का निरूपण किया जाता है । यह दृष्टिकोण भी सत्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ एक समान नहीं होती और वे समयानुसार बदलती रहती हैं इसलिये अर्थशास्त्र के सिद्धान्त भारतीय परिस्थितियों पर ठीक उसी प्रकार लागू नहीं हो सकते जिस प्रकार वे अन्य देशों पर लागू होते हैं अथवा हुए हैं ।

(३) भारतीय अर्थशास्त्र नूतन एवं मौलिक आर्थिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है जो पुराने अर्थशास्त्र से भिन्न हैं—इसका अर्थ यह हुआ कि अर्थशास्त्र के सिद्धान्त भिन्न २ देशों के लिये भिन्न २ होते हैं और भारतीय अर्थशास्त्र एक नवीन प्रकार के आर्थिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है जो पूरी तरह भारतीय होते हैं तथा पश्चिम में प्रचलित और मान्य आर्थिक सिद्धान्तों से सर्वथा भिन्न होते हैं । यह दृष्टिकोण पूर्णतया गलत है क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्र किसी प्रकार के नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं करता ।

भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें हम केवल वर्तमान आर्थिक समस्याओं का ही अध्ययन नहीं करते बल्कि भूत-कालीन आर्थिक स्थिति तथा उसकी समस्याओं का अध्ययन भी करते हैं क्योंकि उसी से हमें वर्तमान समस्याओं के वास्तविक कारणों का पता चलता है और भविष्य के लिए इनके समाधान के उपाय खोज निकालने में सहायता मिलती है। पहले का तात्पर्य यह है कि भारतीय अर्थशास्त्र में हम भूत काल से शिक्षा ग्रहण करते हैं और भविष्य के लिए उपाय खोजते हैं। अन्त में हम यह कह सकते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र काल और समय की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है।

भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व (IMPORTANCE OF INDIAN ECONOMICS)

भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्त्व रखता है चाहे वह अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हो अथवा राजनैतिक कार्यकर्ता अथवा व्यापारी। देश की वर्तमान स्थिति में यह परम आवश्यक हो गया है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार देश के आर्थिक विकास में योग प्रदान करे और इस महान् कार्य के लिये जो पंचवर्षीय योजनाएँ चल रही हैं उन्हें सफल बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करे। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब हम भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करें और देश की आर्थिक समस्याओं को भली प्रकार समझें। भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें व्यवहारिक, शिक्षा-सम्बन्धी तथा राजनैतिक सभी प्रकार के लाभ होते हैं।

स्वतन्त्र भारत के सामने अनेक आर्थिक समस्याएँ हैं जैसे कृषि उत्पादन को बढ़ाने की समस्या, उद्योग धन्धों के विकास की समस्या, श्रम हितकारी कार्य, यातायात के साधनों में वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या, राश्र सामग्री की समस्या, जनसंख्या की समस्या तथा ग्राम उन्नति की समस्या इत्यादि इत्यादि। देश का भविष्य इन्हीं समस्याओं के समाधान पर निर्भर है। राजनैतिक स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना आवश्यक है। देश में इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें कोई गरीब न हो, कोई बेरोजगार न हो, धन का समान वितरण हो और लोगों का रहन सहन का स्तर ऊँचा हो। यह एक जटिल कार्य है जिसे पूरा करने के लिए हमारी राष्ट्रीय सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा महान् कार्य कर रही है। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का व्यवहारिक महत्त्व बहुत बढ़ गया है।

जो व्यक्ति उद्योग धन्धों में अथवा व्यापार में लगे हुए है उनके लिए भी भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का विशेष महत्त्व है। मजदूरी की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तथा देशी तथा विदेशी व्यापार की समस्याओं को समझने के लिए भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है।

जो व्यक्ति देश के आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों के कार्य में लगे हुए हैं और देश के नेता कहलाते हैं उनके लिए भी भारतीय अर्थशास्त्र का विशेष महत्त्व है। मजदूरों की गन्दी बस्तियों की सफाई, नई मजदूर बस्तियों का निर्माण, मजदूरों के ढांचे में परिवर्तन कारखानों में काम करने वालों को मिलने वाली सुविधाएँ, थम आन्दोलन, थम सम्बन्धी कानून तथा इस प्रकार की अन्य बातों में सुधारकों के लिए यह आवश्यक है कि पहले समस्या को भली प्रकार समझा जाए। भारतीय अर्थशास्त्र का अध्ययन इस दिशा में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है।

अन्त में हम यह कह सकते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र उन महत्वपूर्ण विषयों में से है जिसका अध्ययन देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं एक प्रकार से आवश्यक भी है।

प्रश्न २—भारत की अर्थ व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इनका देश की राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव है। (आगरा १९५३)

Q 2 What are the basic features of Indian Economy? What is their influence on the National Income of India? (Agra 1953)

उत्तर—प्रत्येक देश की अर्थ व्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं जिनका उस देश के आर्थिक विकास से गहरा सम्बन्ध होता है। भारत की अर्थ व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(१) **भारत की कृषि प्रधानता**—भारतीय अर्थ व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत की अधिकांश जन-संख्या ग्रामों में रहती है और कृषि द्वारा अपनी जीविका उपार्जन करती है।

(२) **जनसंख्या की अधिकता**—देश के आर्थिक विकास को देखते हुए भारत में जनसंख्या की अधिकता है जिसके फलस्वरूप देश में बेरोजगारी गरीबी, अर्द्ध रोजगार, रहन सहन का नीचा स्तर तथा प्रति व्यक्ति कम आय आदि के दोष पाये जाते हैं। जनसंख्या की अधिकता का धन की कार्य कुशलता पर भी बुरा पड़ा है।

(३) **अर्थ व्यवस्था का असन्तुलित विकास**—भारत में विभिन्न प्रकार के पेशों में लगे हुए लोगों का अनुगत यह बताता है कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था सन्तुलित नहीं है। उदाहरण के लिए भारत के ७० प्रतिशत व्यक्ति खेती पर निर्भर है जबकि उद्योगों में काम करने वालों की संख्या १० प्रतिशत से भी कम है तथा यातायात, व्यापार आदि व्यवसायों में कार्य करने वालों की संख्या और भी कम है।

(४) **यातायात तथा संचालन के साधनों का अतिक्रमण होना**—भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अधिकतर लोग ग्रामों में रहते हैं यातायात तथा संचालन के साधनों का बहुत अधिक महत्त्व है किन्तु दुर्भाग्यवश इनका विकास पूरी तरह नहीं हुआ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़कों की बहुत भारी कमी है। इसका देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव रहा है।

(५) औद्योगिक विकास को कमी — भारत में जिनकी बड़ी मात्रा में खनि पदार्थ तथा प्राकृतिक साधन पाये जाते हैं उनको देलते हुए भारत में उद्योग धंधों विकास सतोपजनक नहीं रहा है। बड़े उद्योगों की बात तो छोड़िए, कुटीर तथा ग्राम उद्योग जो प्राचीन भारत की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते उनका भी एक प्रकार से विनाश हो गया। पिछले कुछ वर्षों में सरकार उनके पुर्न निर्माण पर जोर दे रही है।

(६) पूँजी की कमी— देश में पूँजी का संचय तथा राष्ट्रीय बचत की स्थिति सन्तोपजनक नहीं है। साथ ही बैंक आदि साख सम्थाओं का भी पूरी तरह विकास नहीं हुआ है।

(७) भूमि तथा सम्पत्ति का असमान वितरण — देश में प्रायिक तः सामाजिक असमानता स्पष्ट तथा व्यापक रूप से देखने को मिलती है। जहाँ और धनी पूँजीपति तथा जमींदार वर्ग के लोग हैं वहाँ दूसरी ओर भारी संख्या ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो बहुत गरीब तथा पिछड़े हुए हैं और सदैव ही शोषण के शिकार रहे हैं। भूमि हीन व्यक्तियों की संख्या भी बहुत अधिक है।

(८) सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव — भारत में सामाजिक संस्थाएँ जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार की प्रथा आदि वा देश की अर्थ व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। लोगों के व्यवसाय तथा उनके जीवन की विधि आदि जाति प्रथा की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। इसके प्रतिरिक्त, धार्मिक विचार तथा सामाजिक रीति रिवाजों का भी भारतीय अर्थ व्यवस्था पर गहरा प्रभाव है। अभी तक लोगों के दृष्टिकोण में व्यापक रूप से वह दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं है जो देश के आर्थिक विकास के लिए परम आवश्यक है।

राष्ट्रीय आय पर प्रभाव— उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय के कम होने का एक प्रमुख कारण यहाँ की अर्थ व्यवस्था का असन्तुलित होना है। कृषि इस प्रकार का व्यवसाय नहीं है जो अकेले इतनी बड़ी संख्या के भाग को संभाल सके। अधिकतर किसान साल में कई महीने तक बेकार रहते हैं। कुटीर तथा ग्राम उद्योगों की कमी के कारण समस्त ग्रामाण जनता को पूर्ण रोजगार नहीं मिलता। इसका राष्ट्रीय आय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस देश में ७० प्रतिशत व्यक्ति कृषि कार्य करते हैं वहाँ भी खाद्य न्न तथा अन्य वस्तुओं की कमी पाई जाये।

जहाँ तक उद्योग धंधों का प्रश्न है उनका विकास बहुत मन्द गति से हुआ। यद्यपि देश की परिस्थिति छोटे तथा बड़े उद्योग धंधों के विकास के लिए बहुत उपयुक्त है। देश में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक साधन पाये जाते हैं। परिस्थितियाँ भी अनुकूल हैं। कारण जो भी हैं उद्योग धंधों के विकास के लिए वे भारत की राष्ट्रीय आय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अन्य देशों में पिछले ५ या ६० वर्षों की अवधि में वहाँ की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है।

कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए कृषि की उत्पादनशीलता को बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि एक विकसित अर्थ व्यवस्था में अनाज या कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। उसके साथ ही निकट भविष्य में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्या को हल करने के लिए कुटीर तथा ग्राम उद्योगों का विकास अति आवश्यक है। इससे कृषि से जनसंख्या के भार को कम करने में सहायता मिलगी। अन्तिम समाधान बड़े माने के उद्योगों तथा तृतीय श्रेणी के व्यवसायों के विकास के द्वारा ही हो सकता है।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जिस गति से पंचवर्षीय योजनाओं पर काम हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप भारत की राष्ट्रीय आय में २० या २५ प्रतिशत की वृद्धि होना स्वाभाविक है। जनसंख्या की वृद्धि की दर तथा अन्य बातों को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि अगले बीस वर्षों में भी कृषि में काम करने वालों का प्रतिशत भाग ६० से कम नहीं हो सकेगा। हमारी राष्ट्रीय सरकार देश की अर्थ व्यवस्था के सन्तुलित विकास के हेतु दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर अधिक महत्व दिया है और यह एक उत्साह वर्धक बात है।



अध्याय १

भौगोलिक पृष्ठ भूमि

प्रश्न ३—भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि उनका भारत के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

Q. 3. Describe the Geographical Environments of India is their influence on the Economic Development of the country ?

उत्तर—किसी देश की भौगोलिक परिस्थितियों का अर्थ उस देश की स्थिति जलवायु, मिट्टी की बनावट, नदियाँ तथा पर्वत, खनिज पदार्थ वन सम्पत्ति तथा समुद्र, तट इत्यादि से होना है। किसी भी देश का आर्थिक विकास बहुत कुछ वहाँ की प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों पर होता है। देश की कृषि, उद्योग-धन्धे, व्यापार तथा लोगों के रहन-सहन का स्तर, यह सब वहाँ भौगोलिक परिस्थितियों पर ही निर्भर होती है। भारत के आर्थिक विकास पर वहाँ के प्राकृतिक साधनों और भौगोलिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव रहा है यह जानने से पूर्व हमें इस बात का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है और भारत में कौन से प्राकृतिक साधन कितनी मात्रा में पाये जाते हैं। निम्नलिखित वर्णन से हमें यह जानने में सहायता मिलेगी कि वास्तव में भारत का आर्थिक विकास वहाँ की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक साधनों पर बहुत कुछ निर्भर है।

प्राकृतिक स्थिति (Natural Situation)—भारत गणराज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग १२७०००० वर्ग मील है जो उत्तर-दक्षिण में दो हजार तथा पूर्व पश्चिम में १७०० मील तक फैला हुआ है। भारत के उत्तर में हिमालय पहाड़ की श्रेणियाँ हैं जिनका भारत के आर्थिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारत के दक्षिण में समुद्र है जो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है इस प्रकार भारत के तीन ओर समुद्र है जो पानी के रास्ते भारत को सतार के अन्य देशों से मिलाता है।

भारत को तीन मुख्य प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है (१) उत्तर का पहाड़ी प्रदेश (२) गंगा सिंधु का मैदान (३) दक्षिणी पठार तथा पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट।

(१) उत्तर का पहाड़ी प्रदेश:—उत्तर में हिमालय की शृंखलाएँ भारत की उत्तरी सीमा पर लगभग १५२० मील तक फैली हुई हैं और भारत को एशिया के अन्य भागों से पृथक् करती हैं। हिमालय भारत की रक्षा करता है जलवायु तथा

र्षा को प्रभावित करता है और कई महत्वपूर्ण नदियाँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हिमालय पर पाये जाने वाले वन भारत को लकड़ी के अतिरिक्त अन्य बहुत अधिक आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है।

(२) गङ्गा और सिंध का मैदान—यह वह भाग है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। गङ्गा सिंध तथा ब्रह्मपुत्र नदियों से घिरा हुआ यह भाग पूर्व-पश्चिम में लगभग १५०० मील लम्बा और उत्तर-दक्षिण में १५० मील चौड़ा है। यह मैदान बहुत अधिक उपजाऊ है और कृषि के लिये सबसे अधिक उपयुक्त है। सिंचाई की सुविधाओं के कारण आर्थिक दृष्टि से यह भाग भारत के लिये बहुत अधिक महत्व रखता है।

(३) दक्षिण का पठार—यह भाग दक्षिण भारत में शामिल है और समुद्र की सतह से इसकी औसत ऊँचाई लगभग २००० फीट है। पूरब में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। नर्मदा ताप्ती महानदी कृष्णा कावेरी आदि नदियाँ इसमें से होकर बहती हैं। यह भाग कृषि के अतिरिक्त खनिज पदार्थों से भरपूर है और देश के लिये इसका बहुत अधिक आर्थिक महत्व है।

नदियाँ भारत में नदियाँ का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि खेती के लिये इनसे जल प्राप्त होता है और सिंचाई के लिये नहर निकाली जाती है। इसके अतिरिक्त नदियों से जल विद्युत् उत्पन्न करने का कार्य भी लिया जाता है। कुछ नदियाँ यातायात के लिये जलमार्ग प्रदान करती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में गङ्गा यमुना आदि प्रसिद्ध हैं इनके अतिरिक्त नर्मदा ताप्ती, कृष्णा कावेरी गौदावरी तथा महानदी आदि भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। नदियों का भारत के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव है।

जलवायु — भारत में लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसका कारण यह है कि भारत में लगभग सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं और सभी प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। इस प्रकार कृषि के अतिरिक्त उद्योगों के लिये विभिन्न प्रकार का कच्चा माल तो प्राप्त होता ही है साथ ही लोगों के स्वास्थ्य और कार्य-कुशलता पर भी जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है।

वर्षा — भारत के सभी भागों में समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ भाग जैसे ग्रामास पश्चिमी घाट तथा तराई के भाग ऐसे हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है दूसरी ओर राजस्थान तथा पंजाब के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। देश के अन्य भागों में समान रूप से पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है। वर्षा का मुख्य समय जून से सितम्बर मास तक है। भारत में वर्षा मुख्य रूप से मानसून के कारण होती है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी अनिश्चितता है।

वन — वन भारत की सबसे बड़ी सम्पत्ति है। वे जलवायु व वर्षा पर प्रभाव डालते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और अन्य प्रकार की वस्तुएँ प्रदान करते हैं।

गण्य देशों की भी सहायता कर सकेगा और इस सबका श्रेय बहुत कुछ भारत की भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक साधनों को होगा।

प्रश्न ४—भारत का आर्थिक विकास उसके सामाजिक वातावरण पर किस प्रकार निर्भर रहा है स्पष्ट कीजिए। (आगरा २७ लखनऊ ४६)

Q. 4 How far the Economic Development of India has been conditioned by its social environments? Discuss fully

(Agra 57 Lucknow 46)

उत्तर:—मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसके आर्थिक जीवन पर समाज की रचना, सामाजिक रीति-रिवाज, सामाजिक सस्थाओं तथा धर्म इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन समाज के संगठन के अनुसार ही देश की अर्थ व्यवस्था ढलती रहती है। सामाजिक और धार्मिक सस्थाओं का मिलना गहरा सम्बन्ध भारत के आर्थिक विकास से रहा है उतना शायद किसी अन्य देश का रहा हो। आज भी भारतवासियों का आर्थिक जीवन बहुत कुछ यहाँ की धार्मिक और सामाजिक सस्थाओं से प्रभावित है यद्यपि पुरानी परम्पराएँ और संगठन अब एक नये रूप में उत्पन्न हो रहे हैं। भारत की आर्थिक समस्याओं का उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें यहाँ की सामाजिक और धार्मिक सस्थाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिये। प्राचीन समय से भारत के लोगों में इन सस्थाओं के प्रभाव के कारण एक विशेष प्रकार का आर्थिक दृष्टिकोण विकसित होता रहा है जिसमें आध्यात्मिकता सांसारिक सम्पदा के प्रति उदासीनता, परलोकवाद ग्राम व्यवस्था तथा कृषि-प्रधानता पंचायतों का महत्व छोटे-छोटे उद्योगों की प्रधानता तथा आर्थिक क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं की प्रधानता इसकी मुख्य विशेषताएँ रही हैं। भारत की धार्मिक और सामाजिक सस्थाओं में निम्नलिखित आर्थिक दृष्टि से उल्लेखनीय हैं।

(१) जाति प्रथा (Caste system)—जाति-प्रथा प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था का ही एक स्वरूप है जो समय और परिस्थितियों के कारण बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। वर्ण व्यवस्था में वर्णों के अनुसार जातियाँ बनी थीं और श्रम विभाजन इसका मुख्य आधार था। प्रारम्भ में केवल चार जातियाँ बनी थीं किन्तु धीरे-धीरे उन्हीं असंख्य जातियों और उपजातियों का रूप धारण कर लिया। यदि हम जाति की परिभाषा करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि यह किसी विशेष व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा कुटुम्बों का वह समूह है जो अपने को किसी वर्ण का अंग अथवा किसी प्रसिद्ध पूर्वज की सतान मानता है और उसके रीति-रिवाज तथा विवाह इत्यादि अपनी जाति की परम्पराओं के अनुसार हीने हैं। मनुष्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर जाति का कठोर वर्धन रहता है और वह दासानी से उसका उल्लंघन नहीं कर सकता।

जातियाँ मुख्य रूप से श्रम विभाजन के आधार पर बनती हैं जैसे सुनार, लुहार, बडई, नाई, धोदी, कुम्हार इत्यादि। एक निश्चित प्रकार का कार्य करने वाले लोग उस जाति से सम्बन्धित रहते हैं। वे उसे छोड़कर दूसरी जाति में शामिल नहीं हो

सकते। उनका व्यवसाय तथा रोजगार जन्म से ही निश्चित हो जाता है।

कुछ जातियाँ कौम पर भी आधारित होती हैं जो प्राचीन समय से जाति (Race) से सम्बन्धित होती हैं और उसी के अनुरूप उनका जीवन, तथा रीति रिवाज बने हुए होने हैं जैसे उत्तर प्रदेश में भाट तथा चेरू और पंजाब राजस्थान में जाट गूजर तथा मेव इत्यादि।

कुछ जातियाँ इस प्रकार भी बन जाती हैं कि किसी धार्मिक मत अथवा धर्म को मानने वाले अथवा किसी धार्मिक नेता के अनुयायी एक प्रथक समूह बना लेते और वह एक प्रकार की जाति बन जाती है।

जाति प्रथा के लाभ (Advantages of caste System)— जाति प्रथा के व्यवस्था से हमें अनेको लाभ प्राप्त होते हैं। जिनके कारण ही हम अपनी भलो प्रकार एवं सुगमता से कर सकते हैं। नीचे हम इन लाभों पर प्रकाश डालेंगे।

(१) जाति प्रथा ने ही श्रम विभाजन को प्रोत्साहित किया और इसकी सहायता में सहायक सिद्ध हुई। जाति प्रथा में पंतुक व्यवसाय की पूर्ण रक्षा होती रहती है जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यह निकला है कि श्रम की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यही कारण है कि भारत में पंतुक उद्योग धंधों का इतना अधिक महत्व है।

(२) प्राचीन समय में जब शिक्षा समस्याओं का पूणतया विकास न हो पाया था तब बचपन से ही मानव अपने घर का काम सीखता था और उसमें निपुण हो जाता था इससे यह लाभ होता था कि उनकी कार्य क्षमता बढ़ती थी।

(३) पंतुक व्यवसाय होने के कारण व्यवसाय में वृद्धि होती है इससे कुटुम्ब के व्यवसाय अथवा शिल्प की स्थिति उसकी अर्थव्यवस्था में सहायक होती है।

(४) जाति प्रथा के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति का धंधा उसके जन्म से ही निश्चित ही रहता था उसके अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होती थी तथा बड़ा होकर अपने धंधों की उन्नति में प्रयत्नशील रहता था।

(५) जाति प्रथा के कारण कोई भी व्यक्ति बुरा काम करते हुए डरता था क्योंकि उसको यह भय था कि कहीं वह जाति से निकाल न दिया जाये।

परन्तु इतने लाभ होने पर भी व्यक्तिगत उत्साह को काफी ठेस पहुँची। इन सब लाभों की प्राप्ति हमको केवल प्राचीन समय में ही थी। आधुनिक युग में इससे कोई भी लाभ नहीं है वरन् हानि ही है वर्तमान समय में इससे राष्ट्रीयता को भी चोट पहुँचती है।

जाति प्रथा के दोष (Disadvantages of caste System) - वर्तमान समय में जाति प्रथा का रूप बिगड़ गया है घर घर में छुआछूत की बीमारी है। जातियों में उपजातियों का जन्म हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत में तीन हजार जातियाँ हैं जिनसे उन्नति में बाधा पड़ती है।

(१) इससे र जातीय एकता का विनाश होता है और देश की प्रत्येक जाति एक दूसरे के सहयोग के स्थान पर शत्रुता की भावना रखती है।

(२) जाति प्रथा से मजदूरो में एवता नहीं रहती क्योंकि सब जातियों के मजदूर धार्मिक सभ के सदस्य नहीं बनने और इसमें मिल मालिकों को धर्मियों का पोषण करने का अवसर मिलता है।

(३) जाति प्रथा में मनुष्य केवल अपना जातीय व्यवसाय ही करता है इससे प्रेम की गतिशीलता को हानि पहुँचती है।

(४) इससे अनावश्यक व्यय होता है क्योंकि प्रत्येक जाति में विवाह, जन्म मृत्यु के अवसर पर रीति रिवाज के अनुसार अधिक धन व्यय करना पड़ता है।

(५) जाति प्रथा में प्रत्येक जाति का व्यवसाय सीमित रहता है इससे एक जाति के लोग दूसरे व्यवसाय में पूँजी नहीं लगाते। अतः इसका पूँजी की गतिशीलता पर भी प्रभाव पड़ता है।

(६) ऊँची जाति के लोग हाथ का काम करना उचित नहीं समझते इससे श्रम शक्ति का विनाश होता है इससे राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि भी नहीं हो पाती।

आजकल शिक्षा के प्रचार के कारण जाति प्रथा की बुराइयों को भली प्रकार जाना जा सका है। किन्तु जाति प्रथा की जड़े हमारे समाज में इस प्रकार फैली हैं कि उनको उखाड़ कर फेंकना कठिन कार्य है।

सयुक्त कुटुम्ब प्रणाली (Joint family System) —सयुक्त परिवार प्रथा का हिन्दू समाज में एक विशेष स्थान एवं महत्व है। इसका अन्तर्गत परिवार के सब व्यक्ति पीढ़ियों तक एक ही कुटुम्ब में रहते हैं तथा उनका खान पान भी सममिलित रूप से होता है यदि कोई व्यक्ति कुटुम्ब से अलग रहता है तो उसको बुरा समझा जाता है। कुटुम्ब की देख भाल का भार परिवार के सबसे बृद्ध मनुष्य पर रहता है। कुटुम्ब के सब व्यक्ति अपनी आय उसी व्यक्ति का देते हैं। इससे आपस में प्रेम एवं सहकारिता की भावना का विकास होता है।

सयुक्त परिवार के गुण (Advantages of Joint family system)

(१) इससे खर्च में कृपायत होती है। सब व्यय एक साथ होने के कारण कम आती है।

(२) परिवार में सबको अपनी योग्यता अनुसार काम मिल जाता है जिससे पालन पोषण सुगमता से हो जाता है। इससे श्रम विभाजन की तथा कर्तव्य पालन को प्रोत्साहन मिलता है।

(३) सयुक्त परिवार नागरिकता की प्रथम सीढ़ी है इसमें सहयोग एवं एकता को प्रोत्साहन मिलता है।

(४) इससे खर्चों को छिन्न भिन्न तथा टुकड़े होने से बचाया जा सकता है।

(५) इस प्रथा में धन के संचय को भी अधिक प्रोत्साहन मिलता है।

(६) इसमें सभी अनाथ अन्धों एवं विधवाओं का भी पालन पोषण आसानी से हो जाता है और सभी की प्रतिष्ठा बनी रहती है।

संयुक्त परिवार के दोष (Disadvantages of joint family system) — उपरोक्त लाभ होते हुये भी इस प्रणाली में अनेक हानियाँ पाई जाती हैं। आधुनिक युग में आर्थिक विकास के लिए यह प्रणाली बाधा सिद्ध हो रही है। इसकी हानियाँ निम्नलिखित हैं।

(१) इसका मुख्य दोष यह है कि श्रम की गतिशीलता का ह्रास होता है क्योंकि परिवार के व्यक्तियों को किसी प्रकार की चिन्ता तो होती नहीं इस कारण वह घर पर ही पड़े रहते हैं।

(२) इसमें व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का अवसर नहीं मिलता। परिवार के लोग उसके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं उसे अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता नहीं होती।

(३) इस प्रणाली में यह भी हानि है कि परिवार के सब व्यक्ति कार्य नहीं करते तथा इसमें समाज निर्धनता की ओर जाता है क्योंकि व्यय अधिक और आम कम।

(४) संयुक्त परिवार में स्त्रियों को सबसे पर्दा करना पड़ता है इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसमें शिक्षा को भी प्रोत्साहन नहीं मिलता।

आजकल जबकि देश सब क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है, देश के औद्योगिक विकास तथा आवागमन के साधनों की उपलब्धि के कारण श्रमिकों में गतिशीलता बढ़ती जा रही है। आधुनिक युग में शिक्षा के प्रसार के कारण इस प्रणाली का विनाश होता है।

उत्तराधिकार का नियम (Law of inheritance) — संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का उत्तराधिकार की के नियम से घनिष्ठ संबंध है और इसका हमारे आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव है। हमारे देश में उत्तराधिकार के दो प्रमुख नियम हैं। प्रथम जो बंगाल में प्रचलित है—इसके अनुसार पिता की मृत्यु के बाद लड़के जायदाद के मालिक होते हैं। जायदाद का बटवारा भाईयों में होता है परिवार का मुखिया जायदाद का मालिक होता है वह चाहे उसे बेचे या और जायदाद खरीद ले। इसके अनुसार स्त्रियों को उनका हक नहीं मिलता। हमारे प्रकार का नियम बंगाल को छोड़कर सम्स्त भारत में प्रचलित है। जिसके अनुसार पिता के होते हुये, जायदाद पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है परिवार का मुखिया सम्पत्ति की देखभाल करता है। सदस्य की इच्छानुसार जायदाद का वह बटवारा हो सकता है। पुत्र जन्म लेते ही जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही समाजों में सम्पत्ति का विभाजन होता है जिसका प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर पड़ता है। अभी पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने उत्तराधिकार के कानून को नये सिरे से बनाया जिसके अनुसार हिन्दू परिवारों में पुत्रों के साथ साथ पुत्रियाँ को भी पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त हो गया है। इसका स्त्रियों की आर्थिक वसा पर गहरा प्रभाव होगा।

उत्तराधिकार के नियम का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव यह है कि वैमनस्य पर नहीं कर पाता क्योंकि छोटे बड़े सबको अपना भाग सुगमता से मिल जाता है इससे समाज में पूंजीवाद को भी प्रोत्साहन नहीं मिलता और सब पूर्ण रूप से अपने पैरो पर खड़े हो जाते हैं उनको एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता ? इसका मुख्य दोष यह है कि पूंजी के बटवारे से कोई भी सदस्य बड़ा कार्य नहीं कर पाता क्योंकि पूंजी को एकत्र करना एक समस्या हो जाती है इससे मुकदमेबाजी को भी प्रोत्साहन मिलता है तथा खेत छोटे रह जाते हैं जिन पर वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं हो पाती और इससे पैदावार बहुत कम हो जाती है और देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है।

ग्राम पंचायत (Village Panchayats) - भारत में ५ लाख से भी अधिक गाव हैं। प्राचीन समय में ग्राम की देखभाल के लिए पंचायतों का संगठन किया जाता था पंचायतों से सामाजिक संगठन बना रहता है वास्तविकता में यह बात सत्य है कि पंचायतें एक छोटे रूप से राज्य की सभी विशेषताएँ रखती हैं और यदि सरकारी प्रबन्ध वहाँ से हटा लिया जाय तब भी यह अपने सदस्यों की रक्षा के लिये काफी है। इनका विनाश अंग्रेजों के आने से हुआ परन्तु इसके महत्व को महात्मा गांधी एवं आजकल हमारी सरकार ने समझा है। १९४८ में उत्तर प्रदेश में पंचायत राज्य कानून पास किया गया और अन्य राज्यों ने भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किये हैं एवं किए जा रहे हैं।

अन्त में हम कह सकते हैं कि भारत के आर्थिक संगठन तथा विकास पर धर्म, रीति रिवाज सामाजिक परम्पराओं का भाव बहुत अधिक पड़ा है। जातीयता, धार्मिक अन्धविश्वासों के कारण ही हमारे देश का हानन विदेशियों द्वारा हुआ परन्तु आज का भारत इन सब बन्धनों को तोड़ने में प्रयत्नशील है और आर्थिक उन्नति के पथ पर अग्रसर है।

प्रश्न ५—“भारत एक धनी देश है जिसमें निर्धन लोग रहते हैं।” इस कथन सत्यता पर प्रकाश डालिए।

२०/११/५१ (राजपूताना १९५१)

“India is a rich country inhabited by poor people” Discuss the above statement.

Or

भारत के प्राकृतिक साधनों का वर्णन कीजिए और बताइये कि किन कारणों से इनका पूरी तरह विकास नहीं हो सका।

२०/११/५१ (आगरा १९५४)

Describe the Natural Resources of India Why have they not been properly exploited ?

(Agra 1954)

उत्तर—भारत एक विशाल देश है जो यद्यपि निर्धन है किन्तु यहाँ लगभग वे सभी प्राकृतिक साधन पाये जाते हैं जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक हैं। इन प्राकृतिक साधनों का समुचित विकास न होने के कारण भारत के लोग निर्धन हैं और मुख्यतः खेती पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वंस

७० प्रतिशत कोयला प्राप्त होता है। ऐसा अनुमान है कि भारत में कुल ६०००० लाख टन कोयले का भण्डार है जिसमें से ६००० लाख टन उत्तम श्रेणी का कोयला है। भारत में इस समय लगभग १००० कोयले की खानें हैं जिनसे ३४० लाख टन कोयला एक वर्ष में निकाला जाता है। भारत सरकार ने कोयला उद्योग को एक लोकहितकारी उद्योग घोषित किया हुआ है। १९५६ में भरिया के पास एक ईंधन अनुसन्धान केन्द्र (Fuel Research Institute) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य कोयले की खानों की जांच करना तथा कोयले के उत्पादन से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य करना है। भारत में प्रति व्यक्ति कोयले का उत्पादन अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। कोयला उद्योग की उन्नति के लिये एक कोयला बोर्ड की स्थापना भी की गई है।

(२) मैंगनीज—मैंगनीज के उत्पादन में रूस को छोड़कर भारत का सप्ताह में दूसरा स्थान है इसका उपयोग स्पात के बनाने में किया जाता है। मध्य-प्रदेश में सप्ताह में सबसे अच्छी मैंगनीज की खानें हैं। इसके अतिरिक्त बिहार, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान आदि राज्यों में भी यह धातु पाई जाती है। अमेरिका तथा अन्य योरोपीय देश इसके मुख्य ग्राहक हैं और इसका अधिकांश भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। भारत में कुल ११२ करोड़ टन मैंगनीज के भण्डार का अनुमान है जिसमें से लगभग १० करोड़ टन मध्य प्रदेश तथा बम्बई राज्यों में है।

(३) अभ्रक—भारत सप्ताह में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और सप्ताह की लगभग ८० प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत की कुल निर्यात में से लगभग ७० प्रतिशत अमेरिका को जाता है दूसरा बड़ा ग्राहक इङ्ग्लैंड है। इसकी अधिकांश खानें बिहार राज्य में पाई जाती हैं। इसके बाद मद्रास तथा राजस्थान का नम्बर है। इस धातु का मुख्य उपयोग विजली से सम्बन्धित उद्योगों में होता है। यह लगभग ३३०० वर्ग मील के क्षेत्र में पाया जाता है।

(४) लोहा—भारत में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा लोहा पाया जाता है। भारत में कच्चे लोहे के कुल भण्डार का अनुमान २१०० करोड़ टन लगाया गया है। जब तक देश में लोहे के बड़े कारखाने स्थापित नहीं होते और देश में कच्चे लोहे की खपत नहीं बढ़ती उस समय तक सरकार जापान आदि देशों को लोहे के निर्यात को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। बिहार, उड़ीसा, मध्य-प्रदेश, मंसूर इसके मुख्य केन्द्र हैं। इस खनिज पदार्थ के उत्पादन में भारत को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है।

(५) पेट्रोल—भारत में पेट्रोल अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता। आसाम राज्य में डिगबोई नामक स्थान पर तेल के कुए हैं जिनसे प्रतिवर्ष लगभग ४ लाख टन कच्चा तेल प्राप्त होता है जबकि भारत की वार्षिक आवश्यकता ५० लाख टन की है शेष विदेशों से आयात करके भारत में साफ किया जाता है जिसका कारखाना बम्बई के पास ट्राम्बे नामक स्थान पर है। भारत सरकार के प्रयत्नों से कुछ विदेशी विशेषज्ञ भारत लाये गये हैं जो तेल की खोज कर रहे हैं। इनक अनुसार पञ्जाब

राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, आन्ध्र, केरल आदि राज्यों में तेल प्राप्त होने की सम्भावना है। ऐसी आशा की जाती है कि निकट भविष्य में ऐसे स्थानों का पता मिलेगा जहाँ से भारत को अधिक मात्रा में पेट्रोल प्राप्त हो सके।

(६) सोना—मैसूर राज्य में कोलर नाम की खानों से लगभग सोने के कुल उत्पादन का ६५% भाग प्राप्त होता है। सप्ताह के कुल उत्पादन का केवल २% भारत में उत्पन्न होना है। कोलर की सोने की खानों का राष्ट्रीयकरण १९५६ में कर दिया गया था।

(७) नमक—पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश तथा राजस्थान में से बड़ी मात्रा में नमक प्राप्त होता है और नमक उत्पन्न करने वाले देशों में भारत का ऊँचा स्थान है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद काफी मात्रा में नमक भारत से निर्यात भी होता है।

(८) इलमेनाइट—इस धातु के उत्पादन में भारत दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और सप्ताह के प्रमुख उत्पादकों में से है। यह संकेद रज्ज की धातु सीस के स्थान पर प्रयोग हो सकती है और मुख्य रूप से केरल राज्य में पाई जाती है। भारत में इस महत्वपूर्ण धातु का कुल भण्डार लगभग ३५०० लाख टन है जिसका अभी तक पूर्ण तरह से प्रयोग नहीं हो रहा है। भविष्य में इसके समुचित विकास की आशा की जाती है।

(९) मोनोजाइट—यह धातु भी केरल राज्य में पाई जाती है। अशुक्ति के लिये इस पदार्थ को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है।

(१०) क्रोमाइट—भारत में कच्चा क्रोमाइट पर्याप्त मात्रा में मिलता है। लगभग २ लाख टन उच्च श्रेणी का तथा ११.२ लाख टन निम्न श्रेणी का भण्डार भारत में है। बिहार, बम्बई, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा तथा काश्मीर आदि राज्यों में पाया जाता है।

(११) मँगनेसाइट—इसका प्रयोग सीमेंट, सीसा, कागज, रबर तथा हवाई अड्डा उद्योगों में होता है। यह मद्रास, बिहार, काश्मीर, मैसूर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नवीनतम अनुमान के अनुसार इसके कुल भण्डार ८२.५ लाख टन हैं।

(१२) बाक्साल्ट—इस पदार्थ की खानें समस्त देश में फैली हुई हैं। यह पेट्रोल साफ करने तथा उससे सम्बन्धित उद्योगों में प्रयोग होता है और ऐलमोनियम बनाने में भी प्रयोग होता है। भारत में लगभग २८० लाख टन बाक्साल्ट के भण्डार पाये गये हैं।

(१३) तांबा—यह अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता। प्रतिवर्ष ३ लाख ७० हजार टन तांबा प्राप्त किया जाता है जो देश की आवश्यकताओं को देखते हुये बहुत कम है। शेष बाहर से मगाना पड़ता है। इसकी खान राजस्थान, बिहार आदि प्रदेश में पाई जाती है।

(१४) जूने का पत्थर—यह मुख्य रूप से सीमेंट बनाने तथा इमारतों में इदि

बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह बिहार, मध्य-प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है।

(१५) जिपसम—इसका प्रयोग सीमेंट तथा प्लास्टर आदि बनाने में होता है। यह मद्रास, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है।

(१६) सीसा—यह कम मात्रा में पाया जाता है जिसकी खानें केवल एक ही स्थान पर ही मिलती हैं।

उपरोक्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त अन्य बहुत से खनिज पदार्थ भारत में पाये जाते हैं जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है।

खनिज पदार्थों के भावी विकास की समस्या

हम यह देख चुके हैं कि भारत खनिज सम्पत्ति की दृष्टि से बड़ा भाग्यशाली देश है और भारत के भूगर्भ में इतनी बड़ी मात्रा में यह दौलत छिपी पड़ी है जिसका हमें अभी तक पूरी तरह ज्ञान भी नहीं है। भारत के औद्योगीकरण के लिए इन खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इनके बिना बड़े तथा महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकती। कोई भी देश खनिज पदार्थों को केवल आयात करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात सोच भी नहीं सकता। कोयला और लोहा वह मुख्य खनिज पदार्थ हैं जिन पर प्रारम्भिक रूप से औद्योगीकरण का प्रश्न निर्भर है। दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले ५० वर्षों के अनुभव के बाद भी स्वानो से खनिज पदार्थ निकालने के काम में टैक्नीकल कार्य कुशलता में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। खानों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है और खानें खोदने के तरीके आज भी ऐसे हैं जिनमें काफी खर्चा होती है। होना यह चाहिए कि जो पदार्थ इस समय किराये के साथ निकाले जा सकें उन्हें भविष्य के लिए छोड़ दिया जाय।

भारत सरकार के १९६६ के औद्योगिक नीति संबंधित प्रस्ताव में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि खानें खोदने का कार्य अब सरकार स्वयं करेगी। लोहे के जो नये कारखाने लग रहे हैं उनके लिये प्रतिवर्ष ११० लाख टन कच्चे लोहे की आवश्यकता होगी जब कि कच्चे लोहे का वार्षिक उत्पादन इस समय केवल ५० लाख टन है। इसी प्रकार ऐलमिनियम उद्योग के लिए ११३००० टन वाकसाइट की आवश्यकता होगी जब कि इसका वर्तमान उत्पादन केवल ७५ हजार टन है।

भारत सरकार ने विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है जिससे भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से नई नई खानों का पता लगाया जा सके। इन प्रयत्नों से कई एक महत्वपूर्ण खानों का पता चला है जो भविष्य के लिए उपयोगी होंगी।

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि खनिज पदार्थों के विकास तथा उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें और इस उद्देश्य से १९४८ में एक कानून पास किया। इसी प्रकार

१९४८ तथा १९५६ में औद्योगिक नीति के जो प्रस्ताव पास किए उनमें खनिज पदार्थों को स्पष्ट रूप से उद्योगों की भांति मान्यता दी और उन्हें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में ले लिया। भारत सरकार ने प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान का मन्त्रालय भी स्थापित किया है जो खानों तथा खनिज पदार्थों की खोज आदि में सम्बन्ध रखता है। दड़े उद्योगों को आवश्यक सूचना तथा सलाह देने के लिए १९४८ में खनिज सूचना केन्द्र (Mineral Information Bureau) की स्थापना की गई है इसी वर्ष इंडियन व्यूरो ऑफ़ माइन्स की स्थापना की गई जो भारत सरकार के विशेषज्ञ तथा सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

दी जीवोलाजीकल सर्वे आफ़ इण्डिया का विभाग जो १९५१ में स्थापित हुआ था तथा इसने पिछले १०० वर्षों से खनिज सम्पत्ति सम्बन्धी हमारे ज्ञान में वृद्धि की और इस बात की छानबीन की कि वास्तव में कितनी खनिज सम्पत्ति कहा-कहा पाई जाती है। इस विभाग की सेवाएँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

खनिज पदार्थों से सम्बन्धित टैक्नीकल शिक्षा प्रदान करने के लिये १९२६ में एक संस्था धनबाद नामक स्थान पर स्थापित की गई थी जिससे प्रतिवर्ष काफी संख्या में विद्यार्थी पास होकर निकलते हैं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भी इस विषय की शिक्षा दी जाती है।

भारत सरकार की खनिज सम्बन्धी नीति—दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया है कि सरकार देश के भावी विकास में खनिज सम्पत्ति से सम्बन्धित किस प्रकार की नीति पर चलेगी। इस नीति की उल्लेखनीय बात यह है कि ऐसे खनिज पदार्थों के भावी विकास का उत्तरदायित्व सरकार का रहेगा जो अणुशक्ति, लोहा तथा स्पात, मोयला लिगनाईट, खनिज तेल भूगर्भीय, क्रोम, जिप्सम गन्धक सोना, तांबा, सीसा, टिन, जस्ता, आदि से सम्बन्धित है। इनके अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ धीरे धीरे सरकार के अधीन आते जायेंगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भारत का अविध्य उज्यल है और सरकार की नवीन औद्योगिक नीति का भारत के भावी औद्योगिक विकास पर उत्साहजनक प्रभाव होगा।

✓ प्रश्न ७—भारत में पाये जाने वाले शक्ति के साधनों का सन्निहित वर्णन कीजिए और उनके भावी विकास की सम्भावना पर प्रकाश डालिये। यह भारत के अर्थिक विकास के लिए कहां तक पर्याप्त हैं? (बिहार १९५५-)

Give a brief description of the available sources of power in India. How far can they be developed in future? Are they sufficient for India's Economic Development? (Behar 1953)

Or

भारत में उपलब्ध शक्ति के साधन क्या हैं? वर्तमान समय में सस्ती शक्ति का विकास की प्रगति पर प्रकाश डालिए। (पटना १९५०)

What are the various sources of Power in India ? What progress has been made in the development of cheap power resources.
(Patna 1910)

उत्तर.—प्रत्येक देश की औद्योगिक, कृषिक तथा यातायात सम्बन्धी उन्नति के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है जो विभिन्न साधनों से प्राप्त की जाती है। मानव शक्ति, पशु शक्ति, वायु शक्ति, तथा ईंधन की शक्ति का प्रयोग तो प्राचीन काल से ही होता आया है। किन्तु कोयले की शक्ति, तेल की शक्ति तथा बिजली आदि का महत्व आधुनिक युग में बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि बड़े-बड़े कारखानों को चलाने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। भारत में निम्नलिखित शक्ति के साधन पाये जाते हैं।

(१) मानव शक्ति — भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है और उस की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है। आज भी भारतीय कृषि मानव शक्ति प्रमुख है इसके अतिरिक्त देश के कुटीर उद्योग तथा अन्य छोटे-छोटे धन्धे मानव शक्ति पर ही चलते हैं क्योंकि मानव शक्ति की भारत में कोई कमी नहीं है। आज भी देश में मानव शक्ति का पूरी तरह प्रयोग नहीं हो रहा है और बहुत से लोग बेरोजगार हैं। भविष्य में यदि सब लोगों को रोजगार दिया गया और पूरी तरह मानव शक्ति का प्रयोग हुआ तो देश की आर्थिक उन्नति में कोई संशय नहीं है।

(२) पशु शक्ति — भारत में भारी सख्या में पशु जैसे बैल, घोड़े ऊँट इत्यादि कृषि यातायात तथा अन्य कार्यों के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं और देश की वर्तमान अर्थ व्यवस्था में इनका काफी महत्व है। दुर्भाग्य से भारत में पशुओं की संख्या तो बहुत है किन्तु उनकी नस्ल अच्छी नहीं है और सुधारने के लिये पूरी तरह प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं।

(३) वायु शक्ति — इसका प्रयोग मुख्य रूप से पहाड़ी स्थान पर किया जाता है। भारत में इसका अधिक महत्व नहीं है।

(४) ईंधन की शक्ति — भारत में प्राचीन काल से बड़ी मात्रा में वन पाय जाते रहे हैं जिनकी लकड़ी और लकड़ी का कोयला शक्ति के साधन के रूप में प्रयोग होता रहा है। वनों के कट जाने से तथा शक्ति के अन्य साधनों के विकास हो जाने से ईंधन शक्ति का महत्व औद्योगिक क्षेत्र में कम हो गया है फिर भी घरे में खाना बनाने के लिए तथा अन्य कुटीर उद्योगों में ईंधन शक्ति का प्रयोग आज भी होता है। ऐसी आशा की जाती है कि जल विद्युत शक्ति का पूर्ण विकास हो जाने से इसका महत्व बहुत कम हो जाएगा।

(५) कोयला शक्ति:—कोयला शक्ति का प्रयोग भाप के रूप में होता है। भारतीय रेल तथा बहुत से कारखाने कोयले की शक्ति से चलाये जाते हैं। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में कोयले की खानें पाई जाती हैं किन्तु यह खानें मुख्यतः जिनसे बिहार तथा बंगाल में हैं। देश के सब भागों में कोयला भेजने में

यातायात पर व्यय होता है जिससे यह सस्ती शक्ति का साधन नहीं हो सकता है। फिर भी जिन क्षेत्रों में कोयले की खाने पाई जाती हैं वहाँ की औद्योगिक उन्नति में इस का महत्वपूर्ण स्थान है। कोयले के वार्षिक उत्पादन का ३३ प्रतिशत रेलों द्वारा, ३७ प्रतिशत कल कारखानों में तथा शेष ३० प्रतिशत अन्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है।

(६) तेल शक्ति — मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल और उससे बनी हुई वस्तुएँ शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन मानी जाती हैं। यह छोटी मशीनें ट्रैक्टर मोटर मोटर कार ट्रक, बस, हवाई जहाज तथा समुद्री जहाज आदि के चलाने के काम में आता है। दुर्भाग्यवश भारत में इसकी बहुत कमी है। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बड़ी मात्रा में इसका आयात किया जाता है। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि देश में ऐसे नये क्षेत्रों का पता लगाया जाये जहाँ से खनिज तेल प्राप्त हो सके। गन्ने के शीरे से पावर एल्कोहल नाम की वस्तु तैयार की जाती है जो पेट्रोल के स्थान पर अथवा उसके साथ मिलाकर प्रयोग में लाई जाती है।

(७) जल शक्ति अथवा जल विद्युत शक्ति:—भारत की आर्थिक और प्राकृतिक परिस्थितियों को देखते हुये विजली सबसे सस्ती, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण शक्ति का साधन है। इसके विकास के लिये देश में अनन्त साधन पाये जाते हैं। त्रिजली जैसे तो कोयला मिट्टी का तेल और प्रणु शक्ति की सहायता से भी बनती है किन्तु पानी से बनने वाली विजली सबसे सस्ती होती है और भारत के लिये यही सबसे उपयुक्त है। भारत में जल विद्युत के विकास की आवश्यकता प्रथम महायुद्ध के बाद ही अनुभव होने लगी थी किन्तु इसके विकास के लिए वास्तविक प्रयत्न उस समय प्रारम्भ हुये जब दश स्वतन्त्र हुये और हमारी राष्ट्रीय सरकार ने यह अनुभव किया कि भारत में बड़ी मात्रा में जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है तथा देश के औद्योगिक तथा कृषि के विकास के लिए यहाँ सबसे उपयुक्त शक्ति का साधन है। भारत की नदियाँ तथा झरने प्रति वर्ष ४०० लाख बिल्लोवाट विजली तक उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय अन्य देशों की अपेक्षा भारत में प्रति व्यक्ति विजली का औसत बहुत कम है। उदाहरण के लिए अमेरिका में प्रति व्यक्ति विजली का वार्षिक उपभोग २००० यूनिट से अधिक है जबकि भारत में केवल ७ यूनिट है।

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में जल विद्युत के विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया था और जो योजनाएँ प्रारम्भ की गई थी उन्हें पूरा करने के लिए दूसरी योजना में भी व्यवस्था की गई है। प्रमुख योजनाओं में कोसी योजना, झींग कृष्ण योजना, भाखरा नागर योजना, दामोदर घाटी योजना, रिहन्द योजना, नर्मदा योजना आदि शामिल हैं। इन योजनाओं के पूरा हो जाने से देश की औद्योगिक और कृषि की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त विद्युत शक्ति प्राप्त होने लगेगी।

विद्युत् = वर्षों में विजली का उत्पादन ५०७३३ लाख किलोवाट में बढ़कर ८५६२४ लाख किलोवाट हो गया है अर्थात् १११ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत सरकार के केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (Central water and power Commission) ने देश की जल विद्युत् शक्ति-उत्पादन क्षमता की छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि पश्चिम की घोर बहने वाली नदियों से जो पश्चिमी घाट की ओर जाती हैं तथा दक्षिणी भारत की पूरब की ओर बहने वाली नदियों से १६५ बड़ी योजनाओं के द्वारा १४४ लाख किलोवाट विजली उत्पन्न हो सकती है। देश के अन्य भागों में छानबीन चल रही है। ऐसा अनुमान है कि समस्त भारत में ३५० लाख किलोवाट तक विजली उत्पन्न की जा सकती है।

व्यापक भारत में शक्ति के साधन देश के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त हैं—उपर्युक्त विवेचन में हमने देखा कि भारत में मानव शक्ति तथा पशु शक्ति के अतिरिक्त कोयला तथा विजली ही शक्ति के प्रमुख साधन हैं। कोयले की शक्ति का प्रयोग सारे देश में सुगमतापूर्वक तथा किफायत के साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि एक स्थान में दूसरे स्थान तक ले जान में इस पर बहुत अधिक व्यय होता है। यदि हम चाहते हैं कि देश के सभी भागों का समान आर्थिक विकास हो तो विजली का ही सहारा लेना पड़ेगा। विजली की शक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सस्ती होने के साथ साथ ३०० तथा ४०० मील तक सुगमतापूर्वक ले जाई जा सकती है और एक बड़े क्षेत्रका आर्थिक विकास इसके कारण सम्भव हो सकता है।

अब हमें देखना यह है कि भारत जैसे देश में जहाँ कृषि की दशा बहुत शोचनीय है और जहाँ उद्योगों का समुचित विकास होना अभी शेष है वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में विजली की आवश्यकता होगी। भारतीय ग्रामों के पुर्ननिर्माण तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रत्येक गाँव में विजली का पहुँचाना आवश्यक है। इसी प्रकार कृषि से सम्बन्धित बहुत से कार्य जिनमें विजली के बुझों की सिंचाई सबसे प्रमुख है विजली की उपलब्ध मात्रा पर निर्भर है। इधर नगरों के विकास के लिए तथा बड़े उद्योगों की स्थापना और यातायात के साधनों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में विजली सहायक हो सकती है। हम यह मानते हैं कि भारत को भविष्य में बहुत अधिक मात्रा में विजली की आवश्यकता होगी किन्तु जलविद्युत् के साधन भी देश के पास कम नहीं हैं। केवल उनका विकास करने की आवश्यकता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में ३५० लाख किलोवाट विजली का उत्पादन हो सकता है। इस दृष्टि से देश को चार भागों में बाँटा गया है।

(१) हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियाँ जिनसे

२०० लाख किलोवाट बिजली प्राप्त हो सकती है।

(२) मध्य भारत की नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती तथा महान्दी इत्यादि जिनमें ५४० लाख किलोवाट बिजली तैयार हो सकती है।

(३) दक्षिणी पठार की पूरव की ओर बहने वाली नदियाँ जिनसे ७० लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकती है।

(४) दक्षिणी पठार की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जिनसे ४० लाख किलोवाट बिजली तैयार हो सकती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के पास समूची बिजली उत्पन्न करने के पर्याप्त साधन हैं जो देश की आर्थिक विकास के लिए शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

प्रश्न ५ — देश के आर्थिक विकास में जल विद्युत का क्या महत्व है ? भारत की महत्वपूर्ण जल-विद्युत योजनाओं का उल्लेख कीजिए।

(राजस्थान १९५१, ५४, आगरा ५०, पटना ५१)

What is the importance of Water Power in the Economic Development of India ? Describe the important Hydro-electric schemes of India

(Rajasthan 1951 54 Agra 50 Patna 51)

भारत के आर्थिक विकास में जलविद्युत का महत्व

स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद से लेकर अब तक भारत में जलविद्युत का काफी महत्व है। इसका एक मात्र कारण यह है कि भारत जैसे गरीब देश के आर्थिक के लिये जलविद्युत ही सबसे सरल और सस्ती शक्ति प्रदान कर सकती है। भारत की कृषि उद्योगों यातायात के साधनों तथा लोगों के जीवन में जलविद्युत का निम्नलिखित महत्व है —

कृषि के लिए महत्व — भारतीय कृषि तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। बिजली के कृषि सिंचनी के लिए पानी प्रदान करते हैं। अभी तक खेती मानसून पर निर्भर रहती है। यदि वर्षा ठीक समय पर और पर्याप्त मात्रा में हो गई तो खेती सुधर जाती है अन्यथा किसान को गंभीर आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देश के विभिन्न भागों में नहरों का जाल बिछाना इतना सुगम नहीं है। बिजली के कुम्भों का खोदना इससे बड़ी आसान और सस्ता है। दक्षिण पठार तथा कुछ पहाड़ी भागों को छोड़कर शेष मैदानी क्षेत्रों में बिजली की सहायता से सिंचनी की सुविधाएँ प्रदान करके खेती की उपज को बढ़ाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि किसान को वर्षा के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिजली से खेती के यन्त्रीकरण में भी बड़ी सहायता मिलती है। बिजली से चलने वाली बहुत सी ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है जिससे मानव शक्ति तथा अशुशक्ति दोनों की बचत हो

सकती है और इनका प्रयोग अन्य कार्य के लिये किया जा सकता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बिजली भारतीय कृषि तथा ग्रामाणु ग्रथं व्यवस्था में क्रान्ति-कारी परिवर्तन लाने में सहायक होगी।

उद्योगों के लिए महत्व — भारत के कुछ थोड़े से भागों को छोड़कर शेष में उद्योगों का विकास शक्ति के साधनों की कमी के कारण अभी तक नहीं हो सका है। बिहार, उड़ीसा बंगाल के कुछ क्षेत्र, रजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा अन्य बहुत से भाग ऐसे हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है किन्तु शक्ति के अभाव में उनका विकास नहीं हो सका है। नदी घाटी योजनाओं के फलस्वरूप नये उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलेगी। वर्तमान उद्योगों का विध्वंसिकरण हो सकेगा और देश के सभी भागों का समांग रूप से औद्योगिक विकास हो सकेगा। बिजली का सबसे अधिक महत्व कुटीर तथा धरेलू उद्योगों के लिये है। अभी तक अधिकांश कुटीर उद्योग बिना शक्ति के अथवा मध्य की हाथ पैर की शक्ति से चलाये जाते हैं इससे इनकी कार्य-क्षमता भी कम रहती है और पूरी तरह इनका विकास नहीं हो पाता। बिजली की सहायता से छोटे उद्योगों का विकास वरक देश की बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है और कृषि पर से जनसंख्या के भार को कम किया जा सकता है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है जहाँ छोटे कुटीर उद्योगों का विकास बिजली की सहायता से किया गया है और आज जापान संसार के उद्योग-शील देशों में गिना जाता है। बिजली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कम से कम खर्च से प्रत्येक गाँव तक पहुँचाई जा सकती है। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में बिजली के विकास में जो प्रगति हुई है अथवा हो रही है उसका प्रभाव अब से १० या १५ वर्ष के बाद भारत की औद्योगिक प्रगति पर देखने को मिलेगा। देश के वह भाग जो आज धीरान और पिछड़े हुये माने जाते हैं वे भारत की औद्योगिक उन्नति के प्रतीक होंगे।

यातायात के साधनों के लिये बिजली का महत्व.—रेलें भारत के यातायात की प्रमुख साधन मानी जाती हैं। दम्बई आदि के कुछ थोड़े से भागों को छोड़कर शेष स्थानों में रेलें कोयले से चलती हैं। रेलों के विकास के कार्यक्रम में बिजली से चलने वाली रेलों के विस्तार का प्रयत्न भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिजली से चलने वाली रेलों में खर्चा कम बँठता है, अनन्तता की सुविधा रहती है और इसकी कार्य कुशलता भी अधिक होती है। भारत सरकार इस बात को पूरी तरह अनुभव करती है कि बिजली के द्वारा रेलों के संचालन से कोयले की बचत होगी तथा रेल गाड़ियों को चलने की गति भी तीव्र का जा सकेगी। यथासम्भव बिजली से चलने वाली रेलों के विकास के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। विशेषकर बड़े बड़े नगरों की यातायात की समस्याओं को सुलझाने के लिए बिजली की रेलों की बड़ी आवश्यकता है।

सामान्य आर्थिक जीवन में बिजली का महत्व:—किसी भी देश के आर्थिक

विकास का माप बढ़ा के लोगों के रहन-सहन के स्तर से लगाया जा सकता है। बिजली के प्रयोग से हमारा सामान्य जीवन सुखी बन जाता है और हमारे रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा उठता है। उदाहरण के लिये बिजली की रोशनी, पैसे, रेडियो, खाने पकाने के चूल्हे तथा अन्य बहुत सी वस्तुएँ हमारे दैनिक जीवन के प्रयोग में आती हैं। जब बिजली के प्रयोग की सुविधा प्रत्येक ग्रामवासी को भी प्राप्त होने लगेगी तो हम गर्व के साथ यह कह सकेंगे कि हमारा देश आर्थिक विकास की एक बड़ी मजिद तय कर चुका है।

भारत की महत्वपूर्ण जलविद्युत योजनाएँ

भारत के विभिन्न राज्यों में बिजली की योजनाएँ सन् १९४७ से पूर्व पूरी हो चुकी थीं और जो इसके बाद चालू की गई हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्न लिखित है :—

मैसूर राज्य:—सर्व प्रथम १९०२ में शिवसमुद्रम शक्ति ग्रह के निर्माण से मैसूर राज्य की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुये दो अन्य शक्तिग्रह बन ये जा रहे हैं जिनमें भास्करा योजना भी शामिल है। इस पर १७७५ करोड़ रुपया व्यय होगा और ४१००० किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी।

बम्बई राज्य:—बम्बई राज्य में बिजली के तीन पुराने कारखाने लोनावाला, घाटी तथा नीलामूला हैं। इनका प्रबन्ध टाटा एण्ड सन्स के हाथ में है। इन तीनों से लगभग १५ लाख किलोवाट बिजली बनती है। इसके अतिरिक्त बम्बई में कोयना नदी योजना बनाई है जिस पर ३८ करोड़ २८ लाख रुपया व्यय है। इस योजना में २४०००० किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी। बम्बई राज्य की सरकार ने एक बिजली ग्रिड विभाग की स्थापना भी की है जो सारे राज्य में बिजली पहुँचाने की योजना बना रहा है।

मद्रास राज्य:—मद्रास में पाईकारा योजना १९२९ में बनी थी और १९३५ से इससे बिजली प्राप्त हो रही है। मैसूर योजना तथा पापनाशम योजनाएँ भी बिजली प्रदान कर रही हैं। इनके अतिरिक्त भवानी योजना पर कार्य हो रहा है जिस पर १ करोड़ रुपया व्यय होगा और १०००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी।

उत्तर प्रदेश राज्य:—यहाँ गङ्गा ग्रिड योजना द्वारा २७००० किलोवाट बिजली प्राप्त की जाती है। गङ्गा की नहरों पर १० में से ७ बिजली घर बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने अनेक स्थानों पर छोटी २ योजनाओं को पूरा करके बिजली का उत्पादन बढ़ाया है। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण योजना रिन्द योजना है जिससे २५ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। शारदा नहर योजना पूरी हो चुकी है और ४०००० किलोवाट बिजली इससे मिलने लगी है।

पूर्वी पंजाब:—१९३७ ३८ में मडी योजना तैयार हुई थी किन्तु इसने जिन क्षेत्रों को बिजली मिलती थी उनमें से बहुत से पाकिस्तान में चले गये हैं। इस समय

भाखडा नागल योजना पर पञ्जाब की गंगाएँ निर्भर हैं। इसके पूरा होने पर ४ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होने लगेगी। इस समय त गगुवाल तथा कोटला नामक दो शक्तिगृह बन चुके हैं और ४८००० किलोवाट बिजली प्राप्त होने लगी है।

बिहार राज्य—कोसी योजना बिहार की प्रमुख योजना है। इस पर ६६ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। इससे १ लाख किलोवाट बिजली प्राप्त हो सकेगी। यह योजना १० वर्ष में पूरी होगी।

पश्चिम बङ्गाल राज्य—पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्य में बहने वाली दामोदर नदी पर ७ बाघ बाघने की यह योजना है जिसमें से वोकारो धमल शक्ति गृह बन चुका है जिससे १५०००० किलोवाट बिजली प्राप्त होने लगी है। दूसरी पञ्च-वर्षीय योजना में दुर्गापुर धमल शक्तिगृह के निर्माण से १५०००० किलोवाट बिजली प्राप्त होगी तथा वोकारो शक्तिगृह की क्षमता २२५००० किलोवाट तक बढ़ जावेगी। इस कुल योजना के पूरा होने पर ३७५००० किलोवाट बिजली मिलने लगेगी। मयूराक्षी योजना भी पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण योजना है। इससे १००० किलोवाट बिजली प्राप्त होगी।

उड़ीसा राज्य—उड़ीसा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण योजना हीराकुण्ड योजना है जो महानदी पर तैयार की जा रही है। इस पर बनने वाले मुख्य शक्तिगृह से १२२००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। अब तक एक शक्तिगृह २५००० किलोवाट का बन चुका और दोष तीन शक्तिगृह इस वर्ष के अंत तक पूरे होने का अनुमान है। इस योजना में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की एक अन्य योजना भी स्वीकार कर ली गई है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य—आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्य के सामूहिक महयोग में तु गभद्रा योजना पर कार्य हो रहा है। इस योजना के आधान कई शक्तिगृह बन ये जावेगे जिनसे दोनों राज्या को बिजली प्राप्त हो सकेगी।

मध्यप्रदेश तथा राजस्थान राज्य—इन दोनों राज्यों ने मिलकर चम्पल योजना पर कार्य शुरू किया है। इस योजना से ६६००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। यह योजना १९६२ तक पूरी हो जावेगी।

प्रथम तथा द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में जल-विद्युत का विकास—भारत के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या को देखते हुए अभी जल विद्युत के विकास की इस देश में काफी सम्भावना है भारत में प्रति व्यक्ति बिजली का औसत वार्षिक उत्पादन ३ किलोवाट घण्टे है जबकि कनाडा में ४८६० किलोवाट घण्टे इंग्लैंड में १७३ किलोवाट घण्टे तथा जापान में ७१५ किलोवाट घण्टे हैं। इस कमी को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय जल तथा शक्ति आयोग (The Central Water and Power Commission) ने देश में जल विद्युत के विकास की सम्भावनाओं के विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य अपने हाथ में लिया है इस खोज के अनुसार दक्षिण भारत के पठार तथा पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियों से १४४ लाख किलोवाट

बिजली पैदा की जा सकती है ! जिसके लिए आयोग ने ११५ बड़ी योजनाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। देश के अन्य भागों के लिये भी इसी प्रकार के विस्तृत सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। वर्तमान अनुमानों के अनुसार यह सचेत मिलता है कि भारत में कुल ३५० लाख किलोवाट बिजली पैदा करने की क्षमता पाई जाती है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों ने सार्वजनिक तथा निजी (Public and Private Sectors) क्षेत्रों में जल विद्युत के विकास की योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया यद्यपि अधिक बल सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं पर ही दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जल विद्युत विकास की १४२ योजनाओं पर कार्य किया गया जिनमें से अनेक योजना के काल में ही पूरी हो गई और शेष दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जायँगी। प्रथम योजना में जो बिजली की योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और जिनमें बिजली मिलने लगा है उनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है —

(क्षमता किलोवाट में)

१—नागल (पंजाब)	४८०००
२—बोकारो (बिहार)	१५००००
३—चोला (कमिडई)	५४०००
४—खापरसेडा (मध्यप्रदेश)	३००००
५—भायल (मद्रास)	३२०००
६—मद्रास शहर विकास योजना	३००००
७—माल कुण्ड (आंध्र प्रदेश-उडीसा)	३४०००
८—पथरी (उत्तर प्रदेश)	२००००
९—सारदा (उत्तर प्रदेश)	४१०००
१०—सेगलम (केरल)	४८०००
११—जोग (मंसूर)	७२०००

इस प्रकार हम आशा करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत में जल विद्युत के निर्माण के क्षेत्र में काफी विकास हो सकेगा।

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में होने वाले बिजली के कुल उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका से विदित है —

वर्ष	उत्पादन (लाख किलोवाट प्रति घण्टा)
१९५१	५८५८४
१९५२	६१२००
१९५३	६६२७६
१९५४	७४४००
१९५५	७६८३६

१९५६

९६१०८

१९५७

१,८३४८

१९५८

१,८८५६ (फरवरी तक)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में जल विद्युत के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती आ रही है।

प्रश्न ९— भारत की प्रमुख नदी घाटी योजनाओं का वर्णन कीजिए और बताइये कि इनका देश की कृषि और उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़गा।

(आगरा १९५३, १९५५)

Describe the principal River Valley Projects of India What will be their influence on Indian Industries and agriculture?

Or (Agra 1953, 57)

भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं का उल्लेख कीजिए और इन के भविष्य पर प्रकाश डालिए।

(आगरा १९५२)

Describe the Multi-Purpose River Valley Projects of India and Discuss their future

(Agra 1952)

भारत में नदी घाटी योजनाओं की आवश्यकता

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत निरन्तर आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। भारत की सबसे बड़ी समस्या यज्ञ के लोगों की गरीबी तथा बेरोजगारी है। इन दोनों के मूलकारण में कृषि की पिछड़ी हुई अवस्था प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़ आदि, मिचाई की सुविधाओं का अभाव तथा उद्योग धर्मों के समुचित विकास का न होना है कृषि के लिए मानसून की वर्षा पर निर्भर रहना होता है जिसके कारण एक प्रकार की अनिश्चितता सदैव बनी रहती है। एक ओर तो पानी के अभाव के कारण बहुत सी खेती योग्य भूमि पर खेती नहीं हो पाती और दूसरी ओर बहुत सी नदियों के पानी पर नियन्त्रण न होने के कारण प्रनिर्बर्ष बाढ़ आ जाती है जिससे खेती को बहुत अधिक हानि होती है यह मानना पड़ेगा कि भारत में इतनी अधिक मात्रा में जल सम्बन्धी साधन हैं कि उनका ठीक प्रकार से प्रयोग करके न केवल देश की खाद्य समस्या को स्थायी रूप से हल किया जा सकता है बल्कि बाढ़ों की रोकथाम तथा जल विद्युत की शक्ति के विकास से देश के औद्योगिक विकास में भी सहायता मिल सकती है। इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमारी राष्ट्रीय सरकार ने अनेक नदी घाटी योजनाएँ बनाई हैं जिनकी सफलता पर ही देश का भविष्य निर्भर है। इन नदी घाटी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएँ भी कहते हैं क्योंकि इनसे एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

भारत की नदियाँ समस्त देश में लगभग समान रूप से फैली हुई हैं हमारा

अन्तिम लक्ष्य १५ से २० वर्ष की अवधि में सिंचाई वाली भूमि के क्षेत्रफल को दुगुना कर देना है इससे खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि होगी वह न केवल अनाज की कमी का दूर करगी वरन् भविष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भी पर्याप्त होगी। भारत की कुछ प्रमुख नदी घाटी योजनाओं का विवरण नीचे दिया जाता है।

भारत की प्रमुख नदी घाटी योजनाएँ

इस समय भारत में १५३ नदी घाटी योजनाओं पर कार्य हो रहा है जिनमें से ६ बहुउद्देशीय योजनाएँ हैं, १४० सिंचाई योजनाएँ हैं तथा ४३ जलविद्युत योजनाएँ हैं। इन सब योजनाओं में १२ योजनाएँ बनीं मानी जाती हैं जिनकी लागत ४३६ करोड़ रु० होगी दोष १४३ योजनाओं पर १५१ करोड़ रुपया व्यय होगा इनके अतिरिक्त १२२ अन्य योजनाओं के बारे में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। धन के अभाव के कारण उन पर निकट भविष्य में कार्य प्रारम्भ होने की कोई सम्भावना नहीं है। निम्नलिखित नदी घाटी योजनाएँ उल्लेखनीय हैं।

(१) भाखरा नांगल योजना

यह भारत की सबसे बड़ी योजनाओं में से है इसके अन्तर्गत मिनालक की पहाड़ियों के बीच सतलज नदी पर ७४० फुट ऊँचा बांध बांधा जा रहा है जो अपने नष्टने का सकार में सबसे ऊँचा बांध होगा। ६५० मील लम्बी नहरें तथा २००० मील लम्बी सहायक नहरें बनाई जाएंगी। इस योजना पर १९४५ में कार्य प्रारम्भ हुआ था इसके पात्र अंग हैं अर्थात् भाखड़ा डाम, नागल डाम, नागल नहर गागूवाल तथा कोटला बिजली घर और भाखड़ा नहर प्रणाली। अब तक नांगल डाम, नागल नहर गागूवाल तथा कोटला बिजली घर बनकर तैयार हो चुके हैं। भाखरा डाम पर कार्य तेजो से चल रहा है और इसके १९६० तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है।

१९५६ - १९५७ में भाखड़ा नहर प्रणाली में पंजाब और राजस्थान में १५ ८२९१ एकड़ भूमि की सिंचाई की गई। आशा की जाती है कि योजना पूरी हो जाने पर लगभग ६६७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और ३६ लाख एकड़ भूमि को अतिरिक्त जल मिल सकेगा। इस प्रकार ८.९ लाख टन गेहूँ तथा अन्य अनाज, ५६ लाख टन कपास १५ लाख टन मूत्रा तथा ०३ लाख टन दालें और तिलहन के अतिरिक्त उपज होगी।

जलविद्युत के अन्त में गागूवाल तथा कोटला बिजली घरों के अतिरिक्त जो नागल नहर पर बने हुए है दो अन्य बिजली घर भाखड़ा डाम पर बनाये जायेंगे। इस समय गागूवाल तथा कोटला बिजली घरों से ४८ हजार किलोवाट बिजली प्राप्त की जा रही है इन दोनों बिजली घरों में २२ हजार किलोवाट बिजली बनाने की लगाने की योजना है। अब भाखड़ा डाम के दोनों बिजली घर बन कर पैदा

हो जाये गे तो भाखरा नागल योजना की कुन उत्पादन क्षमता ६४००० किलोवाट हो जायगी ।

(२) हीराकुंड योजना

उड़ीसा राज्य मे महानदी के पानी पर नियन्त्रण करके इस योजना से ६७ लाख एकड भूमि की सिंचाई सबलपुर तथा गोलन गिरि नामक जिलो मे हो सकेगी और १८७ लाख एकड भूमि की सिंचाई प्रतिवर्ष कटक और पुरी जिलो मे हो सकेगी इस योजना का मुख्य बाध १५७४८ फीट लम्बा है जो ससार का सबसे लम्बा बाध है मुख्य बाध के दोनों तरफ बड़ी बड़ी भीले बनाई जाएंगी जिनका क्षेत्रफल २८८ वर्ग मील होगा इस योजना पर ७०७८ करोड रुपया व्यय होने का अनुमान है । बाध के किनारे जो बिजली घर बनाया उसकी उत्पादन क्षमता १२३००० किलोवाट होगी । मुख्य बाध तथा भीले बन चुकी हैं और बिजली घर से ४८ हजार किलोवाट बिजली तैयार की जा रही है जो हरकेला (Rourkela), स्पात के कारखाने तथा अन्य समवर्ती औद्योगिक क्षेत्रो तथा नगरों को प्रदान की जा रही है । मुख्य बड़ी नहरें तथा अनक सहायक नहरों की खुदाई हो चुकी है और सितम्बर १९५६ से नवम्बर १९५७ तक १४ लाख एकड भूमि पर सिंचाई की जा चुकी है । बिजली की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बिजली के विकास की अन्य योजना की स्वीकृति दे दी गई है जिसकी उत्पादन क्षमता २३२५०० किलोवाट होगी ।

(३) दामोदर घाटी योजना

इस बहुउद्देशीय योजना से दामोदर तथा इसकी सहायक नदियों के पानी पर अधिकार प्राप्त किया जायगा जो प्रतिवर्ष बंगाल तथा बिहार राज्य में महान विनाश का कारण बनती है पूरी हो जाने पर तिलइया (Tilaya) कोनार (Konar) मैथोन (Maithon) तथा पंचेत पहाड़ी (Panchet Hill) नामक चार बाध इस योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं । इनमे से तीन बाधों के साथ १५०००० किलोवाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले ३ बिजली घर तथा ३७५००० किलोवाट की कुल क्षमता रखने वाले दो अन्य बिजली घर बोकारो (Bokaro) तथा दुर्गापुर नामक स्थान पर बनाये जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त दूर-दूर तक बिजली ले जाने वाली लाइने तथा दुर्गापुर पर एक सिंचाई बाध (Irrigation Barrage) और उसके साथ नहरें तथा सहायक नहरें बनाई जाएगी ।

६६ फुट ऊंचा तथा १२०० फुट लम्बा तलइया बाध १९५३ मे उद्घाटित कर दिया गया है और उसी के साथ बोकारो बिजली घर भी चालू हो गया ।

कोनार बाध १९५५ मे बन कर तैयार हो गया । मैथोन (Maithon) बाध अक्टूबर १९५७ मे बनकर तैयार हो गया है जिसमे १२ लाख एकड फीट पानी की सप्रह की क्षमता है और इस पर बना हुआ बिजली घर ६०००० किलोवाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखता है । यह बिजली घर भी अक्टूबर १९५७ मे चालू हो गया है ।

इन सबबाधों में सबसे बड़ा बाध पंचेत पहाड़ी (Panchet Hill) जिस पर कार्य चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ की रोक थाम करना है। इसके निकट ४० हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न करने वाला एक बिजली घर १९५८ में चालू हो जायगा।

२८ फीट ऊँचा तथा २२७१ फीट लम्बा सिंचाई बाध पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर नामक स्थान पर अगस्त १९५५ में बनकर तैयार हो गया जिससे १०.२६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। १५५० मील लम्बी नहरें बनेंगी जो १९-५६ तक तैयार हो जाएगी। इनमें से ८५ मील लम्बी नहरें जहाजरानी के लिए प्रयोग होंगी।

दामोदर घाटी योजना को पूरा करने के लिये भारत को विश्व बैंक (World Bank) से ऋण प्राप्त हुआ है।

(४) तुंगभद्रा योजना

यह योजना आंध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्य के समुक्त प्रयत्न से बनाई जा रही है। इसके अन्तर्गत तुंगभद्रा नदी पर ७९४२ फीट लम्बा और १६२ फीट ऊँचा एक बाध बनाया जा रहा है जिसके साथ नहरें तथा दोनों ओर बिजली घर बनेंगे। इस बाध का उद्घाटन १९५३ में हुआ। बाध के साथ १४६ वर्ग मील के क्षेत्रफल वाली एक बड़ी भील होगी और दोनों ओर की दो बड़ी नहरों से कुल मिलाकर ८३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। एक बिजली घर बाध के बिल्कुल नीचे और दूसरा १५ मील लम्बी नहर के अन्त पर बनाया जायगा। मुख्य बाध लगभग बन चुक है और बिजली घर से १८००० किलोवाट बिजली का उत्पादन भी होने लगा है।

(५) कोसी योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ की रोक थाम करना तथा सिंचाई की सुविधायें प्रदान करना है। योजना की पहली इकाई के अन्तर्गत नेपाल राज्य में हनुमान नगर से ३ मील ऊपर एक बाध का निर्माण होगा। दूसरी इकाई में कोसी नदी के दोनों तरफ बाढ़ से रक्षा के लिये १५० मील लम्बे पुरते (Embankments) बनाये जायेंगे। योजना की तीसरी इकाई में पूर्वी कोसी नहर का निर्माण करना है जो हनुमान नगर बाध से प्रारम्भ होगी और १३, ६७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी। इस योजना पर कार्य चल रहा है और नदी के दोनों ओर के पुरते (Embankments) बनकर लगभग पूरे हो चुके हैं।

(६) चबल योजना (प्रथम चरण)

इस योजना का प्रथम चरण राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के समुक्त प्रयत्न में चालू किया गया है। इसमें गांधी सागर बांध, गांधी सागर बिजलीघर, कोटा बांध (Kotah Barrage) तथा इसके दोनों ओर नहरें बनाने का काम सम्मिलित है। गांधी सागर

वाय से जो भील बनेगी उसमें ६८५ लाख एकड़ फीट पानी जमा हो सकेगा और नहरों से १ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस अतिरिक्त योजना के प्रथम चरण में ७५ हजार किलोवाट बिजली उपलब्ध हो सकेगी वैसे तो योजना के १९६२ तक पूरा होने की आशा है किन्तु १९५९-६० से बिजलीघर तथा सिंचाई की सुविधा मिलने लगेगी।

(७) रिहन्द योजना

उत्तर प्रदेश राज्य के निर्जापुर जिले में रिहन्द नदी पर २०६५ फीट लम्बा और २९४५ फीट ऊँचा बाध बनाया जा रहा है। सम्बन्धित भील में ८६ लाख एकड़ फीट पानी जमा हो सकेगा और २.५ लाख किलोवाट की क्षमता रखने वाले बिजली घर का निर्माण होगा। इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश में १४ लाख एकड़ भूमि तथा बिहार में ५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। योजना १९६०-१ तक पूरी हो जाने की आशा है इस पर ५२६ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(८) कोयना योजना

इस योजना के प्रथम चरण में दम्बई राज्य में कोयना नदी पर २०८ फीट ऊँचा बाँध बनाया जायगा और एक सुरंग द्वारा नदी के पानी को ऐसे स्थान की ओर भेजा जायगा जहाँ से १५७० फीट ऊँचा झरना बन सके। नीचे चार बिजली घर जिनमें से प्रत्येक से ६० हजार किलोवाट बिजली प्राप्त हो सकेगी, बनाए जायेंगे। इस योजना पर ३८२८ कोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और यह १९६१ के अन्त तक बन कर तैयार हो जायगी।

(९) भाद्रा योजना

मंसूर राज्य में भाद्रा नदी पर यह बहुउद्देशीय योजना बनाई जा रही है जिसमें २३४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई और ३२२०० किलोवाट बिजली प्राप्त होगी योजना पर २४४२ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और यह १९६१ तक बन कर पूरी हो जायगी।

(१०) ककरापारा योजना

म्वई सरकार द्वारा बनाई गई यह योजना ताप्ती घाटी के विकास का प्रथम चरण है। सूरत से ५० मील ऊपर ककरापारा के निकट पयरीले स्थान पर २०३८ फीट लम्बा और ४५ फीट ऊँचा एक बाध १९५३ में बनकर तैयार हो चुका है। सम्बन्धित नहरें १९६० तक बन जायेंगी। इस योजना से ८५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

(११) नागरजूना सागर योजना

आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर ३७८ फीट ऊँचा बाध बनाया जायगा जिसके साथ ९३० लाख एकड़ फीट पानी जमा करने वाली एक भील होगी और बाध के दोनों ओर नहरें निकाली जाएँगी जिससे काल श्रुत क्षेत्रों की सिंचाई हो

सकेगी। योजना का प्रथम चरण १९६३-६४ तक पूरा हो जायगा। इस योजना पर कुल ८६ ३३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। बाय के दाहिनी ओर वाली नहर से ६७० लाख एकड़ तथा बायीं ओर वाली नहर से ७६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और ७५ हजार किलोवाट बिजली का निर्माण हो सकेगा।

(१२) भयूराक्षी योजना

यह योजना पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रमुख योजना है जो विशेष रूप से सिंचाई की योजना है। यद्यपि इसमें बिजली का निर्माण भी होगा जो बंगाल के मुरशिदाबाद तथा बीरभूमि जिलों तथा बंगाल के सभ्राल परगना को बिजली प्रदान करेगा। योजना का प्रथम चरण १९५१ में पूरा हो चुका है। १०५ फीट ऊंचा और २१७० फीट लम्बा एक अन्य बाध जिसे अब कनाडा बाध के नाम से पुकारते हैं १९५५ में पूरा हो गया जिसके दोनों ओर की नहरों से ७२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

(१३) माछकुण्ड योजना

यह योजना झारख प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य ने संयुक्त रूप से चालू की है जिसमें माछकुण्ड नदी के पानी को रोक कर बिजली बनाई जायगी। १२४५ फीट लम्बा और १७६ फीट ऊंचा एक बाध जालापत नामक स्थान पर बन चुका है और ५१ हजार किलोवाट बिजली बनाने वाली ३ इकाईयां चालू हो गई हैं और ३ अन्य इकाईयां भी चालू की जाएगी जिसमें से प्रत्येक की क्षमता २३ हजार किलोवाट होगी।

• दो घाटी योजनाओं की प्रगति — प्रथम पंचवर्षीय योजना में छोटी तथा बड़ी नदी घाटी योजनाओं से ६३ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १२ करोड़ एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी जिसमें से ६० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई उन योजनाओं से होगी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में चालू हो गई थीं। १९५१ के अन्त तक कुल मिलाकर ८८८ करोड़ एकड़ भूमि पर सिंचाई होने लगेगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कुल २३ लाख किलोवाट बिजली का निर्माण होता था। प्रथम योजना में ११ लाख किलोवाट बिजली का अतिरिक्त निर्माण होवेगा। ऐसी आशा है कि अगले १० वर्षों में भारत में ६५ करोड़ किलोवाट बिजली बनने लगेगी जिसमें से ५६ लाख किलोवाट की वृद्धि दूसरी योजना में होगी।

नदी घाटी योजनाओं का कृषि तथा उद्योगों पर प्रभाव—जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक भूमि पर सिंचाई की सुविधाएँ प्रदान करना है जिससे वर्षा के ऊपर निर्भरता समाप्त हो सके। यह कार्य नहरों के निर्माण तथा बिजली के कुओं के बनने से पूरा हो सकेगा। सिंचाई

की सुविधाओं से कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होगी और देश की अर्थ व्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं में बाढ़ की रोक थाम होगी जो देश के कुछ भागों में प्रतिवर्ष एक दैवी प्रकोप के रूप में भारी हानि पहुँचाती है और अकाल तथा रोग का कारण बनती है और जिस कारण सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया आर्थिक सहायता के रूप में व्यय करना पड़ता है। बहने का तात्पर्य यह है कि नदी घाटी योजनाओं से बीरान, रिछडे तथा उजडे हुए प्रदेश सहस्रहाते हमें कृषि प्रदेशों का रूप धारण कर लेंगे। त्रिजली से ग्रामों में बिजली उद्योगों का विकास होगा तथा बेरोजगारी की समस्या सुगमता पूर्वक हल हो सकेगी।

इन योजनाओं का देश के औद्योगिक विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बंगाल तथा मंमूर आदि राज्यों में खनिज पदार्थों का विशाल भंडार है किंतु उनका उचित प्रयोग नहीं हो रहा है। सस्ती बिजली के निर्माण से इन प्रदेशों में बड़े बड़े उद्योग धंधों का निर्माण होगा जो देश की आर्थिक उन्नति का वास्तविक प्रतीक होगा और जिसमें राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और लोगो का रहन सहन का स्तर उँचा होगा।

प्रश्न १०—वन भारत की अर्थ व्यवस्था में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होते हैं। भारत सरकार की वन सम्बन्धी नीति क्या है ? (आगरा, ५०)

In what ways do forests prove useful to the Indian Economy ?
What is the forest policy of the Indian Government. (Agra 1950)
Or

भारत की अर्थ व्यवस्था में वनों का क्या महत्व है ? इनकी दशा सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ? (आगरा ५१, पटना ५२)

What is the importance of forests in the Economy of India ?
What steps have been taken to improve their condition ?

(Agra 1951, Patna 52)

उत्तर—भारत में वनों का आर्थिक महत्व बहुत है वनों से ही भारत की जलवायु तथा वर्षा भी प्रभावित होते हैं। वन बाढ़ों को भी रोकते हैं भूमि के कटाव पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं। इनके अतिरिक्त हमको वनों से अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से देश के लिये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं।

भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल २७७७७० वर्ग मील है जो देश के कुल क्षेत्रफल का १६.२ प्रतिशत है। समस्त वनों में से लगभग ५१ प्रतिशत भाग ही व्यापार के योग्य है और शेष भाग कोई अधिक महत्व नहीं रखता। वास्तव में इतने विशाल देश के लिये यह क्षेत्र बहुत कम है। दूसरी ओर देश के अधिकतर प्रदेशों से वनों की मात्रा जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त से कम है। केवल मद्रास आसाम तथा मध्यप्रदेश में यह अनुपात से अधिक है। राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ

भागो में बनों में कमी होने के कारण वहाँ रेगिस्तान की मात्रा बढ़ती जा रही है क्योंकि बनों के कट जाने से वर्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसलिए है कि जनसंख्या के बढ़ जाने से कृषि विस्तार के लिए बनों को साफ कर लिया गया है।

भारत में जो वन पाये जाते हैं उनमें सागौन, साल, देवदार इत्यादि लकड़ी अधिक प्रसिद्ध हैं। अधिक मात्रा में बनों का कट जान देश के लिए अहितकर है। इस लिये हमारी सरकार वन महोत्सवों के द्वारा इसके क्षेत्रफल बढ़ाने में प्रयत्नशील है।

भारत में बनों की उपयोगिता

भारत में वन एक राष्ट्र सम्पत्ति है। भारत जैसे देश में समय समय पर अभाव होता जाता है क्योंकि तेरी वर्षा पर निर्भर होती है और वन के अभाव से वर्षा अच्छी नहीं होती। दूसरी ओर जो बहुमूल्य पदार्थों की प्राप्ति होती है उनसे बड़े बड़े उद्योगों का संचालन किया जाता है। दूसरे बनों से फल, तेल, वनस्पति इत्यादि की प्राप्ति होती है। बनों से प्राप्त होने वाले लाभों को हम दो भागों में बांट सकते हैं अर्थात् प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ।

अप्रत्यक्ष लाभ — (१) वन हवा के वेग को रोकते हैं जो खेती के लिए हानि प्रद होती है तथा यह पशु पक्षियों तथा शिकार के जानवरों को आश्रय देते हैं।

(२) विशेष परिस्थितियों में देश के स्वास्थ्य को बड़ाकर देश की रक्षा में सहायता करते हैं।

(३) यह प्रबल बाढ़ों को रोकने में सहायता देते हैं। नदियों में पानी के बहाव को निरन्तर बनाये रखते हैं तथा जल की पूर्ति को पूर्ण रूप से नियमित रखते हैं।

(४) वे भूमि को कटाव से बचाते हैं एवं उपज में वृद्धि करते हैं।

(५) जलवायु को अच्छा बनाने में वन काफी सहायक सिद्ध होते हैं। यह वायु को नमी प्रदान कर वर्षा को भी प्रभावित करते हैं।

(६) इन से देश के सौन्दर्य में बढ़ोत्तरी होती है क्योंकि प्राकृतिक सौन्दर्य ही देश के सौन्दर्य को बढ़ा सकता है।

प्रत्यक्ष लाभ — अप्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त इनसे अनेक ही प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं जो भारत के लिए विशेष महत्त्व रखते हैं। ये निम्नलिखित हैं—

(१) किसानों को मकान बनाते समय जो लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है वह जंगलों से ही प्राप्त होनी है। जलाने के वास्ते भी लकड़ी बनों से ही प्राप्त होती है।

(२) महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दियासलाई, कागज, लाख आदि सभी बनों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। यदि सब बनों को नष्ट कर दिया जाये तो बड़े बड़े उद्योग सब नष्ट हो जायेंगे।

(३) वनों में मोद, चमड़ा कमाने के लिये छाल, अनेक प्रकार के रंग तथा तारपीन का तेल बड़ी मात्रा में प्राप्त हो । है ।

(४) वनों में हमको महत्वपूर्ण औषधियाँ जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होनी हैं जिनका हमारे जीवन में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है ।

(५) वनों से जानवरों का पालन पोषण होना है इनके न होने से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने का भय रहना है ।

हम वनों के उत्पादन को दो भागों में बांट सकते हैं । प्रथम बड़े उत्पादन एवं द्वितीय छोटे उत्पादन । छोटे उत्पादन के अन्तर्गत लाख राल, तारपीन, आवश्यक तेल बाँस, चमड़ा कमाने की सामग्री बूटियाँ आदि आती हैं । १४४—४५ के अनुसार छोटे उत्पादन का मूल्य २,२१०८२ रु० था । वनों पर दियासलाई का उद्योग पूर्ण रूप से निर्भर है । दियासलाई की सीलियाँ एवं उसके रखने के लिये डिब्बों की लकड़ी तनों से ही प्राप्त होती है । कागज उद्योग के लिये बाँस तथा सवाई घास (कागज बनाने के लिये एक विशेष प्रकार की घास) हमको वनों से प्राप्त होती हैं । लाख के क्षेत्र में भारत विश्व भर में प्रथम स्थान रखता है । यह बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश हैदराबाद एवं मध्य आसाम में विशेष रूप से उत्पन्न होती है । ७० प्रतिशत लाख तो केवल छोटा नागपुर से ही मिलती है । १५ प्रतिशत लाख भारत से ब्रिटेन, अमेरिका, जापान एवं जर्मनी को भेजी जाती है । भारत में चमड़ा लाख द्वारा भी बनाया जाता है तथा ग्रामोफोन रिकार्ड, वारनिश, इंसुलेटर आदि के बनाने में भी लाख की आवश्यकता पड़ती है । राल भी महत्वपूर्ण वस्तु है इसका प्रयोग बीरोज तारपीन के तेल बनाने में किया जाता है । यह कागज, साबुन एवं औषधियों के बनाने में भी सहायक सिद्ध होती है । राल रंग तथा चमड़ा कमाने में भी प्रयोग आती है । कागज उद्योग के लिये बाँस का जंगल पर्याप्त मात्रा में है जो सम्भवतः कभी भी समाप्त न होगा ।

वनों के बड़े उत्पादनों में इमारती लकड़ी व जलाने की लकड़ी आती है । इमारती लकड़ी जिसका प्रयोग, रेल के डिब्बे, स्लीपर, फर्नीचर तथा ट्रेनिंग से सम्बन्धित कुछ औजारों के बनाने में किया जाता है । १९४४ में इस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन २७५०००००० टन हुआ था । यह लकड़ी साल, देवदार, सागौन, इत्यादि विभिन्न प्रकार के पेड़ों से प्राप्त होती है ।

यातायात के साधन उपलब्ध न होने से हम इससे विशेष लाभ न उठा सके हैं । इन साधनों के अभाव के कारण लकड़ी नदियों में बहाकर लाई जाती है । जब से भारत का विभाजन हुआ है तब से इस उद्योग को बहुत चोट पहुँची है । विभाजन से हमारी काश्मीरी वन संपत्ति इस प्रकार रूक गई है जैसे कि उसकी बोटल में बन्द कर दिया हो ।

वनों के सम्बन्ध में भारत अन्य देशों से काफी पीछे है क्योंकि हम करोड़ों रुपये की लकड़ी बाहर से मँगाते हैं परन्तु हम इस बात की आशा करते हैं कि १० वर्ष बाद हम इस क्षेत्र में आत्म निर्भर हो जायेंगे ।

भारत में वनों की आर्थिक स्थिति की आलोचना—दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार की जो नीति भूतकाल में वनों के सम्बन्ध में रही है उसका बुरा प्रभाव पड़ा है। बहुत से उपयोगी वन किसी न किसी कारण वश काट दिये गये हैं और जो बाकी हैं उनका पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो सका है क्योंकि देश में सस्ते यातायात की कमी है। जंगलों के अन्दर दूर तक जाकर उपयोगी पदार्थों का पता लगाना और उन्हें बाहर लाना एक कठिन कार्य है। काश्मीर की पहाड़ियों तथा हिमालय प्रदेश में बहुत काफी मात्रा में ऐसे वन पाए जाते हैं जिनका अभी तक कोई उपयोग न हो सका है। यातायात के साधनों की उपलब्धि तथा सड़कों के बनने से स्थिति कुछ सुधर सकती है।

पिछले कुछ दिनों में सरकार ने जो अनुसंधान किए हैं उनके परिणाम-स्वरूप बहुत से नये उद्योगों का जन्म मिला है। देहरादून में वन अनुसंधान शाला' इस अर्थ में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। अभी कुछ समय पूर्व चौथा अन्तर्राष्ट्रीय वन सम्मेलन भारत में हुआ था जिनमें सप्ताह के अधिकतर देशों ने भाग लिया था और इस बात पर विचार विमर्श किया था कि वनों की उपयोगिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है।

भारत सरकार की वन नीति—भारत के आर्थिक विकास में वन एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वनों को सुरक्षित रखते हुए उनके विनाश को रोके। दूसरी ओर इस प्रकार के वन लगाये जायें जो आर्थिक दृष्टि से देश के लिए उपयोगी हों। देश की पिछली सरकार सदैव वनों को प्रायः का एक साधन मानती रही थी और बड़ी लापरवाही के साथ वनों का विनाश होता रहा जिसके कारण बहुत से दुष्परिणाम निकले। जब से सरकार का ध्यान वनों की उपयोगिता की ओर गया है तब से प्रत्येक राज्य में वन विभागों की स्थापना हो गई है और वनों की व्यवस्था उनकी सुरक्षा तथा उनका उपयोग इन्हीं विभागों के द्वारा होता है। शासन की दृष्टि से वन तीन भागों में बाँटे गये हैं। (१) सुरक्षित वन, (२) समरक्षित वन (३) अरक्षित वन। १९४५-४७ में ६५७७ वर्गमील जंगल सुरक्षित थे और ७८२१ वर्गमील समरक्षित थे और शेष अरक्षित थे। अरक्षित वनों पर सरकार कोई नियन्त्रण नहीं रखती और न ही उन पर वैज्ञानिक प्रयोग करती है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह वर्गीकरण दोषपूर्ण है। इसके स्थान पर नवीन वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है कि इमारती लकड़ी तथा ईंधन पैदा करने वाले वन एक वर्ग में पशुओं को चारा प्रदान करने वाले दूसरे वर्ग में और शेष तीसरे वर्ग में।

१९४८ में सरकार ने जो वन नीति बनाई थी उसमें वनों को चार भागों में बाँटा था। (१) वे वन जिनकी सुरक्षा जलवायु तथा भौगोलिक कारणों से आवश्यक है। (२) वे वन जिनमें व्यापार के लिए मूल्यवान लकड़ी मिलती है। (३) घास के मैदान जो नाम मात्र के वन हैं और जो पशुओं को घास प्रदान करते हैं। (४) छोटे २

अध्याय ५

भारतीय कृषि समस्याएँ

प्रश्न १६—भारत की प्रमुख कृषि समस्याओं का उल्लेख कीजिए और उनके समाधान के उपाय बताइये ? (आगरा १९४६, लखनऊ १९४६, इलाहाबाद १९५४
पटना १९५२, पंजाब ५१, ४६, ४६)

Discuss the main problems of Indian Agriculture and Suggest remedies for their solution (Agra 46, Lucknow 46, Allahabad 54, Patna 52, Punjab 51, 49, 46)

उत्तर—भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग ७० प्रतिशत लोग कृषि उद्योग पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय आय समिति के अनुमान के अनुसार भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग ५०% कृषि तथा पशु पालन से प्राप्त होता है। आवश्यक खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त कृषि के द्वारा ऐसी अनेक वस्तुएँ भी उत्पन्न होती हैं जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। निःसंदेह आर्थिक जीवन में कृषि का स्थान और महत्व सबसे ऊपर है।

दुर्भाग्य वश कृषि का इतना महत्व होते हुये भी हमारे कृषि उद्योग का स्थिति बड़ी शोचनीय है। हमारे देश की ३५% जनसंख्या पेट भर भोजन नहीं पाती है। और देशों की तुलना में हमारे देश में कृषि की कुशलता ५०% से भी कम है। हमारे देश में कृषि के ढंग पुराने हैं। गाँव के निवासी अपना जीवन स्तर ऊँचा नहीं कर पाते। प्रशुल्क आयोग ने लिखा है—“जब तक सरकार किसानों के प्राचीन दृष्टिकोण को न बदलवये और उनमें जीवन स्तर ऊँचा करने के उल्ताह न पैदा कराये, उस समय तक सुधार के कार्यों से कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकलेगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इसकी मुख्य समस्या मनोवैज्ञानिक है न कि तात्त्विक।” उपरोक्त तथ्य पर हम कह सकते हैं कि कृषि उद्योग देश की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये पर्याप्त अन्न उत्पन्न करने में असमर्थ पाता है। अपने खाद्य के लिये भारत-वर्ष को प्रतिवर्ष अन्य देशों से अन्न मगाना पड़ता है इसके मुख्य कारण क्या हैं इन पर अब हम विचार करेंगे।

वर्तमान कृषि की मुख्य समस्याएँ

(१) प्राचीन दोषपूर्ण कृषि पद्धति—हमारे देश में उपज के कम होने का मुख्य कारण है प्राचीन ढंग से खेती का होना। देश में न तो गहरी खेती की प्रणाली प्रचलित है और न ही विस्तृत खेती की। पुराने ढंग के धिस हुये औजारों से अधिक परिश्रम करने से भी अधिक अन्न नहीं उपज पाता। आधुनिक साधनों के अभाव में

हम कृषि का वैज्ञानिक विधि से संगठन करने की बात सोच भी नहीं सकते। पश्चात्त्य देशों में कृषि उद्योग की उन्नति का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने सभी कार्य प्राधुनिक यन्त्रों की सहायता से सम्पादित किये हैं। विदेशों के किसानों की स्थिति को देखते हुये हमारे देश के किसान कितना विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं।

(२) खेतों का छोटा तथा छिड़का होना — भारतवर्ष में जनसंख्या की वृद्धि के कारण अधिक जनता कृषि पर निर्भर है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि प्रत्येक किसान की भूमि बटने २ बहुत कम रह गई है और वह थोड़ी सी भूमि भी एक चक्र में न होकर छोटे २ टुकड़ों में झर झर बिखरी हुई है। खेतों के छोटे होने के मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि, उद्योग धंधों की उन्नति में बाधा व्यक्तितगत विचारों की उत्पत्ति, समुक्त कुटुम्ब प्रणाली का अन्त तथा पिता की मृत्यु के बाद जमीन का उसके वारिसों में विभाजन आदि हैं। उपरोक्त कारणों में खेत इतने छोटे हो गये हैं कि उनके चारों ओर न तो बाड़ आदि ही बांधी जा सकती है और न ही उसमें भली प्रकार हल ही घूम सकता है जिसके कारण फसल कम पैदा होती है, व्यय बड़ा होता है और फसल को देखभाल नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक ढंग की खेती करना भी असम्भव है।

(३) पशुओं की खराब दशा — भारतीय कृषि में पशुओं का विशेष स्थान है क्योंकि बैलों की सहायता से खेती की जाती है, कुधों से जल खींचा जाता है अनाज को मड़ियों तक ले जाने में इनकी सहायता ली जाती है परन्तु इनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। वे कमजोर एवं बुरी नस्ल के हैं। उनको पेट भर भोजन नहीं मिलता, उनकी देखभाल भली प्रकार से नहीं हो पाती। इन सभी कारणों से वह बीमार हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में उनसे काम लिखा जाता है और उनके खराब स्वास्थ्य का प्रभाव खेती पर पड़ता है अर्थात् यह कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है।

(४) खाद की कमी — एक भूमि पर लगातार कृषि करने से उसकी उर्वरा-शक्ति का ह्रास होता है जिसको पूरा करने के लिये खाद की आवश्यकता पड़ती है। खाद कई प्रकार की होती है जैसे गोबर, गन्धुओं का मलमूत्र, कम्पोस्ट खली रसायनिक खाद और हरी खाद। परन्तु गरीबी के कारण केवल गोबर की ही खाद इकट्ठी जाती है और वह भी बहुत कम मात्रा में क्योंकि किसान उपले पायकर उसको जलाने के काम में लाते हैं अर्थात् समस्त गोबर की भी खाद के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। खली भी खाद के प्रयोग में आती है लेकिन बड़ी मात्रा में तिहलन बाहर भेज दिया जाता है। डाक्टर बोयलकर ने एक बार कहा था कि 'भारत से तिहलन निर्यात करना भारतीय उर्वरा शक्ति का निर्यात करना है।'

(५) सिंचाई के साधनों में कमी — सिंचाई का अभाव एक अनेक शक्ति-शाली कारण है जिसने भारतीय कृषि को नष्ट भ्रष्ट कर रखा है। भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है जो अनिश्चित तथा अनियमित है। भारत में जोती हुई भूमि के केवल १६ प्रतिशत भाग में सिंचाई के साधन प्राप्त हैं।

(६) उत्तम बीज का अभाव — किसान जो बीज बोता है वह अर्द्ध किस्म

के नहीं होने। दूसरी ओर गरीबी के कारण उनको महाजन पर निर्भर रहना पड़ता है और जेमे बीज वह दे देता है वैसे ही उनको बोना पड़ता है। यह बीज इतने खराब होने हैं कि फसल अच्छी नहीं हो पाती।

(७) यात्रायान तथा त्रिवणन की असुविधायें — भारत में यात्रायान की कमी के कारण किसानों को बाकी परेशानी उठानी पड़ती है। जो सड़कें हैं वह भी बचची होने के कारण वरसात में दलदल में इतनी खराब हो जाती है कि त्रिवण होकर किसान गांव के महाजन के अधीन रहता है। बाहरी सत्कार से उसका कोई सम्पर्क नहीं रहता। किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता।

(८) कृषकों का ऋण ग्रस्त होना — भारतीय कृषक सर्वद्वय ऋण के भार से दबा रहता है। इस ऋण के कई कारण हैं जैसे पंतिक ऋण किसानों की गरीबी उद्योग की कमी, फिजूल खर्चा मुकदमे बाजी लगान की बुरी प्रथा आदि। इनमें उसमें अधिक उत्पन्न करने की न तो इच्छा रहती है और न उ माह ही रहता है।

(९) कृषकों का विक्रय की असुविधा — किसानों की अज्ञानता का लाभ व्यापारी उठाते हैं। निर्यात में दलालों का इतना अधिक हाथ है कि वे किसान से मनमाना लाभ उठाते हैं। गरीब किसान अधिक अन्न उपजान में असमर्थ है जिसको वह मंडी ले जाकर बचे। यदि ऐसा करता है तो वहां आठती उनको पूरी तरह से लूटते हैं। उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि कृषि के उत्पन्न द्विती क ढग बहुत दोषपूर्ण है। कृषक को अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता। इससे अधिक उत्पादन करने में वह निरसहा हो जाता है।

(१०) पूजा का अभाव — भारतीय कृषक की निर्धनता कृषि के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। साथ ही यह भी सत्य है कि कृषकों के निर्धन होने का सब से बड़ा कारण कृषि की हीनता-था है। वस्तुतः दोनों का अन्वेषण का सम्बन्ध है। कृषक उन्नति करना चाहता है पर धन के अभाव से वह अपनी उन्नति में अपने आपका असमर्थ पाता है।

(११) प्राकृतिक प्रकोप — भारत में प्राकृतिक प्रकोपों का आए दिन जोर रहता है। कभी समय पर वर्षा नहीं होती और सूखा पड़ जाता है और कभी इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि खेती बर्बाद हो जाती है। भारत में बाढ़ का प्रकोप भी प्रातर्वर्ष होता ही रहता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक ढग से खेती न करने के कारण किसान की बहुत सी फसल कीड़ों तथा पौधों की बीमारियों के कारण नष्ट हो जाती है और उसे भारी हानि उठानी पड़ती है।

(१२) लगान तथा मालगुजारी प्रथा — भूमि की व्यवस्था इतनी खराब है कि कृषि में उन्नति होना असम्भव है। जमींदारी प्रथा से किसानों की दशा बड़ी शोचनीय थी। वह मनमाना लगान वसूल करते थे। इस दोषपूर्ण व्यवस्था ने सदा शोषण, अत्याचार, भूस्वामियों तथा आर्थिक दासता को ही जन्म दिया है।

(१३) ग्राम उद्योगों की कमी — भारतीय कृषि की एक समस्या ग्रामीण

श्रमिकों की है। इन लोगों को खाली बैठना पड़ता है क्योंकि ग्रामीण धंधों का पतन हो गया है जिसके कारण निर्वनत का प्रकोप बढ़ता है।

(१४) उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त विदेशी सरकार की उदासीनता एवं अग्रमंथ्यता, कृषि प्रशिक्षण का अभाव कृषि अनुमधान का अभाव आदि के कारण भी हमारी कृषि इतनी गिरी अवस्था में रही है।

इन समस्याओं के समाधान के उपायः— भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए १९४७-५२ में अधिक अन्न उपजाओ योजना चालू की गई जिसके अन्तर्गत १९४६-५० में ६६३१७ और १९५०-५१ में ११७,४२७ नये कुओं का निर्माण और पुराने कुओं की मरम्मत हुई। १९५१-५२ में ३३०००० एकड़ भूमि का उपादेयकरण केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा किया गया। इन्हीं वर्षों में ०.०६१६४ टन रसायनिक खाद का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त ३३७२०१२ टन उत्तम बीजों का वितरण भी गावों में किया गया।

इसके अतिरिक्त १९५१ में कृषि नियोजन द्वारा कृषि की स्थिति में उन्नति करने का प्रयत्न किया गया। कृषि नियोजन के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों पर, विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रति एकड़, पंदावार बढ़ाना, पौधों के रोगों पर नियंत्रण, पशुओं की दवा में सुधार, बेकार भूमि का उपादेयकरण, यातायात की सुविधाओं को प्रदान करना, खाद, कम्पोस्ट और रसायनिक खादों का प्रयोग, उत्तम बीज की पूर्ति सहकारी समितियों का संगठन, खेतों की चक्करी, सिंचाई साधनों का विकास, फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि तथा कुटीर उद्योग धंधों के विकास इत्यादि हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय योजना आयोग ने सबसे अधिक महत्व कृषि सिंचाई, सामूहिक विकास के कार्यों को दिया था और इन्हीं चीजों को प्राथमिकता दी थी जिससे देश में और ज़्यादा माल की उत्पत्ति में वृद्धि हो, कृषि और सामूहिक विकास पर ३६१ करोड़ सिंचाई पर १६८, बहु उद्देशीय योजनाओं पर, २६६ करोड़ केवल जल शक्ति योजनाओं पर १२७ करोड़ रुपये व्यय किया गया। इन सब योजनाओं का तात्पर्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि। योजना की सिफारिश के अनुसार हर प्रदेश में भूमि संरक्षण बोर्ड स्थापित किया गया जिससे भूमि को ऋण में बचाया गया और नये जंगलों का निर्माण किया गया। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया जिसके विकास के लिए प्रदेशीय सरकार ने १२ करोड़ तथा केन्द्रीय सरकार ने १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की। पशुओं के चारे एवं उनकी चिकित्सा पर भी विशेष ध्यान देने से कृषि की हालत सभल सकती है अतः प्रथम योजना में पशुओं की देखभाल के लिये १४२.५२ लाख रुपये मजूर किए थे। पशुओं की स्थिति में सुधार भी आवश्यक है अतः आयोजना में उत्तम स्वास्थ्य वाले पशुओं के मालिकों को पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था की गई। खाद

की समस्याओं के समाधान के लिये सिंद्री (बिहार) में एक उद्योगशाला स्थापित की गई इसकी उत्पत्ति बढ़ जाने से किसानों को सस्ते पैसों में खाद मिल जाया करेगी।

द्वितीय योजना में कृषि के विकास के लिए ३४१ करोड़ रुपए, अन्य कृषि नियोजन के लिए १७० करोड़ रुपए पशु सुधार के लिए ५६ करोड़ रुपए, सिंचाई की सुविधा के लिए ३८१ करोड़ रुपए सहकारिता के लिये ४७ करोड़ रुपए और वाढ नियन्त्रण के लिये १०५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् १९५६-५७ में कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अनाज का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा ५२% बढ़ा है और १९५३-५४ के उत्पादन के बराबर हो गया है जो अधिकतम अर्थात् ६८७ लाख टन था। १९५५-५६ की तुलना में इस वर्ष कपास, गन्ना तथा तिलहन के उत्पादन में भी क्रमशः १८ प्रतिशत, १३ प्रतिशत तथा ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन का सूचक अंक (Index Number) जो १९५५-५६ में ११५६ था वह १९५६-५७ में बढ़कर १२३ हो गया। कृषि समस्या के समाधान के जो उपाय किये गये हैं उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं —

- १—सिंचाई के साधनों का विकास।
- २—बजर तथा रेकार भूमि को खेती योग्य बनाना।
- ३—अच्छी तथा रसायनिक खाद का वितरण।
- ४—अच्छे बीज के वितरण की व्यवस्था।
- ५—धान की जापानी ढग में खेती।
- ६—सहकारी खेती को प्रोत्साहन।
- ७—भूमि की चकवन्दी।
- ८—कृषि साख की व्यवस्था में सुधार।
- ९—लगान तथा मालगुजारी प्रथा में सुधार।
- १०—कृषि विक्री प्रथा में सुधार।
- ११—फसल प्रतियोगिता।
- १२—अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन।

उपरोक्त सभी उपायों की सफलता तथा कठिनाइयों का विवेचन हम आगे चलकर अन्य प्रश्नों के उत्तर में करेंगे। यहाँ इतना कह देना काफी है कि यदि जनता सरकार से सहयोग करे और सहकारिता के आधार पर ग्राम्य अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण किया जाए तो यह सभी समस्याएँ आसानी से हल हो सकती हैं।

प्रश्न १७ क्षेत्रीय विवरण के आधार पर भारत की प्रमुख फसलों का वर्णन कीजिये। जलवायु तथा सिंचाई के साधनों का इन पर क्या प्रभाव है ?

(लखनऊ १९४४, पंजाब १९५१, आगरा १९५६)

**Describe the regional distribution of principal crops of India
What is the influence of climate and Irrigational facilities on them**

(Lucknow 44 Punjab 51, Agra 56)

उत्तर - सम्पूर्ण भारत का क्षेत्रफल २११ मिलियन एकड़ है किन्तु इसमें से ६१५ मिलियन एकड़ भूमि ही प्रयोग में लाई जाती है। दोष १६६ मिलियन एकड़ भूमि में पर्वत, रेगिस्तान तथा ऐसे वन हैं जहाँ मनुष्य पहुँच नहीं सकता। ३२४ मिलियन एकड़ भूमि पर खेती होती है। इसमें लगभग ३५५ मिलियन एकड़ भूमि पर एक से अधिक फसलें उत्पन्न की जाती हैं। इस क्षेत्र में लगभग ७८ प्रतिशत क्षेत्रफल खाद्य फसलों तथा १७ प्रतिशत क्षेत्रफल अखाद्य फसलों से ढका रहता है। बगीचों की फसलें जैसे चाय, कहवा, रबड़ और मसालों में ११ प्रतिशत भूमि प्रयुक्त की जाती है।

भारत के अधिकतर भाग की भूमि बहुत उपजाऊ तथा नम है। उत्तरी भारत में दो ऋतुएँ नियमानुसार होती हैं सर्दी तथा गर्मी, अर्थात् दो फसलें भी उत्पन्न होती हैं। शीतकाल में गेहूँ, जौ, सरसो, तम्बाकू पोस्त तथा गर्मी में चावल गन्ना, मक्का, आदि की फसलें उपजाई जाती हैं। दक्षिण भारत में अधिक शीत न पड़ने के कारण वहाँ इन फसलों का पैदा करना असम्भव है। कृषि विभाग के निरीक्षण में कृषि की बहुत उन्नति हुई है और इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि वैज्ञानिक तरीकों से नई २ फसलें उपजाई जाएँ।

प्रमुख खाद्य फसलें

अब हम भारत की प्रमुख फसलों का वर्णन करेंगे। खाद्य फसलों के अन्तर्गत धान, गेहूँ, मक्का प्रमुख हैं।

धान (Rice)—धान भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य भोजन है। अतः इसके लिये भूमि ऐसी होनी चाहिए जहाँ पानी रुक सके और मिट्टी में आर्द्रता बनाये रखने की शक्ति हो। यह पानी में अधिक पनपता है। यही कारण है कि निचले मानसूनी प्रदेश वाले क्षेत्रों में इसकी खेती काफी अच्छी होती है। भारत में चावल भी कई प्रकार का पाया जाता है। उनके प्रकार के अनुसार खेती भी भिन्न २ समय में नियम विधियों द्वारा होनी है। हमारे देश के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र बंगाल, मद्रास, बिहार, आसाम, उड़ीसा वगैरह उत्तर-प्रदेश तथा मध्यप्रदेश हैं। भारत-पाक विभाजन के बाद सिन्ध से प्राप्त होने वाला चावल भी खूब हो गया है। अतः चावल उत्पत्ति का बढ़ाया जाना आवश्यक है किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर प्रति एकड़ चावल की उत्पत्ति बहुत कम है। इधर पिछले कुछ वर्षों में चावल उगाने की जापानी पद्धति के द्वारा चावल उगाया जा रहा है जिससे उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है। फिर भी अभी चावल हमें बहूत से आयात करना पड़ना है।

गेहूँ (Wheat)—चावल के उपरान्त देश में उत्पन्न होने वाली फसलों में गेहूँ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। गेहूँ उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजपूताना हैं परन्तु गेहूँ का उत्पादन भी हमारे देश में प्रति एकड़ बहुत कम है। यहाँ प्रति एकड़ का औसत ७ मन गेहूँ उत्पन्न किया जाता है जबकि पाकिस्तान में ही प्रति एकड़ ८ मन गेहूँ उत्पन्न होता है। यही नहीं देश में

भी विभिन्न राज्यों में गेहूँ के प्रति एकड़ उत्पादन में काफी भिन्नता है। बिहार में प्रति एकड़ ८८२ lb जबकि हैदराबाद में २२१ lb होता है। भारत-पाकिस्तान विभाजन के पश्चात् सिंध तथा पंजाब के उपजाऊ मैदान दंड से पृथक हो गये हैं जिससे गेहूँ के उत्पादन में कमी हो गई है। जबकि गेहूँ की भाग निरन्तर बढ़ती जा रही है अतः विदेशों से आयात करना पड़ता है किन्तु अब सरकार अन्वोत्पादन को और विशेष ध्यान दे रही है। प्रति एकड़ भूमि में वृद्धि हो इस आशय से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। रसायनिक खादों का वितरण किया जा रहा है। वे क्षेत्र जो अब तक बेकार थे अब उनमें ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर द्वारा गेहूँ पैदा करने की व्यवस्था की जा रही है। आशा है कि निकट भविष्य में इस दिशा में भारत आत्मनिर्भर हो जायगा।

गन्ना (Sugar cane)—गन्ना उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है। गन्ने का उत्पादन पूर्णतया शक्कर उद्योग की उन्नति पर निर्भर है। गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के कुछ भाग हैं। उत्तम कोटि का गन्ना भी इन्हीं भागों में उत्पन्न किया जाता है। U. P. तथा बिहार की सरकारों ने गन्ने के उत्पादन, उसके विक्रय आदि पर समय समय पर नियन्त्रण रखा है जिससे चीनी शक्कर उद्योग पर भी प्रभाव पड़ा है। हाल ही में राष्ट्रीय सरकार ने गन्ने की किस्म तथा परिमाण बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया है। कोयम्बटूर में एक Care Breeding station खोला गया है। कृषि विभाग ने भी गन्ने की विभिन्न किस्मों के उत्पादन का प्रचार किया है जिससे प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति में काफी वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त खाद्यान्न फसलें इस प्रकार हैं —

ज्वार, बाजरा, रागी—न्यूनाधिक मात्रा में इनका उत्पादन समस्त देश में होता है पर उत्तरप्रदेश के कुछ शुष्क भाग, बम्बई, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, मद्रास में इसका उत्पादन अधिक होता है। ये खरीफ की फसलें हैं। इनके लिये पानी की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। इनमें अपेक्षाकृत पौष्टिक तत्व कम होते हैं।

मक्का—मक्का देश के निर्धन मनुष्यों का भोजन है। बिहार, उत्तरप्रदेश तथा पंजाब में इसकी खेती अधिक होती है। खाद्यान्न के अभाव में इसका भी आयात करना पड़ता है।

जौ—भारत में जौ का जितना उत्पादन होता है उसका ३ भाग उत्तरप्रदेश में ही होता है। शेष बिहार तथा पंजाब में उत्पन्न किया जाता है। जौ किसानों का एक प्रमुख भोजन है। इसका प्रयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। विभाजन के पूर्व हम जौ का निर्यात करते थे किन्तु तत्पश्चात् खाद्यान्न के अभाव के कारण इसका निर्यात बंद कर दिया गया।

दालें—हमारे भोजन में दालों का विशेष महत्व है। हम विभिन्न प्रकार की दालों का उत्पादन करते हैं जैसे अरहर, मूँग, उरद, मसूर, चना आदि। उत्तरप्रदेश तथा बिहार में दालों का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। चना दाल ६ साय साय

भोजन का अंग भी है। यहाँ से विदेशों को कुछ चने का निर्यात भी किया जाता है।

तिलहन—भारत में कई प्रकार के तिलहन का उत्पादन होता है। तिलहन के प्रमुख दो प्रकार हैं (अ) खाद तिलहन, (ब) इसके अन्तर्गत तिल मू गफली सरसो आदि हैं।

मू गफली—इसकी उपज के लिये शुष्क जलवायु तथा रेताली मिट्टी की आवश्यकता होती है सिंचाई की कोई भी आवश्यकता नहीं भारत में इसके उत्पादन का प्रमुख स्थान मद्रास है। इसके अतिरिक्त बम्बई हैदराबाद, मध्यप्रदेश तथा उत्तर-प्रदेश के कुछ भागों में इसकी खेती होती है। भारत मू गफली का निर्यात मू गफली तथा इसके तेल के रूप में करता है।

तिल—तिल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सौराष्ट्र, हैदराबाद राजस्थान उत्तर-प्रदेश आदि राज्यों में हैं। इसकी बाहर भी भेजा जाता है। तिलहन के संबंध में जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह कि पिछले वर्षों में कच्चे माल के स्थान पर तेल के रूप में तिलहन का निर्यात बढ़ता रहा है। यह काफी लाभप्रद है। इससे हमारे तेल उद्योग को ता लाभ होगा ही साथ ही पशुओं के लिये खली भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जायेगी।

सरसों—सरसों तीसी रेड़ी की खती भी काफी होती है और इसका भी निर्यात किया जाता है।

रेखे वाले पदार्थ—रेखे वाले पदार्थों में कपास, जूट प्रमुख हैं।

कपास—भारत में कपास का उत्पादन तो सन्तोपजनक है किन्तु इसकी किस्म घटिया होती है। किस्म की हीनता के निम्नलिखित कारण हैं—

(अ) यह कपास देश में चलने वाली प्रचंड हवा और सूखा का भलीभांति मुकाबला नहीं कर सकती है।

(ब) इस घटिया कोटि की कपास को ऊन में मिलावट करने के लिए विदेशों को निर्यात करके अच्छा मूल्य प्राप्त कर लिया जाता है। अथ सुधार करने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया।

यही नहीं देश में इसकी प्रति एकड़ पैदावार बहुत कम है। रुई का महत्व समझते हुये भारतीय रुई की किस्म तथा उसके प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास भी कृषि विभाग ने किये हैं। १९१९ में भारतीय कमेटी की स्थापना की गई थी। १९२१ में इसके सुझावों पर ध्यान देते हुये केन्द्रीय रुई कमेटी की स्थापना की गई। १९२२ में भारत रुई सभ का भी निर्माण कर दिया गया। केन्द्रीय रुई कमेटी ने रुई के किस्म में सुधार करने में काफी प्रयत्न किया। उक्त कमेटी ने प्रयोगशालाएँ स्थापित कीं और बम्बई, इन्दौर तथा अन्य स्थानों पर अनुसन्धान कार्य किए। १९२३ में मिलावट रोकने के अभिप्रेत से Cotton transport Act भी पास किया गया था।

भारत पाक विभाजन से हुई उत्पादन की भारी धक्का पहुँचा है। हमारी २७ लाख एकड़ कपास उत्पादक भूमि पाकिस्तान में चली गई है। भारतीय मिलों को भी जिस उत्तम कोटि की हुई की आवश्यकता पड़ती है वह भी पाकिस्तान में उत्पन्न होती है। आज हमें काफी मात्रा में हुई का आयात करना पड़ता है।

भारत में कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र मध्यप्रदेश, वरार, हैदराबाद, मंसूर, मद्रास बम्बई आदि हैं जिनमें उत्तम कोटि की कपास के उत्पादन के लिए काफी सुविधाएँ हैं। पूर्वी पंजाब रानस्थान आदि में भी कपास का उत्पादन होता है और यदि निचाई की यहाँ पर उचित व्यवस्था हो जाए तो उत्तम कोटि की कपास उत्पन्न की जा सकती है।

जूट—हमारे देश में विद्व के उत्पादन का ३६.१ प्रतिशत भाग जूट उत्पन्न होता है। विभाजन के बाद जूट उत्पादन करने वाले बंगाल के प्रमुख जिले पाकिस्तान में चले गए हैं पर जूट की मिलें भारत में ही हैं जिस समय पाकिस्तान से विनिमय दर सम्बन्धी समझौता हुआ उससे पूर्व उत्पादन के अभाव के कारण इन मिलों में काम करने के घण्टों में कमी करनी पड़ी तथा कुछ मिलें बन्द भी रही। पटसन के लिए पाकिस्तान पर इतना अधिक आश्रित रहना उचित न समझकर भारत सरकार ने पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चेष्टा की है तथा उत्तरप्रदेश, मद्रास, द्रावण-कोर काचीन में इसकी खेती करने की बात सोची जा रही है।

पेय पदार्थ—इनमें चाय कहना प्रमुख है —

चाय—चाय की माग दिनो दिन बढ़ती जा रही है। भारत के प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र आसाम, दार्जिलिंग, नीलगिरी, देहरादून, कागडा घाटी आदि हैं। चाय की कुल उपज का लगभग ७० प्रतिशत भाग विदेशों को भेज दिया जाता है।

कहवा—इसका उत्पादन दक्षिण भारत में किया जाता है। १९५१-५२ के आकड़ों के अनुसार भारत से १६.१ हजार हेक्टर कहवे का निर्यात किया गया जिसकी लागत ०.६ करोड़ रुपये थी।

अन्य पदार्थ

तम्बाकू—इसके उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है भारत के प्रमुख तम्बाकू उत्पादक क्षेत्र मद्रास के गुन्दूर, कृष्णा तथा गोदावरी जिले, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा बिहार हैं। भारत से इसका निर्यात किया जाता है।

खरबूट—खरबूट का अधिक महत्व दिनो दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में खरबूट मुख्य रूप से दक्षिण मद्रास, कुर्ग, मंसूर राज्य में होती है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग १६५०० टन खरबूट का उत्पादन होता है जब कि संसार के उत्पादन का १ प्रतिशत से कुछ ही अधिक है अतः खरबूट के उत्पादन में वृद्धि करने की बड़ी आवश्यकता है।

भारत में मुख्य फसलों का क्षेत्रफल तथा वार्षिक उपज का अनुमान निम्न-लिखित तालिकाओं से लगाया जा सकता है —

तालिका I (क्षेत्रफल)

हजार एकड़

फसल का नाम	१९५१-५२	१९५६-७
चावल	७३७१३	७८१७४
गेहूँ	२३४०४	३२८११
गन्ना	४७२२	५०१६
ज्वार	३६३६६	४१३१४
बाजरा	२३५२२	२७ ४२
मक्का	८१७६	६२४४
जौ	७८०७	८५६४
दालें	२३४७३	२७६०६
सूतगन्नी	१२१५१	१३१०१
कपास	१६२०१	१६८४३
घटसन	१६५१	१८८३
चाय	७८२	—
कहवा	२३०	—
तम्बाकू	७१३	१०२२
खर	१४८	—

नोट — उपरोक्त तालिका में चाय, कहवा तथा खर के १९५६-५७ के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

तालिका II (वार्षिक उत्पादन)

हजार टनो मे

फसल का नाम	१९५१-५२	१९५६-५७
चावल	२०६६४	२८१४२
गेहूँ	६०८५	६०६८
गन्ना	६०६६०	६६८६०
ज्वार	५८८१	७४२७
बाजरा	२३०६	२६२६
मक्का	२०४३	३०२०
जौ	२३३०	२७४४
दालें	३१३२	३४५८
मूंगफली	३१४२	४०८६
कपास	३१३३	४७२३
पटसन	४६७८	४२२१
चाय	६४१	—
कहवा	५५	—
तम्बाकू	२०६	३०६
रबर	३२	—

नोट :—कपास, पटसन का उत्पादन हजार गाठो मे तथा चाय और कहवे को उत्पादन हजार पीड मे दिया गया है।

उपरोक्त दोनों तालिकाओं से विदित होता है कि भारत मे गत वर्षों मे लगभग सभी फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई है जिसका कारण कुछ सीमा तक प्रथम पंच वर्षीय योजना की सफलता भी है।

जलवायु तथा सिंचाई के साधनों का प्रभाव—हम जानते हैं कि किसी भी फसल को उगाने के लिए दो तीन बातों की विशेष आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम देश की मिट्टी उपजाऊ तथा किसी विशेष फसल के अनुकूल होनी चाहिये। सोभाग्य से भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है लगभग सभी फसलों को पर्याप्त मात्रा में उगाने के लिये उचित है। दूसरी बात जलवायु की अनुकूलता है। इस दृष्टि में भी भारत काफी भाग्यशाली देश है। विभिन्न फसलों का बर्णन करते समय हम जलवायु के प्रभाव पर प्रकाश डाल चुके हैं। तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण बात पानी की है। पानी फसलों को जीवन प्रदान करता है। भारत में अधिकतर फसलें वर्षा के अनुसार बोई और काटी जाती हैं और उसी पर निर्भर होती हैं भारत में वर्षा अनिश्चिन्त है तथा देश के सब भागों में समान रूप से नहीं होती। इस कमी को पूरा करने का दूसरा उपाय सिंचाई के साधनों का विकास है। भारत में प्राचीन काल से नदियों, तालाबों भौलों तथा कुओं की सहायता से सिंचाई की जाती है और फसलों को आवश्यकतानुसार पानी देने का प्रयत्न किया जाता है। सिंचाई के यह साधन देश के प्रत्येक भाग में उपलब्ध नहीं हैं और जहाँ है वहाँ पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये नहरों का निर्माण तथा बिजली के कुओं आदि के निर्माण से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि जब भारत में सिंचाई की छोटी बड़ी सभी योजनाएँ पूरी हो जायेंगी तो देश की कृषि में क्रान्तिकारी उन्नति हो जायेगी और दही मात्रा में सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकेंगी। देश का आर्थिक भविष्य बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर है।

प्रश्न १८—भारतीय कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई के साधनों का क्या महत्व है? भारत में सिंचाई के कौन से साधन पाये जाते हैं? सिंचाई के साधनों के विकास के लिए क्या प्रयत्न किये गए हैं? (आगरा ४६, ४८, ३८, ३२, लखनऊ ४८, ४७, पटना ५२, पंजाब ३६)

Q 18 What is the importance of irrigation to Indian Agriculture? What are the various means of irrigation found in India? What efforts have been made to develop them?

Agra 49, 48 38 32, Lucknow 48, 47 Patna 52, Punjab 39)

सिंचाई का महत्व—भारत वर्षा एक कृषि प्रधान देश है जहाँ अनादि काल में ही भारतीय किसान का भाग्य वर्षा पर निर्भर रहा है। हमारे देश में मरु भूमि तथा अध मरु भूमि क्षेत्र कुल भूमि के अनुपात से अधिक है अतः हमारे कृषि उद्योग के लिए सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है। राष्ट्रीय समृद्धि के दृष्टिकोण से भी सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि साखान और उद्योगों के लिये कच्चा सामान कृषि से ही प्राप्त होता है। परन्तु वर्षा से ही भारत में पानी की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति होती है और हमारी कृषि वर्षा की दया पर पूर्णतया निर्भर है। भारत के आर्थिक जीवन में सिंचाई का इतना अधिक महत्व होते हुए हम आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई की उपयुक्त सुविधाओं के विकास द्वारा पानी के प्राकृतिक साधनों

सचित क्षेत्र मे अधिकतम वृद्धि करनी है तो व्यक्तिगत कूपो की संख्या मे पर्याप्त वृद्धि करना अनिवार्य है । कुद्या खोदना व्यक्तिगत कार्य है और उसके निर्माण के लिए तकावी ऋण देकर तथा उससे सुधारी हुई भूमि पर कोई अतिरिक्त कर लगा कर सरकार भी उसे प्रोत्साहित करती है । जिन स्थानो पर व्यक्तिगत जोन बहुत छोटी है वहाँ सरकारी समितिया कुए खोद सकती है । अकाल जाच प्रायोग ने यह सुभाव पेश किया था कि सरकार को भूमि के नीचे के पानी के सम्बन्ध मे पूरी जानकारी प्राप्त करनी और प्रकाशित करनी चाहिए और कुद्या खोदने के द्वारे मे ग्रामीणो को सलाह देने के लिए विशेष अधिकारियो की नियुक्ति करनी चाहिए ।

विद्युत कूप (Tube wells)—वैज्ञानिक युग मे विद्युत कूप वा महत्व सिंचाई क्षेत्र मे बहुत अधिक है । पक्के कुपो मे बिजली द्वारा पानी ऊपर उठया जाता है इससे घण्टे मे ३३ हजार गैलन पानी खिचता है और लगभग ५०० एकड़ भूमि की सिंचाई मे सकती है । इन कुपो से सिंचाई करने मे लाभ है जैसे (अ) इनके बनाने मे केवल एक दार ही व्यय करना पडता है (ब) इनकी देख रेख मे बहुत कम धन व्यय होता है । (स) कुपो का पानी नहरो के पानी से अधिक लाभकारी होता है । (द) प्रत्येक कूपक को पानी आवश्यकतानुसार नापकर दिया जाता है जिससे उसे पानी के लिए न तो प्रतीक्षा करनी पडती है और ना ही उसके खेतो मे वेकार पानी भरा रहता है ।

हमारी राष्ट्रीय सरकार ने १९४८ मे विद्युत कूपो के विषय मे दो अमरीकी विशेषज्ञो को सलाह के लिए बुलाया था । उत्तर प्रदेश मे गंगाधारी विद्युत कूप योजना के अंतर्गत १७०० कुपो का निर्माण हो चुका है । पंजाब, बिहार मे भी इस प्रकार के कुपो के निर्माण की कई योजनायें बनाई जा चुकी हैं ।

सन् १९५५ के अन्त तक २२८६ नलकूप भारत अमरिका टेकनिकल सहकारी कार्य क्रम मे, ६ नलकूप अधिक अन्न उत्पादो आन्दोलन के अंतर्गत व २०४३ नलकूप राज्यों की योजनायो के अंतर्गत किये जा चुके हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि देश मे कुपो द्वारा सिंचाई करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए जा रहे हैं । अतः आवश्यकता इस बात की है कि राजकीय तथा व्यक्तिगत दोनों साधनो द्वारा कुपो की संख्या मे वृद्धि की जाये और इन साधन को प्रोत्साहन दिया जाये ।

तालाब—प्राचीन काल से तालाब भारतीय कृषि व्यवस्था के विशेष अंग रहे हैं । पंजाब को छोड़कर लगभग सब त भागो मे तालाब पाये जाते हैं । सबसे अधिक संख्या तालाबों की मद्रास प्रान्त मे पाई जाती है वहा इनकी संख्या ३,००० है । तालाबों का प्रयोग प्राय उन स्थानों मे होता है जहा पर कुपो या नहरो से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है । तालाबो से सिंचाई के मुख्य केन्द्र दक्षिण राजपूताना, दक्षिण भारत, मध्य भारत हैदराबाद तथा मंसूर हैं ।

आधुनिक युग मे बहुत से तालाब नष्ट हो गये हैं अतः अब हमारी भारत सरकार उनके निर्माण एव मरम्मत पर विशेष ध्यान दे रही है । परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि जहा नहरो या अन्य बडे सिंचाई के साधनो का उपयोग नहीं हो

१) नस्ल सुधारने के उपाय.—नस्ल सुधारने के लिए यह अति आवश्यक है कि बीमार, बूढ़े तथा अशक्त साड़ों को समाप्त कर दिया जाये। इससे चारे की समस्या का भी बहुत कुछ समाधान होगा। इसके साथ ही साथ गावों में अच्छे साड़ों को भी भेजा जाये। भारतीय कृषि कमीशन ने बताया था कि भारत में अच्छे साड़ों की बहुत कमी है। अतः १० लाख साड़ों की अति आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने अच्छे नस्ल के साड़ों का पता लगा लिया है और उसका कहना है कि इनका प्रयोग गावों में अवश्य होना चाहिए। हमारे देश में कई सरकारी फार्म हैं जहाँ उत्तम साड़ें तैयार किये जाते हैं जिनकी संख्या प्रतिवर्ष ७५० है जिनको विभिन्न गावों में भेजा जाता है। इस समय कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रजनन कराकर नस्ल सुधारने का भी प्रयत्न किया जा रहा है।

हमारी राज्य सरकारों ने एक पशु सुधार एक्ट पास किया है जिससे बेकार साड़ों को नष्ट किया जाता है। नस्ल सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६०० ऐसे प्रमुख ग्राम केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक प्रमुख ग्राम केन्द्र ३-४ गावों में होगा। इन केन्द्रों में पशुओं की नस्ल, दूधोत्पादन आदि का विशेष ध्यान तथा विस्तृत लेखा रखा जायेगा। इनके अतिरिक्त १५० कृषि मन्त्रालय केन्द्र भी खोलने की व्यवस्था की गई है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में १२०० प्रमुख ग्राम केन्द्र तथा ३०० कृषि मन्त्रालय केन्द्र खोलने की योजना है। अतः योजनाओं के पूरे हो जाने पर इस समस्या का काफी समाधान हो जायेगा।

रोगों को दूर करने के उपाय—रोगों से बचाने के लिये यह अति आवश्यक है कि गावों में पशु चिकित्सालय खोले जाएँ। इनके अभाव से ही जानवरों का ठीक से उपचार नहीं हो पाता और मृत्यु का श्राव्य बन जाते हैं। इस समय देश में २००० पशु अस्पताल हैं परन्तु इनमें कुशल डाक्टरों की बहुत कमी है। कुछ ऐसे अस्पताल भी होने चाहिए जो गावों में घूम-घूम कर इलाज करें। सरकार को अस्पतालों का निर्माण शहरों की बजाय गावों में करना चाहिए जिससे अधिक लाभ उठाया जा सके।

पोकनी बीमारी सबसे भयानक तथा छूत की बीमारी है। अतः ऐसे जानवरों को टीका लगा देना चाहिए जिससे इसका प्रभाव कम हो जाए। भारत ने इस क्षेत्र में काफी प्रयास किया है पर विशेष सफलता नहीं मिली है।

उपरोक्त विवरण से ज्ञात हुआ है कि पशुओं की हालत बड़ी खराब है और यह जटिल समस्या का रूप धारण करती जा रही है। बिना पशुओं की उन्नति के देश की उन्नति असम्भव है इसलिए भारत की उन्नति के लिए पशुओं की उन्नति परम आवश्यक है।

प्रश्न २१—कृषि का यन्त्रीकरण भारत के लिये कहां तक उपयुक्त है? विवेचना कीजिये। (राजपूताना ५०, दिल्ली ५४, कलकत्ता ५५, ५१)

How far Mechanization of Agriculture is suitable for India? Discuss fully. (Rajputana 50, Delhi 54, Calcutta 55, 51)

कृषि यन्त्रीकरण का अर्थ

(MEANING OF MECHANIZATION)

आज का युग विज्ञान का युग है। मानव परिश्रम को कम करने तथा भूमि की उत्पादनशीलता को बढ़ाने के लिये लगभग सभी पश्चिमी देशों में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग खेती के लिये किया जाता है। भूमि का जोतना, बीज बोना, फसल काटना तथा उसका ग्रेडिंग आदि का कार्य मशीनों की सहायता से होना है। प्रत्येक कार्य के लिये विशेष प्रकार की मशीनों का आविष्कार कर लिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि की उत्पादनशीलता बहुत अधिक हो गई है और अब खेती के लिए बहुत अधिक मनुष्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे किसान तथा ग्रामीणों का रहन-सहन का स्तर बहुत ऊँचा उठ गया है। यहाँ हमें देखना यह है कि क्या भारत में भी खेती का यन्त्रीकरण किया जा सकता है और यदि किया जा सकता है तो उसका देश पर क्या प्रभाव होगा।

भारत में कृषि का यन्त्रीकरण

(MECHANIZATION IN INDIA)

भारत एक अति प्राचीन देश है और अनादिकाल से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत में प्राचीन समय से ही साधारण यन्त्र जैसे हल इत्यादि तथा बैलें और मानव की शक्ति के सहयोग से खेती होती आई है और आज भी होती है। जहाँ अन्य देशों में विज्ञान की प्रगति के साथ साथ खेती का यन्त्रीकरण कर दिया गया है वहाँ भारत आज अपनी भी प्राचीन परम्परा को निभाता आ रहा है।

भारत में खेती के यन्त्रीकरण का प्रश्न इसलिये उत्पन्न हुआ है कि यहाँ अन्य देशों की अपेक्षा प्रति एकड़ उपज बहुत कम है जबकि देश की जनसंख्या और अनाज की आवश्यकताएँ बहुत अधिक बढ़ गई हैं। देश में आए दिन खाद्य संकट बना रहता है। कम उपज के बहुत से कारण हैं जिनमें से एक यह भी है कि भारतीय किसान आज भी अज्ञान है और उन्हीं पुराने तरीकों से खेती करता है जिनका आज के वैज्ञानिक युग में महत्व नहीं रहा। ससार बहुत आगे निकल गया है और हमें आज भी १५० वर्ष पहले की दुनिया में रह रहे हैं। जब तक आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से यन्त्रीकरण के आधार पर खेती नहीं की जावेगी भारत की समस्या हल नहीं हो सकती। चीन जैसे देश में भारत की अपेक्षा कम कृषि योग्य भूमि है किन्तु वहाँ की उपज भारत से चार पाच गुनी अधिक है।

इस बात में किसी को कोई सन्देह नहीं हो सकता कि कृषि का यन्त्रीकरण भारत के लिये हितकर ही नहीं, आवश्यक भी है किन्तु प्रश्न यह है कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों में क्या कृषि का यन्त्रीकरण सम्भव भी है या नहीं। यह निर्णय करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए :—

(१) भूमि की उपलब्धता तथा जनसंख्या के दबाव की दृष्टि से भारत की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भारत की जनसंख्या ३५ करोड़ से ऊपर है जिसमें से ७०

प्रतिशत से भी अधिक लोग अपनी जीविका खेती के सहारे प्राप्त करते हैं। कृषि के यन्त्रीकरण से भारत की अधिकांश जनसंख्या बेकार हो जावेगी। जब तक इन लोगों के लिये रोजगार के अन्य साधन विकसित नहीं होते उस समय तक खेती का यन्त्रीकरण भारत में बड़े पैमाने पर लागू नहीं हो सकता।

(२) अर्थशास्त्री उत्पत्ति के तीन प्रमुख साधन मानते हैं अर्थात् भूमि, श्रम तथा पूंजी। ये तीनों एक दूसरे के स्थान पर कुछ सीमा तक प्रतिस्थापित हो सकते हैं। यदि श्रम की कमी हो अथवा पूंजी सस्ती हो तो श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि अन्य देशों ने खेती का यन्त्रीकरण करके किया है। किन्तु भारत में इनका उल्टा है। हमारे यहाँ पूंजी की कमी है और श्रम की अधिकता है तथा श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है इसलिये यहाँ समस्या पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग करने की है। भारत में कृषि के यन्त्रीकरण के परिणाम उल्टे सिद्ध होने का भय है।

उपरोक्त विवेचन का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि भारत सदैव गरीब तथा पिछड़ा हुआ ही रहेगा तथा विज्ञान ने जो सुविधायें प्रदान की हैं उनका लाभ नहीं उठा सकता। धीरे-धीरे तथा कुछ सीमित क्षेत्रों में कृषि का यन्त्रीकरण किया जा सकता है शेष के लिए हमें उस समय की वाट देखनी होगी जब देश में औद्योगिककरण के द्वारा सारी जनता के लिये रोजगार के साधन उपलब्ध न हो जायें और देश में पूंजी की कमी दूर न हो जाय। अभी तक तो भारत में पूंजीगत वस्तु बाहर से ही मगानी पड़ती है और इसके लिए भारत के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।

यन्त्रीकरण की प्रमुख बाधाएँ

(LIMITATIONS OF MECHANIZATION)

(१) खेती के यन्त्रीकरण की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि भारत में खेतों का आकार बहुत छोटा है। छोटे आकार के खेतों पर भारी यन्त्रों का प्रयोग नहीं हो सकता। यदि सामाजिक समता के आधार पर भूमि का पुनर्वितरण कर दिया जाय तो खेतों का आकार और भी छोटा हो जाएगा। यह कठिनाई उस समय दूर हो सकती है जब एक ग्रामीण की सारी भूमि पर सहकारी खेती की जाए।

(२) खेती के यन्त्रीकरण से बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल हो जाने का भय है। भारी समस्या में लोग खेती से पृथक् हो जायेंगे और वर्तमान श्रम उद्योगों में इनकी खपत नहीं हो सकती।

(३) हमारी कृषि व्यवस्था में पशुओं का विशेष महत्व है। वे अनेक प्रकार के चारों के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं। कृषि के यन्त्रीकरण से फलतः पशुओं की समस्या भी हमारे सामने उत्पन्न होगी।

(४) कृषि के यन्त्रीकरण के लिये व्यापक सिंचाई की सुविधाओं का होना भी परम आवश्यक है। अनिश्चित मानसून वर्षा वाले देशों में यन्त्रीकरण के पूरे लाभ नहीं उठाये जा सकते। सिंचाई के साधनों का पूर्ण विकास इससे पहिले हो जाना चाहिये।

(५) यन्त्रीकरण के लिये देश में आवश्यक मशीनों का निर्माण, सस्ती बिजली, खनिज तेल तथा लोहा और इस्पात आदि की आवश्यकता होती है। भारत में इन सब चीजों की भारी कमी है।

(६) भारत में जो भी कृषि यंत्र प्रयोग में लाए जा रहे हैं वे विदेशों से आयात किये गये हैं उनकी टूट-फूट तथा मरम्मत आदि की पूरी सुविधाएँ भारत में उपलब्ध नहीं हैं तथा इनका खर्चा इतना अधिक है कि एक साधारण किसान इनके प्रयोग से लाभ नहीं उठा सकता।

(७) भारतीय किसान की अज्ञानता तथा अधिक्षा के कारण इन मशीनों तथा यन्त्रों का प्रयोग उनके लिये सम्भव नहीं है। भारतीय किसान प्राचीन यन्त्रों के प्रयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और न जानना चाहता है।

खेती के यन्त्रीकरण की सम्भावना

(FUTURE POSSIBILITIES)

वर्तमान हालत में खेती का यन्त्रीकरण केवल निम्नलिखित क्षेत्रों में सफलतापूर्वक हो सकता है —

(१) बजर तथा ब्रेकार भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। केन्द्रीय तथा राज्य ट्रेक्टर संगठनों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस सस्था द्वारा १५ लाख एकड़ बजर भूमि को खेती योग्य बनाने का विचार है। उत्तर-प्रदेश के तराई तथा गंगा खादर के क्षेत्रों में जंगल आदि साफ करके बड़े-बड़े फार्म बनाये गये हैं जिन पर यन्त्रों की सहायता से खेती होती है।

(२) मध्य-प्रदेश राजस्थान तथा अन्य कम आबादी वाले क्षेत्रों में जहाँ काफी मात्रा में भूमि उपलब्ध है और सिंचाई की सुविधाओं का विकास हो चुका है वहाँ खेती का यन्त्रीकरण किया जा सकता है।

(३) जिन क्षेत्रों में खेती की चकबन्दी हो चुकी है और सहकारी खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है वहाँ यन्त्रीकरण सुगमतापूर्वक हो सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)—जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं भारत में कृषि के यन्त्रीकरण में अनेक बाधाएँ हैं किन्तु इनका सामना करते हुए भारत को धीरे-धीरे कृषि का यन्त्रीकरण करना है। ऐसा किए बिना कम उपज, गरीबी, हल सहन का नीचा स्तर तथा बेरोजगारी आदि की समस्या दूर नहीं हो सकती। प्रारम्भ में भारत को साधारण तथा छोटे कृषि यन्त्रों का निर्माण करना चाहिए जिनमें छोटे ट्रेक्टर आदि शामिल हैं। देश में बहुत से ट्रेक्टर केन्द्रों की स्थापना की जाए जिनमें किसानों को उनके प्रयोग की शिक्षा दी जा सके। इस समय इस प्रकार का एक केन्द्र भोपाल में स्थापित हो चुका है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक अन्य केन्द्र के स्थापित होने की आशा है। इस बात की अवस्था सरकार द्वारा की जाए कि किसानों को किराए पर इन मशीनों आदि की सेवा प्राप्त हो सके और इसके लिए उन्हें अधिक व्यय न करना पड़े।

भारत की बड़ी-बड़ी पन विजली योजनाओं के पूरा हो जाने से सिंचाई के साधनों में वृद्धि होगी और खेतों पर समीचीन विजली मिल सकेगी जिससे कृषि के यन्त्रीकरण में सुगमता होगी। यह हर्ष का विषय है कि हमारे किसान कुञ्ज-कुञ्ज इन कृषि यन्त्रों से परिचित होने लगे हैं और इनके महत्व को समझने लगे हैं। यन्त्रीकरण की सफलता के लिए सहकारी खेती की व्यवस्था परम आवश्यक है।

अन्त में हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए निकट भविष्य में खेती का सम्पूर्ण यन्त्रीकरण न तो सम्भव है और न हीतकर ही।

प्रश्न २२—भारत में सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की प्रगति पर प्रकाश डालिए। (राजपूताना १९५५)

Throw some light on the progress of Community Projects and National Extension Service Blocs in India. Rajasthan 1955

उत्तर—सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्देश्य भारतीय गाँवों में रहने वाली जनता के व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास में सहायता प्रदान करना है। ५ जनवरी १९५५ को भारत तथा अमेरिका के बीच जो टैक्नीकल सहयोग समझौता हुआ था उसके अन्तर्गत सामुदायिक विकास की योजनाओं पर अमेरिका तथा भारत के परस्पर सहयोग से प्रयत्न करने का निश्चय किया गया और इस समझौते के उपरान्त अमेरिका द्वारा ५ करोड़ डालर तथा भारत सरकार द्वारा ५० करोड़ रुपये इन योजनाओं को सफल बनाने के हेतु धन्य करने का निश्चय किया गया।

२ अक्टूबर १९५२ को ५५ सामुदायिक विकास योजनाएँ आरम्भ की गईं प्रत्येक योजना का क्षेत्र लगभग ५०० वर्ग मील तथा जनसंख्या लगभग २ लाख है और इसमें २०० गाँव सम्मिलित किये जाते हैं।

एक सामुदायिक विकास योजना को तीन विकास खंडों में बाँट दिया जाता है। इस प्रकार एक विकास खंड में लगभग १०० गाँव और औसत जनसंख्या ५०००० से ७०००० तक होती है।

सामुदायिक विकास योजना द्वारा भारत की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना है और ग्रामीण जीवन के लगभग सभी अंगों का सामूहिक रूप में विकास करना है। जो कार्य सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत आते हैं उनका विवरण इस प्रकार है—

(१) कृषि और इससे सम्बन्धित कार्य—इस कार्य के अन्तर्गत बेवार पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाना, उत्तम बीज तथा खाद की व्यवस्था करना, तालाब, नहरों कुओं आदि की सहायता से सिंचाई की सुविधाएँ प्रदान करना, फलों और सब्जियों की खेती बढ़ाना, यांत्रिक सब हूँ प्रदान करना उत्तम एवं नवीन औजारों की व्यवस्था करना तथा बिक्री की सुविधाएँ करना, भूमि क्षरण को रोकना, सहकारी नग्नियों की स्थापना करना आदि कार्य सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत किये जाते हैं।

(२) मातामृत की सुविधाएँ प्रदान करने का कार्य—विकास योजना में इस

वात का प्रयत्न किया जाता है कि एक गांव दूसरे गांव में सड़क द्वारा मिला दिया जाये, इन सड़कों का निर्माण ग्रामीणों के श्रम की सहायता से हो रहा है। यह छोटी छोटी सड़कों जो गांवों में बनाई जाती हैं किसी बड़ी सड़क के साथ जोड़ दी जाती हैं जो पत्थर द्वारा बनाई जाती हैं।

(३) शिक्षा प्रसार—इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा, वैश्विक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और काम करने वालों की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाता है तथा ग्रामीण कारीगरों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले जाते हैं।

(४) स्वास्थ्य रक्षा कृषकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के हेतु उनके स्वास्थ्य में सुधार करना अति आवश्यक है अतः आयोग ने प्रत्येक योजना क्षेत्र में २ प्राथमिक चिकित्सा इकाइयों की स्थापना का आयोजन किया है। इनमें एक अस्पताल और एक एक औषधालय होता है जो सारे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ग्रामीणों को रोकने के लिए गांव की सफाई भलेरिया हैजा, चेचक और क्षय नियंत्रण और पानी की सफाई पर विशेष बल दिया जाता है।

(५) सहायक पशु—जो कृषक खेती में लगे हुये हैं वे भी वर्ष के अधिकांश महीनों में लगभग बिना काम के रहते हैं। शेष मजदूर तो बेकार रहते ही हैं। अतः ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास करके बेकारी को दूर करने के लिये इस योजना का मुख्य अंग है।

(६) भवन निर्माण कार्य—इस बात की व्यवस्था योजना के अन्तर्गत की गई है कि अच्छे घर बनाने की कला, सीमेंट ईंट आदि की व्यवस्था, पार्क व चौड़ी गलियों के निर्माण कार्य की व्यवस्था की जाय।

(७) प्रशिक्षण—विकास योजना के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ३० केन्द्र स्थापित किये गये हैं और प्रत्येक में ७० व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है।

(८) समाज कल्याण—ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का काफी अभाव है। अतः योजना आयोग ने क्षेत्र में बसने वाले व्यक्तियों के लिए मेले, प्रदर्शनों का प्रबन्ध खेल कूद फिल्मों द्वारा समाज शिक्षा का प्रबन्ध किया है यह कार्य उनके समाज कल्याण में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं।

सामुदायिक विकास योजना की प्रगति—जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं सामुदायिक विकास योजना का कार्यक्रम २ अक्टूबर १९५२ को ५५ विकास योजनाओं से प्रारम्भ किया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् ३१ मार्च १९५६ तक लगभग भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या का ४ भाग इन योजनाओं के अन्तर्गत खाने का लक्ष्य था। सामुदायिक विकास योजनाओं के साथ ही साथ २ अक्टूबर १९५२ से लगभग समान उद्देश्य रखने वाली कुछ अन्य योजनाएँ चालू की गईं जिन्हें राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड के नाम से पुकारते हैं। यह योजनाएँ पूर्णतया भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। समय समय पर इनमें

से कुछ को सामुदायिक विकास योजनाओं के लिये चुन लिया जाता है ताकि इन पर अधिक विस्तृत ढंग से विकास का कार्य हो सके ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में कुल मिलाकर १२०० विकास खण्ड, ७०० सामुदायिक विकास तथा ५०० राष्ट्रीय प्रसार सेवा के अन्तर्गत चालू करने का लक्ष्य रक्खा गया था और उस पर ५०० करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान था । हर्ष का विषय है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के यह लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिए गये और देश की लगभग १/३ ग्रामीण जनता इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आई गई । दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अर्थात् १९६०-६१ तक समस्त देश को राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड के आधीन विकसित करना है जिसमें से चालीस प्रतिशत विकास खण्डों को सामुदायिक विकास खण्डों में परिवर्तित कर दिया जाएगा । इस कार्य पर २०० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

अवगत जो २१५२ विकास खण्ड निर्धारित किये गये हैं और जिनपर विकास कार्य चल रहा है उनका विस्तृत व्योरा निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है —

क्रम	खण्ड निर्धारित	खण्ड जिनपर कार्य हो रहा है	ग्राम जो इनके आधीन हैं	जनसंख्या (लाखों में)
प्रगाढ विकास खण्ड				
१९५०—५३	२०६	२०६	७२८८	१६९
१९५४—५५	५६	५६	८८४	४०
१९५५—५६	१५१	१५२	२१४८	१४०
१९५६—५७	२५०	२५०	३६०७७	१८६
१९५७—५८	१८६१	१८६१	२५५३०	११२
राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड				
१९५४—५५	१६१	१६१	२८६३	१८
१९५५—५६	१८७	१८७	२७६१	१३८
१९५६—५७	४६५	४६५	६६६११	३३३
१९५७—५८	५६७	५६७	६०००५	३७२
कुल योग	२१५२	२१५२	२७६०२६	१४६४

जून १९५७ के अन्त तक ११८६५७ ग्राम जिनकी जनसंख्या लगभग ७३ करोड़ है सामुदायिक विकास कार्य क्रम के अन्तर्गत आ चुके हैं । दूसरी ओर १५७०६६ ग्राम जिनकी जनसंख्या ८६ करोड़ है राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड की योजना के अन्तर्गत आ चुके हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में जो कार्य किया जायेगा उसका अनुमान इस तालिका से लगाया जा सकता है—

वर्ष	राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों की सहायता	प्रसार सेवा खंड जो सामुदायिक विकास खंडों में परिवर्तित किये जायेंगे
१९५८—५९	७५०	२६०
१९५९—६०	९००	३००
१९६०—६१	१०००	४६०

सामुदायिक विकास योजनाओं की वित्त व्यवस्था

इन योजनाओं के लिये धन जनता तथा सरकार दोनों के सहयोग से प्रदान होता है। प्रत्येक विकास क्षेत्र में जनता से द्रव्य, श्रम तथा वस्तुओं के रूप में स्वच्छा से साधन प्राप्त होते हैं। जो धन सरकार की ओर से व्यय किया जाता है उसे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें मिलकर प्रदान करती हैं। केन्द्रीय सरकार का व्यय कुल व्यय के आधे के बराबर होता है जब कि उसकी अधिकतम सीमा ६ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक हो सकती है।

इस कार्य क्रम के लिये अमेरिका से जो सहायता मिलती रही है उसका प्रयोग विदेशों से आवश्यक सामान आयात करने के लिये किया जाता है १९५२-५३ से १९५७-५८ तक १५ २७ मिलियन डालर की विदेशी सहायता की व्यवस्था की गयी। जिसमें से १ दिसम्बर सन् १९५७ तक ११ १० मिलियन डालर्स के मूल्य का सामान अमेरिका से मंगा कर राज्य सरकारों को बांटा जा चुका है।

सामुदायिक विकास योजनाओं की सफलता

विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजनाओं के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त किये जा चुके हैं उनका अनुमान निम्नलिखित व्योरे से स्पष्ट है —

(१) औद्योगिक बस्तियाँ — कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उनके विकेन्द्रीयकरण के उद्देश्य से ९ बड़ी औद्योगिक बस्तियाँ तथा २० छोटी ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों की स्थापना सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत की जा चुकी है।

(२) ग्रामीण मकानों की व्यवस्था — ग्रामीण मकान बनाने की योजना के प्रथम चरण में १०० योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया जिसमें से प्रत्येक के लगभग पाँच गाँव हैं।

(३) स्हकारी समितियाँ — सरकारी अधिकारियों के सहयोग से ५०००० नई सरकारी समितियाँ स्थापित की जा चुकी हैं जिसमें ३११ नए नए सदस्य भर्ती किये जा चुके हैं।

(४) रसायनिक खाद वितरण — कृषि उत्पादन में वृद्धि के हेतु २०७१८ हजार टन रसायनिक खाद का वितरण किया गया जिससे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

(५) अच्छे बीज का वितरण — रसायनिक खाद की भाँति ही कृषि उत्पादन की वृद्धि अच्छे और सुघरे हुए बीज पर भी निर्भर होती है। इस उद्देश्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत १० जून १९५७ तक १००३६ हजार टन अच्छे बीज का वितरण किया गया।

(६) फल और सब्जी के बाग लगाने का कार्य — सामुदायिक विकास कार्यक्रम में फल तथा सब्जी के नए बाग लगाने के कार्य को भी प्रोत्साहन दिया गया और १०२६ हजार एकड़ भूमि पर बाग लगाये गये।

(७) बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्य — बजर तथा अनुपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्य भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। कारण यह है कि इसके बिना स्थाई रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकना सम्भव नहीं है। इसी लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में २३२९ हजार एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया गया और ३८०७ हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की सुविधायें प्रदान की गईं।

(८) नालियो तथा सड़कों का निर्माण — इस कार्यक्रम में ९१४० लम्बी पक्की सड़कें, ५९००० मील लम्बी नई कच्ची सड़कें, ५२००० मील लम्बी पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा १२१ लाख गज लम्बी नालियो का निर्माण किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधाओं में वृद्धि हुई और ग्रामों की सफाई में सहायता मिली है।

(९) शिक्षा का प्रसार — सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्रौढ शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। २५ हजार नये स्कूलों की स्थापना हुई, १०३२५ स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया और ७० हजार प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोले गये। इस सब कार्य क्रम से ग्रामीण जनता को पढ़ने लिखने योग्य बनाने में विशेष योग्य मिला है।

इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिशु कल्याण केन्द्र, ग्रामीण शौचालय तथा कुएँ आदि में सुधार करके ग्रामीण स्वास्थ्य को सुधारने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सामुदायिक विकास में जन सहयोग

जनता के सक्रिय सहयोग के बिना सामुदायिक विकास योजनाओं का सफल होना असम्भव है। सितम्बर १९५६ तक भूमि, नकद धन तथा धर्मदान के रूप में जनता से जो योग प्राप्त हुआ है उसका मूल्य ४.६ करोड़ रुपये लगाया गया है जबकि सरकार द्वारा कुल मिलाकर ७१.२ करोड़ रुपया व्यय किया गया इसका अर्थ यह हुआ कि सरकारी व्यय का ६१ प्रतिशत जनता के सहयोग द्वारा प्राप्त हुआ।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारी सत्या में शिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुये देश

मे ६८ प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमे ग्राम सेवको (Village level workers) को प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए ७८ प्रारम्भिक कृषि स्कूल तथा १८ कृषिक उद्योग शालाएँ स्थापित की गई हैं। ग्राम सेविकाओं के लिए २५ प्रशिक्षण केन्द्र हैं। अन्य उच्च कर्मचारियों के लिए प्रत्येक केन्द्रों की व्यवस्था है। इस प्रकार प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के प्रत्येक ग्राम को स्थाई रूप से विकसित करने में सहायता मिलेगी।

उपसंहार — सामुदायिक विकास योजनायें कृषि विकास जीवन स्तर सुधार, ग्रामों की सफाई शिक्षा का प्रबंध, ग्राम उद्योगों का विकास सड़कों का सुधार, मकानों की व्यवस्था तथा अन्य सभी प्रकार से ग्रामोत्थान के हतु बनाई गई हैं और आशा की जाती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समस्त देश के ग्रामों का इनसे लाभ प्राप्त होगा। कुछ आलोचकों का ऐसा विचार है कि अभी भारत में इस प्रकार की योजनाओं के सफल होने योग्य वातावरण उत्पन्न नहीं हुआ है और इन योजनाओं में धन के अपव्यय के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ नहीं है। सम्भवतः ऐसे लोग भारत की वर्तमान आवश्यकताओं से अनभिज्ञ हैं। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही इस कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की गई। यह वह कार्यक्रम है जिसके द्वारा सहकारी आत्मनिर्भरता तथा स्थानीय प्रयत्न से ग्रामीण जनता सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकती है। योजना को सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है। वस यही सफलता का महान साधन है।

के सिद्धान्त पर खेती की व्यवस्था की जाये। भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति में यह उपाय सुगम प्रतीत नहीं होता।

एक तरीका यह भी हो सकता है कि व्यक्तिगत भूसम्पत्ति को किसान स्वेच्छा से एकत्रित करके उसमें सहकारिता के आधार पर खेती की व्यवस्था करे। इसमें व्यक्तिगत भू सम्पत्ति भी बनी रहेगी और उद्देश्य की पूर्ति भी हो जावेगी। यह उपाय भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है और इस दिशा में सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जिस प्रकार इटली में सरकार ने धन देकर सभी पुरानी भूमियों को लेकर आर्थिक जोन का निर्माण किया वह रीति भारत में भी अपनाई जा सकती है किन्तु इस कार्य के लिये इतने अधिक धन की आवश्यकता होगी कि सरकार सम्भवतया निकट भविष्य में इतना धन उपलब्ध न कर सके। दूसरे इन्से अन्य कई समन्वये भी उत्पन्न हो जायेंगे।

(२) आर्थिक जोतों की रक्षा— जो जोत इतने बड़े हैं कि उन्हें आर्थिक जोन कहा जा सके अथवा जिनका निर्माण चकबन्दी के बाद हो उनकी रक्षा पुनः उपविभाजन एवं उपखण्डन से होनी चाहिये। ऐसा करने के लिये या तो उन अधिकार के कानूनी में सुधार किया जाये और भूमि के बदलारे को रोका जाये या इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था की जाये कि एक न्यूनतम सीमा से कम मात्रा की भूमि का विभाजन कानूनन अवैध होगा। यह उपाय अधिक सुगम है और विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है अथवा की जा रही है। यह स्पष्ट है कि यदि आर्थिक जोतों की रक्षा नहीं की गई तो यह समस्या कभी हल नहीं होगी विशेष रूप में भारत जैसा कृषि प्रधान देश में जहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जहाँ के अधिकार लोग गाव में रहते हैं और खेती पर निर्भर है।

चकबन्दी और उसकी प्रगति

भूमि की चकबन्दी का कार्य सहकारी समितियों की सहायता से प्रथम १९००-२१ में पंजाब प्रान्त में शुरू किया गया। १९३६ में पंजाब सरकार ने चकबन्दी कानून पास किया जिसके अनुसार चकबन्दी को अनिवार्य कर दिया गया। पंजाब ने इस कार्य में जो सफलता प्राप्त की उसे देखकर दिल्ली, उत्तर-प्रदेश, बम्बई, मध्य-प्रदेश तथा अन्य राज्यों ने भी इस दिशा में प्रयत्न किये और सहकारी चकबन्दी समितियों का निर्माण किया।

चकबन्दी के कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिये आजकल इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सरकार कानून द्वारा अनिवार्य रूप से अपने विशिष्ट कर्मचारियों की सहायता से इस कार्य को करे। चकबन्दी के कार्य में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं वह इस प्रकार हैं—

(१) भूमि की भिन्नता—वर्षा, स्थिति, मिट्टी की बनावट, उपजाऊपन तथा सिंचाई की सुविधाओं की दृष्टि से सब भूमि एक समान नहीं होती और कोई व्यक्ति

अपने अच्छे खेत को छोड़कर दूसरे चक्र में घटिया भूमि लेना पसन्द नहीं करता ।

(२) किसानों की अज्ञानता—अभी तक किसान इतने अतिथित हैं कि वह चक्रबन्दी के लाभों को नहीं समझते और सरकार से सहयोग नहीं करते ।

(३) भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी रिकार्ड की ब्रुटिया—जमींदारी प्रथा के दिनों से पटवारी आदि के जो कागजात चले आ रहे हैं उनमें भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित अनेक गलतियाँ हैं और उनके खाने पूर्ण नहीं हैं । इन कागजात में आवश्यक सुधार दिये बिना चक्रबन्दी का कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता ।

विभिन्न राज्यों में चक्रबन्दी की दिशा में हुई प्रगति— प्रथम तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि की चक्रबन्दी के प्रश्न पर विशेष महत्व दिया गया है । कृषि उत्पादन में वृद्धि की समस्या के स कालिक महत्व को देखते हुये चक्रबन्दी के कार्य को शीघ्र आत शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है । योजना आयोग ने सिफारिश की है कि यह कार्य सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया जाय । इस कार्य के लिये पर्याप्त आर्थिक सहायता तथा परामर्श केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान किया जा रहा है ।

प्रारम्भ में चक्रबन्दी का कार्य सहायक समितियों के द्वारा स्वेच्छापूर्वक किया गया किन्तु इसकी प्रगति मन्द रही । बाद में सरकार द्वारा कुछ दबाव से कार्य किया गया । १९४७ में बम्बई राज्य में चक्रबन्दी सम्बन्धी एक योजना बनाई इसके पश्चात् १९४८ में पंजाब तथा पेशू, १९५१ में उड़ीसा, १९५२ में उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश, १९५४ में राजस्थान, १९५५ में पच्छिम बंगाल तथा १९५६ में बिहार और हैदराबाद सरकारों के द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया । विभिन्न राज्यों में १ ५५-५६ तक जो प्रगति हुई है उसका अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है —

राज्य का नाम	चक्रबन्दी का क्षेत्रफल (लाख एकड़)	
	१९५५-५६ में	१९५५-५६ तक
बम्बई	६८	२१२
मध्य-प्रदेश	११	२८६
पंजाब	६५	४८१
पेशू	५३	१६३
उत्तर-प्रदेश	—	४३६

उत्तर-प्रदेश में १९५५-५६ में पांच जिलों में से प्रत्येक की एक तहसील में चक्रबन्दी का कार्य बुरु किया गया । १९५५-५६ के अन्त तक २१ जिलों में एक-एक तहसील में चक्रबन्दी का कार्य चल रहा था । कुछ आवश्यक कठिनाइयों के कारण इस कार्य को तीव्र गति से समस्त जिलों में एक साथ लागू नहीं किया जा सकता किन्तु कृषि सुधार की अन्य योजनाओं के साथ इस कार्य पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है ।

प्रश्न २४—उत्तर प्रदेश में भूमि के उपविभाजन तथा उपविघटन की समस्या की सीमाओं और स्वरूप क्या है ? इसके उपचार के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं तथा चक्रवर्ती का किसानों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव होगा ?

(लखनऊ १९४८)

What is the nature and extent of sub-division and fragmentation of holdings in U. P. What steps have been taken to solve the problem ? What will be the influence of consolidation on the economic condition of the agriculturist ?
(Lucknow 1948)

उत्तर प्रदेश में भूमि के उपविभाजन तथा उपखण्डन की समस्या

भारत के अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी भूमि के उपविभाजन तथा उपखण्डन की समस्या एक विशाल रूप धारण किए हुए है। उत्तर प्रदेश में भी इन समस्या के लगभग वे ही कारण हैं जो अन्य राज्यों में हैं और जिनका उल्लेख हम एक अन्य प्रश्न का उत्तर देने समय कर चुके हैं। १९४० में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रति विसन औसत जोत का आकार ३.३६ एकड़ है जो आर्थिक जोत की दृष्टि से बहुत कम है। अखिल भारतीय कृषि मजदूर आच समिति के अनुसार कुल क्षेत्रफल का ८३४ प्रतिशत भाग २५ एकड़ से कम के जोतों के रूप में पाया जाता है और ८८ प्रतिशत भाग २५ से ५० एकड़ तक के जोतों के रूप में पाया जाता है। शेष भाग ८० एकड़ में अधिक के जोतों के रूप में है। योजना आयोग के अनुसार ८७.१ प्रतिशत क्षेत्रफल २५ एकड़ से कम के जोतों के रूप में है और शेष १५ एकड़ से अधिक के आकार के जोतों के रूप में है। इन दोनों साधनों से हमें जो आकड़े उपलब्ध हुए हैं उनसे यह बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश कृषि भूमि में जोत आर्थिक जोत नहीं बड़े जा सकते। एक दूसरी गणना के अनुसार इस राज्य में २१ प्रतिशत किसानों के पास ५ एकड़ से भी कम भूमि है तथा ३८ प्रतिशत किसानों के पास भूमि की मात्रा १ एकड़ से भी कम है।

उपचार के लिए किए गए प्रयत्न

सहकारी समितियों द्वारा तथा स्वेच्छा से चक्रवर्ती का कार्य सन्तोष जनक प्रगति नहीं कर सका। १९२८ में उत्तर प्रदेश सरकार ने चक्रवर्ती सम्बन्धी एक कानून पास किया था। जिस पर कुछ कारणों वश कोई काय नहीं हो सका। चक्रवर्ती के कार्य में सबसे बड़ी बाधा जमींदारी प्रथा की थी जिसके उन्मूलन के बिना चक्रवर्ती का कार्य हो सना लगभग असम्भव था। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद उत्तरप्रदेश सरकार ने सर्व प्रथम जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया और उसके पश्चात् १९५३ में उत्तरप्रदेश चक्रवर्ती कानून (U. P Consolidation of holdings Act) पास किया जो सरकार द्वारा नियुक्त चक्रवर्ती समिति के सुझावों पर आधारित था। यह कानून पंजाब के चक्रवर्ती कानून से मिलता जुलता है क्योंकि पंजाब में चक्रवर्ती के कार्य में जो अनुभव प्राप्त हुए और जो सफलताएँ मिलीं उनसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रेरणा ली। इस कानून के अनुसार भूमि के टुकड़ों का एका

व्योरा तैयार किया जाता है जिसमें भूमि की किस्म, उसका क्षेत्रफल, पिछले वन्दोमत्त के अनुसार लगान की दर तथा लगान का विवरण होता है। इसी प्रकार प्रत्येक किसान की भूमि उसकी किस्म, लगान फसल, तथा क्षेत्रफल आदि का व्योरा भी तैयार किया जाता है। इसके पश्चात् भूमि की किस्म तथा सिंचाई आदि की सुविधाओं के आधार पर भूमि के चक्र बनाये जाते हैं और प्रत्येक किसान को उसकी भूमि के बदले ऐसे चक्र में भूमि दी जाती है जहाँ उसके अधिकांश खेत स्थित हों। यदि भूमि की किस्म की भिन्नता के कारण उसके मूल्य में कुछ भिन्नता होनी है और किसी किसान को बढ़िया भूमि के स्थान पर घटिया भूमि मिलती है तो उसे इसका मुआवजा दिया जाता है। साथ ही उसे अपनी भूमि के बूँथों कुओं तथा मकानों का भी मुआवजा मिलता है। चक्रबन्दी का जो व्योरा तैयार किया जाता है उस पर किसान आपत्ति कर सकता है जिन पर मुकदमों के दावों जो अन्तिम फसला होता है उसी के अनुसार अन्तिम रूप से चक्रबन्दी का व्योरा तैयार करके चक्रबन्दी योजना लागू कर दी जाती है और किसान अपनी नई भूमि के स्वामी बन जाते हैं। चक्रबन्दी की योजना के कारण कोई मुकदमा दीवानी अदालत में दायर नहीं किया जा सकता। चक्रबन्दी के लिए ४ रुपये प्रति एकड़ का व्यय निश्चित किया गया है जो उन किसानों से लिया जाता है जिनकी भूमि की चक्रबन्दी की जा रही है। प्रारम्भ में चक्रबन्दी का कार्य केवल जिलों की एक-एक तहसील में चालू किया गया था और इसकी सफलता के बाद धीरे-धीरे २ अन्य जिलों में चालू किया जा रहा है। सरकार का विचार सारे राज्य में इस कार्य को ५ वर्ष के अन्दर समाप्त कर देने का है। किन्तु प्रशिक्षित तथा अनुभवशील अफसरों और कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। मई १९५७ में सरकार ने चक्रबन्दी कानून में कुछ संशोधन किये हैं जिसके अनुसार किसानों की भूमि सन् ५३ के कानून के अनुसार चक्रबन्दी में शामिल होगी। इसके अतिरिक्त चक्रबन्दी अफसरों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे संयुक्त डीतो का स्वयं विभाजन कर सकें। इन संशोधनों से चक्रबन्दी का कार्य शीघ्र तथा सरलता पूर्वक हो सकेगा। इस समय विभिन्न जिलों की लगभग २६ तहसीलों में चक्रबन्दी कार्य चल रहा है। चक्रबन्दी के कार्य पर कुल १८ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

चक्रबन्दी का किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

किसानों की आर्थिक स्थिति के सुधार में तथा भारतीय कृषि की स्थाई उन्नति के मार्ग में दो बड़ी बाधाएँ थी—एक जमींदारी प्रथा तथा दूसरी भूमि के उप-विभाजन तथा खण्डन के कारण। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमींदारी उन्मूलन करके किसानों को आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक स्वतन्त्रता प्रदान कर दी और उन्नति के मार्ग पर बढ़ने के नये अवसर उन्हें प्राप्त हो गये। दूसरी बाधा भूमि के उपविभाजन तथा उपखण्डन की थी जिसका उपचार चक्रबन्दी के द्वारा किया जा रहा है जिसका परिणाम यह होगा कि राजकीय ग्राम अर्थ-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन होंगे। सर्वप्रथम वे सभी दोष दूर हो जायेंगे जो भूमि उपविभाजन और भूमि उपखण्डन के

द्वारा हो गये थे और जिनका उन्लेग हम एक अन्य प्रश्न के उत्तर में लिख चुके हैं। इसके प्रतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे किसान की आर्थिक दशा में मनुष्य सुधार होगा और उसके रहन-सहन का स्तर उचा उठ सकेगा। आधुनिक ढंग के वैज्ञानिक यन्त्रों की सहायता से खेती करने का कार्य सुगम हो जायगा। देश की पंचमपीय योजना में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार का जो कार्य शुरू किया गया है उसका पूरा २ लाभ किसान को प्राप्त हो सकेगा। सिंचाई की सुविधाएँ, अच्छी खाद, अच्छा बीज तथा साख की व्यवस्था से किसान अपनी उपज को बढ़ाने में सफल होगा क्योंकि उसके सामने अब भूमि के छोटे होने तथा बिखरे होने की समस्या हा नहीं पागी।

सहकारी ढंग की खेती को प्रोत्साहन देना तथा ग्राम प्रबन्ध एवं पंचायत राज्य को भावी ग्राम अर्थ व्यवस्था का लक्ष्य मानकर जो उन्नति देश करना चाहता है उस ध्येय को पाने में विशेष सहायता मिलेगी। इस प्रकार भारतीय किसान के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर चक्रवर्ती और भूमि सुधार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्न २५ - अधिक जोत से आय क्या समझने हैं ? भारत में आर्थिक जोत के लिये क्या प्रयत्न किये जाने चाहिये ?

(पटना - १९५१, राजपूताना १९५२, १९५६)

What is an Economic Holding? What measures should be taken in India to create Economic Holdings?

(Patna 51, Rajputana 52, 56)

आर्थिक जोत का अर्थ

आर्थिक जोत से हमारा अभिप्राय भूमि के उस खण्ड से है जिसका आकार बहुत छोटा न हो और जिसका स्वामी उस भूमि पर उचित ढंग से खेती कर सके। अभी तक हमारे देश में किसानों की जोत आर्थिक नहीं है। उदाहरणार्थ किसी राज्य में औसत जोत ०.५ एकड़ तथा किसी में ३.६, २.२ एकड़ तक है। कहने का अर्थ यह है कि अधिकतर राज्यों में औसत जोत ५ एकड़ से कम है जिसका परिणाम यह है कि किसान इतनी भूमि पर उचित ढंग से खेती नहीं कर सकता। न तो वह आधुनिक ढंग के वैज्ञानिक औजारों का प्रयोग कर सकता है, न अच्छी खाद दे सकता है और न उसके पास इतना धन उपलब्ध हो पाता है कि वह अपनी प्रति एकड़ उपज को बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके।

हम आर्थिक जोत की चाहे जो भी परिभाषा दें हमें यह मानना पड़ेगा कि भारत में खेती की अधिकांश सख्या ऐसे आकार की है जिसे आर्थिक जोत नहीं कहा जा सकता। देश की जनसंख्या तथा कुल भूमि की मात्रा को देखते हुये बड़े २ कृषि फार्मों का निर्माण भारत में नहीं हो सकता जैसा कि अमरीका, रूस तथा अन्य देशों में पाया जाता है। वास्तव में यहाँ समस्या इस बात की है कि भूमि का वितरण इस प्रकार से किया जाये कि अधिक से अधिक भूमिहीन किसानों को भूमि प्राप्त हो सके किन्तु इसके साथ २ यह भी देखना है कि भूमि की जोत आर्थिक हो।

खेत के किस आकार को आर्थिक जोत माना जा सकता है, यह कई बातों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक ढंग की खेती के लिये जिसमें सब काम मशीनों से होता है जोत का आकार कम से कम २०० एकड़ होना चाहिये। पुराने ढंग की खेती के लिए ७ एकड़ से २५ एकड़ की भूमि को आर्थिक जोत कहा जा सकता है। इसी प्रकार यदि कृषि का सगठन सहायता के आधार पर अथवा सामूहिक ढंग से किया जाता है तो जितने बड़े आकार की जोत होगी उनमें ही अधिक आर्थिक लाभ होगा। यदि व्यक्तिगत रूप से खेती की जाय तो एक परिवार को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिये १५ या २० एकड़ भूमि भी पर्याप्त है। कुछ राज्यों में तो ५ से १० एकड़ भूमि तक को भी आर्थिक जोत कहा जा सकता है। कांग्रेस भूमि सुधार कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक जोत दत्तनी अक्षय्य होनी चाहिये कि उससे उचित जीवन स्तर प्राप्त हो सके और एक साधारण आर्वाले परिवार को पूरा रोजगार मिल सके। इस रिपोर्ट में आर्थिक जायदानी अपेक्षा सामाजिक आधार पर छोटी जोत की सिफारिश की गई है जिसको आधारभूत जोत कहा गया है और इस बात का सुझाव दिया गया है कि बहुउद्देशीय सहायक समितियों की सहायता से व्यक्तिगत खेती को प्रोत्साहन दिया जाये।

उक्त कमेटी की राय में भूमि की जोत की एक उच्चतम सीमा भी निर्दिष्ट होनी चाहिये क्योंकि बहुत बड़े आकार की जोत पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रतीक है जिससे शोषण बढ़ता है सामाजिक न्याय नहीं होता और अन्य बुराईया उत्पन्न होती हैं। इसलिये कमेटी का सुझाव है कि भूमि की उच्चतम जोत का आकार आर्थिक जोत के आकार से ३ गुने से अधिक नहीं होना चाहिये। जमींदारी उन्मूलन कानून में भी जोत के अधिकतम आकार को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किया गया है।

भूमि सुधार कमेटी द्वारा किसी परिवार के लिये जोत का क्षत्रफल इस प्रकार का बताया गया है जिससे प्रतिवर्ष १६०० रुपये के औसत मूल्य का उत्पादन हो सके अथवा परिवार का मजदूरी के लक्ष्य सहित १५०० रुपये वायिक वच सके।

आर्थिक जोत का निर्माण

आर्थिक जोत के निर्माण के लिये जो प्रयत्न किये गये हैं उनमें से कुछ ऐसे सुझावों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं जो कांग्रेस भूमि सुधार कमेटी द्वारा प्रस्तुत किए गये हैं। योजना आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी इस बात पर जोर दिया है कि सारे देश में कृषि भूमि के लिए जोत की एक उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जाए जो सारे देश पर लागू हो। व्यक्तिगत जोतों की अक्षय्य पारिवारिक जोतों का निर्माण किया जाये जिनका आकार आर्थिक हो और २ व्यक्तियों वाले एक औसत परिवार के लिए पर्याप्त हो। भारत सरकार ने १९५५ में एक अधिसूचना जारी किया जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों में पाये जाने वाले भूमि के जोतों की गणना की जा रही है। इस गणना के बाद सरकार के पास जो आंकड़े तथा अन्य सामग्री उपलब्ध होगी उसके आधार पर भारत सरकार आर्थिक जोत का आकार, उसकी उच्चतम सीमा तथा उच्चतम सीमा को निर्धारित करने में सफल होगी और इस सम्बन्ध

में आवश्यक कानून पास किया जा सकेगा।

यह स्पष्ट है कि स्वेच्छापूर्वक आर्थिक जोतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। माय ही सब राज्यों के लिये एक समान आकार के जोतों को आर्थिक जोत घोषित नहीं किया जा सकता। सरकार को यह देखना होगा कि किस राज्य में कौन कौन सी मुख्य फसलें उत्पन्न होती हैं तथा उनके लिए कितनी भूमि की जोत उचित है तथा सिंचाई की सुविधाएँ किस सीमा तक और किस रूप में उपलब्ध हैं तथा उपजाऊपन की दृष्टि में भूमि किस प्रकार की है। उदाहरण के लिये बजर जमीन जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न हो बड़े आकार की भूमि को आर्थिक जोत कहा जायेगा किन्तु सिंचाई की सुविधाओं और उपजाऊ भूमि के छोटे आकार के जोत भी आर्थिक जोत हो सकते हैं।

आर्थिक जोत के निर्माण के लिए स्वेच्छापूर्वक अथवा राज्य के द्वारा चक्रवर्ती कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और विभिन्न राज्यों में इस दिशा में काफी प्रगति भी हुई है। एक बार छोटे छोटे खेतों को समाप्त करके बड़े आकार के जोतों का निर्माण हो जाने के पश्चात् सरकार को यह सोचना होगा कि आर्थिक आधार पर किसी किसान तथा उसके परिवार के पास कम से कम और अधिक से अधिक कितनी भूमि का होना आवश्यक है। जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि होगी वह सरकार द्वारा उनसे लेकर भूमिहीन लोगों में बांट दी जायेगी। भूदान आन्दोलन से भी इस कार्य में काफी सहायता मिली है। जिन लोगों के पास आर्थिक जोत से कम भूमि है उन्हें और अधिक भूमि देने का प्रयत्न किया जायेगा जिसमें एक परिवार का सुगमतापूर्वक जीविकोपार्जन हो सके।

हम इस बात का उल्लेख ऊपर कर चुके हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि कोई व्यक्ति अथवा परिवार और अधिक भूमि प्राप्त न करने पाये। कुछ राज्यों ने मौजूदा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का काम भी किया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अन्तर्गत अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कार्य किया जायेगा। यह विचार प्रकट किया गया है कि एक परिवार के लिये आर्थिक जोत की तीन गुनी भूमि को अधिकतम सीमा माना जाए। परिवार के लिए आर्थिक जोत निर्धारित करने के दो आधार हो सकते हैं—

(१) एक परिवार कितनी भूमि पर खेती करे।

(२) जात से औसत आमदनी क्या हो? यह दोनों कार्य कठिन हैं इसलिए

एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का परामर्श दिया गया है।

चक्रवर्ती की दिशा में जो प्रगति हुई है वह पर्याप्त नहीं है और इस क्षेत्र में काफी कार्य करना अभी बाकी है। यह भी विचार प्रकट किया गया है कि शुरू में भूमि प्रबंध कानून कुछ चुने हुए राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों तथा सामुदायिक विकास योजना क्षेत्रों में लागू किया जाये।

अध्याय ७

कृषि पदार्थों की बिक्री

प्रश्न २६— भारतीय कृषि बिक्री प्रथा के दोषों का उल्लेख कीजिए। इसमें सुधार के लिए अ पके क्या सुझाव हैं। (आगरा १९५६, ५४; इतहावाद ५३, ४८)

Point out the main defects in the marketing of Agricultural Produce in India? Give your suggestions for improvement

(Agra 56, 54, Allahabad 53, 48)

उत्तर:— प्राचीन समय में ग्रामीण ग्रंथ व्यवस्था स्वावलम्बी थी। जो कुछ पैदा होता था सारा का सारा गावों में ही खप जाता था। बिक्री की कोई समस्या नहीं थी। किंतु आधुनिक युग में स्थिति बदल चुकी है और आज भारत के सामने ग्रामीण माल की बिक्री की समस्या ब्रह्मान रूप धारण किये हुये है। कृषि शाही अधोग ने १९२८ में बताया था कि "जब तक खेत की उपज की बिक्री की समस्या को पूर्णतया हल नहीं किया जाता तब तक कृषि समस्या का हल अधूरा ही है।" व्यापारी ए व दलाल प्रायः काफी लाभ कमाते हैं और उसका भार किसान तथा उपभोग करने वाले पर पड़ता है। किसान की अज्ञानता, हडि वादित, पूंजी का प्रभाव, यातायात के साधनों में कमी आदि ऐसी बहुत सी बाधाएँ हैं जिनसे किसान को हानि उठानी पड़ती है। वर्तमान समय में बिक्री की प्रथा के बहुत से दोष हैं अतः उन पर हमको विचार करना है।

बिक्री प्रथा के दोष

ग्रामीण कृषि पदार्थों की बिक्री में बहुत से दोष हैं जिनके कारण किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता:—

(१) उपयुक्त संगठन का अभाव — किसानों में आपस में संगठन का अभाव रहता है जबकि खरीदार पूर्ण रूप में संगठित होते हैं। खेती की पैदावार लाखों छोटे छोटे किसानों द्वारा थोड़ी २ मात्रा में मण्डियों तक लाई जाती है। संगठन के अभाव से किसान बुरी तरह ठगा जाता है।

(२) माल की निम्न कोटि — कृषकों की उपज की किस्म उत्तम नहीं होती जिसके कई कारण हैं। किसान बेपरवाही से बीजों को चुनते हैं। रोम, महामारी, सूखा, फल काटने का पुराना तरीका गोशमो का प्रभाव, जान बूझकर मिलावट कृषक, अर्थात्कृषक का अभाव आदि कारणों से उत्पन्न प्रसन्न निम्न कोटि की होती है। भारतीय किसान प्रजा की साफ सुरक्षित एवं आकरं वनाये रखने के महत्व से अन-

भिन्न है जिसके कारण अपने उत्पन्न किये हुए पदार्थों की श्रेष्ठता के विषय में उदासीन या अनभिज्ञ रहने से उन्हें पर्याप्त मूल्य प्राप्त नहीं होता।

(३) मध्यस्थों की अधिकता — भारतीय ग्रामीण विपणन में बहुत अधिक मध्यस्थों का होना एक अत्यंत गम्भीर दोष है। कृषकों को अपनी फसल पैदा करने के समय से बेचने के समय तक बहुत से मध्यस्थों से काम पड़ता है जिसमें उसे काफी हानि होती है। यदि किसान अपनी फसल को मण्डियों में बचना चाहे तो उसके बीच में दलाल, आडतियों, महाजन, सरकार का आ जाना एक छोटी सी बात है। मध्यस्थों की यह बात कृषक को भिन्नने वाली प्रायः में काफी कमी कर देती है। अधिकांश के कारण वे इन सब चतुराईयों को भली प्रकार समझने में असमर्थ रहते हैं। भारत सरकार के द्वारा किये गये पयवेक्षण के फलस्वरूप शत टुन्ना है कि चावलों की बिक्री में किसानों को एक रुपये के माल के बदले में सवा आठ आने तथा गेहूँ की बिक्री में पीने दस आने मिलते हैं। ऐसी हालत में हम कल्पना कर सकते हैं कि किसानों को अपने माल का कितना उचित मूल्य मिलता है।

(४) मंडी की लागत और अधिकार — किसान को अपनी फसल आडतियों के हाथ बेचते समय बहुत से कर देने पड़ते हैं। जैसे तोलने वाले की मजदूरी, पल्लेदार का व्यय आदि इसके अनिश्चित मण्डियों में बहुत सी समस्याएँ होती हैं चौकीदार, भगी, ब्राह्मण इत्यादि। धर्म के नाम पर मण्डियों के लिए भी कर किसानों से लिया जाता है। नमूने के रूप में माल लेकर उसका न तो वारिस ही किया जाता है और न ही उसका मूल्य चुकाया जाता है। दाही कृषि अयोग ने १९२८ में बताया था कि खान देश में कपास की बिक्री के समय प्रति गाँड़ी के पीछे ५ या ८ सेर तक टर्ई नमूने के रूप में ले ली जाती है।

(५) तोल तथा बाटो में भिन्नता — भारत में बाटो की भिन्नता अधिक पाई जाती है। कानपुर में क्वाम के लिये ०३ पौंड का मन पाया जाता है यही नहीं बाट लहड़ी, पन्धर लोहे आदि के टुकड़े के होते हैं। बाटो में गलत होने के साथ साथ यह भी पाया जाता है कि व्यापारी खरीदने और बेचने के अग २ बाटो का प्रयोग करते हैं।

(६) श्रेणी विभाजन का अभाव:— भारत में फसल का विभाजन न होकर अच्छी बुरी फसल ढेर में मिलाकर बेची जाती है इसका बुरा प्रभाव उन पर पड़ता है जिनको फसल अच्छी होती है क्योंकि उनके फसल की कीमत भी खराब फसल से तै की जाती है। बाजार में वस्तुओं के श्रेणीपन के अभाव से किसानों को हानि उठानी पड़ती है। आज भी रूई में कई प्रकार की मिलावट तथा पाकी के छोट लमा कर कपास को गीला किया जाता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की कृषि वस्तु का मूल्य बहुत कम मिलता है।

(७) यातायात के साधनों का अभाव एवं असुविधाजनक — गांव में मण्डी तक फसल ले जाने के लिए उत्तम सड़कों का अभाव है अतः कृषि उत्पादन से याता यात में बहुत असुविधा होती है। सड़कों के अभाव में मण्डी तक उपज ले जाने में

व्यय अधिक तथा पशुधो को अधिक बूट होता है। अनुमान लगाया गया है कि माल ढाने का खर्चा किसान को मिले मूल्य का २० प्रतिशत तक होता है। उपज की उचित बिक्री के लिए यातायात में उन्नति करना परमावश्यक है जिससे ट्रैक्टर आदि का आना जाना हो सके। रेशो की अधिकता से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है।

(८) मूल्य परिवर्तन की सूचनाओं की दुर्बलता — किसानों की अपेक्षा व्यापारियों को दूर २ के भी बाजार भाव ज्ञात होते हैं। किसान अनपढ़ होने के कारण इस क्षेत्र से अनभिज्ञ होता है। एपी दशा में महाजनो द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही अपनी फसल बेच देनी पड़ती है। जो मूल्य राजकीय पत्रों में प्रकाशित होते हैं उनका सम्भवतः अज्ञान किसान के लिए असम्भव है और किसान की अज्ञानता का महाजन पूरा २ लाभ उठते हैं।

(९) फसल को सुरक्षित रखने के साधनों का अभाव — गाँव में फसल को संग्रह करने के लिये भूमि में गड्ड या मिट्टी की कोठियाँ जिन्हें कुजर-ठेका कहते हैं काम में लाई जाती हैं यह सब मिट्टी की बनी होती है इसलिए सील, कीड़े मकड़ी द्वारा बहुत सी फसल नष्ट हो जाती है। अनुमान लगाया जाता है कि ३ लाख टन गहूँ गाँव में इस प्रकार के संग्रह से नष्ट हो जाता है जिसका मुख्य कारण गोदाम की कमी है।

कृषि उत्पादन विपणन में सुधार के सुझाव

उपरोक्त कथन के अनुसार हमें पता चलता है कि बिक्री की समस्या कितनी जटिल है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जायेगा तब तक किसानों को आर्थिक हालत नहीं सुधर सकती है। इसके लिए निम्नलिखित सुधार आवश्यक हैं —

(१) नियन्त्रित मंडियों की स्थापना — इस प्रकार की मंडियों का जन्म सर्व प्रथम बरार में हुआ पर तु वहाँ इससे कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद मध्यप्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, मैसूर राज्यों ने इस प्रणाली का अपनाया। इन मंडियों की कुछ विशेषताएँ भी हैं — (अ) प्रत्येक मंडी में क्रेता और विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की एक समिति होती है। इनका कार्य होता है कि बाजार में किसी प्रकार की बेइमानी ना हो। यही समिति तोल, माप तथा कटौतियों पर कड़ी दृष्टि रखती है और कृषकों को सब प्रकार की सुविधाएँ पहुँचाकर उनको दलाली से बचाना। (ब) प्रत्येक मंडी के दलालों, मध्यस्थों की समिति द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है ताकि वह किसी अनुचित कार्य पर दण्ड दिया जा सके। (स) समितियाँ मंडी के भण्डो का निपटारा करने का कार्य भी करती हैं।

किन्तु भारत में नियन्त्रित मंडियों से पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका है क्योंकि इसके सफल होने में बड़े बड़े व्यापारियों का हाथ रहता है। दूसरे जनता अभी इनके महत्त्व तथा उपयोगिता को भली भाँति समझने में अक्षम रही है।

(२) तोल और घाटो में सुधार करना — भिन्न भिन्न स्थानों पर तोलने

के बाँट भिन्न हैं तथा ध्यारारी मोल लेते समय दूसरे बाटों से तोलता है और बेचते समय वह दूसरे बाटों का प्रयोग करता है। हमारी राष्ट्रीय सरकार को सभी राज्यों पर कानून द्वारा इस पर नियन्त्रण रखना चाहिये।

(३) कृषि उत्पादन का श्रेणीबद्ध करना—जैसा कि ऊपर कहा गया था कि कृषि उत्पादन को श्रेणी में नहीं बाटा जाता जिससे ईमानदार कृषकों को काफी हानि होती है। अतः कृषि उत्पादन अधिनियम पास किया गया था जिसने इस क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की। इन अधिनियम के अनुसार विश्वस्त व्यापारियों को लाइसेंस देकर उनको यह अधिकार दिया जाता है कि वह सरकारी मार्केटिंग कर्मचारियों के निरीक्षण में कृषि उत्पादनों का वर्गीकरण करें। तब ऐसे उत्पादन (प्रागमाक) को केवल बाजार में बिकने को भेज दिया जाता है। इसके विकास से भारत को काफी लाभ होगा।

(४) बाजार भावों की सूचना सम्बन्धी योजनाएँ—शाही कृषि आयोग और केन्द्रीय बिक्री विभाग के भिन्न २ अनुसन्धानों ने यह अनुभव किया कि सभी मण्डियों में भावों की दरों में सामंजस्य नहीं है। इसीलिए भारत के सभी रेडियो स्टेशन से भिन्न वस्तुओं के दाम प्रसारित किये जाने हैं। दूसरे समाचार पत्रों में भी इनको प्रकाशित किया जाता है जिनमें अभी अधिक कृषकों को तो नही लाभ पहुँचा है परन्तु प्राज्ञा की जाती है कि इससे भावों का ज्ञान किसानों को भली प्रकार हो जायेगा।

(५) गोदामों की सुविधाएँ—गोदामों के न होने से जो हानि होती है उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसलिये गाँवों अथवा मण्डियों में उत्तम प्रकार के गोदाम बनाना बहुत आवश्यक है। यह गोदाम व्यक्तिगत सन्ध्याओं द्वारा बनवाने चाहिए या सरकार द्वारा दकर इस कार्य को पूर्ण कराये इसकी सुविधाओं के प्राप्त होने से देश एवं कृषक दोनों को ही लाभ होगा।

(६) यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास—फसल को मण्डियों तक ले जाने के लिए यातायात के साधनों की उत्पत्ति करना परम आवश्यक है। इसलिये राजकीय और केन्द्रीय सरकारों को गाँव से मण्डी तक पक्की सड़कों का निर्माण करना चाहिए। इसके अनिर्वक किसानों को गाँवियों में खड के पहिए लगाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी प्रकार रेल और जहाजी कम्पनियों द्वारा लिए जाने वाले भाडे में समानता होनी चाहिए तथा शीघ्र गड होने वाली वस्तुओं के यातायात के लिये रेलों में विशेष प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिए। हमारी भारत सरकार इस ओर कार्फ ध्यान दे रही है और प्रयत्नशील भी है।

(७) सहकारी समितियों द्वारा वस्तु विक्रय—इस प्रकार की समितियों की स्थापना बुराईयों को दूर करने के हेतु की जानी चाहिए जिनके कार्य निम्नलिखित होने चाहिए। (अ) कृषि उत्पादनों को खरीदने और बेचने का कार्य। (ब) कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उत्पादन और विक्रय का कार्य। (स) माल को लेकर वर्गीकरण तथा प्रमाणीकरण करना आदि (द) गोदामों आदि का निर्माण करना। इन सभी

तियों के विकास में अनेक कठिनाइयां हैं। निजी व्यापारी वर्ग इसका विरोधी है और इन्हें असफल बनाने की हर प्रकार से चेष्टा करता है।

प्रश्न २७—भारतीय प्रामाण्य अर्थ व्यवस्था में सहकारी बिक्री प्रथा का क्या महत्व है। इस प्रथा को फैलाने और अधिक सफल बनाने में क्या कठिनाइयां हैं? उनको दूर करने के उपाय बताइये। (आगरा ५७, लखनऊ ४८)

What is the significance of co-operative Marketing in our rural economy? What are difficulties in making it more successful and popular. Give your suggestions to remove these difficulties. (Agra 57, Lucknow 48)

उत्तर—वर्तमान कृषि विपणन प्रणाली की सभी वुराइयों के लिए एक मात्र औपचि सहकारी बिक्री है क्योंकि उत्पादक अलग अलग अपना सामान बेचते हैं तो उन्हें अपने माल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। यदि उत्पादन वर्त्ता सहकारी समिति द्वारा सामूहिक रूप से विपणन करें तो बहुत से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और समस्त शोषण से बच सकते हैं। इस सम्बन्ध में शाही कृषि आयोग ने लिखा है कि अलग अलग बिक्री करने की अपेक्षा सहकारी बिक्री अधिक कुशल होती है। और मुख्य रूप से उन दशाओं में जो भारत में पाई जाती हैं इसलिए यहाँ सहकारी बिक्री समितियाँ स्थापित होनी चाहियें जो अधिक मात्रा में उपज एकत्रित करके श्रेणी विभाजन योग्य बनायें। ऐसी समितियाँ उत्पादकों को भारतीय उपभोक्ताओं और विदेशी बाजारों के सम्पर्क में लायेंगी। बहुउद्देशीय सहकारी योजनाओं से भी विक्रय में बानी सहयोग मिलता है अतः इनका बहुत अधिक महत्व है।

इस महत्व को ध्यान में रखते हुए ही प्रारम्भिक समितियों के ऊपर केन्द्रीय विक्रय सघ की स्थापना की गई है जो कृषि उत्पत्ति व अन्य वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। सबसे ऊपर प्रदेशीय विक्री सघों की स्थापना की गई है जो स्वयं भी क्रय विक्रय करते हैं तथा राज्य भर के केन्द्रीय सघों और प्रारम्भिक समितियों को ऋण देते हैं तथा अन्य प्रकार की भी सहायता देते हैं और उन पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं।

सहकारी वितरण से बहुत से लाभ हैं। एक तो इन समितियों के स्थापित होने से उत्पादक और उपभोक्ता के बीच के सारे मध्यस्थ समाप्त हो जाते हैं। किसान अपना माल सामूहिक रूप से बेचकर बहुत सी क्लिफायट कर लेते हैं। समितियों द्वारा माल के श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण करने से उपभोक्ता को भी अधिक लाभ होता है। यातायात की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। माल समितियों द्वारा खरीद लिया जाने से उसे अनुकूल समय पर बेचा जाता है। इससे किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलता है। सहकारी बिक्री समितियाँ पर्याप्त विज्ञापन एवं प्रचार भी कर सकती हैं जो किसान के लिये असम्भव है। अनियमित बटौतियाँ भी समाप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी बिक्री समितियाँ माल को सुरक्षित रखने के लिये अपने गोदाम का भी निर्माण कर सकती हैं जो किसान नती

बना सकता। इसके अतिरिक्त जो इन समितियों का महत्व बढ़ाता है वह व्यर्थ है। ऋण देना जिसके द्वारा किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति करके अपने माल को अधिक समय तक रोकने में समर्थ हो सकता है और साथ ही महाजन के चंगुल से भी बच सकता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर उन्हें उचित सलाह देकर व्यापारियों की धोखेबाजी से भी बचाती हैं। समितियों द्वारा उत्पादकों की माल बेचने की शक्ति तथा समय की काफी बचत हो जाती है।

वस्तुतः सहकारिता बिक्री के इन लाभों एवं महत्व को सभी सम्मत् सरकारों ने माना एवं समझा है और प्रत्येक देश में इन्होंने पर्याप्त और सराहनीय कार्य किया है। उपरोक्त विवरण के महत्व को समझते हुये बम्बई, गुजरात, खानदेश आदि स्थानों पर इनकी स्थापना की गई और इनको अपने काम में विशेष सफलता प्राप्त भी हुई। बम्बई राज्य में तम्बाकू, फण, शाक, लाल मिर्च, चावल तथा प्याज इत्यादि की बिक्री के लिये भी सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की गई। पंजाब, मद्रास में भी इस आन्दोलन ने सराहनीय कार्य किया है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य ने भी इनके महत्व को भली भाँति समझा है और अपने यहाँ गन्नों की बिक्री के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश में १० वर्षों में लगभग १६००० गन्ना सहकारी समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं। अतएव उपरोक्त विवरण से इसकी महत्ता पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। पर इसकी प्रगति में कुछ कठिनाइयाँ हैं।

सहकारी बिक्री प्रथा की सफलता में कठिनाइयाँ—भारत में कृषि पदार्थों की बिक्री की समस्या का एकमात्र सुगम उपाय सहकारी बिक्री प्रथा ही हो सकती है किन्तु सहकारी बिक्री प्रथा की सफलता तथा लोकप्रियता में अनेक बाधाएँ हैं। निम्नलिखित विवेचन में हम इन्हीं कठिनाइयों का उल्लेख करेंगे—

(१) दोषपूर्ण साख व्यवस्था—सहकारी बिक्री प्रथा की असफलता का एक मुख्य कारण हमारी दोषपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था है। भारतीय किसान को आज भी अपनी साख सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए गाँव के महाजन अथवा आदतिए पर बहुत कुछ निर्भर रहना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि फसल की बिक्री के विषय में भी किसान को उन्हीं पर निर्भर होना पड़ता है। वह इच्छा रखते हुये भी सहकारी बिक्री समिति की सवाग्रों का लाभ नहीं उठा सकता।

(२) मोदामों की सुविधाओं का अभाव—भातीय किसान के पास न तो अनाज को सग्रह करके रखने के लिये निजी साधन हैं और न उसमें अधिक समय तक अनाज को रोकने रखने की क्षमता है। अतएव अनाज की मोदामों आदि की पूरी तरह से व्यवस्था अभी तक नहीं की जा सकी है। रुपये की आवश्यकता तथा सग्रह करने की सुविधाओं के अभाव में किसान को विवश होकर अपनी फसल शीघ्र अति शीघ्र बिक्री अथवा मंडी में आदतियों के हाथ बेचनी पड़ती है जो उसकी विवेकता का पूरा २ लाभ उठाता है।

(३) फसल को श्रेणियों में छांटने की कठिनाई—किसान अपनी फसल का अच्छी से अच्छी मूल्य तभी प्राप्त कर सकता है जब उसकी फसल को उचित

ढग से छानबीन कर साफ किया गया हो और उसे श्रेणियों के अनुसार छांट दिया जाए। छान बीन कर साफ करने तथा वैज्ञानिक ढग से फसल की श्रेणिया बनाने की विधि का भारत में समुचित रूप से विकास नहीं हुआ है और न ही यह सुविधायें व्यापक रूप से भारतीय किसान को उपलब्ध हैं। इसलिये फसल की बिक्री की व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता और सहकारी बिक्री प्रथा पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती।

(४) कर्मचारियों में शिक्षा, अनुभव, टैकनीकल ज्ञान तथा सच्चाई का अभाव.—सहकारी बिक्री समितियों की असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इनके कार्यकर्ता तथा कर्मचारी न तो भली भाँति शिक्षित होते हैं और न उन्हें सहकारी पद्धति का विशेष अनुभव होता है इसके अतिरिक्त बहुधा उनमें सच्चाई और ईमानदारी का भी अभाव देखने को मिलता है।

(५) निजी व्यापारी वर्ग की विरोधपूर्ण नीति—लगभग सभी स्थानों पर फसल तथा अनाज की षडियों में काम करने वाला निजी व्यापारी वर्ग सहकारी बिक्री प्रथा का स्वागत नहीं करता वरन् उसका विरोध करता है और हर भाँति उसे असफल बनाने की चेष्टा करता है क्योंकि सहकारी बिक्री प्रथा की सफलता से उसे मनमानी करने के अवसर नहीं मिल सकते।

सहकारी बिक्री प्रथा को सफल बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाये गये कदम :—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण (All India Rural Credit Survey) का आयोजन किया था उसकी रिपोर्ट में सहकारी बिक्री प्रथा को सफल बनाने के विषय में कुछ महत्व पूर्ण सुझाव दिये गये हैं। भारत सरकार ने उन्हीं सुझावों के अनुसार कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इन सुझावों में से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :—

(१) सहकारी विकास की एक ऐसी योजना बनाना जिसमें साख, फसल की बिक्री, उमकी सफाई तथा छांट और गोदामों की सुविधाएँ एक ही योजना के अन्तर्गत आ पायें और सम्बन्धित विषयों के रूप में उनपर कार्य किया जा सके।

(२) कृषि साख को फसल की बिक्री से सम्बन्धित करना.—इसका अर्थ यह है कि किसान अपनी फसल के बदले सहकारी साख समिति से ऋण प्राप्त कर सके अथवा अपनी फसल सहकारी समिति को बिक्री के हेतु सुपुर्द करदे जो उमकी बिक्री की व्यवस्था करके उस में से किसान के ऋण का भुगतान कराने के बाद शेष धन किसान को दे दे। इस प्रकार फसल की बिक्री के लिये किसान को महाजन अथवा आड़ती पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(३) फसल की सफाई तथा छानबीन का सहकारी ढग से विकास—जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है फसल को वैज्ञानिक ढग से साफ काके तथा उसकी श्रेणिया (Grading) बना देने से फसल को अच्छे दामों पर बेचने में सुविधा मिलती है। यह कार्य किसान स्वयं नहीं कर सकता। या तो सरकार इसे अपने हाथ में ले अथवा सहकारिता के आधार पर इसका विकास किया जाय। यही

लिया है किन्तु सरकार इतना अधिक धन नहीं प्रदान कर सकती कि सारा कार्य उसी के सहारे चल सके। किसान को पूरी तरह सरकारी सहायता पर निर्भर रहने की अपेक्षा आत्म निर्भर होना पड़ेगा। जब तक सहकारी समितियाँ अपने निजी माधनों से पूँजी उपलब्ध नहीं करती उस समय तक समस्या का स्थायी तथा वास्तविक समाधान नहीं हो सकता। किसानों का अपनी वचत तथा पूँजी को सहकारी समितियों में लगाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए और उनमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देना चाहिए कि वे सहकारी मिति को सरकार का बैंक न समझकर अपना बैंक समझें जिसके वे स्वयं मालिक तथा हिस्सेदार हैं।

अतः हम यह कह सकते हैं कि भारतीय किसानों की आर्थिक समस्याओं का एक मात्र समाधान फसल की विक्री प्रथा में सुधार के द्वारा ही हो सकता है तब कि किसान को अपनी फसल का पूरा मूल्य मिल सके और इसके लिए सहकारी विक्री प्रथा ही सर्वोत्तम है।

आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा केरल राज्य को मिलाकर एक चांगन वाला क्षेत्र बना दिया गया है।

अनाज जाच समिति (Food grains Enquiry Committee)—
 १४ जून १९५७ को भारत सरकार ने अनाज जाच समिति की नियुक्ति की जिसका कार्य उन उपायों की खोज करना था जिनके द्वारा अनाज के मूल्यों को होने वाली वृद्धि को रोकना, अनाज के सट्टे को रोकना तथा इस समस्या का स्थाई समाधान बताना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट १६ नवम्बर १९५७ को प्रकाशित की। इसमें सुझावों आदि के लिये प्रश्न २६ के उत्तर को अवश्य पढ़िये।

प्रश्न २६—अनाज के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने तथा खाद्य स्थिति को नियन्त्रण में खने के लिये भारत सरकार ने गन वर्षों में क्या कदम उठाये हैं? इस सम्बन्ध में अनाज जाच समिति की सिफारिशों पर विशेष रूप से प्रकाश डालिये।

What steps have been taken by the government of India in recent years to check the upward tendency of foodgrains prices and to regulate the food problem? In this connection examine the main recommendations of the foodgrains Enquiry committee of 1957

उत्तर—गतवर्षों के अनुभव से हमें विदित होता है कि एक ओर तो पंचवर्षीय योजनाओं के कारण देश में अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है और दूसरी ओर अनाज के भाव निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण देश के सामने खाद्य समस्या एक गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। महंगे भाव पर अनाज के विक्रम से देश की गरीब जन संख्या को बड़ी अमुविधा तथा कठिनाई उठानी पड़ती है और सरकार को विदेशों से अधिक मात्रा में अनाज मगाना पड़ता है। कारण यह है कि अनाज के भाव में वृद्धि होना इस बात का संकेत है कि देश में अनाज की कमी है। यदि देश में अनाज की कमी है तो उसे विदेशों पर निर्भर हुये बिना किस प्रकार दूर किया जा सकता है और यदि कमी नहीं है तो अनाज के भाव में निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं इन्हीं सब बातों की जाच करने के लिये २४ जून १९५७ को भारत सरकार ने अनाज जाच समिति की नियुक्ति की थी जिसने अपनी रिपोर्ट १६ नवम्बर १९५७ को प्रकाशित की थी।

समिति ने पिछले कुछ वर्षों में पाई जाने वाली भारत की खाद्य स्थिति की समीक्षा करते हुये तथा सरकार द्वारा अनाज के वितरण, उत्पादन तथा मूल्यों की दिशा में उठाये गये कदमों की विवेचना भी की है। महत्व पूर्ण बात यह है कि समिति ने इस बात का भी संकेत किया है कि अगले कुछ वर्षों में भारत की खाद्य स्थिति तथा अनाज के मूल्यों की क्या प्रवृत्ति होगी।

समिति के अनुसार अनाज के व्यापार में सट्टे की प्रवृत्तियों के कारण अनाज को दाब कर रखने (Hoarding) के प्रयत्न किये जाते हैं। ऐसा होने से अनाज

के मूल्य तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं और सरकार को अनाज के एक भाग में दूसरे भाग में ले जाने पर नियन्त्रण करना पड़ना तथा जो भंडार सुरक्षित रखे गए हैं उनमें से विभिन्न राज्यों को अनाज प्रदान करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप अनाज की दुकानें खोलने, सहकारी उपभोक्ता भंडार तथा मिल मालिकों के संगठनों की सहायता से अनाज के वितरण की व्यवस्था की जाती है। वास्तव में यह उपाय तत्कालिक है और अधिक काल तक नहीं चल सकता। स्थायी रूप से राशन व्यवस्था लागू कर देना अथवा विदेशों से अनाज मगाने रहना सम्भव नहीं है क्योंकि एव और ती राशन व्यवस्था उचित नहीं है और दूसरी ओर भारी मात्रा में अनाज बाहर में मगाने में देश के भुगतान सम्बलन में गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है। भारत के सामन विदेशी भुगतान की समस्या है जिसके कारण दूसरी पंचवर्षीय योजना की यथनता में संदेह उत्पन्न हो गया है और सरकार के सामन यह प्रश्न है कि विदेशी मूद्रा की कमी के कारण योजनाओं में किस प्रकार से कमी की जाय। भारी मात्रा में अनाज विदेशों से आयात करने का परिणाम यह होगा कि विदेशी भुगतान की स्थिति और अधिक बिगड़ जायगी और सम्भव है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में मूल परिवर्तन करने पड़ें। यदि ऐसा हुआ और योजना अयफल हुई तो यह भारत के लिये एक भारी दुर्भाग्य का विषय होगा जिसके लिये देश कदापि तैयार नहीं है। इस लिये यह अनिवार्य हो गया है कि अनाज के उत्पादन उसके वितरण तथा मूल्यों की समस्या का कोई समाधान देश के अन्दर ही निकाला जाय और यथासम्भव विदेशों से अनाज न मगाना पड़े। अनाज के भावों में अधिक वृद्धि होना उपभोक्ताओं की दृष्टि से हानिकारक है और उनमें भारी कमी होना किसानों की दृष्टि से हानिकारक है। यह दोनों ही प्रवृत्तियों देश तथा सरकार को दृष्टि से हमारी साथ स्थिति के असन्तुलित हान का स्रोत मात्र हैं।

अनाज जाच समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि अनाज के भावों की अस्थिरता अगले कुछ वर्षों तक बनी रहेगी। विशेष प्रयत्न के द्वारा कवल यात्रा का असमानताओं को एक निश्चित सीमा तक कम किया जा सकता है। उनमें समन्वय नहीं किया जा सकता। इसके लिये समिति ने सुझाव दिया है कि एक व्यापक अधिकारों वाला मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड (Price Stabilization Board) की स्थापना की जाय जिसका उद्देश्य अनाज के मूल्यों को स्थिर करने का योजना तैयार करना हो। दूसरे अनाज स्थिरीकरण संस्था (Foodgrains Stabilization Organisation) का स्थापना की जाय जिसका उद्देश्य उस नीति तथा योजना का कार्यान्वयन करना है जो मूल्य स्थिरीकरण बांड द्वारा निर्धारित की जाय। विशेषकर वह नीति तथा योजनाएँ जिनका सम्बन्ध अनाज के क्रय विक्रय से है।

अनाज के वितरण तथा व्यापार की समस्याओं के विषय में अल्पकालीन उपायों का उल्लेख करते हुए समिति ने सुझाव दिया है कि यह कार्य मुख्य रूप से सस्ते अनाज की दुकानों तथा सहकारी उपभोक्ता भंडारों के द्वारा किया जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि अनाज का व्यापार करने वाले व्यापारियों तथा सट्टेबाजों में जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसे दूर करना परम आवश्यक है। सत्कारी दुकानों तथा

मद्रासी समिति को के द्वारा अनाज के वितरण से यह प्रवृत्ति रोकी जा सकती है जैसा कि अंतर्मात्र ममग में सरकार को करना पड़ता है।

देश के कमरे वाले क्षेत्रों के विषय में समिति ने सुझाव दिया है कि यहाँ क लोग गरीब होने के कारण मद्र के भावों का अनाज खरीदने की क्षमता नहीं रखते। इन क्षेत्रों में बम्बई राज्य के उत्तरी जिलों में लेकर आसाम के पूर्वी जिलों तक तथा राजस्थान मध्य प्रदेश उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार तथा पश्चिमी बंगाल को सम्मिलित किया गया है। खाद्य समस्या इन क्षेत्रों में अधिक भयंकर रूप धारण करती है। इन क्षेत्रों में खाद्यसमस्या के समाधान के लिये यह आवश्यक है कि सिंचाई की अधिक सुविधाय प्रदान की जाये, बाढ़ पर नियंत्रण किया जाये तथा जनता को ग्राम उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के द्वारा रोजगार की सुविधाएँ प्रदान की जाये।

विकास की योजनाएँ

समिति अन्न उपायो आन्दोलन' के अन्तर्गत दो प्रकार की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रथम योजनाएँ वे हैं जिनमें कुओं की मरम्मत, तालाब, छोटे बाध तथा बिजली के कुएँ आदि बनाना और वज्र भूमि को खेती योग्य बनाना सम्मिलित है। दूसरी भाग में वे हानि में रसायनिक तथा अन्य प्रकार की खाद तथा बीज का वितरण सम्मिलित है। दूसरे नब्बों में एक और सिंचाई की योजनाएँ और दूसरी ओर खाद तथा बीज के वितरण की योजनाएँ हैं जिनके द्वारा अनाज के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा सकता है। १९५७-५८ में २५.६७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जिसमें से राज्य सरकारों को २२.६८ करोड़ रुपये केन्द्र से ऋण के रूप में तथा २.०२ कोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिये गए। इन योजनाओं में जो कार्य हुआ उसका विवरण इस प्रकार है—

छोटी सिंचाई योजनाएँ. — १९५७—५८ में नये तथा पुराने २८१३७ कुएँ तथा ३२० तालाब बनाये जाने थे ध्येयवा उनकी मरम्मत होनी थी और अनुमान लगाया गया कि इनसे १७३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसके अतिरिक्त १३ हजार नल स्टैंड तथा पंपिंग स्ट्रीट्स के द्वारा १३८ लाख एकड़ भूमि की अधिक सिंचाई हो सकेगी। राज्य सरकारों ने सिंचाई की जो अन्य छोटी योजनाएँ चालू कर रखी हैं उनमें ४४.१० लाख एकड़ अन्य भूमि सींची जा सकेगी।

नवम्बर १९७४ अन्त तक भारत अमेरिका सहयोगिता कार्य क्रम के अधीन २६५० बिजली के कुओं (Tub wells) का निर्माण हो चुका था। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत जो बिजली के कुएँ लगने थे उनमें से ६०६ कुएँ पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में और ६०० कुएँ उत्तर गुजरात में लगाये गये। इस प्रकार छोटी सिंचाई योजनाओं से कुल मिलाकर ६२ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी।

अन्न भंडार परियोजनाएँ — १९५७—५८ में मध्य प्रदेश आसाम तथा बिहार राज्यों में केन्द्रीय ट्रिबलर सस्था द्वारा ६६२४६ एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया

गया। इस प्रकार १९४८ से अब तक इन मध्या द्वारा लगभग १६ लाख एकड़ वनर भूमि को खेती योग्य बनाया जा चुका है।

खाद व वितरण — १९५६-५७ में १९८ लाख टन कम्पोस्ट खाद का वितरण किया गया जबकि १९५५-५६ में १७६ लाख टन कम्पोस्ट खाद का वितरण किया गया था। इसी प्रकार १९५६ में देश में ६६ लाख टन अमोनियम सल्फेट नामक रसायनिक खाद का प्रयोग किया गया और १९७७ में ७०० लाख टन रसायनिक खाद वितरण के लिए उपलब्ध थी।

उत्तम बीज का वितरण — १९५७-५८ में राज्य सरकारों द्वारा १११६ बीज के फॉर्म (Seed Forms) स्थापित करने व लिये भारत सरकार द्वारा २०३ करोड़ रुपये के अनुदान तथा १८४ करोड़ रुपये का ऋण राज्य को दिए गए।

जापानी ढंग से धान की खेती — १९५६-५७ में २३७४ लाख एकड़ भूमि पर जापानी ढंग से खेती की गई जिसके फलस्वरूप धान की औसत उपज १९६ मन प्रति एकड़ हो गई जबकि देशी ढंग से औसत उपज १३३ मन प्रति एकड़ होती है। इस सफलता को देखते हुये १९५७-५८ में ३५ लाख एकड़ भूमि के स्थान पर ६७ लाख एकड़ भूमि पर जापानी ढंग से खेती करने का लक्ष्य रखा गया और दूसरी योजना के अन्त तक ८० लाख एकड़ भूमि पर जापानी ढंग से धान की खेती करने लगेगी।

इस प्रकार यदि अनाज की पैदावार में वृद्धि करने में पर्याप्त सफलता मिली और अनाज के वितरण की उच्च व्यवस्था तथा अनाज के मूल्य पर उचित नियंत्रण रक्खा गया तो हम आशा करते हैं कि पीछे ही भारत की खाद्य समस्या स्वयं को से मुक्त हो सकेगी।

प्रश्न ०— भारत में अक्सर अकाल पड़ने रहने के क्या कारण हैं? इन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं? (आगरा ६५०)

What have been the causes of the frequent outbreak of famines in India? What measures have been adopted to prevent them?

(Agra 65)

उत्तर— भारत अतीत काल से कृषि प्रधान देश रहा है। यातायात एवं सिंचाई के साधनों के अभाव में अकाल अनाज स्वाभाविक ही था। १८ वीं शताब्दी तक अकाल को दैवी प्रकोप समझा जाता था जिसके फलस्वरूप लाखों व्यक्तिना एवं पशुधन का सहार हो जाता था।

अकाल का इतिहास

हिन्दू शासन काल में— हिन्दू काल में भारत में कभी देश व्यापी दुर्भिक्ष नहीं पड़ा। सर्व प्रथम दुर्भिक्ष का प्रकोप ६५० ई० में हुआ। उसके उपरान्त क्रमशः सन् ६१० ई० १०२२ ई० और १८३३ में मयकर दुर्भिक्ष पड़े। इन दुर्भिक्षों का प्रभाव यह हुआ कि लगभग दश मानव से खाली हो गया था।

मुस्लिम शासन काल में— मुस्लिम शासन काल में भी मयकर दुर्भिक्ष पड़े

जिसमें सर्व प्रथम अकाल जो भयंकर था १०२१ में पड़ा था। इसके बाद चार बड़े दुर्भिक्षों का प्रमाण हमका इतिहास में प्राप्त होता है जो क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रथम मुद्गमद तुगलक के शासन काल में (१३४३) द्वितीय, अकबर के शासन काल में जिसका प्रकोप समस्त भारत पर पड़ा। तृतीय शाहजहाँ के शासन काल में १६३०-२१ एवं चौथा औरंगजेब के शासनकाल में। इसके अतिरिक्त भी कई अकाल पड़े परन्तु जिनका प्रकोप समस्त भारत पर नहीं था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में—इस काल में १२ महत्वपूर्ण अकाल पड़े। १८३३ में मद्रास का अकाल बहुत ही भयंकर था। १८३७ में वर्षा के अभाव से जो दुर्भिक्ष पड़ा था उससे सम्बन्धित लार्ड लारस ने उसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि "मैंने अपने जीवन काल में इतना विनाशकारी विध्वंस नहीं देखा है जैसा १८३७ में फैला है।"

अंग्रेजी शासन काल में—१८५८ में भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के अधीन हो गया। इनके शासनकाल में भी कई भीषण अकाल पड़े। परन्तु इसी काल में अकालों से मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा अकाल नीति का निर्धारण हुआ।

(३) बंगाल का अकाल—(१९४३—४४) इसका प्रकोप समीपवर्ती प्रांतों पर भी हुआ। सरकारी अनुमान के अनुसार केवल बंगाल में ही १५ लाख व्यक्तिगणों की मृत्यु हुई थी। द्वितीय महायुद्ध एवं अंग्रेज सरकार की नीतियों के कारण ही भारतीयों को इस दुर्भिक्ष का शिकार होना पड़ा था।

दुर्भिक्षों के कारण—खाद्यान्न की कमी के कारण ही प्रायः दुर्भिक्ष का प्रकोप होता है तथा खाद्यान्न की समृद्धता तब आती है जब वर्षा न हो, खेत सूख जायें, बाढ़ में नष्ट हो जाए इत्यादि। इन कारणों के अनिश्चित भी टिड्डी दल कृषि, रोग, तूफान, ओले युद्ध, लूट, बेकारी आयात में बाधाएँ यातायात के साधनों की कमी आदि कारणों से भी दुर्भिक्षों का शिकार बनना पड़ता है।

भारतीय खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर रहती है। वर्षा के अभाव से खेती का विनाश हो जाता है क्योंकि सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं हैं। दूसरी ओर यदि वर्षा अधिक हो जाय तो भी नष्ट हो जाती है। वर्षा का अनिश्चित काल में होना भी हानिकारक सिद्ध होता है। कई प्रदेशों में जंगलों को काट दिया गया है जिनके कारण बाढ़ का भय सर्वत्र बना रहता है। इसके अतिरिक्त टिड्डी दल के आक्रमण, ओलों का गिरना, खेती को कीड़े लग जाना आदि दुर्भिक्षों को आमंत्रित करते हैं। प्राचीन काल में युद्ध एवं लूट से भी दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। विजयी राज्य विजित प्रदेश की खेती को नष्ट कर डालता था एवं लूट तथा घातक से आर्थिक जीवन विच्छिन्न हो जाता था जिसका परिणाम यह होता था कि लोग भूखो मरने लगते थे। आयात में जब बाधाएँ पड़ जाती हैं तब भी अकाल की सम्भावना तीव्र हो जाती है। जैसा कि द्वितीय महायुद्ध में हुआ था। यातायात के साधनों के अभाव से भी दुर्भिक्षों का प्रकोप अधिक भयंकर हो जाता है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्न ले जाना एक सुगम कार्य नहीं है। और न ही दुर्भिक्ष वाले

प्रदेश में निकल भागना ही मुगम कार्य है जिसके कारण मानव को विवश होकर दुर्भिक्षो का शिकार होना पड़ता है ।

दुर्भिक्ष के निवारण के उपाय—अकाल के कारणों का निवारण कृषि के सर्वाङ्गीण विकास से हो सकता है । ग्राम सुधार की वृहत योजनाएँ ही भारत में अकाल के भूत को सदा के लिए भगा सकती हैं । दुर्भिक्ष से जनता को बचा के लिए कुछ स्थायी सुधारों की आवश्यकता है । यह उपाय निम्नलिखित हैं—

(१) भारतीय कृषि का पुनर्गठन (२) सिंचाई के साधनों का विकास (३) शाद्यान्त पर नियंत्रण (४) अकाल निवारण कोष की स्थापना (५) पौधों की बीमारियों को दूर करना (६) सहकारी समितियों का संगठन (७) टिड्डियों से रक्षा (८) मौसम की भविष्यवाणी (९) मात्सायात के साधनों का विकास (१०) सहायक उद्योगों का विकास (११) सामाजिक कुरीतियाँ एवं अनावश्यक रुढ़ियों का अन्त (१२) कृषकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता को दूर करना इत्यादि ।

अकाल की समस्या का समाधान करने के लिये सर्व प्रथम हमको कृषकों की निर्धनता दूर करनी परम आवश्यक है । किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कृषि को वैज्ञानिक ढंग से करना होगा । इसके अतिरिक्त सहायक उद्योगों के विकास से कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है । सहकारिता का विकास समुचित मात्रा में होना चाहिये ताकि कृषकों की विक्रय समस्या, धन व्यवस्था आदि अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान मुगमता से हो जाये । सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये हमको सपाज सुधार आन्दोलन का सहारा लेना पड़ेगा । सिंचाई के साधनों का विकास भूमि की स्थिति को सुधारने के लिये चबवदी करना भी परम आवश्यक है । भारत में एक ऐसा कोष स्थापित किया जाये जिसमें से अकाल के समय धन निकाल कर खर्च किया जा सके विज्ञान द्वारा टिड्डियों में खेत की रक्षा होनी चाहिये । यदि मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणियों में उन्नति की जा सके तो विपरीत मौसम का प्रवध उसके आने से पूर्व ही किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण उपाय है वह यह है कि किसानों को शिक्षित किया जाये जिससे वह अज्ञान के अन्धकार में से निकल सके । उपरोक्त प्रयत्नों से कृषकों की आर्थिक उन्नति होकर अन्धों से रक्षा की जा सकती है । डा० राधाकमल मुखर्जी के अनुसार ' भारतीय अकाल समस्या का प्रश्न इन गम्भीर भयानक परिस्थितियों से सम्बन्धित है, जिनके अन्तर्गत वर्षा का अभाव, साधनों की कमी, अपव्यय, भू-व्यवस्था और दुर्बल आर्थिक संगठन है । इसलिए कोई भी एक कारण अकाल के लिये जिम्मेदार नहीं है । ये सब व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में भारतीय भूमि पर किसान के लिए अकाल का आगमन कराते हैं । "

उपचार सम्बन्धी नीति का विकास—प्राचीन हिन्दू काल में अकाल निवारण को कोई स्थायी नीति नहीं थी । जैसे राजाओं ने अकाल के समय जनता की पूर्ण सहायता की और इस प्रकार से बचाने का प्रयत्न किया । मुस्लिम शासकों ने भी इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में भीषण

दुर्भिक्षो से जनता अपनी रक्षा न कर सकी क्योंकि कम्पनी की नीति थी भारतीयों का शोषण करना । १६ वीं शताब्दी में इसने जनता की रक्षा के लिए धन बटवाया एवं मडको का निर्माण करवाया । उसके बाद भारतीय शासन प्रॉन्जे सुम्राट के आधीन हो गया । उड़ीसा के १८६५ के अकाल का मुकाबला करने के लिए राज्य द्वारा सर्व प्रथम संगठित प्रयत्न किया गया । सर रिचार्ड स्ट्रैची (Sir Richard Strachey) की अध्यक्षता में कमीशन नियुक्त किया गया जिसने निम्नलिखित सिद्धान्त पेश किये —

(१) स्वस्थ व्यक्तियों को अकाल काल में उचित वेतन पर काम दिया जाय । (२) निबल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाये । (३) खाद्यान्न वितरण की अच्छी व्यवस्था की जाये । (४) फसल नष्ट हो जाने की दशा में लगान माफ़ कर दिया जाये ।

१८६६-६७ के दुर्भिक्ष में इन सिद्धान्तों को परिणत किया गया और बाद में अनुभव से उपरोक्त सिद्धान्तों में परिवर्तन किया गया । १८८३ में सरकार ने हर साल बजट में १५ करोड़ रुपये अकाल निवारण के लिए मजूर करना स्वीकार कर लिया । १८६८ में सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त हुआ जिसने मुख्य रूप से पहाड़ी लोगों और जुलाहों की सहायता के लिए सुझाव दिया था ।

१९०१ में सर मैकड नल की अध्यक्षता में १८६६ के भीषण अकाल के बाद एक कमीशन नियुक्त हुआ । इस कमीशन ने धैर्य से कार्य करने की एवं भारतीयों के आत्मनिर्भरता पर अधिक जोर दिया । इसकी सिफारिश के अनुसार तत्कालीन ऋण दिये जायें अकाल काल में लगान में छूट दी जाये पशुओं के लिये चारे की उचित व्यवस्था की जाये सहकारी समितियों की स्थापना की जाये, आदि इन सुझावों के अनुसार सरकार ने अकाल निवारण के लिये काफी प्रयत्न किये ।

१९४३-४४ के बंगाल अकाल के बाद सर जस जुडहेड की अध्यक्षता में अयोग की नियुक्ति हुई । इन्होंने भी अनेक प्रकार के सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं । (१) अधिक अन्न उपजाओ योजना चालू की जाए । (२) अनाज का आयाज किया जाय । (३) खाद्य नियंत्रण रखा जाये । (४) भोजन में पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाये । (५) कृषि का विकास किया जाये । (६) खाद्य वितरण ठीक से होना चाहिए । (७) भारतीय खाद्य परिषद् एवं क्षेत्रीय खाद्य परिषद् की स्थापना की जाए । (८) अनाज पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए । (९) परिवार नियोजन की योजना चालू की जाए । सरकार ने उपरोक्त सभी सुझावों को स्वीकार कर एक अशीर्षक नीति अपनाई और भारत को इस भीषण प्रकोप से बचाने का भरसक प्रयत्न किया ।

इसके अतिरिक्त १९०० में भारतीय दुर्भिक्ष ट्रस्ट की स्थापना की गई । १९१६ के दानून के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को दुर्भिक्ष निवारण कोष की स्थापना का आदेश दिया गया । १९३५ के पश्चात् भी प्रान्तीय सरकारों ने इस हेतु नवीन

दोषों की स्थापना की। हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष की भी स्थापना की है जिसके धन से सब प्रकार की सहायता दी जाती है।

सरकार की वर्तमान नीति—हमारी राष्ट्रीय सरकार ने दुर्भिक्ष प्रकोप को दूर करने के लिए कृषि के पुनर्गठन पर अधिक जोर दिया है। इस समस्या के समाधान के लिए पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान दिया गया है। देश में सिंचाई साधनों का विकास हो रहा है। बाढ़ों के प्रकोप को रोकने के लिए नहरों का निर्माण जोरों पर है। टिड्डी दंग से कृषि को बचाने के हेतु राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण संस्था स्थापित की गई है जिसका कार्य टिड्डों के आक्रमण से खेतों की रक्षा करना है। खाद्यान्न की कमी को देख कर सरकार सरकारी दूकानों खुलवा देती है जहाँ पर जनता को उचित कीमत पर अनाज मिलता है। अन्न की कमी को दूर करने के लिए एक अन्न भण्डार स्थापित हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार के पास इस प्रकोप के निवारण के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं। सरकार अकाल निवारण दो प्रकार से करती है। प्रथम तत्कालीन सहायता, दूसरी दीर्घकालीन सहायता। दोनों प्रकार की सहायता हमारी राष्ट्र सरकार दुर्भिक्ष काल में देती है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि अकाल निवारण की वर्तमान नीति में सरकार को सफलता मिली है। हमारी सरकार ने १० वर्ष में ही खाद्यान्न की समस्या का समाधान कर लिया है। सरकार की वर्तमान नीति तथा सदप्रयत्नों के कारण और पंचवर्षीय योजनाओं के सफल हो जाने पर दुर्भिक्ष की समस्या का अंत हो जाएगा।



अध्याय ६

भू-स्वामित्व प्रणाली

प्रश्न ३१—भारत में विभिन्न भू-स्वामित्व प्रणालियों पर प्रकाश डालिए। एक अच्छी भू-स्वामित्व प्रणाली में क्या विशेषताएँ होनी चाहियें। (राजपूताना ५६)

What are the various Land Tenure Systems found in India ?
What should be features of a good Land Tenure System?

(Rajputana 56,

उत्तर—भारत में मानगुजारी प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से है। हिन्दू शासन काल में भूमि पर गांव वालों का अधिकार होता था और समस्त भूमि राजा की मानी जाती थी। किसान राजा को उपज का कुछ भाग कर रूप में देता था। जब यहाँ मुसलमानों की सत्ता स्थापित हुई तो उन्होंने भी इस दिशा में अपने क्रियात्मक कदम उठाये। मुगल काल में स्थिति बदल गई। किसान ही भूमि का स्वामी बन गया। जब तक किसान खेती करता था उसे बेदखल नहीं किया जा सकता था। सम्राट अकबर के माल मन्त्री राजा टोडरमल ने विशेष काय किया था। भूमिकर किसानों से सीधा लिया जाता था। कर १० बप के लिए निर्धारित कर दिया गया था। राजा टोडरमल की व्यवस्था बहुत ही प्रसिद्ध थी और वह आज भी भारतीय भूमि व्यवस्था की आधार शिला बनी हुई है।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में शासन सत्ता आने से मालगुजारी प्रथा में काफी परिवर्तन किया गया। इस समय सरकार द्वारा भूमि कबन्धेवस्त का प्रबन्ध किया गया। मालगुजारी की दर निश्चित कर दी गई। अब राज्य भूमि का सबसे बड़ा स्वामी होता था। अतः हम भारत में प्रचलित मालगुजारी की वर्तमान प्रणालियों पद्धतियों पर प्रकाश डालेंगे।

भूमिस्वामित्व प्रणालियाँ—भारतवर्ष में भूमि स्वामित्व की तीन प्रथाएँ प्रचलित रही हैं जमींदारी, रयतवारी, और महालवारी। जिससे कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और समृद्धि भूमि स्वामित्व की प्रणाली पर निर्भर होती है। उपरोक्त प्रणालियों पर अब हम अलग २ विचार करेंगे।

(१) जमींदारी—इस प्रथा का उदय १८वीं शताब्दी के अन्त और १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ। वैसे यह प्रथा मुसलमानों के शासन काल में भी प्रचलित थी। उस समय शासक किसी बड़े जमींदार से भूमि लेकर खेती करते थे। जमींदारों ने मुगल साम्राज्य के पतन से लाभ उठाकर अपनी स्थिति और भी मजबूत करती थी। जमींदार का पूर्ण अधिकार भूमि पर था। वह लगान पर किसानों को

दिया करेये जबतक जमीदार लगान अदा करता रहेगा भूमि का स्वामित्व अधिकार उसका रहेगा। इस प्रथा से काश्तकार पूर्ण रूप से जमीदार के ऊपर निर्भर हो गया।

जस्यदायी वन्दोस्त ३०-४० साल के लिये होता अर्थात् लगान एक बार निश्चिन्त होने के बाद ३० या ४० साल बाद फिर निश्चित किया जाता है। जमीदार, तालुकदार, महलदार या ग्राम, इसमें जमीदार या तालुकदार आदि अपने हिसाब की अथवा गांव वाले मिलकर कुल गांव की मालगुजारी सरकार को चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

(२) स्वयत्तकारी प्रथा—स प्रथा के अन्दर सब प्रकार की भूमि पर सरकार का अधिकार होता है और काश्तकार अपना लगान सीधे सरकार को देता है किसान को अधिकार होता है कि वह चाहे स्वयं खेती करे या किसी दूसरे को दे दे। लगान अदा करते रहने पर उन बदन्दल नहीं किया जा सकता। इस प्रथा के अन्तर्गत सरकार कोई अनुचित अधिकार नहीं रखती। लगान २० या ३० वर्ष के लिये निर्धारित कर दिया जाता है।

सबसे पहले यह प्रथा मद्रास के बड़े महल में प्रारम्भ की गई तथा धीरे-२ प्रान्त के अन्य भागों में भी लागू की गई। इसके बाद सम्पूर्ण प्रान्त में इस प्रथा का प्रचलन हुआ। इस प्रथा की मुख्य विशेषताएं यह हैं। (१) इस प्रथा के अन्तर्गत भूमि अधिकारी को राज्य स्वयं ही अधिकारी बना देता है। इसमें मध्यस्थों को स्थान नहीं मिलता (२) सम्पूर्ण भूमि पर राज्य का ही अधिकार होता है। (३) भूमि के अधिकारी को भूमि बदलने, छोड़ने भूमि को काम में लाने का पूर्ण अधिकार होता है। (४) वह भूमि को जब तक ही रख सकता है जब तक वह लगान अदा करता रहेगा। (५) भूमि का अधिकारी किसी भी समय खेती से त्यागपत्र दे सकता है। (६) भूमि का अधिकारी कृषक को लगान पर वर्ष भर के लिए अपने अधिकार की भूमि दे सकता है। (७) यदि राज्य शेष लगान व तकादी ऋण के चुकाने में भूमि को बेचे तो क्रेता को भूमि का पूरा अधिकार मिल जाता है। (८) मालगुजारी भूमि का लगान माना जाता है कर नहीं। (९) भूमि का प्रत्येक अधिकारी स्वयं ही मालगुजारी देने के लिये उत्तरदायी होता है। (१०) मालगुजारी २० या ३० वर्ष के लिये निश्चित कर दी जाती है।

इसका प्रचलन जब हुआ जब वस्तुओं की कीमतें चढ़ने लगी। मालगुजारी भूमि के अनुसार रुपये में निश्चिन्त की जाती थी, पैदावार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। इसका प्रभाव यह हुआ कि गांव में रुपये के लेन देन करने वालों का महत्व बढ़ने लगा।

(३) मालगुजारी प्रथा—इस प्रथा को पट्टेदारी भी कहते हैं। इस प्रथा का अनुसरण १८१३ में आगरा व अवध में हुआ। इसके अनुसार भूमि पर समस्त कृषकों का समुचित अधिकार होता है। गांव के सभी कृषक सयुक्त रूप से राज्य को भूमि कर देते हैं। जो भूमि पट्टेदार स्वयं जोतते हैं उसे सीर कहते हैं। महालदारी प्रथा

के प्रन्तर्गत भूमि का विभाजन मुख्यतः तीन प्रकार से होता है।

(१) एक तो पैतृक सम्पत्ति वाले गांव। इसके अनुसार भूमि का हिस्सेदार वशानुगत रूप से भूमि का स्वामी होता है। वैसे तो गांव का भूमि पर सम्पूर्ण अधिकार होता है यद्यपि व्यक्तिगत किसान का अधिकार पैतृक होता है।

(२) यह ग्रंपैतृक सम्पत्ति वाले गांव होने हैं। ऐसे स्थानों में भूमि का बटवारा भईचारे के आधार पर या तो बराबर कुपो के आधार पर या हलौ के आधार पर कर लिया जाता है।

(३) वे गांव जिनमें भूमि अधिकार का कोई नियम नहीं होता अपितु जो किसान पहले से जोतता चला आ रहा है उनमें का ही उमें स्वामी मान लिया जाता है और वह उतने ही क्षेत्र का लगान देने के लिये उत्तरदायी होता है।

महालवारी प्रथा में मध्यम्यों की सख्या तो कम रहती है किन्तु गांव की जनता की संयुक्त मान्यता गांव की भूमि में सम्मिलित अधिकार पर आधारित थी। इससे प्राचीन ग्राम समाज द्विभ्र भिन्न हो गए और उनके स्थान पर अव्यवस्थित व्यक्तिवाद में जन्म ले लिया।

ऊपर हमने तीनों प्रणालियों का उल्लेख किया है। अब प्रश्न यह है कि दस की आवश्यकता तथा आर्थिक निर्माण की दृष्टि से किस प्रथा का अनुसरण किया जाये जिससे किसानों की उन्नति हो और साथ ही साथ भूमि एवं राष्ट्र की भी।

अच्छी भू-स्वामित्व प्रथा की विशेषतायें

अच्छी प्रणाली वही होगी जिसमें प्रत्येक किसान का भूमि पर पूरा अधिकार हो चाहे वह उमकी किसी प्रकार प्रयोग में लाए। उसको विश्वास होना चाहिए कि वह अपने परिश्रम के फल का स्वयं भोगी होगा। देश के भिन्न भिन्न भागों के लिए लाभकर खातो के क्षेत्रफल निर्धारित किये जाए। सब किसानों को पस १० एकड़ में कम भूमि नहीं होनी चाहिए और सबके खात लाभकर खाने हों। १० एकड़ के बंद भूमि के बटवारे पर नियन्त्रण लगा दिये जाए क्योंकि भूमि के विभाजन से राष्ट्रीय हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित को भी बल मिलता है जो समाज के लिये अत्यन्त घातक है। देश के किसी भी कृषक को ३० एकड़ से अधिक भूमि रखने का अधिकार न दिया जाय। दूसरे जो भूमि प्रयोग में नहीं लाई गई हो उसका प्रयोग किया जाना चाहिये इससे भूमिहीन किसानों की समस्या का भी समाधान होगा। गांव की जनसख्या एवं खातो की भूमि के अतिरिक्त शेष समस्त भूमि पर समाज का अधिकार हो। गांव समाज को सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा का प्रबन्ध, खेती की उन्नति के लिए चक्रवर्ती, अच्छे बीजों का प्रबन्ध, जानवरों की उन्नति, सहकारी खेती को प्रोत्साहन एवं सामाजिक जीवन की समस्त समस्याओं को सुलभाने का प्रयत्न करना चाहिए। ग्राम समाज को ही मालगुजारी जमा करके सरकार को देनी चाहिए।

भूमि व्यवस्था वह अच्छी मानी जायेगी जिसमें प्रत्येक किसान को अपनी पूर्ण उन्नति करने का अवसर मिल सके। किसानों को शोषण से बचाया जा सके अर्थात् उस

वेदखली का कोई भय न रहे । जब तक किसान के मन में यह विश्वास उत्पन्न नहीं होता कि वह भूमि का स्वामी है और उसे कोई उसके अधिकार से वेदखल नहीं कर सकता उस समय तक उन्नति नहीं हो सकती । इनके साथ लगान की दर भी उचित होनी चाहिये तथा किसान को आवश्यकता पड़ने पर अपनी भूमि को बेचने, रहन रहने अथवा हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए । इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर भूमि कानून पास किए गये हैं और कुछ राज्यों में जमींदारी प्रथा को समाप्त करके नई भूमि व्यवस्था की गई । भूमि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि सरकार खेती की सुधार योजनाओं को प्रोत्साहित कर सके । उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि गांव में सहकारी खेती का प्रबन्ध किया जाये । नई कृषि भूमि पर सरकार स्वयं खेती करे और बाद में उन बड़े बड़े टुकड़ों में सहकारिता के आधार पर बांट दे । सहकारी खेती के भी दो पहलू हैं प्रथम सहकारी सम्मिलित खेती, द्वितीय सहकारी उत्तम ढंग की खेती । अतः भारतीय कृषि उद्योग एवं कृषक की आर्थिक उन्नति की दृष्टि से सहकारी कृषि पद्धति को ही प्रोत्साहन देना अधिक उपयोगी है जिसके आधार पर किसान का निजी भूमि पर स्वामित्व बना रहेगा और उसे सहकारी कृषि के लाभ भी प्राप्त हो सकेंगे ।

प्रश्न ३२— जमींदारी उन्मूलन का किसान के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून की मूल्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । (आगरा १९५३, ४६)

What has been the influence of Zamindari Abolition on the economic life of the cultivator ? Discuss the salient features of the U P Zamindari Abolition Land Reforms Act (Agra 53 49,

उत्तर भारत में जमींदारी उन्मूलन के विषय में अब अर्थशास्त्री राज-नैतिक, व सामाजिक नेताओं और सरकार इत्यादि के बीच में कोई भी विवादास्पद तर्क नहीं है क्योंकि जमींदारी के प्रथा के हाते हुए किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना सम्भव नहीं था । दूसरे महायुद्ध के बाद कृषकों की कुछ स्थिति सभल हो परन्तु जमींदारों ने इन्हे पनपने नहीं दिया । जमींदारों को अपने लगान से मतलब था । इसलिए वे किसानों का शोषण करते थे । लगान के अतिरिक्त वह वेगार, नजराना, शादी कर आदि बहुत सा धन किसानों से वसूल करते थे । इस प्रकार किसान गरीब और ऋण ग्रस्त होता गया । इस प्रकोप से बचने के लिए किसानों ने अपनी जमीन बेची और उस पर भूजद्वारी का धार्थ्य करने लगे । इससे भूमिहीन किसानों की अधिकता हो गई । इससे देश के उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ा । इस प्रथा में होते हुये सरकारी निर्माण कार्य भी तीव्र गति से कार्य नहीं कर सका । मध्यम वर्गीय कारखानों और व्यापारियों की आर्थिक दशा भी खराब रही और इसका प्रभाव देश के व्यापार एवं उद्योग पर भी पड़ा । अर्थात् समस्त समाज पर इस प्रथा का बुरा प्रभाव पड़ा । इसी कारण से अखिल भारतीय कांग्रेस की आर्थिक नीति का जमींदारी उन्मूलन सर्वत्र एक महत्वपूर्ण आधार रहा है ।

१९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने जमींदारी उन्मूलन को अपने आर्थिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बना लिया है और धीरे धीरे समस्त राज्यों में इस नीति को केवल इस ध्येय से अपनाया जा रहा है कि इससे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

जमींदारी प्रथा का अन्त करने के भी पक्ष में थे क्योंकि इससे किसानों का आर्थिक लाभ हुआ है। जमींदारों के शोषण से किसान बच गये और किसान अपनी भूमि पर पूर्ण रुचि से खेती करने का अधिकारी बन गया। जमींदारी प्रथा ने भूमि को चक्रवर्ती में सदैव रोड़े अटकवाये है। यदि जमींदारी प्रथा का अन्त न किया जाता तो भूमि में सुधार नहीं हो सका था। अब खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी, भूमि यात्रना को कार्यान्वित किया जा सकेगा। इन सबसे किसान की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।

जमींदारी प्रथा के समाप्त हो जाने से किसान अपनी भूमि का स्वामी हो गया है। अब उसे बेदवसी का कोई भय नहीं रहा। अब वह पूरी लगन में भूमि को सुधारने तथा पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। किसान जो लगान पहिले जमींदार को देना था उससे कम लगान अब उसे सरकार का देना पड़ता है। इस प्रकार अब उचित लगन (Fair Rent) की व्यवस्था सम्भव हो गई है। भूमि का स्वामी हो जाने से किसान की कर्ज लेने की क्षमता बढ़ गई है। अब वह उत्पादन कार्यों के लिये कम ध्याज पर कर्ज प्राप्त कर सकता है। उस महाजन से छुटकारा पाने में सहायता मिली है। अब किसान अपनी भूमि की जमानत पर सहकारी संस्थाओं तथा भूमि बंधक बैंकों से मुनमता पूर्वक साख प्राप्त कर सकता है। इससे उसकी उत्पादनशीलता में वृद्धि होगी।

भारतीय किसानों की आर्थिक हालत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ है कि अब चक्रवर्ती का कार्य बहुत सुगम हो गया है तथा भूमि सुधार और कृषि उन्नति की योजनाओं को पूरा करने में जो एक बड़ी बाधा थी वह हट गई है, इसका दीर्घकालीन प्रभाव यह होगा कि भारतीय किसान दासता तथा गरीबी के आभङ्गण से मुक्त होकर सुख और शान्ति का जीवन व्यतीत कर सकेगा।

उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून

जमींदारी प्रथा की बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने यू० पी० जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम' पास किया जो १९५१ में अन्तिम रूप से पास करके १९५२ में कार्यान्वित कर दिया गया। इस कानून का बहुत अधिक महत्व है। इसके अनुसार यहां के भूस्वामियों के सभी वय जैसे जमींदारी, तालूकेशर, आदि का अन्त हो गया और अब केवल चार प्रकार के किसान रह गये हैं जिन्हें भूमिधर, सीरदार आसामी तथा अधिवासी के नाम से पुकारा जाता है।

इस कानून की मुख्य विशेषताएँ

इस अधिनियम के अनुसार मध्यस्थों को समाप्त कर दिया गया। अर्थात् महाजनो के सभी हितों पर जैसे कृषि की भूमि के अधिकार, रास्ते और सड़कों के

अधिकार, ग्रावादी, ऊसर भूमि नावपुलो कुम्भों तालाव आदि पर सरकार का अधिकार हो गया है।

जमींदारों को अब कृषकों से लगान लेने का अधिकार नहीं रहा। उन्हें अपने अधिकारों के बदले में उचित मुआविजा दिया गया है। जो कि उनकी वास्तविक आय का ८ गुना होगा। इसके अतिरिक्त ५००० रु० या इससे कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों को पुनर्वास अनुदान भी दिया गया है जो कि २ गुना से लेकर ० गुना तक होगा। सबसे छोटे जमींदारों को सबसे अधिक अनुदान मिला है जो ज्यादा मालगुजारी देने वालों को बरस कम होता जाता है और (५०००) रु० से ऊपर वालों को कोई ऐसी सहायता नहीं दी जाती। साथ ही जमींदारों को अपनी सीर और खुद काश्त पर बिना अतिरिक्त रुपया दिये ही भूमिघर बना दिया गया है।

मुआवजे की रकम को अदा करने के लिए एक कोष का निर्माण किया गया। प्रत्येक किसान जो अपने लगान का १० गुना सरकार के पास जमा कर देता है भूमिघर बन जाता है। अर्थात् उसका भूमि पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। आशा की जाती है कि सभी कृषक कुछ समय उपरान्त भूमिघर बन जायेंगे। भूमिघर को ४० साल तक ग्राधा लगान ही देना पड़ता है।

जमींदारी उन्मूलन के समय वाले किसान अपनी काश्त में कितनी ही भूमि रख सकते हैं परन्तु भविष्य में १० एकड़ से अधिक नहीं रखी जा सकती। और यदि किसी के पास ६ $\frac{३}{४}$ एकड़ से कम हो जाने की सम्भावना है तो भूमि के विभाजन की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

किसान मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। वह सब किसान जो जमींदारी उन्मूलन कोष में अपने लगान का दस गुना जमा करा देता है भूमिघर कहलाता है। सभी जमींदार, सीर खुद काश्त तथा बगीचों के सम्बन्ध में भूमिघर बन गये हैं। और उन्हें अपने खेत में बशानुगत देखने पर किसी को देने का अधिकार भी प्राप्त है। भूमिघर अपने खेतों पर गृह निर्माण अथवा अन्य स्थायी सुधार करने के लिये स्वामी है। दस गुना देने के बाद उनका लगान ५०% कम कर दिया जाता है। आगामी बन्दोबस्त इस कानून के अनुसार ४० वर्ष से पहिले नहीं होगा।

अन्य सभी किसान साधारणतया सीरदार बन जायेंगे और उन्हें यह अधिकार होगा कि उन्मूलन कोष में दस गुना जमा करके भूमिघर के अधिकार प्राप्त कर लें।

अधिवासी वह कृषक होंगे जोकि अब तक किसी किसान के खेत को शिकमों की भाँति जोत रहे थे। अब तक उनके इस अधिकार से वचित किया जा सकता था। किन्तु अब उनका अधिकार बना रहेगा। यदि वह २ वर्ष के अन्दर भूमिघर बन जाते हैं। ऐसे किसान भूमिघर तभी बन सकते हैं जबकि उनको भू स्वामी ने ऐसा करने की आज्ञा दे दी हो। इस अवस्था में अधिवासी को उस लगान का ११ गुना अदा करना पड़ेगा जो कि वह अब तक अपने भू स्वामी को देता है।

आसामी अधिकार बगीचों के किसानों कुछ अन्य प्रकार के किसानों को दिये

गये हैं। इन्हें किसी भी समय अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए रुपया नहीं देना पड़ेगा।

उपरोक्त गुधारों से ग्रामीण क्षेत्रों में सुख और सम्पन्नता के नये युग का आरम्भ हो गया है और कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और ग्रामीणों के रहन सहन का स्तर ऊँचा उठ रहा है।

प्रश्न ३३—भू-स्वामित्व की सुरक्षा तथा उचित लगान की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् विभिन्न प्रकार के किसानों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। (आगरा ५५, लखनऊ ५१ ५०)

Discuss the condition of various types of tenants in U P after the abolition of zamindari system from the point of view of security of Tenure and fair Rents (Agra 55, Lucknow 51, 50)

उत्तर—किसान बहुत दिनों से जमींदारी प्रथा का दास था जिसके फल-स्वरूप उसकी सामाजिक एवं आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी। त जमींदारी प्रथा की बुराइयों का विनाश करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने यू० पी० जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम १९५० में पास किया। इस कानून को १९५५ में कार्यान्वित किया गया और समस्त जमींदारियों को राज्य में निहित कर लिया गया। इस अधिनियम ने समस्त मध्यस्था का अन्त कर दिया है और अब कृषक का सीधा सम्बन्ध राज्य से हो गया है।

एक अधिनियम द्वारा काश्तकारों की विभिन्न किस्मों को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात् जमींदारी प्रथा को हटाकर खेतीहर स्वामित्व प्रथा स्थापित हो गई है। इस कानून के अनुसार भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि पर स्वामित्व रखने वाले लोगों को दो मुख्य श्रेणियाँ भूमि पर और सीरदार तथा दो गौण श्रेणियाँ—प्राप्तामी और अधिवासी हैं।

भूमिधर भूमिधर बनाने के लिये किसान को जमींदारी उन्मूलन बोध में सम्बन्धित भूमि के वार्षिक लगान का दस गुना जमा करना पड़ता है। जब किसान दस गुना लगान पेशगी दे देता है तो उसका वर्तमान वार्षिक लगान ५० साल के लिए घाटा कर दिया जाता है। भूमिधर को अपने खेत के बेचने, रहन रखने एवं हस्तान्तरित करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। किन्तु हस्तान्तरण में उसे अधिकतम सीमा का ध्यान रखना होगा और किसी ऐसे व्यक्ति को भूमि नहीं दी जा सकती जो उस समय ३० एकड़ भूमि का स्वयं स्वामी हो। ऐसे शिक्षण कृषककारों के अतिरिक्त जो किसी असमर्थ किसान की आराजी को जोत रहे हों अथवा किसी वाग की भूमि के शिकमी हों, या ऐसी भूमि के शिकमी हों जिसके सम्बन्ध में स्थायी अधिकार नहीं दिया जा सकता जैसे नदी की तटहटी की भूमि, चलती फिरती खेती वाली भूमि। शेष सभी काश्तकारों और शिकमी काश्तकारों को उनकी भूमि पर स्थायी, पेटुक और हस्ता तराशील अधिकार प्रदान कर दिया गया।

सीरदार—ऐसे काश्तकार जिन्हें भूमि पर मोहसी अधिकार प्राप्त है 'सीरदार' कहलाते हैं। जब वह १० गुना अदा कर देगा भूमिधर के सब अधिकार प्राप्त कर सकेगा। 'सीरदार' को अपनी भूमि पर वशानुगत अधिकार हाथे किन्तु वह न तो अपनी भूमि को हस्तान्तरित कर सकता है और न उसे रहन रख सकता है। यह अपनी भूमि का उपयोग कृषि, फल पैदा करने और पशु पालन के अतिरिक्त किसी दूसरे कार्य में नहीं कर सकते।

आसामी—जो किसान रहन की भूमि तथा वन भूमि इत्यादि पर खेती करता है उन सबको आसामी के सब अधिकार दे दिये गये हैं। यह अधिकार बिना कुछ रुपए दिये ही प्राप्त हो जाता है। यदि कोई भूमिधर या सीरदार स्वयं खेती करने में असमर्थ हो तो वह अपनी भूमि को पट्टे पर उठा सकता है और इस भूमि के पट्टेदार को भी आसामी के अधिकार प्राप्त होंगे।

अधिवासी—ऐसे खेतीहर जो या तो सीर के काश्तकार है या शिकमी काश्तकार हैं उन्हें 'अधिवासी' कहा गया है। अधिनियम उन्हें नियम क लागू होने की तिथि से पाच वर्ष तक अपनी खेती को जोतने का अधिकार देना है और पाच वर्षों की इस अवधि के बाद वे किसी भी समय वापिस लगान का १५ गुना जमा करके भूमिधर बन सकते हैं।

भूमि सुधार कानून के पश्चात् उत्तर-प्रदेश में ३० जून १९५६ को विभिन्न प्रकार के काश्तकारों की भूमि का क्षेत्रफल तथा उनके द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले लगान की मात्रा निम्नलिखित है —

काश्तकार	क्षेत्रफल (लाख एकड़ में)	लगान की मात्रा (लाख रुपये में)
भूमिधर	१३६ ५६	३४७ ७२
सीरदार	३०२ ६६	१७० २६
आसामी	५७ ६२	११ ७६
अधिवासी	१६ ६७	१६ १७
कुल	५१७ ११	५३५ ६४

व्यक्तिगत जोत को सीमित करके अधिकतम ३० एकड़ निश्चित कर दिया गया है। ३० एकड़ से अधिक भूमि कोई भी किसान नहीं रख सकता। लेकिन अब तक के जमींदारों को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सीमा तक सीर या खुद काश्त भूमि रख सकते हैं। खेती के अत्यधिक बढवारे को रोकने के उद्देश्य से कानून ने यह व्यवस्था की है कि खेत का बढवारा उसी हालत में ही सकता है जबकि इस प्रकार बाटे गये हिस्से की आर्थिक जोत ६ ३/४ एकड़ से कम न हो।

विभिन्न प्रकार के किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उत्तर-प्रदेश जमींदारी उन्मूलन से विभिन्न प्रकार के किसानों की आर्थिक दशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं जिनमें से निम्न-लिखित उल्लेखनीय है :—

सब प्रथम बात तो यह है कि अब किसानों की इतनी अधिक श्रेणियाँ नहीं रही जो पहले थी। अब तो केवल चार प्रकार के किसान पाये जाते हैं जिनमें से भूमि पर प्रमुख हैं। भूमि पर पूरी तरह अपनी भूमि के स्वामी होते हैं। उन्हें कोई भूमि से वेदव्यल नहीं कर सकता। वे अपनी भूमि को हर प्रकार के कार्य के लिये प्रयोग कर सकते हैं। भूमि को बेचने तथा रहन रहने का उन्हें पूरा अधिकार होता है। इस प्रकार उनकी माल प्राप्त करने की क्षमता बढ गई है और किसानों की मनो-वैज्ञानिक स्थिति में भारी परिवर्तन हो गया है। अब किसान अपने को स्वतन्त्र अनुभव करने लगा है और अपने उत्तरदायित्व को पहले से अधिक अच्छी तरह समझने लगा है। जहाँ तक लगान का प्रश्न है अब भूमि पर को अपने पुराने लगान का ५०% ही देना पड़ता है। पहिले की अपेक्षा अब मुकद्दमेवाजो भी बहुत कम हो गई जिससे बहुत सी फिजूलखर्चों और परेशानों बच गई। इसी प्रकार चक्रवन्दी का कार्य बहुत सुगम हो गया है और ऐसी आशा की जाती है कि सारे राज्य में चक्रवन्दी का कार्य सम्पन्न हो जाने के बाद किसानों की आर्थिक दशा तथा सामाजिक दशा में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा।

दूसरी श्रेणी के किसान जो आज सीरदार कहलाते हैं वह उसी समय तक सीरदार हैं जब तक कि वह अपने लगान का दस गुना जमा करके भूमि पर के अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते। इस समय भी उन्हें कोई उनकी भूमि से वेदव्यल नहीं कर सकता किन्तु उन्हें भूमि को बेचने, रहन रहने आदि का अधिकार प्राप्त नहीं है। वे अपनी भूमि पर केवल खेती, फल पैदा करने तथा पशु-पालन के प्रतिरिक्त और कोई कार्य नहीं कर सकते। उन्हें लगान की भी वह सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो भूमि पर किसानों को प्राप्त हैं। ऐसी आशा की जाती है कि समय के साथ सभी सीरदार अपने लगान का दस गुना जमा करके भूमि पर बन जावेंगे और उन्हें भी वही लाभ प्राप्त होगा जो भूमि पर के है।

आसामी तथा अधिवासी यह किसानों की ऐसी दो श्रेणियाँ हैं जिन्हें अभी भूमि में स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वे या तो दूसरी की भूमि पर खेती करते हैं या भूमिहीन मजदूर किसान हैं। इनकी दशा में अभी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। जब तक उन्हें भूमि के अधिकार प्राप्त नहीं होने अथवा जब तक यह भूमि पर नहीं बन जाते ऐसे किसानों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा में अधिक सुधार की कम आशा करनी चाहिये। उत्तर-प्रदेश सरकार भूमि के समान कितारण तथा भूमिहीन किसानों की समस्या को सुलभाने के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील है।

वास्तव में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन मात्र से किसानों की आर्थिक तथा

सामाजिक दशा में सुधार नहीं होता। इसके लिये और प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। जमींदारी उन्मूलन तो केवल साधन मात्र है जिसने किसान की भावी उन्नति के द्वार खोल दिये हैं। वास्तविक कार्य तो जमींदारी उन्मूलन के बाद शुरू होता है। खेतों की चक्कन्दी तथा सहकारी खेतों दो ऐसे कार्य हैं जो भारतीय किसान के जीवन का रूप ही बदल सकते हैं। भूमि के समान वितरण की बात भी इतनी ही जरूरी है। किसी व्यक्ति के पास आर्थिक जोत से कम भूमि न हो और आवश्यकता में अधिक भूमि न हो। जो खेती करना है वही भूमि का स्वामी है। इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

इन सब बातों के साथ २ सहायक उद्योगों का विकास तथा सामुदायिक विकास योजनाओं पर ध्यान कुछ निर्भर है। अन्त में जो बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि ग्राम प्रबन्ध तथा पंचायत राज्य इस सब योजना की आधार शिला है और भविष्य इसी की सफलता पर निर्भर है।

प्रश्न ३४—भारत में कृषि समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उस समय तक हल नहीं हो सकता जब तक सामन्त प्रणाली का कोई भी चिह्न रहता है और जब तक आधुनिक तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाता और सहकारी खेतों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।”

ऊपर दिये गये कथन पर उत्तर-प्रदेश की स्थिति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुये बहस कीजिये ?

(आगरा १९५८)

“Agriculture is the dominant issue in India It can not be dealt with unless all feudal relics are swept away and modern methods introduced and co-operative farming encouraged”

Discuss the above statement with special reference to Uttar Pradesh

(Agra 1958)

उत्तर—भारत की मुख्य समस्या कृषि है—यह कथन पूर्णतया सत्य है। भारत प्रचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है और गांव संदेव से यहाँ की अर्थ-यवस्था का आधार रहा है। आज भारत की समस्त आर्थिक समस्याओं में सबसे जटिल तथा महत्व रखने वाली समस्या कृषि की ही है। भारत की लगभग ७०% जनसंख्या ग्रामीण है और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय कृषि बड़ी दयनीय अवस्था में है। हमारे देश में कृषि उत्पादन अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। एक ओर तो देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है किन्तु दूसरी ओर अनाज के उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि नहीं होती जिसके कारण संदेव देश के सामने एक गम्भीर खाद्य समस्या उपस्थित रहती है। खाद्य समस्या के समाधान के लिये यह परम आवश्यक है कि देश में अधिक अन्न उपजाया जाय जो अभी सम्भव हो सकता है जब कृषि की उन्नति तथा विकास हो।

भारतीय किसान अत्यधिक निर्धन तथा अशिक्षित हैं। वह खेतों के आधुनिक तरीकों में अपरिचित हैं और अपनी निर्धनता के कारण उन्हें अपना नहीं सकता।

भारतीय किसान के पास औसत जोत का आकार बहुत छोटा है। खेतों के उपवि-
भाजन तथा उपखण्डन के फलस्वरूप न तो किसान अपने खेतों पर कृषि यन्त्रों का
प्रयोग कर सकता है और न अच्छी खाद तथा बीज के द्वारा अपनी उपज को बढ़ा
सकता है। उपज का कम होना किसान की निर्धनता का एक प्रमुख कारण है और
किसान की निर्धनता कृषि की उन्नति में मुख्य रूप से बाधक है।

भारतीय कृषि विशेष रूप से मानसून वर्षा पर निर्भर रहती है। समय पर
वर्षा न होने अथवा अधिक वर्षा हो जाने से फसलों को भारी क्षति पहुँचती है जिसके
कारण देश के सामने लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ अकाल तथा अनाज की महँगाई और
कमी की समस्याएँ सड़ी रहती हैं।

भारतीय किसान न तो अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ब्याज की दर पर
ऋण प्राप्त कर पाता है और न अपनी फसल को बेचकर उसका उचित मूल्य उसे
मिलता है। प्रत्येक अवस्था में भारतीय किसान शोषण का शिकार रहता है। उसकी
उन्नति, रहन-सहन के स्तर में सुधार तथा अन्य समस्याओं का समाधान इस बात
पर निर्भर है कि कृषि को उन्नति हो और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो।

हम ऊपर देख चुके हैं कि भारत की समस्त आर्थिक समस्याओं में कृषि की
समस्या सबसे जटिल तथा महत्वपूर्ण है। वैसे तो देश में उद्योग, श्रम, यातायात तथा
बेरोजगारी आदि की अनेक समस्याएँ हैं किन्तु इन सब में कृषि की समस्या ही सबसे
गम्भीर है। कृषि की उन्नति के बिना भारत की कोई भी आर्थिक समस्या मुलभ
नहीं सकती वैसे तो भारत सरकार ने विकास की पंचवर्षीय योजना में चादू की है
किन्तु कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आत्म निर्भरता न आने से इन पंचवर्षीय योजनाओं
की सफलता पर सदेह होने लगता है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनाज के
उत्पादन में देश को आत्म निर्भर बनाना है ताकि देश की जनता भूखी न मरने पाये
और अनाज के लिये विदेशों का मुँह ताकना न पड़े किन्तु अब तक का अनुभव यह
बताता है कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के होते हुए भी देश में खाद्य-
समस्या आज भी उतनी ही जटिल है जितनी अज से दस वर्ष पूर्व थी। इस प्रकार
यह पूर्णतः स्पष्ट है कि कृषि की समस्या भारत की मुख्य आर्थिक समस्या है।

सामन्तशाही प्रणाली का कृषि पर प्रभाव — भारत में सामन्तशाही प्रणाली
का प्राचीन काल से भारतीय आर्थिक जीवन पर विशेष प्रभाव रहा है। न केवल
कृषि परन्तु उद्योग-धन्धों आदि पर भी सामन्त प्रणाली का प्रभाव रहा है परन्तु
भारतीय कृषि को वर्तमान दिन दशा बहुत कुछ इसी सामन्त प्रणाली का देन है।
हमें अपने इस वचन की पूर्णति के लिये अति प्राचीनकाल के इतिहास के पन्नों को
पलटने की आवश्यकता नहीं। जमींदारी प्रथा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जमींदारी
प्रथा में किसान को न तो भूमि का स्वामी माना जाता था और न उसके अधिकारों
की उचित रक्षा होती थी जमींदार लोग मनमाना लगान वसूल करते थे और जब
उनका जी चाहता था किसान को भूमि से बेदखल करा लिया जाता था। लगान की
दर तो ऊँची थी ही किन्तु उसके अतिरिक्त नजराना, बेगार तथा अन्य कई प्रकार से

किसानों का शोषण तथा अत्याचार किया जाता था जमींदारों के अतिरिक्त उनके कारिन्दे आदि भी उनके साथ दुःख-व्यवहार करने थे। भूमि पर पूर्ण अधिकार न होने के कारण किसान न तो उसे बेच सकता था और न भूमि की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार किसान की गरीबी ऋण प्रवृत्तता, भूमि का उप-विभाजन तथा उपक्षण्डन प्रत्यक्ष रूप से सामन्त प्रणाली की ही देन है।

यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने, मुख्यतः उत्तर प्रदेश सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके सामन्त प्रणाली का अन्त कर दिया है किन्तु उसके अवशेष अर्थात् तक बाकी हैं। जब तक पूर्णरूप से इन अवशेषों को भी समाप्त नहीं कर दिया जाता कृषि की उन्नति सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके उन समस्त किसानों को जिन्होंने अपने लगान का दस गुना सरकार के पास कोष में जमा कर दिया था भूमिधर के अधिकार प्रदान कर दिये हैं। अब समस्त भूमिधर अपनी भूमि के स्वामी हैं और उन्हें भूमि को बेचने तथा रहन-रखने का अधिकार प्राप्त है। भूमिधर के अतिरिक्त सीरदार किसान वह हैं जिन्होंने अभी तक अपने लगान का दस गुना जमा करके भूमिधर के अधिकार प्राप्त नहीं किए हैं यद्यपि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। इस प्रकार मुख्य रूप से केवल दो प्रकार के ही किसान होने जैसे अधिवासी किसान वह है जो अब तक किसी अन्य किसान की भूमि की शिकमी काश्तकार की भाँति जोत रहे थे। जमींदारी प्रथा में उन्हें बेदखल किया जा सकता था किन्तु अब ऐसा नहीं हो सकता। यदि पाँच वर्ष के भीतर उनका भूस्वामी जाना दे दे तो अधिवासी किसान अपने लगान का १५ गुना जमा करके भूमिधर बन सकते हैं। जो किमान रहन की भूमि तथा वन भूमि इत्यादि पर खेती करते हैं उन्हें आसामी घोषित कर दिया गया है। उन्हें यह अधिकार बिना कुछ रूपए दिए ही प्राप्त हो जाता है। आसामी किसान स्वयं भूमि के स्वामी नहीं होते वरन् काश्तकार के रूप में खेती करते हैं। उत्तर-प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून से न केवल सामन्त प्रथा का अन्त हो गया है। वरन् कृषि की उन्नति के लिए अनेक मार्ग खुल गया है जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् अब उत्तर प्रदेश सरकार भूमि की चक्रवर्ती की ओर प्रयत्नशील है। चक्रवर्ती का कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् निश्चित रूप से कृषि के विकास में सहायता मिलेगी। भविष्य में किसान सहकारी ढंग की खेती तथा कृषि यंत्रों के द्वारा खेती करके अपनी उपज को बढ़ा सकेगा और उसकी आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।

कृषि की उन्नति में आधुनिक तरीकों का प्रयोग — जैसा कि ऊपर कहा गया है कि पुनः ढंग से खेती करने से उत्पादन में वृद्धि होना असम्भव है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है विज्ञान की सहायता से कृषि के क्षेत्र में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन किए गये हैं। वैज्ञानिक अनुसन्धानों की सहायता से इस प्रकार के यन्त्र तथा रसायनिक खाद का पता लगा लिया है जिनके द्वारा उपज को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग अमेरिका, रूस, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा अन्य

यूरोपीय देशों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है किन्तु भारत इस दशा में अभी बहुत पीछे है। खेतों के आकार का छोटा होना किसानों की गरीबी तथा अनिश्चितता, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव तथा अन्य कारण इस कार्य में बाधक रहे हैं। अब हमारी सरकार आधुनिक ढंग की खेतों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रही है। देश में कई रसायनिक खाद के क रखाने चालू किये गये हैं। ट्रैक्टरों (Tractors) के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया है तथा सिंचाई की छोटी बड़ी अनेक योजनाएँ चालू की गई हैं। उत्तम बीज का वितरण तथा आधुनिक ढंग की खेतों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है। आशा की जाती है कि भूमि की चकबन्दी हो जाने के पश्चात् आधुनिक ढंग की खेतों को सफल बनाया जा सकेगा और कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी।

सहकारी खेतों को प्रोत्साहन

नाट — प्रश्न के इस भाग के उत्तर के लिए कृपया प्रश्न सख्या ४१ का उत्तर पढ़िये।

अध्याय १०

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था

प्रश्न ३५—भारत में ग्रामीण ऋण के मुख्य कारण क्या हैं ? किसान की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ? इस समस्या के उपचार के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? अपने सुझाव भी दीजिये ।

(पंजाब ४६, दिल्ली ३५, ३७, ३९, पटना १६५३, ५०, इलाहाबाद ४९ ४२)

What are the main causes of Rural Indebtedness in India ? What has been its influence on the economic condition of the cultivator ? What steps have been taken to solve the problem ? Give your suggestions also

(Punjab 46, Delhi 35 37 39, Patna 53, 50, Allahabad 49 43)

उत्तर— विश्व के अन्य देशों की उन्नति में चाहे जो साधन सहायन हो पर भारत के सम्बन्ध में तो यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि ग्रामीण जीवन व आर्थिक उत्थान में देश का उत्थान निहित है । ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति का अर्थ है देश की आर्थिक उन्नति । ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति तभी सम्भव है जब कृषि की पर्याप्त उन्नति हो सके । कृषि प्रधान देश में ही कृषि की अवस्था कितनी दयनीय तथा शोचनीय है । यह कहने की वान नहीं इस बुरी स्थिति में कृषकों के वित्तीय साधनों का भी हाथ है जो अत्यन्त अपर्याप्त एवं दोषपूर्ण हैं । किसान के वित्तीय साधन उसकी उन्नति में बाधक हैं । हम यदि ग्रामीण जीवन का आर्थिक उत्थान करना चाहते हैं जिससे देश की आर्थिक उन्नति सम्भव हो तो हमें निश्चय ही व्यवसाय के रूप में कृषि की अवसति दोषयुक्त ग्रामीण वित्त व्यवस्था तथा जटिलतम ग्रामीण ऋण भार द्वारा निर्मित त्रिभुज को सुसभाना होगा । अतः हम कृषि के महान रोग ग्रामीण ऋण पर भी विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक दृष्टि डालें और यह समस्या बयो खड़ी होती है और उसका समाधान क्या है इस पर विचार करें ।

ग्रामीण ऋण के मुख्य कारण

यद्यपि किसान बहुत पहले से ऋण लेता चला आ रहा है परन्तु भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के पूर्व ऋण की यह समस्या इतनी विकट नहीं थी जितनी वृद्धि अंग्रेजों के शासनकाल में हुई । भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक बढ़ने से ऋण की भी आवश्यकता में वृद्धि हुई । यह आवश्यकता आर्थिक ही नहीं थी कुछ सामाजिक जरूरतों ने भी ऋण लेने के लिये बाध्य किया । हम यहाँ पर किसान के ऋणी होने के कारणों पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे ।

(१) पैतृक ऋण — बहुत से किसान अपने ऊपर पूर्वजों को ऋण का बोझ लेकर पैदा होने हैं और जिन्दगी भर उसको चुकाने के लिए दूमरी से ऋण लेकर उसे बढ़ाते रहते हैं और यहा तक कि फिर वह पीढियो पुराना हो जाता है। यदि किसान इस नियम को समझ ले कि यदि उसके बाप पर कर्जा है और उसका बाप कुछ छोड़ कर ही नश्री मरा तब वह उस ऋण से मुक्त हो सकता है। परन्तु वह बेचारा समझ तो सब कुछ ले यदि उसकी समाज समझने दे। यह अपने को सामाजिक प्राणी समझने के नाते कर्ज को चुकाना अपना धर्म समझता है। यही कारण है कि वह कर्ज चुकाने को दूसरे महाजन से कर्जा लेता है और वह कर्ज पहले से भी अधिक हो जाता है।

(२) खेतों का बटवारा:— किमानों के खेत इतने छोटे होते है कि उनमें न तो पर्याप्त उत्पाति ही हो पाती है और न ही उनकी हिफाजत हो पाती है। यही कारण उनको ऋणग्रस्त करने के लिए काफी है। वास्तव में जीवन उस किसान के लिए अत्यन्त कठोर और नीरस है जिसे स्वयं अपने परिवार के लिए थोड़े से एकटों पर निर्भर रहना पडना है।

३) जलवायु की अनिश्चितता:— भारत में वर्षा का कुछ ठीक नहीं। जब आवश्यकता होगी है तब तो वर्षा होगी नश्री और अनावश्यकता होने हुए भी इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कि फसल सारी नष्ट हो जाती है, बाढ़ आ जाती है जिससे किसान को काफी हानि होती है, जिससे उसे ऋण लेना पडता है और महाजन उससे मनमाना ब्याज वसूल करते है।

(४) कृषकों की अज्ञानता और अशिक्षा — सम्भवत कृषकों के लिए अज्ञानता और अशिक्षा एक गम्भीर समस्या है जिसके परिणाम-स्वरूप वह बाहर और घर दोनों स्थानों पर ठगा जाता है। यदि किमान शिक्षित हो तो वह कभी भी महाजन के चंगुल में न फसे। इन दोनों कारणों से उसको मह जन के चगुल में फसना पडता है और महाजन मनमाना कार्य करते हैं जैसा चाहते हैं किसानों से लिखवाते है और यदि मुकदमे वाजी भी हो तब भी उसी की जीत होती है।

५) सहायक षधों का अभाव — आधुनिक जनसख्या का भार जमीन पर होते हुए भी ग्रामीण षधों का अभाव है। और कृषक के साल में ५ माह से भी अधिक बेकार रहने पर-उसका महाजन के चगुल में फंभना स्वाभाविक ही है। दूसरे जमीन में उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने से पूर्ण उत्पाति प्रति वर्ष नहीं हो पाती जिसके कारण उसको महाजन के प्रसन्न ज्ञाना पडता है।

(६) कृषक की शारीरिक अयोग्यता और दरिद्रता — भारतीय किसान अन्य देश के किसान से बहुत गरीब है उसकी आय इतनी कम है कि वह आय खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी शारीरिक शक्ति का ह्रास हो जाना है जिनके कारण बीमारी उसको घेर लेती है। धार्मिक, सामाजिक बंधनों में बंधे होने के कारण उसको और भी कर्ज लेना पडता है। उसकी तुलना केवल एक भिलारी से ही की जा सकती है।

(७) महाजन और उसके उधार देने का तरीका — महाजन जो ऋण किसान को देना है उसपर बहुत ऊँची दर से मूद लगाता है और ध्याज लेने के बटाने प्रतिवर्ष फसल का एक निश्चित भाग बाजार भाव से कम कीमत पर ले लेता है। निर्धन किसान की भूखी हड्डियों से मोचकर मास की अन्तिम मात्रा तक लेने में साहूकार को कोई हिचकिचाहट नहीं होती और कृषक को निर्धन तथा गुलामी का जीवन बिगाने की बाध्य कर देते हैं। जिसके फलस्वरूप कृषक की क्रिया शक्ति पगु हो जाती है जिस में वह घोर सागवादी हो जाता है। आशा और उत्साह उसके जीवन से सदैव के लिए विदा हो जाता है। ऋण की अधिकता, कृषक की तुरन्त आवश्यकता साख का अभाव और आर्थिक दुर्न्यवस्था कृषक को पूर्णतया साहूकार की मर्जा पर छोड़ देने हैं। महाजन किसान की मादूरी की कमजोरी का पूर्ण लाभ उठाना है।

(८) ध्याज की ऊँची दर — निःसन्देह ऋण चाहे वह भोजन या बीज के लिए ही क्यों न दिया गया हो सत्राया या ड्योडा हो जाता है। फसल के खराब हो जाने पर किसान को भूखा भरना पटना है क्योंकि महाजन तो हर हालत में पहले का तँ किया हुआ भाग ले लेता है और यदि वह ऐसा नहीं करता तो ध्यान इतनी तेजी से बढ़ता है कि पीड़ितों तक चसता है।

(९) फिजूल खर्चों और सामाजिक कुरीतियाँ — भारतीय कृषक बहुत अपन्यय करता है। सामाजिक वर्धन ऐसे हैं कि गरीब होने हुए भी उन्हे फिजूल खर्च करना पटना है। प्रत्येक खुशी के अवसर पर कर्ज लेकर समस्त गाँव को दावत करना उस का सामाजिक कर्तव्य हो जाता है। इस खर्च को वह महाजन से लेता है और सदैव के लिए ऋणी बन जाता है।

(१०) ब्रिटिश शासन की स्थापना — ब्रिटिश राज्य के आगमन में भारतीय कृषक और भी ऋणी हो गया क्योंकि भूमि जो अब तक एक बोझ समझी जाती थी अब एक भूस्वयान सम्पत्ति बन गई है। यालायात के साधनों न उत्पादन की वृद्धि का बेचने के लिए नये नये बाजार खोल दिये। इसके अतिरिक्त स्थिर कानून का प्रचलन हो जाने से शान्ति स्थापना के कारण स्वयं भूमि ही नहरों की वापसी के लिए जमानत बन गई। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्रा अर्थ व्यवस्था का विकास हो गया और व्यापार बढने पर धन भा बढने लगा। इस प्रकार ब्रिटिश राज्य ने उधार लेने देने दोनों ही अवसरों को बढ़ा दिया।

(११) मुकदमेवाजी — एक तो क्या न अज्ञानता की जकड़ में जकड़ा होना है और फिर मुकदमेवाजी की चोट उनकी शक्ति को और भी क्षीण कर देती है। शहर में धाकर बकौल एवं अन्य अफसर गाँव के निवासियों से इतना पैसा मागते हैं कि उनकी विवश होकर महाजन से केवल मुकदमेवाजी के लिए पैसा लेना पटना।

(१२) भूमि और सिंचाई के भारी कर — लगान प्रवन्ध की कठोरता किसानों को उधार लेने को बाध्य करती है और उनकी कीमती सम्पत्ति उन्हे उधार लेने में सहायता देती है।

(१३) बिक्री सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव — किसान को अपनी फसल नीचो पर बेचनी पडती है क्योंकि बिक्री अवधि नियम बड़े खराब हैं। लेकिन यह

अनाज खरीदता है तब उसको ऊंची दर देनी पड़ती है। कर्ज से दबा हुआ किसान अपनी पूरी फसल महाजन के हाथ बेचने के लिये बाध्य होता है।

ग्रामिक स्थिति पर प्रभाव—उत्पादन उद्देश्यों के लिए उधार ली हुई रकम आसानी से निपटाई जा सकती है परन्तु अनुत्पादक कार्यों के लिए उधार लिया हुआ धन एक प्रकार का अभिशाप है जिसका प्रभाव आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक जीवन पर पड़ता है। जब किसान यह समझ लेता है कि मेरी उत्पत्ति महाजा की हो जाएगी तब वह दिलचस्पी लेना छोड़ देता है। इस प्रकार उत्पादन कम हो जाता है। उसको अपनी फसल कम दामों पर महाजन के हाथ बेचनी पड़ती है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। ऋण के द्वारा ही सामाजिक सम्बन्ध टूट जाते हैं। सामाजिक असन्तोष फैलता है। किसान की सम्पत्ति छिन जाती है जिसके साथ साथ उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता भी छिन जाती है। एक श्रमिक विवाह जयवा मृतक सम्कार के लिए थोड़ी सी रकम उधार लेता है किन्तु उसके बदले में उसे अपने ऋणदाता से केवल नाम मात्र का गुजारा लेकर काम करना पड़ता है। वह आवश्यक रकम कभी भी नहीं बचा पाता और यह सौदा उसकी जन्म भर की दामता में परिणत हो जाता है।

उपचार के लिए किए गए प्रयत्न तथा सुझाव

ऋण के भार से ग्रामीणों की जो दशा विगड़ रही थी उससे भारत सरकार अपनी आख बन्द न कर सकी। उसने इस समस्या के समाधान के लिये कई कानूनों का निर्माण किया और प्रत्येक कानून के साथ कर्जदारों की दशा सुधारने तथा महाजनों के अत्याचार को रोकने का प्रयास किया गया। १९२० से पहले जितने कानून बने उनका एक मात्र उद्देश्य सूद की दर पर नियन्त्रण रखना था। १९३० की आर्थिक मंदी से ग्रन्तीय सरकार को ऐसा कानून बनाना पड़ा जिससे कृषकों के ऊपर से ऋण का भार कम हो गया। इस कानून के मुख्य उद्देश्य थे—(अ) मौजूदा ऋण की मात्रा कम कर दी जाये। (ब) ऋण के देने के लिये गांव में सस्थाएँ खोली जाएं। (स) महाजनों से कृषकों को बचाया जाए। १९२९ में बंगाल तथा संयुक्त प्रांत ने ऐसे कानून का निर्माण किया जिससे पूर्णतया महाजन पर नियन्त्रण रखा जा सकता था। महाजनों के लिए लाईसेन्स बनवाना तथा ऋणियों को हिसाब लिखकर मेजना प्रायः सभी प्रांतों में अनिवार्य हो गया। फिर सरकार ने दूसरे पक्ष पर ध्यान दिया। वह या व्याज की अधिकतम दर जिस पर सरकार ने पूर्ण नियन्त्रण रखने का प्रयास किया। कई कानूनों द्वारा साहूकार ऋण वसूल करने में किसी प्रकार भी ऋणियों को नहीं सता सकता था।

इसके बाद राज्य सरकारों ने ऋण समझौता कानून भी पास किया जिसके द्वारा ऋण दाता तथा ऋणी तथा सरकारी तथा गैर सरकारी अफसर मिलकर ऋण को कम कर देते हैं और ऋणियों को इस बात की सुविधा भी प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया कि ऋण को कितनी में चुका दे।

यादगिल बमेटी ने किसानों की माली हालत के सुधार पर जोर दिया और

कुछ सिफारिशें पेश की। इन्हीं सिफारिशों को एक दूसरी एंग्लो-इण्डियन कमेटी ने भी किया। यह सिफारिशें इस प्रकार हैं। कृषकों के ऋण का पूर्ण रूपेण निर्धारण अनिवार्य हो, महाजनों को अपने ऋण को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होना चाहिये तथा अपनी पूंजी आदि का विवरण किसी निश्चित समय सरकार के सामने रखना चाहिये। कृषक को उचित रूपया मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये कि व्याज मूलधन से अधिक न हो जाये। कर्ज के लिए कृषक वधक बैंक होना चाहिये आदि।

इसमें सदेह नहीं कि प्रत्येक प्रान्त की सरकार ने ग्रामीण की समस्या सुलभाने तथा किसान को हर प्रकार से बचत करने का प्रयास किया और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ और महंजन तथा साहूकारों की वैश्यानी तथा अनाधिकार खेराए काफी कम हो गई है परन्तु इससे यह सोचना कि किसानों को अब इस सम्बन्ध में कोई तकलीफ नहीं रह गई है पूर्णतया गलत है।

इस समस्या का समाधान सुगमता से दो साधनों द्वारा हो सकता है—प्रथम ऋणों को निपटाने से और द्वितीय नये ऋणों पर नियंत्रण करने से। जब तक पुराने उधार का निपटारा नहीं किया जायेगा कृषि में उन्नति का होना असम्भव है। धनहीन ऋणी किसान को दिवालिया घोषित किए जाने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके बाद अदासत में ऋण चुकाये जाने की कार्यवाही को रोक देना चाहिये। अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋणों पर प्रतिबन्ध लगाना। यह कार्य तब ही किया जा सकता है जब शिक्षा का प्रचार किया जाये। इन सम्बन्ध में ग्राम पंचायत बहुत कुछ कर सकती है। किसान के ऋण को सीमित करने से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। भूमि के हस्तान्तरण के अधिकार पर नियंत्रण से इस समस्या को सुलभया जा सकता है। किसान को कुर्की से मुक्त करने से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है।

पञ्चवर्षीय योजना तथा ग्रामीण राजस्व पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि की वृद्धि पर पूर्ण विचार किया गया है और योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में जो योजना बनाई थी उसमें जमींदारी प्रथा के उन्मूलन पर विशेष जोर दिया था। योजना काल में ऋण की व्यवस्था सहकारी समितियों तथा रिजर्व बैंक से की जायेगी। सरकार भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कृषकों के लिए अल्प कालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की भी व्यवस्था की गई है। कृषकों के लिए दीर्घकालीन ऋण के लिए भूमि बंधक बैंकों की व्यवस्था की है।

भूमि समाज की बहुमूल्य सम्पत्ति है। भारत की उन्नति इसी पर निर्भर है और इसकी उन्नति के लिए सामग्रिक अर्थ व्यवस्था का होना एक अनिवार्य कार्य है। इस क्षेत्र में बिना सहयोग के सफलता प्राप्त करना असम्भव है।

प्र० ३६—भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं की संख्या है। इनके दोष क्या हैं? तथा उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

(सखनऊ ४६, राजपूताना ५२, ५३, ५५, इलाहाबाद ३७, ४३)

Examine the existing agencies for providing agricultural credit in India What have been their Limitations ? What steps have been taken to improve them ?

(Lucknow 49, Rajputana 52, 53, 55, Allahabad 37, 43,

उत्तर—भारत एक कृषि प्रधान देश है परन्तु फिर भी इस महान एव महत्वपूर्ण कृषि उद्योग के लिए जो ग्रंथ साख व्यवस्था यहां उपलब्ध है वह सगठित एव पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अंग्रेजी सरकार ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया परन्तु जो कुछ थोड़ी बहुत सगठित सस्यायें कृषि कार्यों की ग्रंथ पूर्ति के लिए स्थापित की गईं वे किसानों की आर्थिक आवश्यकता को पूरी करने में अममर्थ थी। फलस्वरूप कृषक ऋणग्रस्त होते गये और साख की समस्या रूप धारण करती गई।

ग्रामीण साख प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थायें

हमारे देश का सम्पूर्ण किसान-ऋण किसान को कृषा से मिलता है इसके स्रोतों का वर्णन हम नीचे करते हैं। वर्तमान समय में निम्नलिखित स्रोतों से किसान ऋण पाता है।

(१) गाव का महाजन—किसान को ऋण प्राप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत गाव का महाजन है। महाजन रुपयों को उधार देने तथा व्यापार का कार्य करते हैं। महाजन ग्रामीण ग्रंथ व्यवस्था के अनेक पहलुओं के सम्पर्क में रहता है। कृषि उत्पादन के सभी कार्यों तथा सामाजिक एव आर्थिक कार्यों के विषये धन उधार देता है। साधारण रूप से वह अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली इकाई के रूप में सक्रिय रहता है। महाजनो में गाव के बचिये का भी समावेश किया जा सकता है क्योंकि वह अपने व्यापार के साथ ही लेन देन का व्यवहार भी करता है। परन्तु यह दोनो बहुत अधिक ब्याज वसूल करते हैं। और लेन देन में ये अनुचित कार्य करते हैं और हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ी रखते हैं।

(२) सरकार—किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी ऋण समस्याओं को सुलझाने के लिये सरकार ने १९ वीं शताब्दी में कई कानून पास किये। सरकार किसानों को निम्नलिखित दो अधिनियमों के अन्तर्गत उधार देती है—प्रथम भूमि सुधार अधिनियम द्वारा कुओं आदि जैसे स्थायी सुधार कार्यों के लिये दीर्घकालीन साख दिया जाता है। दूसरे काश्तकार ऋण अधिनियम के अधीन बीज, औजार, खाद, पशु आदि के लिये अल्पकालीन साख का प्रबन्ध करना। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सब ऋण उत्पादन कार्यों के लिए ही दिया जाता है। इस प्रकार के विवेचन वाले सरकारी ऋण को तबावी कहते हैं।

(३) सहकारी साख समितियाँ—सहकारी आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य किसानों को एव ग्रामीण जनता को महाजन के चंगुल से छुड़ाने का है। यह किसानों को कृषि कार्यों के लिये सगठित ढंग पर पर्याप्त ऋण इत्यादि की व्यवस्था करता है। यह सदस्यों को निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान करती है। उत्पादक कार्य जैसे खेती के साख कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण, भूमि के म्थाई

सुधार के लिये दीर्घकालीन ऋण, कुछ अनुराधक कार्य के लिए जैसे विवाह आदि के लिये तथा पुराने ऋणों को चुकाने के लिये यह उधार दिया करती है। यह व्यक्तिगत जमानत पर और जायदाद पर भी ऋण दे देती है जो कि किस्तों द्वारा चुकाया जाता है।

(४) भूमि बंधक बैंक—दीर्घकालीन ऋण किसानों को भूमि बंधक बैंकों से भी प्राप्त होता है। भूमि बंधक बैंक केवल पुराने ऋणों के भुगतान के लिये ही ऋण देते हैं। इन्होंने भूमि सुधार के लिए ऋण देना की ओर कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया है। इनकी स्थापना सर्व प्रथम मद्रास राज्य में १९२६ में हुई तदुपरान्त बम्बई एवं उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, बंगाल, आसाम आदि प्रांतों में भी इसकी स्थापना में पग उठाये गये हैं।

(५) वाणिज्य बैंक—इनका स्थापना में कोई विशेष महत्त्व नहीं है क्योंकि यह कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देते हैं। ये मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं और नाम मात्र की ही कृषि की आर्थिक सहायता करते हैं।

इन खेतों में पाए जाने वाले दोष

प्राचीन समय में भी महाजनो द्वारा ही कृषि को साख प्राप्त होता था परन्तु उनको वह अधिकार प्राप्त नहीं थे जिनसे किसानों की भूमि या मकान छिन जायें और ऋण की समस्या भी बनी रहे। इस बात को प्रोत्साहन अंग्रेजी सरकार के आमजन से हुआ और महाजनो को ऐसे अवसर प्राप्त हुए जिनकी आद से वह किसान को लूटते थे। परन्तु आधुनिक युग में किसानों को देखते हुये महाजनो की उपयोगिता बहुत अधिक है और यह तब तक बनी रहेगी जब तक कृषि में आर्थिकजनक क्रांतिकारी परिवर्तन न आ जाय और किसान अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए। किन्तु महाजनो द्वारा जो ऋण देने की प्रणाली है उसमें सुधार प्रति आवश्यक है नहीं तो वे कृषकों को पतपते नहीं दगे क्योंकि महाजन लोग फसल को कर्जों के बदले किसान से सस्ते दामों में खरीद लेते हैं।

सरकार ने किसानों की ऋण समस्या सुलझाने के लिए नियम तो अवश्य बना दिए किन्तु वास्तव में किसानों को इससे कुछ विशेष लाभ नहीं हो सका है क्योंकि किसानों को समय पर यह सहायता नहीं दे पाते जबकि दूसरी ओर किसानों को महाजनो से तुरन्त एवं शीघ्र ही ऋण मिल जाता है। सरकारी ऋण के लिए किसानों को पटवारी कानूनगो, नायब तहसीलदार आदि की सिफारिश की आवश्यकता पडती है जिससे उनकी काफी परेशानी होती है। दूसरे ऋण की वसूली का तरीका बहुत कठोर है। उपरोक्त कारणों से किसानों का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।

सहकारी साख समितियाँ एकाकी एवं एकसूत्रीय हैं जो केवल ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, किसानों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उनसे नहीं होती। आवश्यकता इस बात की है कि बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियों की स्थापना की जाये जो किसानों की ऋण समस्या का समाधान करे। इन समि-

तियों से ग्रामीणों को कोई विशेष लाभ नहीं है क्योंकि अनपढ़ किसान इसके यांत्रिक रूप को समझने में असमर्थ हैं ।

समाधान के लिए किए गए उपाय

इन सभी दोषों को दूर करने के लिये प्रस्तावित कृषि साख प्रमण्डलों की स्थापना की गई । इनका कार्य बड़े २ किसानों को बड़ी राशि में ऋण देना है । इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन मध्यकालीन, अल्पकालीन सभी प्रकार के ऋणों को देने की व्यवस्था इनके अन्तर्गत की गई है । भारत जैसे देश में जहाँ के किसान असंगठित एवं साघनहीन हैं कृषि अर्थ प्रमण्डल और प्रान्तीय सहकारी अबिकोप सहकार्य होना चाहिए । रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना से कृषि साख की व्यवस्था, देखभाल तथा आवश्यक सलाह देने का कार्य इस बैंक को सौंपा गया । बैंक का कृषि साख विभाग इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । सहकारी साख आन्दोलन को संगठित करने तथा सुचारु रूप में चलाने में रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण कार्य किया है । रिजर्व बैंक ने १९५४ में एक अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण का आयोजन किया जिसकी रिपोर्ट विशेष महत्व रखती है ।

कृषि साख के पुनर्गठन के हेतु अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये जो वास्तव में सराहनीय थे । ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुचारु रूप में संगठित करने के लिये इस कमेटी ने ग्रामीण साख समन्वयक योजना प्रस्तुत की जिसका मूल स्रोत राज्य द्वारा त्रिस्पी वित्तीय प्रशासन सम्बन्धी तथा यांत्रिक सहायता है । इस योजना के अन्तर्गत सरकार का कार्य केवल नियंत्रण करना, सलाह देना एवं उपर्युक्त त्रिस्पी सहायता प्रदान करना होगा । इसके बाद इसने बतलाया कि व्यापारिक बैंकों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह अपनी शाखाएँ कस्बों और गावों में खोलें जिससे उनकी पहुँच ग्रामीण जनता तक हो सके । यह भी बतलाया कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कृषि साख के क्षेत्रों में सहकारी बैंकों का उत्तरदायित्व अन्य बैंकों से अधिक है । इसलिए सरकार को इन बैंकों को सहायता देकर प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे किसानों को लाभ हो सके । सरकार ने इस और विशेष ध्यान दिया है । इसके अतिरिक्त इस कमेटी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि प्रारम्भिक और केन्द्रीय भूमि बचक बैंकों की स्थापना बढ़ाना भी इस समस्या के समाधान में योग देगा । उपरोक्त सुझावों पर सरकार ने विशेष ध्यान देकर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया है ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रगति—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी अल्पकालिक साख का प्रबन्ध प्रायः सहकारी समितियों और राज्य द्वारा हुआ है । इस क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त हो चुकी है । रिजर्व बैंक ने इस सफलता में विशेष योग दिया है । परन्तु फिर भी भारत के अधिकतर राज्य में सहकारी बैंकों तथा सहकारी समितियों की दशा में बहुत कुछ सुधार बाकी है ।

मध्यकालीन साख के लिए योजना में इस मद पर ध्यान देने के लिए ५ करोड़ रुपये का आयोजन किया गया । सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण का ५० प्रतिशत उन क्षेत्रों में सहायता दी जायगा जहाँ सामुदायिक विकास योजना

की पूर्ण अनुमति से दिया जाता है अर्थात् सरकार इनके कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है जिससे कृषकों का शोषण न हो सके ।

(३) अर्द्ध सहकारी बैंक—इस प्रकार के बैंको में सहकारी सन्स्थाओं तथा व्यापारिक सन्स्थाओं दोनों के शेयर होते हैं । अधिकांश भारतीय बैंक अर्द्ध सहकारी बैंक होते हैं । इनमें ऋण लेने वाले सदस्यों के साथ २ कुशल व्यापारियों और बड़े २ पूंजी पतियों से पूंजी की बटाई २ राशियों को आकर्षित करने के लिए, ऋण न लेने वाले व्यक्तियों को शेयर लेने की स्वीकृति दी जाती है और सीमित दायित्व की व्यवस्था की जाती है । प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है । भूमि की कीमत को सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षित अफसर आँकते हैं । ऋण देने के पूर्व रजिस्ट्रार की स्वीकृति अनिवार्य होती है ।

इन बैंको का संगठन करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये कि उसका विधान और काय सीधा सादा हो और प्रबन्ध उत्तम हो । इनकी सफलता राज्यों पर निर्भर है । ऋण पत्रों पर मूलधन तथा व्याज के भुगतान की गारंटी देकर, ऋण पत्रों के एक भाग को मोल लेकर, तथा विशेष सुविधाएँ प्रदान करके इस सन्स्था को सफल बनाया जा सकता है ।

कार्य — यह बैंक दीर्घकालीन ऋणों को प्रदान करने का कार्य करते हैं । वह ऋण निम्नलिखित रूपों में दिए जाते हैं । जैसे भूमि को खरीदने के लिये, खेतों की चक्रबन्दी के लिये, पौतुक ऋण चुकाने के लिये, कृषि भूमि को रहन से छुड़ाने के लिये एवं कृषि भूमि में स्थाई सुधार करने के लिये यह बैंक ऋण देनी है ।

उपरोक्त कार्यों को कार्य रूप देने के लिये एक मण्डल होता है । जिसके ६ सदस्य होने हैं और जो वेतन रहित होते हैं । कृषक ऋण प्राप्त करने के लिये छप्पे रुपये फार्म को भर कर समस्त व्योरा देकर बैंको को समर्पित कर देते हैं । उसके बाद निरीक्षक द्वारा उक्त व्योरे की जाच पड़ताल की जाती है । साथ ही साथ कृषक की ऋण चुकाने की क्षमता की जांच भी की जाती है । उपरोक्त व्योरे की कतूनी जाच भी की जाती है । इसके बाद समस्त कागज सब-रजिस्ट्रार के पास भेजे जाते हैं जो जाच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट देता है । इस रिपोर्ट पर ही कृषक ऋण पा सकता है । यदि रिपोर्ट में ऋण ना देने को कहा गया हो तो यह बैंक कृषक को ऋण नहीं दे सकते । जो ऋण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिये जाते हैं उन्हें डिप्टी रजिस्ट्रार के पास भेज दिये जाते हैं जो अपनी सिफारिश सहित उसे केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक के पास भेज देता है । केन्द्रीय बैंक की अनुमति पर प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक ही कृषक को ऋण दे देता है । इससे पूर्व भी प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक द्वारा प्रार्थी से केन्द्रीय बैंक का नाम बन्धक पत्र लिखकर भेजने का कार्य और किया जाता है । ऋण प्राय २० वरुं के लिए दिया जाता है । ऋण की सख्या ५०००) से अधिक नहीं होनी । केन्द्रीय बैंक जिस सूद की दर पर ऋण देता है उससे १ प्रतिशत अधिक सूद पर प्रारम्भिक बैंक कृषक को देते हैं । ऋणी अपना ऋण किश्तों में भी चुका सकता है । केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक प्रारम्भिक बैंको का निरीक्षण भी करता है ।

महत्व—ग्रामीण ऋण के सूक्ष्म और कठिन प्रश्नों के विवेचन में सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। बुरे ऋण और अवशिष्ट ऋण से बचने के लिये भी सावधानी की आवश्यकता है। इसका बहुत महत्व है पर इतना महत्व होने हुए भी भूमि बन्धक बैंक प्रणाली का सफल ढाँचा नहीं है। मध्यप्रदेश, वरार अजमेर, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, बंगाल जैसे प्रांतों में इसको विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। वास्तव में इसके महत्व को समझने के लिये किसी ने अपना ध्यान इस ओर आकर्षित भी नहीं किया है मद्रास प्रान्त में इस ग्रान्दोलन को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। निःसंदेह इन बैंकों से कृषि को काफी लाभ है परन्तु इनकी सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर है। जमानत के तौर पर रखी जाने वाली भूमि की कीमत का सही अंदाज प्रतिवर्ष वार्षिक विश्व चुकान की सामर्थ्य, ऋण का फैसला, उसको चुकाने की शर्तें तथा किश्तों में ठीक समय पर वसूल आदि पर ध्यान देना इनकी सफलताओं के लिये परम आवश्यक है।

इस प्रकार के बैंकों की सहायता से कृषकों को पुराने ऋण में छुटाया जा सकता है। दीर्घकालीन ऋणों से कृषि की उन्नति एवं कृषि को उत्तम ढंग से आसानी से किया जा सकता है जिससे उत्पादन में अवश्य वृद्धि होगी। निःसंदेह यह एक अच्छी योजना है जिससे इस समस्या का समाधान सुगमता से हो सकता है। उपरोक्त विवरण से इसका महत्व कितना है अनुमान लगाया जा सकता है।

परन्तु इन बैंकों को और भी अधिक उपयोगी बनाने के लिये इनमें कई प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता है। प्रथम सुधार तो यह है कि इनके काम करने का ढंग एकसा कर दिया जाए। दूसरे हर राज्य में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ यह नहीं सुत सकते हैं वहाँ प्रान्तीय बैंकों को ही सब अधिकार प्रदान कर देना चाहिये। तीसरे जहाँ कृषकों की भूमि की बिक्री पर रोक है, वहाँ कानून इस प्रकार बदल देने चाहिये कि भूमि सुगमता से हस्तान्तरित की जा सके। चौथे इनको सरकारी सहायता मिलनी चाहिये।

अध्याय ११

कृषि मजदूर

प्रश्न ३८—भारत में भूमिहीन किसानों को पूर्ण रोजगार दिलाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ? अपने सुझाव दीजिए । (आगरा १९५२)

What Steps have so far been taken in India to provide full employment to landless workers ? Give your own suggestions

(Agra 1952)

उत्तर — भूमिहीन किसानों से हमारा अर्थ उन व्यक्तियों से है जो खेत पर मजदूर की हैसियत से काम करते हैं और जिनके पास अपनी स्वयं की कोई भूमि नहीं होती और यदि होती भी है तो वह इतनी कम कि उससे उसका तथा उसके परिवार वालों का पालन पोषण नहीं हो सकता । वैसे तो भारतीय किसान की भी आर्थिक स्थिति शोचनीय है परन्तु इन भूमिहीन मजदूर किसानों की हालत और भी बुरी है । पिछले कुछ वर्षों में सरकार का ध्यान ऐसे भूमिहीन किसानों की दशा सुधारने तथा उन्हें पूर्ण रोजगार दिलाने की ओर गया है । इस समस्या के समाधान से पूर्व यह उचित समझा गया कि समस्या की विचालता को पूरी ध्यान बोन कर ली जाये ।

१९५१ की जनगणना के अनुसार भारत में भूमिहीन किसानों तथा उनके परिवार वालों को कुल सख्या ४६ करोड़ है जो कृषक जनसख्या की २० प्रतिशत के लगभग है । १९५०-५१ में कृषि श्रमिक जाच समिति ने, जिसकी रिपोर्ट १९५६ में प्रकाशित हुई, इस विषय में और अधिक प्रकाश डाला । इस जाच के अनुसार भारत में ३३४ प्रतिशत कृषक परिवार कृषक मजदूरों के रूप में काम करते हैं जिनमें से आधे के पास कोई भूमि नहीं है और शेष आधे के पास बहुत थोड़ी सी भूमि है । इस जाच से यह भी पता चला है कि ८५ प्रतिशत कृषक मजदूर केवल आकस्मिक कार्य करते हैं जैसे हल चलाना, घास खोदना तथा फसल काटना इत्यादि । एक परिवार की वार्षिक औसत आय ४८७) है और प्रति व्यक्ति आय १०४) है जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का औसत २६५) है । इससे पता चलता है कि इन भूमिहीन किसानों की आर्थिक दशा कितनी खराब है । रोजगार के विषय में पता चला है कि इन लोगों को साल में केवल २१८ दिन रोजगार मिलने का औसत है यद्यपि यह औसत देश के विभिन्न भागों में एक समान नहीं है । २१८ दिन के औसत रोजगार में से १८६ दिन कृषि कार्यों में तथा २६ दिन गैर कृषि कार्यों में रोजगार मिलता है । इस प्रकार मजदूरी सहित रोजगार साल में ७ महीने, पूर्णतया बेरोजगारी साल में ३ महीने तथा स्वयं जनित रोजगार साल में दो महीने के लिए मिलता है । १५

प्रतिशत कृषि मजदूर ऐसे भी हैं जो भू स्वामियों के पास सारे साल काम पर लगे रहते हैं जबकि १६ प्रतिशत मजदूरों को मजदूरी सहित कोई रोजगार सारे साल तक प्राप्त नहीं होता।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भूमिहीन किसानों की गरीबी और हीन दशा का कारण रोजगार की कमी तथा कम मजदूरी की दर है। इसका मुख्य कारण यह है कि भूमि की कमी है तथा भू स्वामी किसानों की स्वयं की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है।

भूमिहीन किसानों की दशा सुधारने के लिए किए गए उपाय

[MEASURES ADOPTED AMELIORATE THE CONDITION OF LANDLESS WORKERS]

भूमिहीन किसानों की समस्या का वास्तविक समाधान उस समय सम्भव होगा जबकि हमारी कृषि का नये सिरे से पुनर्गठन हो और भूमि पर ये जनसंख्या का भार कम करके अन्य सहायक व्यवसायों का विकास हो। भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिये निम्नलिखित उपाय प्रयोग में ला रही है -

(१) जमींदारी उन्मूलन तथा शोषण का अन्त—(Abolition of Zamindari & end of Exploitation) स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीय सरकार का ध्यान भूमि व्यवस्था की ओर गया और विभिन्न राज्यों में जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून पास किये गये जिसका मुख्य उद्देश्य शोषण को समाप्त करके किसानों की आर्थिक दशा में सुधार करना था।

(२) न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण Fixation of Minimum wages) १९४८ में न्यूनतम मजदूरी कानून पास किया गया और राज्य सरकारों को यह भार सौंपा गया कि कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये १९४८ में एक अखिल भारतीय जाच समिति स्थापित की गई जिसमें समस्त देश के ८१३ ग्रामों में से आठके प्राप्त किये गए। इस जाच के फल स्वरूप प्रथम पंच वर्षीय योजना के काल में पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों में न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित कर दी गई है और शेष राज्य इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने जा रहे हैं।

(३) खेती योग्य बंजर भूमि के सुधार (Reclamation of cultivable waste land)—केंद्रीय ट्रस्ट्सर सस्था द्वारा खेती योग्य बंजर भूमि का सुधार किया जा रहा है और यह भूमिहीन किसानों को सहकारिता के आधार पर दी जा रही है। पंचवर्षीय योजना में १५ लाख एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने तथा २० लाख एकड़ भूमि को सुधारने का अनुमान है इससे भूमिहीन किसानों की समस्या बहुत कुछ हल हो जायेगी।

(४) व्यक्तिगत जेत की उच्चतम सीमा निर्धारित करना (Fixation of ceilings of Individual Holdings)—सरकार एक उच्चतम सीमा निर्धारित करने जा रही है जिससे अधिक भूमि किसी व्यक्ति के पास नहीं रहे

सकेगा। जिन लोगों के पास अधिक भूमि है वह उनसे प्राप्त करके भूमिहीन किसानों में बांट दी जायेगी। अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका है कि यह उच्चतम सीमा कितनी भूमि पर निर्धारित की जाए।

(५) भूदान यज्ञ (Bhoodan Movement)—आचार्य विनोदा भावे द्वारा प्रतिपादित भूदान यज्ञ में भूमि दान के रूप में प्राप्त की जाती है और उस भूमिहीन किसानों में सहकारिता के आधार पर वितरित किया जाता है। अभी तक कुल ४३ लाख एकड़ भूमि भूदान के रूप में प्राप्त हो चुकी है जिसमें से ४ लाख एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों को बांट दी गई है।

(६) सहकारी ग्राम प्रबंध (Co-operative village Management)—योजना कमीशन का विचार है कि गाव की समस्त भूमि को एक साथ एकत्र करके सहकारिता के आधार पर खेती कराई जाए और इसका प्रबंध ग्रामवासियों की एक समिति द्वारा हो। ऐसा हो जाने से भूमिहीन किसानों की समस्या स्वयं हल हो जायेगी और समस्त ग्रामवासियों के सामूहिक परिश्रम के फल में यह लोग भी भागीदार बन जायेंगे। इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होगी और किसी न किसी रूप में सबको रोजगार मिल सकेगा।

(७) योजना कमीशन ने इस बात की भी सिफारिश की है कि राष्ट्रीय तथा प्रत्येक राज्य के स्तर पर सरकारी व्यक्तियों के बोर्डों की स्थापना की जाये जिनसे उद्देश्य भूमिहीन किसानों को बसाने के सम्बन्ध में परामर्श देना तथा समय समय पर कार्य की प्रगति की देखभाल भी करना हो।

(८) कृषि मजदूरों का संगठन (Organization of Agricultural Labour)—जिस प्रकार उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों ने श्रम सघ स्थापित हो गये हैं उसी प्रकार कृषि मजदूरों के संगठन स्थापित होने चाहिए। प्रत्येक गाव में एक श्रम सघ की स्थापना हो और एक केन्द्रीय संस्था स्थापित की जाए जो इन श्रम सघों के कार्य का संचालन करे। इस योजना से कृषक मजदूरों की अज्ञानता दूर होगी और उनमें एक प्रकार की जागृति तथा चेतना उत्पन्न होगी। योजना कमीशन ने सुझाव दिया है कि सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गाव में श्रम सहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिये और प्रत्येक विकास खण्ड में एक श्रम सहकारी यूनियन होनी चाहिए जो प्रत्येक गाव की श्रम समितियों की देखभाल कर सके।

(९) ग्राम उद्योगों का विकास (Development of Rural Industries) भारत सरकार इस बात के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील है कि हमारे देहातों के ग्राम उद्योगों का समुचित विकास हो। ग्राम उद्योगों के विकास से जनसंख्या का भार भूमि पर कम हो जायगा। किसानों को रोजगार मिलेगा और कृषि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्राम उद्योगों के विकास को विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक विकास कार्यों में

उन लोगों को रोजगार देने का प्रयत्न किया जाता है—जैसे कुएं खोदना, सड़के बनाना तथा नहरें खोदना इत्यादि ।

अन्य सुझाव (Other Suggestions)—भूमिहीन किसानों की दशा को सुधारने के लिये तथा उनके पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य सुझाव भी दिए जा सकते हैं :—

सिंचाई की सुविधाओं तथा खेती के तरीकों में सुधार किया जाये जिससे कृषि आय में वृद्धि हो । कृषि आय में वृद्धि होने से कृषि मजदूरों के वेतन की दर बढ़ाई जा सकती है क्योंकि कम कृषि आय होने पर मालिक मजदूरों को अधिक वेतन नहीं दे सकता । यातायात के साधनों का विकास तथा ग्रामीण ऐक्सचेंजों की स्थापना—इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार रोजगार के दायर बेकार लोगों को काम दिलाने का कार्य करते हैं उसी प्रकार ग्रामीण अर्थ एक्सचेंज भूमिहीन किसान मजदूरों की सहायता कर सकें । इस कार्य के लिये यातायात के सस्ते साधनों का विकास जरूरी है ।

प्रश्न २६—भूदान यज्ञ आन्दोलन पर एक छोटा सा निबन्ध लिखिये । क्या इससे भूमिहीन मजदूरों की समस्या का समाधान हो सकता है ?

(पटना १९५४, पंजाब १९५५)

Write a short essay on 'Bhoodan Yojna' ? Will it solve the problem of landless labourers in India ? (Patna 54, Panjab 55)

उत्तर - भूदान आन्दोलन का विश्व के इतिहास में विशेष महत्व है । भूदान आन्दोलन एक क्रान्तिकारी कार्यक्रम है । प्रारम्भ में इस आन्दोलन पर किसी का विश्वास नहीं था परन्तु आज जब सम्पूर्ण गांव के गांव भूदान में प्राप्त हो रहे हैं इस भी महानता को समझने के लिए हमारी सरकार, राजनीतिज्ञ व अर्थशास्त्री आदि का ध्यान इस ओर आकषित होना स्वाभाविक है ।

भूदान यज्ञ का उद्देश्य है भूमिदान के रूप में भागकर भूमिहीन किसानों में उसका वितरण । परन्तु इसका उद्देश्य यही तक सीमित नहीं है । यह आन्दोलन राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न करके एक वर्गहीन, शोषणहीन व दण्ड मुक्त समाज की स्थापना करना भी है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भूदान, सम्पत्तिदान, श्रमदान और जीवनदान आदि कार्य मुख्य साधन हैं ।

भूमि वितरण की समस्या भारत के सामने नहीं बरम् समस्त एशिया के सामने है । इस समस्या के समाधान के लिये सरकार ने कानूनी बंदम उठाये हैं परन्तु इससे इस समस्या का समाधान बहुत मुश्किल है । १९५० में तेलंगाना के क्षेत्र में इस समस्या ने भारत की आँखें खोल दी क्योंकि जनता उस समय की साम्यवादी एवं आतंकवादी कार्यों से काफी परेशान थी । उसी समय सत विनोबा भावे वहाँ गये और गरीबों की दशा से प्रभावित होकर भूमिदान में मागने लगे । जब उनको प्रथम बार दात मिला तब उनके हृदय में इस आन्दोलन को समस्त देश में फैलाने का विचार

ग्राम्य और उन्होंने यह प्रश्न किया कि समस्त भारत की याचा करके हम भूमि दान लेंगे और भूमिहीन मजदूरों को बाँटकर गरीबों की सहायता करेंगे ।

विनोबा जी को अभी तक इस कार्य में पूर्ण सफलता मिली है । ऐसे महापुरुष को दान देने में भला किसको सकोच होगा ? सबने इसको अपना सीमांत समझा और ग्रामवासियों में अमीर तथा गरीब सभी ने भूमि दान दिया । इस प्रकार विनोबा जी का भूमि धन, गाव के गाव सब दान में मिलने लगे और इस आन्दोलन की काफी प्रगति हो रही है ।

इस आन्दोलन की प्रगति को देखकर इस बात की आशा की जा सकती है कि नीच ही भूमि समस्या का हल हो जायेगा । भूदान यज्ञ का साम्यवादी तथा एक आधुनिक दल को छोड़कर सभी राजनैतिक एवं सामाजिक दलों ने समर्थन किया है । भूमि का वितरण भी निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा निष्पक्ष भाव से किया जा रहा है । इसके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं जिनसे भूमि की समस्या का समाधान हो जाने की पूरी आशा की जा सकती है । वह कार्य निम्नलिखित हैं—(अ) भूमिहीनों को भूमि प्राप्त हो रही है इसलिए उनको सहकारी कृषि समितियों की ओर मरतता से आकर्षित किया जा सकता है । (ब) भूमिहीन को कम से कम ५ एकड़ सूखी या एक एकड़ तर भूमि देकर भूमि का वितरण हो रहा है । (स) भूदान से भूमि का न्यायपूर्ण वितरण हो जाने की सम्भावना है । (द) भूमि का मूल्य गिर रहा है अतः मुद्रावृद्धि का प्रश्न समाप्त होता जा रहा है । (इ) भूमि का वितरण ग्राम सभाओं तथा भूमिहीनों की सूचना के अनुसार हो रहा है अतः पक्षपात और भ्रष्टाचार का तत्त्व भी भंग नहीं है ।

इस आन्दोलन में शोषण विहीन व दण्ड निरपेक्ष समाज की स्थापना का लक्ष्य निहित है । प० नेहरू के शब्दों में “भूदान यज्ञ सही तरीके का आन्दोलन है और प्रत्येक व्यक्ति का यह फर्ज है कि वह पूर्यरूपेण इसके महत्व को समझे और इसमें यथाशक्ति सहयोग दे ।” इस आन्दोलन ने देश में राजनैतिक, आर्थिक, सां कृतिक अनेक कार्य किए हैं जो निम्नलिखित हैं—

राजनैतिक कार्यों के अन्तर्गत इसने जनता में पुरुषार्थ की प्रेरणा जगाकर यह भावना भरी है कि लोकतन्त्र का मूल आधार लोकशक्ति ही है । इस आन्दोलन ने यह समझाया है कि लोकतन्त्र की सफलता के लिये राज्य की सत्ता के बदले जनता की जीवनव्यापी सर्व स्पर्शी सत्ता अनिवार्य है ।

आर्थिक कार्यों के अन्तर्गत यह बताया है कि उत्पादन के साधन सौदे की वस्तु नहीं है, न ही सग्रह की वस्तु है । वे उत्पादन के साधन मात्र हैं । इस लिये उनका समाजीकरण होना चाहिए । इसने महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया है कि उत्पादन के साधन अनुत्पादक व्यक्तियों के हाथ से लेकर उत्पादक के लिए दिया है । उत्पादन के साधन पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व अनुचित है अतः साधनों पर समाज का अधिकार होना चाहिये । स्वामित्व का आधार बदलने के लिए आवश्यक व अनुकूल वातावरण भूदान आन्दोलन ने पैदा किया है ।

सांस्कृतिक व्यर्थों के अन्तर्गत भूदान ने नाति की प्रतिक्रिया में अहिंसा, बहुत्व एवं सहयोग की भावना को जागृत किया। इसने बताया कि मनुष्य की मूल-भूत तत्त्ववृत्ति पर विश्वास से ही आदर्श समाज की रचना की जा सकती है। भूदान आन्दोलन ने सत्सार के सामने यह सिद्ध कर दिया कि क्रांति के लिये लोक शिक्षण द्वारा व्यक्तियों के विचार परिवर्तन एवं हृदय परिवर्तन अमूल्य साधन हैं।

यदि भारत अपनी भूमि समस्या इस प्रक्रिया से हल कर सका तो वह समस्त सत्सार के समक्ष एक आदर्श रखेगा और सत्सार को यह प्रदर्शित करेगा कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन सार्वजनिक सत्तावादी प्रतिक्रियाओं या सर्वसत्तापारी सरकारों द्वारा सफलता पूर्वक नहीं किये जा सकते बल्कि जनतन्त्रात्मक उपायों से ही किये जा सकते हैं।

इस आन्दोलन से काफी भूमि प्राप्त हो गई है परन्तु समस्या इस बात की है कि भूमिहीनों में भूमि निष्पक्ष भाव से वितरण करने और उस पर खेती करने के लिये उन्हें अन्य सहायता देने की है। भूमि को हस्तान्तरित करने में कानून में बहुत देरी हो जाती है। इसलिये इस काम में काफी ढीलेपन से काम हो रहा है। खेती करने के लिये किसानों को बहुत बड़ी धन राशि देनी पड़ेगी क्योंकि बँल कुएँ न न आदि सामान के लिये वह इतनी बड़ी धन राशि नहीं व्यय कर सकने। वैसे तो काफी धन इस आन्दोलन के समय में प्राप्त हुआ है पर अब भी हमारी सरकार को ग्रामीणों तथा ध्यापारियों को धन राशि दान देकर इस समस्या के समाधान में सहायता देना चाहिये।

वितरण में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह कि भूदान में प्राप्त हुई भूमि कोई एक ही स्थान पर नहीं है। दान की गई भूमि के आस पास अन्य किसानों को भी खेत हैं। अब यदि वह भूमि एक परिवार को दे दी जाय तो एक तो यदि वह ५ एकड़ से कम होगी तो उस परिवार के लिये अपर्याप्त रहेगी, और यदि उस भूमि के पास वाली भूमि के अन्य किसान को ही यह भूमि दी जाये तो भूमिहीन खेतीहर मजदूर भूमिहीन ही रह जायेंगे।

भूमि का वितरण आर्थिक जीत के आधार पर किया जाना चाहिये जिससे प्रत्येक परिवार का भरण पोषण सुगमता से हो जाये। दूसरे प्रत्येक परिवार को भूमि एक चक्र में दी जानी चाहिये। भूमि ऐसे किसान को देनी चाहिये जो उस पर गत तीन वर्षों से खेती कर रहे हो। भूमि वितरण के लिये एक ऐसी समिति का निर्माण होना चाहिये जो वितरण के साथ साथ भूमि-न्यायालय के रूप में बिना किसी भेद भाव के कार्य करे।

वितरण के बाद स्वामित्व का सवाल है जिसके अनुसार किसान का स्वामित्व होने के बाद भी पैतृक सम्पत्ति के उत्तराधिकार नियम या कर्ज लेने अथवा भूमि को रहन रहने में वितरण का यह अधिकार समाप्त हो जायेगा और भूमि या तो छोटे टुकड़ों में बंट जायेगी या साहूकारों के आधीन हो जायेगी। जिससे उपरोक्त

इस आन्दोलन के सुधारों पर पानी फिर जायेगा। अतः इसको रोकने के लिये कानून का हारा लेना अति आवश्यक है। इस दिशा में जैसा कि पहले बर्णन किया जा चुका है। सरकार को यह ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है कि भूमि का उप-विभाजन तथा उपखंडन न हो सके। साथ ही कृषक की अर्थ व्यवस्था का ऐसा समुचित और सुसंगठित प्रबन्ध हो कि उसे नृण प्राप्त करने के लिये महाजन के चंगुल में न फसना पड़े। तभी वास्तविक उन्नति सम्भव हो सकती है।

इस आन्दोलन से भारत में भूमि की समस्या का अन्त हो जायेगा और कृषक सच्चे भावों में भूमि का मालिक होगा तथा प्रत्येक ग्रामीण मजदूर आत्मनिर्भर हो जाएगा क्योंकि इस आन्दोलन से भूमिहीन मजदूर भूमि पा सकेंगे और स्वयं खेती करेंगे। अतः गावों से मजदूरों की बेरोजगारी की समस्या का भी सरलतापूर्वक समाधान हो जायेगा।

भूदान आन्दोलन की प्रगति

भूदान आन्दोलन की एक छोटी पैमाने पर १८ अप्रैल १९५१ को प्रारम्भ हुआ था आज समस्त देश में फैल चुका है। इसका उद्देश्य ५०० लाख एकड़ भूमि दान के रूप में प्राप्त करना है ताकि गावों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के पास अपनी कुछ भूमि अवश्य हो। भूदान से ग्राम भूमि दान आन्दोलन भी इसमें सम्मिलित हो गया है। भूदान के महत्त्व को स्वीकार करते हुये द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि भूमिहीन किसानों को फिर से बसाने की जो योजनाएँ अपनाई जाएं उनमें भूदान द्वारा प्राप्त भूमि भी शामिल हो। सामुदायिक विकास योजना के कार्य क्रम में उन ग्रामों को विशेष रूप से चुना जायेगा जो ग्राम-दान के रूप में प्राप्त हुये हैं। अखिल भारतीय सर्व सेवा सघ का जो अधिवेशन सितम्बर १९५७ में हुआ उसमें इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा ग्राम दान आन्दोलन में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में उड़ीसा प्रान्त के कोरापठ, गजम तथा बालासोर नामक जिलों में जो ग्राम भूमि दान के रूप में प्राप्त हुये हैं उनके विकास के लिये अखिल भारतीय सर्व सेवा सघ द्वारा बनाई गयी एक योजना पर कार्य किया जायेगा। इसके लिए भारत सरकार ने १९५६—५७ में ११ ६२ लाख तथा ५७—५८ में १० लाख रुपये स्वीकृत किये इसी प्रकार बिहार राज्य में भूदान द्वारा प्राप्त भूमि पर १० हजार भूमिहीन किसानों को बसाने के लिये १९५७—५८ के बजट में ३० लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

भूदान आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए तथा दान से प्राप्त भूमि के पुनः वितरण में सुविधा देने के लिये बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों ने आवश्यक कानून पास कर दिये हैं।

३१ दिसम्बर १९५७ तक ४३ १२ लाख एकड़ भूमि भूदान के रूप में

प्राप्त हुई थीर ६५४ लाख एकड़ भूमि का पुन वितरण किया गया । विभिन्न राज्यों में भूदान आन्दोलन की प्रगति का अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जाता है —

राज्य	भूदान से प्राप्त भूमि (एकड़)	पुन वितरित भूमि (एकड़)
आसाम	२३१९६	२२५
आन्ध्रप्रदेश	२४१९१०	८२३१७
उत्तरप्रदेश	५८७६१५	७७६७४
केरल	२९०२१	२५२६
मद्रास	७०८२३	५३४९
पंजाब	१९९२९	२६५३
बिहार	२१६८५७	२१३१५०
मध्यप्रदेश	१७८८१६	४९८८१
राजस्थान	४२००६८	३५८४६
पच्छिम बंगाल	१२६८१	३४५३
मैसूर	१४१६४	११५२

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है जनवरी सन् १९५७ से भूदान के स्थान पर ग्रामदान आन्दोलन पर अधिक बल दिया जा रहा है । ३१ दिसम्बर १९५७ तक ग्राम दान आन्दोलन की प्रगति इस प्रकार है —

राज्य	ग्राम दान में प्राप्त ग्रामों की संख्या	राज्य	ग्राम दान में प्राप्त ग्रामों की संख्या
आसाम	७७	मध्यप्रदेश	६४
आन्ध्र	२७०	मैसूर	१५
बिहार	९७	उड़ीसा	१९३३
बम्बई	३४०	राजस्थान	१४
केरल	४५१	उत्तरप्रदेश	१६
मद्रास	२५८	पश्चिमी बंगाल	८
		योग	३५५३

उत्पादन व्यय में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रहता। मूल्य निर्धारण की मांग और पूर्ति का सिद्धान्त कृषि पदार्थों पर अच्छी तरह लागू नहीं होता। यह उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है कि वह मूल्य नीति का संचालन इस प्रकार करे कि कृषि तथा उद्योगों का समुचित विकास हो सके और कृषि मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। मूल्यों की स्थिरता का अर्थ केवल इतना है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव न होने पावे। हमें ज्ञात है कि १९२६ की विश्व मन्दी के कारण भारतीय किसानों की कौसी दुर्दशा हो गई थी। दूसरी ओर दूसरे महायुद्ध के दिनों में और उसके बाद मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसका देश का अर्थ व्यवस्था पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है यद्यपि किसान को समुचित लाभ ही दिया किन्तु देश के निरन्तर विकास के लिये यह दोनों दशाएँ बाधा उत्पन्न करने वाली सिद्ध हुई हैं।

कृषि मूल्यों में स्थिरता रखने के उपाय (Ways & Means establishing price stability) भारत में कृषि मूल्यों की स्थिरता का प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सरकार के सामने उपस्थित हुआ। जून १९५४ तथा उसके बाद के काल में कृषि मूल्यों में निरन्तर कमी होती गई और सम्पूर्ण देश का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के बाजारों में गेहूँ का भाव १०) प्रति मन तक पहुँच गया जबकि औद्योगिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ सरकार को इस बात की खोज करनी पड़ी कि कृषि मूल्यों में एक साथ परिवर्तन के क्या कारण हैं। काफी विचार विमर्श के बाद सरकार को मूल्यों को और अधिक गिरने से रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने पड़े। छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये तथा उपभोक्ताओं को इस बात का विश्वास दिलाना आवश्यक हो गया कि कृषि मूल्यों में एक निश्चित सीमा से अधिक तथा एक न्यूनतम सीमा से कम नहीं होने दिए जायेंगे।

मूल्य सहायता की नीति जो अन्य देशों में भी अपनाई जा चुकी है भारत के लिए भी उपयुक्त समझी गई। कुछ वर्ष पूर्व कृष्णामेचारी कमेटी ने जो इसी उद्देश्य के लिये नियुक्त की गई थी मूल्य सहायता नीति के विषय में आवश्यक सुझाव दिए। मूल्य सहायता नीति का अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य एक न्यूनतम सीमा से नीचे गिरने लगे तो सरकार स्वयं उस मूल्य पर उस वस्तु को खरीदना शुरू करदे और उस समय तक खरीदती रहे जब तक कि मूल्यों के गिरने की प्रवृत्ति को रोक न लिया जाये। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादकों को एक न्यूनतम मूल्य की गारन्टी दे दी जाय क्योंकि ऐसा करना कृषि की उत्पादनशीलता को बढ़ाने के लिये परम आवश्यक है। इस नीति से उत्पादकों के हितों की रक्षा हो जाती है। मूल्य सहायता नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार का मत यह है कि स्वयं न्यूनतम मूल्य पर खरीदारी करने की अपेक्षा बाजार की स्थिति में सुधार किया जाये। मूल्य सहायता नीति जो १९५४ में उधार, बाजारों तथा भण्डारों के लिये लागू की गई वह १९५५ में गेहूँ, चने चावल पर भी लागू कर दी गई। यह निश्चय किया गया कि सरकार १०) प्रति मन गेहूँ तथा ६) प्रति मन चने के भाव पर किसानों से खरीदारी करे।

उपरोक्त उपाय तथा साख और गोदामों की सुविधायें तथा यातायात के साधनों में सुधार के कारण परिस्थितियों पर काबू पा लिया गया और जून सन् १९५५ के बाद कृषि मूल्य पुनः ऊपर की ओर चढ़ने लगे। उस समय समस्या यह है कि कृषि पदार्थों के मूल्य उच्चतम स्तरों को भी पार करने लगे हैं। बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिये सरकार को दूसरी प्रकार की नीति अपनानी पड़ी। सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानें खोलकर अपने सुरक्षित भण्डार में से अनाज बेचना शुरू कर दिया। सरकार का अनुमान है कि अनाज के व्यापारियों ने अनाज को दावकर रखा हुआ है जिसके फलस्वरूप मूल्यों में यह वृद्धि हुई है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने अन्य सहायक बैंकों को आदेश दिया कि कुछ विशेष वस्तुओं के बदले साख पर पावन्दी लगाई जाये जिसमें चावल आदि वस्तुयें विशेष रूप से शामिल हैं। हीनार्यवित्त प्रबन्ध (Deficit Financing) के कारण भी कृषि मूल्यों में वृद्धि हुई। अतः मुद्रा स्फीति विरोधी कार्यवाही भी सरकार द्वारा की जा रही है।

कृषि मूल्य में स्थिरता के लिये अन्य सुझाव (Suggestions) — कृषि पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता रखने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं:—

(१) वैसे तो सरकार की मीट्रिन तथा आयात निर्धारण सम्बन्धी नीति मूल्य स्थिरता में सहायक हो सकती है किन्तु भारत में साख तथा बैंकिंग व्यवस्था सुसंगठित तथा पूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण यह नीतियाँ पूरी तरह सफल नहीं होती। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी ने सहकारी बिक्री समितियों की स्थापना और सुधार के सुझाव दिए हैं। इसके अतिरिक्त किसानों की कृषि सम्बन्धी समस्याओं का समाधान और अधिकतम उत्पादन के लिये उन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

(२) सरकार को चाहिये कि कृषि पदार्थों के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य निर्दिष्ट करदे। पिछले दो तीन वर्षों में सरकार को यह कार्य करना पड़ा है।

(३) समस्त देश के लिये एक केन्द्रीय संस्था स्थापित की जाये जो कृषि पदार्थों के उत्पादन तथा वितरण पर नियन्त्रण रखे और देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार उनके मूल्य स्थिर करदे। इस सुझाव से मन्दी के दिनों में किसानों को न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य मिलने का भय रहता है और ऊँचे भाव हो जाने पर उन्हें एक प्रकार का कर देना होता है।

कृषि मूल्यों से सम्बन्धित सरकार की नीति की सफलता के लिये सरकार को निम्नलिखित व्यवस्था करनी चाहिए -

(१) कृषि उत्पाद, की, दिग्ग, का, उत्पित, प्रत्य, तथा सुसंगठित व्यापारों की व्यवस्था।

(२) कृषि साख पर नियन्त्रण ताकि महाजन न्यूनतम मूल्य से कम भाव पर किसानों से वस्तुयें न खरीद सकें।

(३) कृषि की सामान्य समस्याओं का समाधान तथा प्रगतिशील अर्थ व्यवस्था के अनुकूल कृषि का संगठन।

(४) कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण ।

५) सहकारी सेती को प्रोत्साहन ।

(६) ग्राम शिक्षा की व्यवस्था तथा रेडियो, सिनेमा आदि के साधनों से इस प्रकार का प्रचार करना जिससे किसान आत्म-विश्वासी बने और उपज बढ़ाने का प्रयत्न करें ।

(७) उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुये सरकारी सहायता से सस्ते भाव पर अनाज के वितरण का प्रवन्ध ।

उपरोक्त सभी उपाय यदि उचित ढंग से प्रयोग में लाये गये तो कृषि पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता स्थापित होने में कोई संशय नहीं रहेगा और देश की अर्थ व्यवस्था का समुचित रूप से विकास हो सकेगा ।



अध्याय १३

सहकारी खेती

प्रश्न ४१—सहकारी खेती से आप क्या समझते हैं। भारत में सहकारी खेती की मन्द गति के क्या कारण हैं? भारत में सहकारी खेती की सम्भावना पर प्रकाश डालिए।

(इलाहाबाद १९५२, पटना १९५१, दिल्ली १९५२, पंजाब १९५१, राजपूताना १९५५)

What do you understand by co-operative farming? What are the causes of its slow progress in India? Discuss its future possibilities in India

(Allahabad 52, Patna 51, Delhi 52, Punjab 51, Rajputana 55)

सहकारी खेती का अर्थ (Meaning of Co-operative farming)-

सहकारी खेती का मतलब किसानों के उस सगठन से है जो परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक खेती करने के लिये एक सहकारी समिति का निर्माण करते हैं और उसके अन्तर्गत कार्य करते हैं। व्यक्तिगत भू-स्वामी अपनी अपनी भूमि को एकत्र करके एक सहकारी फार्म का रूप दे देते हैं जो खेती की दृष्टि से एक इकाई के रूप में होती है—यद्यपि व्यक्तिगत भू-स्वामी अपनी भूमि का स्वामित्व बनाये रखता है और किसी भी समय अपनी इच्छानुसार सहकारी समिति से सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है।

सहकारी खेती प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर आधारित है और किसानों को खेती सम्बन्धी वे सभी सुविधायें प्रदान कराती है जो व्यक्तिगत खेती में उसके लिये सम्भव नहीं हैं छोटे २ किसान जिनकी भूमि अलाभकर जोत के रूप में इधर-उधर बिखरी हुई है और जिस पर खेती करने के लिये उत्तम बीज, उत्तम खाद तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हो सकती ऐसे किसान सहकारी खेती का सहारा लेकर लाभ उठा सकते हैं। सहकारी कृषि समिति खेती की योजनायें तैयार करती हैं तथा खेती सम्बन्धी सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराती हैं। प्रत्येक सदस्य को प्राप्त सुविधाओं का व्यय देना पड़ता है और अपनी योग्यता अनुसार कार्य भी करना पड़ता है। तदर्थ उन्हे अपने कार्य के अनुसार उचित मजदूरी अलग से मिलती है। वर्ष के अन्त में कुल लाभ सदस्यों को उनकी भूमि की मात्रा के अनुसार बांट दिया जाता है।

सहकारी खेती में खेती के अतिरिक्त फसल की बिक्री की व्यवस्था, गोदामों का निर्माण, यातायात की सुविधायें तथा कुल भूमि की जमानत पर साख प्राप्त करने का भी कार्य किया जाता है। सामूहिक प्रयत्नों से कार्य सच लन सुगमतापूर्वक होता

है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार अपना योग प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है और किसान शोषण में बच जाता है।

भारत में सहकारी खेती

[CO-OPERATIVE FARMING IN INDIA]

भारत में सहकारी खेती की दिशा में अनेक प्रयत्न किये हैं यद्यपि उन्हें पूरी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। सहकारी खेती प्रारम्भ में ऐसी भूमि पर शुरू की गई जो अभी हाल में खेती योग्य बनाई गई है और जिस पर श्रमणार्थियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को बसाने का कार्य किया गया है। ऐसी भूमि को सहकारी फार्मों का रूप दिया गया है और उसपर बसने वाले लोग सहकारिता के आधार पर खेती का कार्य करते हैं।

उत्तर प्रदेश में हिमालय की तराई में ४७ हजार एकड़ भूमि का एक चक्र तैयार किया गया है। सहकारी समितियों की सहायता से भूमि की जुताई बीज की व्यवस्था, औजारों तथा पशुओं का खरीदना, उपज की बिक्री, प्रबंध फसलों की देख रेख तथा पशु पालन आदि का संगठन होता है। सारा व्यय दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋण लेकर चलाया जाता है। सहकारी समिति की ओर से चिकित्सालय स्कूल, पंचायतों तथा सार्वजनिक संस्थाओं का संचालन भी होता है। गृह निर्माण तथा पशु खरीदने के लिए सरकार पेशगी रकम देती है। गंगा खादर क क्षेत्र में हस्तिनापुर नामक स्थान पर भी सहकारी खेती की दिशा में प्रयत्न किये गये हैं।

मद्रास प्रांत में भी सहकारी कृषि की एक प्रयोगात्मक योजना चालू की गई है। प्रबंध समिति में सरकार, जमींदार तथा किसानों के प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक किसान को २०५ रुपये बैल खाद एवं बीज खरीदने के लिए सहायता के रूप में दिया गया है।

दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्यों में भी सहकारी कृषि की प्रयोगात्मक योजनाओं पर कार्य हो रहा है और सरकार आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

इन सब सुविधाओं के होते हुए भी अभी तक सहकारी खेती की प्रगति बहुत मंद रही है। जिसके निम्नलिखित कारण हैं—

(१) भारतीय किसान विशेष रूप से अशिक्षित तथा अज्ञान हैं। उनके मन में अपनी आर्थिक दशा को सुधारने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। किसी भी नई योजना को चाहे वह उनके लिए कितनी ही हितकर क्यों न हो आसानी से अपनाने के लिये तैयार नहीं होते।

(२) भारतीय किसानों के मन में अपनी भूमि तथा निजी सम्पत्ति के लिए अगाध प्रेम है और वह किसी भी सूरत से अपनी स्वतंत्रता खोने को तैयार नहीं हैं। इन्हें इस बात का डर रहता है कि सहकारी कृषि समिति के निर्माण से उन्हें अपनी भूमि से ह्रास न घोना पड़ जाय इसीलिए वे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते।

(३) पंचायतों तथा संयुक्त परिवार जैसी संस्थाओं के पतन से हमारे किसानों की मनोवृत्ति व्यक्तिवादी हो गई है। उन्हें सहकारिता के लाभ समझकर सहकारी

खेती के लिए प्रोत्साहित करना उस समय तक असंभव है जब तक कि देश में काफी शिक्षा का प्रसार न हो जाए ।

(४) सहकारी कृषि समितियों को सुचारु रूप में चलाने के लिए सुयोग्य तथा प्रशिक्षितों को प्राप्त करना भी एक बड़ी समस्या है । अनपढ़ तथा अज्ञान किसानों में से इस प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों का मिलना असंभव है ।

यही कारण है कि भारत में सहकारी कृषि को उत्साहवर्धक सफलता प्राप्त नहीं हुई और इसकी प्रगति बहुत मन्द रही है ।

सहकारी खेती का भविष्य

[FUTURE OF CO OPERATIVE FARMING]

सहकारी खेती की सफलता के जिन कारणों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं वे सुगमतापूर्वक दूर किया जा सकता है । इस कार्य के लिए शिक्षा, प्रचार तथा प्रदर्शन आदि की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त मालगुजारी में छूट कम ब्याज की दर पर कम ऋण, कम मूल्य पर कृषि यंत्रों खाद्य तथा बीज की सुविधाएँ प्रदान करके किसानों को सहकारी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात को स्वीकार किया गया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारी खेती की प्रगति बहुत कम रही है यद्यपि इस समय भारत में एक हजार से अधिक सहकारी खेती समितियाँ कार्य कर रही हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना सहकारी खेती पर बहुत अधिक महत्व देती है और इन बातों की विचारणा करती है कि प्रारम्भ में केवल बजर तथा ग्राम भूमि को सहकारी खेती के अन्तर्गत लिया जाय । इसके पश्चात् निर्धारित न्यूनतम सीमा से छोटे आकार के खेत इस में शामिल किये जाएँ । बाद में धीरे धीरे समस्त ग्राम इसके अन्तर्गत ले लिए जाएँ । योजना आयोग ने सहकारी ग्राम प्रबंध को सहकारी खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना है और ग्राम की भूमि को एकत्र करने के लिए निम्नलिखित तरीके बनाये हैं —

(१) भूमि का स्वामित्व व्यक्तियों के पास बना रहे किन्तु समस्त भूमि का प्रबंध एक इकाई के रूप में किया जाये और भूमि के स्वामियों को स्वामित्व लाभों के रूप में कुछ न कुछ भुगतान किया जाये ।

(२) भूमि के स्वामी एक निर्धारित लगान पर एक निश्चित समय के लिये अपनी भूमि को सहकारी समिति को पट्टे पर उठा दें ।

(३) भूमि का स्वामित्व सहकारी समिति को दे दिया जाये परन्तु भूमि के मूल्य के रूप में सोसाइटी समिति के शेयर भूमि के स्वामियों के पास रहे ।

इन सब तरीकों में से प्रथम सबसे उपयुक्त एवं सुगम है और इस प्रकार प्रयोग गारंटी कदम उठाने की आवश्यकता है । योजना कमिशन के विचार में इस समय जब कि भूमि की धकबन्दी का कार्य चल रहा है सहकारी खेती का प्रचार अति आवश्यक है । सरकार अनेक प्रकार की सुविधाएँ तथा रियायतें देकर किसानों को इस ओर आकर्षित कर सकती है ।

इन बातों पर अधिक जोर देने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि सहकारी खेती भारत के लिये उपयुक्त ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है । इसके बिना

कृषि उत्पादन में वृद्धि करना अप्रभव है। डा० आटो शिलर, जो जर्मनी के सहकारी खेती के विशेषज्ञ तथा कृषि ग्रन्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, ने इस सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सुझाव दिये हैं। डा० आटो शिलर संयुक्त राष्ट्र के साथ तथा कृषि संगठन की ओर से भारतीय कृषि की समस्याओं का अध्ययन करने भारत पधारे। आपके मतानुसार सहकारिता के आधार पर व्यक्तिगत खेती भारत के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। आपकी योजना इस प्रकार है।

वे सभी कार्य जो किसी छोटे फार्म के अन्दर नहीं किये जा सकते और जो किसी छोटे किसान की क्षमता के बाहर हैं वे सब सहकारी समिति द्वारा व्यक्तिगत खेती की उन्नति के लिए किये जाने चाहिए। उदाहरण के लिए फसलों का नियोजन, बीज का चुनाव, साख की प्राप्ति, भारी यन्त्रों की प्राप्ति तथा फसल की बिक्री आदि के कार्य सहकारी समिति द्वारा किये जाएँ। अन्य सब कार्य व्यक्ति स्वतंत्र रूप से स्वयं करें। जर्मन विशेषज्ञ का मत है कि विप्लव की योजनाएँ जो जटिल प्रकार की हों और जिनमें अधिक टैक्नीकल ज्ञान की आवश्यकता हो वे जिला स्तर पर बनाई जाँय और तब सहकारी समितियों को दी जाएँ। उनके मतानुसार सहकारी कृषि समितियों को बिना व्याज के अथवा बहुत कम व्याज की दर पर ऋण प्रदान किये जाएँ जिससे कि वे कृषि के विकास के लिये विनियोग कर सकें। इन ऋणों का प्रयोग केवल खेती के कार्यों के लिये ही होना चाहिये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय कृषि की भावी रूप रेखा, सहकारी खेती पर आधारित होगी और यही देश की कृषि सम्बन्धी तथा भूमि सम्बन्धी समस्याओं का एक मात्र उपाय है।

प्र० ४२—योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित 'सहकारी ग्राम प्रबन्ध' को मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। (गोहाटी १९५३)

Discuss the idea of, Co-operative Village Management' as pointed out by the Planning Commission (Gauhati 1953)

सहकारी ग्राम प्रबन्ध का अर्थ—सहकारी ग्राम प्रबन्ध उन उत्तम व्यवस्था को कहते हैं जो रूसी ढंग की सामूहिक खेती तथा शिथिल सहकारी खेती के बीच का रास्ता है। त्रिलोक सिंह ने अपनी पुस्तक 'निर्धनता और सामाजिक परिवर्तन' में सबसे पहिले इसका उल्लेख किया। योजना कमीशन ने इसे भारत के लिए सबसे उपयुक्त माना है और अपनी भूमि सम्बन्धी नीति का मुख्य उद्देश्य घोषित किया है।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत गाँव की सारी भूमि एक साथ एकत्र करली जाए और उसका प्रबन्ध एक सन्स्था के सुपुर्द हो। वह सन्स्था चाहे ग्राम पंचायत हो अथवा ग्राम सन्स्था अथवा अन्य कोई सन्स्था। यह सन्स्था वे सभी निर्णय करेगी जिनका सम्बन्ध फसलों की अदल-बदल, साख की व्यवस्था, खेती के तरीकों बीज के प्रयोग, खाद का निर्णय, सिंचाई वगैरहों का फसल की बिक्री तथा सहायक उद्योगों के विकास आदि से है। यह आवश्यक नहीं है कि गाँव की सारी भूमि एक चक्र के रूप में हो। उसे कई खण्डों में बाँटा जा सकता है। यह कार्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में

रखकर किया जाना चाहिये। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि प्रजातन्त्र की मर्यादा की अवहेलना न होने पाये वरना सहकारी ग्राम प्रबन्ध का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो जावेगा। इस प्रकार कृषि तथा ग्रन्थ कार्यों से जो आय प्राप्त होगी वह भी उसी सन्ध्या के धावीन होगी।

सहकारी ग्राम प्रबन्ध तथा सहकारी खेती में अन्तर केवल इतना है कि सहकारी खेती में कोई भी सदस्य अपनी इच्छानुसार समिति से अलग हो सकता है किन्तु सहकारी ग्राम प्रबन्ध में भूमि का विलय सदैव के लिये हो जाता है। व्यक्ति की इच्छा का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिये कि व्यक्ति हर सूरत से अपनी भूमि का स्वामी रहता है किन्तु भूमि का प्रबन्ध उसके हाथ में नहीं रहता उसे अपने हिस्से का लाभ प्राप्त होता रहता है।

लाभ का विवरण—इस व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या सामूहिक लाभ के वितरण की है। यह किस प्रकार तय किया जाये कि इस वितरण का आधार क्या होना चाहिये। साधारण रूप से इसके दो आधार हो सकते हैं। प्रथम तो यह कि जो व्यक्ति जितनी भूमि का स्वामी है उसके आधार पर उसका भाग निश्चित कर दिया जाये। दूसरे यह कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सेवाओं के बदले उचित मजदूरी दी जाये। भूमि के स्वामित्व के अनुसार तथा सेवाओं के अनुसार वितरण का भाग तय करना एक जटिल प्रश्न है। इसका कारण यह है कि सब लोग एक ही भूमि के स्वामी नहीं होते तथा जिस प्रकार की सेवाएँ वे प्रदान करते हैं उनमें काफी भिन्नता होती है। इस समस्या के समाधान के लिये काफी विचार करने की आवश्यकता है ताकि किसी प्रकार के असन्तोष की सम्भावना न रहे।

सहकारी ग्राम प्रबन्ध के लाभ—यह मानना पड़ेगा कि भारत के लिये यह आदर्श व्यवस्था सावित होगी। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसान की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। योजना आयोग का मत है कि यह व्यवस्था प्रजातन्त्र के अनुकूल है और इससे आपस का भेद कम होगा तथा सबको अपनी उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं—

(१) उत्पादन में वृद्धि—इस व्यवस्था में काम करने की इच्छा में वृद्धि होगी तथा श्रम की कार्य कुशलता बढ़ेगी। अच्छे बीज, खाद तथा सिंचाई की सुविधाओं का प्रयोग हो सकेगा। चकवदी के जो भी लाभ हो सकते हैं वे सारे के सारे उपलब्ध हो जावेंगे। वैज्ञानिक ढंग की खेती काल तथा आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि होना स्वाभाविक तथा अनिवार्य है।

(२) सामाजिक न्याय—ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन होने से सामाजिक समानता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। आजकल नीच ऊँच तथा जाति भेद-भाव हमारी ग्राम व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। जब सभी वर्गों के लोग समान रूप से मिलकर कार्य करेंगे और मजदूरी प्राप्त करेंगे तो भेदभाव अपने आप समाप्त हो जावेंगे। प्रजातन्त्र में सामाजिक समानता स्थापित करने की यह एक अच्छी योजना है।

(३) स्थिरता—महकारी ग्राम प्रबंध सहकारी खेती की अपेक्षा अधिक स्थायी और स्थिर होगा क्योंकि एक बार भूमि का विलय हो जाने के बाद कोई भी सदस्य इससे अलग नहीं हो सकेगा। ग्राम प्रबंध संस्था के निर्णय समस्त ग्रामवासियों को प्रनिवार्य रूप से मानने पड़ते हैं। इसमें यह प्रणाली अधिक स्थिर तथा स्थाई बन जाती है।

(४) आर्थिक समानता—महकारी ग्राम प्रबंध प्रणाली का लाभ यह होगा कि अधिक भूमि के स्वामी, कम भूमि वाले किसान तथा भूमिहीन किसानों के बीच असमानता की खाई कम हो जायेगी और आपसी संघर्ष की कोई संभावना नहीं रहेगी। इससे भूमि सबन्धी अनेक समस्याएँ सर्वत्र के लिये समाप्त हो सकती हैं।

(५) व्यवहारिक महत्व—इस व्यवस्था का अन्तिम तथा सबसे बड़ा गुण यह है कि अन्य सभी प्रणालियों की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक है। हमारा वास्तविक उद्देश्य यह है कि भूमि के जोतने वाले को भूमि का स्वामी होना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह सब से सुगम उपाय है। शेष कोई भी व्यवस्था इतनी सुगमता पूर्वक इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती।

योजना कमीशन ने अपने शब्दों में सहकारी ग्राम प्रबंध के लाभ का उल्लेख इस प्रकार किया है—

‘एक बार सहकारी ग्राम प्रबंध की स्थिति आ जाने पर और ग्राम अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में कार्य के अन्तर्गत उत्पन्न हो जाने पर भूमि के स्वामी तथा भूमि हीनो के बीच के अन्तर का महत्व कम हो जावेगा तब वास्तविक अन्तर विभिन्न कार्यकुशलता वाले मजदूरों का होगा जो विभिन्न कार्यों, कृषक तथा गैर कृषक में लगे हुये हैं। ग्राम समाज के साधन जो कृषि, व्यापार तथा ग्राम उद्योगों से प्राप्त होंगे वे अधिकतम उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि करने के हेतु प्रयोग हो सकेंगे जो ग्राम के अन्दर तथा परस्पर सहयोग से ग्राम के बाहर की क्रियाओं से हो सकेगा। इस प्रकार के ग्राम समाज का एक संगठित, सामाजिक तथा आर्थिक ढांचा होगा जो एक उत्पादन तथा व्यापारिक इकाई के रूप में तहसील तथा जिले के आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ रहेगा। इस प्रकार एक ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की कल्पना की गई है जिसमें कृषि उत्पादन ग्राम उद्योग कृषि बिक्री और ग्रामीण व्यापार आदि का संगठन सहकारी समिति के रूप में होगा।’

सहकारी ग्राम प्रबंध की हानियाँ

हमने अभी तक सहकारी ग्राम प्रबंध व्यवस्था के लाभों का उल्लेख किया है किन्तु इसकी कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं जिन्हें दूर करने के लिये काफी सावधानी और सोच विचार की आवश्यकता है।

सबसे पहली बात तो यह है कि भारत जैसे देश में इस प्रकार की क्रांतिकारी योजना का लागू करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसमें जनता का पूरा सहयोग मिलना भी कठिन है यद्यपि शिक्षा के प्रसार में इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है।

दूसरा तर्क यह है कि जो लोग स्वयं खेती नहीं करते वे भी सामूहिक परिश्रम के द्वारा प्राप्त हुये लाभ के भागीदार होंगे क्योंकि भूमि पर उनका स्वामित्व बना रहेगा केवल उन्हें मजदूरी के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। शेष बात वही रहेगी जो आज है अर्थात् शहरों में रहने वाले तथा स्वयं खेती न करने वाले भी भूमि के स्वामी बने रहेंगे और भूमिहीन लोग केवल मजदूर मात्र ही रहेंगे जैसे कि वे आज कल भी हैं।

तीसरा तर्क यह है कि इस व्यवस्था के अपनाये जाने से भारी सख्या में ग्रामीण जनसख्या का भूमि के लिये कोई उपयोग नहीं रहेगा और ऐसे लोगों की समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जावेगी।

इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये योजना आयोग ने सिफारिश की है कि इस व्यवस्था को धीरे २ लागू करना चाहिये। इस व्यवस्था के लागू होने से जो समस्याएँ उत्पन्न होंगी उन्हें काफी सोच विचार के पश्चात् दूर किया जा सकता है। ग्रामीण उद्योगों के विकास से बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है।

अन्त में यह कहना अनुचित न होगा कि सहकारी ग्राम प्रबन्ध भारत के लिये सबसे उपयुक्त व्यवस्था है और इसे लागू करना परम आवश्यक तथा हितकर है।



अध्याय १४

सरकार की कृषि नीति

प्रश्न ४३—भारत सरकार की वर्तमान कृषि-सम्बन्धी नीति पर प्रकाश डालिए ।

Discuss the present Agricultural policy of the Indian Government.

कृषि नीति का विकास

भारत जैसे देश में जहाँ किसान अशिक्षित एवं निर्धन हैं कृषि के विकास के लिये राज का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है । आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास के लिए तो राज्य प्रयत्नशील रहता ही है तो फिर कृषि उद्योग को भी सफल बनाने का उसका कर्तव्य हो जाता है । दुर्भाग्य की बात है कि १९१९ तक सरकार की नीति इस ओर बहुत उदासीनता की रही । ईस्ट इंडिया कम्पनी ने तो कृषि उन्नति की ओर कुछ भी ध्यान दिया ही नहीं किन्तु जब शासन अंग्रेजी सरकार के आधीन आया तब वह भी तुरन्त इस ओर ध्यान न दे सकी क्योंकि उसके सामने शासन को सुचारु रूप देने की समस्या काफी जटिल थी । १९ वीं शताब्दी के अन्तिम एवं २० वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दिनों में भारत में बड़े अकाल पड़ जिनकी जाव करने के लिये १८८०, ९७, १८०१ में अकाल कमिशन की नियुक्ति की गई परन्तु सरकार ने उनके सुझावों को मानने से इनकार कर दिया । १९०३ में सिवार्ड कमीशन का भी कोई लाभ नहीं हुआ । १९०५ में एक अखिल भारतीय कृषि समिति की नियुक्ति की गई जिससे कुछ लाभ अवश्य हुआ ।

१९१९ के संविधान के अनुसार कृषि का समस्त कार्य प्रांतीय सरकार के अन्तर्गत आ गया । प्रत्येक प्रांत में एक कृषि मन्त्री की नियुक्ति की गई । इसके बाद १९२६ में कृषि कमीशन, १९२९ में कृषि खोज की राजकीय समिति एवं १९३४ में कृषि विपणन सलाहकार की नियुक्ति भी गई । १९३७ के बाद प्रांतों में जनता की सरकार बनी जिसने अनेक ऋण सम्बन्धी कानून पास किए और गूद एवं व्याज की अधिकतम मात्रा कानून द्वारा निश्चित की गई ।

द्वितीय महायुद्ध ने कृषि की समस्या को सब के सामने रखा । भारत की विदेशी खाद्यान्नों पर दयनीय निर्भरता ने हमें ही सरकार में अभूतपूर्व स्फूर्ति उत्पन्न की और मुसीबत का सामना करने के लिये निश्चित प्रयत्न किया गया । दो वर्ष तक केन्द्रीय एवं राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास और उत्पादन वृद्धि की अनेक योजनाओं का प्रारम्भ कर दिया । उन प्रयत्नों में अधिक अन्न उपकरणों, खादोपकरण एवं सभी

राज्यों में विशाल सिंचाई योजना है। इसमें अधिक सफलता प्राप्त करने के हेतु १९५० में प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों व आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाने और योजना को कार्यान्वित करने की विधि बनाने के लिए एक योजना आयोग की नियुक्ति की गई जिसने २०६६ करोड़ रुपये की प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाई जिसमें कृषि विकास तथा ग्रामोद्योग की योजनाओं को विशेष महत्व दिया गया था।

वर्तमान नीति—खेती की उन्नति करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का कार्य है। केन्द्रीय सरकार का कार्य तो केवल परस्पर सहयोग तथा समन्वय स्थापित करना है। नीचे प्रदेशीय कृषि विभाग के क्षेत्र में और कार्यों का वर्णन किया जाता है।

(१) कृषि शिक्षा—कृषि की उन्नति के लिए कृषि शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। हमारे देश के किसान अनपढ़ हैं। निर्धनता, निरक्षरता, अन्ध विश्वास, धर्मांधता, रुढ़िवादिता आदि बुरी आदतों ने यहां के किसान को अदूरदर्शी अज्ञानी, काहिल एवं कमजोर बना दिया है। कृषि सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए देश में कुछ विद्यालयों तथा अनुसन्धान केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। कृषि की उच्च शिक्षा व अनुसन्धान की सुविधायें पूना कोयम्बतूर, नागपुर, कानपुर, इलाहाबाद, लुधियाना के कृषि महाविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था नई दिल्ली, पूना कृषि संस्था आदि में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

परन्तु इस प्रकार की शिक्षा में कृषकों को कोई लाभ नहीं पहुँचा है। इसका मुख्य कारण यह है कि कृषि सम्बन्धी शिक्षा पाकर वह खेती नहीं करना चाहते वरन् शहर में रहकर नौकरी करना चाहते हैं। दूसरे कृषि सुधार के साधन जो बताये जाते हैं वह बहुत महंगे होते हैं। धन के अभाव से किसान पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता। इसलिए यह आवश्यक है कि गांव के प्राइमरी स्कूलों में कृषि को अनिवार्य कर देना चाहिए और वहां सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विश्व विद्यालय स्थापित करने के लिए एक नमिति की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक नई ग्रामीण शिक्षा योजना चालू की है। इससे कृषि सम्बन्धी सब प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य में एक जनता महाविद्यालय स्थापित करने की भी स्वीकृति दी है जिन्होंने देश की कृषि शिक्षा को एक नया माड व बल व प्रेरणा प्रदान की है।

(२) कृषि अनुसन्धान—१९२६ में इम्पीरियल कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिपार्च की स्थापना की गई परन्तु अब इसका नाम इम्पीरियल की जगह भारतीय हो गया है। अलग अलग राज्यों में कृषि विश्व विद्यालयों में अनुसन्धान कार्य हो रहा है जिसके लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। कृषि विभाग का कार्य है

वैज्ञानिक सुधारों और अनुसंधान द्वारा किसानों को लाभ पहुँचाना। इस दिशा में असाधारण प्रगति एवं कार्य हो रहा है और भविष्य में सरकारी सहयोग के फलस्वरूप इस क्षेत्र में और भी अधिक प्रगति हो सकेगी।

(३) प्रदर्शन और प्रचार—भारत में अधिकतर किसान अनपढ़ हैं। अतः वह किसी बात को समझने में असमर्थ हैं। इसलिये उनको प्रदर्शन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है और वह इस प्रणाली से सुगमता से समझ भी सकते हैं। इसीलिये सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा फार्मों पर खेती करने की विधि और उसके परिणामों को बताती हैं। परन्तु इससे किसानों को विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि किसान फार्मों पर जाकर मशीनों आदि को देखना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि हम इनका प्रयोग करने में असमर्थ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि किसानों के छोटे छोटे खेतों पर ही बीज छोटे छोटे औजारों अच्छी खाद आदि में परिवर्तन करके प्रदर्शन किये जाएं। हमारी सरकार इसी तथ्य पर अधिक जोर दे रही है। कृषि के सुधारों की खोज को किसान तक पहुँचाने का तरीका भी बड़ा गलत है क्योंकि यह घरबारी आदि में छपता है जो किसान के लिये बकार है। अतः सब सूचनाओं को किसान तक पहुँचाने के लिये फिल्म रिनेमा डामा गीत इत्यादि आदि बहुत उचित हैं और राज्य सरकारें अनुकूल कृषि संबंधी सूचनाओं को किसान के पास तक उपरोक्त प्रणाली से पहुँचाने में प्रयत्नशील हैं।

(४) फसल प्रतियोगिता—सरकार ने फसल को बढ़ाने के ध्येय से फसल प्रतियोगिता प्रणाली अपनाई है। इससे किसानों एवं सरकार दोनों पक्षों को बहुत लाभ पहुँचा है। देश व्यापी प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले को सरकार की ओर से कृषि पड्डित एवं ५०००) का नकद इनाम देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भी गाद तहसील, जिले आदि में भी इनामों का वितरण किया जाता है। भारत की गेहूँ की पैदावार ५१४ पीड प्रति एकड़ है। प्रतियोगिता द्वारा यह उत्पादन ५८६ ५ पीड तक बढ़ाया जा सकता है। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य वस्तुओं में भी इससे कितना लाभ हुआ है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने जगह २ पर बीज भण्डार भी खोले हैं जहाँ से किसानों को उत्तम बीज मिलते हैं। कृषि सम्बन्धी यंत्रों के वितरण का भी समुचित प्रबंध किया गया है। सरकार कुछ किसानों को विदेश भेजती है एवं ग्राम सुधार योजना को प्रारम्भ किया है। इससे किसानों को बहुत लाभ पहुँचता है।

पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा कृषि को प्रोत्साहन—भारत को राजनैतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त हो गई है। उसके बाद सरकार ने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के भी सफल प्रयास किये हैं। अतः स्वतंत्रता के बाद योजनाएँ बनाई गईं। इन योजनाओं का यह ध्येय है कि सभी चीजों में शीघ्रता से परिवर्तन इस प्रकार हो जिससे अर्थ व्यवस्था सन्तुलित और अविच्छिन्न रूप से अग्रसर हो ताकि सामुदायिक विकास उत्पादन में वृद्धि और उचित विनियमन का उद्देश्य पूरा हो सके।

पंचवर्षीय योजनाओं में किसान की स्थिति को मजबूत करके कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए १८४ करोड़ रुपये की योजना बनाई गई जिसकी सहायता से सन् १९५५-५६ तक देश में ७६१ लाख टन अन्न २०६ लाख गांठे जूट, १२५ लाख गांठे कपास, ४० लाख टन तिलहन तथा ७० लाख टन गुड़ के लिए मन्ने के उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। द्वितीय योजना में इसके लिये ५३८ करोड़ रुपये का आयोजना किया है। इन योजनाओं द्वारा कृषि की समस्याओं को सुगमता से हल किया जा रहा है।

पंचवर्षीय योजना में कृषि समस्या को हल करने के लिये बहुमुखी विकास का प्रबन्ध किया गया है जिसमें अन्न उत्पादन के साथ २ पशु सुधार सहकारी अन्दोलन का विकास डेरी फार्मिङ्ग, भूमि संरक्षण, वनों का विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यों की भी प्रगति होगी। लेकिन इस प्रगति में जो कठिनाई है वह है कृषक सहयोग, कुशल कर्मचारियों की कमी, आदि जो प्रगति में बाधा बनी हैं। किसान की समृद्धि एवं ग्रामीण विकास के लिये इन कठिनाइयों को दूर करने से ही कृषि नियोजन में उल्लेखनीय सफलता मिलकर कृषि का जीवन उत्तम हो सकता है। परन्तु सरकार इन समस्याओं को सुलझाने में सफल हो रही है। निःसन्देह भारत सरकार पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा प्रत्येक दृष्टि कोण से नवीन जीवन प्रदान कर रही है। योजनाओं एवं सरकार के कार्यों को सफल बनाने के लिये जनता के सहयोग की पूर्ण आवश्यकता है।



अध्याय १५

सहकारी आन्दोलन

प्रश्न ४४ — १९०४ से आज तक के सहकारी आन्दोलन के संक्षिप्त इतिहास पर प्रकाश डालिये । (कचकता ५६, पन्ना ४०, ४८, इलाहाबाद ४२)

Trace a brief history of the Cooperative Movement in India from 1904 upto date (Calcutta २६, unjab 40 48 A l'ha'ad 42)

उत्तर—सहकारिता एक प्रकार का आर्थिक संगठन है जिसमें एकात्री तथा शक्तिहीन व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर उन लाभों को प्राप्त करते हैं जो धनी एवं शक्ति बालों को प्राप्त होते हैं। सहकारिता का प्रभाव सामाजिक राजनीतिक औद्योगिक एवं शिक्षा आदि जीवन के सभी पक्षों पर पड़ता है। आधुनिक युग में अधिक मध्यस्थों के प्रकोप से एवं पूंजीपतियों की नीतियों से निधन व्यक्तियों की स्थिति अधिक खराब हो गई है। आर्थिक श्रेय से मध्यस्थों को दूर करना सहकारिता का उद्देश्य है एवं सहकारिता से निधन लोग अपनी उन्नति सुगमता से कर सकते हैं। यदि मनुष्य के जीवन से सहकारिता की भावना को हटा दिया जाये तो संसार में सन्म्यता का विनाश होकर घातक अर्थात् प्रकृति की सत्ता स्थापित हो जायेगी जिसमें शक्तिशाली मनुष्य ही जी सकेगा। सहकारिता के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए मैक्लेगन कमेटी ने कहा था कि "सहकारिता का सिद्धांत यह है कि लोईं विविक्त और शक्तिहीन व्यक्ति दूसरे के योग एवं नैतिक विकास तथा पारस्परिक सहयोग से अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऐसे भौतिक लाभ अथवा सुख प्राप्त कर सके जो धनाढ्यों या सशक्त लोगों को उपलब्ध है और अपने सहज गुणों का पर्याप्त रूप से विस्तार कर सकें। शक्तियों के सहयोग से भौतिक उन्नति होती है सम्मिलित कार्य से आत्म विश्वास बढ़ता है, एक इन शक्तियों की एक दूसरे पर प्रतिक्रिया के पल-स्वरूप जीवन के उच्च और समुन्नत स्तर की वास्तविक सिद्धि की आशा की जाती है जिसमें अधिक अच्छा व्यापार होगा, सुव्यवस्थित कृषि होगी तथा समृद्ध जीवन होगा।

भारत में कृषकों की शोचनीय दशा एवं ऋण प्रसूता के कारण सहकारिता का जन्म हुआ और इसका भारत के लिये बहुत अधिक महत्व है।

१९०४ का सहकारी साधन समिति अधिनियम— भारतीय सहकारिता में इसका बहुत महत्त्व है। इस कानून का मुख्य व्यय मिन यता, स्वयं सेवा और किसानों, कारीगरों तथा सीमित साधन प्राप्त व्यक्तियों में सहयोग की भावना को जागृत करना था। इस कानून में केवल उधार समितियों का दायित्व

असीमित था तथा ये ग्रामीण एव नागरिक क्षेत्रों में होती थी। शहरी उधार समितियों की अपेक्षा ग्रामीण उधार समितियों को अधिक महत्व प्रदान किया गया क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक थी। स्थानीय सरकार ने समितियों का निरीक्षण करने व नियंत्रण रखने के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया था जो इन समितियों की पूर्णरूप से देखभाल करता था।

१९०४ के अधिनियम की विशेषताएँ — इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषक शिल्पकार एवं सीमिन सायनों के व्यक्तियों में उत्स्फूर्त सहायता तथा बचत की भावना को जागृत करना। इसकी अन्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं —

(१) एक ही गाँव या कस्बे के १० ग्रामिण मिलकर सहकारी समिति की स्थापना कर सकते थे। २) सदस्यता के आधार पर समितियों का विभाजन दो वर्गों में किया गया। यदि किसी समिति के ५ सदस्य कृषक हैं तो ग्रामीण साख समिति (Raiffesten Type) कहलायेगी और यदि इतने ही सदस्य नगर निवासी हैं तो वह नगर साख समिति (Delijch Type) कहलायेगी। (३) प्रात के रजिस्ट्रार द्वारा समितियों का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। और यह रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के संगठन एवं निरीक्षण के लिए जिम्मेदार था। (४) ग्राम समिति के सदस्यों की देनदारी असीमित और नगर समिति के सदस्यों की देनदारी सीमित होगी परन्तु इनकी इच्छानुसार असीमित भी हो सकती है। (५) ग्रामीण साख समितियों के लाभ का वितरण सदस्यों में न होकर संचित कोष में जमा कर दिया जायेगा। यदि कोष की रकम वृद्धान्तिक राशि से अधिक हो जाये तो वह सदस्यों में बोनस के रूप में बाँट दी जायेगी। परन्तु शहरी समितियों के वार्षिक लाभ का ३ भाग कोष में रखकर शेष राशि को सदस्यों में बाँटने की व्यवस्था थी। (६) दो सदस्यों की जमानत प्राप्त हो जाने पर यह समिति किसी सदस्य का रुपया उधार दे सकेगी। (७) सहकारी साख समितियों का निरीक्षण उसके हिसाब की जाच सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा निशुल्क होगी। (८) सहकारी समितियों को आयकर रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प कर से मुक्त रखने की व्यवस्था दी गई। (९) कोई भी सदस्य समिति के १०००) रुपए से अधिक के हिस्से नहीं खरीद सकता और न उसे एक से अधिक वोट देने का ही अधिकार प्राप्त होगा। (१०) एक समिति दूसरी समिति को बिना रजिस्ट्रार को सूचित किये या बिना आज्ञा प्राप्त किये अपना उधार नहीं दे सकती थी।

इस कानून के पास होत ही सहकारी ऋण समितियों की संख्या बढ़ने लगी क्योंकि इनकी वृद्धान्तिकता प्राप्त हुई और साथ ही साथ सरकारी बल भी जिससे सकारिता का विकास भली भाँति हुआ। १९०६—०७ में समितियों की संख्या ८४३ थी जब कि प्रगत के पत्र पर बढ़ते २ इनकी संख्या १९११—१२ में ८१७७ हो गई थी। परन्तु इस कानून से सहकारी साख समितियों को प्रधानता दी गई थी जिससे

अन्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों का प्रभाव रहा। किसानों की भलाई के लिये यह आवश्यक समझा जाने लगा कि उनको सभी तरह की सहकारी समितियाँ खोलने की आज्ञा हो। इन सहकारी समितियों की क्रियाओं में अनेक दोष भी विद्यमान थे। दूसरी ओर कानून का क्षेत्र संकृचित होने के कारण उनकी अधिक उन्नति न हो पाई। इन समस्याओं को दूर करने के लिये एव इसकी प्रगति के लिए सामयिक रजिस्ट्रार सम्मेलन (Periodical Cooperative Registrar's Conference) बुलाया गया और इस सम्मेलन में सरकार का ध्यान इन दोषों को दूर करने के लिए आकर्षित किया। अनेक दोषों के निवारण के लिये १९२२ में दूसरा विधान स्विकृत किया गया।

सन् १९१२ का कानून — इस कानून को पास करने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि १९०४ के कानून में जो कमियाँ एव त्रुटियाँ रह गई थी उन्हें दूर किया जाय। इस कानून से सहकारिता को अधिक वन प्राप्त हुआ। इस नियम की मुख्य विशेषताएँ यह थी—(१) ग्राम समितियों के अधिकारों में और साथ समितियों की स्थापना की भी व्यवस्था की गई जैसे क्रीडा समिति, गुट निर्माण समिति आदि (२) निरीक्षण, अन्वेषण व पूजा की पूर्ति के लिए सहकारी समिति सघानो (Federation of Co-operative Societies) की रजिस्ट्री का आयोजन किया गया जैसे (अ) प्राथमिक समितियों को सम्मिलित करने वाले सघ जिनका मुख्य कार्य समितियों पर नियन्त्रण रखना हो। (ब) केन्द्रीय बैंक। (स) प्रान्तीय बैंक। (३) किसानों की अधिकता वाली समितियों में असीमित दायित्व कायम रखकर दोष समितियों के लिये गाँव व नगर का अंतर मिटा दिया गया। (४) समस्त समितियों को आदेश दिया गया कि वे अपने लाभ का चतुर्थांश सुरक्षित कोष में जमा करने के बाद दोष लाभ का बृद्ध भाग जो लाभ के १० प्रतिशत से अधिक न हो शिक्षा अथवा दान सम्बन्धी कार्यों पर व्यय कर सकती हैं। (५) किसान की कुर्की के समय उसके सहकारी समितियों के हिस्से कुर्की नहीं किया जा सकता। यदि एक किसान पर समिति का पैसा चाहिये तथा अन्य किसी व्यक्ति का भी तो पहले समिति का रूपया अदा होगा और बाद में किसी दूसरे का। (६) अन्य समितियों के दायित्व के सम्बन्ध में समितियों के सदस्यों को स्वतन्त्रता है। असीमित दायित्व वाली समिति अपने लाभ का ३ भाग संचित कोष में रखने के बाद प्रान्तीय सरकार की अनुमति में लाभ दे सकती है।

१९१५ के अधिनियम से इस आन्दोलन के विकास की पर्याप्त बल मिला। इस विषय में की हुई उन्नति के परीक्षण के लिये मैकलैगन कमेटी बनाई गई।

मैकलैगन समिति १९१४—सहकारी आन्दोलन उन्नति की ओर तो बढ़ ही रहा था परन्तु इस समिति की स्थापना का मुख्य ध्येय था सहकारी आन्दोलन की प्रगति तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में जाब कर उन्नति के लिये सिफारिशें पेश करना। इस समिति ने अपनी रिपोर्टें १९१५ में दी। इसने अपनी रिपोर्टें में आन्दोलन को और अधिक सफलता प्रदान करने के लिये मूलभूत एव महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रदान की। इस रिपोर्टें का आज भी भारतीय सहकारिता के

इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु दुर्भाग्य से इसकी पेश की गई सिफारिशों को ठीक रीति से नहीं अपनाया गया।

समिति ने सहकारी आन्दोलन के निम्नलिखित दोषों पर प्रकाश डाला —

(१) सहकारी साख समितियाँ ऋण देने समय कृषकों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखती वरन् अपने सगे सम्बन्धियों को ही लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करती हैं। (२) इस आन्दोलन की प्रगति न होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि जहाँ ता इन्हे सरकारी बैंक ही समझती है एव सरकारी काय का एक भाग। (३) समिति के अधिकांश सदस्य अनपढ़ होने के कारण सहकारी समिति के सिद्धान्तों से पूर्णतया अनभिज्ञ रहते हैं जिससे समितियों का काय समुचित रूप से प्रगति नहीं कर पाता। (४) ऋण को वापिस लेने के लिये समिति सदस्य यथा सभव प्रभावपूर्ण कायवाही नहीं करते। (५) समिति के सदस्य अधिकतर अपने स्वयं का कार्य ही करते हैं और वेनामी हक्कों पर बहुत सा धन स्वयं ही ले लेते हैं। उपरोक्त कमियों के कारण समिति का कार्य भली प्रकार नहीं हो पाता है। इस समिति ने सहकारिता के विकास के लिये निम्नलिखित सुझाव पेश किये हैं —

(१) सहकारिता की उन्नति के लिये जनता को सहकारिता के विद्वानों एव उनके बारे में जानना अति आवश्यक है। सदस्यों का समुचित चुनाव होना चाहिये तथा इनका प्रचार कार्य भी होना चाहिए। (२) साख देने से पहिले जमानत लेना अति आवश्यक है। (३) रुपया केवल सदस्यों को ही उधार दिया जाये। (४) ऋण उत्पादन कार्यों के लिये ही दिया जाय। (५) पर्याप्त राशि में सचिव कोष रखने की व्यवस्था एव मितव्ययता को प्रोत्साहन देना चाहिए। (६) ऋण दिया हुआ धन अर्वाधिक के अन्दर ही वापिस लेने पर अधिक जोर दिया जाय। (७) प्रान्तीय सहकारी बैंकों की स्थापना इनके ऊपर नियन्त्रण के लिये की जाये। (८) ऋण देने सम्बन्धी अन्तिम अधिकार पदाधिकारियों के अतिरिक्त सदस्यों को होना चाहिये। (९) लखा पुरतकों की पूरी जाच हानी चाहिये। (१०) ईमानदारी ही साख का मूल आधार माना जाये।

१९१६ के सुधार कानून द्वारा उक्त सुझावों के आधार पर सहकारिता को प्रान्तीय विषय बना दिया गया। प्रान्तीय सरकारों ने इसको काफी सफल बनाने के प्रयास किये और कुछ सरकारों ने तो कानूनों का भी निर्माण किया। १९१८-२० तक हमारे देश में २८ हजार सहकारी समितियाँ थीं। १९२४-२५ में इनकी संख्या बढ़कर ५८ हजार और १९२६-२७ में ६४ हजार हो गई। निःसंदेह सहकारिता के प्रान्तीय विषय होने से दस वर्ष के अन्दर ही यह प्रगति सराहनीय थी।

१९२६-२७ की भारी आर्थिक मन्दी के कारण सहकारी आन्दोलन को भारी हानि पहुंची क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत विगड़ गई जिससे समितियों को रुपया वसूल करना कठिन हो गया। परन्तु युद्ध के समय तथा युद्ध के बाद इस आन्दोलन की सभी दिशाओं में तीव्र उन्नति हुई। समितियों की संख्या, सदस्य संख्या तथा उनमें जमा किये जाने वाले धन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सहकारी आन्दोलन — भारत की स्वतन्त्रता मिलने

के बाद के काल में सहकारी आन्दोलन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कदम १९५१ में उठाया गया जब रिजर्व बैंक ने एक निर्देशक समिति (Committee of Direction) की नियुक्ति की। भारत में ग्रामीण साख के ढांचे की विस्तारपूर्वक जांच की और उसमें सुधार के सुझाव पेश किये। इस समिति की रिपोर्ट १९५४ में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैसे तो सहकारी आन्दोलन को प्रारम्भ हुए ५० वर्ष हो चुके हैं किन्तु फिर ग्रामीण साख के क्षेत्र में महज नया तथा साहूकार आदि का ही बोलचाल है। सहकारी संस्थाएँ न केवल ३% मात्र किसानों को प्रदान किये जो केवल नाम मात्र के बराबर ही है फिर भी समिति ने विचार प्रकट किया कि भारत में सहकारी आन्दोलन के विकास की सम्भावनाएँ बहुत अधिक हैं इसलिये इसकी सफलता के हेतु अनुकूल वातावरण उत्पन्न होना चाहिये। इसके लिये समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं —

(१) प्रत्येक स्तर पर सरकार सहकारी संस्थाओं से साझेदारी (State Partnership at all levels) करे।

(२) साख को अन्य कार्यों विशेषकर फसल की बिक्री तथा गोदाम में रखने आदि से सम्बन्धित कर दिया जावे।

(३) आधार शिक्षा के रूप में प्रारम्भिक कृषि साख समितियों का विकास जिससे वे आत्म-निर्भर इकाया बन सकें।

(४) सनस्त देश में अनाज गोदामों की स्थापना जिससे किसान अपनी फसल की बिक्री उचित ढंग से कर सकें।

(५) सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था।

(६) इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण ताकि यह सहकारी साख संस्थाओं को सहायता प्रदान कर सके और उनके विकास में योग दे।

सरकार ने उपरोक्त सुझावों को स्वीकार करते हुये निम्नलिखित कदम उठाए:-

(१) १ जुलाई १९५५ को स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना अर्थात् इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण। १९५७ के अन्त तक बैंक ने १५७ नई शाखाओं की स्थापना का जबकि इसका लक्ष्य ५ साल के भीतर ४०० नई शाखाएँ स्थापित करने का है।

(२) मई १९५५ में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार बैंक न दो प्रमुख कोषों की स्थापना की जिनमें से प्रथम राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष [National Agricultural credit (Long Term operations)] तथा दूसरा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरिकरण) कोष [National Agricultural (stabilization) Fund] प्रथम कोष फरवरी १९५६ में १० करोड़ रुपये में स्थापित किया गया और प्रतिवर्ष उसमें ५ करोड़ रुपये और जमा करने की व्यवस्था है इस कोष के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

(अ) राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण देना ताकि वे सहकारी संस्थाओं की पूंजी में साझेदारी कर सकें।

(ब) मध्यम कालीन (Medium Term) कृषि साख की व्यवस्था करना ।

(स) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको को दीर्घकालीन साख प्रदान करना ।

(द) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको के डिबेन्चर (Debentures) खरीदना ।

दूसरा कोष १९५५-५६ वर्ष के अन्त में १ करोड़ रुपए से स्थापित किया गया और १-५६-५० में उसमें १ करोड़ रुपया और जमा किया गया । इस कोष का उद्देश्य प्रान्तीय सहकारी बैंको को मध्यम कालीन साख प्रदान करना है ताकि सूखा तथा अकाल की हालत में वे अल्पकालीन साख को मध्यम कालीन साख में बदल सकें ।

(३) भारत सरकार ने ६ अगस्त १९५६ को राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड (National co-operative Development and Warehousing Board) की स्थापना की और इसी के साथ २ मार्च १९५७ को केन्द्रीय गोदाम निगम (Central Warehousing Corporation) की स्थापना की ।

(४) सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये एक सहकारी प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति (Central Committee for Co-operative Training) बनाई गई है । इस कमेटी की योजना के अनुसार उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण का केन्द्र पूना में स्थापित किया गया है । मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये ५ क्षेत्रीय केन्द्र तथा ८ केन्द्र सामुदायिक विकास खण्डों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये स्थापित किये गये हैं ।

इस प्रकार भारत में सहकारी आन्दोलन के विकास में रिजर्व बैंक एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । अनुमान लगाया गया है कि देश में ८८१ करोड़ व्यक्ति अर्थात् २२.८% जनसंख्या सहकारी आंदोलन में सम्मिलित करली गई है ।

प्रश्न ४५ — भारत में सहकारी आन्दोलन की रूप-रेखा तथा संगठन की विवेचना कीजिये ।


(राजपूताना ५३, ५६)

Explain the organization and structure of the Co-operative Movement in India

(Rajputana 53, 56)

उत्तर भारत में पाई जाने वाली सहकारी समितियों को मुख्य रूप से दो भागों में बाटा जा सकता है अर्थात् प्राथमिक समितिया तथा द्वितीय श्रेणी की समितिया । प्राथमिक समितिया प्रत्यक्ष रूप से अपने सदस्यों से व्यवहार करती हैं जबकि द्वितीय श्रेणी की समितिया जिसमें सहकारी सघ केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राणिय तथा सहकारी बैंक शामिल हैं, प्राथमिक समितियों से व्यवहार करते हैं और उन्हें सहायता देते हैं । प्राथमिक समितियों को भी दो श्रेणियों में बाटा गया है अर्थात् सख समितिया तथा गैर-साख समितियाँ । साख समितिया भी दो प्रकार की होती हैं—प्रथम कृषक साख समितिया और गैर कृषक साख समितियाँ । इसी प्रकार गैर साख समितिया भी कृषक और गैर कृषक दो श्रेणियों में बांटी गई है । निम्नलिखित रेखाचित्र से सहकारी आंदोलन के संगठन तथा सहाय रूप रेखा का ज्ञान हो सकता है —

भारतीय श्रमशास्त्र : सरल प्रणयन



प्रारम्भिक कृषि साख समितियाँ— हम जानते हैं कि भारत में सहकारी आन्दोलन का श्रीगणेश किसानों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था। आज भी कृषि साख समिति भारतीय सहकारी आन्दोलन की आधार शिला है हालांकि गैर साख समितियों के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। १९५५ के अन्त में कुल साख समितियों की ७८८ प्रतिशत सख्या कृषि साख समितियों की थी। कृषि साख समितियाँ केवल एक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। अर्थात् अपने किसान सदस्यों को कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करती हैं। यद्यपि शाही कृषि कमीशन ने इसी प्रकार की समितियों को भारत के लिए उचित समझा था किन्तु सहकारी नियोजन कमेटी (Co-operative Planning) ने प्राथमिक कृषि साख समितियों के स्थान पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की सिफारिश की है जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे।

कृषि गैर साख समितियाँ—यद्यपि भारत में सहकारी आन्दोलन साख आन्दोलन के रूप में प्रारम्भ हुआ किन्तु दूसरे महायुद्ध तथा उसके बाद के वर्षों में कृषि गैर साख समितियों की सख्या में भी समुचित वृद्धि हुई है। १९५४-५५ में भारत में कृषि-गैर साख समितियों की सख्या ३०१९७ थी। कृषि गैर साख समितियों में निम्न लिखित प्रकार की समितियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

- (१) देहात सुधार समिति (Better living Societies)
- (२) उत्तम कृषि समिति (Better Farming Societies)
- (३) चक्रबन्दी समिति (Consolidation of holdings Societies)
- (४) सिंचाई समिति (Irrigation Societies)
- (५) पशु पालन समिति (Cattle Breeding Societies)
- (६) दुग्धशाला समिति (Dairy Societies)
- (७) सहकारी कृषि समिति (Co-operative Farming Societies)
- (८) सहकारी बिक्री समिति (Co-operative Marketing Societies)
- (९) सहकारी बीमा समिति (Co-operative Insurance Societies)

उपरोक्त सभी प्रकार की समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में साख को छोड़ कर किसानों की अन्य प्रकार की आवश्यकताओं को सहकारिता के आधार पर पूरा करती हैं। इनमें से सहकारी बिक्री समितियों को विशेष सफलता मिली है।

गैर कृषि साख समितियाँ— गैर कृषि साख समितियाँ नगर समितियों (Urban Societies) का दूसरा नाम है। इन समितियों की स्थापना से कर्म-दानी बंसे लोगों तथा मजदूरों इत्यादि की सहायता होती है। जरूरतमन्द लोग इस प्रकार की समितियाँ बना सकते हैं जिनसे उन्हें व्यक्तिगत जमानत तथा निजी संपत्ति की जमानत पर ऋण प्राप्त होते हैं। द्वितीय महायुद्ध तथा उससे उत्पन्न होने वाले

नगर साख आन्दोलन को विशेष प्रोत्साहन दिया है। १९५४—५५ में भारत में इस प्रकार की ६३४३ समितियाँ थीं जिनकी सम्पत्ति सरकारी २८ लाख से ऊपर थी तथा जिनकी क्रियाशील पूँजी ८ करोड़ से भी अधिक थी।

गैर कृषि गैर साख समितियाँ— गैर कृषि गैर साख समितियाँ हमारे नगर जीवन की उन सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं जो वस्तुओं के उत्पादन वितरण मकानों के निर्माण आदि से सम्बन्ध रखती हैं। गैर कृषि गैर साख समितियों में निम्नलिखित प्रकार की समितियाँ विशेष महत्त्व रखती हैं।

(१) सहकारी उपभोक्ता भण्डार (Co-operative Consumer Societies)

(२) औद्योगिक सहकारी समितियाँ (Industrial Co operative

(३) सहकारी गृह निर्माण समितियाँ (Co operative Housing Societies)

सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन को दूसरे महायुद्ध के दिनों में विशेष प्रोत्साहन मिला क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर सरकार को नियन्त्रण करना पड़ा और जनता को चोर बाजारी तथा अशुद्धियों से बचाने के लिए प्रत्येक नगर तथा मोहल्ले में सहकारी उपभोक्ता भण्डार स्थापित किये गये। औद्योगिक सहकारी समितियों का विकास मुख्य रूप से हैण्डलूम में हुआ है। १९५४ के अन्त तक भारत में ६४२०० जुलगे इस प्रकार की समितियों के सदस्य बन चुके थे। पाकिस्तान में आये हुए शरणार्थियों को बसाने के लिए बहुत से औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कई चीनी की मिलें सहकारी आधार पर स्थापित की जायेगी। जहाँ तक सहकारी गृह निर्माण समितियाँ का प्रश्न है पिछले तीन चार वर्षों में इन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की है। जिसका मुख्य कारण यह है कि सरकार कम आमदनी वाले लोगों को मकान बनाने के लिए सहकारी गृह निर्माण समितियों के माध्यम से ऋण देती है। ऐसी आशा की जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की समितियाँ और प्रगति करेंगी।

द्वितीय श्रेणी की साख समितियाँ

[SECONDARY SOCIETIES]

द्वितीय श्रेणी की सहकारी समितियाँ वह होती हैं जो प्राथमिक समितियों के संगठन के रूप में स्थापित की जाती हैं और उनका निरीक्षण करती हैं तथा उन्हें आर्थिक सहायता देती हैं। यह तीन प्रकार की होती हैं—

(१) सहकारी संघ (Co operative Union)—यूनियन एक प्रकार से समितियों के संघ या फडरेशन होते हैं जो एक निश्चित सीमा के अन्दर ही कार्य करते हैं। इनका प्रबन्ध सदस्य समितियों के प्रतिनिधित्व की एक कमेटी द्वारा होता है। ये यूनियन केन्द्रीय वित्तीय संस्थाएँ तथा प्रारम्भिक संस्थाओं के बीच में एक शृङ्खला का कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रारम्भिक संस्थाओं की देखभाल करना रहता है। संघ प्रायः तीन प्रकार के होते हैं—

(१) संरक्षित संघ (Guaranteeing Unions)—ये संघ सदस्य समितियों को केन्द्रीय बैंक से ऋण दिलाते हैं और उनके लिए धन बढ़ाते हैं।

(२) निरीक्षक संघ (Supervising Unions)—इन संघों का कार्य है सदस्य समितियों का निरीक्षण करना एवं पथ प्रदर्शन करना। इसके अतिरिक्त यह और भी अनेक कार्य करते हैं जैसे सहकारिता के निरीक्षण व सदस्यों की शिक्षा और विप्रेषण तथा पूर्ति के कार्यों में सहयोग देना। आर्थिक आवश्यकताओं तथा साख व सम्पत्ति के विवरण के आधार पर अनुमान लगाना। प्राथमिक समितियों तथा उच्च समितियों में सम्बन्ध स्थापित करना इत्यादि। परन्तु आधुनिक समय में यह संघ भी भली प्रकार कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

(३) साहकारी संघ (Banking Union)—ये संघ दोनों प्रकार के कार्य अर्थात् ऋण का संरक्षण व सदस्य समितियों का निरीक्षण आदि का कार्य करते हैं। भारत में इस प्रकार के संघों की बहुत कमी है।

(४) केन्द्रीय बैंक (Central Bank)—१९११ के पूर्व के अधिनियम में यह आशा की जाती थी कि समितियों के सदस्यों द्वारा काफी धन एकत्र हो जाएगा और इस प्रकार हमारी पूंजी की समस्या पूर्णतया हल हो जाएगी परन्तु यह आशा पूरी न हो सकी। १९१२ के सहकारी समिति अधिनियम द्वारा केन्द्रीय बैंक का संगठन प्रारम्भ हुआ। यह बैंक प्राथमिक समितियों को आर्थिक सहायता के साथ २ समिति की कार्यशैली पूंजी को मनुलित करने का भी कार्य करते हैं। यह बैंक विलो को उगाड़ते हैं, बैंक भुनाने का कार्य करते हैं अमानत स्वीकार करते हैं और कुछ राज्यों में अचल पूंजी के विरुद्ध व्यक्तियों को ऋण भी देते हैं। केन्द्रीय बैंक भी दो प्रकार के होते हैं—

(१) शुद्ध बैंक (Pure Central Bank)—ऐसे सेन्ट्रल बैंक जिनको सदस्य केवल समिति ही हो सकती है जिन्हें बैंकिंग यूनियन भी कहा जा सकता है। इनकी नीति का निर्धारण व प्रवर्धन सब कुछ सहकारी समितियों द्वारा ही होता है।

(२) मिश्रित बैंक (Mixed Central Bank)—इस प्रकार के बैंकों के सदस्य समितियों एवं व्यक्ति दोनों ही हो सकते हैं। इस प्रकार के बैंकों को अधिक धन भी प्राप्त हो जाता है और अनुभवी व्यापारियों में व मध्यम वर्ग के सदस्यों की सलाह भी आसानी से प्राप्त हो जाती है।

केन्द्रीय बैंक के सभी सदस्यों की साधारण सभा होती है जो संचालक मंडल के सदस्यों को चुनती है। प्रत्येक मनुष्य को एक वोट का अधिकार मिलता है। संचालक एवं कार्यकारिणी को चुनता है। बैंक की आय की जाच सरकारी एडीटर्स द्वारा की जाती है तथा निरीक्षण रजिस्टार और सहकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

गत वर्षों में केन्द्रीय बैंकों की आर्थिक स्थिति में काफी उन्नति हुई है। बैंकों की डिपोजिट तथा कार्यशील पूंजी में काफी वृद्धि हुई है। इस बात को काफी प्रोत्साहन

दिया गया है कि वैयक्तिक सदस्यता का ग्रन्थ कर समिति के सदस्यों को बढ़ाया जाए। केन्द्रीय बैंक ने कुछ गैर सार्व सम्बन्धी कार्य को भी प्रोत्साहन दिया।

प्रान्तीय बैंक (Provincial Banks)—इस बैंक को सहकारी संगठन में सबसे उच्चतम स्थान प्राप्त है। यह केन्द्रीय बैंक के लिए वही कार्य करता है जो केन्द्रीय बैंक प्राथमिक समितियों के लिए करता है। इसकी सदस्यता (पञाब एव वङ्गाल को छोड़कर) सहकारी समितियां व व्यक्ति दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रान्तीय बैंक केन्द्रीय बैंक की प्राथमिक व्यवस्था व कार्य संचालन दोनों की व्यवस्था करता है। प्राथमिक समितियों में इन बैंकों का सीधा सम्बन्ध नहीं होता वरन् केन्द्रीय बैंक से सम्बन्ध होता है लेकिन केन्द्रीय बैंक के अभाव पर इनका सीधा सम्बन्ध होता है। यह बैंक रिजर्व बैंक से ऋण लेकर केन्द्रीय बैंक व प्राथमिक साख समितियों को ऋण देने हैं फिर व्यक्तिगत ऋण प्राप्त होता है। केन्द्रीय बैंक पर इनका कोई नियन्त्रण नहीं होता।

इस सर्वोपरि बैंक के संचालन में सहकारी सस्थाओं का ही प्रमुख भाग होता है। वरन् व्यक्तिगत हिस्सेदार भी संचालक मण्डल में होते हैं। इन बैंकों की कार्यशील पूंजी का निर्माण हिस्से की पूंजी, सदस्य बैंकों से मुल्क, सहरी व ग्रामीण समितियों से प्राप्त जमा के रूप में धन तथा और दूसरे के अग्रिम ऋण से होता है।

गत वर्षों में भारत में प्रान्तीय बैंकों ने विशेष प्रगति की है। इनकी कार्यशील पूंजी में काफी वृद्धि हुई। इस वृद्धि के होने का मुख्य कारण डिपोजिट्स की अधिकता है। बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त उन्होंने सहकारिता के अन्य कार्यों में भी काफी सहयोग प्रदान किया है जैसे उन्होंने कतिपय सहकारी संघों को मिलाकर उन्हें पूंजी की सहायता देकर, कंट्रोल की वस्तुएं बेचने में जिससे चोर बाजारों को प्रोत्साहन न मिले सहायता प्रदान की है। कुछ लोगों का यह भी सुभाव है कि प्रान्तीय बैंकों को महाजनी बैंकिंग में अपनी अधिक शक्ति लगाने की अपेक्षा उन्हें सहकारिता की दिशा में ही अधिक कार्य करना चाहिए।

प्रश्न ४६—भारत में सहकारी आन्दोलन की सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए।

(कलकत्ता २८; १५; ३६; पञाब ३३, ४८)

अथवा

भारत में सहकारी आन्दोलन किसानों के लिए कहा तक सहायक सिद्ध हुआ है ?

(आगरा १९४७)

Make an estimate of the achievements of the Co-operative Movement in India

(Calcutta 28, 35, 39, Punjab 33, 48)

Or

How far have the Co-operative Movement proved helpful to the agriculturist in India ?

(Agra 1957)

उत्तर—भारतीय सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ से ही विवाद का विषय रहा है सहकारिता के विशेषज्ञों ने तथा सरकार द्वारा नियुक्त कमेटियों तथा कमीशन

ने सहकारी आंदोलन के अनेक दोषों का उल्लेख किया तथा इसकी उन्नति के सुभाव दिये हैं। यद्यपि सहकारी आंदोलन में अनेक दोष पाये जाते हैं और इनकी प्रगति भी मद रही है किन्तु सहकारी आंदोलन से भारत को विशेष लाभ भी प्राप्त हुये जो निम्नलिखित हैं *—

(१) सहकारी साख समितियों की स्थापना से पूर्व किसानों को महाजन से प्राप्त होने वाले कर्जों पर बहुत अधिक व्याज देना पड़ता था। सहकारी आन्दोलन से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित व्याज की दर में सामान्य रूप से कमी हो गई है।

(२) सहकारी आंदोलन से हमारे ग्रामीण जनो में धन बचाने की भावना को प्रोत्साहन मिला है। उनमें पूजा की भावना उदय होने लगी है।

(३) भारत जैसे निधन तथा कृषि प्रधान देश के लिये सहकारी आंदोलन एक वरदान सिद्ध हो रहा है। इससे लोगों के नैतिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुआ है।

भारत में सहकारी आन्दोलन की सफलता—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के काल में देश में सहकारी आन्दोलन का प्रत्येक दिशा में विस्तार हुआ है। हमारी राष्ट्रीय सरकार की नीति यह है कि भारत की समस्त आर्थिक समस्याओं को यथा संभव सहकारिता के आधार पर ही सुलझाया जाये तो अधिक हितकर होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के विकास पर विशेष ल दिया जा रहा है सहकारी आन्दोलन की सफलता का कुछ अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है —

	१९५१—५२	१९५५—५६
समितियों की संख्या	१८५६५०	२४०३६५
सदस्यों की संख्या	१३७६१६८७	१७६२१८८७
क्रियाशील पूजा (Working Capital)	(हजार रुपये में)	
	३०६३३७७	४६८८१६६
(अ) हिस्से वाली पूजा	४६०८१५	७११५६३
(ब) सुरक्षित तथा अन्य कोष	४३५१४६	६२२७६१
(स) लिये गए कर्ज —		
(i) सहकारी संस्थाओं से	४६७७३५	८०४६२४
(ii) रिजर्व बैंक से	६८५२६	१४०७४२
(iii) सरकार से	१४१२०६	२४३२६४
(iv) अन्य साधनों से	६७३२४	६५३४
(द) जमा पूजा (Deposits) —		
(i) सहकारी संस्थाओं से	४७६०१	११६७४०
(ii) प्रारम्भिक समितियों से	१५८६२१	२५४२१३

(iii) निजी व्यक्तियों से	६६४४१८	१८८०३७८
(iv) भूमि बंधक बैंको तथा समितियों से कर्जों—		
(1) डिवेन्चर	७६१३४	१५०२००
(ii) अन्य साधन	८२८४३	१२३७५४

सहकारी आंदोलन के विस्तार से केवल समितियों की संख्या तथा सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि नहीं हुई है वरन् इससे देशवासियों को अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त हुए हैं। यह लाभ ही सहकारी आंदोलन की वास्तविक सफलता है। इन्हें हम चार ध्रेणियों में बांट सकते हैं :—

(१) आर्थिक लाभ—जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं सहकारी साख समितियों की स्थापना से किसानों को कम व्यय की दर पर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण प्राप्त होने लगा है। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ है जिसका किसानों की आर्थिक दशा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इससे महाजनो को अब मनमानी करने का अवसर नहीं मिलता। उनके आचरण में नमी आ गई है और इस प्रकार अब भारतीय किसानों की प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की बचत होती है। सहकारी आंदोलन से किसानों को केवल साख के क्षेत्र में ही लाभ नहीं हुआ है वरन् कृषि पदार्थों की बिक्री, बीज तथा खाद को प्राप्त करने में तथा अन्य क्षेत्रों में भी आर्थिक लाभ प्राप्त हुये हैं। सहकारी आंदोलन से अब सहकारी खेती तथा सहकारी ग्राम प्रबन्ध के साकार होने की आशा बनने लगी है। केवल किसानों को ही नहीं वरन् छोटे कारीगरों, श्रमिकों तथा उपभोक्तियों को भी सहकारी आंदोलन से विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं। कम आमदनी वाले व्यक्तियों को अनेक निजी भवन निर्माण के कार्य में सहकारी आंदोलन से विशेष सहायता मिली है।

कुछ क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन ने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है। देश के विभाजन के पश्चात् लाखों लोग बेघर होकर भारत भाग्य थे। उनको बसाने का भार हमारी सरकार को उठाना पड़ा। सरकार ने बजर भूमि को खेती योग्य बनाकर इन लोगों को बसाया और सहकारिता के आधार पर उन्हें कार्य करने की प्रेरणा दी। यही बात छोटे तथा कुटीर उद्योगों के संबंध में हुई। सरकार ने शरणार्थी भाइयों को सहकारी समितियों के रूप में धन तथा कच्चा माल देकर उद्योग धन्धे स्थापित करने में सहायता दी है। आज देश में इस प्रकार की अनेक समितियाँ सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

(२) नैतिक लाभ—सहकारी आंदोलन केवल एक आर्थिक आंदोलन ही नहीं है यह नैतिक आंदोलन भी है और इससे देशवासियों को नैतिक लाभ भी प्राप्त होने हैं। भारतीय सहकारी आंदोलन ने ग्रामीण जनता में आत्म विश्वास तथा भाई-चारे की भावना को प्रोत्साहन दिया है। व्यक्तिगत स्वार्थ से हम अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। हमें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। सबका

भला हमारा भला है और हमारे भले में सबका भला है। यह सिद्धान्त सहकारिता का आधार है। हमारी ग्रामीण जनता में मुकदमेबाजी, शराब की लत, फिजूल खर्ची तथा जुए आदि की बुरी आदतें पाई जाती थीं जिससे उनकी आर्थिक दशा तो खराब थी श्री साथ ही उनका नैतिक पतन भी हो गया था। एक अच्छी सहकारी समिति की स्थापना से यह बातें दूर हो जाती हैं। मुकदमेबाजी के स्थान पर पंच फैसले से आपसी झगड़ों का निपटारा होने लगता है और लोग एक शुद्ध सादा तथा सहयोग का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सर मँलकम डालिङ्ग ने कहा है कि "एक अच्छी समिति में मुकदमेबाजी फिजूल खर्ची, नशे की आदत तथा जुए की लत सब कर्गों पर है और इसके स्थान पर उद्योग, आत्म विश्वास, ईमानदारी, शिक्षा तथा पंच निर्णय समितियाँ, बचत, आत्म सहायता तथा परस्पर सहायता का भावना पाई जाती है।"

(३) सामाजिक लाभ—सहकारी आन्दोलन से प्राप्त होने वाले सामाजिक लाभ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि आर्थिक तथा नैतिक लाभ। कृषि साज समितियों में प्रसीमित उत्तरदायित्व (Unlimited Liability) की व्यवस्था के कारण सदस्य अपने उत्तरदायित्व को रमभूने का प्रयत्न करते हैं और समिति की कार्य विधि पर पूरा ध्यान रखते हैं। इससे एक प्रकार की सामाजिक चेतना उत्पन्न होती है और बहुत सी सामाजिक कुप्रथाएँ कम हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियाँ ग्राम जीवन के विकास तथा सुधार के लिये भी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। उनके वार्षिक लाभ का कुछ अंश प्रतिवर्ष सामाजिक हित की योजनाओं पर व्यय किया जाता है जैसे सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गाव की नालियों की व्यवस्था सार्वजनिक मनोरंजन का भ्रवन्ध तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करना इत्यादि। वास्तविकता तो यह है कि हमारी सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का वास्तविक हल केवल सहकारी आन्दोलन के द्वारा ही हो सकता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अब तक की सफलताओं से मिल सकता है।

(४) शिक्षा सम्बन्धी लाभ—सहकारी समिति की सदस्यता से सदस्यों को शिक्षा सम्बन्धी लाभ भी होते हैं। वे बहुत सी नई बातें सीख जाते हैं। एक विद्वान का मत है कि एक अच्छी सहकारी समिति की सदस्यता शिक्षा का एक अच्छा साधन है। सहकारी समिति प्रजातन्त्रीय कार्य प्रणाली की प्रारम्भिक पाठशाला है। यहाँ सदस्यों को व्यापारिक पद्धति का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है और उनमें उत्तरदायित्व को संभालने तथा संगठन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। सहकारी आन्दोलन का जितना आर्थिक तथा सामाजिक महत्व है उससे कहीं ज्यादा शिक्षा सम्बन्धी महत्व है। विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ की अधिकांश जनता ग्रामों में रहती है तथा अशिक्षा तथा अज्ञानता से पीड़ित है।

निष्कर्ष—उपरोक्त विवेचन में सहकारी आन्दोलन की जिन सफलताओं का उल्लेख किया गया है। उनमें से आर्थिक लाभ इतने अधिक नहीं हैं जितने अनाधिक लाभ हैं। इन सफलताओं का सही अनुमान लगाना कठिन है। इनका एक प्रमुख

कारण यह है कि यह लाभ केवल उन सहकारी समितियों के सदस्यों को प्राप्त होते हैं जो आदर्श समितियाँ हैं और इस प्रकार की समितियों की संख्या बहुत कम है। अधिकतर समितियों में आपसी भंगड़े, पक्षपात तथा जाति भेदभाव ही देखने को मिलता है। अधिकांश लोग सहकारिता के सही अर्थ को भी नहीं समझते।

भारत में सहकारी आन्दोलन की सफलता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यह आन्दोलन मुख्य रूप से किसानों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू किया गया था किन्तु अभी तक इसका विस्तार सम्पूर्ण ग्रामीण जनता में नहीं हो सका है। अभी तक ग्रामीण जनता का २ प्रतिशत भाग ही सहकारी समितियों की सदस्यता ग्रहण कर सका है और यह सहकारी साख समितियाँ किसानों की केवल ३ प्रतिशत साख की आवश्यकताओं को पूरा कर सकी है। इससे यह स्पष्ट है कि सहकारी आन्दोलन को अभी बड़ी मजिल पूरी करना बाकी है। सर विश्वेसरय्या के शब्दों में 'अब तक जो कुछ भी किया गया है वह केवल ऊपरी सतह को छुरचने के समान है।'

हम इन सब बातों से यह अर्थ कदापि नहीं लगान चाहिये कि भारत में सहकारी आन्दोलन की सफलता केवल दिखावटी है। यह सच है कि यह आन्दोलन आवश्यकतानुसार प्रगति नहीं कर सका जिसके अनेक कारण हैं। किन्तु इतने जो प्रगति की है वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशेषकर उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये जिनमें इस आन्दोलन का विकास हुआ है। हमें इस का प्रगति तथा सफलताओं को सराहना पड़ेगी।

प्रश्न ४७—भारत में सहकारी आन्दोलन की मन्द प्रगति के कारणों पर प्रकाश डालिए। भारतीय ग्रामों में इस सुधार की योजना बनाइये।

(पंजाब ५२, आगरा ५२)

Account for the slow progress of the Co-operative Movement in India. Prescribe a plan for its improvement in Indian Villages

(Punjab 52 Agra 52)

उत्तर—इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में सहकारी आन्दोलन की प्रगति बहुत मन्द रही है। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद के काल में अवश्य कुछ तीव्र गति में सहकारी आन्दोलन का विस्तार हुआ है किन्तु इस प्रगति की गति अभी भी अपेक्षाकृत कम है। डेनमार्क उन देशों में से है जिन्होंने अपेक्षाकृत कम समय में आश्चर्यजनक प्रगति की है। भारत में सहकारी आन्दोलन की मन्द प्रगति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(१) सहकारिता के सिद्धान्तों से अनभिज्ञता—भारत में सहकारिता का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। हमारी ग्रामीण जनता भली प्रकार सहकारिता शब्द का अर्थ भी नहीं जानती। सहकारिता का क्या उद्देश्य है तथा सहकारिता का आधार क्या है इस बात का न तो उन्हें कोई ज्ञान है और न वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न ही करते हैं। इसका परिणाम यह है कि वे सहकारी समि-

तियों की कार्य विधि में कोई रुचि नहीं रखते। जब तक देश में सहकारिता की भावना का वास्तविक प्रयोग में उदर नहीं होगा हमें इस आन्दोलन की विशेष प्रगति की आशा नहीं करना चाहिये। सहकारी समितियों की सख्या तथा सदस्यों की सख्या से हम आन्दोलन की सफलता का सही अनुमान नहीं लगा सकते।

(२) पक्षपात तथा भ्रष्टाचार—भारतीय सहकारी आन्दोलन में एक भारी दोष यह है यहाँ की ग्रामीण जनता अशिक्षा के कारण जातिवाद तथा पक्षपात आदि की बुराइयों में फँसी हुई है। कर्ज के प्रायःना पत्रों पर विचार करते समय जाति के विचार में ग्रहणा नातेदारी के आधार पर पक्षपात की नीति अपनाना एक साधारण बात है। वेईमानी भ्रष्टाचार, कर्ज का समय पर भुगतान न करना तथा इसी प्रकार के अन्य दोष साधारण रूप से सभी समितियों में देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकतर समितियों का प्रबन्ध अकुशल तथा अशिक्षित लोगों के हाथ में है।

(३) अपेक्षाकृत ऊँची ब्याज की दर—वैसे तो सहकारी समितियाँ महाजनो की अपेक्षा कम ब्याज की दर वसूल करती हैं किन्तु फिर भी इनकी ब्याज की दर काफी ऊँची है। साधारण तोर पर यह दर ६ प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक रहती है। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में यह १२ ½ तथा १५ प्रतिशत तक भी पाई गई है। वैसे तो सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा आन्दोलन को सहायता प्राप्त होनी है किन्तु ब्याज की इस ऊँची दर का एक मात्र कारण यह है कि समितियों को बाहरी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इनके पास निजी साधनों का सदा अभाव रहता है। इसका एक प्रभाव यह भी होगा कि बहुत से किसान सहकारी समिति के सदस्य बनने की आवश्यकता ही नहीं समझते और इस प्रोर से उदासीन रहते हैं।

(४) सदस्यों में बचत की आदत का अभाव—सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि सदस्यों में बचत की आदतों का विकास हो। बचत की आदत तथा सहकारिता एक दूसरे पर निर्भर है। भारतीय किसान फिजूल खर्चों के आदी हैं जिन्होंने सहकारिता के बहुत से लाभों से बचत नहीं करते हैं।

(५) समिति के हिसाब किताब में गोल माल—सहकारी समितियों के हिसाब किताब की जांच (Audit) में पूरी सावधानी नहीं बर्ती जाती जिसका परिणाम यह होता है कि प्रबन्धकों को हिसाब किताब में गोल माल करने का अवसर मिल जाता है। सहकारी समितियों में भवन आदि की घटनाएँ प्रायः होती रहती हैं।

(६) धन का अभाव—अधिकांश समितियों के पास धन का अभाव रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि किसानों को कर्ज प्राप्त करने में अनावश्यक देरी हो जाती है जबकि कृषि व्यवसाय में समय विशेष पर ही धन की आवश्यकता होती है और समय निकल जाने पर उस सहायता का कोई महत्व नहीं रहता। मजबूर होकर किसान को महाजन का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उसके पास इसके सिवा अन्य कोई चारा ही नहीं रहता। यह प्रवृत्ति सहकारी आन्दोलन के लिए बहुत हानिकारक है।

(७) अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप—भारत में सरकारी आन्दोलन का विकास

सरकारी कर्मचारियों की छत्र छाया में ढूँढ़ा है और प्रारम्भ से ही उनका सहकारी समितियों के कार्य संचालन में बड़ा हाथ रहा है। वास्तव में सहकारिता की प्रेरणा लोगों के मन में स्वयं उत्पन्न होनी चाहिये थी किन्तु इसके विपरीत यह सरकार द्वारा लोगों पर लादी जाती है। फल यह होता है कि लोग इस भी एक सरकारी विभाग ही मानते हैं। सहकारी आन्दोलन जनता का आन्दोलन है सरकार का हस्तक्षेप इसमें न्यूनतम होना चाहिए।

(८) सहकारी साख पर अत्याधिक जोर दिया गया है—सहकारी आन्दोलन की मन्द प्रगति का एक कारण यह भी है कि भारत में साख समितियों के विकास पर ही विशेष रूप से जोर दिया गया है। सहकारिता का अन्य क्षेत्रों में बहुत कम विकास हुआ है। केवल सस्ते साख की व्यवस्था से किसानों का आर्थिक दशा में सुधार नहीं किया जा सकता। १९४६ में सहकारी नियोजन कमेटी (Co-operative Planning Committee) ने इस कमी का अनुभव करते हुए भारत में बहुमुखी सहकारी समितियों की स्थापना का सुझाव दिया था।

सहकारी आन्दोलन में सुधार के सुझाव—भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिये तथा भारतीय लोगों के भावी आर्थिक जीवन में सहकारिता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस आन्दोलन में एक नवीन जीवन का संचार किया जाये और इसके दोषों का शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाये। इस विषय में हम अन्य देशों के अनुभवों से भी लाभ उठा सकते हैं। डेनमार्क छोटी श्रेणी वाले किसानों का देश है और वहाँ सहकारी आन्दोलन को सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है वहाँ के किसानों का रहन सहन का स्तर इतना ऊँचा उठ चुका है कि सस्तर क किसी भी देश को ईर्ष्या पैदा हो सकती है। सर जान रसल (Sir John Russell) ने अपनी रिपोर्ट में डेनमार्क की सफलता के चार कारण बताये हैं। यदि भारत में भी यह परिस्थिति उत्पन्न हो जायें तो आन्दोलन की सफलता में कोई संशय नहीं रहेगा। यह कारण निम्नलिखित हैं।

(१) वहाँ की ग्रामीण जनसंख्या एकरूप है अर्थात् जाति प्रथा जैसी कोई चीज वहाँ नहीं है।

(२) वहाँ के सब किसान शिक्षित हैं।

(३) वहाँ प्रारम्भ से हाई स्कूलों की स्थापना करदी गई थी जिसमें ग्राम तथा राष्ट्र के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाता है और उत्तम जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी जाती है।

(४) सहकारी समितियाँ विशेष रूप से व्यापारिक समितियाँ हैं जो फसल को किसान से प्राप्त कर लेती हैं और उन्हें विक्री योग्य पदार्थों का रूप देकर बेचती हैं। उसका लाभ सदस्यों को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समितियाँ अपने सदस्यों को उपभोग की वस्तुएँ तथा बीज खाद आदि का प्रबन्ध भी करती हैं। इन समितियों को साख स्थानीय बैंकों से प्राप्त होती है। जिसके लिए सब सदस्य व्यक्तिगत

तथा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सदस्य अपना धन समिति के पास जमा कराते हैं और वह धन उन्हें कर्ज के रूप में प्राप्त होता है इसलिए कर्ज वापसी को हर सदस्य अपना कर्तव्य मानता है।

उपरोक्त परिस्थितियों को उत्पन्न करना भारतीय सहकारी आन्दोलन की सफलता में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य सुझाव भी महत्वपूर्ण हैं—

(१) प्रारम्भिक समितियों का पुनर्गठन—अधिकांश प्रारम्भिक समितियाँ केवल साख का कार्य करती हैं। इन्हें बहुउद्देशीय समितियों में बदल देना चाहिये। इस प्रकार सहकारी आन्दोलन ग्रामीण जनता के सर्वमुखी विकास का केन्द्र बन जायेगा, हमारी सरकार ने इस बात के महत्त्व को भली प्रकार समझ लिया है।

(२) सहकारी समितियों की कार्य विधि में सुधार—वर्तमान समितियों की कार्यविधि में सुधार की आवश्यकता है। जिन पुराने कर्जों का भुगतान सदस्यों पर दायी है उन्हें कम कर दिया जावे और भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाय कि कर्ज केवल उत्पादक कार्यों के लिए दिये जावें और ऐसे लोगों को दिये जावें जो वास्तव में इसके पात्र हैं तथा जिनसे धन की वापसी की पूरी सम्भावना हो। समितियों के पास अधिक से अधिक धन सुरक्षित कोष (Reserve Fund) में होना चाहिए तथा सदस्यों को अधिक बचत करने तथा उस धन को समिति के पास जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। इसका प्रभाव यह होगा कि समितियों को बाहरी सहायता पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने निजी साधनों में से कम व्याज की दर पर सदस्यों को कर्ज दे सकेंगी।

(३) सहकारी हस्तक्षेप में कमी—सरकारी कर्मचारियों द्वारा सहकारी समितियों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। सरकार को केवल आवश्यक देखभाल (Supervision) तथा परामर्श (Guidance) तक अपने को सीमित रखना चाहिये। इसके अतिरिक्त कुछ सीमा तक नियन्त्रण भी किया जा सकता है किन्तु सरकार का पूर्ण नियन्त्रण आन्दोलन की वास्तविक सफलता में अहितकर है।

(४) सरकारी साझेदारी (State Partnership)—अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण (All India Rural Credit Survey) ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि सभी स्तरों पर सरकार को सहकारी समितियों के साथ साझेदारी में शामिल होना चाहिये। इससे सहकारी आन्दोलन की आर्थिक हालत मजबूत हो जावेगी जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है और इस पर अमल होना चाहिये।

(५) सहकरिता की शिक्षा तथा प्रशिक्षण (Education & Training)—हमारी ग्रामीण शिक्षा प्रणाली में सहकरिता की शिक्षा अनिवार्य रूप में दी जानी चाहिए। सहकारी कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

(६) केन्द्रीय तथा प्रांतीय सहकारी बैंको का पुनर्गठन—केन्द्रीय तथा प्रांतीय सहकारी बैंको का कार्यक्षेत्र सोमित कर दिया जाए जिससे वे अपनी सम्बन्धित समि-

तियों का भली प्रकार निरीक्षण कर सकें। उनके पास काफी धन होना चाहिये और उन्हें व्यापार व वे में घनिष्ठ सम्पर्क रखना चाहिये ताकि वे प्रारम्भिक समितियों की और अधिक सहायता कर सकें।

(७) सहकारी बिक्री प्रथा का विकास—रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग ने (Agricultural Credit Department) सहकारी बिक्री के विकास को सबसे अधिक महत्व दिया है और उसे सहकारी आंदोलन की उन्नति के लिये परम आवश्यक माना है।

(८) सहकारी अनुसन्धान (Co-operative Research)—भारत एक विशाल देश है तथा विविध प्रकार की धार्मिक, सामाजिक तथा नैतिक समस्याओं का सहकारिता के आधार पर सुलझाने के लिये यह आवश्यक है कि सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक छान बीन तथा अनुसन्धान किये जावें।

प्रश्न ४८—भारत में सहकारी आन्दोलन की नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिये। पंचवर्षीय योजनाओं में इनका क्या महत्त्व है? (पटना १९५४)

Examine the recent trends in the Co-operative Movement in India. Discuss its importance under the Five Year Plans

(Patna 54,

दूसरे महायुद्ध के धारम्भ से सहकारी आन्दोलन का नया जीवन हुआ और इसने तीव्र गति से प्रगति करना प्रारम्भ कर दिया। उसी समय से भारतीय सहकारी आन्दोलन में नई प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होने लगी जिनका महत्त्व देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् विशेष रूप से हमारे सामने उपस्थित होने लगा है। यह नवीन प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) समितियों की संख्या में तीव्र वृद्धि—पिछले १५ वर्षों में सहकारी समितियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है जितनी पिछले ३५ वर्षों में भी नहीं हुई थी। १९३६-४० में भारत में कुल १२२००० समितियाँ थीं। १९५४-५५ के अन्त तक कुल समितियों की संख्या २१६२०० हो गई। सदस्यों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है।

(२) सरकार की उदारतापूर्ण नीति—युद्ध के काल में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के हेतु तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को सफल बनाने के लिये सरकार ने सहकारिता के विकास पर अत्यधिक ध्यान देना शुरू किया। स्वतन्त्रता मिलने के बाद तथा पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार की नीति सहकारिता के प्रति विशेष रूप से उदार हो गई है।

(३) कृषि साख के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में विकास—सहकारी आन्दोलन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि अब केवल सहकारी साख पर ही जोर नहीं दिया जाता बरन् अन्य प्रकार की सहकारी समितियों का तीव्रता के साथ विकास हो रहा है। सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सहकारी बिक्री समितियाँ, सहकारी मृत् निर्माण समितियाँ, सहकारी कर्षा समिति तथा इसी प्रकार से विविध कार्यों के लिये

सहकारिता का सहारा लिया जा रहा है। १९५४-५५ में भारत में प्रारम्भिक कृषि गैर साख समितियों की संख्या ३०१६७ तथा गैर कृषि गैर साख समितियों की संख्या २४२६६ थी।

(४) बहुउद्देशीय समितियों का महत्व एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह है कि अब भारत में एकाकी उद्देश्य वाली समितियों के स्थान पर बहुउद्देश्य वाली समितियों को अधिक उपयुक्त माना गया है और धीरे-धीरे ऐसी समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में बदला जा रहा है।

(५) अनिमित दायित्व के स्थान पर सीमित दायित्व — ६०-३१ से पूर्व अनिमित दायित्व (Unlimited Liability) वाली समितियों पर अधिक जोर दिया जाता था। १९३८-३९ में कुल समितियों की केवल ८ प्रतिशत सीमित दायित्व वाली समितियाँ थीं। शेष अधीमिन दायित्व वाली थीं अब सीमित दायित्व पर अधिक जोर दिया जाता है। १९४८-४९ तक सीमित दायित्व वाली समितियों की संख्या ४५% हो गई थी। इसका बाद हुई वृद्धि के आकड़े सुगमता से उपलब्ध नहीं हैं।

(६) सहकारी आन्दोलन में रिजर्व बैंक की अधिक रुचि — वैसे तो रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद में सहकारी आन्दोलन के सुप्रबन्ध सुव्यवस्था तथा विकास का निरीक्षण तथा आवश्यक सहायता आदि देने का कार्य रिजर्व बैंक के कर्मियों पर है और बैंक का कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। १९४२-४७ में रिजर्व बैंक ने केवल १५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता सहकारी आन्दोलन को प्रदान की जो १९५४-५५ में २१.२१ करोड़ रुपये तक पहुँच गई। इससे यह विदित होता है कि रिजर्व बैंक सहकारी आन्दोलन की प्रगति में क्रियाशील भाग ले रहा है। रिजर्व बैंक ने सहकारी आन्दोलन की प्रगति की छानबीन के हेतु समय समय पर विभिन्न कमेटियों आदि की नियुक्ति की है और सर्वेक्षण (Survey) करे हैं तथा सुधार के सुझाव सरकार के सामने रखता रहा है। इस विषय में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण (All India Rural Credit Survey) की सिफारिशों का उल्लेख करना आवश्यक है।

(७) अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण तथा सरकार की नीति — अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण रिपोर्ट १९५४ में प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के अतिरिक्त सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं, जिनका सहकारी आन्दोलन को माधी सफलता से गहरा सम्बन्ध है। भारत सरकार ने इन सुझावों को मानते हुये जो कदम उठाये हैं उनका यहाँ उल्लेख कर देना उचित होगा, य सुझाव इस प्रकार हैं :—

(१) सरकार नीचे से ऊपर तक सब प्रकार की सहकारी संस्थाओं के माध्यम से साहजिकी स्थापित करे।

(२) साख के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में विशेषकर फसल की बिक्री तथा उसकी विस्म निर्धारित करने के कार्यों में पूर्ण सामन्जस्य स्थापित किया जाय।

(३) कृषि सख की रूपरेखा की नींव ऐसी प्रारम्भिक समितियों पर आधारित हो जो बड़े आकार की हो तथा उनके सदस्यों का दायित्व सीमित हो ।

(४) देश में अनाज के गोदामों का एक जाल स्थापित किया जाये जो राष्ट्रीय तथा प्रान्तीय समझौतों की सहायता से स्थापित किये जायें ताकि किसानों को अपनी फसल की बिक्री में सहायता हो सके ।

(५) सहकारी वर्मच रियों को उचित परीक्षण (Training) देने के हेतु स्कूल खोले जाए ।

(६) इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India) का रूप देकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ताकि यह बैंक सहकारी समझौतों की और अधिक सहायता कर सके ।

(७) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट (Reserve Bank of India Act) में आवश्यक संशोधन किये जायें ताकि ग्रामीण ऋण की सहायता के लिये अधिक धन उपलब्ध किया जा सके ।

८) अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड (National Co-operative Warehousing and Development Board) की स्थापना की जाय । इस बोर्ड के आधीन दो पृथक कोष होने चाहियें अर्थात् (१) विकास कोष (Development Fund) (२) गोदामों से सम्बन्धित कोष (Warehousing Fund) ।

इन सुझावों के अन्तर्गत भारत सरकार ने मई १९५५ में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया जिसके अनुसार रिजर्व बैंक दो कोषों की स्थापना करेगा । (१) राष्ट्रीय कृषि साख कोष (दीर्घकालीन साख के लिए) [National Agricultural Credit (Long Term Operation) Fund] (२) राष्ट्रीय कृषि साख कोष (स्थिरीकरण) [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] इसमें से प्रथम कोष फरवरी सन् ५६ में स्थापित किया गया जिसमें प्रारम्भ में १० करोड़ रुपये जमा किये गये और प्रतिवर्ष ५ करोड़ रुपये की वृद्धि की जायेगी । इस कोष का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिये किया जायेगा ।

(अ) राज्य सरकारों को सहकारी संस्थाओं की पूंजी खरीदने के लिये दीर्घकालीन ऋण देने के हेतु ।

(ब) मध्यम कालीन ऋण देने के लिये ।

(स) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिये ।

(द) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के डेबेन्चर (Debentures) खरीदने के लिये ।

दूसरे कोष की स्थापना एक करोड़ रुपये से १९५५-६ में की गई । इस कोष का प्रयोग प्रान्तीय सहकारी बैंकों को मध्यम कालीन ऋण देने के लिये किया जायेगा ।

राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड (National Co-opera-

tive Warehousing and Development Board) की स्थापना १ मितम्बर सन् १९५६ को की गई ।

१ जूलाई सन् १९५५ को इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके उसे स्टेट बैंक आफ इण्डिया का रूप दे दिया गया, जो ५ वर्ष के अन्दर अपनी ५०० नई शाखाएँ स्थापित करेगा ।

सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के संयुक्त प्रयत्न से एक केन्द्रीय समिति की स्थापना की गई है । इस योजना के आधीन पूना में एक अखिल भारतीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र तथा ५ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त ८ अन्य प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित की गई हैं जिनमें सामुदायिक विज्ञान योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

“स प्रकार हम देखते हैं कि इन नये परिवर्तनों से सहकारी आंदोलन को एक नया जीवन प्राप्त हो रहा है और इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है ।

पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता—भारत की आर्थिक दशा को देखते हुये यह अति आवश्यक हो जाता है कि आर्थिक दशा में सुधार किया जाये और कृषि साख का मुगम प्रबन्ध किया जाये । प्रथम पंचवर्षीय योजना में तीन प्रकार के साख का आयोजन किया गया था । (१) अल्पकालीन ऋण (Short Terms Loan) जो कवल आवश्यक पदार्थों जैसे खाद एवं बीज के खरीदने के लिए दिए जाते थे । इनकी अवधि १ माह रहती थी । (२) मध्यम कालीन ऋण (Medium Terms Loan) जो कुएँ खुदवाने एवं वृक्ष कृषि औजार आदि के खरीदने के लिए ५ वर्ष की अवधि पर दिये जाते थे । (३) दीर्घ कालीन ऋण (Long Terms Loan) जो पुराना ऋण धरा करने, बड़ी मशीनों के खरीदने तथा कृषि सुधार के लिये दिए जाते हैं जो ५ वर्ष में भी अधिक अवधि के होते हैं । केन्द्रीय सरकार ने सहकारी बैंकों की सहायता के लिये ५ करोड़ का आयोजन और इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने मध्यकालीन ऋण के लिये ५ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया था । प्रथम योजना में सहकारिता विकास के लिये कुल ६६१२ लाख रुपये का आयोजन किया गया था । इसके अतिरिक्त क्रय विक्रय समितियों के संगठन पर भी अधिक जोर दिया गया । बड़बड़देशीय समितियों पर विशेष ध्यान दिया गया जिसमें गाँव की सभी समस्याएँ हल हो सकें । सहकारिता का प्रोत्साहन देने के लिये नियोजन ने सिफारिश की है कि सरकार को ऐस कानून पास करने चाहिए जिससे प्रत्येक गाँव में सहकारी कृषि समिति स्थापित हो सक और साथ ही साथ सरकार को सहकारी फार्म स्थापित करना चाहिये । सन् १९५१—५२ में समस्त भारत में कुल १५२००० साख संस्थायें थी । जिनहोने लगभग ३७५८ करोड़ रुपये किसानों को अल्पकाल के लिये उधार दिया था । योजना के अनुसार सहकारिता ने काफी उन्नति की । जून १९५४ में २२ प्रांतीय सहकारी बैंक ४९९ केन्द्रीय सहकारी बैंक और २६९५४ कृषि साख समितियाँ थी जिनकी सदस्य संख्या ५८ लाख थी । इनके कोष में ३९ करोड़

रुपये जमा थे जमा पूंजी ७७ करोड़ और कार्यशील पूंजी लगभग १६१ करोड़ रुपये थी। नगरो मे उस वर्ष ७१९ सहकारी बैंक, ८३८६ गाव समितिया और ३६५१ थमिको की समितिया थी।

प्रथम योजना मे सहकारी प्रशिक्षण के लिये १० लाख रुपये की व्यवस्था की थी। इस कार्य के लिए पूना महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके दाद मद्रास महाविद्यालय की स्थापना की गई। मध्य श्रेणी के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये ५ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पूना, राँची, मेरठ, मद्रास और इन्दौर मे स्थापित किए गये।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यह है कि गाव की खेती की सारी पैदावार का प्रबन्ध ग्रामोद्योग और गाव का व्यापार, सब सहकारी मस्थायो के द्वारा हो। किसानो को ऋण देने और खेती की पैदावार की बिक्री व्यवस्था का भी पुनर्गठन करने का विचार है। उद्योगो, मकानो और मजदूरो आदि के लिये भी सहकारी मस्थायो बनाने की सिफारिश की है।

• द्वितीय योजना के लक्ष्य (Targets of the Second Plan) :

बड़े पैमाने की सहकारी समितिया	१०४००
अल्प कालीन ऋण	१५० करोड़
मध्य कालीन ऋण	१० करोड़
दीर्घकालीन ऋण	०५ करोड़
प्राथमिक विपरण समितिया	१०००
सहकारी चीनी मिल	३८
सहकारी रुई धुनने के कारखाने	४८
अन्य सहकारी समितिया	११८
केन्द्रीय और प्रदेशीय गोदाम	३५०
विपरण समितियो के गोदाम	१५००
बड़ी समितियों के गोदाम	४०००

उपरोक्त आंकडो स स्पष्ट है कि १९५५—५६ और १९६०—६१ के बीच सहकारी मस्थायो २.५ करोड़ रुपया उधार देंगी। द्वितीय योजना म सहकारिता विकास के लिये ४७ करोड़ रुपये का आयोजन किया गया है।

प्र० ४६—भारतीय कृषकों को ऋण देने मे केन्द्रीय बैंक तथा प्रान्तीय सहकारी बैंकों का महत्व बताइये। (आगरा १९५८)

Discuss the importance of central Banks and provincial Co operative Banks in providing credit to Indian Agriculturists

(Agra Supplementary 1958)

उत्तर—केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्रान्तीय सहकारी बैंक भारतीय कृषिको को साख प्रदान करने मे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे तो भारतीय किसान का

एन सहकारी सन्ध्याओं से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि उनका सम्पर्क प्रारम्भिक साख समिति से ही रहता है किन्तु प्रारम्भिक समितियों का साख प्रदान करने का कार्य केन्द्रीय सहकारी बैंक करते हैं। केन्द्रीय बैंक प्रारम्भिक समितियों के सुचारु रूप से संगठन करने, उनकी देख रेख करना तथा उनके अर्थ की पूर्ति के लिए बनाये जाते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्रांतीय सहकारी बैंक के महत्व को हम निम्नलिखित स्पष्टीकरण से ज्ञात कर सकते हैं —

केन्द्रीय सहकारी बैंक—केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना १९१२ के सहकारी अधिनियम (Co-operative Societies Act of 1912) के बाद से हुआ यह बैंक प्रारम्भिक समितियों को ऋण प्रदान करते हैं और उनके रोकड़-शेष केन्द्रों का कार्य करते हैं इस प्रकार ग्रन्थ बड़े क्षेत्रों से पूंजी जुटाकर प्रारम्भिक समितियों के लिये उसे प्रदान करते हैं इस प्रकार अपने क्षेत्र में स्थिति प्रारम्भिक समितियों की कार्य शील पूंजी की बचत तथा कमी को सन्तुलित करने में सहायता देते हैं इसका अतिरिक्त यह बैंक अमानते स्वीकार करते हैं, बिलों (Bill of Exchange) की उगाही तथा बैंकों को भुनाने आदि जैसे बैंकिंग के कार्य भी करते हैं। इनकी सदस्यता केवल प्रारम्भिक समितियों के लिए ही खुली रहती है यद्यपि भारत की परिस्थितियों को देखते हुए निजी व्यक्ति भी इनके सदस्य हो सकते हैं। ऐसा इसलिये किया जाता है कि अधिकांश प्रारम्भिक समितियों के पास धन का अभाव रहता है जिसे वे अपने निजी साधनों से पूरा नहीं कर सकती और उन्हें केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण के रूप में सहायता लेनी पड़ती है। ऐसी बहुत कम समितियाँ होती हैं जिनके पास बची हुई पूंजी हो जिसे वह केन्द्रीय बैंक के पान अमानत के रूप में अथवा ऋण के रूप में दे सकें। इसका परिणाम यह होता है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पास इतने साधन नहीं होते कि वे अपने उत्तरदायित्व का निभा सकें और सभी प्रारम्भिक समितियों को अपने निजी साधनों में से सहायता प्रदान कर सकें इसलिये केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सदस्यता निजी व्यक्तियों के लिये भी खोल दी जाती है। वैसे कुछ प्रांतों में शुद्ध सहकारी केन्द्रीय बैंक भी पाये जाते हैं जिनके सदस्य निजी व्यक्ति नहीं हो सकते। अखिल भारतीय ग्रामीण साख निरीक्षण कमेटी (All India Rural Credit Survey) ने सुझाव दिया है कि सरकार सभी स्तरों पर सहकारी सन्ध्याओं के साथ साझेदारी (State Partnership) करे और उनकी पूंजी के हस्से खरीदे। ऐसा करने से सन्ध्याओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जायगी और यह किसान को अधिक सीमा तक ऋण प्रदान करने में सहायक हो सकेगी।

द्वितीय महायुद्ध के बाद के काल में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सहायता तथा उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है किसानों से ऋणों की वसूली की स्थिति सुधरी है और अमानते तथा कार्यशील पूंजी की मात्रा में भी वृद्धि हुई। पेशगी ऋणों के लिये प्रारम्भिक समितियों की इतनी मांग नहीं थी जिससे केन्द्रीय बैंकों को ऋणों की खपत हो जाती इसलिए इन बैंकों ने अन्य साधारण बैंकिंग के

कार्य को बढा दिया है वैसे सामान्य स्थिति यह है कि अधिकांश राज्यों में कन्द्रीय सहकारी बैंक छोटे, अनाधिक, निर्बल तथा अस्थिर होते हैं। उनकी अपनी अमानत अपर्याप्त होती है उन्हें ऊंची ब्याज की दर पर ऋण लेना पड़ता और वे उचित दर पर प्रारम्भिक समितियों को पर्याप्त मात्रा में धन नहीं दे पाते। रिजर्व बैंक ने इन कमियों को दूर करने के लिए अनेक उपाय किये हैं और कर रहे हैं। निम्न-लिखित तालिका से केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है—

केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा बैंकिंग सद्य

	१९५१—५२	१९५५—५६
बैंकों की संख्या	५०६	४७८
सदस्यों की संख्या	२३१३१८	२६६५५५
ऋण जो दिये गये (हजार रुपये में)	१०५६३१५	७६८२४३
कार्यशील पूजा (हजार रुपये में)	६०११४०	६२६६६५

इन बैंकों की हिस्सेवाला पूजा (Paid up share capital) तथा कोषो (Reserves) की मात्रा १९५१—५२ में क्रमशः ४६२ तथा १८ करोड़ रुपये थी जो बढ़कर १९५५—५६ में क्रमशः ८५० तथा ६६१ करोड़ रुपये हो गई। जून १९५६ तक जो बकाया ऋण निजी व्यक्तियों तथा समितियों पर होय थे वे क्रमशः ३४८ तथा ५०८६ करोड़ रुपये के थे। इसी समय तक इन बैंकों के कुल विनियोगो (Total Investments) की मात्रा २३२८ करोड़ रुपये थी जिसमें से १३०६ करोड़ रुपया सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में था।

प्रांतीय सहकारी बैंक—प्रांतीय स्तर पर भारत में इन बैंकों की स्थापना की गई है। १९५५—५६ में इनकी कुल संख्या २४ थी। यह बैंक एक ओर तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से सम्बन्ध रखते हैं और वहाँ से धन प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह एक ओर तो सरकार तथा रिजर्व बैंक और दूसरी ओर के द्रीय सहकारी बैंकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न केन्द्रीय बैंकों को मूँ खला बढ़ करके उनकी कार्य प्रणाली पर नियन्त्रण रखते हैं यह बैंक केन्द्रीय बैंकों की कार्य शील पूजा की वृद्धि और कमी के भुगतान घर (Clearing House) के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त यह बैंक सामान्य द्रव्य बाजार (General Money Market) तथा प्रारम्भिक समितियों के बीच परोक्ष रूप से सबंध बनाय रहते हैं और एक प्रकार से माध्यम के

रूप में कार्य करते हैं साधारण तौर पर प्रांतीय सहकारी बैंक प्रारम्भिक समितियों से सीधा व्यवहार नहीं रखने वरन् केन्द्रीय बैंको के माध्यम से करते हैं किन्तु जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय बैंको का बिकस नहीं हुआ है वहाँ इन्हें प्रारम्भिक समितियों से ही सवध-स्थापित करन पड़ता है। केन्द्रीय बैंको की अपक्षा प्रांतीय सहकारी बैंको की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती है।

गत वर्षों में प्रांतीय सहकारी बैंकों की अमानतों (Deposits) में भारी वृद्धि हुई जिसके फल स्वरूप इनकी कार्य शील पूंजी बढ़ गई सहकारी ऋण के प्रतिरिक्त सहकारिता के अन्य क्षेत्रों से भी इन्होंने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। विशेषज्ञों का मत है कि प्रांतीय सहकारी बैंको को सामान्य व्यापारिक क्षेत्र में कार्य करने की अपेक्षा सहकारिता के क्षेत्र में ही अधिक ध्यान देना चाहिये तभी वे अपने लक्ष्यों की पूर्ति उचित ढंग में कर सकेंगे। निम्नलिखित तालिका से प्रांतीय सहकारी बैंका की वास्तविक स्थिति का पता चलता है —

	१९५१—५२	१९५०—५१
प्रांतीय बैंको की सख्या	१६	२४
सदस्या की सख्या	२३२७५	३६३६१
	(हजार रुपयो में)	
हिस्से वाली पूंजी	१८६६३	४,६६१
स्वरक्षित तथा अन्य कोष	१८१७१	१,२७६१
अमानत	१६८३५	३६६६८४
अन्य ऋण	११२७२५	१६०२८
कार्यशील पूंजी	३६१७०	६३३३६०
दिये गये ऋण	५६१७४१	६७८६,८
बकाया ऋण	२००११०	३४८७१६
विनियोग —		
(१) सहकारी प्रतिभूतियों में	१०५१८६	१५६७५१
(२) भूमि तथा इमारतों में	१२६२	१६५४
(३) अन्य कार्यों में	६५१३	२२२२१
नकद धन	२८१११	७७६६१

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि प्रांतीय सहकारी बैंको की आर्थिक स्थिति पहले से काफी दृढ़ हो गई जिसका एक स्वाभाविक परिणाम यह है कि यह बैंक अधिक मात्रा में केन्द्रीय सहकारी बैंको का सहायता प्रदान कर सकते हैं और केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने क्षेत्र की प्रारम्भिक समितियों को अधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि भारतीय किसान को जो ऋण प्रारम्भिक समितियों से प्राप्त होते हैं वे केन्द्रीय बैंको से समितियों के पास तथा प्रांतीय बैंकों से केन्द्रीय बैंको के पास आते हैं। यदि सरकार अथवा रिजर्व बैंक इतनी बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान न

करें तो सम्भवतः सहकारी आंदोलन का ममस्त ढांचा ही स्थिर विकसित हो जाये। होना यह चाहिये कि प्रारम्भिक समितियों की स्थिति ही पूर्ण रूप से दृढ़ हो। वे अधिक में अधिक स्वावलम्बी बने और यथा सम्भव बाहरी सहायता न लें दूसरे वे अपने अतिरिक्त साधनों का विनियोग केन्द्रीय बैंकों में करें ताकि केन्द्रीय बैंक अधिक उत्तम धन से उनकी सहायता कर सकें। दूसरे शब्दों में केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्रांतीय बैंक एक विशाल सहायकारी आंदोलन की दो महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं जिनपर सहकारिता की सम्स्त इमारत आधरित है।

प्र० १०—बहु उद्देशीय सहकारी समिति की कार्य प्रणाली का विवेचना कीजिये। यह प्रारम्भिक साख समिति से किस प्रकार भिन्न है? इसकी सफलता किन बातों पर निर्भर है? (आगरा १३, १५, १७)

Discuss the Working of the Multi purpose Co-operative Society. In what ways does it differ from a primary Credit Society? What are the conditions of its success? (Agra 53, 45, 57)

उत्तर—बहु उद्देशीय सहकारी समिति का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह किसानों को केवल साख ही प्रदान करने का कार्य न करके उनको हर प्रकार की सुविधा पहुँचाने का प्रयत्न भी करती है। जैसे अच्छे बीज, उत्तम खाद, कृषि औजार, विपरीता तथा वैज्ञानिक कृषि आदि की सुविधाएँ कृषक को देती हैं। जब सहकारिता का प्रारम्भ भारत में हुआ ही था तब प्रत्येक कार्य के लिये अलग अलग समितियों का निर्माण किया जाता था। परन्तु इनसे किसान को कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचता था क्योंकि वह अज्ञानता में बुरी तरह जकड़े हुए थे। परन्तु वर्तमान समय में किसानों की सुविधा एवं उनको अधिक से अधिक लाभ एवं उनकी उन्नति के ध्येय से कई उद्देश्य के लिए एक ही समिति का निर्माण किया जाता है और उन्हीं को हम बहुउद्देशीय सहायकारी समिति कहते हैं। ऐसी समितियाँ ग्रामीण जीवन में सब प्रकार से सुधार कर सकती हैं और किसान इनकी सहायता से एवं सहयोग से अपनी उन्नति सुगमता से कर सकता है। सितम्बर १८३७ में सरकारी आज्ञानुसार एक जाच के फॉर्मरूप श्री वी० एल० मेडना ने बम्बई सरकार को दी गई एक रिपोर्ट में बहु-ध्येयी समितियों के स्थापित करण की नीति का समर्थन किया था। रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग ने इसी उद्देश्य से अगाम साख समितियों के पुनर्संगठन पर जोर दिया था। १८३७ रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'ग्रामीण बैंकों के बुलेटिन' ने सारे किसानों के जीवन को सहकारिता की परिधि में लाने के हेतु प्राथमिक सहकारी उद्योग समितियों के सहकारी सिद्धांतों के अनुसार, पुनर्निर्माण का समर्थन किया जो कि सारे सहकारी आन्दोलन की धुरी है। बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के निर्माण पर १९०४ में महाराष्ट्र सहकारी कॉन्फ़ेस ने बहुत अधिक बल दिया था। १९४५ की सहकारी नियोजन समिति तथा १९४७ में अखिल भारतीय सहकारी सम्मेलन ने भी इसी बात को मान्यता प्रदान की थी कि भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का निर्माण होना चाहिये। रजिस्ट्रार कॉन्फ़ेस ने, जो नई योजना के बारे में सचिव थी, सिफारिश की कि राज्य में बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना

करें तथा उनके परिणामों को देखें। इस प्रकार बहुधेयी समिति का विचार दिन प्रतिदिन मान्य होता जा रहा है।

बहुउद्देशीय समितियों का संगठन तथा कार्य प्रणाली— बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ ग्राम क्षेत्रों के नाम से प्रचलित हैं। मद्रास राज्य में प्रारम्भिक सार्व समिति या ही बहुउद्देशीय समितियों का कार्य करने लगीं हैं। जब किसी ग्राम के ७०-८० प्रतिशत निवासी चाहते हैं तब एक बहुउद्देशीय समिति की स्थापना हो सकती है। उत्तर प्रदेश में इन समितियों को विशेष सफलता मिली है। इसलिये उत्तर प्रदेश में ही इसकी कार्य प्रणाली की विवेचना करना यहाँ उचित होगा। उत्तर प्रदेश में इन समितियों के सदस्यों का दायित्व सीमित (Limited Liability) होता है और इनके कर्मचारी वैतनिक होते हैं। एक समिति का कार्य क्षेत्र अपने केन्द्र से पाच मील आस पास तक होता है।

इन समितियों का मुख्य कार्य अनाज, कपड़ा, दूध, घी आदि वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना है। यह किसानों को खाद, बीज, तथा अन्य खेती की आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करती हैं। ग्रामों में खादी का प्रचार तथा चरई आदि का प्रदर्शन करती हैं। सहकारी बीज गोदाम को केन्द्र मान उसके आस पास के ग्रामों में एक बहुउद्देशीय समिति की स्थापना की गई है। फसल जोतने से लेकर काटने के समय तक यह समितियाँ सदस्यों को हर उत्पादन कार्य के लिये सहायता देती हैं। किसान अपनी फसल की मिकी भी इन्हीं के द्वारा कराता है। इसके अनिश्चित यह भूमि बन्वक बैंक की सहायता से सदस्यों के पुराने बर्जों को चुकाने में सहायता देती है। पचनिर्णय की प्रणाली से आपसी झगड़ों का निपटारा कराती है। सदस्यों को चिरित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रदान करना इनका कार्य है। यह सदस्यों को अच्छा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है तथा सह-युक्त उद्योगों का विकास करके उन्हें काम दिलाने का प्रयत्न करती है। १९५०-५१ के अन्त तक भारत में कुल मिलाकर ३६६३० ऐसी समितियाँ थीं जिनके सदस्यों की संख्या २१.८२ लाख थी तथा ऋण पूँजी १२३३ करोड़ रुपये थी।

प्रारम्भिक समितियाँ— आमतौर पर प्रारम्भिक समितियों का अर्थ भी बाहुल्य है। १९४५-४६ में इनकी संख्या १२४२ हजार थी। विभाजन के बाद इनकी संख्या घटकर ८५३ हजार रह गई परन्तु इनके प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब भी इनकी संख्या ७०-८० प्रतिशत से कम नहीं है।

इस समिति के निर्माण के लिये कोई भी दत्त व्यक्ति मिल कर प्रमाण पत्र दे सकते हैं परन्तु इस समिति के सदस्यों की संख्या १०० से अधिक नहीं हो सकती। कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में एक गाँव के लिए एक ही समिति होनी चाहिए। इससे ५ मील तक के धेरे में आने वाले क्षेत्र इसकी हद में आ जाते हैं। यह योजना समितियों को आर्थिक इकाइयों में परिणित करेगी तथा यह सहकारी आन्दोलन का उचित समय में विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाने योग्य बनायेगी।

दायित्व के क्षेत्र में जब तक सरकार द्वारा छूट नहीं मिल जायेगी तब तक दायित्व असीमित रहेगा। मंकलेगन कमेटी ने कहा है—असीमित दायित्व का अर्थ

अंशदायी प्रसीमित दायित्व है अर्थात् ढोपी होने पर जब समिति ऋण दाताओं के प्रति अपना वायदा पूरा नहीं कर पाती है तो हिस्सों की पूर्ण अदायगी के बाद प्रत्येक सदस्य में व्यक्तिगत देयग्रह निश्चित कर उभे वमूल किया जाता है। ऋणदाता किसी एक सदस्य पर प्रलग से प्रत्यक्ष कर्षवागी नहीं कर सकता।

समितियों का प्रबन्ध प्रजातन्त्रीय ढंग पर किया जाता है। प्रत्येक सदस्य हिस्से तो अनेक खरीद सकता है परन्तु मत एक ही दे सकता है। प्रबन्ध दो मण्डलों को सीपा जाता है। (१) समस्त सदस्यों की एक साधारण सभा (२) साधारण सभा द्वारा ५ से ६ व्यक्तियों को चुनकर एक प्रबन्ध समिति। साधारण सभा प्रबन्ध समिति के सदस्यों का चुनाव वैतनिक मन्त्री की नियुक्ति, प्रबन्ध समिति द्वारा वार्षिक चिट्ठे की स्वीकृति सदस्यों का बहिष्कार, समिति तथा व्यक्तिगत सदस्यों के उधार की सीमा का निर्धारण आदि कार्य करती है। यह समिति के लिए पूंजी एकत्र करती है और मन्त्री के हिमाव किताब की जाच का भी कार्य करती है। प्रबन्ध समिति ही दिन प्रतिदिन का कार्य देखती है।

इन समितियों को पूंजी निम्न साधनों से प्राप्त होती है—

(१) सदस्यों द्वारा खरीदे गए हिस्सों की पूंजी से। (२) सरकार से लिए गए कर्जों से। (३) सदस्यों की प्रवेश फीस से। (४) सदस्यों द्वारा जमा रुपये से। (५) ग्रन्थ समितियों द्वारा जमा रुपये से। (६) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जमा रुपये से। (७) ग्रन्थदस्यों द्वारा जमा रुपये से। (८) रक्षित कोष के रुपये से। उपरोक्त विवरण में ज्ञात होना है कि पूंजी दो प्रकार से प्राप्त होती है आन्तरिक एवं बाहरी बाहरी पूंजी का अर्थ है केन्द्रीय या प्रान्तीय बैंक तथा सहकारी ऋण से हा पूंजी का वचय होता है।

समितियाँ केवल उत्पादन कार्य के लिए ही ऋण देती हैं। ऋण केवल तीन उद्देश्य से दिये जाने हैं (१) चालू कृषि कार्यों के लिये (२) अल्पकालीन ऋण सरकारी करों को चुकाने के लिए (३) दीर्घकालीन ऋण भूमि की रखाई उन्नति के लिए। किसानों को मन्त्राजनों के अग्रुल से बचने के लिये इन्हें अप्रतिफलत्मक कार्यों के लिए भी ऋण देना पड़ता है। ऋण चुकता करने के समय के सम्बन्ध में साधारण नियम यह है कि कृषि वित्त की खेती के फलम चक्र का अनुसरण करना चाहिए जो अच्छे बुरे एवं सामान्य फसलों की औसत हो। दूसरे शब्दों में ऋण की अदायगी प्रतिफलत्मक कार्यों से प्राप्त धन द्वारा की जानी चाहिए। यह उत्पादन कार्यों के लिये दिये हुए ऋण को ऋण कर्ता की स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे वह सुगमता से ऋण का भुगतान कर सके। यह समितियाँ समयानुसार अदायगी को निश्चित करने में हर प्रकार की सावधानी रखती हैं जैसे प्राधियों में से ऋणकर्ताओं का सावधानी से चुनाव करती हैं सदस्यों के लिए उधार की सीमा निश्चित करती हैं तथा ऋणकर्ताओं की अदायगी की सामर्थ्य की उचित जाच करके ही रुपया उधार देती हैं। ऋण साधारणतया वैयक्तिक जमानत तथा कभी २ सम्पत्तिक जमानत पर भी दिया जाता है। ऋण का भुगतान साधारणतया किश्तों द्वारा किया जाता है।

समस्त लाभ को सुरक्षित कोष में जमा किया जाता है। लाभ का कुछ भाग १९१२ के कानून के अनुसार धान एवं शिक्षा पर भी ध्यय किया जा सकता है। जहाँ पर दिस्था पूंजी है वहाँ समिति लाभों का वितरण किया जाता है। रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारियों द्वारा समिति के हिसाब किताब का निरीक्षण होता है। इन समितियों को कुछ विशेष सुविधायें मिलती हैं जैसे स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा आय कर से इनको मुक्त रखा जाता है।

यह समितियाँ सदस्यों के भगड़े को निपटाने, समय को बचाने समिति के कोष और शक्ति को बचाने तथा सदस्यों को साधारण दीवानी कचहरी के विधानों से मुक्त करने और मुकदमेबाजी से बचाने के लिये विवाचन की व्यवस्था करती हैं। अर्थात् भगड़े को मध्यस्थों द्वारा ही तय करा देती हैं।

बहुउद्देशीय तथा प्रारम्भिक साख समिति का भेद.— (१) इन दोनों प्रकार की समितियों में प्रमुख भिन्नता इस बात की है कि प्रारम्भिक समिति केवल साख के क्षेत्र में कार्य करती है। उसे किसान के जीवन की अन्य समस्याओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसके विपरीत बहुउद्देशीय समिति साख के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के कार्य भी करती है जैसा कि ऊपर के विवेचन से विदित होता है।

(२) प्रारम्भिक साख समितियों में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है किन्तु बहुउद्देशीय समिति में सदस्यों का दायित्व सीमित रहता है। सीमित दायित्व ही इनके लिए उचित समझा गया है।

(३) प्रारम्भिक समिति के कार्यकर्ता (Management) बिना किसी वेतन के कार्य करते हैं परन्तु बहुउद्देशीय समिति के कार्यकर्ताओं को वेतन दिया जाता है।

(४) प्रारम्भिक समितियों का कार्य क्षेत्र प्रायः एक ग्राम तक ही सीमित रहता है किन्तु एक बहुउद्देशीय समिति कई ग्रामों को मिलाकर बनाई जाती है और इसका कार्य क्षेत्र अपने केन्द्र के पांच मील के आस पास रहता है।

बहुउद्देशीय समितियों की सफलता के लिए आवश्यक बातें

यह बात हमें भली प्रकार से विदित हो चुकी है कि भारत में एकाकी उद्देश्य (Single Purpose) वाली सहकारी समितियाँ वह कार्य नहीं कर सकती जो बहुउद्देशीय समितियाँ कर सकती हैं इसलिये बहुउद्देशीय समितियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इन समितियों की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर है :—

(१) सर्व प्रथम बहुउद्देशीय समितियों को अपने कार्य की सीमायें बढ़ानी चाहिए। अभी तक यह केवल बीज खद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं का वितरण आदि ही करती हैं। इन्हें चाहिए कि यह किसान के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के हर पहलू को छूने का प्रयत्न करें।

(२) बहुउद्देशीय समिति का संचालन एकाकी उद्देश्य वाली समिति के

संचालन से कठिन है। इन्हे चलाने के लिये शिक्षित तथा सुयोग्य कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहियें। किसी एक क्षेत्र में समिति की असफलता का प्रभाव ममत्त काय क्षेत्रों पर पड़ता है इसलिये कर्मचारीगण में विशेष अनुभव और योग्यता का होना जरूरी है।

(३) बहुउद्देशीय समिति की सदस्यता में किसानों का दायित्व (Responsibility) बढ़ जाता है। इसलिये उन्हें आवश्यक शिक्षा मिलनी चाहिये और सहकारिता की प्रेरणा उनके मन में उत्पन्न होनी चाहिये।

(४) बहुउद्देशीय समिति की कार्य प्रणाली इतनी सरल होनी चाहिये कि साधारण स्वभाव वाली ग्रामीण जनता उसे आसानी से समझ सके।

प्रश्न ५१—हमारी आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का बहुउद्देशीय सहकारी समितियां कहा तक समाधान कर सकती हैं।

(राजरा ४४, पंजाब ४४, ४७, ५१)

How far can the Multi Purpose Co operative Societies solve our economic and social problems ? (Agra 44 / unjob 44 47, 51)

उत्तर—वर्तमान समय में किसानों की दशा बहुत खराब हो गई है इसलिए एक ही क्षेत्र में सुधार करने से किसानों को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा। आवश्यकता इस बात की है कि उत्पादन बढ़ाया जाये जिसके लिये अच्छे बीज खाद एवं सिंचाई के साधनों की पूरी सुविधाएँ प्रदान की जायें। किसानों की श्रमदानी बढ़ाई जाये। उनके लिए अच्छे मजदूरों एवं स्वस्थ बैलों का प्रबन्ध किया जाये। साथ ही साथ उनके ऊपर से ऋण का बोझ भी हल्का किया जाये। इस प्रकार कोई भी एक समस्या के हल से किसानों की स्थिति में सुधार लाना असम्भव है। अभी तक देश में मुख्य रूप से एक ही उद्देश्य वाली समितियाँ रही हैं जो कि किसानों की केवल एक समस्या का चाह वह साव की हो या वस्तुओं की विक्री आदि की हल करती हैं।

भारतीय सहकारी आंदोलन में यह अर्थ ही विवाद पूर्ण विषय रहा है कि किसानों की प्रत्येक समस्या जैसे साख ऋण विक्रय वैज्ञानिक कृषि मजदूर उत्तम बीज आदि के लिये अलग-अलग सहकारी समितियाँ हो जो केवल एक ही समस्या को हल कर सकें अथवा एक ही गाँव में या कुछ गाँवों को मिलाकर उक्त सभी समस्याओं को हल करने के लिये केवल एक ही समिति स्थापित की जानी चाहिये। ऐसी समितियाँ ग्रामीण जीवन में सब प्रकार से सुधार करके गाँवों की उन्नति कर सकती हैं। रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग ने इसी उद्देश्य से तमाम साख समितियों के पुनर्संगठन पर अधिक बल दिया था। १९४० के मद्रास सहकारिता सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि यदि साख समितियाँ अपने नियमों के अनुसार अपने कार्य-क्षेत्र को निर्धारित सीमा तक बढ़ा लेती हैं तो इसके बाद उन्हें बहुउद्देशीय समितियाँ में परिवर्तित हो जाना चाहिये। १९४५ की सहकारी नियोजन समिति और १९४७ में अखिल भारतीय सम्मेलन ने भी इस पर बहुत जोर दिया था।

इससे पूर्व डेनमार्क की भाँति प्रत्येक कार्य के लिये अलग २ समिति पर जोर

दिया जाता रहा परन्तु इस नीति के अलोचने ने दो तर्क उपस्थित किये । एक तो यह कि यहाँ पर गाँवों में प्रत्येक कार्य के लिए अलग २ समितियों के संचालन के लिए योग्य आदमियों का मिलना सम्भव नहीं होगा । दूसरे कृषक अलग २ स्थानों में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये अग्र्यस्त नहीं है । वह साहूकार के यहाँ जाकर अपनी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है । अतः विभिन्न वस्तुओं के लिये किसान की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अलग अलग समितियाँ खोलना उसके लिये सुविधाजनक नहीं होगा । अतः वर्तमान समय में कुछ विशेषज्ञों का मत है कि भारत में बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना ही हितकर है ।

बहुउद्देशीय समितियों का श्रोगणेश बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में किया गया और इनको इस क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त हुई । बम्बई में इस प्रकार की समितियों ने विशेष प्रगति की । इनकी सख्या १९४६-४७ में ४१४ से बढ़कर १९४७-४८ में २५५ हो गई । मद्रास राज्य में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के स्थान पर यह ठीक समझा गया कि प्रारम्भिक साल समितियाँ ही बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के सब कार्य करें । इसलिये प्रान्तीय सरकार ने १९४७ में यह आदेश दिया कि सभी प्रारम्भिक साल समितियाँ दो वर्ष के भीतर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में बदल जायें । इस परिवर्तन के लिए सरकार ने कुछ निरीक्षकों को भी नियुक्त किया जिससे यह कार्य सुचारु रूप से हो जाये । उत्तर-प्रदेश सरकार ने परिमित दायित्व के आधार पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के निर्माण की ओर क्रियात्मक कदम उठाया । सरकार ने १९७७ में एक विशेष योजना चलाई जिससे ग्रामीण जनता को बहुत लाभ हुआ । इस योजना का उद्देश्य प्रान्त भर में अन्न, दूध, घी, कगडा आदि का उत्पादन बढ़ाना था । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार ने अपने विभिन्न विभाग जैसे कृषि सहायिता, पशु उद्योग तथा ग्राम सुधार को मिलाकर एक सूत्र में बांध दिया जिससे इस योजना में सबका सहयोग प्राप्त हो सके । अब उन्नति के कार्यों का भार सहकारी विभाग पर है । १९४७-४८ में उत्तर-प्रदेश में ऐसी समितियों की सख्या ८००० थी । इसके अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के आन्दोलन ने जोर पकड़ा और प्रगति की ओर कदम उठाया । १९४७-४८ में मध्य-प्रदेश में १७२ बगल में ११६२ तथा बिहार में ८५-के लगभग इनकी सख्या थी ।

इन समितियों का काम अन्न, कपड़ा, दूध, घी आदि की पैदावार बढ़ाना है । ग्रामीण जनता एवं श्रेणी की उन्नति के लिये यह किसान को अच्छे बीज, खाद हल तथा अन्य आवश्यक औजारों का भी प्रबन्ध करती है । दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए यह गाँवों की नस्ल में भी सुधार करती है अर्थात् दूध देने वाली गाँवों की सख्या बढ़ाकर उनके चारे एवं खली का प्रबन्ध भी करती है । किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कुटीर उद्योग धन्धों को प्रोत्साहित करती है । मूल कानने के उद्योग के लिये यह किसानों को सस्ते चर्खों का भी प्रबन्ध करती है । इस योजना के अनुसार सहकारी बीज गोदाम को केन्द्र मानकर चला जाता है और उसके आस-पास के गाँवों

में एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति खोली जाती है। गाव के प्रत्येक परिवार का एक कर्ता उसका सदस्य होता है। फसल जोतने में लेकर काटने के समय तब ये समितिया सदस्यों को प्रत्येक उत्पादन कार्य के लिये सहायता देती हैं। यह नकद रुपये के स्थान पर बन्धु के रूप में उधार देती हैं। फसल को काटकर किसान इस समिति के पास अनाज लाते हैं। समिति अनाज बेचकर हिसाब किताब ठीक कर शेष रुपया किसान को लौटा देती है।

इस प्रकार की समिति अपने केन्द्र से ५ मील चारों ओर कार्य करती है और विभिन्न कार्यों के संचालन के लिये सार्वजनिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। समिति का दायित्व सीमित होता है और यह उपरान्त कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी करती है।

(१) वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऋण प्रदान करके समिति भूमि बन्धक बैंको की सहायता से अपने सदस्यों का पुराना ऋण चुकाती है। (२) कृषि उपज को सहकारिता के आधार पर बेचने की प्रेरणा देकर उनकी प्राय बढ़ाने की व्यवस्था करती है। (३) पत्र निर्माण को लक्ष्य करके मुरुदमेशाजी का व्यय कम कराती है। (४) कृषि उपज की वृद्धि के लिये चक्रवर्ती की प्रोत्साहन देती है। (५) चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने की भी व्यवस्था करती है। स्वतन्त्रता के बाद बहु-उद्देशीय समितियों ने बहुत अधिक प्रगति की। प्रथम योजना में इनकी सहायता में वृद्धि करने के प्रयत्न किये गए और द्वितीय योजना काल में भी ग्रामीण साक्ष्य सर्वेक्षण समिति (Rural Credit Survey Committee) के सुझावों के आधार पर भारी सहायता में इन समितियों की स्थापना का कार्य-क्रम है।

बहुउद्देशीय समितियों से कृषकों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं।

(१) यह समितिया कृषक जीवन से सम्बन्धित सभी समस्याओं को हल कर देती है और उनके जीवन का पुनर्गठन का कार्य भी करती हैं।

(२) इनसे किसानों का बहुत अधिक हित होता है।

(३) इन समितियों की स्थापना से ग्रामीण जीवन में साहूकारों का प्रकोप समाप्त हो जाता है क्योंकि किसान की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति यह समिति कर देता है।

(४) बहुउद्देशीय समितियों में सीमित दायित्व होने से सभी श्रेणियों के व्यक्ति, अमीर, गरीब, मध्य वर्ग आदि सभी इस समिति के सदस्य बन जाते हैं जिससे समिति की पूंजी बढ़ जाती है और कार्य आसानी से हो जाता है।

(५) इन समितियों के अनेक प्रकार के कार्यों का केन्द्रीय संचालन होने से कुशल कर्मचारियों को कम आवश्यकता होती है और प्रबंध बहुत सभ्य हो जाता है।

(६) अशिक्षित किसान के आर्थिक हितों की सुरक्षा के हेतु इन समितियों द्वारा साक्ष्य विवरण में सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।

(७) विस्तृत कार्यक्रम होने के कारण इन समितियों में हानि सहन करने की क्षमता अधिक होती है। सामाजिक दुराइयों को दूरकर गाँवों का पुनर्निर्माण करने में

इस प्रकार की बहउद्देशीय समितियों से जो सहायता प्राप्त हो सकती है - वह अन्य किसी प्रकार में नहीं।

प्रश्न ५२—भारत में सहकारी उपभोक्ता भण्डार आन्दोलन की वर्तमान स्थिति क्या है ? इसे और अधिक लोक प्रिय बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं ?

(आगरा ५०)

What is the present position of the Co-operative store Movement in India ? What measures would you suggest to make it more popular ?
Agra 50

उत्तर—उपभोक्ता भण्डार का जन्म सब प्रथम इंग्लैंड में हुआ। इनका मुख्य कार्य जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कराना होता है। स्टोर्स सब सदस्यों का सामान एक साथ खरीदते हैं। इस कारण इसको थोक के दामों पर सामान मिल जाता है। वस्तुओं की कीमत भी कम होती है और माल भी अच्छा होता है। अतएव सदस्यों को सभी प्रकार से उपभोक्ता भण्डारों से लाभ प्राप्त होता है।

उपभोक्ता भण्डार को चलाने का श्रेय राइकेल नामक म्यान के घट्टाईस जुलाहों को है। इन्होंने मिलकर १८४४ में सर्व प्रथम ऐसे भण्डार खोले और शीघ्र ही उनको बड़ा सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने बड़ी प्रगति की। इसी के आधार पर इंग्लैंड में इन स्टोर्स को चालू किया गया। फुटकर दुकानदारों के अनुरोध पर व्यापारियों ने इन स्टोर्स को थोक के दामों पर सामान देना बन्द कर दिया। ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के हेतु उन्होंने मिलकर थोक मण्डकारी स्टोर्स खोल दिये। समस्त उपभोक्ता भण्डार इसके सदस्य थे और खरीदे हुए माल के अनुपात में समस्त लाभ इन स्टोर्स में बाँट दिया जाता था। इस प्रकार व्यापारियों को काफी हानि उठानी पड़ी और उन्होंने धीरे-धीरे २ कारखाने खोलकर उसमें सामान बनाना भी आरम्भ कर दिया।

इस प्रकार के उपभोक्ता भण्डारों के कुछ सिद्धान्त होते हैं जिनका जानना प्रति आवश्यक है। प्रथम सिद्धान्त तो यह है कि वस्तुएँ थोक दामों पर खरीद कर बाजार भावों पर बेची जाती हैं। दूसरा सिद्धान्त है वस्तुओं को नकद बेचा जाता है उधार नहीं। तीसरा सिद्धान्त है स्टोर को वष भर में जो लाभ प्राप्त होता है वह सभी सदस्यों में उपभोग की हुई वस्तुओं के अनुपात में बाँट दिया जाता है अर्थात् जो अधिक वस्तुओं को इन स्टोर्स से खरीदते हैं उन्हें अधिक लाभ प्रदान किया जाता है। इस प्रकार सदस्यों को एक अच्छी रकम वर्ष के अन्त में प्राप्त होती है।

प्रत्येक सदस्य को उपभोक्ता भण्डार का सदस्य बनना पड़ता है। सदस्यता प्राप्त करने के लिये इनको स्टोर के हिस्से खरीदने पड़ते हैं। समस्त सदस्यों की एक साधारण सभा बनाई जाती है। यह सभा प्रबन्धकारिणी समिति (Executive Committee) का निर्माण करती है। यह समिति कई उपसमितियों को बनाती है जैसे क्रय समिति निरीक्षण समिति, आदि। प्रत्येक सदस्य का सीमित दायित्व (Limited Liability) होता है।

भारत में १९१२ में सहकारी समिति कानून के पास हो जाने के बाद इस प्रकार के भण्डारों की स्थापना प्रारम्भ हुई परन्तु रिकलेगन समिति की रिपोर्ट से विदित हुआ कि इनका विकास १९१४ तक नहीं हुआ। प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ होने से साठ पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए थे और वस्तुओं के मिलने में बहुत कठिनाई होने लगी थी जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता भण्डार का विकास प्रारम्भ हुआ। परन्तु युद्ध समाप्त होते ही इनकी संख्या भी समाप्त होने लगी। इसका मुख्य कारण था धनवान लोगों ने इसकी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया क्योंकि उनको कोई विशेष लाभ नहीं था। इसलिये इन्होंने अपना ध्यान इन और प्राकृषित नहीं किया। शिक्षित तथा मध्य वर्ग के लोग आकर्षित होते परन्तु शहर में उनको इतनी दुकानें मिल जाती थी और उन पर इतनी तरह की वस्तुएं मिल जाती थी कि उन्होंने भी इस और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार के स्टोर मजदूरों तथा किसानों में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लैंड में भी इनका प्रयोग मजदूरों एवं किसानों ने किया था परन्तु भारत की अधिक जनता धनपट होने के कारण इनका महत्व समझने में पूर्णतया असमर्थ थी और गरीबी के कारण यह अपना कार्य बनिये से उधार सामान लेकर चला लेते थे क्योंकि स्टोर तो उधार देते नहीं क्योंकि उनके मिद्धान्त का उल्लंघन होता था। दूसरे गरीबी के कारण वह इन स्टोर के हिस्से खरीदने में भी सदैव असमर्थ रहे। ये स्टोर उचित प्रबंध के अभाव के कारण भी अपनी उन्नति नहीं कर सके और बहुत से स्टोर बन्द हो गये। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से इनके जीवन में नई स्फूर्ति आई प्रथम दूसरे महायुद्ध ने इनको नवीन जीवन प्रदान किया। युद्धकाल में वस्तुओं की बहुत अधिक कीमतें बढ़ गईं और चोर बाजारी तथा अनुचित लाभ का प्रकोप फैलन लगा जिसके कारण उपभोक्ताओं ने सहकारिता का सहारा लिया और इन्होंने मिलकर बहुत अधिक संख्या में उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना की। सरकार ने इन स्टोरों को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। इनकी उन्नति के हेतु इन्होंने स्टारों को लाइसेंस तथा कन्ट्रोल की वस्तुओं का कोटा प्रदान किया। उत्तरप्रदेश के सभी जिलों में सहकारी बिक्री संघ (Co-operative Marketing Federation) स्थापित किये गये जो बहुत सी वस्तुओं को बेचने का कार्य करते थे।

वर्ष	संख्या	सदस्य (लाख में)	पूंजी (करोड़)	बिक्री (लाख)
१९४६-४७	१६८८	४७	२३३	१८१४६३
१९४९-५०	८९४९	२१६	४९	७०४५००

उपभोक्ता भण्डारों का प्रगतिशील विकास इस बात से सिद्ध होता है कि सन् १९३८-३९ से १९४७-४८ तक इन भण्डारों की संख्या आसाम में १३ से १०१३,

बम्बई में २५ से ६१२, मद्रास में ८५ से १७४० तथा उड़ीसा में ६ से ३७१ हो गई थी। पीछे दिए आंकड़ों से इन्की प्रगति स्पष्ट होती है।

इन दो वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि इनकी संख्या ३ वर्ष में ५ गुनी से भी अधिक हो गई। इन स्टोरो को सामान देने के लिए थोक भंडार (Whole Sale Consumer s Stores) स्थापित किये गये जिनकी संख्या १९४६—५० में ८५ थी। इनकी विशेष प्रगति आराम मद्रास में बड़ी तेजी से हुई। मद्रास राज्य में ट्रिप्लीकेन सहकारी समिति (Triplicane Urban Co-operative Society) विशेष उल्लेखनीय है जिसकी स्थापना १९०४ में हुई थी। आरम्भ में यह बड़े छोटे पैमाने पर चलाई गई और इसमें दो कर्मचारी काम करते थे। परन्तु आजकल इसकी २२ शाखाएँ हैं और इसकी पूजा सगभग २ लाख है।

१९५१—५२ में राज्यों ने कंट्रोल समाप्त कर दिया जिससे इन स्टोरों को काफी हानि हुई और उनका आय एव व्यापार में बहुत कमी हो गई थी जिसके कारण बहुत सी समितियाँ बंद हो गईं। उत्तर प्रदेश सहकारी विकास का विपणन सघ जो इन भण्डारों की सर्वोच्च संस्था है, द्वारा सब नियमित वस्तुएँ जैसे कपड़ा, चीनी मिट्टी का तेल आदि जिला सघों को दी जाती थी। ये सघ प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डारों को बे वस्तुएँ दे देते थे। सन् १९५०—२ में इन स्टोरों की स्थिति इस प्रकार थी :-

	१९५०—५१	५१—५०
भण्डार संख्या	५०८	५०६
सदस्य संख्या	३० ५३०	३२३२११
वार्षिक खरीद (करोड़ रु. में)	१० ८२	२० ०६
वार्षिक बिक्री (करोड़ रु. में)	१८ ३८	२० ५७

१९५० में उत्तर प्रदेश में ८ केन्द्रीय थोक भंडार थे जिनमें १६५ प्रारम्भिक भण्डार, १३२८ व्यक्तिगत सदस्य थे। कंट्रोल के हट जाने से इन पर बुरा प्रभाव पड़ा। इनका भविष्य सरकार के हाथ में है।

प्रथम योजना में इन भण्डारों की प्रगति के लिए इनको विशेष स्थान प्रदान किया गया था परन्तु इनकी उल्लेखनीय उन्नति न हो सकी। योजना न राम दी थी कि इनका क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है परन्तु द्वितीय योजना में राज्यों के सहकारी विभाग ने इस और अपना ध्यान विशेष तौर से आकर्षित नहीं किया। शहरों में यदि इस प्रकार के भण्डारों को प्रोत्साहन दिया जाये तो गावों में भी इसका विकास होगा। द्वितीय योजना में इसको विशेष महत्व नहीं दिया है परन्तु हम बात की सिफारिश की है कि इसकी समस्याओं का विशेष अध्ययन करके इसके लिए विकास प्रोग्राम तैयार अवश्य किया जाए।

उपभोक्ता भण्डारों के विकास के सुझाव

भारत जैसे निर्धन देश में उपभोक्ता भण्डारों के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। तभी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। इनकी उन्नति के लिए निम्न-लिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं :-

(१) लगभग ५००० व्यक्तियों के लिए एक उपभोक्ता भण्डार होना चाहिए ।

(२) व्यापार संचालन के लिए आवश्यक पूंजी की पूर्ति हिस्सों की पूंजी से तथा केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर करनी चाहिए ।

(३) सुगम व्यवस्था के लिए ५० शहरी और ग्रामीण भण्डारों को एक केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के अधीन कर देना चाहिए ।

(४) सहकारी विभाग उपभोक्ता भण्डारों की अधिकतम पूंजी व उनके द्वारा लिए जाने वाले ऋण की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए ।

(५) हर प्रान्त में एक प्रांतीय उपभोक्ता समिति स्थापित की जाए जिसका ५०% व्यय पहले ५ वर्षों तक सरकार दे । यह प्रांतीय समिति सभन्वय कार्य करेगी ।

(६) प्रांतीय सहकारी विभाग को उपभोक्ता समितियों के संगठन के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

इन सुझावों के अतिरिक्त स्टोर का प्रबंध योग्य व्यक्तियों द्वारा चलाया जाए । स्टोर अपने सदस्यों के अतिरिक्त गैर सदस्यों को भी माल बेचे जिसमें गैर सदस्य भी उसकी उपयोगिता को समझकर उसके सदस्य बन जाए । प्रबंधकों का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए । सदस्यों की सदस्यता शुल्क बहुत कम रखनी चाहिए । उपरोक्त कारणों के अपनाने से इनकी प्रगति होना स्वाभाविक ही है ।

अध्याय १६

बड़े पैमाने के उद्योग

प्रश्न ५३—स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद से अब तक भारत के औद्योगिक विकास पर एक नोट लिखिये ।

(पंजाब ५३, बिहार ५३)

Write a lucid not on industrial development in India since Independence

(Punjab 1953, Bihar 1953)

देश के स्वतन्त्र होने के बाद से अब तक औद्योगिक क्षेत्र में कुछ विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिन पर भविष्य के औद्योगीकरण की इमारत खड़ी होने वाली है। इस दृष्टि से गत दस वर्षों में भारत के इतिहास में विशेष महत्व रखते हैं। जैसा कि हमें विन्ति है भारत के औद्योगिक नीति की घोषणा १९४८ में की गई थी जिसे १९५६ में संशोधित किया गया। इस काल में भारत ने एक पंचवर्षीय योजना पूर्ण कर ली है और दूसरी पर कार्य हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत भारत में तीव्र गति से उद्योगों की स्थापना हो रही है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के प्रारम्भिक दो तीन वर्षों में स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। औद्योगिक उत्पादन लगभग स्थिर रहा क्योंकि पुरानी मशीनों का स्थान पर नई मशीनें मगाने में कुछ बाधाएँ थी। दूसरी ओर, औद्योगिक भण्डे, यातायात की कठिन इयाँ, सरकारा नियन्त्रण तथा अन्य कई कारणों से कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी। १९५० तथा उसके बाद के काल में उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होनी रही है। १९५० तक औद्योगिक उत्पादन का वार्षिक सूचक अत्र (Index-Number) लगभग १०५ था १९५३ में यह १३५, ३, १९५४ में १४६.५ तथा १९५५ में १६२.६ हो गया। कपडा, सीमेन्ट, तेल तथा अन्य कई वस्तुओं का उत्पादन प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से भी अधिक रहा। इस काल में भारत में ऐसी बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन भी होने लगा है जो पहिले विदेशों से आयात की जाती थी।

दस वर्षों के इस काल में हमारे औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में अनेक कारखानों का निर्माण हुआ और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के उद्योगों पर ६४ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई। चित्तूरजन के कारखाने में शीघ्र ही २०० रेल के इंजन प्रतिवर्ष बनने लगेंगे। सिंदरी के कारखाने में १९५५ में ३२१००० टन रसायनिक खाद का उत्पादन हुआ। योजना के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक था। इसी प्रकार पापों के जहाज, टेलीफोन तथा अन्य वस्तुएँ भी अब भारत में बनने लगी हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) के और अधिक विस्तार पर जोर दिया गया है।

निजी क्षेत्र (Private Sector) के उद्योगों ने भी आश्चर्यजनक प्रगति की

है। प्रथम योजना में निजी क्षेत्र के कुल निवेश (Investment) का ८० प्रतिशत पूजा उद्योगों के विकास के लिए निर्धारित किया था, जिनमें लोहा तथा इस्पात, पेट्रोल, सीमेन्ट, एलमिनियम (Aluminium) रसायनिक खाद, भारी रसायनिक पदार्थ आदि वस्तुएं प्रमुख स्थान रखती हैं। उपभोग की वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों में किसी नये कारखाने की स्थापना नहीं की गई किन्तु पढ़िन में लगे हुए कारखानों की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की गई। सरकार ने उद्योगों के विकास में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से समस्त देश में शोध कार्य (Research work) के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश के औद्योगिक विकास पर उतना अधिक जोर नहीं दिया गया था जितना दूसरी योजना में दिया गया है। देश के भावी औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए आधारभूत उद्योग (Basic Industries) के विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है। लोहा तथा इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन बड़े कारखाने खोले जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कुल व्यय का ६८ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में कुल व्यय का ७० प्रतिशत इसी प्रकार के उद्योगों पर व्यय होगा जिनमें लोहा तथा इस्पात के अतिरिक्त सीमेन्ट, रसायनिक खाद, भारी रसायनिक पदार्थ, खनिज, तेल, कोयला, बिजली का सामान तथा मशीनों आदि के निर्माण से सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों के विकास पर व्यय होगा।

१९५६ में औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई वह अन्य किसी एक वर्ष में नहीं हुई। लगभग १५ करोड़ रुपए प्रतिमाह के हिसाब से मशीनों का विदेशों से आयात किया गया है जो इन कारखानों की स्थापना के लिए मंगाई जा रही हैं। देश में लोहे तथा इस्पात की खपत एक साल के अन्दर २० लाख टन से बढ़ कर २० लाख टन हो गई है। आशा की जाती है कि १९५६ का औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा ६ प्रतिशत अधिक होगा।

देश के बड़े उद्योगों में बढ़ते हुए उत्पादन की प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जा रही है। कपड़ा, जूट का सामान, नकली रेशम सोडा कागज कास्टिक सीमेन्ट साइकिलें, सिलार्ड की मशीनें, बिजली के पम्पे, मोटरकार आदि वस्तुओं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी वर्ष देश में इंजीनियरिंग (Engineering) से सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी आवश्यक वस्तुओं का निर्माण भारत में शुरू हो गया है।

१९५६ में भारत में भारी मशीनरी (Heavy Machinery) के निर्माण के संबंध में आवश्यक कदम उठाये गये हैं। इसी वर्ष सीमेन्ट के १८, लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं के निर्माण (Fabrication of Iron & steel) के ३४, ऑटोमोबाइल तथा उसके पुर्जे बनाने के Automobiles & parts के २७ साइकिल बनाने के, १० आयरन बनाने के ६ मशीनों आदि के २५ नए कारखानों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लाइसेन्स (Licence) दिये गए हैं।

इनके अलावा रूस, जर्मनी तथा अन्य देशों के विशेषज्ञ भारत में बुलाए गए हैं जो दवाइयों फोटोग्राफी का कागज तथा कच्ची फिल्मों तथा अन्य मामलों में भारत सरकार को परामर्श देंगे।

१९५६ में जो औद्योगिक उत्पादन भारत में हुआ उसका कुछ अनुमान निम्न-लिखित तालिका से लगाया जा सकता है :—

	१९५५	१९५६
सूती वस्त्र उद्योग	५०३४० लाख गज	५२४०० लाख गज
मिच का सूत	१६३०० लाख पौंड	१६४५० लाख पौंड
ऊनी कपड़ा	१३६६ लाख गज	१६३६ लाख गज
जूट का सामान	१०२७ लाख टन	१०६२ लाख टन
कोयला	३८२ लाख टन	३६० लाख टन
सी-ट	४५ लाख टन	४६५ लाख टन
लोहा तथा इस्पात	१२६ लाख टन	१३३ लाख टन
ओटोमोबाइल	२३०८	३१०००
साइकिलें	४६१११७	६१५१००

उपरोक्त तालिका से दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में हुई उत्पादन वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। यह वृद्धि दूसरी योजना के निर्धारित अनुमान के अनुरूप है और यह आशा की जाती है कि १९५७ में भी इस वृद्धि की दर को कायम रखा गया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनसे पता चलता है कि सरकार लोहा तथा इस्पात उद्योग भारी मशीनें बनाने का उद्योग तथा इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों पर अधिक ध्यान दे रही है। कारण यह है कि इन्हीं उद्योगों के विकास पर भारत की भावी औद्योगिक उन्नति निर्भर है। दूसरी योजना में विभिन्न महत्वपूर्ण उद्योगों पर जो रकम व्यय करने का अनुमान है वह निम्नलिखित तालिका में विहित है —

	अनुमानित व्यय (करोड़ रुपये)	प्रतिशत
भूगर्भ सम्बन्धी उद्योग (Metallurgical)	५०२५	४५.३
इंजीनियरिंग उद्योग	१५००	१३.७
रसायनिक उद्योग	१३२०	१२.०
सीमेन्ट तथा बिजली सम्बन्धी उद्योग	६९०	८.५
पेट्रोल साफ करने के कारखाने	१००	०.९
कागज उद्योग (अन्वयारी कागज सहित)	५४०	५.०
चीनी उद्योग	५१०	४.७
सूती, ऊनी, जूट, रेशमी कपड़ा एवं सूत	३६३	३.३
नकलो रेशम	४०	२.२
अन्य उद्योग	४१५	३.८

उपरोक्त तालिका में विहित है कि दूसरी योजना में औद्योगिक विकास पर १०६४ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसमें से २४ करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में और ५३५ करोड़ रुपया निजी क्षेत्र पर व्यय होगा। निजी क्षेत्र में ३५०

नरोड लोहा तथा इस्पात उद्योग पर ३७ करोड़ रसायनिक खाद उद्योग पर तथा २० करोड़ भारी बिजली का सामान बनाने वाले कारखानों के विकास पर व्यय होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कुछ बाधा उत्पन्न हो गई है क्योंकि नए कारखानों को स्थापित करने के लिए मशीनें आदि विदेशों से ही आयात करनी पड़ता है यदि पर्याप्त मात्रा में विदेशों से आर्थिक सहायता तथा ऋण प्राप्त न हुए तो इन योजनाओं में कुछ काट-छाट करनी पड़ेगी। स्वतन्त्रता प्राप्त होने से पूर्व देश के औद्योगिक विकास में जो अड़चने थी वे अब धीरे-धीरे दूर हो रही हैं और विश्वास के साथ हम यह कह सकते हैं कि निकट भविष्य में भारत की गिनती प्रमुख औद्योगिक देशों में हो सकेगी।

प्रश्न ५४—भारत में उद्योगों का विकास मन्द गति से क्यों हुआ ? भविष्य में देश के औद्योगिक विकास की सम्भावना पर प्रकाश डालिये।

(बनारस ५४, पंजाब २८, कलकत्ता ४१, आगरा ३७)

Why is the development of industries so slow in India? Discuss the possibility of future industrial development in the country

(Benaras 54, Punjab 38, Calcutta 41 Agra 37)

उत्तर—भारत औद्योगिक विकास की दृष्टि से अन्य पश्चिमी देशों की अपेक्षा बहुत पीछे है। भारत की जनसंख्या, प्राकृतिक साधन तथा क्षेत्र को देखते हुए हमारे देश का औद्योगिक विकास बहुत मन्द गति से हुआ है। देश की कुल जनसंख्या का केवल २% भाग बड़े पैमाने के उद्योगों में काम करता है शेष ७० प्रतिशत के लगभग आज भी किसान लोग हैं। इनका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि देश की राष्ट्रीय आय (National Income) में केवल ६-८ प्रतिशत भाग उद्योग द्वारा प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति यह नतीजा निकाल सकता है कि भारत में १०० वर्ष के औद्योगिक विकास के बाद भी बहुत मामूली प्रगति हुई है जबकि इसी काल में अन्य देश कहीं से कहीं पहुंच गये हैं। इस मन्द प्रगति के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं :—

(१) आधारभूत उद्योगों का अभाव (Absence of Basic Industries)—भारत में आधारभूत उद्योगों का अभाव है। लोहा तथा इस्पात उद्योग तथा सीमेंट उद्योग को छोड़कर अन्य आधारभूत उद्योगों का भारत में कोई विकास नहीं हुआ। लोहा तथा इस्पात और सीमेंट भी देश की आवश्यकताओं को देखते हुए अर्थात् प्राप्त हैं। मशीनें बनाने का उद्योग भारी रसायनिक (Heavy Chemical) उद्योग तथा पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) के निर्माण का भारत में पूरी तरह अभाव रहा है। इस और कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। जो भी कारखाने भारत में लगाए गए उनमें उपभोक्त वस्तुएं (Consumer Goods) ही निर्माण होती हैं जैसे सूती वस्त्र, जूत, कागज, चीनी इत्यादि। आधारभूत उद्योगों के अभाव के कारण अन्य उद्योगों का समुचित विकास भी नहीं हो सका।

(२) भारतीय पूंजी का अभाव (Shyness of Indian Capital)—

भारत में पूँजी का सदैव से अभाव रहा है। जो भी पूँजी भारत में थी उसे लोग उद्योगों में लगाना नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा करने में कुछ भय तथा सकोच रहता था। दूसरे देश में पूँजी का संवय बहुत कम होता है, देश में शुरु के काल में जो भी उद्योग स्थापित हुये उनमें से अधिकांश विदेशी पूँजी से सहाये गये। भारत में लोग अपना सपना उद्योगों में लगान की अपेक्षा भूमि तथा जायदाद खरीदना अच्छा समझते हैं या उसे छुपा रखते हैं। पूँजी का विनियोग उद्योगों में बहुत कम होता रहा है।

(३) सस्ती शक्ति के साधनों की कमी — भारत में उद्योगों को चलाने के लिये अभी तक मुख्य रूप से कोयले की शक्ति का प्रयोग होता है जो देश के कुछ सीमित क्षेत्रों में ही पाया जाता है और जिसे देश के सभी भागों को यातायात करने में बहुत अधिक व्यय होना है। यही कारण है कि देश के बहुत से क्षेत्रों में उद्योगों का विलकुल विकास नहीं हो सका और जो उद्योग स्थापित भी हुये वे केवल बम्बई, बंगाल तथा अन्य दो एक क्षेत्रों में हुये।

(४) कुशल श्रमिकों का अभाव — भारत में कुशल श्रमिकों की सदैव से कमी रही है। यहाँ की अधिकांश जनता खेतीहर है और देशान्ते में रहती है। यह लोग साल के कुछ महीनों में अपने गाव छोड़कर कारखानों में काम करने चले आते हैं और फसल के समय फिर गाव को वापिस लौट जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय श्रमिक अशिक्षित हैं और उनके प्रशिक्षण आदि की कोई उचित व्यवस्था देश में नहीं है। इसका परिणाम यह है कि भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ घटिया और महँगी होती हैं और विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला नहीं कर पायीं।

(५) औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था का अभाव — बड़े उद्योगों के विकास के लिये यह परम आवश्यक है कि देश में इस प्रकार की संधारणें हो जो उद्योगों को कर्ज आदि प्रदान कर सकें। भारत में औद्योगिक बैंकों का पूरी तरह अभाव रहा है। देश में जो व्यापारिक बैंक हैं वे एक ओर तो अपने को इस कार्य में असमर्थ पाते हैं दूसरे उनका व्यवहार उद्योगों के प्रति उदासीनता का रहा है। इस कमी के कारण भारत में उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो सका।

(६) औद्योगिक संगठनकर्तव्यों का अभाव — भारत में ऐसे व्यक्तियों का अभाव रहा है जो उद्योगों के संगठन की योग्यता तथा क्षमता रखते हो। देश का सामाजिक वातावरण, लोगों की विचार धारा तथा शिक्षा की कमी के कारण भारत सदैव से कृषि प्रधान देश रहा है और अब भी है।

(७) सरकारी उदासीनतापूर्ण नीति — भारत लगभग १०० वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। अंग्रेजों की नीति का गवाह ही यह था कि भारत में उद्योगों का पूर्ण विकास न हो और भारत एक कृषि प्रधान देश बना रहे ताकि यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड को निर्यात होता रहे तथा वहाँ का बना हुआ पक्का सामान भारतीय बाजारों में बिके। भारतीय उद्योगों के विकास का अर्थ यह होता है कि इंग्लैंड के व्यापार तथा उद्योगों को हानि पहुँचती जिसके लिये भारत सरकार तैयार नहीं। इस

प्रकार ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित नीति के अनुसार भारतीय प्राचीन उद्योगों का विनाश हुआ और उनके स्थान पर नये उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी।

(८) उद्योगों का योजना रहित विकास—भारत में जो भी उद्योग स्थापित हुये वे किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार नहीं हुये जिनका परिणाम यह हुआ कि देश के कुछ भाग जैसे बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, कलकत्ता इत्यादि विशेष रूप से विकसित हो गये और शेष भागों का कोई विकास नहीं हो सका। इस प्रकार समस्त देश की एक समान औद्योगिक उन्नति नहीं हुई।

(९) रेल के भाड़े से सम्बन्धित नीति भारतीय रेलों के भाड़े (Railway Rates) निर्धारित करने की नीति उद्योगों के विकास में बाधा पड़ गई है। रेल के भाड़े का निर्धारण इस उद्देश्य से किया गया है कि भारत में विदेशी आयात को प्रोत्साहन मिले और देश से कच्चे माल का निर्यात अधिक हो। इस प्रकार से देश में उद्योगों के विकास में बाधा पहुँची तथा उनका विकास मन्द गति से हुआ।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य कारण भी इस मन्दगति में सहायक हुए —

- (अ) संगठित बाजारों का अभाव।
- (ब) यातायात के साधनों का अपूर्ण विकास।
- (स) प्रचार (Advertisement) के दोषपूर्ण तरीके।
- (द) पुरानी तथा घिसी हुई मशीनें।
- (य) प्रकुशल प्रबन्ध।

भविष्य में उद्योगों की उन्नति की सम्भावना

विदेशी शासन के समाप्त होने से अब भारत के औद्योगिक विकास में बहुत सी बाधाएँ समाप्त हो गई हैं और अब हमारी राष्ट्रीय सरकार इस दिशा में विशेष रूप से प्रयत्नशील है। श्रीमती विरा एन्स्टी (Mrs Vera Anstey) के अनुसार किसी भी देश का औद्योगिक विकास पाँच बातों पर निर्भर है। उसी के आधार पर हम भारत के औद्योगिक भविष्य का निर्णय कर सकते हैं :—

(१) मानव—इसके अन्तर्गत कुशल श्रमिक तथा योग्य व्यवस्थापक आते हैं। भारत में श्रम की कोई कमी नहीं है। देश की जनसंख्या ५५ करोड़ ~~के~~ है। उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की ओर सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है। टेक्निकल कर्मचारियों के अभाव को पूरा करने के लिये भारतीय विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिये विदेशों को भेजे जा रहे हैं। आशा की जाती है कि अगले कुछ वर्षों में यह कमी बहुत हद तक दूर हो जावेगी।

(२) धन—औद्योगीकरण के लिये अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है जिसका देश में अभाव है। भारत सरकार ने दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में अधिक टैक्स लगाकर तथा राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहन देकर इस अभाव का पूरा करने का प्रयत्न किया है। फिर भी भारत को दूसरी योजना के काल में ७०० करोड़ रुपये की विदेशी

मुद्रा की कमी अनुभव हो रहा है जिसे विदेशों से उधार के रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत के कुछ मित्र तथा शुभचिन्तक देश भारत की भरसक सहायता करने को राजी हैं। आशा है कि घन के इस अभाव को कभी न किसी तरह पूरा कर लिया जावेगा।

(३) सामान — कच्चे सामान की दृष्टि से भारत काफी भाग्यशाली है। भारत में इतनी अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ जैसे लोहा, मैंगनीज इत्यादि पाये जाते हैं जो देश के सम्पूर्ण औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त हैं। इसका अतिरिक्त जो कच्चा माल कृषि पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है उसके क्षेत्र में भी भारत की स्थिति काफी अच्छी है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान की दृष्टि से भारत का औद्योगिक भविष्य बहुत अच्छा है।

(४) मशीन—औद्योगिक विकास के लिए एक अन्य समस्या मशीनों की है जिनका निर्माण अभी तक भारत में नहीं होता। उन्हें विदेशों से मगाने में बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है जो भारत के पास नहीं है। इस कमी को घ्याग में रखते हुये दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन बड़े स्पात के कारखाने तथा भारी मशीने बनाने वाले एक कारखाने के निर्माण की व्यवस्था की गई है। इस योजना के पूरे हो जाने से स्वयं भारत में मशीनों आदि का निर्माण होने लगेगा और देश के औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी।

(५) बाजार उद्योगों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उन वस्तुओं के लिये पर्याप्त बाजार भी होना चाहिये। भारत एक विशाल देश है जिसमें लगभग सभी का उत्पादन अभी तक देश की आवश्यकताओं से कम है। यदि उद्योगों का और अधिक विकास हो तो देश की बनी वस्तुओं की खपत देश के अन्दर ही हो जावेगी। इसके अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देशों में भी भारत की बनी वस्तुओं की काफी मांग है। इसलिये यहां उद्योगों के विकास के लिये अनुकूल वातावरण पाया जाता है।

प्रश्न १५— भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

Give a brief account of development and working of public enterprises in India

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद देश की राष्ट्रीय सरकार ने १९४८ में जिस औद्योगिक नीति की घोषणा की उसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों का कार्य क्षेत्र अलग अलग निर्धारित कर दिया गया। कुछ ऐसे उद्योग थे जिनकी स्थापना, संचालन तथा स्वामित्व का पूर्ण दायित्व सरकार के एकाधिकार में रखा गया। इस श्रेणी के उद्योगों की स्थापना तथा संचालन के लिए सरकार ने कानून द्वारा कॉर्पोरेशन (Corporation) बनाए जो केंद्रीय सरकार के आधीन कार्य कर रहे हैं। देश की सरकार ने जिन औद्योगिक कारखानों की स्थापना सार्वजनिक

क्षेत्र (Public Sector) में की है उनमें से कुछ का सक्षित विवरण इस प्रकार है ।

(१) सिदरी रसायनिक खाद का कारखाना— बिहार राज्य में स्थित यह एगिया का सबसे बड़ा कारखाना है । इसमें प्रतिदिन एक हजार टन एमोनियम सल्फेट (Ammonium Sulphate) बन जाता है । २३ करोड़ रुपए की लागत में यह कारखाना १९५१ में बनकर तैयार हुआ । पहिले साल इसमें केवल ७४४५ टन खाद का उत्पादन हुआ । १९५२ में निर्धारित में भी अधिक अर्थात् ३२७०० टन खाद का उत्पादन किया गया । एमोनियम नाईट्रेट (Ammonium Nitrate) तथा अन्य रसायनिक पदार्थों के उत्पादन की भी इस कारखाने में व्यवस्था की जा रही है । आशा की जाती है कि यह कारखाना भविष्य में भारत में रसायनिक उद्योग का मुख्य केन्द्र होगा जिनकी देश को सबसे अधिक आवश्यकता है ।

(२) छितरजन रेल के इंजन बनाने का कारखाना— यह कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है और भारतीय रेलों के लिए भाप से चलने वाले रेल के इंजिनो का निर्माण कर रहा है । जैसे तो रेल के इंजिन में काम में आने वाले बहुत से पुर्जे आज भी विदेशों से आयात करने पड़ते हैं किंतु धीरे-धीरे इस बात का प्रयत्न भी किया जा रहा है कि उनका निर्माण भी भारत में ही होने लगे । इस दशा में अब तक की जो प्रगति है वह काफी सतोपजनक रही है । प्रारम्भ में यह कारखाना गतिवर्ध केवल १२० इंजिन तथा ५० Boilers बनाने की क्षमता रखता था किंतु अब कारखाने का विस्तार कर दिया गया है और अब इसकी क्षमता २०० इंजन प्रति वर्ष बनाने की हो गई है । यह भारत का एक प्रमुख तथा महत् पूर्ण कारखाना है ।

(३) हिन्दुस्तान पानी के जहाज बनाने का कारखाना (Hindustan Shipyard)— विशाखापटनम नामक स्थान पर इस कारखाने की स्थापना हुई है । इसकी कुल पूंजी का ३/५ भाग भारत सरकार द्वारा लगाया गया है । शायद सिंदिया (Scindias) कम्पनी द्वारा प्रदान किया गया है । इस कारखाने का उद्देश्य भारत में पानी में चलने वाले समुद्री जहाज बनाना है जिससे भारत के समुद्री जल यातायात का समुचित विकास हो सके और भारत को विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े । अब तक इस कारखाने में १५ समुद्री जहाजों का निर्माण हो चुका है । कारखाने ने टेक्नीकल (Technical) सहायता तथा परामर्श के लिए एक फ्रांस की कम्पनी से एक समझौता कर लिया है ।

(४) हिन्दुस्तान भवन निर्माण कारखाना (Hindustan Housing Factory) यह कारखाना १९५३ में चला हुआ । इससे पूर्व भारत सरकार द्वारा स्थापित भवन निर्माण कारखाने की असफलता के कारण उसे यह नया रूप दिया गया है । अब इस कारखाने को नये सिरे से सुधार दिया गया है और विविध प्रकार के भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन की भी व्यवस्था कर दी गई है ।

(५) राष्ट्रीय कारखाना (National Instrument Factory)—यह

कारखाना कलकत्ता में स्थापित किया गया है और अब इसका विस्तार किया जा रहा है। इसमें वैज्ञानिक यंत्रों (Scientific Instruments) प्रादि का निर्माण होता है। १९५४—५५ में इस कारखाने में २१५६ लाख रुपए के मूल्य का सामान बनाया गया।

(६) पेनसिलीन बनाने का कारखाना (Penicillin Factory) — यह कारखाना पूना के निकट पिम्पिरी स्थान पर बनाया गया है। इस कारखाने में पेनसिलीन नाम की दवा बनाई जाती है। इस कारखाने में दवाई के निर्माण का कार्य १ अगस्त १ ५ से शुरू हो गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पेनसिलीन के अतिरिक्त इसी प्रकार की अन्य दवाओं का उत्पादन भी होने लगेगा।

(७) डी० डी० टी० बनाने का कारखाना (D. D T. Factory) — दिल्ली में डी० डी० टी० बनाने का एक कारखाना भी स्थापित हो चुका है। इस कारखाने में डी० डी० टी० का उत्पादन २५ मार्च १९५५ को शुरू हो गया और दिसम्बर १९५५ में इसकी उत्पादन क्षमता १ टन प्रतिदिन तक हो गई थी। वर्तमान उत्पादन की दर ७२० टन प्रतिवर्ष है। इस कारखाने के और अधिक विस्तार की आशा है।

(८) मशीन औजार बनाने का कारखाना — यह कारखाना बयलौर के पास स्थापित किया गया है। १९५४ में इसने मशीनों तथा औजारों के उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया। इसकी उत्पादन क्षमता में धीरे धीरे वृद्धि का जा रहा है। इस कारखाने में भारतीय रेलों तथा अन्य इस्पात कारखानों प्रादि को सहायता मिलेगी। एक (Swiss Company) के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना तथा विस्तार का कार्य किया जा रहा है।

(९) हिन्दुस्तान केबल्स कारखाना (Hindustan Cable Factory) — यह कारखाना पश्चिम बंगाल में रूपनारायणपुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। डाक तथा तार विभाग द्वारा प्रयोग होने वाले विविध प्रकार के केबल्स तथा तार अब तक विदेशों से आयात किये जाते रहे हैं। इस कारखाने में उत्पादन का कार्य १९५४ में शुरू हो गया है। शुरू के ६ महीनों में केवल १८२ मील लम्बे केबल्स का उत्पादन हुआ। १९५६ के अन्त तक यह उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक अर्थात् ५१० मील लम्बाई के केबल्स का हो गया।

(१०) हिन्दुस्तान इस्पात का कारखाना (Hindustan Steels Ltd) उड़ीसा राज्य में रुर्केला नामक स्थान पर जर्मनी के एक औद्योगिक समूह की सहायता से इस्पात का यह नया कारखाना लगाया जा रहा है। १९६१ तक यह कारखाना १२८ करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हो जावेगा और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता १६ लाख टन तक होगी। यह उन तीन नये इस्पात कारखानों में से एक है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में सांख्यिक क्षेत्र में लगाये जा रहे हैं। इन कारखानों के बनने से इस्पात का वर्तमान कमी कुछ हद तक पूरी हो जावेगी।

उपरोक्त इस्पात कारखानों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य में भिलाई नामक स्थान पर रूस सरकार को सहायता से एक अन्य इस्पात कारखाना बन रहा है।

जिसकी लागत ११५ करोड़ रुपये होगी और उत्पादन क्षमता १० लाख टन प्रतिवर्ष होगी। दुर्गापुर नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल राज्य ने एक ब्रिटिश कम्पनी की सहायता से एक तीसरा इस्पात कारखाना बनाया जा रहा है जिस पर कुल लागत १३८ करोड़ रुपये होगी। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार लोहा तथा इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में रखा गया है।

१९५६ में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास नियम (National Industrial Development Corporation) ने कुछ अन्य योजनाओं को निश्चित रूप प्रदान किया है। देश में भारी मशीनरी (Heavy Machinery) के निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू होना वाला है।

(११) हिन्दुस्तान हवाई जहाज कारखाना (Hindustan Aircrafts Ltd)—यह कारखाना बंगलूर में स्थित है। भारत सरकार का प्रतिरक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) इसका संचालन कर रहा है। इस कारखाने में हवाई जहाज के पुर्जों का निर्माण तथा उन्हें जोड़कर हवाई जहाज बनाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसके अतिरिक्त रैन के डब्बे तथा मोटर बसों के टाचे बनाने का कार्य भी इस कारखाने में होता है।

(१२) अख्तारवाड़ी कागज बनाने का कारखाना—भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के साथ में ६ करोड़ रुपये की लागत से अख्तारवाड़ी कागज बनाने के इस कारखाने की स्थापना की है।

हैदराबाद राज्य में एक अन्य अख्तारवाड़ी कागज बनाने वाले कारखाने की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। रुकेला तथा नागल में रासायनिक खाद के बड़े कारखाने लगाए जायेंगे।

१९५६ की औद्योगिक नीति से सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार तथा विकास का मार्ग और अधिक सुगम हो गया है। छोटी बड़ी ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत पूरा किया जावेगा। यह भी आशा की जाती है कि सरकार कुछ वर्तमान कारखानों का जो इस समय निजी क्षेत्र में हैं राष्ट्रीयकरण करदे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के विकास तथा विस्तार की व्याख्या की गई है।

प्रश्न ५६—भारतीय लोहा तथा इस्पात उद्योग की स्थापना, विकास तथा वर्तमान स्थिति की व्याख्या कीजिए। (पटना ५७, ५१, राजपूताना ५२)

Trace the growth, development and present position of the Iron and Steel Industry in India (Patna 57, 51, Rajputana 52)

उत्तर—यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत उद्योगों में से एक है। इसकी प्रगति के बिना कृषि अथवा अन्य किसाँ उद्योगों का विकास असम्भव है। आर्थिक प्रगति एवं विकास तथा राजनैतिक सुरक्षा के लिये भी इसका बहुत अधिक महत्त्व है। इसलिए यदि वर्तमान युग को लोह पत्र इस्पात युग कहा जाये तो अनुचित न होगा।

हमारा देश लोहे और इस्पात के उद्योग के लिये बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। दिल्ली का लौह स्तम्भ सप्ताह के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिये सर्वदा आश्चर्य की वस्तु रही है। मध्य युग में भी हमारा देश इस उद्योग में पूर्ण निपुण था। अंग्रेजों के भारत आने से इस उद्योग को बहुत धक्का लगा। इस उद्योग की प्रचीनता पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर विल्सन ने लिखा है कि— 'लोहे की ढलाई तो इंग्लैंड में थोड़े ही वर्षों से आरम्भ की गई है परन्तु हिन्दू लोग लोहा गलाने, ढालने और इस्पात बनाने की कला का ज्ञान प्राचीन काल से रखते हैं।'

उद्योग का आरम्भ और विकास

भारत में योरोपवासियों का ध्यान इस उद्योग की ओर १६ वीं शताब्दी तक नहीं गया। सन् १८७७ में भरिया की कोयले की खान के पास यह कारखाना खोला गया परन्तु प्रगति के पथ पर अग्रसर न होकर २ वर्ष ही बाद बन्द हो गया। १८०८ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने श्री डकन की अध्यक्षता में मद्रास राज्य में एक छोटा सा कारखाना खोला परन्तु यह भी कुछ समय बाद बन्द हो गया। १८२५ में हीथ नामक व्यक्ति को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने आर्थिक सहायता देकर एक कारखाने का निर्माण किया जो १८४७ तक चलाया गया। १८५७ में उत्तर प्रदेश के कुमायूँ जिले में कुछ भट्टियाँ लगाई थीं परन्तु कोयले के अभाव के कारण ८७४ में यह प्रयास असफल रहा। १८५५ में रानी गज और १८७५ में कलकत्ता में इस उद्योग को आरम्भ किया गया। १८७५ में बरानपुर लोहा और इस्पात कम्पनी ने जो बंगाल की कम्पनी द्वारा खरीदी गई थी पत्थर के कोयले का प्रयोग कर इस उद्योग की उन्नति करने का प्रयास किया।

1908

इस उद्योग को सर जे० एन० टाटा ने काफी परिश्रम के बाद 1९०८ में साकची (जमशेद नगर) में अपना कारखाना खोलकर इस उद्योग की विशेष प्रगति की। इस कारखाने पर भारत को गर्व है क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् १९१८ में झीरापुर नामक स्थान पर 'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की, और १९२१ में यूनाइटेड स्टील कार्पोरेशन आफ एशिया' मनीलपुर में तथा मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की स्थापना सन् १९२२ में की गई। यह सभी प्रयास टाटा की सफलता के बाद ही किये गये थे।

१९१४ से १९२६ तक—प्रथम महायुद्ध भारतीय लोहे एवं इस्पात के उद्योग के लिये एक स्वर्ण अवसर के रूप में आया। युद्ध काल में भारतीय माग के अतिरिक्त युद्ध क्षेत्रों से लोह पदार्थों की माग बढ़ गई। इस मांग के बढन से उद्योग का काफी विकास हुआ और इसने बहुत लाभ कमाया। टैरिफ बोर्ड के अनुसार १९१६—१७ में कम्पनी का उत्पादन क्रमशः १४७४७ टन कच्चा लोहा, १३६४३३ टन इस्पात और २८०२६ टन पक्का इस्पात हुआ था।

परन्तु इसके उपरान्त देश में आर्थिक मंदी के कारण इन उद्योगों को काफी हानि उठानी पड़ी। माग और भूलों के गिर जाने से और मजदूरी ऊँची होने से

एव कोयले की महंगाई के कारण उत्पादन व्यय ऊँचा हो गया। इस कारण युद्ध के बाद भारत के लिये दूसरे देशों में स्पर्द्धा लेना एक दुष्कर कार्य हो गया। परन्तु टाटा के प्रयत्नों से कई भट्टियों का निर्माण तुरन्त ही किया गया और आयात कर में वृद्धि कर देने से इस उद्योग को एक प्रकार का संरक्षण मिल गया परन्तु १९२१/में विदेशी इस्पात अधिक सस्ता हो जाने से भारत को उसका सामना करना कठिन हो गया।

१९२२ में प्रशुल्क सभा ने अपने वृत्त लेख में लिखा "संरक्षण के अभाव में यह उद्योग भविष्य के अनेक वर्षों में भी विकास नहीं कर सकता है और सम्भव है कि फौजी एव सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस उद्योग का कहीं अंत न हो जाये। इसलिए इस उद्योग का संरक्षण लेने का पहिला अधिकार है" इसके फलस्वरूप १९२४ में इस उद्योग के लिए ३ वर्ष का संरक्षण प्राप्त हुआ। आयात मूल्य पर ४० प्रतिशत कर लगाकर इस उद्योग की आर्थिक सहायता की गई। इस सहायता से उद्योग द्रुतगति से विकास करने लगा।

टाटा की कम्पनियों में १९२४ और १९२७ के बीच सन्ते कोयले का प्रयोग करके उत्पादन व्यय में काफी कमी की गई और १९१६-१७ के उत्पादन में बढ़ाकर १९२७-२८ में ५६६५३५ टन हो गया। इस प्रकार १० वर्षों से ही इस्पात का उत्पादन ४ गुने से भी अधिक हो गया था। परन्तु १९२६ के बाद विश्व व्यापारिक मंदी का बुरा प्रभाव इस उद्योग पर पड़ा। इधर भारतीय रेलों के विकास न होने से इस उद्योग को बहुत धक्का लगा और इस उद्योग की वटा १९३६ तक बहुत खराब रही।

१९२९-२७ में प्रशुल्क सभा ने उद्योग की जांचकर स बात की सिफारिश की कि इसका संरक्षण काल ७ वर्षों और बढ़ा दिया जाय। अंत संरक्षण कानून में संशोधन करके ७ वर्ष का संरक्षण इस उद्योग को फिर प्राप्त हुआ। इसके बाद १९३३ में इस में संशोधन करके संरक्षण अवधि और बढ़ाई गई। परन्तु इन सब प्रयत्नों से ही इस उद्योग को बनाये रखने का प्रयत्न किया गया था।

१९३६ से १९५० तक—दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने से उद्योग का समृद्धि में एक नये युग का आरम्भ हुआ। विदेशी यातायात के बंद हो जाने से, फौजी आवश्यकताओं के बढ़ने से इस उद्योग को फिर से पनपने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस्पात का उत्पादन २ वर्षों में ही ५ प्रतिशत बढ़ गया।। मांग के अधिक बढ़ जाने से सरकार को विवश होकर नागरिक उपभोग पर कंट्रोल भी करना पड़ा। १९४३ में रेल के पहिए बनाने के लिए जमशेदपुर में एक कारखाना (Engineering of Machine Manufacturing Co) की स्थापना की गई। १ जून १९४५ को सिद्दार्थ रेलवे बंकेशाप टाटा के आवान हो गया। १९४६ में उद्योग और पूर्ण मंत्रालय ने एक पैनल नियुक्त किया जिसने सिफारिश की थी कि इस्पात का प्रतिवर्ष उत्पादन २५ लाख टन होना चाहिये मूल्य पर नियंत्रण रखा जाये और सरकार इसको आर्थिक सहायता प्रदान करे। सरकार ने उत्पादन के बढ़ाने के लिए इस उद्योग

को आर्थिक सहायता प्रदान की। इन सब प्रयत्नों के बाद भी १९४८ में आकर इस उद्योग की स्थिति बदलन लगी। दूसरी ओर सरकार ने आर्थिक सहायता भी दी जो इस प्रकार थी। टाटा को १० करोड़, बगाल स्टील कार्पोरेशन को ३ करोड़ और इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को १ करोड़ रुपए का ऋण दिया। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक से भी इसके उत्पादन के बढ़ाने के लिये सहायता प्राप्त हुई। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की स्थिति सन् १९४८ के बाद इस प्रकार हो गई।

वर्ष	कच्चा लोहा (विक्री के लिए)	पक्का इस्पात
१९४८	३५६,३६८	८५३,७१५
१९४९	४२७,५७५	९२६,८९१
१९५०	२६०,४५७	९७६,१००

उपरोक्त आकड़ों के अनुसार उत्पादन क्षमता काफी बढ़ गई थी परन्तु कच्चा लोहा विक्री के लिए कम उपलब्ध हुआ। इसका प्रमुख कारण था कि उसकी खपत इस्पात बनाने के लिए होती रही जिसके परिणामस्वरूप इस्पात के उत्पादन में हम क्रमशः प्रतिवर्ष वृद्धि पाते हैं।

लोहा तथा इस्पात उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत—हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस उद्योग की उन्नति का भार अपने ऊपर ले लिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने उद्योगों के लिए विशेष सहायता देने का प्रयत्न किया जिसके अन्तर्गत लोहा एवं इस्पात उद्योग की उत्पत्ति निम्नलिखित ढंग से बढ़ने की आशा की जाती थी :→

	१९५०-५१ में उत्पत्ति	१९५१-५६ में उत्पत्ति
गला तथा लोहा	१७०८ लाख टन	१९५ लाख टन
तैयार फौलाद	१०७५ लाख टन	१२८ लाख टन

समस्त बड़े उद्योगों के सामने वित्त की समस्या एक गम्भीर समस्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने बगाल स्टील कार्पोरेशन तथा इंडियन स्टील कम्पनी को काफी अधिक धन देकर उनकी उन्नति के लिये प्रयास किया था। १९५३ में भारत सरकार ने जर्मनी की क्रुप्स व डेमत्र कम्प्राइज (कम्पनी) के साथ करार करके एक नवीन कारखाने का श्रृंगार किया था जिसका नाम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड है जिस पर हमारी सरकार ने १० करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिये ३० करोड़ रुपया व्यय का आयोजन किया गया था जिसमें १५ करोड़ विदेशी सहायता एवं ऋण से प्राप्त किया गया था।

लोहा तथा इस्पात उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत—भारत की विकास योजनाओं के साथ ही साथ लोहे और स्पात की मांग भी बढ़ने लगी और भारत

सरकार ने अनुभव किया कि यह उद्योग इतना महत्वपूर्ण है जितनी मनुष्य की-रीठ की इंडी। अतः दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग को विशेष महत्व दिया गया और ४३१ करोड़ रुपया इस उद्योग पर व्यय करने का सरकार का अनुमान है। इस योजना के अन्तर्गत उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ने एवं नए कारखानों के खोलने का निश्चय किया है। सरकार ने निश्चय किया है कि १९६०-६१ तक रूस की उत्पादन क्षमता ३० लाख टन से जानी चाहिये। इस लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु सरकार ने स्वयं तीन नए कारखाने खोले हैं। प्रथम रुड़केला (उड़ीसा) दूसरा दुर्गापुर (५० बंगल) और तीसरा भिलाई (मध्य प्रदेश) में। अन्तिम कारखाना रूस सरकार की सहायता से लग रहा है जो १९६०-१९६६ तक बन जायेगा। इन तीनों कारखानों पर ३५० करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा। इसके प्रतिरिक्त ७५ करोड़ रुपया विदेशी सहायता पूंजी मशीनरी आदि के रूप में योजना के अन्त तक मिलने की आशा है।

वर्तमान स्थिति—१९५३ की औद्योगिक गणना के अनुसार इस वर्ष भारत में इस्पात के छोटे बड़े १२२ कारखाने थे जों मुख्यतः बम्बई, पश्चिम बंगाल, उत्तर-प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब दिल्ली, राजस्थान, मद्रास तथा आसाम राज्यों में स्थित हैं। इन कारखानों में लगभग ६० हजार श्रमिक कार्य करते हैं। निम्नलिखित तालिका से भारत में लोह तथा इस्पात के उत्पादन की प्रगति का पता चलता है -

लोहे की किस्म	१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५	१९५६
कच्चा लोहा	—	१८३५	२३२०	३०८८	७५६८	१८०७२	१७८६२
सीधी इलाई	—	—	—	२२४	१२६०	१२२४	११२८
लोह मिश्रित धातु	—	—	—	२४०	१२०	२८८	६६
इस्पात के पिंड व इलाई	—	—	—	१२०००	१७०४०	१७३७६	१७२४८
अधूरा तैयार इस्पात	—	—	—	१२४६२	१४५६८	१४८४४	१४४००
तैयार पान	६६०	८०२६	८६३३	१०७६४	१२६००	१३१६०	१०४६४

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत में लोह तथा इस्पात के उत्पादन में जो वृद्धि होती रही है वह देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की देखते हुये पर्याप्त नहीं है। इसीलिए सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात के उत्पादन का बढ़ाने के लिए द्वि-रुरी नीति अपनाई। प्रथम तो वर्तमान कारखानों का उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और दूसरे नये सरकारी कारखानों की स्थापना। योजना के अन्त तक टाटा इस्पात के कारखाने का उत्पादन ८ लाख टन प्रति वर्ष से बढ़कर १५ लाख टन प्रति वर्ष हो जायगा और इस पर ८४६ करोड़ रुपया व्यय होगा। इसी प्रकार भारतीय लोहा तथा इस्पात कंपनी (Indian Iron and Steel Company) की उत्पादन क्षमता तीन लाख टन से बढ़कर ८ लाख टन हो जायगी और इस पर ४२२ करोड़ रुपया व्यय होगा। रुड़केला भिलाई तथा दुर्गापुर के नये इस्पात कारखानों में १९६०-६१ तक २० लाख टन तैयार इस्पात तथा ४५ लाख टन कच्चा लोहा उत्पन्न होने लगेगा।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण में भारतीय लोहा व इस्पात उद्योग का भविष्य बहुत प्रकाशमय है और सरकार व निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों की सहायता से यह उद्योग निरन्तर उन्नति करता जायेगा।

प्रश्न ५७—भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, विकास तथा वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिये ?

(आगरा ५६, ५५, ५३ लखनऊ ४८, ४५, बिहार ५३ रजपूताना ५२)

Trace the growth, development and present position of the Cotton Textile Industry in India ?

(Agra 56, 55, 53, Lucknow 48, 45 Bihar 53, Rajputana 52)

उत्तर—सूती वस्त्र उद्योग भारत में प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता रहा है। यह उद्योग भारत का सबसे बड़ा एवं प्रथम उद्योग है। भारत भी वस्त्र के निर्यात में उन देशों के स्तर तक पहुँच चुका है जैसे अमेरिका आदि। भारत में पहला कारखाना १८१८ में कलकत्ता में स्थापित हुआ। इसके पश्चात् बम्बई में कोवसजी नाना भाई दावर ने एक मिल की स्थापना की। इस मिल में १८५४ में उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया गया। इसके पश्चात् एक अंग्रेजी उद्योगपति ने बडौच में दूसरा मिल स्थापित किया। इन दोनों कारखानों ने विशेष सफलता प्राप्त की जिसके परिणाम स्वरूप १८७५ तक समस्त भारत में ४८ कारखानों की स्थापना हो गई। इस सफलता को देखते हुए महमदाबाद, गोलपुर मद्रास तथा कानपुर आदि शहरों में सूता कपड़े के कारखाने खोले गये। १९१४ में इन मिलों की संख्या २६४ हो गई थी और इनमें ५६०८५७ मिक क म करते थे।

प्रथम महायुद्ध और उसके बाद उद्योग की स्थिति—प्रथम महायुद्ध के आरम्भ होने से पूर्व इस सूती वस्त्र उद्योग को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जिससे इस उद्योग की प्रगति में काफी बाधा पड़ी थी। परन्तु १९१७-१८ में जब महायुद्ध प्रारम्भ हुआ इस उद्योग को अपनी उन्नति करने का सुयंत्रण प्राप्त हुआ। सैनिक आवश्यकताओं, आयात की वस्तु की कीमत में वृद्धि, अज्ञानों की कमी के कारण आयात में बाधाएँ आदि कारणों से इस उद्योग को सरकार ने काफी सहायता पहुँचाई जिसके फलस्वरूप इस उद्योग का उत्पादन बढ़ गया। परन्तु युद्ध के पश्चात् भाग का कम होना, मजदूरी की व्यापक हड़ताले, जापान की प्रतिस्पर्धा, विद्युत-शक्ति और कोयले की महंगाई, भारतीय मिलों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढी हुई मजदूरी, ऊँचे कर, दोषपूर्ण सगठन आदि कारणों से इसकी प्रगति अकस्मात् समाप्त होती गई। इस उद्योग की स्थिति अत्यन्त ही खराब हो गई थी। सरकार ने १९२७ में नैतिक बोर्ड की सिफारिश पर सरकार ने भारत में आने वाली मशीनों के आयात कर को घटाने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया। परन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ और श्री जी० एस० हार्डी को नियुक्त किया गया जिन्होंने जापानी प्रति-योगिता से वस्त्र उद्योग की सुरक्षा के लिये सिफारिश की। दूसरी ओर १९३० में स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पकड़ा। इसके बाद ही १९३० में वस्त्र उद्योग संरक्षण

एक बना जिसके अनुसार ब्रिटिश आधत पर १५% व अन्य देशों के आयातों पर २० प्रतिशत कर लगाया गया। १९३१ में इस कर में ५ प्रतिशत की और वृद्धि की गई। १९२४ में एक एकट और पास हुआ जिसमें सरक्षण के काल की अवधि १९४७ तक बढ़ा दी गई थी।

इस उद्योग के संगठन में अनेक कठिनाईयों होने के कारण १९३४ तक की मन्दी में इसकी स्थिति चिन्ताजनक रही थी। यदि इस उद्योग को सरकारी सरक्षण प्राप्त न हुआ होता तो भारत में यह उद्योग इस अवस्था में न होता।

द्वितीय महायुद्ध काल में उद्योग की स्थिति—द्वितीय महासमर की शुरुआत होने से इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला। विदेशी माँग बढ़ गई और जापान से आयात के बन्द हो जाने से तथा मूल्य में वृद्धि के कारण इस उद्योग को अपनी उन्नति करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। अन्त में सरकार को विवश होकर कपड़े पर कन्ट्रोल लगाना पड़ा और साथ ही साथ उत्पन्न एवं विक्री पर भी सरकार को अपना नियन्त्रण रखना पड़ा। सरकार ने इस नियन्त्रण के लिये समय-समय पर आदेश जारी किए जो निम्नलिखित थे—

(अ) काटन क्लाइ एण्ड यार्न कन्ट्रोल आर्डर नून १९४३ में, इस आदेश में १९४५ में सशोधन भी किया गया।

(ब) काटन टैक्सटाइल इंडस्ट्री (कन्ट्रोल आफ प्रोडक्शन) आर्डर १९४५।

(स) काटन टैक्सटाइल (कन्ट्रोल मूवमेंट) आर्डर १९४६।

(द) काटन टैक्सटाइल (रॉ मैटेरियल एण्ड स्टोर्स) आर्डर १९४६।

प्रथम आदेश के अनुसार कपड़े के उत्पन्न विवरण एवं कीमत पर सरकार ने नियन्त्रण रखने का प्रयत्न किया। दूसरे आदेश के अनुसार कपड़े का स्थानीय उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न तथा तीसरे आदेश से कपड़े के आयात पर नियन्त्रण और चौथे से कपड़े के उत्पादन के लिये आवश्यक कच्चे माल एवं अन्य साधनों की कीमतों पर नियन्त्रण रखना या उपरोक्त आदेशों द्वारा १९४६ में इस उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ और १९४७ में वस्त्र उद्योग पर से मूल्य नियन्त्रण हटा लिया गया।

विभाजन का वस्त्र उद्योग पर परिणाम—भारत के विभाजन से इस उद्योग की स्थिति पर धक्का आया। पाकिस्तान को ७३% अच्छी रुई पैदा करने वाली भूमि और १४ वस्त्र निर्मात्रिया प्राप्त हुई जिससे पाकिस्तान से रुई का आयात दुबल हो गया और जिसका परिणाम भारतीय मिल्स के उत्पादन पर पड़ा। भारत को अच्छी रुई नहीं मिल सकी वरन् भारत ने पाकिस्तान के साथ कई समझौते भी किए परन्तु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ अतः भारत में कपास की खेती के बढ़ाने के लिये प्रयत्न किए गए। विवश होकर सरकार ने इजिप्ट, अफ्रीका से समझौता करके यहाँ और रुई का आयात किया इससे वस्त्र उद्योग का उत्पादन फिर से बढ़ने लगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सूती उद्योग—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सूती मिल्स उद्योग के विकास के लिये एक निश्चिन्त कार्यक्रम रखा गया था। यह कार्यक्रम दो आधारों पर निर्धारित था। (१) भारत पर्याप्त मात्रा में वस्त्र का निर्यात

करता रहे और (२) देश के आंतरिक उपभोग के लिए पर्याप्त माना में कपड़ा मिलता रहे। प्रथम योजना के अनुसार १९५२-५३ तक ४६०० मिलि० गज वस्त्र तथा १९५५-५६ तक ४७०० मिलि० गज वस्त्र प्रतिवर्ष (होन) अवश्य चाहिये और हर्ष का विषय है कि भारत अपने इस लक्ष्य पर पहुँचने में सफल हुआ है।

योजना में नये कारखानों की स्थापना के स्थान पर करवा उद्योग को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई थी। इसके प्रतिरिक्त प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए कपड़े की उत्तमता में सुधार के लिये भी सिफारिश की थी। उपरोक्त सभी सिफारिशों कर्षे कानूनगो समिति ने की थी। समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि हस्त-चलित और शक्ति चालित कर्षा द्वारा अधिक कपड़ा तैयार किया जाना चाहिये ताकि बेकार बैठे हुए लोगों को काम मिल जाये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए एक सूती वस्त्र निर्यात प्रवर्तक परिषद (Cotton Textile Export Promotion Council) नियुक्त की जो कि वस्त्र निर्यात को हर प्रकार से प्रोत्साहित करती है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वस्त्र उद्योग-दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वस्त्र उत्पादन में १९६०-६१ तक २४% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ३५०० मिलि० गज कपड़े का उत्पादन हस्त कर्षा उद्योग के लक्ष्य की सीमा है। इसके अलावा उद्योग को अपने वर्तमान निर्यात को कायम रखते हुये ३५० मि० गज प्रतिरिक्त कपड़े का उत्पादन केवल निर्यात के लिये करना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु १४६०० चालित कर्षे नए लगाने की व्यवस्था है। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नवीन कपड़ा नीति का स्वागत उद्योगपतियों ने किया है। आवश्यकता इस बात की है कि मिल उद्योग और कर्षा उद्योग में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये जिससे विशाल उद्योगों के साथ २ छोटे पैमाने के कर्षा उद्योग भी उन्नति कर सकें और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है।

निम्नलिखित तालिका से पिछले कुछ वर्षों में होने वाले सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन का पता चलाता है —

वर्ष	सूत (लाख पौंड)	सूती कपड़ा (लाख गज)
१९५०	११७४८	३६६४८
१९५१	१३०४४	४०७६४
१९५२	१४४६६	४५६८५
१९५३	१५०६०	४८७५०
१९५४	१५६१०	४९६८०
१९५५	१६३०८	५०६४०
१९५६	१६७१६	५३०७६
१९५७	१७८०१	५३१७४

भारत की नई सूती वस्त्र नीति—हाल ही में भारतीय सूती वस्त्र सम्बन्धी नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। नीति के अन्तर्गत इस बात का प्रयत्न किया गया है कि मिलों द्वारा ३५३ करोड़ गज, विद्युत द्वारा चलने वाले कर्षों द्वारा २०० करोड़ गज तथा हाथ कर्षों द्वारा १०० करोड़ गज अतिरिक्त कपड़ा बुना जाना चाहिये इस नीति की प्रमुख बातें यह हैं (अ) नवीन तकलिमों के चलाने के लाइसेन्स केवल उन्हें ही दिये जायें जो उन्हें शीघ्र ही चालू कर सकें जिसमें बढ़ती हुई माग की पूर्ति आसानी से हो जाये। (ब) सूती वस्त्र मिलों को ४६०० कर्षों के लगाने की अनुमति केवल इसलिए दी गई है कि उसका समस्त उत्पादन जो ३५ करोड़ गज के लगभग होगा प्रतिवर्ष निर्यात कर दिया जायेगा। (ग) ३,००० विद्युत कर्षे सहकारी समितियों द्वारा लगाये जायेंगे। (द) नीति में अम्बर चर्खों को विशेष महत्व दिया गया है।

आलोचकों का कथन है कि यह नीति वर्तमान स्थिति में अनुपयुक्त होने के अतिरिक्त वस्त्र के वितरण से भी गलत नालूम होती है। दूसरे राष्ट्रीयता का विकास और प्रतियोगिता की तीव्रता से यह मान लेना कि २ वर्ष में भारतीय निर्यात ३५ करोड़ गज बढ़ जाएगा इसमें बड़ा सन्देह है। इस नीति का हाथ-कर्षे उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सरकार ३५ हजार विद्युत कर्षों की स्थापना का विचार रखती है। इससे हाथ-कर्षे के नष्ट होने की पूरी सम्भावना है।

परन्तु आलोचना के अतिरिक्त इस नीति में कुछ लाभ भी दृष्टिगोचर होते हैं जैसे ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में प्रबन्ध तथा मजदूरी के सम्बन्ध में पर्याप्त सुधार होने की सम्भावना है। अम्बर चर्खों व नई सूती मिलों के बीच के राजनैतिक मतभेद समाप्त हो जाने की आशा है। इस नीति के अपनाए जाने से भारतीय सूती वस्त्र के निर्यात व्यापार पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस नीति से इस उद्योग की उन्नति ही होगी इसमें कोई सन्देह नहीं परन्तु वर्तमान समय में इस उद्योग के सामने कुछ महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ हैं जिनके दूर किये बिना यह उद्योग भली प्रकार चल नहीं सकता। यह समस्याएँ निम्नलिखित हैं।

(१) अन्न सामग्री का आधुनिकीकरण—दुर्लभ समय इस उद्योग की विशेष उन्नति हुई थी। अधिक उत्पादन के कारण इसकी मशीनें घिस गईं जिसके कारण उत्पादन की कीमत अधिक रहती है और भारतीय वस्त्र विदेशी प्रतियोगिता भी नहीं कर पाता। अतः सरकार को नई मशीनों के लगाने के लिए आर्थिक सहायता देकर सस्ता एवं उत्तम कपड़ा उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिये।

(२) वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक यन्त्रों का निर्माण—इस उद्योग के यन्त्रों के लिए हमको विदेशों पर आश्रित होना पड़ता है क्योंकि हम अभी साइन्स के क्षेत्र में आगे नहीं हैं अतः हमको इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हम दूसरे देशों पर आश्रित न रह सकें। इसी योजना में सरकार ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है और इस समस्या को मुलभाने का पूर्ण प्रयत्न किया है।

(३) हाथ कर्षा एवं मिलों से सामञ्जस्य—यह सामञ्जस्य भी एक समस्या बन

गई है। हाथ कर्चों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने अपनी नीति में इसको विशेष स्थान दिया है और आगे हाथ कर्चा उद्योग इतना शक्तिशाली हो जायेगा कि वह मिल उद्योग से प्रतिस्पर्द्धा कर सके। इस सामजस्य को दूर करने के लिए सरकार की नीति का स्वागत सभी क्षेत्रों ने किया है।

(४) पर्याप्त कच्चे माल का अभाव—विभाजन से भारत की कच्चे माल की समस्या एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर रही है। हमारे देश को बाहर से काफी कामत पर रुई का आयात करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान इस प्रकार हो सकता है कि अच्छे किस्म एव लम्बे रेशे वाली रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान होना चाहिये जिसमें हम स्वयं निर्भर हो सके।

(५) विदेशी प्रतियोगिता—सभी देशों ने अपना औद्योगिक पुनर्गठन एव पुनर्निर्माण कर लिया है। विदेशी प्रतियोगिता से हमारे हाथ से निर्यात बाजार निकलते जा रहे हैं। इन बाजारों को प्राप्त करने के लिए हमको उत्पादन बढ़ाना चाहिये, अच्छा सामान बनाना चाहिए, उत्पादन यंत्र में सुधार श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये हमको करो में भी कमी करनी पड़ेगी।

इन समस्याओं के हल हो जाने से उद्योग का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल हो जाएगा। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि सूती उद्योग भारत में प्राचीन काल से विख्यात रहा है। समय ने पलटा छाया और इसका गौरव घुंघला सा पड़ गया किन्तु समस्याओं के समाधान से यह उद्योग पुनः अपने खोए हुए अतीत के गौरव को प्राप्त करेगा

प्रश्न ५८—भारतीय जूट उद्योग की स्थापना, विकास तथा वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए ?
(आगरा ५३, ५०, बिहार ५३)

Trace the growth, development and present position of Jute Industry in India
(Agr 53, 59, Bihar 53)

उत्तर—विश्व के प्राथिक इतिहास में भारतीय जूट उद्योग को बहुत महत्वपूर्ण और प्रथम स्थान प्राप्त है। भारत में समस्त ११३ जूट मिलें हैं जो केवल भारतीय जूट को ही पक्के जूट में परिणित नहीं करते बल्कि पाकिस्तान से पटसन आयात करके उसे भी उपयोगी बनाते हैं। भारत में बुनाई उद्योगों में जूट उद्योग का सूती उद्योग के बाद द्वितीय स्थान है। यह एक सुसंगठित व केन्द्रित उद्योग है जिससे ३५० करोड़ रुपए की पूंजी लगती हुई है और २७२,२४२ श्रमिक कार्य करते हैं। वर्तमान उद्योग एव प्राचीन कुटीर उद्योगों में केवल एक विशेषता यह है कि प्राचीन उद्योग जहाँ देश की आन्तरिक माँग पर ही निर्भर था वहाँ वर्तमान उद्योग विदेशी माँग पर ही अधिक निर्भर है। यह इस ओर संकेत है कि यदि उद्योग की वर्तमान समस्याएँ समुचित रीति में हल नहीं हुईं तो उद्योग का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

प्रारम्भिक प्रगति— प्राचीन काल में भारत में जूट का उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में प्रचलित था। १७६५ से १८३० तक टाट के टुकटों का भारी मात्रा में विदेशों को निर्यात होता था किन्तु १८३५ में डण्डी में शक्ति संचालित कर्षों का अविष्कार हो जाने से भारत में कुटीर उद्योग नष्ट होने लगा और यहाँ के कच्चे जूट की माग बढ़ने लगी जिससे जूट उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहन मिला। यातायात के माधनों के विकास होने से तथा मशीनों और सगठन में सुधार होने से जूट उद्योग स्काटलैंड से १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में आ गया। प्रारम्भ में इसकी प्रगति इतनी धीमी रही कि लोगों को यह भय था कि भारत में जूट उद्योग असफल रहेगा किन्तु इसके प्रतिफल इस उद्योग ने उत्तरोत्तर वृद्धि प्रारम्भ करदी और शताब्दी के अन्त तक यह भारत का एक प्रमुख उद्योग हो गया।

भारत में सबसे पहला जूट मिल मर जाज अॉकलैंड ने ग्वाारा (धोरामपुर) में १८५४ में स्थापित किया। दो वर्ष तक इस मिल में ८ टन प्रतिदिन के हिसाब से मुतली तैयार की जाती थी। लोगों को आश्चर्य होता था कि क्या यह मिल कभी उन्नति कर सकेगी। १८५७ में हाथ के कर्षों द्वारा बोरे की बुनाई आरम्भ हुई। १८५६ में शक्ति चलित कर्षे बनाए गये परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद अधिक कठिनाइयों के कारण यह मिल बन्द हो गई। सन् १८५६ में वोनियो कम्पनी ने भारत में दूसरे मिल की स्थापना की। इस मिल ने कताई बुनाई दोनों कार्यों को आरम्भ में ही अपनाया। इस मिल की प्रगति इतनी शीघ्रता से हुई कि ५ साल के अन्दर मशीनों की संख्या और १३ साल के अन्दर पूँजी दोगुनी हो गई। १८६० में २, १८६६ में १, १८७० में ५ और १८७५ में ८ नये जूट मिलें स्थापित किये गये। उस समय कर्षों की कुल संख्या ३५०० थी। पहिले डण्डी में ही जूट और निमित्त माल अन्य देशों को जाया करता था परन्तु भारतीय उद्योग की प्रगति से डण्डी के जूट मिलों को काफी हानि हुई है। भारत में अमेरिका और आस्ट्रेलिया को बड़ी मात्रा में जूट और निमित्त माल भेजना आरम्भ किया।

१८७५ तक भारतीय मिल अधिकांश में बोरे बनाते थे जो भारत और अरुमा में ही खप जाते थे किन्तु उत्पादन में वृद्धि होने लगी। १८७५ और १८८२ के बीच मन्दी के कारण केवल एक जूट मिल स्थापित की जा सकी। इसके बाद विदेशी माग के बढ़ने से १८८२—८५ में ५ नये मिलों का निर्माण हुआ। १८८२ में जूट मिलों की संख्या २२ थी, अमेरिका की संख्या २७४६४, कर्षों की संख्या ५४६ और तकुओं की संख्या ७७८०० थी। इन २२ में से १७ मिलें कलकत्ता के पास ही थे क्योंकि यहाँ कच्चे माल, श्रम और यातायात की सुविधाएँ सब उपलब्ध थी। इस उद्योग को अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अरुमा न्यूजीलैंड आदि देशों की माग के बढ़ने से बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। उत्पादन में आशतोत वृद्धि के कारण यह आवश्यक था कि सभी समस्याओं का समन्वय किया जाये जिसके लिए एक संस्था की आवश्यकता थी। फलतः १८८४ में जूट निर्माण सघ (Indian Jute Manufacturers Association) की स्थापना की गई। इसका मुख्य ध्येय था

उद्योगों का समुचित विकास करना प्रतिस्पर्धा समाप्त करना, माल की खपत के लिये नये बाजारों की खोज करना, श्रमिकों की रक्षा एवं देखभाल करना, उद्योग-प्रतियोग सहयोग बढ़ाना। १९०२ में इस का नाम बदल कर भारतीय जूट मिल संघ (Indian Jute Mills Association) रख दिया गया।

१८९५ में जूट मिलों की संख्या २६ हो गई थी जिनमें २६ कलकत्ते में थी कर्षों की संख्या १०००० थी। १८९६-१९०० में १० नई मिलों का घोर निर्माण किया गया जिनमें ५००० कर्षों थे। इस प्रकार जूट उद्योग निरन्तर विकास करता रहा और १८९३-१४ तक भारत में ६४ मिलें स्थापित हो चुकी थीं। इस समय तक भारतीय जूट मिलों के प्रबंध में भी बहुत कुछ सुधार हो चुका था। इसके प्रतिरूप मशीनों में सुधार निर्यात में वृद्धि, मिलों के आकार का विस्तार तथा कच्चे पाट की पूर्ति में अल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई थी।

प्रथम महायुद्ध तथा उसके उपरांत—प्रथम विश्व युद्ध भारत के जूट उद्योग के लिये एक वरदान सिद्ध हुआ। इस काल में उद्योगों का अभूतपूर्व विकास हुआ। युद्ध के कारण यन्त्र सामग्री का आयात बंद हो जाने में नई मिलों की स्थापना नहीं हो सकी और दूसरी ओर युद्ध की अन्य बढ़ती हुई माँग की पूर्ति की जिम्मेवारी उद्योग पर ही थी, इसलिए सरकार ने फैक्ट्री एक्ट की कुछ धाराओं में उद्योगों को जूट की जिससे वर्तमान मिलों की उत्पादनशीलता बहुत अधिक बढ़ गई। इस अवधि में उद्योग ने अधिकतर सरकारी प्रादेशों के अनुसार माल की पूर्ति की। युद्ध के अन्तिम वर्षों में सरकार द्वारा कच्चे जूट का निर्यात बन्द कर दिया गया। युद्ध के पूर्व ४४ लाख गांठ की माल ना खपत होती थी। युद्ध के अन्तिम ४ वर्षों में ५५ लाख गांठ सालाना की खपत हो गई थी किन्तु युद्ध समाप्त होने ही जूट के मामलों की माँग बहुत कम हो गई। आर्थिक मन्दी के कारण उद्योगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उद्योगों की आर्थिक दशा खराब होने लगी। उत्पादन कम करना पड़ा जिसके कारण कार्यालयी घंटों में सप्ताह के केवल ४ दिन ही काम होने लगा। इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुये जूट उद्योग उन्नति की ओर अग्रसर रहा और १९२२-३० में इन मिलों की संख्या २८ हो गई थी जिनमें कर्षों की संख्या ५३६०० और तकुओं की संख्या ११४०४३५ थी।

१९१३ की विश्व मन्दी के कारण जूट उद्योग में भी भीषण सङ्कट उत्पन्न हो गया। फसल अच्छी होने से कच्चे जूट की पूर्ति बढ़ गई, जिससे मूल्य में कमी हो गई। मिलों के पास जूट का स्टॉक बहुत था उसको समाप्त करने के लिये कार्य अधिक २६ घण्टे से ६० घण्टे प्रति सप्ताह कर दी गई, निर्मित माल अधिक हो जाने से मूल्य और भी अधिक गिर गये। अतः जूट मिल संघ को निर्णय करना पड़ा कि काम करने के घण्टे घटा दिये जाएं। इस निर्णय के फलस्वरूप सन् १९२१ में घण्टों की संख्या ४० कर दी गई और १५ प्रतिशत कर्ष बन्द कर दिये गये। यह निर्णय अधिकांश में १९३८ तक चलता रहा यद्यपि जूट मिल उद्योग में सुप्रबन्ध तथा उद्योग-प्रतियोगों की दूरदर्शिता के कारण इस उद्योग को कम हानि उठानी पड़ी तथापि द्वितीय महायुद्ध

के छिड़ने तक इन उद्योग की स्थिति खराब रही। धूम्रको की हालत खराब थी मूल्यों में आवश्यकता में अधिक गिरावट और गिरती हुई माग के कारण उद्योग की दशा असन्तोषजनक रही।

द्वितीय विश्व युद्ध तथा उसके उपरान्त—द्वितीय युद्ध छिड़ने से एव विदेशी माग के बढ़ने में, बोरे तथा अन्य जूट के सामानों के लिये सरकार की भारी माग तथा मूल्यों में वृद्धि के कारण, मूल्यों और उत्पादन में भारी महँगे-बाजी से तन्नी हुई जिसके परिणामस्वरूप कार्य अवधि पर से रोक घाम इटाकर सब मिले पूरी तरह से ६० घण्टे प्रति सप्ताह कार्य करने लगी। किन्तु युद्ध की अवस्थाएँ बदलते रहने से कमी विदेशों से अधिक माग और कमी कम माग होती थी। १९४० तक माग अच्छी रही। इस काल के बाद माग कम होनी गई और उद्योग पर सक्क के बादल मड़राने लगे। जिसके परिणामस्वरूप काम करने के घण्टों में कमी करके सप्ताह में ४४ घण्टे की कार्य अवधि कर दी गई। बाद में १९४२ में इस अवधि को बढ़ाकर ५४ घण्टे कर दिया गया परन्तु १७७ कर्षों को बन्द कर दिया। इस प्रकार समय समय पर युद्ध जनिन भागों में उतार चढ़ाव के साथ ही साथ भारतीय जूट उद्योग में भी उन्नति और अवनति के गीने लगने लगे। १९४२ में भारत सरकार ने कोयले की कमी, यातायात की कमी, शक्ति की कमी और विदेशी माग में कमी के कारण कोयले और यातायात के सरपण क लिये जूट मिल सघ का उद्योग के अभिनवीकरण (Rationalisation) का सुझाव दिया किन्तु ऐसा सम्भव नहीं हो सका। १९४३ में कोयले की भारी कमी के कारण कुट्ट मिनो ने स्वतः कार्य बन्द कर दिया और जुलाई के अन्तिम सप्ताह में सभी मिल बन्द रही। इस अवधि में इस उद्योग की उत्पादनशीलता को प्रभावित करने वाली दो घटनाएँ हुई। (१) कोयले एव विद्युत् शक्ति की कमी, यातायात की असुविधाएँ (२) १९४३ का बंगाल अकाल। इन आपत्तियों एव ऊँच नीच से उद्योग केवल प्रान्त मजबूत संगठन के आधार पर ही बच सका, इसलिये भविष्य के लिये जूट उद्योग जाच समितियों ने इस उद्योग के आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिकन की सिफारिश की। जूट मिलों में अभिनवीकरण की एक नई योजना लागू की जिसके अन्तर्गत कोयले के केन्द्रीय भण्डार स्थापित किए गए और कोयले की उपलब्ध मात्रा की पूर्ति को नियन्त्रित किया गया। बाद में एक सघट योजना भी लागू की गई जो जुलाई १९४४ से मार्च १९४६ तक लागू रही। देश के विभाजन से जूट उद्योग पर एक अत्यन्त ही प्रारंभिक आक्रमण हुआ। उसने उद्योग की स्थिति को और भी अधिक असन्तोषजनक बना डाला।

जूट उद्योग विभाजन के बाद—देश के विभाजन का सबसे अधिक कुप्रभाव जूट उद्योग पर पड़ा। इससे पहले भारत समस्त संसार का ९७ प्रतिशत जूट उत्पादन करता था। विभाजन से जूट उत्पादन करने वाली ७२ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान में चली गई। लगभग सभी जूट मिल भारत में स्थित थे परन्तु कच्चे माल की कमी के कारण कई मास तक भारतीय जूट मिल बन्द रही। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने पाकिस्तान से पुनः एक समझौता करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा और

भारत में ही जूट का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये गये। देश के विभाजन के उपरान्त भारत में ११३ जूट मिलें थी जिनमें ६८५४७ कर्चे लगे थे और ३००००० मजदूर काम किया करते थे। भारत पाकिस्तान के बीच १९४८ में एक समझौता हुआ जिनके अन्तर्गत पाकिस्तान ५० लाख गांठ भारत को देता था परन्तु यह समझौता १९६६ में समाप्त हो गया अतः भारत को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ा। सितम्बर १९४६ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो जाने से जूट उद्योग की काफी हानि उठानी पड़ी। अब इस उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त कोशिश हो रही है। भारत जूट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहा है।

वर्तमान अवस्था—भारतीय पटसन उद्योग आज भी अधिकतर योषीय प्रबन्ध में है। आज भारत में जूट के कारखानों की कुल संख्या ११८ है, जिसमें १०६ बंगाल में, ३ उत्तर प्रदेश में, ३ बिहार में तथा एक मध्य प्रदेश में है। इस उद्योग की स्थाई पूंजी २२६४ लाख और कार्यशील पूंजी ४३६ लाख रुपये है जिसमें विदेशी पूंजी १०७ लाख रुपये के लगभग है। पटसन के निर्यात करोड़ों से भारत को मई १९४८-४९ से १५१-५२ तक के चार वर्षों में क्रमशः ६३, ८८, २३६ तथा ५६३ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। भारत के कच्चे माल के सम्बन्ध में पाकिस्तान पर निर्भरता होने के कारण इस उद्योग की प्रगति स्थिर रूप से नहीं हो पाई परन्तु भारत आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न कर रहा है। पटसन के नवीन उपयोगों के सम्बन्ध में १९४८ से जूट टेक्नालोजी आवश्यक अनुसन्धान कर रही है। इसमें उद्योगों का भविष्य उज्वल एवं प्रगतिशील बन सकेगा।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जूट उद्योग—पंचवर्षीय योजनाओं में जूट उद्योग के विकास के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है वरन् मौजूदा मिलों की स्थिति को ठोस और मजबूत बनाने का निश्चय किया गया है। योजना कमिशन ने नवीन मिलों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया। अतः योजना काव्य का उद्देश्य यही रखा गया कि पूर्व स्थित मिलों को इतना कच्चा माल मिलने लगे जिसमें वे पूर्णतः चल सकें। इस उद्योग के विकास के लिए यह प्रति आवश्यक है कि भारत ऐसे क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहे। अतः योजना कमिशन ने जूट की कृषि पर सहायक बल दिया है। साथ ही जूट की किस्म में भी सुधार की व्यवस्था पर बल दिया है। इसके अतिरिक्त मशीनों के पुर्जों के निर्माण को भी देश में ही साहज देना अनिवार्य है। कमिशन के अनुरोध पर १९५२ में निर्यात कर में काफी कमी कर दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योग को अपनी पूरी उत्पन्न क्षमता का उपयोग करना होगा अर्थात् इसका वार्षिक उत्पादन १६५५—५६४ उद्योग की उत्पादन क्षमता के बराबर अर्थात् १२ लाख टन करना होगा। यह लक्ष्य पूरा हो जायेगा क्योंकि सन् १९५५ का उत्पादन ही ११ लाख टन था। द्वितीय योजना में आसाम में एक नई जूट मिल की स्थापना का लक्ष्य है। जूट का उत्पादन २५ प्रतिशत बढ़ाया जायेगा। उत्पादन शक्ति और उत्पादन ११ लाख टन कायम रखने का प्रयत्न किया जायेगा। जूट का उत्पादन लक्ष्य ५० लाख गांठ निर्धारित किया गया है।

इस उद्योग की सफलता की कुंजी इसकी वर्तमान समस्याओं के हल में है। इन समस्याओं का विवेचन श्री के० डी० बालान (ग्रुपक्ष इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन) ने फरवरी सन् १९६१ में किया था जिससे पता चलता है कि इस उद्योग की निम्नलिखित समस्याएँ हैं— (अ) अच्छे किस्म के जूट की कमी (ब) जूट की प्रतिवन्दु (Substitutes) का भय (स) जूट के मूल्यों में कमी (द) पाकिस्तान में प्रतिवोगिता का भय।

प्रथम योजना में इस उद्योग में काफी उन्नति की है आशा है कि सरकारी सहायता के फलस्वरूप द्वितीय योजना में उद्योग का सभी समस्याएँ हल हो जायेंगी अमेरिका और इंग्लैंड में भारतीय जूट मिल संघ स्थापित किये गये हैं। अभिनवीकरण की योजना भी लागू की जा चुकी है।

निम्नलिखित तालिका में पिछले ८ वर्षों के जूट के सामान के उत्पादन का उल्लेख किया गया है जो जूट उद्योग की प्रगति का सूचक है—

वर्ष	जूट का उत्पादन (हजार टन)
१९५०	८३५२
१९५१	८७४८
१९५२	९९१६
१९५३	८६८८
१९५४	९२७६
१९५५	१०२७२
१९५६	१०९३२
१९५७	१०२९६

अभिनवीकरण की योजना १९६० तक समाप्त हो जायगी। इस कार्य के लिये सरकार काफी सहायता दे रही है। इससे उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी और भारत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना गौरव पूर्ण स्थान बनाये रख सकेगा।

प्रश्न ५६—भारतीय चीनी उद्योग की स्थापना, विकास तथा वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिये। (आगरा ५७, लखनऊ ४९, ४५, रजपूताना ५२)

Trace the growth, development and present position of the Sugar Industry in India *Agra 57, Lucknow 49 45, Rajputana 52*

अन्य उद्योगों की भाँति शक्कर उद्योग भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत शक्कर का प्रादि काल कहलाता है। भारतीय शक्कर उद्योग का इतिहास बड़ा रोचक है। ऐसा कथन है कि जब ससार के अन्य देश इस वस्तु के नाम से नभिज्ञ थे उस समय भारत इससे परिचित था और यहाँ काफी शक्कर पैदा कर बाहर के देशों में भेजी जाती थी। परन्तु जावा आदि देशों में इसके उद्योग के स्थापित हो जाने से भारत के शक्कर के उद्योग की काफी धक्का पहुँचा। सरकार ने इन सब उद्योगों

पर सुरक्षण लगकर इसकी दशा सुधारने का प्रयत्न किया सुरक्षण मिलते ही यह उद्योग आत्म निर्भर हो गया ।

उद्योग का विकास—यह उद्योग भारत में बहुत पुराना है । ईसा के चार शताब्दी पूर्व कौटिल्य ने अपनी अमर रचना 'अर्थशास्त्र' में गन्ने के द्वारा चीनी बनाने तथा शीरे से मद्यसार निकालने की विधियों का उल्लेख किया है । इससे हमको इसकी प्राचीनता का पता चलता है । इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि १७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सूरत व कालीकट से भी बहुत सी श्वेत चीनी और खाड का निर्यात किया जाता था । इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि अंग्रेजों के यहां आने के बाद इंग्लैंड अपनी चीनी की आवश्यकताओं के ३/४ की पूर्ति भारत से करता था । बनारस में निर्मित चीनी का भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत महत्त्व था । साथ ही देश की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसमें होती थी । सन् १८२६ में मद्रास तथा बंगाल के काशीपुर में गुड बनाने और साफ करने के लिये एक कारखाना खोला गया । भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की नींव १८६६ में पड़ी जबकि भारत सरकार ने चीनी के आयात पर कर लगा दिया । इस प्रतिबन्ध के कारण सन् १९०३ में चीनी के आधुनिक कारखाने उत्तरी भारत में खोले गये ।

भारत में संगठित रूप से शक्कर का उत्पादन सर्व प्रथम १९०३ में आरम्भ हुआ परन्तु शताब्दी के आरम्भ में प्रायः यह कुटीर उद्योग अवनति की ओर बढ़ रहा था । भारत में यह उद्योग अर्धजातिक ढंग से चल रहा था । पुराने ढंग से उत्पादन करने से लगत बहुत आती थी जिससे कीमत अधिक होती थी और भारत अन्य देशों से स्पर्धा नहीं कर पा रहा था । परन्तु प्रथम युद्ध तक आते आते भारत अपने उपभोग के लिये आयात पर निर्भर रहने लगा था । १९०१-२० के बीच में भारतीय गन्ने की नस्ल सुधारने तथा गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के विशेष प्रयत्न किए गए । १९०१ में गन्ने में सुधार के हेतु एक गवेषणा केन्द्र खोला गया जिसकी सहायता से भारतीय गन्ने की नस्ल में आश्चर्यजनक सुधार हुआ । १९१६-२० में एक चीनी समिति की स्थापना की गई । इन सभी के फलस्वरूप गन्ने का उत्पादन एवं नस्ल दोनों में सुधार हुआ । इस सुधार से सरकार का ध्यान इस उद्योग की उन्नति के लिये अग्रसर हुआ । १९२६ में नियुक्त एक चीनी समिति की जाच से मालूम हुआ कि देश में गन्ने की पैदावार बढ़ रही थी जिसके कारण गन्ने और गुड की कीमतों में भारी मन्दी आ जाने की सम्भावना थी । समिति ने सिफारिश की कि आधुनिक ढंग के चीनी के कारखाने खोलने पर विचार किया जाये और प्रतिवर्ष विदेशों से चीनी मगाने में होने वाली करोड़ों रुपये की हानि को रोका जाये । भारत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये टारिफ बोर्ड की नियुक्ति की । इस बोर्ड की सिफारिश के अनुसार १ अप्रैल १९३१ से १५ वर्ष के लिए उद्योग को सुरक्षण देना स्वीकार किया । यह पहला उदाहरण था जब किसी सरकार ने उद्योग को एक दम इतनी लम्बी अवधि के लिये सुरक्षण दिया है । इस सुझाव के प्रतिरिक्त बोर्ड ने अन्य सुझाव भी दिए जो इस प्रकार थे—गन्ना विकास योजना के लिए कुवि परिपद को १० लाख रुपये

सालाना अनुदान दिया जाए सफेद चीनी उद्योग को विकसित किया जाये और गन्ने की खेती किसी भी दशा में कम न की जाये ।

सरक्षण के लिये सरकार ने चीनी के आयातों पर पहले ७ वर्षों के लिये ७ ६० ४ आने प्रति हडरवेट के हिसाब से सरक्षण कर लगाया । आयात कम हो जाने के कारण होने वाली हानि को पूरा करने के लिये १९३४ में आयातकारी कानून (Sugar Excise Duties Act) पास किया गया । यह कर २।) प्रति हडरवेट की दर से लगाया गया । १९३१ में चीनी का आयात १० लाख टन हुआ था । १९३६-३७ तक घटकर केवल १९ हजार टन रह गया । फलस्वरूप गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाया गया । १९३ तक ४५ लाख एकड़ हो गया । १९३१-३२ में भारत में कुल ३२ चीनी मिलें थीं । १९३२-३३ में १३३ हो गईं । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरक्षण मिल जाने में ५ वर्ष के अन्दर ही चीनी मिलों की संख्या ३२ से बढ़कर १३७ हो गई परन्तु उत्पादन बढ़ते ही चीनी का मूल्य बहुत गिर गया और आयाती प्रतिस्पर्धा के कारण मिलों की आर्थिक दशा असन्तोषजनक हो गई । १९३७ में पारम्परिक प्रतिस्पर्धा दूर करने, चीनी की बिक्री का नियमन करने, उद्योगों को संगठित करने के विचार से भारतीय चीनी सघ की स्थापना की गई । इसके प्रयत्नों से चीनी बाजार की दशा में कुछ सुधार हुआ और चीनी के मूल्यों में १९३६-३७ के अन्त तक १।) प्रति मन की वृद्धि हुई । इस सघ की सदस्यता सब मिलों ने नहीं ली थी । अतः सरकार से अनुरोध किया गया कि सब मिलों को अनिवार्य रूप से इसका सदस्य बनना चाहिए । सरकार ने इस बात को ठीक समझते हुये कुछ कानून बनाये जिससे सब मिलें इस सघ के सदस्य बन जायें । सरकार ऐसा करने में हित समझती थी परन्तु जब उसने देखा कि मूल्य अनुचित रूप से बढ़ रहे हैं तो सरकार ने इस सघ की मान्यता हटा ली जिससे अधिकांश मिलें इस सघ से अलग हो गये और फिर प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई जिससे उद्योगों की आर्थिक दशा फिर खराब होन लगी । यह देखकर सरकार ने उद्योगपतियों की प्रार्थना पर ३ अगस्त १९४० से निम्न बातों पर सघ को फिर मान्यता प्रदान कर दी । (अ) सघ केवल एक बिक्री एजेंट का काम करेगा । (ब) सघ हर मिल के लिये उत्पादन कोटा निश्चित कर देगा । (स) चीनी का मूल्य निश्चित कर दिया जायेगा । (द) सघ शुगर कमीशन के आधीन कार्य करेगा । तुरत बाद ही इस कमीशन की नियुक्ति की गई । सरकार ने सघ पर पूरा नियन्त्रण रखने के लिये एक सरकारी अफसर को इसका कार्यवाहक नियुक्त किया ।

द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होते ही चीनी का मूल्य बढ़ने लगा । उधर १९४२ में चीनी की भारी कमी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा । सरकार ने इस पर समझौते, समझौते, के, लिसे, चीनी, के, नियन्त्रण, के, मूल्य, पर, नियन्त्रण, किया और बाद में उत्पादन पर भी नियन्त्रण लागू कर दिया गया । नगरो में चीनी का राशनिंग चालू किया गया । चीनी नियन्त्रक (Sugar Controller) गन्ने और चीनी का मूल्य निश्चित करता था । एक राज्य से दूसरे राज्य में चीनी के आयात निर्यात पर भी नियन्त्रण लगा दिया गया । गन्ने की स्थिति में सुधार करने के लिये

सन् १९४४ में एक भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति (Indian Central Sugar-cane Committee) की स्थापना की गई। Sugar Technological Institute कानपुर का तथा भद्रक (लखनऊ के पास) का Sugar Technological तथा Sugar-cane Research Institut जो एशिया में सबसे बड़ा केन्द्र है चीनी मिलों को मशीनरी, निर्माण विधि यान्त्रिक नियन्त्रण में सुधार आदि के विषय में उचित सलाह देते हैं। इसके अतिरिक्त बसाल कागला उपकेन्द्र दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद तथा कोयम्बटूर कागला केन्द्र आदि गन्ने तथा उसकी उत्पत्ति, बीमारी, विपणन, निर्माण आदि बातों पर अन्वेषण करते हैं।

१९४४-४५ में तथा इसके बाद के सालों में चीनी का उत्पादन कम होता चला गया और आयात न होने के कारण देश में चीनी की कमी हो गई। सरकार ने मित्रों को काफी सहायता पहुँचाने का प्रयत्न किया परन्तु चीनी के अभाव के कारण देश में चोर बाजारी का प्रकोप हो गया और चीनी की कीमत ५ गुनी बढ़ गई।

विभाजन के उपरान्त—विभाजन से इस उद्योग पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। विभाजन के समय भारतीय गणराज्य में कुल उत्पादन का ९७.९ प्रतिशत तथा पाकिस्तान में केवल २.१ प्रतिशत चीनी उत्पन्न होती थी। १९४८ में निर्यात पर से रोक हटाली गई। निर्यात न होने पर देश में आन्तरिक उपभोग के लिये चीनी उपलब्ध होने लगी। इस उद्योग पर सरकारी नियन्त्रण की निम्न गभीर होने लगी। महात्मा गांधी इसके बहुत विरोधी थे अतः १९४७ में चीनी पर से नियन्त्रण हटा लिया गया। नियन्त्रण हट जाने से उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई किन्तु चीनी उद्योग पर इसका बुरा प्रभाव ही पड़ा अतः सरकार को पुनः नियन्त्रण की नीति का अनुसरण करना पड़ा। जिसके अनुसार उसने मूल्य, वितरण तथा उत्पादन के नियमन का उत्तरदायित्व अपने अन्तर्गत कर लिया। चीनी का उत्पादन बढ़ाने के कारण सरकार ने चीनी संध की सलाह से चीनी का मूल्य ३५।३) मन निर्दिष्ट किया और गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश में १।) मन से बढ़कर २) मन कर दिया गया। अर्थात् नियन्त्रण को और भी अधिक व्यापक रूप दे दिया। १९५० में १८ वर्ष पुराना संरक्षण भी समाप्त कर दिया गया।

१९५०-५१ में भारत सरकार ने Free Sugar नामक एक योजना चलाई जिसके अनुसार चीनी मिलें अपना अधिकतम कोटा उत्पन्न करने के बाद अपनी फालतू चीनी को खुले बाजार में स्वतन्त्रतापूर्वक बेच सकती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि चीनी का उत्पादन बढ़ना प्रारम्भ हुआ। १९५०-५१ में १२ लाख टन उत्पादन हुआ। १९५१-५२ में यह उत्पादन १४.९ लाख टन हो गया, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से भी अधिक था।

उद्योग की वर्तमान स्थिति—वर्तमान काल में चीनी उद्योग भारत का एक प्रमुख उद्योग है। उद्योग के अतीत की ओर देखने से यह स्पष्ट होता है कि संरक्षण के बाद प्रारम्भिक विकास की अवस्था में जहाँ उत्पादनाधिक्य की समस्या थी वहाँ

गत ४-५ वर्षों में उत्पादन बढ़ाने की समस्या है। १९५१-५२ में शक्कर की वार्षिक खपत १६ लाख टन हो गई। उत्पादन के बढ़ने से निर्यात बढ़ा जो १९५४-५५ में ७६ के लगभग था। वर्तमान समय में शक्कर की खपत १८ लाख टन है और देश की मिलें इस खपत को अच्छी तरह खपा सकती हैं। इसी कारण सरकार ने विदेशों शक्कर का आयात बन्द कर दिया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में चीनी उद्योग—अन्य उद्योगों की भांति योजना में चीनी उद्योग के विकास के लिये लक्ष्य निर्धारित किए थे। पहली योजना में शक्कर के कारखानों की संख्या १६० तथा १५४ लाख टन का उत्पादन लक्ष्य था परन्तु बढ़ती हुई मांग के कारण यह १८ लाख टन किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने योजना के अन्तर्गत २० नई मिलों को विभिन्न प्रदेशों में स्थापित करने की व्यवस्था की थी यद्यपि इनमें से कुछ मिलों का निर्माण हो चुका है किन्तु गन्ने के अभाव मशीनों के ऊँचे मूल्य तथा मिलने में कठिनाई के कारण इस क्षेत्र में सन्तोषजनक प्रगति न हो सकी। 'विकास परिषद' ने अपनी पहली बैठक में (१९५४) शक्कर का उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये हैं —

(क) शक्कर के कारखानों की उत्पादन क्षमता की वृद्धि एवं विकास। (ख) नये कारखानों की स्थापना। (ग) वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूर्णतया कार्य में लगाना। (घ) वर्तमान बेकार कारखानों को उत्पादन में लगाना। (ङ) कारखानों को अनुपयुक्त स्थानों से उपयुक्त स्थानों पर ले जाना। (च) गन्ने की कीमतेँ विस्म के अनुसार निर्दिष्ट करना। (छ) शक्कर की विभिन्न किस्मों की दरों को दुहराना।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चीनी उद्योग के विकास की स्वरूपा लिखित के अनुसार थी :—

	१९५०-५१	१९५५-५६
कारखानों की संख्या	१५८	१६०
वार्षिक उत्पादन शक्ति	१५४ लाख टन	५५ लाख टन
धास्तविक उत्पादन	१२२ लाख टन	१५० लाख टन

पंचवर्षीय योजना की केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस उद्योग की उन्नति के लिए काफी सहायता प्रदान की। उत्तर प्रदेश सरकार को ५ लाख रुपये इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला। भारत सरकार ने राष्ट्रीय उत्पादन केन्द्र खोला है जहाँ इस बात का परीक्षण व प्रदर्शन किया जाता है कि नवीन प्रकार के साधनों व विधियों से किस प्रकार पैदावार व आमदनी बढ़ाई जा सकती है। १९५५ तक ३५ नये कारखानों की स्थापना तथा ३७ वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिये लाइसेंस दिये गए हैं। इससे उत्पादन शक्ति बढ़ेगी। उद्योग के विकास के लिए १० लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चीनी उद्योग—योजना आयोग ने द्वितीय योजना में इस उद्योग की विकास योजना का कार्य चीनी विकास परिषद (Sugar Industry Development Council) को सौंप दिया है। इस योजना

मे चीनी का लक्ष्य २२.५ लाख टन रखा गया और चीनी मिलों की उत्पादन शक्ति २० लाख टन से बढ़ाकर २५ लाख टन कर दी गई है इस योजना में चीनी मिलों के पुनर्संगठन व पुनर्वासित करने की भी योजना है। चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ५४ नई चीनी मिलें खोलने के लाइसेंस देगी तथा ३६ वर्तमान मिलों का विस्तार किया जायेगा और दो पुरानी मिलें फिर से चालू की जायेंगी। १९५६-५७ में ४ नई मिलें खुली हैं और चालू मौसम में १४ मिल और खुल जाने की आशा है। द्वितीय योजना काल में नई चीनी मिलों को सहकारिता के आधार पर खोलने पर अधिक बल दिया गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बम्बई और मद्रास में अनेक सहकारी चीनी मिलें भ्यापित होने की आशा है। १९६०-६१ तक चीनी मिलों के विस्तार पर २३ करोड़ रु०, मशीनों के आधुनिकीकरण पर ५० करोड़ रु० और नई चीनी मिलों पर ३४ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है। गन्ना उत्पादन बढ़ाने और उनकी किस्म को सुधारने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार प्रदेशीय सरकारों को ४० लाख रुपये का ऋण और ३० लाख रुपये का अनुदान देगी। भविष्य में गन्ने का मूल्य बजाय गन्ने की तोल के उमकी मिठास के आधार पर निश्चित करने का प्रयत्न किया जायेगा जिससे कृषक उच्च कोटि का गन्ना उत्पन्न करने का प्रयत्न करे। मिठास के आधार पर ही गन्ने का श्रेणीकरण भी किया जायेगा ताकि किसान उच्च कोटि का गन्ना उत्पन्न करके अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके। द्वितीय योजना काल में इस उद्योग के विस्तार के कारण २१००० अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार मिल जायेगा। यह आशा की जाती है कि द्वितीय योजना की समाप्ति तक भारत चीनी के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो जायेगा।

निम्नलिखित तालिका में १९५० से १९५७ तक भारत में चीनी के उत्पादन के आकड़े सङ्ग्रहित किये गये हैं जिनसे पता चलता है कि आठ वर्षों की इस अवधि में भारत में चीनी का उत्पादन लगभग दूना हो गया है।

वर्ष	चीनी का उत्पाद (हजार टन)
१९५०	९७६८
१९५१	१११४८
१९५२	१४९४०
१९५३	१२९१०
१९५४	१०८८०
१९५५	१५९४८
१९५६	१८५४.४
१९५७	२०३८८

परन्तु यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस उद्योग के सामने कई समस्याएँ हैं जिनके कारण प्रगति में बाधा पड़ती है। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

(१) गन्ने का अभाव व निम्न कीटि — भारत में एक तो गन्ने की उपज बहुत कम है और इस कमी के साथ एक और कमी है। वह यह है कि किस्म बहुत खराब है। उत्तरा भारत में आस पास मिलें होने के कारण उनमें खूब स्पर्धा होता है। प्रामाण भाई देश के अधिकतर गन्ने का गुड बना लेते हैं इससे चीनी उद्योग को पर्याप्त क्षति पहुँचती है। भारत में गन्ने की फसल एक ही होती है अतः चीनी की मिलें भी उसी मौसम में चलती हैं जब गन्ना पककर तैयार होता है और अन्य समय वह बन्द रहती है। इसके अतिरिक्त गन्ने के मूल्यों के अधिक होने के कारण मिल मालिकों का कथन है कि हमको कुछ भी बचत नहीं होती। इसके साथ ही साथ एक और समस्या है मूल्यों के सम्बन्ध में। भारत में गन्ने का मूल्य केवल तेल के आधार पर तय किया जाता है। अर्थात् मूल्य और किस्म का कोई सम्बन्ध नहीं इससे मिल मालिकों को काफी हानि होती है।

(२) उत्पादन क्षमता का नीचा होना — भारत में उत्पादन क्षमता के कम होने के कारण चीनी का उत्पादन व्यय बहुत ऊँचा रहता है। दूसरे देशों से भारत की चीनी की किस्म हेय रहती है अतः भारत अन्य देशों से स्पर्धा लेने में असमर्थ रहता है।

(३) स्थिति की समस्या — जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, देश की अधिकांश चीनी मिलें उत्तरी भारत में स्थित हैं। अतः उनमें पारस्परिक स्पर्धा बढ़ जाती है। दूसरे यहाँ गन्ना भी बहुत कम होता है। मद्रास में जहाँ पर्याप्त गन्ना उत्पन्न होता है मिलों की कमी है। यह समस्या भी प्रगति में बाधा ही है।

(४) ईंधन की कमी — ईंधन की कमी को दूर करने के लिये वाष्प के उपयोग में मितव्यता करने की आवश्यकता है क्योंकि यदि ईंधन एवं वाष्प का समुचित उपयोग मितव्यता से हो सकता है तो शक्कर का उत्पादन व्यय कम होकर उपकी कीमतें भी गिरेंगी।

(५) उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त और भी छोटी मोटी समस्याएँ हैं जैसे ऊँचा कर गुड की स्पर्धा तथा शीरा के अपव्यय की समस्या इत्यादि। शीरे आदि को अपव्यय से बचाने के लिये कारखानों में कोई एक ऐसा स्थान अवश्य होना चाहिये जहाँ उसका सन्ध किया जा सके।

उपरोक्त सभी समस्याओं में सुधार करना इस उद्योग के लिये अति आवश्यक है सुधार के सुझावों पर नीचे विचार किया गया है।

समस्या के उपचार के लिए यह अति आवश्यक है कि सरकार इस उद्योग की देखभाल समुचित रूप में करे। जो भी अनुसन्धान कार्य हो उसका प्रचार राष्ट्र भाषा में किया जाये। सरकार द्वारा अनुसन्धानों पर प्रकाश डालने के लिए चित्रपटों की सहायता भी ली जा सकती है। जहाँ गन्ने की खेती अधिक हो वहाँ किसानों को इसके सम्बन्ध में चित्र दिखाये जाए। शिक्षा के अभाव से वह केवल चित्रपट द्वारा ही किसी बात को समझ सकते हैं।

इस उद्योग की उन्नति के सम्बन्ध में जो भी खोज हो उस पर राज्य सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिये। यदि शक्कर व्यवसाय को कामधेनु समझकर उसको जितना चाहे उतना दूब देने की आशा करें तो एक समय ऐसा अवश्य आयेगा जब इस उद्योग का महत्व बिल्कुल समाप्त हो जायेगा। इसलिए उद्योग की उन्नति के लिये पर्याप्त यातायात एवं सिंचाई सुविधाओं का आयोजन समुचित रूप से होना चाहिये तभी यह उद्योग विकसित हो सकते हैं।

शक्कर, गुड एवं खडसारी शक्कर के मूल्यों का निर्धारण करते समय सरकार जिस प्रकार शक्कर के विभिन्न उत्पादन समस्याओं को विचारार्थ लेती है उसी आधार पर खडसारी एवं गुड की कीमतों का भी निर्धारण किया जाये जिससे इन उद्योगों में अधिक सन्तुलन स्थापित हो सक।

इन समस्याओं का सुलभान के भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। द्वितीय योजना काल में आशा की जाती है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। यातायात, सिंचाई की सुविधाएँ और प्रात एकड़ उपज बढ़ाकर, कृषि यन्त्रीकरण और वैज्ञानिक ढंगों से उत्पादन व्यय घटाया जा सकता है। इससे भारतीय उपभोजना को सस्ती चीनी मिल सकेगी और निर्यात भी बढ़ाया जा सकेगा।

प्रश्न ६०— भारत में कोयला उद्योग के विकास तथा वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। (आगरा ५५)

Trace the growth, development and present position of the Coal Industry in India. (Agra 55)

कोयला उद्योग भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। कोयले का प्रयोग मुख्य रूप से रेलों को चलाने तथा अन्य उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। किसी भी देश का औद्योगिक विकास बहुत कुछ कोयले के उपलब्ध भंडार पर निर्भर होता है। अधिकतर कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ आन पास कोयले की खानें हैं।

भारत संसार में आठवें नम्बर का कोयले का उत्पादक है। वंश इंग्लैंड और अमेरिका की अपेक्षा भारत में कोयले का उत्पादन बहुत कम है और भारतीय कोयला इन देशों के कोयले से घटिया किस्म का होता है।

भारत में कोयले की प्रथम कम्पनी १९ वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल तथा बिहार में स्थापित हुई। १९०७ के बाद कोयले के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। दूसरे महायुद्ध के बाद विशेष रूप से कोयले के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। निम्नलिखित तालिका से कोयले के उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है:—

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)
१९४७	३००.०
१९५०	३१६.६
१९५१	३४२.१
१९५२	३६२.३

१९५३	३५८ ४
१९५४	३६७ ७
१९५५	३८२ १
१९५६	३९४ ३
१९५७	४२५ ४

भारत में मुख्य कोयला क्षेत्र रानीगंज तथा झरिया हैं। कुल कोयले की ८३२ खानों में से रानीगंज में २६३ तथा झरिया में ३६८ खानें पाई जाती हैं। उस प्रकार लगभग ७०% खानें इन्हीं दो खानों पर हैं। इन खानों से कुल उत्पादन का लगभग ८०% कोयला प्राप्त होता है। शेष कोयला मध्य प्रदेश, हैदराबाद, उड़ीसा तथा आसाम राज्य में उत्पन्न होता है।

भारत में कोयले का भण्डार—भारतीय भूगर्भ निर्वेक्षण (The Geological survey of India) के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि भारत के भूगर्भ में गैर कोकिंग कोयला (Non Coking Coal) का भण्डार लगभग ३६६५ करोड़ टन है जो कई सौ वर्ष तक देश के काम आ सकेगा। इसमें से ३७११ करोड़ टन केवल गोडवाना क्षेत्र की खानों में है। भारतीय मेटालर्जिकल कोल कन्जर्वेशन कमेटी (Indian Metallurgical Coal Conservation Committee) के अनुमान के अनुसार भारत में उच्च कोटि के कोयले का कुल भण्डार ३२६६ लाख टन है जो देश की आवश्यकताओं को देखते हुये कम है। इस प्रकार कोकिंग कोल (Coking Coal) अर्थात् कोक (Coke) बनाने वाले कोयले की भारत में कमी है। जबकि इसकी खपत देश में गगले कुछ सालों में बहुत अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है। देश में जो तीन इस्पान के नये कारखाने लगाये जा रहे हैं उनके चालू हो जाने से घातु शोधन कार्यों के लिये इस प्रकार के कोयले की आवश्यकता होगी। सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोयले के भण्डारों की नये सिरे से खोज करा रही है ताकि इस विषय में सही स्थिति का ज्ञान हो सके।

कोयला सम्बन्धी समस्याओं को ठीक प्रकार हल करने के लिये सरकार ने एक 'कोयला परिषद' (Coal Board) की स्थापना की है जो खान मालिकों के कोकिंग कोल को खानों से निकालने, उसके मिश्रण तथा धुलाई आदि का नियन्त्रण करता है और कोयला उद्योग में आधुनिक मशीनों के प्रयोग द्वारा अभिनवीकरण (Rationalization) भी कराता है।

कोयले का व्यवसाय—भारतीय कोयले का प्रयोग देश के विभिन्न भागों में स्थित कारखानों तथा भारतीय रेलों में होता है। अन्य कार्यों के लिये भारत में कोयले की अधिक खपत नहीं है। कोयले के व्यवसाय की भारी समस्या यातायात की है। कोयले की खानें एक सीमित क्षेत्र में केन्द्रित होने के कारण अन्य क्षेत्रों में इसे रेलों द्वारा भेजा जाता है जिसमें बहुत अधिक यातायात व्यय पड़ता है और बहुधा

समय पर कोयला पहुँच नहीं पाता जिससे उद्योगों को बड़ी अनुविधा तथा हानि होती है।

१९२६ से पूर्व भारतीय कोयला भाग के आधार पर बेचा जाता था। अब कोयले को श्रेणियों में विभाजित करने के लिये एक भारतीय कोयला श्रेणीकरण मण्डल (Indian Coal Grading Board) की स्थापना कर दी गई है। १९४४ में कोयले के उत्पादन तथा वितरण पर नियन्त्रण (Control) करने के उद्देश्य से एक खान नियन्त्रण आदेश (Colliery Control Order) जारी किया गया था। १९५० तक स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया। एक ओर तो विदेशों में भारतीय कोयले की माँग बहुत कम हो गई और दूसरी ओर कोयले की खानों में बड़ी मात्रा में कोयले का भण्डार जमा होने लगा। अतः खानों के मालिकों ने मजबूर होकर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य (Control Price) से कम पर कोयला बेचना शुरू कर दिया।

सरकारी नीति (Policy of the Government)—भारत में अब तक कोयले का व्यापार निजी लाभ के लिये किया जाता है। खानों के स्वामी पुरानी खानों को छोड़कर नई खानें खोदना शुरू कर देते हैं क्योंकि पुरानी खानों को गहराई तक खोदने में उत्पादन व्यय अधिक बैठता है। इस प्रकार खानों की गहरी खुदाई नहीं होती और बहुत सा कोयला बेकार पड़ा रहता है। खानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत भी बहुत खराब रहती है। भारत सरकार की नीति का मुख्य आधार खानों की उचित ढंग से खुदाई कराने तथा मजदूरों की हालत को सुधारना रहा है। इस उद्देश्य से सरकार ने १९०१, १९२३, १९४८, १९४९ तथा १९५२ में खानों से सम्बन्ध रखने वाले कानून पास किये हैं। १९४९ के कानून के अनुसार कोयले की खानें ० साल के पट्टे पर दी जाती हैं और यदि सरकार चाहे तो यह पट्टा २० साल के लिये फिर से बढ़ाया जा सकता है। कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों से ४८ घण्टे प्रति सप्ताह से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। इसमें भूमि के ऊपर कार्य करने वालों के लिये ९ घण्टे प्रतिदिन तथा भूमि के नीचे काम करने वालों के लिये ८ घण्टे प्रतिदिन का कार्य निर्धारित किया गया है।

१९५२ में भारत सरकार ने कोयला खान (संरक्षण व सुरक्षा) कानून (Coal Mines Conservation Safety Act) पास किया जिसके द्वारा सरकार को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो गये :—

- (१) कोयले की खानों की सुरक्षा व संरक्षण के लिये कार्यक्रम बनाना और उसे कार्यान्वित करना।
- (२) 'कोयला परिषद्' (Coal Board) को कोयला उद्योग की समस्याओं को सुलझाने का अधिकार देना।
- (३) कोयला तथा कोक के उत्पादन पर कर लगाना।

१९५० में कोयला समिति ने सुझाव दिया था कि भारत में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये मशीनों का प्रयोग करना परम आवश्यक है। यह कार्य धीरे धीरे किया जा सकता है। बड़े मशीनों के प्रयोग से कुछ श्रमिक बेकार हो जाना का भय है किन्तु इस कारण अभिनवीकरण के कार्य को टाला नहीं जा सकता। बेकार होने वाले मजदूरों को अन्य कामों में लगाया जा सकता है।

पंचवर्षीय योजना तथा कोयला उद्योग—प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने १९५३ में एक कोयला समिति नियुक्त की थी जिसका उद्देश्य कोयला घोलने की मशीनों लगाने के विषय में सरकार को सलाह देना था। समिति की राय में कोयले की घुलाई की केन्द्रीय व्यवस्था अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। योजना का लक्ष्य उत्पादन में वृद्धि करना है।

दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कोयले के उत्पादन में ५८ प्रतिशत वृद्धि करने का निश्चय किया गया है। १९५५—५६ में ३०० लाख टन कोयला उत्पन्न होने का अनुमान था। १९६०—६१ के अन्त तक यह उत्पादन ६०० टन बढ़ाने के प्रयत्न किये जाएंगे।

(४) कोयला-उद्योग को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए तथा उसे नियन्त्रित करने के लिये नियम बनाना।

इस प्रकार कोयले के उत्पादन वितरण मूल्य निर्धारण तथा श्रमिकों के वेतन आदि पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण है।

कोयला उद्योग का अभिनवीकरण (Rationalization)—भारतीय कोयला उद्योग के अभिनवीकरण की विशेष आवश्यकता है। अभिनवीकरण का अर्थ यह होगा कि कोयले की छोटी छोटी खानों को मिलाकर बनी इकाइयां बनाई जावे। उत्तम कोटि के कोयले का संरक्षण किया जावे तथा खानों के अन्दर कोयला काटने, उसे बाहर निकालने तथा नियत स्थान तक पहुंचाने के लिये आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस दिशा में भारत में नाममात्र की प्रगति हुई है।

प्रश्न ६१—भारतीय सीमेन्ट उद्योग के विकास तथा वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए।

Trace the growth & present position of the Cement Industry in India

उत्तर—सीमेन्ट का उपयोग प्रायः सभी कार्यों में होता है चाहे वह कार्य किसी प्रकार के ही। प्रत्येक वस्तु के निर्माण में इसका बहुत अधिक महत्व है। परन्तु आश्चर्य तो यह है कि भारत में सीमेन्ट की मांग अधिक होती हुई और उत्पादन की अच्छी सुविधा होती हुये तथा राष्ट्रीय इन्फ्रस्ट्रक्चर से भी इसका अधिक महत्व होते हुए भी यह उद्योग कोई विशेष अच्छी स्थिति में नहीं है। प्रथम महायुद्ध से पूर्व इस उद्योग की स्थिति और भी खराब थी। भारत में उस काल में खपत तो अधिक थी और उस खपत को भारतीय कारखाने पूरा करने में असमर्थ थे इसलिये भारत को

काफी मात्रा में सीमेंट बाहर से मगाना पड़ता था परन्तु इस उद्योग ने वर्तमान समय में आशातीत उन्नति की है।

उद्योग का विकास

१९०४ में सर्व प्रथम मद्रास प्रान्त में पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण प्रारम्भ हुआ परन्तु यह प्रयत्न असफल रहा। इसका मुख्य कारण था कि इंग्लैंड में भी १९ वीं शताब्दी में ही इस उद्योग का विकास प्रारम्भ किया गया। प्रथम महायुद्ध से पूर्व भारत को प्रतिवर्ष १८०००० टन सीमेंट बाहर से मगाना पड़ता था। प्रथम महायुद्ध से पूर्व इस उद्योग को प्रोत्साहित करके कोई सराफ्तनीय प्रयत्न नहीं किया गया, लेकिन इस उद्योग की वास्तविक उन्नति का इतिहास १९१२—१३ से प्रारम्भ होता है जब तीन कारखानों का निर्माण भारत में किया गया। यह तीन कारखाने प्रथम पोरबन्दर (काठियावाड़) दूसरा कटनी (मध्यप्रदेश) और तीसरा बूंदी (राजस्थान) स्थानों पर स्थापित किए गए। ये तीनों कारखाने सीमेंट के उत्पादन में पूर्ण सफल रहे। इन कम्पनियों के नाम क्रमशः इण्डियन सीमेंट कम्पनी, कटनी सीमेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल कम्पनी तथा बूंदी पोर्टलैंड कम्पनी हैं।

प्रथम युद्ध के छिड़ जाने से इस उद्योग की विशेष प्रोत्साहन मिला क्योंकि जो आयात होते थे वह बन्द हो गए। प्रारम्भ से ही यह तीनों कारखाने ७६००० टन सीमेंट उत्पादन करने लगे थे। देश में निर्माण कार्य के लिए तभी सीमेंट की अधिक आवश्यकता हुई और १९१९ में सरकार ने युद्ध समाप्त होते ही अपनी आवश्यकता के हेतु इस उद्योग को अपने अधिकार में ले लिया। इससे सीमेंट उद्योग की और भी उन्नति होने की आशा दृष्टिगोचर होने लगी और तुरन्त बाद ही सीमेंट के ७ नये कारखाने खोले गये। ३ कारखानों में उत्पादन सीधे ही दोगुना हो गया। १९१४ में भारत में सम्पूर्ण सीमेंट का उत्पादन ९५४ टन से बढ़कर ६२४ में २३६७४६ टन हुआ। उत्पादन बढ़ने से आयात का कैम होना स्वाभाविक ही था। अतः आयात १८५७३३ टन से घटकर १२४१८६ टन रह गया। उपरोक्त ७ कारखानों का निर्माण उन्ही स्थानों पर किया गया जहाँ पहले तीन कारखाने स्थापित थे। अतः दो कारखाने कटनी के निकट, एक छोटा नागपुर में एक पंजाब में एक काठियावाड़ में, एक ग्वालियर राज्य तथा एक हैदराबाद राज्य में स्थापित किए गये। समस्त कारखानों की उत्पादन क्षमता प्रारम्भ में ३८६००० टन थी।

१९२५ तक उपरोक्त वितरण से ज्ञात होता है कि इस उद्योग ने काफी उन्नति की। इस उन्नति का परिणाम यह हुआ कि उत्पादन अधिक हो गया और दूसरी ओर सभी कारखानों ने स्पर्धा करना प्रारम्भ कर दिया जिसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ। उद्योगों को काफ़ी क्षति पहुँची। नये कारखानों में से तीन बंद गये। दूसरी ओर सीमेंट उद्योग में कुछ मन्दी या जाने के कारण उद्योग की स्थिति डाँव डोल चो गई। टैरिफ बोर्ड की नियुक्ति इस उद्योग की जाँच के लिये तुरन्त की गई। जिसने सिफारिश की कि उद्योगों में पारस्परिक सहयोग अति आवश्यक है। जिसके फलस्वरूप १९२५ में दी इण्डियन सीमेंट मन्युफैचरस एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस

सभ का उद्देश्य बिज्जी मूल्यों का निर्धारण व निम्नमन करना था। सभ को अपने कार्यों में काफी सफलता मिली। बिज्जी के क्षेत्र में सभी प्रकार पूर्ण स्वतन्त्र थी और सभी अधिक से अधिक बिज्जी करने का प्रयास करने लगी। बिज्जी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से १९२७ में एक सन्धा स्थापित की गई जिसका नाम कन्क्रीट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया रखा गया। इसकी अध्यक्षता के लिए प्रत्येक सदस्य अपनी कुल बिज्जी पर ५ आने प्रति टन की दर से चन्दा देता था। इस सन्धा का उद्देश्य था सीमेन्ट के उपभोक्ताओं में सीमेन्ट के प्रयोग का प्रचार करना और आवश्यकता पाने पर उन्हें निशुल्क टैक्नीकल सलाह देना।

इस एसोसिएशन से इस उद्योग को काफी लाभ हुआ जिसके परिणामस्वरूप १९३० में दी सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी लि० की स्थापना की गई और मैन्यफैक्चरिंग एसोसिएशन खतम कर दिया गया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था विपणन को नियमित करना। इसके अनुसार प्रत्येक सदस्य को कम्पनी के अपने विपणन प्रबंध पर से अपना व्यक्तिगत नियम उठाकर उसे उपरोक्त सन्धा के अधीन कर देना था। परन्तु किसी भी सदस्य कम्पनी ने इसको मान्यता प्रदान नहीं की। काफी प्रयत्नशील रहने के बाद यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक कारखाने के उत्पादन मात्रा को सीमित कर दिया जाये। इससे प्रतियोगिता का अन्त हो गया और वितरण व्यवस्था में भी मिनव्यता हुई। वानायात आदि के खर्च कम होने से सीमेन्ट की बिज्जी की कीमत भी निश्चित कर दी गई, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत अधिक लाभ हुआ। मार्केटिंग कम्पनी की सफलता एवं प्रभावी नियन्त्रण के कारण सन् १९३४ में चार और सीमेन्ट निर्मातियों ने इसकी सफलता प्राप्त की। इससे समस्त देश में सीमेन्ट के बिज्जी मूल्यों में २५ प्रतिशत की कमी हो गई। इससे उद्योग को अपनी उन्नति करने का एक अच्छा अवसर मिला।

जब उद्योग अपने उन्नति के पथ पर तेजी से बढ़ने लगा तब इस उद्योग के निर्माताओं ने उद्योग को सुसंगठित ढंग पर संचालन करने के हेतु तथा वैज्ञानिक साधनों का उपयोग कर सीमेन्ट का उत्पादन एवं वितरण मितव्ययी बनाने के प्रयत्न प्रारम्भ किये। इसलिए १९३५ में यह अनुभव किया जाने लगा कि अभी इस उद्योग में भारी विकास की काफी गुंजायश है। अतः श्री धीनाश ने १९३६ में सभी कम्पनियों का विलीनीकरण करके बम्बई में एक नवीन कम्पनी एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी (A. C. C.) के नाम से स्थापित की। सोत बेली क० के अतिरिक्त सभी कम्पनियाँ इस विलय में सम्मिलित हो गईं। वास्तव में यह सीमेन्ट उद्योग के भारी अभिलषीकरण की दिशा में पहला कदम था। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य था उत्पादन व्यय में कमी करना, उद्योग में विदेशों से स्पर्द्धा लेने की शक्ति को उत्पन्न करना, वितरण एवं विपणन व्यय में कमी करना तथा सीमेन्ट उपभोक्ताओं को सस्ते पैसों में दिलधाने का प्रयत्न करना। यदि वास्तविकता देखी जाये तो यही सिफारिश टेरिफ बोर्ड ने भी की थी कि सीमेन्ट उद्योग अपने पैरों पर खड़ा होकर उपयुक्त क्षमता का विकास करे। इस कम्पनी के निर्माण से भारत के एक राष्ट्रीय

महत्वपूर्ण उद्योग का संगठित ढंग पर विवास होने लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि कम्पनियों में म-योग की भावना का प्रादुर्भाव हुआ जिसके परिणामस्वरूप १९०० से १९३६ तक सीमेन्ट की कीमतें (१०) प्रति टन स कम हो गई इससे दानो पक्षों को लाभ हुआ । १९३६ में डालमिया समूह ने सीमेन्ट निर्माणियों की स्थापना हुई जिसने उपरोक्त कम्पनी से प्रतिस्पर्द्ध करना प्रारम्भ कर दी डालमिया दल ने अपने मूल्यों में इतनी कमी कर दी कि यह कम्पनी इस दल से स्पर्द्धा देने में पूर्ण असफल रही । परन्तु आगे चलकर १९४० में एक समझौता हुआ । इन दोनों समूहों के उत्पादन की केन्द्रीय विक्री के लिये सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी फिर कार्य करने लगी । इस प्रकार सीमेन्ट उद्योग ने अभिनवीकरण के लिये एक और सक्रिय कदम उठाया । ये सभी कारखाने मिल कर १९३९ में ८५ प्रतिशत सीमेन्ट निर्मित कर रहे थे ।

द्वितीय विश्व युद्ध और उसके उपरान्त की प्रगति—द्वितीय महायुद्ध से इस उद्योग का हानि एवं लाभ दोनों ही हुये । देश में सीमेन्ट की मांग कम हो जाने से इस उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा परन्तु युद्ध के कारण आयात बन्द हो गये जिससे सीमेन्ट उद्योग को देश की आवश्यकताओं को पूरा करने का अच्छा अवसर मिला । दूसरे युद्ध काल में नियन्त्रित को भी प्रोत्साहन मिला क्योंकि बहुत से देश ऐसे थे जो युद्ध के कारण इंग्लैंड फ्रांस जापान आदि देशों से सीमेन्ट नहीं मगवा सकते थे और उन्होंने भारत से मगवाया । जिसका परिणाम यह हुआ कि उद्योग का प्रोत्साहन मिला और बढ़िया सीमेन्ट बनाने और उद्योग की उत्पादन सामर्थ्य बढ़ाने की योजना सोची गई । ऐसी स्थिति में इस उद्योग पर सरकारी नियन्त्रण भी स्वाभाविक ही था । १९४० में भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत सीमेन्ट के उत्पादन वितरण और मूल्यों पर कंट्रोल लगा दिया गया और यह कंट्रोल अभी तक जारी है । इसका मुख्य कारण था फौजा आवश्यकताओं के लिए सीमेन्ट की उपलब्धि का सुगम बनाना दूसरे युद्ध के बाद नागरिक आवश्यकताओं के बढ़ जाने से वितरण की उचित व्यवस्था से उपभोक्ताओं के हित और मूल्यों को उचित नियन्त्रण के लिये कन्ट्रोल अति आवश्यक था और है भी ।

युद्ध के प्रथम चरण में उत्पादन में वृद्धि हुई किन्तु बाद में उत्पादन गिरना प्रारम्भ हुआ । उस काल में कोयले का अभाव श्रमिकों के भगड़े यानागन की असुविधा यन्त्र का घिस जाना इत्यादि कारणों से उत्पादन गिरना प्रारम्भ हुआ था । १९३८ से विभाजन तक की उत्पादन क्षमता नीचे तालिका में स्पष्ट है —

१९३८ = १४०४००० टन	१९४३ = ११८३०० टन
१९४० = १७१२००० टन	१९४४ = २०४८००० टन
१९४१ = २०७३००० टन	१९४५ = ००६००० टन
१९४२ = २१८८००० टन	१९४६ = १५३२००० टन

इस तालिका में स्पष्ट है कि १९४२ तक उत्पादन बढ़ता गया परन्तु बाहरी एवं आन्तरिक कठिन स्थितियों के कारण उद्योग का उत्पादन को कुछ क्षति पहुँची । इस

शक्ति को और अधिक हानि तब हुई जब देश का विभाजन हुआ। देश की २४ सीमेंट मिलों में ५ मिलें पाकिस्तान में चली गईं। इससे भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। परन्तु हमारी राष्ट्र सरकार द्वारा नदी घाटी योजना एवं अन्य कार्यों के प्रारम्भ होने से सीमेंट के उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। १९५७-५८ से १९५०-५१ के बीच तीन वर्षों के भीतर सीमेंट की बिक्री १५ लाख टन से बढ़ कर १२६ लाख टन हो गई थी। इस काल के बाद भी इस उद्योग को अधिक प्रोत्साहन मिला जिसका मुख्य कारण था सौराष्ट्र, मद्रास तथा ट्रावनकोर कोचीन में तीन सीमेंट निर्माणियों की स्थापना।

पंचवर्षीय योजना में उद्योग—योजना के अन्तर्गत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि १९५० के ३३ लाख टन उत्पादन शक्ति वाले २१ कारखानों की सख्या १९५६ तक बढ़ा कर २७ कर दी जाए और उनकी उत्पादन शक्ति ५० लाख टन कर दी जाये।

योजना के अन्तर्गत उत्पादन का लक्ष्य

इकाई	१९५०—५१	१९५५—५६
कारखानों की संख्या	२१	२७
वास्तविक वार्षिक उत्पादन हजार टन	३२८०	५३०६
कुल उत्पादन	२६६२	४८००
निर्यात	२६	३००

प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए सीमेंट के उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह लगभग पूरा हो गया। १९५६ में भारत में सीमेंट का उत्पादन ४६.२८ लाख टन हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य १०० लाख टन रखा गया है जिसकी पूर्ति के लिये १२ नये कारखानों की स्थापना की जायगी। निम्नलिखित तालिका से भारत में सीमेंट के उत्पादन की प्रगति का पता चलता है —

वर्ष	उत्पादन (हजार टनों में)
१९५०	२६१२४
१९५१	३१८५६
१९५२	२५२८६
१९५३	२७८००
१९५४	४३६८०
१९५५	४४८६८
१९५६	४६२८४
१९५७	५६०१६

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भारत में कुछ सीमेंट के कारखाने अज्द्ये

स्थानों पर स्थित नहीं हैं। इन स्थानों पर कच्चा माल तो सुगमता से मिल जाता है परन्तु वे कारखाने कोयले की खानों से बहुत दूरी पर स्थित हैं। इस प्रकार के कुछ दोषों के कारण सीमेंट के उद्योग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है परन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इसका विकास उज्ज्वल है। परन्तु विकास मार्ग में कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनका हल उद्योग के हित में शीघ्र ही होना चाहिए। इन समस्याओं में प्रमुख कुछ कारखानों की गिरी हुई आर्थिक व्यवस्था, कुछ कारखानों का अलाभकारी होना उत्पादन एवं वितरण की ऊँची लागत, आन्तरिक स्पर्धा तथा वितरण क्षेत्र में अभिनवीकरण का अभाव इत्यादि हैं। इन सभी समस्याओं को सुलझाने के हेतु योजना कमिशन ने कुछ सुझाव भी दिये हैं जैसे —

(१) वर्तमान कारखानों का प्रसार करके उनके उत्पादन में वृद्धि करना।

(२) कार्य क्षमता में वृद्धि करने तथा लागत व्यय के कम करने के उद्देश्य से उद्योग को अपनी मशीनों का नवीनीकरण करना चाहिए।

(३) राज्य सरकारों को चाहिए कि वे दीर्घकालीन पट्टे देकर इस उद्योग की उन्नति में सहायता दें।

(४) देश में फालतू सीमेंट की मात्रा को ध्यान में रखकर विदेशों में भारतीय सीमेंट के लिए बाजारों की खोज करना चाहिये।

(५) अलाभकारी कारखानों को कम से कम एक न्यूनतम लाभकारी आकार तक प्रसार करना चाहिये।

उपरोक्त सुझावों को मान्यता प्रदान कर इस बात का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि इस उद्योग की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाये और यह उद्योग उन्नति के पथ पर भली प्रकार अग्रसर हो सके। हमारी राष्ट्रीय सरकार द्वारा योजनाओं के कार्यान्वित करने में अधिक सीमेंट की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हम इस उद्योग के भावी विकास की कल्पना सुगमता से कर सकते हैं।

Q 62—Trace the growth and present position of Paper Industry in India

उत्तर—भारत में इस उद्योग की उपयोगिता कम होने का मुख्य कारण है यहाँ की अधिकतर जनता का अनपढ़ होना। लेकिन भारत में इस उद्योग के लिये सभी आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध हैं और इस धन्धे के अच्छे विकास की सम्भावना भी है। भारत में कागज लकड़ी के गूदे, चिथड़े, तथा घास से बनाया जाता है। वर्तमान समय में इस काम के लिए घास का भी उपयोग किया जा रहा है।

क्रमिक विकास—यह उद्योग भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है। इस उद्योग का वास्तविक विकास मुसलमानों के शासकों द्वारा हुआ परन्तु इस उद्योग का आधुनिक स्वरूप ब्रिटिश अधिकारियों के आने से हुआ। लगभग एक शताब्दी पूर्व ईसाई धर्म प्रचारक विलियम कैरे ने कलकत्ता के निकट सीरपुर में इस उद्योग का

सूत्रपात किया। इसके बाद १८६७ में वैंली रायल पेपर मिल की स्थापना हुई परन्तु प्रारम्भ में इसे सफलता न मिली। इसके बाद ग्रपर इण्डिया पेपर मिल की लखनऊ (१८७६), टीटागढ़ पेपर मिल (१८७२), दकन पेपर मिल कम्पनी (१८८५), बंगाल पेपर मिल (१८८६), इम्पीरियल पेपर मिल्स (१८६२) इण्डियन पल्प कम्पनी (१९१८) कर्नाटक पेपर मिल राजमुन्त्री (१९२७) तथा जगाधरी में श्री गोपाल पेपर मिल की स्थापना हुई।

प्रथम महायुद्ध के काल तक देश में केवल ६ मिलें थी जिनकी उत्पादन क्षमता ३३०० टन थी। परन्तु १९२० में यह मात्रा ४३००० टन हो गई। इस काल में भारत को इस क्षेत्र में विदेशी के ऊपर निर्भर रहना पड़ना था। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने ही कागज उद्योग को विदेशी कागज उद्योग से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा जिससे इस उद्योग के सामने काफी मुसीबतें उत्पन्न हुईं। १९२५ में टैरिफ बोर्ड ने संरक्षण देने के अभिप्राय से मिलों की जाच पड़ताल की जिसके सिफारिश के आधार पर सरकार ने बांस कागज उद्योग विधान पास किया और इस उद्योग का संरक्षण काल ७ वर्ष रखा गया। इससे कागज उद्योग को अपनी स्थिति का पर्यवेक्षण करके उसके पुनर्निर्माण का सुअवसर मिला। इससे पूर्ण भारतीय कागज के कारखाने सर्वाई नामक घास का प्रयोग करते थे जिससे कागज की किस्म उत्तम नहीं होती थी। प्रब बांस की लुगदी बनाकर कागज बनने लगा। इस ढंग से बना हुआ कागज हर क्षेत्र में अच्छा था। इस काल में भारत में बाहर से बांस की लुगदी केवल कागज बनाने के लिए आने लगी। १९३१ में टैरिफ बोर्ड ने संरक्षण को पुनः दुहरा दिया। जिसकी सिफारिश के आधार पर १९३२ में सरकार ने बांस संरक्षण उद्योग विधान पास किया और लकड़ी का लुगदी पर भी प्रति टन ४५० रु० का संरक्षात्मक कर लगा दिया। इस संरक्षण से भारतीय कागज उद्योग को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। जिसका आभास हमको निम्न तालिका से होगा—

वर्ष	मिलों की संख्या	पूँजी	उत्पादन टन	मूल्य (लाख रुपयों में)
१९२२	८	८३	३१७८६	१५७
१९२९	६	११५	४३२०६	१७६
१९३६	१४	३७४	७०२७३	२६६

द्वितीय युद्ध और कागज उद्योग—युद्ध से पूर्ण अति उत्पादन एवं आयात स्पर्धा के कारण कागज उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने से उद्योग के विकास को अवसर मिला क्योंकि एक दम माग बढ़ गई जिससे अति उत्पादन का भय समाप्त हो गया। युद्ध काल में आयात बन्द होने एवं सरकारी माग के बढ़ने से इस उद्योग का बहुत अधिक लाभ हुआ। इससे प्रोत्साहित होकर नवीन पूँजी भी विस्तार के लिए लगाई जाने लगी। कुछ नये कारखानों का भी निर्माण हुआ जिनमें मुख्य 'घायन पेपर मिल्स लिमि०' तथा 'नेशनल पेपर बोर्ड लिमि०' का नाम उल्लेखनीय है। १९४४ में इस उद्योग के कारखानों की संख्या १६ थी। परन्तु युद्ध के समाप्त होते ही इस उद्योग की स्थिति असन्तोषजनक हो गई। आयात भी असुविधा, कोयले का अभाव, तथा श्रमिकों के भगडो एवं कच्चे माल के

अभाव का सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ा। उत्पादन के कम हो जाने से मूल्यों में वृद्धि हुई जिसके कारण सरकार को कागज के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ा। सरकार ने अपनी एवं सार्वजनिक उपभोग की मात्रा को नियत कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में चोरी से कागज विकने लगा और मूल्यों में चीगुनी से अधिक वृद्धि हुई।

विभाजन से बंगाल को मिलने की काफी क्षति उठानी पड़ी क्योंकि अब इन्हे कच्चा माल, बांस, घास मिलने में कठिनाई हो गई। पाक सरकार ने इन पर निर्यात कर लगा दिया इससे स्थिति और खराब हो गई। बंगाल मिलें ही भारत के कुल उत्पादन का ५० प्रतिशत भाग तैयार करती थी लेकिन अब इन्हे कच्चा माल देश के अन्य भागों से मगाना पड़ा। पहली अप्रैल १९४७ से कागज व लुगदी आयात पर से संरक्षण हटा लिया गया।

वर्तमान प्रगति—युद्ध काल में इस उद्योग ने प्रत्येक क्षेत्र में असन्तोषजनक प्रगति की। १९५१-५२ तक भारत में १७ कागज मिलें थी जिनकी उत्पादन क्षमता १३६००० टन थी। भारत में कागज का अधिकतर प्रयोग लिखाई और छपाई में किया जाता है। इसलिए भारत में इस कार्य के लिए कागज तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त लपेटने का कागज और गत्ता भी तैयार किया जाता है। भारत में जितने गत्ता बनाने के कारखाने हैं वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति का केवल ५० प्रतिशत गत्ता उत्पन्न कर पाते हैं। परन्तु वर्तमान समय में भारत में आज स्ट्राबोर्ड बनाने वाले १८ कारखाने हैं जिनका वार्षिक उत्पादन तीन लाख टन तथा उत्पादन क्षमता पाच लाख टन है, जबकि देशी भाग केवल पच्चीस हजार टन ही है। इस कागज के लिए भारत को युद्ध से पूर्व विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था परन्तु युद्ध के कारण पेपर बोर्ड बनाने को भी प्रोत्साहन मिला और आज भारत में पेपर बोर्ड बनाने वाला सबसे बड़ा कारखाना 'वी रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमि०' है। इसका वार्षिक उत्पादन २४००० टन है जो देशी माग के लिए पर्याप्त है। युद्ध ने क्राफ्ट पेपर को भी प्रोत्साहन दिया। ओरियन्ट पेपर मिल ने इस किस्म का कागज बनाना आरम्भ किया। इसका वार्षिक उत्पादन १२५१ मे १५००० टन तथा उत्पादन क्षमता १०००० टन थी। इस प्रकार कागज की विभिन्न किस्मों का निर्माण भारत में वर्तमान माग के अनुसार पर्याप्त है केवल न्यूजप्रिन्ट की कमी है। इस कमी को दूर करने के हेतु मध्य प्रदेश में नेपा मिल्स खोली गई है। निःसन्देह भारत में इस उद्योग की प्रगति धीरे २ हुई है परन्तु इस धीमी प्रगति ने भारत को इस क्षेत्र में आत्म निर्भर बना दिया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २००००० टन कागज और दफती और २७००० टन अलुमिनीय कागज बनाने का लक्ष्य रखा गया था जो सन् १९५६ के अन्त तक प्राप्त हो गया। १९५६ में २ लाख टन कागज बना था। १९५८ में न्यूजप्रिन्ट कागज के कारखाने का निर्माण किया गया परन्तु अभी उसकी उत्पादन शक्ति २० हजार टन है जबकि भारत में इसका वार्षिक आयात ५ करोड़ रुपया है। द्वितीय योजना के अन्त तक देश में ३५०००० टन कागज और ६०००० अलुमिनीय कागज

की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया और इसी आधार पर कागज और प्रख-
वारी कागज का उत्पादन ३५०००० टन और ६० हजार टन क्रमशः बरने का लक्ष्य
निर्धारित किया गया है। योजना में कागज उद्योग के विकास का विशेष ध्यान रखा
गया है इसके अनुसार पूर्व स्थित कारखानों का विकास तथा नवीन कारखानों का
निर्माण किया जायेगा। परन्तु आजकल देश में कागज का बहुत अभाव है। उत्पादन
और उपभोग की मात्रा में लगभग १४८००० टन का अन्तर है जो प्रतिवर्ष विदेशों
से आयात करना पड़ता है किन्तु हमारी राष्ट्रीय सरकार का औद्योगिक विकास
नीति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि १९७५ तक कागज आयात की मात्रा
में भारी कमी हो जायेगी।

निम्नलिखित तालिका से सन् १९५० के बाद भारत में कागज के उत्पादन में
हुई प्रगति का पता चलता है —

वर्ष	छपाई तथा लिखाई का कागज	पक बरने का कागज	विशेष प्रकार का कटा हुआ कागज	गत्ता	योग
१९५०	७०१५२	१४६१६	५१९६	१८८४८	१,०८८१२
१९५१	७६२६०	२४८८	३१२०	२४०४८	१,३९,९१६
१९५२	९१४२८	२१५४०	२८२०	२१७२०	१,३७,५०८
१९५३	९५६२८	३११४४	३००	१९५१२	१,३९,७०४
१९५४	१०२८७६	३४१५६	४८८८	२३५०८	१,४५,३२८
१९५५	११९४९६	२८३२०	५६०४	३१४६४	१,८४,८८४
१९५६	१२२९८८	३०९२४	५७७	३३७२०	१,९३,४०४
१९५७	१२६११६	३८०१६	७२००	३८४००	२,१०,९३२

उद्योग की समस्याएँ

कमीशन ने कागज उद्योग समस्याओं का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं —

- (१) यन्त्रों का आधुनिकीकरण—कागज के कारखानों में अधिकांशतः पुराने यन्त्रों का ही उपयोग हो रहा है जिससे उत्पादन कम होता है और व्यय अधिक होता है। आजकल कुछ कारखानों में आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त पूंजी लगाई गई है क्योंकि उत्पादकों ने यह अनुभव किया है कि आधुनिक यन्त्रों से पूरा लाभ उठाने के लिए कारखानों की उत्पादन क्षमता में न्यूनतम सीमा तक वृद्धि करनी होगी। इसके लिए कारखानों के अधिकांश यन्त्रों तथा कागज के निर्माण में आने वाली कुछ चीजों का अब तक आयात करना पड़ता है। इसलिए हमारे इजोनियरिंग उद्योग को शीघ्रता से इन कारखानों में प्रयोग होने वाले यन्त्रों का निर्माण करना चाहिये।
- (२) कच्चे माल की समस्या—यह समस्या इस उद्योग के लिए एक गम्भीर समस्या है। बाँस, सवाई घास, चिथड़े, रद्दी, कागज, चीनी की सीटी व अनेक रसाय-

निको का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है परन्तु इनसे जो कागज उत्पन्न होता है वह उत्तम नहीं होता। भारत में चीड़, देवदार व अन्य कौमल लकड़ी के वृक्षों की बहुतायत है जिसको अखबारी कागज एवं केमिकल पल्प बनाने के काम में लाया जा सकता है। अतः इस सम्बन्ध में वन अनुसन्धान शालाओं में अवेपण कार्य शीघ्रता से आरम्भ कर देना चाहिये। कच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध में योजना आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं —

(१) वनों में ऐसे वृक्षों की जो कागज उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं सुरक्षा की जाती चाहिये और इसके उद्योग के लिये उद्योग को दीर्घकालीन षट्टे दे दिए जाने चाहिये।

(२) यथायात की सुविधा के लिए वनों में सड़को का निर्माण करना चाहिए।

(३) कपड़ों की कतरन, पटसन, जूट तथा रद्दी कागज का निर्यात बन्द कर देना चाहिए।

(४) सवाई घास से केमिकल और मिकेनीकल पल्प बनाना चाहिये और बगासी घास (Bagasse) को अखबारी कागज बनाने में प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिये।

उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखकर देहरादून का 'फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टी-ट्यूट' इस दिशा में सहायनीय कार्य कर रहा है। इस प्रकार कागज उद्योग विकास पथ पर अग्रसर है। भारत विदेशों की दासता से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि भारत को इसमें सफलता मिल रही है और अब अन्य देशों की तुलना में यहाँ श्रेष्ठ कागज उत्पन्न होने लगा है। शिक्षा के विकास से इस उद्योग को अपनी उन्नति करने का और भी अवसर मिल रहा है। भारत में इस उद्योग का महत्त्व आर्थिक एवं सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से अधिक है।

अध्याय १७

औद्योगिक वित्त व्यवस्था

प्रश्न ६३—भारत में औद्योगिक वित्त-व्यवस्था की समस्या क्या है ? इस समस्या के समाधान के लिये हाल में सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं ? (पटना ५५; दिल्ली ५३; पंजाब ४८, राजपूताना ५६)

Discuss the problem of Industrial finance in India What do you know of the recent steps taken by the Government to solve this problem ? (Patna 55, Delhi 53, Punjab 48, Rajputana 56)

भारतीय उद्योगों की वित्त-व्यवस्था की समस्या एक अटिल समस्या है। उद्योगों की स्थापना तथा विस्तार के लिये बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। भारत में सर्व प्रथम तो पूँजी का अभाव है और जो पूँजी है भी उसे उद्योगों के विकास में लगाने के लिये कोई संगठित संस्थाएँ नहीं हैं। भारत में औद्योगिक बैंकों का विकास नहीं हुआ है और देश के व्यापारिक बैंक न तो इतने साधन रखते हैं कि उद्योगों की वित्त-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और न ही उन्हें इस कार्य में कोई रुचि है। यह समस्या केवल बड़े पैमाने के उद्योगों के सामन ही नहीं है बल्कि मध्यम आकार के तथा छोटे पैमाने के उद्योग भी इससे पीड़ित हैं। यदि उद्योगों को कहीं से कर्ज मिलता भी है तो उन्हें उस पर बहुत ऊँची दर से ब्याज देना पड़ता है। कभी कभी तो इस ब्याज की दर इतनी ऊँची होती है कर्ज का उद्योग को कोई आर्थिक लाभ ही नहीं रहता। भारत की विदेशी सरकार ने कभी इस समस्या के महत्व को नहीं समझा और इसके समाधान के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उत्पादकों को कच्चा माल खरीदने के लिये, वस्तु के उत्पादन व्यय को पूरा करने के लिये तथा अपने जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता होती है। जब तक उसका माल बनकर बाजार में बिक नहीं जाता उसे कर्ज पर निर्भर रहना पड़ता है।

इस कार्य के लिये उसे गाँव के महाजन का सहारा लेना पड़ता है जो उससे बहुत अधिक ब्याज वसूल करता है।

मध्यम आकार के उद्योगों को भी अपनी आवश्यकताओं के लिये साहूकारों अथवा व्यापारिक बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इनकी हालत भी उतनी ही खराब है जितनी छोटे उत्पादकों की है। देश में ऐसी साख संस्थाओं की आवश्यकता

है जो केवल उद्योगों के विकास के लिए साधन प्रदान कर सकें। इस प्रकार की समस्याओं के अभाव में उद्योगों का विकास तथा प्रगति सम्भव नहीं।

बड़े पैमाने के उद्योगों की हालत सबसे खराब है। उन्हें बड़ी मात्रा में दीर्घ काल तक के लिये कर्जों की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों में बहुत सी पूंजी स्थाई रूप से फँस जाती है जिसे फिर से प्राप्त करना कठिन है। बड़े उद्योगों के साधारण उत्पादन व्यय के लिए भी बड़ी मात्रा में धन चाहिये। इन उद्योगों को प्रायः निम्नलिखित साधनों से पूंजी प्राप्त होती है—

(अ) शेयर तथा डिबेन्चर (Shares and Debentures)

(ब) मैनेजिंग एजेन्ट्स (Managing Agents)

(स) व्यवहारिक बैंकों से उधार के रूप में।

(द) जनता से प्राप्त डिपोजिट्स द्वारा (Public deposits)

उपरोक्त सभी साधनों में से एक भी साधन उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाते। इनमें से प्रत्येक की सीमाएँ हैं। शेयर पूंजी एक सीमा से अधिक बढ़ाई नहीं जा सकती दूसरे विनियोगकर्ताओं (Investors) में अभी तक पूरी तरह इस प्रकार के विनियोग की भावना उत्पन्न नहीं हुई है। डिबेन्चर एक प्रकार का कर्ज है जिसे न तो कम्पनी पसंद करती है और न विनियोगकर्ता अच्छा ही समझते हैं। व्यापारिक बैंक भी दीर्घकाल के लिए अपनी पूंजी फसाना नहीं चाहते और न उनके पास इतना धन होता ही है। बैंकों से तो नकद (Cash credit) के रूप में अल्प काल के लिए कर्ज प्राप्त हो सकता है और वह भी दिन प्रतिदिन के ध्येय को पूरा करने के लिये अथवा उस समय तक के लिये जब तक कि मिल का बना हुआ सामान बाजार में बिक नहीं जाता।

भारतीय उद्योगों के विकास में तथा उनको आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करने में मैनेजिंग एजेन्ट्स का विशेष महत्व रहा है। मैनेजिंग एजेन्ट्स कम्पनियों के शेयर तथा डिबेन्चर खरीदते हैं, उन्हें चालू पूंजी (Working Capital) प्रदान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। यह सच है कि मैनेजिंग एजेन्ट्स प्रणाली ने भारतीय उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है किन्तु इस प्रणाली के गम्भीर दोष भी रहे हैं जिनके कारण इनकी आलोचना हुई है और यह एक बड़ा विवाद पूर्ण विषय रहा है कि इस प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिये अथवा इसे बनाये रखना चाहिये। साधारण मत यह है कि भारत में इस प्रणाली की आवश्यकता नहीं है तथा इसे समाप्त कर देना चाहिये।

जहाँ तक जनता के डिपोजिट्स का प्रश्न है यह कोई साधन नहीं है। बम्बई तथा अहमदाबाद की कुछ सूती मिलों ने इस प्रकार की सहायता प्राप्त की है किन्तु इसका दोष यह है कि रुपया जमा करने वाला जब चाहे वापिस निकाल सकता है। इस प्रकार धन को कम्पनी स्थाई विकास के कार्यों में प्रयोग नहीं कर सकती।

इस प्रकार अधिकांश श्रीद्योगिक कम्पनियाँ धन के अभाव से पीड़ित हैं।

मुख्य समस्या दीर्घकालीन कर्जों की है। चालू पूंजी (Working capital) की समस्या इतनी जटिल नहीं है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम—स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक अर्थ-प्रवन्ध के महत्व को पूरी तरह समझा और दीर्घकालीन साख की व्यवस्था के लिए १९४८ में औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) की स्थापना हुई। इस निगम की स्थापना के बाद भी निजी क्षेत्र के उद्योगों को साख प्राप्त करने में कठिनाइयाँ अनुभव होती रही। इस समस्या की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए १९५३ में सरकार ने शरोफ कमेटी (Shroff Committee) के नाम से एक विशेषज्ञ कमेटी की नियुक्ति की। इस कमेटी ने पूरी तरह जांच करने के पश्चात् कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

कमेटी ने मन प्रकट किया कि क्षीण साधन होने हुए भी व्यापारिक बैंकों को उद्योग के प्रति अधिक उदारता पूर्ण नीति अपनानी चाहिए और उन्हें प्रथम श्रेणी की कम्पनियाँ के शेयर तथा डिबेन्चर खरीदने चाहिये। साथ ही उन्हें उचित जमानत पर कर्ज भी प्रदान करने चाहिए। व्यापारिक बैंकों को औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) जैसी संस्थाओं के शेयर आदि खरीदने चाहिये और उनमें अपनी पूंजी का विनियोग करना चाहिए। इस कार्य में सुविधा प्रदायक के लिये रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) को चाहिए कि वह व्यापारिक बैंकों द्वारा इस प्रकार के विनियोग को सरकारी प्रतिभूतियों (Govt securities) के समान स्वीकार करे और व्यापारिक बैंकों को आर्थिक सहायता दे। उपरोक्त समिति ने औद्योगिक वित्त निगम को और अधिक क्रियाशील बनाने के विषय में भी आवश्यक सुझाव दिये हैं।

औद्योगिक वित्त निगम—जैसा ऊपर कहा गया है कि इस निगम की स्थापना १९४८ में हुई। इसका उद्देश्य उद्योगों की मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन पूंजी सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने की व्यवस्था करना है। निगम की अधिकृत पूंजी (Authorized Capital) १० करोड़ रुपया है जो ५ हजार रुपए के मूल्य के २० हजार शेयरों में विभक्त है। यह शेयर सरकार, रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, बीमा कम्पनी तथा अन्य वित्त संस्थाओं द्वारा खरीदे गये।

औद्योगिक वित्त निगम को स्थापित होने ६ वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। जून १९५६ तक निगम ने ४३.०१ करोड़ रुपए के कर्ज देने स्वीकार किए। निगम की कार्य प्रणाली में अनेक दोष भी देखने को आये हैं जिनके सुधार के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

ग्रन्थ संस्थाएं—औद्योगिक वित्त निगम के अतिरिक्त भारत सरकार ने कुछ अन्य वित्त संस्थाओं की स्थापना भी की है। १९५४ में राष्ट्रीय वित्त निगम (National Finance Corporation) की स्थापना की गई जिसकी पूंजी १ करोड़ रु० है। उद्योगों के नियोजित विकास के लिए यह निगम रुपया कर्ज देगा।

१९५५ में एक निजी कम्पनी (Private Limited Company) के रूप में भारतीय औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम (Industrial Credit

and Investment Corporation of India) की स्थापना की गई । इस संस्था की पूंजी २५ करोड़ रुपये है । ३५ करोड़ रुपये की पूंजी भारतीय बैंको बीमा कम्पनियों तथा अन्य भारतीय विनियोग कर्ताओं के हाथ में है । १ करोड़ रुपये की पूंजी इंग्लैंड के विनियोग कर्ताओं के हाथ में है और ५० लाख रुपये अमरीका के बैंको आदि ने लगाया है । भारत सरकार ने इन संस्था को व्याज रहित ७५ करोड़ रुपये का कर्ज दिया है । विश्व बैंक ने भी १ करोड़ डॉलर का कर्ज विभिन्न विदेशी मुद्राओं के रूप में कर्ज देने का वायदा किया है । यह संस्था निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास में सहायक होगी ।

१९५६ में छोटे पैमाने के उद्योगों को महायत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय छोटे उद्योग निगम (National Small Industries Corporation) की स्थापना की गई है जिसकी पूंजी १० लाख रुपये है ।

इस प्रकार हमें विदित होता है कि भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ सालों में उद्योगों की वित्त सम्बन्धी समस्याओं के लिये विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

प्रश्न ६४—भारत में वित्त निगमों की प्रगति पर प्रकाश डालिये । विशेष रूप से औद्योगिक वित्त निगमों के कार्यों की व्यवस्था कीजिये ।

Review the working of Finance Corporation in India with special reference to the Industrial Finance Corporation

उत्तर—स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से भारत में अनेक औद्योगिक वित्त निगमों की स्थापना की गई है । इन निगमों का उद्देश्य इस कमी को पूरा करना है जो बहुत समय से उद्योगों की वित्त सम्बन्धी समस्याओं का समाधान के लिए अनुभव की जा रही थी । इन वित्त निगमों द्वारा बड़े तथा छोटे सभी प्रकार के उद्योगों के विस्तार तथा विकास में सहायता प्रदान करना है ।

१९५८ में औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने के उद्योगों को दीर्घकालीन साख प्रदान करना था । इसके अतिरिक्त देश के १३ राज्यों में राज्य वित्त निगमों (State Finance Corporations) की स्थापना हो चुकी है जो मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को दीर्घकालीन साख प्रदान करते हैं । उद्योगों के विकास के लिए कारखानों की स्थापना तथा उनके नियोजन आदि की आवश्यकता पड़ती है । इस कार्य के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) स्थापित किया गया है । इसी प्रकार छोटे उद्योगों के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industrial Corporation) भी स्थापित किया गया है । निजी क्षेत्र के उद्योगों की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम (Industrial Credit and Investment) की स्थापना की गई । अब हम इनमें से प्रत्येक पर अलग अलग विवेचना करेंगे ।

औद्योगिक वित्त निगम— यह निगम १९४८ में स्थापित हुआ । इसकी अधि-

कुल पूजा १० करोड़ रुपए है। इसी म्यागना तथा संचालन में भारत सरकार का प्रमुख हाथ है। निगम के शेयर तथा $2\frac{3}{4}\%$ के आभाश (Dividend) की भारत सरकार की गारंटी है। निगम धन प्राप्त करने के लिए बांड (Bonds) तथा डिवेन्चर (Debenture) चालू कर सकता है जिनकी भारत सरकार गारंटी देती है। यह निगम राष्ट्रीय तथा प्रतिरक्षा के महत्व के उद्योगों की विशेष रूप से साख प्रदान करता है।

इस निगम को पूजा भारत सरकार, रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, बीमा कंपनियों तथा सरकारी बैंकों याटि के द्वारा प्रदान की गई है। कोई निजी व्यक्ति इसका शेयर नहीं खरीद सकता। निगम के निम्नलिखित कार्य हैं।

(अ) औद्योगिक संस्थाओं को ऋण देना तथा उनके डिवेन्चर खरीदना। इन कर्जों याटि का भुगतान २५ वर्ष के भीतर हा जाना चाहिये।

(ब) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा अन्य साधनों से जो कर्ज लिया जाये और जो २५ वर्ष के भीतर चुका दिया जाये ऐसे कर्जों की गारंटी देना।

१९५२ तक निगम कर्जों पर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत व्याज लेता था अब यह दर $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी गई है। शीघ्र ही भुगतान करने वालों को $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की छूट दी जाती है। १९५३ में औद्योगिक वित्त कानून में संशोधन किया गया जिसके अनुसार जहाजी कंपनियां भी निगम से कर्ज प्राप्त करने की अधिकारी हो गईं और कर्ज की सीमा ५० हजार से बढ़ाकर १ करोड़ कर दी गई। निगम रिजर्व बैंक से ३ करोड़ रुपए तक उधार ले सकता है। भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक निगम के मुनाफे में से अपना हिस्सा नहीं लेगे। यह धन एक सुरक्षित कोष में जमा कर दिया जाएगा। जब सुरक्षित कोष ५० हजार होगा तब यह अपने हिस्से का लाभ ले सकते हैं। १९५५ में इस कानून में पुनः संशोधन किया गया जिसके अनुसार ऐसी औद्योगिक संस्थाओं को भी कर्ज दिया जा सकता है जिन्होंने उत्पादन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। निगम भारत सरकार से भी रुपया उधार ले सकता है।

१९५० से १९५६ तक निगम ने ४३ २१ करोड़ रुपये के कर्जों की अनुमति दी। कित्त वास्तव में केवल १६ ७३ करोड़ रुपया कर्ज के रूप में दिया गया। चीनी, सूती वस्त्र, रसायन, कागज, सीमेंट, बिजली तथा अन्य कई उद्योगों को ६ करोड़ रुपये से अधिक कर्जों की अनुमति दी गई। चीनी उद्योग को ११ ५६ करोड़ रुपये के कर्ज की अनुमति दी गई है क्योंकि भारत सरकार की नीति देश में कई सहकारी मिलों की स्थापना करने की है।

औद्योगिक वित्त निगम को अपनी पूजा पर गारंटी किये हुये लाभों को बाटने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। निगम एक मजबूत सुरक्षित कोष स्थापित करने जा रहा है ताकि यदि किसी कर्ज की वसूली न हो सके तो उस घाटे को पूरा किया जा सके।

२ राज्य वित्त निगम (The State Finance Corporation)—
इस निगम की स्थापना से सम्बन्धित कानून १९५१ में पास किया गया। अब तक

इस प्रकार के १३ निगम स्थापित हो चुके हैं। वैसे तो यह निगम मुख्यतया मध्यम तथा छोटे पैमानों की सहायतार्थ स्थापित किये गये हैं किंतु कुछ राज्यों से बड़े पैमाने के उद्योगों को इनसे सहायता प्रदान हुई है। छोटे तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों को इन निगमों से कर्ज प्राप्त करने में कुछ कानूनी कठिनाइया अनुभव होती है जिन्हें पूरा करने के लिये कानून में १९५५ तथा १९५६ में कुछ संशोधन किये गये हैं।

कुछ राज्यों के उद्योग विभाग प्रत्यक्ष रूप से छोटे उद्योगों के लिये एक लाख तक का कर्ज प्रदान करते हैं। इसमें इन निगमों का कार्य क्षेत्र कुछ सीमित हो जाता है। इन निगमों के द्वारा उद्योगों की वास्तविक सेवा उभी समग्र हो सकती है जब इनमें कुछ आवश्यक सुधार किये जायें और इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाये।

८ राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation)—यह अखिल भारतीय स्तर का दूसरा वित्त निगम है जो १ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से १९५४ में स्थापित किया गया। इस निगम के कार्य चलाने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ५५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जिसमें से २०-२५ करोड़ रुपया सूती वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग के आधुनिकीकरण पर व्यय किया जायेगा और शेष नये आधारभूत तथा उद्योगों की स्थापना के लिये व्यय किया जायेगा।

विक्रम निगम के पास ऐल्कोहल ने नकली रबर बनाने की एक योजना है। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के मशीन उद्योगों के बारे में जांच की जा रही है। सरकार ने विक्रम निगम के अधीन दो महत्वपूर्ण कारखाने स्थापित करने का निश्चय किया है जिनमें से एक अखबारों कागज बनाने का कारखाना है जो हैदराबाद राज्य में स्थापित किया जायेगा और दूसरा एलमिनियम का कारखाना है जिसकी स्थापना मद्रास राज्य में होगी। इस निगम के लिये सरकार अनुदान तथा कर्ज के रूप में आर्थिक सहायता देती है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम तीव्र गति से प्रगति कर रहा है इसका कार्य क्षेत्र भी अधिक विस्तृत है। यह मार्वाजनिक क्षेत्र तथा मिश्रित क्षेत्र सभी प्रकार के उद्योगों को सहायता देती है। निगम स्वयं किसी योजना को चालू कर सकता है उसे अपने अधीन किसी कंपनी द्वारा चालू कर सकता है अथवा निजी पूंजी का साभेदारी में मिश्रित पूंजी वाली कंपनी स्थापित करके कार्य कर सकता है। नए कारखानों के लिये योजना तैयार करना इसका मुख्य कार्य है। इस कार्य के लिए निगम ने बहुत से विशेषज्ञों की नियुक्ति की हुई है। यह निगम उद्योगों की स्थापना, विकास नियोजन तथा वित्त व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में कार्य करता है। इस प्रकार इसका कार्य क्षेत्र औद्योगिक वित्त निगम के कार्य क्षेत्र से अधिक विस्तृत है।

औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम (Industrial Credit and Investment Corporation)—यह अखिल भारतीय स्तर का तीसरा निगम है जिसकी स्थापना १९५५ में की गई। यह निजी पूंजी द्वारा संचालित एक मिश्रित

पूँजी वाली कम्पनी है। भारत इंग्लैंड तथा अमेरिका के कुछ प्रमुख विनियोग कर्ताओं (Investors) द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय साधनों में वित्त की व्यवस्था करना है। इस निगम की अधिकृत पूँजी २५ करोड़ है। जिसमें से ५ करोड़ का पूँजी प्रदान की जा चुकी है। भारतीय बैंको, बीमा कम्पनियों तथा व्यक्तियों ने ३५ करोड़ रुपये का पूँजी प्रदान किया है तथा ५ करोड़ रुपये की पूँजी इंग्लैंड तथा १० लाख रुपये की पूँजी अमेरिका के बैंको आदि से प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने इस निगम को ७५ करोड़ रुपए का व्याज रहित बर्ज प्रदान किया है। विदेशी मुद्राओं के रूप में निगम को १ करोड़ डालर का बर्ज प्रदान करने की अनुमति दी है।

इस निगम के निम्नलिखित कार्य हैं—

(अ) निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना, विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता देना।

(ब) इन उद्योगों में भारतीय तथा विदेशी पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहन देना।

(स) देश के विनियोग बाजार (Investment Market) के विस्तार में सहायता देना।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation)—इस निगम की स्थापना १९५५ में हुई। जिन उद्योगों में ५० से अधिक व्यक्ति काम नहीं करते और जिनकी पूँजी ५ लाख से कम है उन उद्योगों की स्थापना तथा विकास में सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह निगम एक निजी लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापित हुआ है और इसकी सम्पूर्ण १० लाख रु० की पूँजी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। निगम को सरकार के बर्जों के रूप में सहायता मिलान की आशा है। छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में इस निगम के वे ही कार्य हैं जो बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में विकास निगम के हैं। इस निगम के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं।

(अ) छोटे उद्योगों द्वारा की हुई वस्तुओं के लिए सरकार में आर्डर प्राप्त करना।

(ब) उन्हें बर्ज तथा टैक्नीकल सहायता प्रदान करना।

(स) छोटे बड़े पैमाने के उद्योगों में समन्वय स्थापित करना।

(द) छोटे उद्योगों को बैंको आदि से जो बर्ज प्राप्त हों उनकी गारन्टी देना।

इस निगम ने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास केन्द्रों पर अपनी शाखाएँ स्थापित की हैं। इनकी स्थापना से निगम के कार्य क्षेत्र में और अधिक विस्तार होने की सम्भावना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों तथा मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों के समान विकास के उद्देश्य में इन वित्त निगमों की स्थापना की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है।

प्रश्न ६५—भारत में विदेशी पूंजी के प्रयोग के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क पेश करें। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नीति है? अपने सुझाव दीजिए।
(वाराणसी ५४, दिल्ली ५६, ५०, पंजाब ५६, ४८)

Discuss the case for and against the employment of foreign Capital in India. What policy has been adopted by the Government of India in this respect? Give your own suggestions

(Varanasi 54, Delhi 56, 50, Punjab 56, 48)

भारत में पूंजी की आवश्यकता

भारत एक निपटन देश है। देश को आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से देश के औद्योगीकरण के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है जो देश के अन्दर उपलब्ध नहीं है। एक ओर तो देश में पूंजी का संचय बहुत ही कम होता है दूसरे विनियोग करने वाली वित्त सस्थाओं जैसे बैंक आदि का देश में समुचित विकास नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतीय पूंजीपति सदैव से उद्योगों की स्थापना के लिये अपनी पूंजी का विनियोग करने में उदासीन रहे हैं। इसलिये भारत के औद्योगिक विकास में विदेशी पूंजी का महत्वपूर्ण योग रहा है और प्रागे भी रहेगा हालांकि परिस्थितियाँ पहले से बहुत कुछ बदल गई हैं और सरकार की नीति भी इस विषय में कुछ कठोर हो गई है।

१९४८ में रिजर्व बैंक द्वारा भारत में लगी हुई विदेशी पूंजी के बारे में जांच की गई जिससे पता चला कि देश में कुल मिलाकर ५९६ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। इसमें से ३७६ करोड़ रुपये इंग्लैंड से प्राप्त हुए। १९५४ में रिजर्व बैंक द्वारा इस विषय में नये सिरे से जांच की गई जिसके अनुसार ३१ दिसम्बर १९५३ को भारत में कुल ४२१ करोड़ रुपए की पूंजी थी। इसमें से २५० करोड़ इंग्लैंड से, तथा ३१ करोड़ अमरीका की वित्त सस्थाओं द्वारा विनियोग की गई थी। भारत में विदेशी पूंजी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क पेश किये जाते हैं—

विदेशी पूंजी के लाभ

भारत में विदेशी पूंजी के जो समर्थन हैं वे इसके निम्नलिखित लाभ बताते हैं—

(१) भारत जैसे देश में प्राकृतिक साधनों की कोई कमी नहीं है किन्तु उनका पूरी तरह विकास करने के लिये बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है जो देश के अन्दर उपलब्ध नहीं है। इसलिये विदेशी पूंजी को देश को विशेषरूप से आवश्यकता है। यदि विदेशी पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो देश का आर्थिक विकास कई साल पीछे हट जाएगा।

(२) विदेशी पूंजी से देश की स्थायी सम्पत्ति बढ़ती है जैसे रेलें, सिंचाई के साधन बिजली घर तथा डाम (Dams) इत्यादि। इनके निर्माण से स्थाई रूप से देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और देश के औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी।

(३) विदेशी पूजा के साथ साथ उत्पादन क नय नरीके तथा नवीनतम टैक्निकल जानकारी (Technical knowledge) भी देश को प्राप्त होती है । और देश इस क्षेत्र म अन्य नरतिशील देशों के साथ होड कर सकता है ।

(४) नये उद्योगों की स्थापना क समय शुरु म जा जोखिम होते हैं उहे विदेशी पूजा सहन कर लेती है । उद्योग की स्थापना तथा सफलता के बाद देश की पूजा जोखिम के उन उद्योगों म लगाई जा सकती है और उनका लाभ प्राप्त किया जा सकता है ।

(५) भारत मे दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये भारी सख्या मे मशीनो आदि का आयात करना है । इस कार्य के लिए बहुत अधिक मात्रा म विदेशी मुद्रा चाहिए जो साधारण उपायों से प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिये या तो भारत को विदेशों से कर्ज के रूप म पूजा प्राप्त करना है या विदेशी पूजा के विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी नीति मे कुछ संशोधन करना है । यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है । प्रत्येक दशा मे भारत मे विदेशी पूजा का आना योजना की सफलता के लिये आवश्यक है ।

विदेशी पूजा के दोष

वैसे तो देश मे विदेशी पूजा के विनियोग से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं किन्तु इसमे कुछ भय भी हैं इसलिये विदेशी पूजा के पक्ष मे निर्णय करने से पूर्व इसके दोषों पर विचार कर लेना भी परम आवश्यक है । यह दोष निम्न लिखित हैं —

(१) विदेशी पूजा के कारण देश मे बहुत सा धन लाभ तथा व्याज के रूप मे विदेशों को चला जाता है । इस प्रकार देश कमाया हुआ धन देश के नाम नहीं आता ।

(२) विदेशी पूजा के कारण देश की स्वाधीनता खतरे मे पड जाती है । आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्र मे देश अन्य देशों के आधीन हो जाता है और अपनी स्वतन्त्र नीति पर चलने मे उसे कठिनाई होता है ।

(३) विदेशी लोग ऊचे पदों पर अपने देशवासियों को नियुक्त करने हैं तथा उन्हें बहुत अधिक वेतन दिया जाता है । भारतीय कर्मचारियों को प्रगति करने का अवसर प्राप्त ही नहीं हो पाता । इस प्रकार देश के कर्मचारी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों को सी ने मे असमर्थ रहते हैं ।

(४) यदि देश के आधारभूत उद्योगों पर विदेशी पूजा का एकाधिकार हो तो उससे देश की सुरक्षा तथा आर्थिक हितों को बड़ी हानि पहुँचती है ।

हमारा मत सी वर्ष का अनुभव यह बताता है कि भारत को विदेशी पूजा के कारण कितनी हानि पहुँची है । किन्तु इसका एक कारण विदेशी सरकार भी थी जो देश के हित म विदेशी पूजा का समुचित विधायन नहीं कर सकी । इस समय देश के सामने फिर यह प्रश्न है कि भारत के औद्योगिक विकास के लिये किस सीमा तक

तथा किन शर्तों के साथ विदेशी पूंजी का प्रयोग किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि विदेशी पूंजी के बिना कम समय में देश का औद्योगीकरण सम्भव नहीं है। इस कर्ज के लिये विदेशी पूंजी को कर्ज के रूप में प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक है क्योंकि उसका प्रयोग भारतीय प्रबन्ध में देश की आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है तथा विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को रोक दिया जा सकता है। रम विषय में भारत सरकार की वर्तमान नीति इस प्रकार है।

सरकार की वर्तमान नीति विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में भारत सरकार ने १९४२ में अपनी स्पष्ट नीति की घोषणा की। सरकार ने देश के औद्योगीकरण के लिए विदेशी पूंजी के महत्व को स्वीकार किया किन्तु इस बात को स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि भारत सरकार की अनुमति तथा जाच एडताल के बिना विदेशी पूंजी देश में नहीं आ सकती। इसी के साथ साथ जहाँ तक सम्भव होगा विशेष रूप से स्वामित्व तथा व्यवस्था का प्रभाव भारतीयों के हाथ में रहेगा और इस बात पर जोर दिया जायेगा कि भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण की पूरी सुविधाएँ प्राप्त हों।

१९४६ में प्रधान मंत्री ने नीति की घोषणा करते समय इसमें कुछ संशोधन कर दिए। उन्होंने विदेशी विनियोग कर्ताओं को निम्नलिखित आश्वासन दिये।

(१) विदेशी विनियोग कर्ता भारतीय विनियोग कर्ताओं के समान समझे जायेंगे तथा उन्हें लाभ अथवा अपनी पूंजी को देश से बाहर भेजने के लिये उचित सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। इसके लिये देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति यदि अनुकूल होगी तो कोई विशेष पाबन्दी नहीं लगाई जायेगी।

(२) वर्तमान स्थिति में सरकार का उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार नहीं है और यदि ऐसा किया गया तो उसके लिए उचित हर्जाना दिया जायेगा।

(३) जहाँ तक देश की सामान्य औद्योगिक नीति का प्रश्न है देशी तथा विदेशी पूंजी में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं बरता जायेगा।

इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि विदेशी पूंजी भारतीय पूंजी के साथ में कार्य करेगी और इस प्रकार के उद्योगों का संचालन तथा व्यवस्था में भारतीयों का प्रमुख हाथ रहेगा। जो विदेशी पूंजियाँ पहले से ही देश में कार्य कर रही हैं उन्हें पहली जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी किन्तु शर्त यह होगी कि भारतीय हितों के विरुद्ध किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगी और प्रत्येक श्रेणी के भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए हर प्रकार का सुविधाएँ प्राप्त करेंगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत सरकार की वर्तमान नीति विदेशी पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहन देने वाली है। इस नीति के फलस्वरूप देश में इस प्रकार की कई कंपनियों की स्थापना हुई है जिसमें भारतीय तथा विदेशी उद्योगपतियों की साझेदारी है। उदाहरण के लिये मोटरकार बनाने के लिये बिडला ज्यूकील्ड तथा साईकिल बनाने के लिये सेन रॉले आदि की कई संस्थाएँ स्थापित हुई हैं।

इस नीति के होते हुये भी भारत में विदेशी पूंजी का विनियोग उतना अधिक नहीं हुआ है जितनी आशा की जाती थी। इसका एक कारण यह भी है कि भारत सरकार ने देश में समाजवादी अर्थ व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की है जिसका अर्थ यह है कि धीरे-२ सभी प्रमुख उद्योग धन्धों का राष्ट्रीयकरण होगा। राष्ट्रीयकरण के भय से विदेशी विनियोगकर्ता अपनी पूंजी को भारत में लगाने से डरते हैं। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से निजी उद्योगों का कार्य क्षेत्र तथा उनका भविष्य बहुत कुछ अन्धकार में हो गया है।

हम आशा करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में अपनी नीति को कुछ और अधिक उदारपूर्ण बनाना चाहिये किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि देश में बिना किसी प्रकार के नियन्त्रण के विदेशी पूंजी को आने दिया जाये। इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।



अध्याय १६

कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योग

प्रश्न ६७—भारत की अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में बड़े पैमाने अथवा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास अधिक उपयोगी होगा ?

(आगरा १९५४, पटना १९५२)

अथवा

विशाल, लघु तथा अन्य उद्योगों का वर्तमान परिस्थितियों में एक साथ विकास होना चाहिये ।

(आगरा १९५६)

In the present condition of Indian Economy state whether the development of large or small scale industries is more necessary ?

(Agra 54, Patna 52)

Or

Heavy, small and other industries—all need to be developed at the same time in India in the present conditions. (Agra 56)

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि के सहारे ही अपने जीवन का निर्वाह करती है। यह सब जानते हैं कि भूमि इतनी बड़ी जनसंख्या के भार को सहन नहीं कर सकती इसलिये उद्योग धंधों का विकास देश के लिये जरूरी है ताकि अतिरिक्त जनसंख्या को रोजगार मिल सके और भारतीय जनता का रहन सहन का स्तर ऊँचा उठाया जा सके। यहाँ प्रश्न यह है कि देश की अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास अधिक हितकर रहेगा अथवा छोटे तथा कुटीर उद्योगों का। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति हमें स्पष्ट रूप से विदित है और विकास की दो पंचवर्षीय योजनाएँ भी हमारे सामने धा चुकी हैं। फिर भी हम इस प्रश्न के दोनों पहलुओं पर अलग अलग विचार करेंगे।

भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास—जहाँ तक बड़े पैमाने के उद्योगों का प्रश्न है उनके विकास के बिना देश आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता। आज के युग में उन्नति और शक्ति की पहचान ही है कि देश औद्योगिक क्षेत्र में अन्य देशों से आगे हो। इसलिये बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास तो आवश्यक है ही किन्तु देखना यह है कि वर्तमान स्थिति में कौन से उद्योग लगाना उचित होगा। यह स्पष्ट है कि बड़े पैमाने के उद्योगों को लगाने के लिये बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है और हमारे देश में पूँजी का अभाव है इसलिये बहुत सारे कारखानों को लगाने के लिए २० या २५ वर्ष का समय चाहिये। फिर इतने कारखाने किस चीज के लगाये

जावें जो इस तटनी हुई जनसंख्या को पूर्ण रोजगार प्रदान कर सकें। बड़े कारखानों को लगाने के लिए भारी मशीनों भी विदेशों से आयात करनी पटनी हैं जिनके लिये विदेशी विनिमय की भी समस्या हमारे सामने है। अतः हम पूरी तरह बड़े पैमाने के उद्योगों की बात तो सोच भी नहीं सकते। उनका हमारी अर्थ व्यवस्था में उतना ही महत्व है जितना कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों का है। इसलिये हम वर्तमान समय में उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करने वाले बड़े पैमाने के उद्योगों पर अधिक धन व्यय नहीं करना चाहिये। उदाहरण के लिए कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई मिल लगाने की आवश्यकता नहीं है। इनके स्थान पर ऐसे उद्योगों को लगाने की आवश्यकता है जिनका देश की सुरक्षा के लिये महत्व है अथवा अब तक जिनका देश में पूरी तरह अभाव रहा अथवा जो भविष्य के औद्योगीकरण के लिए आवश्यक हैं। इन श्रेणियों में लोहा तथा इस्पात उद्योग, सीमेंट, भारी मशीनें भारी रसायनिक पदार्थ, बिजली का भारी सामान, कोयला, रेल के इंजन, मोटर तथा ट्रैक्टर, पानी के जहाज तथा हवाई जहाज आदि शामिल हैं। इन उद्योगों की उत्पत्ति से भारत को विदेशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी और देश स्वाभिमान पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेगा।

भारत सरकार की औद्योगिक नीति भी कुछ कुछ इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसी प्रकार के उद्योगों को दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है।

भारत में छोटे तथा मध्य पैमाने के उद्योगों का विकास—जैसा कि हमें विदित है छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योगों का भी भारतीय अर्थ व्यवस्था में विशेष महत्व रहा है और अब भी है इसलिए इनके विकास की ओर पूरी तरह ध्यान दिया जा रहा है। यह सच है कि २० वीं शताब्दी में जब अणु शक्ति और राकेट की होड़ चल रही हैं कुटीर उद्योगों की बात करना हीनता तथा दुर्बलता की निशानी है किन्तु भारत के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। हमारे देश में जनसंख्या की अधिकता है और पूँजी का अभाव है अतः हमें अपने विकास के लिये पूँजी की कमी को मानव शक्ति से पूरा करना चाहिये जो कुटीर तथा सघु स्तरीय उद्योगों के विकास के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को पूरी तरह रोजगार दिलाने तथा कृषि से जनसंख्या के भार को कम करने का भी यही एक मात्र उपाय है।

प्रत्येक देश की अपनी समस्याएँ हैं और उन्हीं के अनुसार उपाय सोचे जाते हैं। यूरोप तथा अमरीका आदि देशों में पूँजी की अधिकता है और मानव शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए इस प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया गया है जो मानव शक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकें। किसी समय से चहा भी छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्व रहा है। भारत की स्थिति उनसे बिल्कुल भिन्न है। हमारे देश में मानव शक्ति के पूरी तरह उपयोग करने का प्रयत्न है ताकि हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके और देश से गरीबी दूर हो। इस समस्या का एक ही उपाय है और वह यह कि पूँजी के स्थान पर यथासम्भव धम का प्रतिस्थापन किया जावे अर्थात्

कुटीर उद्योगों के समुचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जायें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्न भी इसी बात पर आधारित थे। वे बड़े कारखानों के अधिक पक्ष में नहीं थे।

भारत की अर्थ-व्यवस्था में दोनों प्रकार के उद्योगों का महत्व—उपरोक्त विवेचना के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देश की अर्थ व्यवस्था का निर्माण इस प्रकार हो कि सब प्रकार के उद्योग एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें। उनमें किसी प्रकार की स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न बड़े अथवा छोटे उद्योगों का नहीं है बरन् बड़े और छोटे उद्योगों का है। बड़े पैमाने के उद्योग देश की मजदूरी के लिए आवश्यक हैं और छोटे उद्योग बेरोजगारी दूर करने तथा उपभोग की वस्तुओं की वर्तमान कमी को दूर करने के लिये आवश्यक है। दोनों का अपना अलग महत्व है और इनका कार्य क्षेत्र भी प्रथक होना चाहिए।

कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में अनेक बाधाएँ हैं। इनके द्वारा बनी हुई वस्तुएँ उतनी उत्तम श्रेणी की नहीं होती हैं जितनी मिलों में बनी हुई वस्तुएँ होती हैं। दूसरे इनकी उत्पादन लागत भी अपेक्षाकृत अधिक आती है इसलिये उपभोक्ता इन्हें पसन्द नहीं करते। इन वस्तुओं के विक्रय के लिये बाजारों की तलाश करना और उनका विस्तार करना एक भारी समस्या है। यह तभी हो सकता जब हम या तो उपभोक्ता की मनोभावनाओं में परिवर्तन कर दें जैसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी आन्दोलन द्वारा किया था या इन वस्तुओं का मिलों द्वारा निर्माण बिल्कुल बन्द करा दे और अनुसंधान द्वारा इनकी कार्यक्षमता तथा कार्य कुशलता को बढ़ाने का प्रयत्न करें। सरकार इस समस्या को अनुभव करती है और इस के समाधान के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति जिसकी घोषणा १९४८ तथा १९५६ में की गई थी उसमें सभी प्रकार के उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया है और उन्हें देश की अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है।

वैसे तो यह बात बड़ी अजीब सी मालूम होती है कि बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ साथ छोटे पैमाने के उद्योग किस प्रकार पनप सकते हैं किन्तु भारत के लिये नितान्त आवश्यक है और इसके बिना देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।

प्रश्न ६८—भारत के प्रमुख कुटीर तथा लघु स्तरीय उद्योगों तथा उनकी वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। उनकी उन्नति के लिये सुझाव दीजिए।

Enumerate the important cottage and small scale Industries of India and discuss their present position ? Give suggestions for their improvement ?

भारत में प्राचीन काल से कुटीर उद्योगों का महत्व रहा है और आज भी है। समय के साथ इनमें परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। बहुत से उद्योगों का पतन हो गया और बहुत से नये उद्योगों का देश में जन्म हुआ है। बहुत से ऐसे उद्योग

भी हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और आज तक जीवित हैं यद्यपि उनकी स्थिति में काफी परिवर्तन हो गये हैं, देश की सरकार कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों के पुनर्निर्माण का प्रयत्न कर रही है ताकि वे एक बार फिर भारत की अर्थव्यवस्था में गौरवपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकें। भारत के प्रमुख कुटीर उद्योग निम्नलिखित हैं—

(१) हाथ कर्घा उद्योग—यह प्राचीन काल से भारत का सबसे महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग रहा है। एक समय या जब समस्त ससार में भारत का बना कपड़ा प्रसिद्ध था। आज भी देश के लाखों आदमी इस उद्योग में कार्य करते हैं। भारतीय ग्रामों की जनता आज भी हाथ का बना मोटा कपड़ा ही पहनती है। हाथ कर्घा उद्योग को सूती मिलों से बने हुये कपड़े की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। महात्मा गांधी के स्वदेशी आन्दोलन से इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला। जबसे देश आजाद हुआ है तबसे कांग्रेस सरकार इस उद्योग की उन्नति के लिये विशेष रूप से प्रयत्न कर रही है। अखिल भारतीय हाथ कर्घा बोर्ड (All India Handloom Board) की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है। हाथ के बने कपड़ों पर ३ आने रुपए की छूट त्वरीदारों को दी जाती है। तथा मिलों के बने कपड़ों पर १ पैसे प्रतिगज की दर से कर (cess) बसूल किया जाता है। यह आय लगभग ६ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष है जो हाथ कर्घा उद्योग के विकास पर व्यय की जावेगी।

भारत सरकार अम्बर चखें को विशेष रूप से लोक प्रिय बनाने का प्रयत्न कर रही है। अम्बर चखें के प्रयोग से उत्पादन व्यय कम हो जाता है और लाखों आदमियों को आर्थिक लाभ पहुँच सकता है।

(२) ऊन उद्योग—यह भी एक प्राचीन उद्योग है। वैसे तो यह उद्योग समस्त देश में पाया जाता है किन्तु भेड़ें पालने का काम पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होता है इसलिए वही इसका अधिक महत्व है। पहाड़ी क्षेत्रों में हजारों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। ऊन के कम्बल, शाल, नन्दे, धुलमे तथा अन्य बहुत सी वस्तुएँ सारे देश में प्रयोग में लाई जाती हैं। काश्मीर राज्य, हिण्वाचल प्रदेश, कुमायूँ की पहाड़ियाँ इसके प्रमुख केन्द्र हैं। पंजाब के कुछ जिले भी इसके लिये प्रसिद्ध हैं। सरकार खादी तथा हाथ कर्घा उद्योग की भाँति इसके विकास के लिये भी विशेष रूप से प्रयत्न शील है।

(३) रेशम उद्योग—रेशम उद्योग के अन्तर्गत शहलूत के पेड़ लगाना, रेशम के कीड़े पालना, रेशम को साफ करना तथा उससे कपड़ा बुनना आदि शामिल हैं। यह भारत का बहुत पुराना उद्योग है। बीच में इसका पतन हो गया था। आजकल काश्मीर राज्य, बंगाल तथा मंसूर राज्य इसके मुख्य केन्द्र हैं। पटिया श्रेणी का रेशम आसाम तथा बिहार राज्यों में भारी मात्रा में तैयार होता है। भागलपुर तथा मुसिदाबाद इसके लिये प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस की रेशम की साड़ियाँ देश भर में प्रसिद्ध हैं। नकली रेशम के मुकाबले असली रेशम उद्योग को सरकार

द्वारा सरक्षण प्रदान किया गया है। सरकार इस विषय में विशेष प्रयत्न कर रही है जिससे कि इस उद्योग का पूरी तरह विकास हो सके।

(४) शहद उद्योग—शहद बहुत उपयोग की वस्तु है। इसके लिये मधु-मक्खी को पालना पड़ता है। इस कला की अब बहुत उन्नति हो गई है। बहुत कम पूजी से और थोड़े से प्रशिक्षण के बाद इस उद्योग को कोई भी व्यक्ति चालू कर सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसका विशेष महत्व है। सरकार ने इसके अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए अनेक केन्द्र खोल रखे हैं। काश्मीर, उत्तर प्रदेश मद्रास, बम्बई, पंजाब तथा अन्य राज्यों में इस उद्योग ने काफी प्रगति की है।

(५) गुड़ तथा खाडसारी उद्योग—यह भी एक ग्राम उद्योग है। भारतीय किसान गन्ने से गुड़ तथा खाड तैयार करते हैं। जिन राज्यों में ताड के पेड़ अधिक मात्रा में पाये जाते हैं वहाँ ताड से गुड़ बनाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गुड़ बनाने का तरीका बहुत पुराना और दोषपूर्ण है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। उत्तम प्रकार के कोल्हू प्रयोग में लाए जाव और नवीन विधि से गुड़ बनाया जावे। यह उद्योग चीनी उद्योग के पूरक के रूप में है। देश में चीनी की कमी को गुड़ द्वारा पूरा किया जाता है। देहात के लोग आज भी गुड़ खाना ही पसन्द करते हैं। प्रथम तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में इस उद्योग के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

(६) चमड़ा उद्योग—चमड़े का पकाना, रगना तथा जूते आदि बनाना भारत का एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। देहातों में कुआ से पानी निकालने वाले चरस, पानी भरने की मशक, घोड़े की जीन चमड़े की अटेची आदि वस्तुएँ बनाई जाती हैं। चमड़े के कारखानों की स्थापना से इस उद्योग का महत्व कोई कम नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में आगरा तथा कानपुर इसके प्रमुख केन्द्र हैं। वैसे तो हर नगर तथा ग्राम में इस कार्य को करने वाले लोग मिलते हैं। भारत सरकार का इस सरकार से जो व्यापार समझौता हुआ उसमें भारत से कई लाख जोड़े जूतों का निर्यात भी शामिल था। सरकार इस उद्योग की और अधिक उन्नति के लिए हर प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कर रही है।

(७) दिमाकलाई उद्योग—यह कार्य कुटीर उद्योग के रूप में अभी हाल ही में शुरू किया गया है। अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के तत्वाधान में यह उद्योग काफी प्रगति कर रहा है। १९५६ में इस प्रकार के ३७ कारखाने चल रहे थे। यह उद्योग मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, बम्बई, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्य में स्थापित किए गए हैं। दूसरी योजना में इनके और अधिक विस्तार पर जोर दिया जायेगा।

(८) खेल का सामान बनाने का उद्योग—यद्यपि यह उद्योग बहुत अधिक लोक प्रिय नहीं है किन्तु कुछ राज्यों में इसका विशेष महत्व है। अखिल भारत में स्यालकोट का बना हुआ खेल का सामान भारत से बाहर भेजा जाता था और काफी प्रसिद्ध

था। पाकिस्तान बनने के बाद से यह उद्योग पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में स्थित हो गया है सरकार के सहयोग से काफी उन्नति कर रहा है।

(६) बांस का सामान बनाने का उद्योग.—भारत में भारी संख्या में बांस के जंगल पाए जाते हैं। बांस एक उपयोगी पेड़ है जिससे अनेक प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन में बांस का बहुत प्रकार से प्रयोग होता है। शहरी जनता की उपयोग की अनेक सुन्दर वस्तुएँ जैसे टोपरी, मेज, कुर्सी, हाथ के पखे इत्यादि बांस से बनाये जाते हैं। जापान जैसे देश में बांस से अत्यन्त कलायुक्त वस्तुएँ बन ईं जाती हैं। भारत में अभी यह उद्योग इतनी उन्नति नहीं कर सका है। भारत जापान से इस विषय में बहुत कुछ सीख सकता है। बांस से कागज बनाने की सभावना पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और अनुसन्धान का कार्य चल रहा है। आशा है यह भविष्य में एक महत्वपूर्ण भारतीय उद्योग बन जावेगा।

(१०) तेल पेलने का उद्योग—यह भी एक अति प्राचीन उद्योग है जो प्रायः सभी ग्रामों और शहरों में प्रचलित है। पुराने ढंग के कोल्हू लगाकर सरसों आदि का तेल पला जाता है जो खाने के तथा और कामों के लिये प्रयोग में आता है। इस बात का प्रयत्न किया गया है कि नये ढंग के कोल्हू लगाने जायें ताकि उद्योग की उत्पादन शीलता में वृद्धि हो और उत्पादन लागत कम आवे।

(११) मिट्टी के बर्तन बनाना—यह भी भारत का प्राचीनतम उद्योग है। लगभग प्रत्येक घर में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता है। गर्मी के मौसम में सुराही तथा घड़े का पानी कौन नहीं पीता। गरीब लोग को तो घातु के बर्तन नसीब ही नहीं होते।

पुराने ढंग के मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त चीनी-मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग भी देश में बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनार नामक स्थान पर चीनी मिट्टी का उद्योग विशेष प्रगति कर रहा है।

(१२) नीम का साबुन बनाने का उद्योग—अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (All India Khadi and Village Industries Board) ने जिन दस उद्योगों को अपने आधीन लिया है उनमें से एक यह भी है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना के काल में १२६० मने नीम का तेल और ७२ टन साबुन बनाने की योजना थी।

नीम के साबुन के अतिरिक्त कपड़े धोने का साबुन भी भारत में कुटीर उद्योग के रूप में काफी लोकप्रिय है। जितना साबुन बड़े कारखानों से बनकर आता है उससे ज्यादा खपत हाथ में बने हुये साबुन की है। राज्य सरकारें इस उद्योग की उन्नति के लिये हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रही हैं।

(१३) मछली पकड़ने का उद्योग—यह उद्योग विशेष रूप से उन राज्यों तक सीमित है जो समुद्रतट के निकट हैं जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास, केरल तथा उड़ीसा इत्यादि। अभी तक इस उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास नहीं हुआ है। सरकार ने मछली पकड़ने के उद्योग के विकास की सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत भी

शामिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मत्स्य पालन विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। योजना यह है कि तालाबों तथा भीलों में मछली पालने के काम को प्रोत्साहन दिया जावे। जबकि देश में खाद्य संकट है मछली उद्योग के विकास से खाद्य समस्या कुछ हद तक दूर हो सकती है।

कुटीर उद्योगों को उन्नति के लिए सुभाष

कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों के विकास के लिये सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित सुभाषों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है —

(१) सामान्य तथा टैक्निकल शिक्षा का प्रसार—भारत में दोगे प्रकार की शिक्षा की कमी है। कुटीर उद्योगों में काम करने वाले कारीगर पुराने तरीकों से उत्पादन का कार्य करते हैं। टैक्निकल शिक्षा के लिये अलग स्कूल खोले जाने चाहिये। इस ओर सरकार का ध्यान तो है किन्तु अब तक की प्रगति बहुत मन्द गति से हुई है।

(२) नवीन तथा सुधरे हुए औजारों की व्यवस्था—सरकार को नए ढंग के तथा सुधरे हुए औजारों और छोटी मशीनों के निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए और इस बान की व्यवस्था करनी चाहिए कि कारीगरों को सस्ते मूल्य पर आसानी से उप ब्य हो सकें।

(३) विज्ञापन तथा बिक्री की उचित व्यवस्था—कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विज्ञापन तथा बिक्री की व्यवस्था का कार्य किसी संगठित संस्था द्वारा किया जाना चाहिए। सरकार इस कार्य में महत्वपूर्ण योग दे रही है। सरकार द्वारा जो अनेक अखिल भारतीय बॉर्ड स्थापित किए गए हैं वे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। देश के बाहर भी भारतीय वस्तुओं की काफी मांग है। उसे विज्ञापन द्वारा और अधिक बढ़ाया जा सकता है। देश के प्रमुख नगरों में इस प्रकार की दुकानों की स्थापना की गई है जहाँ कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था है। इनकी शाखाएँ सभी नगरों में खोली जानी चाहिए।

(४) सहकारी प्रणाली का विकास—कुटीर उद्योगों का संगठन साख और बिक्री की व्यवस्था करने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिए। इन समितियों के द्वारा कारीगरों को हर प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। इस दिशा में जो प्रयत्न किये गये हैं उन्हें काफी सफलता मिली भी है इसलिए इनके और विस्तार की आवश्यकता है।

(५) साख की सुविधाएँ—छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों की साख की कठिनाई अनुभव होती है। इसका प्रबन्ध सहकारी समितियों के निर्माण से किया जा सकता है। सरकार के सहयोग से विभिन्न राज्यों में वित्त निगमों (Finance Corporations) की स्थापना की गई है। यह निगम साख की सुविधाएँ प्रदान करने में सहकारी समितियों की सहायता करेंगे। आशा की जाती है कि अगले कुछ वर्षों में यह सुविधाएँ विस्तृत रूप से उपलब्ध होने लगेंगी।

(६) मशीन से बने माल की प्रतियोगिता में संरक्षण—भारत में कुटीर उद्योग उस समय तक पनप नहीं सकते जब तक उन्हें मशीन के बने माल की प्रतियोगिता से पूरी तरह संरक्षण प्राप्त न हो। अब तक उस दिशा में जो प्रयत्न किए गए हैं वे अल्पपर्याप्त हैं। सरकार को चाहिए कि इनका क्षेत्र बिलकुल पृथक् कर दिया जावे ताकि जो वस्तुएं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित होती हैं उन्हें बड़े उद्योग न बनावे और प्रतियोगिता का कोई प्रश्न ही न उठे।

(७) बिजली तथा यातायात की सुविधाएं—देश की पनबिजली योजनाओं के पूरे होने से भारी मात्रा में बिजली का निर्माण होने लगेगा। यह बिजली ग्रामों में शीघ्र अति शीघ्र पहुंचाई जावे तथा कुटीर उद्योगों को बिजली प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाए। यही बात यातायात के साधनों के विकास के विषय में कही जा सकती है। इनका कुटीर उद्योग के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखकर कुटीर उद्योगों का विकास किया जा सकता है।

प्रश्न ६६—भारत के कुटीर उद्योगों का क्या महत्त्व है? इनकी उन्नति के लिये हाल ही में किये गये प्रयत्नों की विवेचना कीजिये।

(अगरा ५१, लखनऊ ५०, ४७, राजपूताना ५६, ५३, ५१, ४६)

Establish the importance of Cottage Industries to the country and comment upon the recent measures adopted to develop them

(Agra 51, Lucknow 50, 47, Rajputana 56, 53, 51, 49)

भारत में कुटीर उद्योगों का महत्त्व—भारतीय अर्थ व्यवस्था में कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। केवल भारत में ही नहीं बरन् अमरीका, इंग्लैंड तथा जापान जैसे औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति किये हुए देशों में भी छोटे पैमाने के उद्योग अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अमेरिका की व्यापारिक सम्झौतों में ६२.५% छोटे व्यवसायों की सम्झौतें हैं जिनमें देश के ४५ प्रतिशत श्रमिक कार्य करते हैं। फ्रांस में ६६ प्रतिशत से भी अधिक औद्योगिक संस्थाओं में १०० से कम श्रमिक कार्य करते हैं। जापान में ५३ प्रतिशत जनसंख्या कुटीर उद्योगों पर निर्भर है। भारत में औद्योगिक जनसंख्या का ६० प्रतिशत भाग कुटीर तथा लघु स्तरीय उद्योगों से अपनी जीविका उपाजन करते हैं। निम्नलिखित तालिका में इसका ठीक पता चल सकता है :—

हाथ कर्पा तथा खादी उद्योग	५० लाख व्यक्ति
चमड़ा	२४ "
सकड़ी	२० "
धातु का सामान बनाने का उद्योग	४० "
मिट्टी के बर्तन, ईंटें इत्यादि	२० "
रसायनिक वस्तुयें	१० "
सादा वस्तुयें बनाने का	२० "

कपडो की सिलाई तथा प्रसाधन उद्योग
अन्य " "

११ लाख व्यक्ति
६ " "

कुल योग

२०१

बेकारी की समस्या और कुटीर उद्योग—भारत जैसे देश में कुटीर उद्योगों का महत्व इसलिये और भी अधिक है कि भारत एक गरीब देश है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या को खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। खेती से इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता। उसका तो हमें कोई अन्य उपाय करना होगा। जो लोग खेती करते हैं उन्हें भी साल में कुछ मास खाली बैठना पड़ता है। इन लोगों के लिये उपयुक्त ग्राम उद्योगों की व्यवस्था की आवश्यकता है। अतिरिक्त जनसंख्या के लिए तो कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों का विकास करना ही है। इसके अलावा बेरोजगारी तथा अर्धरोजगारी को दूर करने का और कोई उपाय ही नहीं सकता। बड़े पैमाने के उद्योग इस समस्या का हल कदापि नहीं कर सकते। न तो बड़े पैमाने के उद्योगों में इतने आदमी खप सकने हैं और न इतनी भारी संख्या में नये कारखाने लगाने के लिये देश के पास पूंजी ही है। उक्त बेरोजगारी की समस्या का एक मात्र उपाय कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास ही है।

उपभोग की वस्तुओं की कमी और कुटीर उद्योग—हम जानते हैं कि भारतवासियों का रह-सहन का स्तर बहुत नीचा है। इसके दो कारण हैं। एक तो गरीबी और बेरोजगारी तथा दूसरा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की कमी। कुटीर उद्योग बेरोजगारी को दूर करके जनता के हाथ में आवश्यक क्रय शक्ति तो प्रदान कर ही सकते हैं साथ ही आवश्यक उपभोग की वस्तुओं जैसे कपड़ा आदि की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। आज देश की समस्त साधन साध उत्पादन को बढ़ाने तथा आधारभूत उद्योगों के विकास में लगे हुये हैं। देश के पास इतनी पूंजी नहीं है जिसे उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिये व्यय किया जावे अर्थात् इस श्रेणी के नये कारखाने लगाने के लिए इन समय देश के पास पूंजी की कमी है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि उपभोग की वस्तुओं के उद्योगों को इस समय प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। यह कार्य तो कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

कुटीर उद्योग और सम्पत्ति का वितरण—बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना का अर्थ यह होता है कि उससे प्राप्त होने वाला लाभ कुछ थोड़े से पूंजीपतियों की जेबों में जाता है। गरीब मजदूरों को अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। सरकार चाहे जितना नियन्त्रण रखे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मजदूर वर्ग के साथ पूर्ण न्याय नहीं होता। कुटीर उद्योगों के विकास का अर्थ ही यह है कि धन अथवा सम्पत्ति का केन्द्रोत्करण कुछ थोड़े से हाथों में नहीं हो सकता। धन तथा सम्पत्ति के न्यायपूर्ण वितरण के लिए कुटीर उद्योगों के विकास का अधिक महत्व है। भारत में त्रास्तविक समाजवादी अर्थ व्यवस्था स्थापित करने का यह एक सुगम उपाय है।

उद्योग घन्धो का विकेन्द्रीकरण (Decentralization)—भूतकाल में भारतीय उद्योगों का विकास बिना किसी प्रकार के नियोजन के हुआ। देश के कुछ भाग, ग्राम भी पिछड़ी हुई अवस्था में हैं। देश की सुरक्षा की दृष्टि से तथा आर्थिक और सामाजिक न्याय के विचार से उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होगा चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति बहुत कुछ कुटीर उद्योगों का विकास के द्वारा हो सकती है। अतिक्रमिता प्रदेशों में कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों का विकास कम पूंजी और परिश्रम से हो सकता है। और यह पिछली कमी को पूरी करने का एक सरल उपाय हो सकता है।

कलापूर्ण वस्तुओं का निर्माण और कुटीर उद्योग—भारत प्राचीन काल में उच्च कोटि की कलापूर्ण वस्तुओं के निर्माण के लिये प्रसिद्ध रहा है यह वस्तुएं बड़े पैमाने के उद्योगों के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। इन वस्तुओं का हमारे सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भारी महत्व है। इस लिये इनसे सम्बन्ध रखने वाले कुटीर उद्योग भी देश के लिये गौरव का विषय हैं। उनका हमारी औद्योगिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए सोने चांदी के आभूषण हाथी दांत का सामान रेयम की साड़ियां धातु की बनी कलापूर्ण वस्तुओं का निर्माण भारत की प्राचीन औद्योगिक महानता की निशानी हैं। आज भी इनकी देश में काफी मांग है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों का भारतीय अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है और रहेगा।

नोट — कुटीर उद्योगों के विकास के लिये किये गये प्रयत्नों के लिये प्रश्न संख्या ७० के उत्तर को पढ़िये।

प्रश्न ७०—भारत में कुटीर उद्योग घन्धों के पतन के मुख्य कारण क्या थे ? उनके फिर से विकास के लिए क्या प्रयत्न किये गये ?

(दिल्ली ५५, हैदराबाद ५४, आगरा ५४, राजपूताना ५०)

What causes led to the decline of cottage industries in India ? Enumerate the main difficulties of cottage industries in the present set up ? What measures would you suggest for helping them ? (Delh 55, Hyderabad 54 Agra 54 Rajputana 50)

भारत प्राचीन काल से अपने कुटीर उद्योग घन्धों के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत की बनी हुई कलापूर्ण विलासिता की वस्तुएं सारे ससार में प्रशंसा की दृष्टि से देखी जाती थी। इनमें सोने चांदी तथा हाथी दांत का सामान ढाके की मलमल, धातु की बनी सुन्दर वस्तुएं मिट्टी के बतन तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं विश्व भर में लोकप्रिय थीं। किन्तु दुर्भाग्यवश इन उद्योगों का धीरे धीरे पतन होता गया और आज भारत इस क्षेत्र में अन्य देशों से बहुत पीछे रह गया है। इस पतन के निम्नलिखित मुख्य कारण थे—

(१) देश के राजा महाराजाओं का पतन—भारत में अनेक शासन ग्रामों से पुराने राजाओं का पतन होता गया। यह राजा लोग तथा इनके दरबारी ही इन कलापूर्ण वस्तुओं के प्रेमी थे। प्रत्येक दरबार में राजा तथा उनके दरबारी लोगों की

इच्छानुसार वस्तुएं बनाने के लिए कारीगर नियुक्त किये जाते थे जो काफी समय और परिश्रम के बाद उष्ण कोटि की वस्तुयें निर्मित करते थे। उनको अपनी मेहनत तथा कारीगरी का पूरा पुरस्कार मिलता था। जब यह राज दरबार समाप्त होने लगे तो इन कारीगरों के भूखो मरने की नौबत आ गई क्योंकि न तो कोई इनकी कला की बद्र करने वाला रहा और न कोई उसके लिये उचित मूल्य देने वाला रहा। विदेशों को भी इन वस्तुओं का जाना बन्द हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे भारत से बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग सर्वद के लिये उठ गये।

(२) मशीनों की बनी विदेशी वस्तुओं की प्रतियोगिता—जिस काल में भारत में अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत हो रही थी उसी काल में यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी तथा मशीनों में चलने वाले बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना हो रही थी। इन उद्योगों द्वारा बनी हुई वस्तुएं काफी सस्ती और सुन्दर होती थी तथा बड़े पैमाने पर उनका निर्माण किया जाता था। इन वस्तुओं के लिये विश्व व्यापी बाजारों की आवश्यकता हुई और भारत एक उपयुक्त बाजार समझा गया। इस प्रकार बड़ी मात्रा में विदेशों की बनी हुई वस्तुएं भारत में आयात होने लगी और वे इतनी सस्ती थीं कि भारतीय कुटीर उद्योग उनकी प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सके और उनका पतन हो गया।

(३) ब्रिटिश सरकार की विरोधी नीति—जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भारत में विदेशी सरकार का ध्येय अपने देश की वस्तुओं के लिए भारत में बाजार बनाना था। यह उस समय तक नहीं हो सकता था जब तक कि भारतीय उद्योगों का विनाश न किया जाय। इसलिये विदेशी शासकों ने विदेशी प्रतियोगिता के विरुद्ध कुटीर उद्योगों को संरक्षण देने के बजाय उसे प्रोत्साहन दिया। भारत से बच्चा मांस विदेशों को जाने लगा और उसके बदले मशीनों का बना हुआ सामान देश में आयात होने लगा। इस प्रकार भारत एक कृपक देश बन गया और यहां के हजारों साल पुराने उद्योग सर्वद के लिए नष्ट हो गए।

(४) विदेशी शिक्षा तथा सभ्यता का प्रभाव—अंग्रेजी शासन के साथ साथ भारत में विदेशी शिक्षा तथा सभ्यता का प्रचार बढ़ा। बहुत से भारतीय विदेशों को गये और वहां से नए विचार लेकर आए। लोगों की रुचि तथा स्वभाव में भी परिवर्तन हो गये। अब उन्हें देश की बनी हुई वस्तुओं की अपेक्षा विदेशी सामान अधिक पसन्द आने लगा। इस प्रकार स्वदेशी वस्तुओं की मांग कम होती गई और उसके स्थान पर विदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता गया। इस परिवर्तन से देश के कुटीर उद्योगों को भारी हानि हुई और उनका पतन नीव गति से होने लगा।

(५) भारतीय कारीगरों में दूरदक्षिणा का अभाव—भारतीय कारीगर अनपढ़, अज्ञान तथा पुराने विचारों के थे। उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्य करने के ढंग में कोई सुधार नहीं किया। वे उसी पुराने ढंग पर चलते रहे जिस पर उनके बाप दादे चलते चले आ रहे हैं। फल यह हुआ कि समय की दौड़ में वे पीछे रह गये और विनाश की गति को प्राप्त हुए।

उपरोक्त कारणों के बाद भी भारत से कुटीर उद्योगों का पूरी तरह विनाश नहीं हुआ। बहुत से उद्योग हीन दशा में घिसटते चले आ रहे हैं और आज भी जीवित हैं। महात्मा गांधी के स्वदेशी आन्दोलन से इनमें एक नये जीवन का संचार हुआ है और देश की स्वतन्त्रता के दाद से इनके पुनः विकास के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि भारत की नवीन अर्थ व्यवस्था में यह अपना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकें। भारतीय कुटीर आज भी कुछ विशेष कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं जिस के कारण इनका पूरी तरह विकास नहीं हो पा रहा है। यह कठिनाइयाँ निम्न-लिखित हैं —

वर्तमान स्थिति में कुटीर उद्योगों को कठिनाइयाँ

(१) आज भी कुटीर उद्योगों में उत्पादन के वही तरीके प्रयोग में लाये जाते हैं जो सौ वर्ष पहले प्रयोग में आते थे। उनमें समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन नहीं हुआ जबकि सस्तर बहुत आगे निकल गया है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है। जापान में आज भी कुटीर उद्योगों का महत्त्व है किन्तु उनका आधुनिकीकरण कर दिया गया है। वहाँ अब छोटी मशीनों तथा विजली आदि का प्रयोग किया जाता है।

(२) साख तथा वित्त व्यवस्था की कठिनाइयाँ—कुटीर उद्योगों में कार्य करने वाले कारीगरों को बहुधा वित्त (Finance) की कठिनाइयाँ अनुभव होती हैं। उनके पास स्वयं के इतने साधन नहीं होते जिससे वे अपना काम सुचारु रूप से चला सकें। कच्चा माल खरीदने के लिये तथा बने हुये माल की बिक्री तक उन्हें अनेक कामों के लिए धन की आवश्यकता होती है यह धन उन्हें महाजनो आदि से कर्ज के रूप में प्राप्त होता है जिस पर बहुत ऊँची दर से ब्याज देना पड़ता है। भारत में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को साख प्रदान करने वाली सहकारी समितियों का बहुत कम विकास हुआ है तथा देश के व्यापारिक बैंक इस क्षेत्र में कोई रुचि नहीं रखते।

(३) संगठित बाजार की कमी—छोटे पैमाने के उत्पादकों को एक बड़ी कठिनाई यह अनुभव होती है कि उनकी वस्तुओं के विक्रय के लिये देश में संगठित बाजारों का अभाव है। उन्हें विचौलियों (Middlemen) पर निर्भर रहना पड़ता है जो पूरी तरह उनका शोषण करते हैं और मुनाफे का बड़ा भाग खा जाते हैं।

(४) मशीन की बनी वस्तुओं से प्रतिযোগिता:— जो वस्तुएँ बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा बनाई जाती हैं और उनका निर्माण कुटीर उद्योगों द्वारा भी होता है उनके बोध प्रतियोगिता की एक भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि कुटीर उद्योग इस प्रतियोगिता का सामना करने की क्षमता नहीं रखते। इस विषय में उन्हें सरकार की सहायता की आवश्यकता होती है।

(५) कच्चे माल को प्राप्त करने की कठिनाइयाँ — कुटीर उद्योगों में काम करने वाले कारीगरों को सस्ते दामों पर कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव होती है। न तो उनके पास इतना धन होता है कि थोक बाजार से इकट्ठी मात्रा में कच्चा माल खरीद सकें और न उन्हें इस सम्बन्ध में वे सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जो बड़े पैमाने के उद्योगों को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार इनकी उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत और भी अधिक बढ़ जाती है।

(६) सस्ती मशीनों तथा बिजली की शक्ति का अभाव.—कुटीर उद्योगों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये सस्ती तथा छोटे पैमाने की मशीनों का प्रयोग होना चाहिए जो भारत में न तो सुगमता पूर्वक उपलब्ध हैं और न भारतीय कारीगर अपनी गरीबी के कारण उन्हें खरीद सकता है। इन मशीनों को चलाने के लिये सस्ती बिजली भी चाहिए। यह भी भारत में पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार भारतीय कुटीर उद्योग आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति का लाभ नहीं उठा सकते।

(७) करों का भार—स्थानीय सत्थाओं द्वारा लगाये गये करो का भार भारतीय कारीगरों की क्षमता के बाहर है। इस भार के कारण यह उद्योग भली प्रकार पनप नहीं पाते और सदैव हीन अवस्था में रहते हैं।

(८) उपभोक्ताओं की अरुचि — कुटीर उद्योगों की एक बड़ी कठिनाई यह है कि उपभोक्ता, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को अधिक पसन्द नहीं करते वरन् मिल के बने माल को प्राथमिकता देते हैं। इसका एक कारण यह है कि कुटीर उद्योग उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाते और उनकी उत्पादन लागत अधिक होती है।

(९) टैक्नीकल जानकारी का अभाव—कुटीर उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी अधिकतर अशिक्षित होते हैं और उद्योग के सम्बन्ध में आवश्यक टैक्नीकल जानकारी उन्हें नहीं होती। इसी कारण इस क्षेत्र में आवश्यक शोध का तथा अनुसन्धान (R search) का कार्य नहीं हो पाता अथवा उसका उन्हें ज्ञान नहीं होता।

कुटीर उद्योगों के विकास के लिए किए गए प्रयत्न

१९४७ के बाद से सरकार की नीति विशेष रूप से कुटीर उद्योगों के प्रति उदार रही है। सरकार देश की गरीबी को दूर करने तथा बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये कुटीर उद्योगों का विकास आवश्यक समझती है। १९४८ की औद्योगिक नीति के अनुसार कुटीर उद्योगों को भारतीय अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष महत्व दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने तथा उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुटीर उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया है।

१९४२ में प्रचलित भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड की (All India Cottage Industries Board) की स्थापना की गई। कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में

आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये बोर्ड ने एक सर्वेक्षण (Survey) किया, जिससे वर्तमान कुटीर उद्योगों की समस्याओं के विषय में महत्वपूर्ण बातों का पता चला है।

१९५२ में ग्रखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड (All India Handicrafts Board) की स्थापना की गई। जिसका उद्देश्य कुटीर उद्योगों द्वारा बनी हुई वस्तुओं की विस्म (Quality) में सुधार करना तथा देश के अन्दर और विदेशों में इन वस्तुओं के विक्रय की व्यवस्था करना है।

१९५२ में हाथकर्मा उद्योग (Handloom) की सहायता के लिये ग्रखिल भारतीय हाथ कर्मा बोर्ड (All India Handloom Board) की स्थापना की गई। यह बोर्ड सहकारिता के आधार पर इस उद्योग के पुनर्गठन का प्रयत्न कर रहा है और उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं की विक्री पर विशेष ध्यान दे रहा है।

१९५३ में ग्रखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (All India Khadi & Village Industries Board) की स्थापना की गई। खादी तथा दस अन्य ग्राम उद्योगों के विकास के लिये प्रयत्न करना इस बोर्ड का उद्देश्य है।

इन बोर्डों की स्थापना के अतिरिक्त सरकार ने कुटीर तथा लघुस्तरीय उद्योगों के विकास लिये इनके सहकर्मी मिल उद्योगों पर एक प्रकार का कर (Cess) लगा दिया जिससे प्राप्त आय कुटीर उद्योगों की उन्नति पर व्यय होगी। उदाहरण के लिये मिल के बने कपड़े पर एक पैसा प्रति गज के हिसाब से कर लिया जाता है जो हाथ कर्मा उद्योगों के विकास पर व्यय होता है। इसी प्रकार सरकार ने कुछ कपड़े की किस्में निश्चित करदी हैं जो मिलों द्वारा नहीं बनाई जा सकती। उनका उत्पादन हाथ कर्मा उद्योगों के लिये सुरक्षित है।

छोटे उद्योगों को साख की सुविधाएँ प्रदान करने के लिये १० राज्यों में वित्त निगमों की स्थापना करदी गई है। रिजर्व बैंक को एक अधिकार दे दिया गया है कि वह राज्यों के सहकारी बैंकों को साख की सुविधाएँ प्रदान करे।

सरकार द्वारा इन उद्योगों की उन्नति के लिये निम्नलिखित ग्रन्थ उपाय भी किए गये —

(१) सरकार द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने में इन उद्योगों को बनी हुई वस्तुओं को प्राथमिकता देना।

(२) इन उद्योगों के विकास के लिये एक विकास कमिश्नर (Development Commissioner) की नियुक्ति की गई है।

(३) अम्बर चर्खों को लोकप्रिय बनाना जिससे लाखों आदिमियों को लाभ होगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग ३१२ करोड़ रुपया इनके विकास पर व्यय किया गया। खादी का उत्पादन १९५०—५१ में ७१२० लाख गज से बढ़कर १९५५—५६ में १४५०० लाख गज हो गया। विदेशों में भी भारतीय खादी की

माग बढी है और देश से इसका निर्गत होने लगा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग २० करोड़ रुपया इन उद्योगों के विकास पर व्यय किया जायेगा।

सरकार औद्योगिक बस्तियों (Industrial Estates) की स्थापना भी करना चाहती है जिन पर १० करोड़ रुपया व्यय किया जावेगा। इन बस्तियों में छोटे उत्पादन कर्ताओं को बसाया जावेगा जहाँ उन्हें बिजली, पानी, गैस तथा उत्पादन की मुख्य सुविधाएँ प्रदान की जावेगी। इस प्रकार की १० बस्तियों की स्थापना की अनुमति दे दी गई है।

प्रश्न ९१— पंचवर्षीय योजना में कुटीर तथा लघु-स्तरीय उद्योगों का क्या स्थान है।

Briefly discuss the place assigned to cottage and small scale industries in the Five Year Plans.

उत्तर— कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग भारतीय अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद इनके विकास पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। इनका उद्देश्य लोगों को काम करने का अवसर प्रदान करना, उनकी आय में वृद्धि करना, रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाना और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का संतुलित विकास करना है।

इस सम्बन्ध में योजना कमीशन के यह शब्द उल्लेखनीय हैं 'दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक एक मुख्य उद्देश्य रोजगार देना है। छोटे पैमाने के और ग्राम उद्योगों से अधिक व्यक्तियों को काम मिलता है। उतनी ही पूँजी लगाकर इन उद्योगों में बड़े कारखानों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यक्ति रखा जा सकता है। ऐसे उद्योगों से जो आमदनी होती है, वह देश के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों को मिलती है और इस तरह गाँवों की अर्थ व्यवस्था का अधिक संतुलित एवं समन्वित विकास ही हो पाता है।' इन कारणों से दूसरी पंचवर्षीय योजना में छोटे और ग्रामोद्योगों पर विशेष जोर दिया गया है।

आगे चल कर योजना कमीशन ने कहा है "इससे ग्रह नहीं समझना चाहिए कि हमारी अर्थ व्यवस्था में यह उद्योग सदैव ही इसी पुराने ढर्रे पर चलते रहेगें। जैसे जैसे गाँवों की प्रगति होती जावेगी, जैसे जैसे उनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देहाती एन्तकारियों ने क्रमशः नई विकसित मशीनों का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा। ये छोटे उद्योग विकेंद्रित और प्रगतिशील होंगे। एक और कृषि से और दूसरी ओर बड़े उद्योगों से इनका निकट सम्पर्क रहेगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर तथा ग्रामोद्योग विकास कार्य को प्रमुख तथा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योग

प्रथम पंचवर्षीय योजना में छोटे तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये दो महत्वपूर्ण कदम उठाये गए।

(१) हाथ कर्घा उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग दस्तकारियों, छोटे उद्योगों, रेशम के कीड़े पालने के उद्योग तथा नारियल की जटा के उद्योगों की समस्याओं का हल करने के लिये कई अखिल भारतीय बोर्ड बनाए गये जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं —

- ✓ (अ) अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड (१९४८)
- ✓ (ब) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड (१९५२)
- ✓ (स) अखिल भारतीय हाथकर्घा बोर्ड (१९५२)
- ✓ (द) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (१९५३)

(२) सरकार ने फंसवा किया कि कई वस्तुएँ केवल छोटे और ग्रामोद्योगों की बनी हुई ही खरीदी जावें। इसमें हाथकर्घा तथा खादी जैसे कई उद्योगों के उत्पादन और उनमें काम करने वालों की संख्या बढ़ गई।

इसके अतिरिक्त इन उद्योगों को काफी मात्रा में साख की सुविधाएँ प्रदान की गईं। हाथकर्घा उद्योग एक ऐसी स्थिति में से गुजर रहा था कि उसकी हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के चारू होते ही इसमें नये जीवन का संचार हुआ। १९५०—५१ में इसका कुल उत्पादन ७४२० लाख गज था जो १९५५—५६ में १४५०० लाख गज हो गया। खादी का मूल्य १३ करोड़ रुपये से बढ़ कर ५ करोड़ रुपये हो गया। १९५२—५३ में सरकार द्वारा कुल ६६ लाख रुपये का सामान इन उद्योगों से खरीदा गया जो १९५४—५५ में १०५ लाख रुपये हो गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्बन्धित बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादन की मिली जुली योजना बनाई गई ताकि प्रतियोगिता के स्थान पर वे एक दूसरे के पूरक बन सकें। यह कार्य इस प्रकार था :—

- ✓ (अ) बड़े कारखानों की उत्पादन क्षमता के विस्तार पर रोक।
- ✓ (ब) बड़े कारखानों की बनी वस्तुओं पर उत्पादन कर।
- ✓ (स) छोटे उद्योगों को वच्चा माल, घन तथा गझीरों आदि की सहायता।

इस नीति से बहुत से छोटे उद्योगों को लाभ हुआ है। कपड़े की कुछ किस्मों में केवल हाथ कर्घा उद्योग द्वारा उत्पादन के लिये सुरक्षित करदी गई हैं। सूती वस्त्र उद्योग पर उत्पादन कर लगा कर एक कोष का निर्माण किया गया है जो हाथ कर्घा उद्योगों के विकास के लिए व्यय किया जाता है। बड़े कारखानों में बनने वाले चमड़े के जूते, ^१दियासलाई, ^२कपड़े धोने के साबुन आदि पर इसी प्रकार के उत्पादन कर लगाये गये हैं। नये कारखानों की स्थापना के लिये अनुमति पत्र (Licence) देने से पूर्व इस बात पर विचार कर लिया गया है कि उनका कुटीर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

प्रथम योजना में कुछ उद्योगों के विकास की पृथक योजना बनाई गई जिसमें खेल का सामान, पेंसिल, मीमबत्ती, कृषि यन्त्र आदि शामिल हैं।

दूसरी योजना में कुटीर उद्योग—दूसरी योजना में ग्राम तथा छोटे उद्योगों के

विकास के लिये जो कार्यक्रम बनाया गया था उस पर विचार करने के लिये योजना कमीशन ने जून (१९५५) में एक समिति नियुक्त की थी। यह कमेटी कर्वे कमेटी (Karve Committee) के नाम से प्रसिद्ध है। इस कमेटी ने दूसरी योजना के कार्यकाल में छोटे उद्योगों के लिये आवश्यक सहायता और अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई और कई महत्वपूर्ण सिफारिशों की जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और जिन पर कार्य करने से छोटे उद्योगों का विकास तीव्र गति से तथा सुचारु रूप से हो सकेगा। इन सिफारिशों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं —

(१) कुछ प्रकार का सामान केवल छोटे उद्योगों द्वारा ही बनाया जावे।

(२) बड़े उद्योगों में बनने वाले जैसे सामान पर उअकर (Cess) लगाया जाव।

(३) छोटे उद्योगों को उत्पादन के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जावे अथवा बिक्री में प्रावकों को छूट दी जावे।

(४) आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता एवं बिक्री के लिये उचित सुविधाएँ दी जाएँ।

१९५६ में जो नई औद्योगिक नानि घोषित की गई उसमें भारत सरकार ने छोटे उद्योगों के बारे में अपना मत स्पष्ट कर दिया है। नीति प्रस्ताव में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर सरकार बड़े उद्योगों द्वारा कुछ चीजें बनाए जाने पर प्रतिबन्ध लगा सकती है, कर में छेद कर सकती है या सीधे ग्राम और छोटे उद्योगों को सहायता दे सकती है किन्तु सरकार का उद्देश्य यह होगा कि इनकी स्थिति ऐसी हो जावे कि यह अपने पैरों पर आप खड़े हो सकें। बड़े उद्योगों के साथ इनका सम्बन्ध सर्वमान्य उत्पादन कार्यक्रम पर आधारित होगा। सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि छोटे उद्योग बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता का मुकाबला कर सकें। औद्योगिक सहकारी संस्थाओं (Industrial Co-operative Societies) को प्रोत्साहन दिया जाएगा विशेषकर कच्चे माल को प्राप्त करने और बिक्री के सम्बन्ध में।

वैका आदि से साधारणतया इन उद्योगों को जितनी पूँजी मिलेगी उसके अलावा दो अरब रुपये की और व्यवस्था की गई है। इस धन को अलग २ उद्योगों पर इस प्रकार बाटा जावेगा।

(१) हाथ कर्घा उद्योग —

मूत की बुनाई	५६० करोड़ रुपया
रेखम की बुनाई	१५ " "
ऊन की बुनाई	२० ' "
कुल योग	५९० करोड़ रुपया

(२) खादी उद्योग —

ऊन की कटाई	१६ करोड़ रुपये
सूत की विकेंद्रित कटाई और खादी	१४८ "
योग	१६७ "

(३) ग्रामोद्योग—

चावल की हाथ से कुटाई	५० करोड़ रुपये
धानी का बनस्पति तेल	६७ "
गाव में दाने चमड़े के जूते और चमड़ा कमाई	५० "
गुड और सड़सारी	७० "
हाथ की बनी दियासलाई	११ "
अन्य ग्रामोद्योग	१४० "
योग	३८८ "

(४) दस्तकारिया —

६० करोड़ रुपये

(५) छोटे पैमाने के उद्योग—

५५० "

(६) अन्य उद्योग —

रेशम के कीड़े पालना ५० "

नारियल की जटा की कटाई और बुनाई १० "

(७) सामान्य योजनाएँ:—

प्रसासन तथा शोध १५० "

योग ८५० "

दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यक्रम

(१) हाथ कर्पा और खादी—कर्वे कमेटी के अनुसार १९६०—६१ तक हाथ कर्पा पर १७० करोड़ गज कपड़ा बनाया जा सकता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए अन्वर चर्खों का प्रयोग अधिक उपयोगी रहेगा।

(२) ग्रामोद्योग—चावल की हाथ की कुटाई को प्रोत्साहन देने के लिए सुझाव दिया गया कि धान कूटने वाली नई मिलें स्थापित न की जावे। इसी प्रकार बनस्पति तेल, चमड़ा उद्योग, हाथ की बनी दियासलाई, गुड तथा सड़सारी, मधु-मक्खी पालन, ताड़ गुड, कागज, साधुग मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों को विकसित करने के बहुत से व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं।

(३) छोटे उद्योग—जिन कारखानों में ५ लाख रुपये से कम पूंजी लगी है (शक्ति चालित कारखानों) और उनमें ५० या ५० से कम आदमी काम करते हैं तो वे छोटे उद्योग माने गये हैं। इन उद्योगों के लिए एक विशद कार्यक्रम बनाया गया है। अखिल भारतीय छोटे उद्योग निगम की चार शाखाएँ बम्बई, मद्रास कलकत्ता और दिल्ली में खोली गई हैं। यह बढ़ाकर २० करदी जावेगी, मशीनों को किराए पर लेने अथवा खरीदने की और अधिक सुविधायें प्रदान की जावेगी।

(४) दस्तकारिया-धातु की कलापूर्ण वस्तुयें, सिलीने खजूर के पत्ते का सामान, पत्थर और सगमरमर पर खुदाई, पीतल पर मुनहरी पालिश चढ़ाने आदि की दस्तकारियों के विकास की योजना बनाई गई है।

(५) औद्योगिक बस्तिया-१० करोड़ रुपये की लागत से देश में कई औद्योगिक बस्तिया खोली जावेंगी। जिनमें इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध होंगी कि छोटे उद्योग अनुकूल वातावरण का अनुभव कर सकें और उत्पादन की लागत कम हो सके।

(६) सगठन—योजना आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि विभिन्न राज्यों के औद्योगिक विभाग मौके पर प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ करें। इसके अलावा कर्म-चारियों तथा कारीगरों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जावे।

कर्वे समिति ने सुझाव दिया था कि केन्द्रीय सरकार एक प्रथक मन्त्रालय कुटीर तथा छोटे उद्योगों के लिये स्थापित करे।

आशा है दूसरी योजना में इन उद्योगों की विशेष प्रगति होगी।



अध्याय १०

औद्योगिक श्रम

प्रश्न ७२—क्या भारतीय श्रमिक अन्य देशों के श्रमिकों से कम कार्यकुशल हैं ? यदि हैं तो कम कार्यकुशलता के कारण बताइये और सुधार के उपाय बताइये ।
(पंजाब ४६, कलकत्ता ४७)

अथवा

ऐसा क्यों है कि भारतीय श्रमिक अमरीकन अथवा ब्रिटिश श्रमिक से कम कार्य कुशल हैं ? भारतीय श्रमिक की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के उपाय बताइये ।
(राजपूताना ५१)

Is Indian labour less efficient than industrial labour in other countries? If so, account for the low efficiency and suggest remedies?
(Punjab 49, Calcutta 47)

Or

Why is it that Indian labour is not as efficient as American or British labour? Suggest remedies for improving the efficiency of Indian labour
(Punjab 51)

उत्तर—श्रम की कार्य कुशलता एक तुलनात्मक वस्तु है। जब हम यह कहते हैं कि भारतीय श्रमिक अमरीकन अथवा ब्रिटिश श्रमिक से कम कार्य कुशल है तो इसका यह अर्थ होता है कि उतने ही समय में अमरीकन अथवा ब्रिटिश श्रमिक भारतीय श्रमिक से अधिक और उत्तम काम करते हैं। इस प्रकार भारतीय श्रमिक की कार्य कुशलता अथवा देशों के श्रमिकों की कार्य कुशलता की तुलना में बहुत कम है। इस सम्बन्ध में अनेक लेखकों ने तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। १९१८ के औद्योगिक कमिशन के सामने अपना बयान देते समय सर ए० मैकराबर्ट ने बताया कि एक ब्रिटिश श्रमिक भारतीय मजदूर में चार गुना अधिक कार्य कुशल है। १९२६—२७ में सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में टैरिफ बोर्ड ने अपनी जांच में लिखा कि भारत में एक मजदूर १८० कर्षों पर कार्य करता है जबकि एक जापानी मजदूर २४०, ब्रिटिश मजदूर ५०० से ६०० तक, तथा अमरीकन मजदूर ११२० कर्षों पर कार्य करता है। इससे यह स्पष्ट है कि भारतीय मजदूर की कार्य कुशलता प्रत्येक श्रेण, में, अपेक्षाकृत बहुत कम है।

भारतीय श्रमिक की कम कार्य कुशलता के कारण
भारतीय श्रमिक की कम कार्य कुशलता के अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ

तो ऐसे हैं जिन पर श्रमिक का कोई अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए भारत की जलवायु तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण यहाँ का श्रमिक एक ठंडे देश के श्रमिक के मुकाबले में अधिक कार्यकुशल नहीं हो सकता। जहाँ तक अन्य बातों का प्रश्न है वे भी भारतीय श्रमिक के हित के अनुकूल नहीं हैं। यदि इनमें सुधार कर दिया जाय तो उनकी कार्य कुशलता में अवश्य सुधार हो सकता है। श्रम की कार्य कुशलता कम होने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं —

(१) जलवायु — भारत की जलवायु मुख्य रूप से गर्म है। गर्म देश के रहने वाले कड़ी मेहनत के आदी नहीं होते। उनका जीवन आलसी होता है। वे ठंडे देश की भाँति कठोर पारश्रम नहीं कर पाते इसलिए अपेक्षाकृत कम कार्य कुशल और महनती होते हैं। जलवायु की भिन्नता के कारण कार्य कुशलता में थोड़ा बहुत अन्तर होना स्वाभाविक है।

(२) मजदूरी की दर और रहन सहन का स्तर — भारत में मजदूरी की प्रचलित दर अन्य देशों की तुलना में बहुत नीची है। यह बात अर्थशास्त्र के सभी विद्वान मानते हैं कि मजदूरी की दर का रहन सहन के स्तर तथा कार्य कुशलता से सीधा सम्बन्ध है। नीची मजदूरी की दर का प्रभाव यह है कि भारतीय श्रमिक का रहन सहन का स्तर बहुत नीचा है। उनके पास न तो रहने को अच्छा मकान है, न खाने को अच्छा भोजन और न पहनने को अच्छा कपड़ा। स्वास्थ्य इत्यादि की भी उन्हें पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त नहीं होती। इन बातों का उनकी कार्य कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(३) काम के घण्टे और वातावरण — भारतीय कारखानों में काम करने की परिस्थितियाँ श्रमिक की कार्य कुशलता पर बुरा प्रभाव डालने वाली हैं। वहाँ हवा पानी आदि की उचित व्यवस्था नहीं होती। मजदूरी को अधिक घण्टों तक कार्य करना पड़ता है। यदि हम भारतीय मिलों में भी वही सुविधाएँ और वातावरण उत्पन्न कर दें जो अमरीका अथवा इंग्लैंड के श्रमिकों को वहाँ की मिलों में मिलता है तो हम आशा कर सकते हैं कि भारतीय श्रमिक की कार्य कुशलता में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। भारत में दो एक कारखाने हैं जहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं और वहाँ कार्य करने वाले श्रमिक अमरीका और इंग्लैंड के श्रमिकों की भाँति ही कार्य कुशल हैं। इसका प्रमाण यह है कि दूसरे महायुद्ध में अमरीका से अडो मिशन (Grady Mission) भारत आया था। उसने अपना विचार व्यक्त किया कि अर्बुस के फादर स्टोन रूढ़ कारखाने अथवा एडस के लोहे तथा इस्पात के काम करने वाले मजदूर लगभग उनसे ही कार्य कुशल हैं जितने अमरीकन कारखानों के मजदूर हैं।

(४) प्रत्यावास का स्वभाव — भारतीय मजदूरों की एक विशेषता यह है कि वे स्थाई रूप से जमकर कारखानों में काम नहीं करते। वे साल के कुछ महीनों में गाँव छोड़कर शहरों में आ जाते हैं और जिस किसी भी मिल में उन्हें काम मिल जाता है वहाँ काम करने लगते हैं। फसल के समय वे फिर देहात को लौट जाते हैं।

उन्हे किसी विशेष प्रकार के कार्य में रुचि नहीं होती। जब भी वे देहात से लौटकर आते हैं तो जो भी काम जिन किसी मिल में मिल जाता है उसे करने लगते हैं। इस प्रकार हम अधिकांश मजदूरों को मही प्रर्थों में औद्योगिक श्रम की सजा नहीं दे सकते। यह बात अन्य देशों के श्रमिकों में नहीं पाई जाती। इसका श्रम की कार्य कुशलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

(५) शिक्षा तथा प्रशिक्षण की कमी—अधिकतर श्रमिक अशिक्षित और ज्ञानहीन होते हैं। उन्हें मशीनों के प्रयोग आदि के विषय में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। उनकी अज्ञानता केवल उनकी कार्य कुशलता पर ही प्रभाव नहीं डालती बल्कि उनका समस्त दृष्टिकोण ही दूसरे प्रकार का रहता है। वे अन्ध विश्वासी, जातिवाद को मानने वाले, नई बातों को सीखने से उदासीन रहते हैं और अपनी हित प्रहित की बात को भली प्रकार सोच नहीं पाते। इन सब का प्रभाव उनकी मजदूरी को दर, काम करने के घण्टे तथा वातावरण और अन्त में उनकी कार्य-कुशलता पर पड़ता है। भारतीय श्रमिकों की कार्य-कुशलता का भी एक प्रमुख कारण है।

(६) मकानों की समस्या—भारतीय श्रमिक की कार्य-कुशलता पर प्रभाव डालने वाला एक अन्य कारण उनके निवास स्थान का है। भारत में अधिकतर कारखाने बड़े बड़े नगरों में स्थापित हैं जहाँ मजदूरों को गन्दी बस्तियों में रहना पड़ता है। यह बस्तियाँ इतनी गन्दी होती हैं कि मानव को उन पशुओं से भी बदतर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। लगभग आठ घण्टे काम करने के बाद जब मजदूर घर लौटता है तो वहाँ भी उसे साफ हवा और खुला वातावरण नसीब नहीं होता। एक ही कमरे में आठ दस व्यक्तियों को रहना खाना तथा सोना पड़ता है। इसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मिला मालिक इस विषय में कोई ध्यान नहीं देते। इस कारण मकानों की समस्या अथवा गन्दी बस्तियों की सफाई का श्रम की कार्य-कुशलता से सीधा सम्बन्ध है।

(७) मजदूरों की ऋण अस्तता—मजदूर गरीब होने के कारण कर्जों के भार से दबे रहते हैं। कर्जों की चिन्ता के कारण उनके मन की शांति भंग हो जाती है। काम करने में उनका जो नहीं लगता और उनका नैतिक पतन होने लगता है। इन सब बातों का अन्त में उनकी कार्य-कुशलता पर प्रभाव पड़ता है।

(८) पुरानी मशीनें :—कार्य-कुशलता कम होने का जितना दोष श्रमिकों पर है उतने ही ज्यादा उन मशीनों का है जिनपर उन्हे काम करना पड़ता है। भारत के अधिकतर कारखानों में पुरानी तथा किसी हुई मशीनें चली आ रही हैं। उनके स्थान पर नई और सुचरी हुई मशीनों का प्रयोग भारत में बहुत कम हो रहा है। इसका श्रम की कार्य कुशलता पर भी प्रभाव पड़ता है। इस विषय में यदि हम अन्य देशों से तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि बहा दिन प्रतिदिन नई २ मशीनों का आविष्कार होता जा रहा है जिनके प्रयोग से मानव का काम कम होता जा रहा है और उत्पादन शीलता बढ़ती जा रही है। इसका श्रेष्ठ श्रमिक को भी मिलता है और हम कहते यह हैं कि श्रमिक पहिले से अधिक कार्यकुशल हो गया है। इस दृष्टि से भारतीय

श्रमिक की कार्य-कुशलता की तुलना अमरीका अथवा इंग्लैंड के श्रमिक से उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि भारत में भी उत्पादन की वही परिस्थिति उत्पन्न न हो जाए जो इन देशों में है ।

(६) भारतीय श्रमिकों में गंरहाजरी की श्रादत :—भारतीय श्रमिक की यह विशेषता है कि जब उसका जी चाहता है वह काम पर नहीं जाता । विशेषकर वेतन प्राप्त करने के बाद अथवा शादी आदि के अयसरो पर काम की छुट्टी कर देता है । जब तक उसके पास जेब में पैसे रहते हैं उसे काम की चिन्ता नहीं रहती । जब खाली होने पर उसे फिर काम तलाश करने की शूकती है । ऐसी हालत में श्रमिक अपने काम में कार्य-कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता यह बात हमें अन्य देशों के श्रमिकों में देखने को नहीं मिलती ।

(१०) नैतिक पतन —श्रीशैलिक नगरों में रहने वाले श्रमिकों में बहुत सी सामाजिक बुराईया उत्पन्न हो जाती हैं । उन्हे शराब, जुआ, वैश्यागमन की श्रादत पड जाती है । इस नैतिक पतन का उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है और उनकी कार्य-कुशलता भी कम हो जाती है । यह बुराई भारत के लगभग सभी बड़े नगरों में पाई जाती है ।

(११) श्रम संघर्ष —श्रम की कार्य-कुशलता के लिए यह आवश्यक है कि मिल मालिक और मजदूर अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार अनुभव करें और एक दूसरे के सहयोग से कार्य करें । जब श्रमिक तथा मिल मालिक दोनों अपने २ उत्तरदायित्व से उदासीन हो जाते हैं और सारा दोष एक दूसरे पर रखने लगते हैं तभी इस प्रकार की बुराईया उत्पन्न हो जाती है और श्रम की कार्य-कुशलता भी कम हो जाती है ।

श्रम की कार्य-कुशलता में वृद्धि करने के उपाय

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिक के कम कार्य-कुशल होने में श्रमिक का इतना अधिक दोष नहीं है जितना सरकार, मिल मालिकों और सामाजिक वातावरण का है । श्रम की कार्य-कुशलता को बढाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए :—

(१) टैक्नीकल तथा सामान्य शिक्षा का प्रसार —यह सबसे बड़ी आवश्यकता है जिसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए । मिल मालिकों को अपने यहाँ काम करने वाले श्रमिकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए । सरकार को यह कर्तव्य है कि देश श्रीशैलिक शिक्षा के लिए उचित संस्था में टैक्नीकल स्कूलों तथा कानिजी की व्यवस्था करें । वैसे तो सरकार का ध्यान इस ओर गया है किन्तु अब तक की प्रगति सतोषजनक नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर मिलमालिक इस ओर से उदासीन हैं अथवा इसके महत्व को पूरी तरह नहीं समझते ।

(२) श्रमिकों के लिए मकानों का निर्माण :—सरकार तथा मिलमालिक मजदूर के रहने के लिए साफ सुथरे मकानों के निर्माण के कार्य पर और अधिक ध्यान दें । गन्दे बस्तियों (slums) की सफाई होनी चाहिए । कुछ नगरों में सरकार

तथा मिल मालिकों के प्रयत्नों से १९४७ के बाद मकान निर्माण के कार्य में कुछ प्रगति हुई है और इसका धर्म की कार्य कुशलता पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। दूसरी पंच वर्षीय योजना में इस कार्य को और अधिक तेजी के साथ करने की व्यवस्था की गई है। फिर भी देश की आवश्यकता को देखते हुये अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब मिल मालिक सच्चे मन से इस कार्य में सरकार का हाथ बटावें।

(३) मनोरजन आदि की व्यवस्था - शराब, जुआ तथा वैश्यागमन की बुराइयों को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि शुद्ध मनोरजन के माध्यम श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराये जावे ताकि काम से लौटने के बाद श्रमिक अपनी यकान को दूर कर सकें और उनका मन बहलाव हो सके। इस हेतु कुछ स्थानों पर श्रम हितकारी केन्द्रों की स्थापना की गई है। यहा रेडियो, सिनेमा, पुस्तकालय खेल कूद आदि की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की सुविधाओं का श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा मानसिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। जिन श्रमिकों ने इन सम्बन्ध में परीक्षण किये हैं उन्हें सतोषजनक परिणाम मिले हैं अतः इन कार्यों के विस्तार की आवश्यकता है।

(४) काम के घण्टों में कमी और काम की परिस्थितियों में सुधार —वैसे तो फैक्ट्री यान्त्र द्वारा काम के घण्टों को कम करने का प्रयत्न किया गया है किन्तु अभी भी भारतीय मजदूर को अपेक्षाकृत बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है। विशेषकर जिन परिस्थितियों में उसे कार्य करना पड़ता है वे अधिक यकान पैदा करने वाली और स्वास्थ्य को खराब करने वाली है। कार्य के बीच कुछ समय का विश्राम तथा भोजन आदि की छुट्टी मिलना आवश्यक है।

(५) मजदूरी की दर में वृद्धि —कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिये तथा रहन सहन के स्तर में सुधार करने के लिये मजदूरी की दर में वृद्धि होनी चाहिए।

यह हर्ष का विषय है कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से भारत सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ है और प्रथम तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में श्रम समस्याओं का पूरी तरह ध्यान रखा गया है।

प्रश्न ७३—'श्रम हितकारी कार्य' से आप क्या समझते हैं? हाल के वर्षों में श्रम हितकारी कार्यों की वृद्धि के लिए सरकार द्वारा कौनसे कानूनी कदम उठाये गए हैं।

(बिहार ५३)

What do you mean by 'Labour Welfare Work'? What legislative steps have been taken by the government in recent years for promoting labour welfare?

(Bihar 1953)

श्रम हितकारी कार्य का अर्थ: श्रम हितकारी कार्य का अर्थ श्रमिकों को इस प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करना है जिसमें वे शक्तिपूर्वक और आराम का जीवन व्यतीत कर सकें और अपनी पूरी शक्ति तथा क्षमता के साथ जी लगाकर काम कर सकें। दूसरे शब्दों में कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए श्रमिकों के सामने उचित

वातावरण उत्पन्न करना ही श्रम हितकारी कार्यों का मुख्य ध्येय है। उदाहरण के लिए श्रमिकों के रहने के लिए अच्छे मकानों का प्रबन्ध तथा बिजली पानी की व्यवस्था, उनके बच्चों आदि के लिये डाक्टरों सेवाएँ तथा शिक्षा की सुविधाएँ उनके उचित मनोरंजन तथा खेल कूद की व्यवस्था, तथा यातायात की सुविधाएँ आदि शामिल हैं। श्रम हितकारी कार्यों का श्रम की कार्य कुशलता से सीधा सम्बन्ध है। इसलिए केवल मानवता के नाते ही नहीं बल्कि उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से भी श्रम हितकारी कार्य करना आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization or I. L. O.) ने एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन (Asian Regional Conference) में श्रम हितकारी कार्य के विषय में बताया कि श्रमिकों के लिए उनकी परिस्थितियों में ऐसी सेवाओं सुविधाओं आदि का प्रबन्ध किया जाए जिससे काम पर लगे कर्मचारियों की स्वस्थ और उचित ढंग से काम कर सकें। श्रम हितकारी कार्य के सम्बन्ध में I. L. O. ने १९३७ में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें निम्नलिखित कार्य इसमें शामिल किये थे—कैम्पेन की व्यवस्था, आराम तथा खेल कूद की सुविधाएँ, काम के स्थान से दूर रहने वाले श्रमिकों के लिए यातायात का प्रबन्ध इत्यादि। इन कार्यों के प्रतिरिक्त अन्य बहुत सी बातें भी श्रम हितकारी कार्यों में शामिल की जा सकती हैं।

श्रम हितकारी कार्य कौन करें :—यह एक विवादपूर्ण विषय है। श्रम हितकारी कार्य करने का उत्तरदायित्व मिल मालिकों पर तो है ही परन्तु सरकार श्रम संघ (Trade Unions) तथा जन सेवक संस्थाएँ भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। मिल मालिकों का धरना हित भी इन बातों में है कि उनके श्रमिक सुखी और अधिक कार्य कुशल हैं। इससे आपसी सम्बन्ध ठीक रहते हैं। श्रम संघर्ष कम होते हैं और श्रम की उत्पादनशीलता बढ़ जाती है। विगत काळ में भारत के कुछ उदार हृदय वाले मिल मालिकों ने इस दशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बम्बई की लगभग सभी सूती वस्त्र मिलों में मजदूरों के हित के लिए दवाखाने खोले जा रहे हैं। मिलों में काम करने वाली माताओं के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की गई है। घनाज की सस्ती दुकानें तथा मिलों में कैम्पेन स्थापित किये गये हैं। बहुत सी मिलों ने कर्मचारियों द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है।

अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिलों में दवाखानों की व्यवस्था, मजदूरों के बच्चों के लिए दूध तथा फल आदि का वितरण तथा बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है।

दिल्ली क्लाय तथा जनरल मिल्स में श्रम हितकारी कार्य के उद्देश्य से एक कर्मचारी हितकारी फंड ट्रस्ट स्थापित किया गया है जिसमें प्रतिवर्ष लाभांश आदि में से एक निश्चित रकम जमा कर दी जाती है। इस कोष द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना, बूढ़ों की पेन्शन, प्रोविडेंट फंड, लड़कों की शादी के लिए धन देने का प्रबन्ध किया

जाता है। यहाँ के कर्मचारियों का अपना एक बैंक भी है जिसमें वे रुपया जमा करते हैं। लम्बी धीमारी, विशेष चिकित्सा तथा दाह संस्कार आदि के लिए विशेष आर्थिक सहायता का प्रबन्ध है। कर्मचारियों की एक बीमा कंपनी है, एक नये ढंग का अस्पताल है बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध है और उनकी जानकारी के लिए साप्ताहिक अखबार प्रकाशित करने की व्यवस्था है।

एक अन्य उदाहरण मद्रास की बकिंगम तथा कर्नाटक मिल्स का है। इनके यहाँ एक दवाखाना तथा महिला डाक्टर का प्रबन्ध है। लड़कियों को घरेलू काम काज (Home science) की शिक्षा दी जाती है तथा अन्य विविध प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

भारतीय जूट मिल एसोसिएशन ने यह समस्त भार अपने ऊपर ले रखा है। उनकी ओर से श्रम हितकारी केन्द्रों की स्थापना की गई है। यह केन्द्र आपसी खेल कूद प्रतियोगिता, संगीत शिक्षा, नाटक वाचनालय, पुस्तकालय तथा रेडियो आदि का प्रबन्ध करते हैं। इनकी एक महिला कल्याण समिति भी है। दवाखानों की व्यवस्था भी की गई है।

श्रम संस्थानों द्वारा प्रयत्न - श्रम संस्थाओं के पास धन के अभाव के कारण अधिक कार्य करने की क्षमता नहीं। कुछ श्रम संस्थाएँ अपनी साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित करती हैं। रात्रि पठशालाओं का प्रबन्ध करती हैं और छोटे पैमाने के दवाखानों की व्यवस्था भी करती हैं। अहमदाबाद की सूती वस्त्र श्रमिक एसोसिएशन ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।

समाज सेवा संस्थानों द्वारा कार्य—देश की प्रमुख संस्थाओं ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इन संस्थाओं में Y M C A. का नाम सबसे पहिले आता है। यह एक इसाई मिशनरी संस्था है जिसने अनेक प्रकार के श्रम हितकारी कार्यों में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त बम्बई की समाज सेवा लीग, सर्वेंट्स आफ इण्डिया मोसाइटी, सेवा मदन सोसाइटी आदि ने भी महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न—भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारों द्वारा श्रम हितकारी कार्यों को सफल बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए हैं। एक तो कानून द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करना कि मिल मालिकों को उस कार्य के लिये बाध्य किया जा सके कि जो वर्तमान फ़ैक्ट्री कानून के अन्तर्गत किया गया है और जिसका उल्लेख हम आगे चलकर करेंगे। दूसरी ओर राज्य सरकारों द्वारा अपने श्रम विभागों के अधीन श्रम हितकारी केन्द्रों की स्थापना और उनका संचालन। हम इन दोनों प्रकार के कार्यों पर प्रथम विचार करेंगे।

(अ) फ़ैक्ट्री कानून में श्रम हितकारी कार्य की व्यवस्था—फ़ैक्ट्री कानून जो १९४८ में संशोधन रूप से पास किया गया श्रम हितकारी कार्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त १९५१ में बागान श्रम कानून (Plantation Labour Act) तथा १९५२ के खान कानून (Mines Act) में भी श्रम हितकारी कार्यों की व्यवस्था। सरकार वे सभी कार्य जो श्रम हितकारी

कार्य बड़े जा सकते हैं और जिन्हे पूरा करने के लिये मिल मार्शलक ब'ध्य है उनकी व्यवस्था इन कानून में कर दी गई है। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की व्यवस्था इस कानून में है जैसे प्रति व्यक्ति ५०० घन फीट स्थान पाने के लिए माफरानी का प्रबन्ध, २६० या इससे अधिक कर्मचारियों वाली मिलों में एक कैंटीन की व्यवस्था, ५०० या इससे अधिक कर्मचारियों वाली मिलों में एक श्रम हितकारी अफसर (Labour welfare officer) की नियुक्ति आदि की व्यवस्था है। इसके अलावा सप्ताहिक काम के घण्टे, साल में सेवेनन छुट्टी इत्यादि के विषय में स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई है। इन पर कार्य न करने वाले को सजा दी जाती है।

राज्य सरकारों के श्रम विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्य

श्रम हितकारी कार्य करने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। प्रत्येक राज्य में श्रम विभागों की स्थापना कर दी गई जिनकी देख रेख में इस कार्य का संचालन होता है। बम्बई तथा उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन क्षेत्र में विशेष कार्य किया है।

बम्बई राज्य में सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार के १० श्रम हितकारी केन्द्र हैं। उत्तम श्रेणी के केन्द्रों में हर प्रकार के खेलों की व्यवस्था है जैसे हाकी, फुटबाल, वालीबाल, अथवा ताश, गतरज, कैरम इत्यादि। इनमें व्यायाम शाला, स्त्री पुरुषों के पृथक रानान गृह, तथा बच्चों के खेलों का प्रबन्ध है। इसी प्रकार फिल्म शो रेडियो, नाटक सगीन प्रतियोगिता, वाचनालय, पुस्तकालय, स्कूल तथा डाक्टरों सुविधाओं की भी व्यवस्था है। प्रत्येक केन्द्र का संचालन एक योग्य सरकारी कर्मचारी के हाथों में होता है जो समय समय पर शिक्षा सम्बन्धी अथवा मनोरंजन के हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन करता रहता है। घोरतों की शिक्षा तथा मनोरंजन का भी प्रबन्ध करता है। श्रम कार्यकर्तियों को शिक्षा देने और नागरिकता की शिक्षा के लिये स्कूल खोले गए हैं।

उत्तर प्रदेश के लगभग सभी औद्योगिक नगरों में श्रम हितकारी केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। विशेष रूप से कानपुर नगर में इस प्रकार के कई केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों में लगभग वे सभी कार्य होते हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त खेल कूद प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन आदि का आयोजन, सगीत की शिक्षा, गर्भवती स्त्रियों और बच्चों को दूध का वितरण, चर्खा चलाने की शिक्षा तथा अन्य कई प्रकार के कार्य किये जाते हैं। बिहार सरकार ने भी जमशेदपुर तथा कटिहार में दो श्रम हितकारी केन्द्रों की स्थापना की है। पश्चिम बंगाल राज्य में भी इसी प्रकार के श्रम हितकारी केन्द्र खोले गए हैं जिनका उद्देश्य इस प्रकार है —

- (अ) मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना।
- (ब) बच्चों और बड़ों की प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।
- (स) डाक्टरों सुविधाओं का प्रबन्ध करना।
- (द) श्रम सच कार्यकर्तियों का निर्देशन।

इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों में भी श्रम हितकारी कार्य राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे हैं।

भारतीय रेलों में काम करने वाले कर्मचारियों तथा ग्रन्थ सरकारी उद्योगों के श्रमिकों की सुविधाओं और हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है और उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम हितकारी कार्य मानवता के विचार से तथा श्रम की कार्य कुशलता की वृद्धि के विचार से आवश्यक हैं और सरकार मिनमालिकों, श्रम सघों तथा समाज सेवा संस्थाओं को अपनी क्षमता के अनुसार इस कार्य में योग देना चाहिए।

प्रश्न ७४—भारत सरकार द्वारा औद्योगिक श्रम की सहायतायें 'सामाजिक सुरक्षा' प्रदान करने के लिए किए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए; क्या आप इस प्रगति को पर्याप्त समझते हैं? (अगरा ५६)

अथवा

१९४८ के 'कर्मचारी राज्य बीमा कानून' की मुख्य बातों की विवेचना कीजिए। इससे श्रमिकों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? (पटना ५२)

Give a brief account of the social security measures adopted by the Government of India to help industrial labour. Do you regard the progress as adequate? (Agra 56)

Or

State the main provisions of the Employees State Insurance Act of 1948. How does it affect the positions of the workers? (Patna 52)

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ

सामाजिक सुरक्षा (Social security) एक व्यापक शब्द है। इसका अर्थ है कि मनुष्य की उन सभी विपदाओं से रक्षा की जानी चाहिए जिनका उसे अपने जीवन काल में सामाजिक सदस्य होने के नाते सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए भूख, बेरोजगारी, बुढ़ापा, गरीबी बीमारी आदि से उनकी रक्षा की जाय ताकि वह भयरहित जीवन व्यतीत कर सकें। एक लोक हितकारी (Welfare State) में सरकार प्रथम समाज का उत्तरदायित्व है कि वह मनुष्य को इन सभी विपदाओं से सुरक्षा प्रदान करे।

पूरे मानव समाज को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना किसी भी देश के लिए सम्भव नहीं है किन्तु कुछ सीमित क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा को लाभ पहुंचाया जा सकता है।

डग्लैड म बेवरिज योजना (Beveridge Plan) के आधीन बीमारी का बीमा तथा बुढ़ापे की पेन्शन आदि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। भारत सरकार को ओर से श्री अदार्कर (Adarkar) इस योजना का अध्ययन करने गए

ये और एक सीमित क्षेत्र में कुछ अंशों में भारत में इसे लागू करने की उन्होंने भारत सरकार के सामने पेश की जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया था। १९४८ में उसी के प्रकार पर एक कानून पास किया जिसका उल्लेख हम नीचे करेंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा कानून १९४८—यह कानून भारतीय संसद द्वारा १९४८ में पास किया गया। यह उन सभी कारखानों पर लागू किया जा सकता है जिनमें शक्ति का प्रयोग होता है और २० या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यह फौज में काम करने वाले व्यक्तियों तथा ४०० रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वालों पर लागू नहीं होता। शेष सभी प्रकार के मजदूरों तथा दफ्तर के बाबुओं पर लागू होता है।

प्रशासन—इस योजना का प्रशासन करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees State Insurance Corporation) की स्थापना की गई है। सके २८ सदस्य हैं जिनमें मजदूरों, मालिकों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं। इनके अतिरिक्त डाक्टरी पेशे के लोगों और भारतीय संसद के सदस्य भी इनके सदस्य हैं। इनमें से १३ सदस्यों की एक समिति निगम के सामान्य प्रशासन की देखभाल करती है। डाक्टरी सुविधाएं प्राप्त करने के विषय में २८ व्यक्तियों की एक अन्य समिति परामर्श देती है। निगम का सबसे बड़ा अधिकारी एक डायरेक्टर जनरल है जिसकी सहायता के लिये चार अन्य सहायक अफसर हैं। निगम द्वारा देश के कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में प्रादेशिक तथा स्थानीय दफ्तर स्थापित किये गये हैं।

निगम के वित्तीय साधन—कर्मचारी राज्य बीमा योजना को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वह भारत सरकार, प्रान्तीय सरकारों, मिल मालिकों तथा मजदूरों द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार समस्त योजना के प्रशासन का भार उठाती है और उसका व्यय स्वयं करती है। प्रान्तीय सरकारें योजना के आधीन अस्पतालों आदि की व्यवस्था करती हैं। मजदूर अपने साप्ताहिक वेतन के आधार पर २ अने से १ रु० ४ अने प्रति सप्ताह देते हैं। मिल मालिकों को भी लगभग इसका दोगुना धन देना पड़ता है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधायें

इस योजना के अन्तर्गत कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं—

(१) डाक्टरी सुविधा—जो कर्मचारी इस योजना के आधीन अपना बीमा कराए हुए होते हैं उन्हें बीमारी के दिनों में मुफ्त इलाज की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सरकारी अस्पतालों में उनके लिए पृथक स्थान रहता है और निगम स्वयं अपने दवाखाने खोलता है तथा डाक्टरों की नियुक्ति करता है। इन दवाखानों से मामूली बीमारी की दवा मुफ्त मिलती है।

(२) बीमारी में आर्थिक सहायता—यदि बीमार व्यक्ति लगभग ६ महीने पूर्व से अपना बीमा कराए हुए है और बीमे की साप्ताहिक किश्तें बराबर देना आ

रहा है तो बीमारी के दिनों में उस नकद आर्थिक सहायता भी दी जाती है। यह सहायता उसकी औसत मजदूरी के हिसाब से दी जाती है।

(३) मातृत्व लाभ सुविधा (Maternity Benefit)—यह सुविधा केवल स्त्री कर्मचारियों को उस काल में दी जाती है जब उनके बच्चा पैदा होने वाला होता है। बच्चे के जन्म से ६ सप्ताह पूर्व और ६ सप्ताह बाद तक यह सुविधा मिल सकती है। इससे उन्हें प्रतिदिन १२ आने के हिसाब से नकद सहायता मिलती है। इस सुविधा के साथ कुछ शर्तें भी रहती हैं, जैसी कि अन्य सुविधाओं के लिए हैं।

(४) अप्रहिज्जो की सुविधा—जो कर्मचारी काम करते समय चोट फेंट के कारण अप्रहिज्ज हो जाते हैं और काम करने के योग्य नहीं रहते उन्हें नकद आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। यदि चोट अस्थायी है तो ठीक होने तक औसत वेतन का ३ भाग सहायता के रूप में मिलता है। इसके विपरीत यदि अप्रहिज्जपन स्थायी है तो जन्म भर की पेन्शन दी जाती है।

(५) परिवार वालों को सुविधा—जिन कर्मचारियों का बीमा है और जो काम करते समय हादसे के कारण मर जाते हैं उनके परिवार वालों को (पत्नी तथा बच्चों) आर्थिक सहायता दी जाती है। पत्नी को उस समय तक सहायता दी जाती है जब तक वह दुबारा शादी न कर ले। इसी प्रकार लड़कों को १५ साल की आयु तक और अविवाहित लड़कियों को १३ साल की आयु तक सहायता मिलती है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रगति

यह योजना सर्व प्रथम १९५३ में कात्पुर तथा दिल्ली राज्य में लागू की गई थी। इसके बाद पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी जिनमें अमृतसर, अम्बाला, जलधर, लुधियाना तथा जगाधरी आदि शामिल हैं लागू की गई। इसके बाद १९५४ में नागपुर तथा बम्बई नगर में इसे लागू किया गया। १९५५ में कोयमटूर, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन तथा रतलाम में लागू की गई। इस समय देश के लगभग १३ लाख कर्मचारी इसमें लाभ उठा रहे हैं। इसे २२ अन्य औद्योगिक केन्द्रों में लागू करने की योजना है जिससे ८५ हजार कर्मचारियों को और लाभ होगा।

सामाजिक सुरक्षा के अन्य उपाय

हम कर्मचारी राज्य बीमा योजना का उल्लेख ऊपर कर चुके हैं। इस योजना के लागू होने से पूर्व भी भारत में कई अन्य कानून पास किये जा चुके हैं जिनका उद्देश्य मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ही समझना चाहिये। इनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं।

(१) कर्मचारी मुआवजा कानून (१९२३)—इस कानून का उद्देश्य यह है कि काम करते समय जिन कर्मचारियों को चोट आ जाती है अथवा जो अप्रहिज्ज हो जाते हैं उन्हें मिल मालिकों से मुआवजा दिलवाना है। इस कानून में कुछ ऐसे दोष हैं कि जिनके कारण मिल मालिक बहुधा मुआवजा देने से बच जाते हैं और मजदूर को कोई सहायता नहीं मिल पाती। अब जिन स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू हो गई है वहां इस कानून का स्थान बीमा योजना ने ले लिया है

और उसी योजना के आधीन सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं जिनका उल्लेख ऊपर कर चुके हैं। आशा की जाती है कि समस्त देश में राज्य बीमा योजना लागू हो जावेगी तब इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

(२) कोयला खान प्राविडेंट फंड कानून (१९४८)—इस कानून के द्वारा भारत सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों को प्राविडेंट फंड तथा बोनस के वितरण की योजना बनाकर लागू कर सके। इस कानून से कोयले की खान में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को बोनस तथा प्राविडेंट फंड का लाभ अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है।

(३) प्राविडेंट फंड कानून (१९५२)—५० या इससे अधिक व्यक्ति जिस औद्योगिक सस्था में कार्य करते हैं और जो तीन साल से अधिक से कार्य कर रहा है उसमें कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को प्राविडेंट फंड की सुविधाएँ प्रदान कर दी गई हैं। मजदूर अपने वेतन में स १ आना रुपया के हिसाब से कटौती कराते हैं और इसी दर से मिल मालिकों को भी उसम धन जमा करना पडना है। इस समय देश के ३२ उद्योगों में काम करने वाले २८ लाख मजदूर इससे लाभ उठा रहे हैं। प्राविडेंट फंड में लगभग १०० करोड़ रुपया जमा हो गया है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कुछ प्रारम्भिक कार्य किये गये हैं किन्तु इनकी अब तक प्रगति को देखकर यह कहा जा सकता है कि भारत इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। सामाजिक सुरक्षा की सफलता में अनेक बाधाएँ हैं। भारत जैसे देश में समाज सुरक्षा की योजनाओं को पूरी तरह लागू करने के लिये बहुत अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है। यह भार सरकार पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकती। मिल मालिक इस विषय में सरकार के साथ पूरी तरह सहयोग करने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि उद्योग पर एक तल कर का भार बहुत अधिक है दूसरे धम की कार्यक्षमता बहुत कम है। इसलिए जब तक उद्योग की उत्पादन क्षमता न बड़े उद्योग इन नई योजनाओं के भार को सहन नहीं कर सकता। रवार भी इस विषय में शीघ्रता नहीं करना चाहती। यही कारण है कि सामाजिक सुरक्षा की योजना का विस्तार धीरे धीरे किया जा रहा है।

प्रश्न ७५— भारत में औद्योगिक धम की मकानों की समस्या क्या है ? मिल मालिकों अथवा सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

What is the problem of housing of industrial labour in India ? What steps have been taken by the Employer or the State to solve it ?

(Lucknow 47)

उत्तर—औद्योगिक मकानों की समस्या—भारत में औद्योगिक धमिक मकान की समस्या से सबसे अधिक पीडित है। कलकता, बम्बई, कानपुर तथा अन्य बड़े औद्योगिक नगरों में मजदूरों के रहने के लिये जिस प्रकार के मकान उपलब्ध हैं उन्हे

मकान कहना मकान शब्द का अपमान करना है। गन्दी बस्तियों में श्रमिकों को इस प्रकार की छोटी तथा ग्रन्थेरी कोठरियों में रहना पड़ता है जो किसी भी प्रकार मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है। इनमें साफ हवा धूप तथा रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं होता। यह जाड़ों में सर्द गर्मियों में गर्म और बरसात में सील से भरी रहती हैं। इतना ही नहीं एक २ कोठरी में ६ अथवा ७ आदमी रहते हैं। उन्हें वही खाना पकाना, वही सोना तथा अपना सामान रखना पड़ता है। ऐसी दशा में श्रमिक का स्वास्थ्य खराब होजाना अथवा उसकी कार्य कुशलता का घट जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि इन गन्दी बस्तियों को समाप्त करके नई मजदूर बस्तियों का निर्माण किया जाय और इस कार्य को अन्य श्रम हितकारी कार्यों के साथ प्राथमिकता दी जाए।

समस्या का समाधान और उसकी प्रगति—औद्योगिक मकानों की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। लगभग सभी औद्योगिक देशों में यह समस्या औद्योगिक विकास के साथ उत्पन्न होती है और इसके समाधान के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। सर्व प्रथम तो मिल मालिकों को यह कर्त्तव्य है कि वे अपने कार्यों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आरामदायक मकानों का निर्माण करावें। यदि वे किसी कारण इस कार्य को करने में असफल रहे तो सरकार को इनमें योग देना चाहिये। इसके लिए सरकार के पास एक स्पष्ट नीति तथा योजना होनी जरूरी है। भारत के कुछ प्रमुख मिलमालिकों ने अपने मजदूरों के वास्ते सुन्दर श्रम बस्तियों का निर्माण कराया है जिनमें बिजली, पानी तथा सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। टाटानगर, जमशेदपुर मीदीनगर मेरठ डालमिया नगर तथा इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। इतना होते हुए भी समस्या अभी भी उतनी ही जटिल है जितनी पहले थी। इसका एक कारण तो यह है कि देश का औद्योगिक विकास हो रहा है और उसी के साथ २ औद्योगिक मकानों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है।

सरकार की नीति—भारत सरकार ने औद्योगिक मकानों के सम्बन्ध में १९६० के बाद से विशेष रुचि लेना प्रथम प्रारम्भ किया। पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। योजना आयोग (Planning Commission) के सुझाव पर १९५२ में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास (Subsidised Industrial Housing Scheme) योजना पर कार्य शुरू किया गया और प्रथम योजना के कार्य काल में इस योजना की काफी प्रगति भी हुई।

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना (Subsidised Industrial Housing Scheme) इस योजना के द्वारा राज्य सरकारों, आवास बोर्डों (Housing Boards), मिल मालिकों तथा सहकारी मकान निर्माण समितियों (Cooperative House-Building Societies) के माध्यम से औद्योगिक मकान निर्माण कार्य को प्रोत्साहन देना है। यह योजना सर्व प्रथम उन औद्योगिक

मजदूरो के हेतु लागू की गई जो १९४८ के फैंक्ट्री कानून के आधीन आते थे । अब यह कोयला तथा अबरक (Coal & Mica) की खानों में काम करने वाले मजदूरों को छोड़कर शेष उन मजदूरों के लिए लागू कर दी गई है जो १९५२ के भारतीय खान कानून (Mines Act of 1952) के आधीन आते हैं ।

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार श्रीयोगिक मकानों के निर्माण के लिए अनुदान तथा कर्ज के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, राज्य सरकारों को एक कमरे वाले मकानों के निर्माण की ५० प्रतिशत लागत अनुदान के रूप में और ५० प्रतिशत कर्ज के रूप में दी जाती है । कलकत्ता तथा बम्बई में इस प्रकार के मकानों की औसत लागत ४०० रुपये तथा अन्य स्थानों पर २७०० रुपये निर्धारित की गई है । इसी प्रकार सहकारी मकान निर्माण समितियों तथा मिल मालिकों को भी अलग अलग अनुपात में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

सहायता प्राप्त श्रीयोगिक आवास योजनाओं की प्रगति—प्रथम पंचवर्षीय आयोजन में इस कार्य के लिए २८५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । १९५७ तक २५५६ करोड़ रुपये की कुल स्वीकृति इस योजना के अन्तर्गत दी गई । प्रथम योजना के अनुसार कुल ७६६७६ मकान बनाने का अनुमान था । निम्नलिखित तालिका विभिन्न राज्यों में बनने वाले मकानों की संख्या को स्पष्ट करती है—

बम्बई	१६१६५ मकान
उत्तर प्रदेश	२१७०६ "
हैदराबाद	५६२६ "
मध्य प्रदेश	५१८१ "
मध्य भारत	३४४४ "

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार १९५७ तक लगभग ६६७०० मकान बन कर तैयार हो चुके हैं । शेष बन रहे थे और इस वर्ष तक बन कर पूरे हो जाने की आशा है । प्रथम योजना में जितने मकानों के बनने की स्वीकृति दी गई थी उनमें से लगभग ८१ प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये हैं ।

निम्नलिखित तालिका आर्थिक सहायता की मात्रा तथा बनाने वाले मकानों की स्वीकृत संख्या की ओर संकेत करती है ।

	स्वीकृत आर्थिक सहायता (करोड़ रुपये में)			स्वीकृत मकानों की संख्या
	कर्ज	अनुदान	योग	
१-राज्य सरकारों को	१२०८	११२७	२३४५	७५३८५
२-मिल मालिकों को	०८३	०६३	१७६	१३१७१
३-सहकारी समितियों को	२८	०४८	७६	१७४७
	१३१६	१२४३	२५५९	९०३०३

हाल ही में ३६८ करोड़ रुपए की लागत से १६४७६ और मकान बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा था और यह आशा है कि उन पर कार्य शुरू हो गया होगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये ४५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत १२८००० मकानों का निर्माण दूसरी योजना के काल में होने की आशा है।

गन्दी बस्तियों की सफाई—बड़े २ औद्योगिक नगरों में गन्दी बस्तियाँ स्थापित हो गई हैं जिन्हें हाते, चाल, बस्ती तथा अन्य कई नामों से पुकारा जाता है। राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे इन बस्तियों की जांच पड़ताल करें और धीरे-धीरे २ पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इन्हें समाप्त करके इनके स्थान पर नये मकानों का निर्माण करें। इस कार्य पर जो व्यय होगा उसका २५% अनुदान के रूप में तथा १०% तीस साल के कर्ज के रूप में भारत सरकार देगी। शेष २५ प्रतिशत का प्रबन्ध राज्य सरकार को अपने पास से करना होगा। कानपुर, दिल्ली, कलकत्ता तथा अन्य बड़े नगरों के लिए गन्दी बस्ती सफाई योजनाएँ बनायी गई हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए २० करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इन बस्तियों के स्थान पर ११०००० नये मकानों का निर्माण किये जाने की आशा है।

औद्योगिक श्रमिकों के अतिरिक्त बागान (Plantations) में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए भी मालिकों द्वारा मकानों की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है जो छोटे बागान के स्वामी हैं और स्वयं मकान बनाने का कार्य नहीं कर सकते वहाँ राज्य सरकारें इस कार्य को करेंगी और भारत सरकार से उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इस विषय में १९५६ में एक योजना तैयार करली गई है और राज्य सरकारों के पास विचार के लिये भेज दी गई है।

प्रश्न ७६—भारत में औद्योगिक श्रम के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये। इसकी सफलता की क्या सम्भावना है?

(पटना ५२)

Point out the necessity of fixing minimum wages for Industrial Labour in India. Indicate the prospects of the success

(Patna 52)

न्यूनतम मजदूरी का अर्थ—न्यूनतम मजदूरी का अर्थ कानून द्वारा निर्धारित मजदूरी की उस दर से है जिससे कम मजदूरी किसी भी व्यक्ति को न दी जाये। दूसरे शब्दों में, कानून मिल मालिकों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी देने को बाध्य करे ताकि मजदूर कम से कम एक न्यूनतम स्तर का जीवन व्यतीत कर सकें। १९२९ में सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ, International Labour Organization ने अपने सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करने का प्रस्ताव पास किया था। १९३१ में शाही श्रम उद्योग (Royal Commission

on Labour) ने भी भारत में न्यूनतम मजदूरी की दर लागू करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया था।

भारत में न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता— भारत भी उन देशों में से एक है जहाँ प्रचलित मजदूरी की दर बहुत कम है और श्रमिकों का रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है। इसका उनकी कार्य कृतश्रुता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मजदूरों को यदि जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी (Living Wage) न मिले तो कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जिसमें वे अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें, एक न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान करने वाले मकान में रह सकें और सर्दी गर्मी से बचने योग्य कपड़े पहिन सकें। इससे कम मजदूरी करना उनके साथ सामाजिक तथा नैतिक अन्याय है। भारत में मजदूर वर्ग का शोषण बहुत पहिले से होता आ रहा है किन्तु इस ओर कभी सरकार का ध्यान नहीं गया। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद देश की राष्ट्रीय सरकार ने इस विषय में कुछ आवश्यक कदम उठाये हैं।

देश में कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जिनमें कार्य करने वाले मजदूरों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उन्हें नाना प्रकार के रोग लग जाते हैं। ऐसे उद्योगों को परिश्रमशील उद्योग (Sweated Industries) कहते हैं। इनमें कार्य करने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनमें आपसी संगठन बहुत कम है। उनकी मजदूरी की दर भी बहुत नीची है। इसलिए मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करना परम आवश्यक है।

न्यूनतम मजदूरी कानून १९४८ (Minimum Wages Act 1948)— भारतीय संसद ने १९४८ में न्यूनतम मजदूरी कानून पास किया जिसके अनुसार कुछ चुने हुए उद्योगों और व्यवसायों में काम करने वाले मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई। यह वे उद्योग हैं जिनमें बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है और काम की देखते हुये जिनमें मजदूरी की दर बहुत कम है। इनमें चावल और आटे की मिलें, तेल मिलें चमड़े के कारखाने, मोटर यातायात तथा सड़कें बनाने आदि के कार्य शामिल हैं।

इस कानून का उद्देश्य विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिये जीवन निर्वाह योग्य एक न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करना है जो पूरी तरह संगठित नहीं हैं। यह कानून वैसे तो एक उच्च आदर्श को लेकर बनाया गया है किन्तु इसका क्षेत्र बहुत सीमित रखा गया है। देश में ऐसे कितने ही व्यवसाय हैं जिनमें कार्य करने वाले मजदूर शोषण का शिकार हैं किन्तु उनकी सहायता की कोई व्यवस्था इस कानून में नहीं है। राज्य सरकारों को यह अधिकार अवश्य दे दिया गया है कि वे जिस उद्योग पर उचित समझें तीन महीने का नोटिस देकर यह कानून लागू कर सकती हैं।

इस कानून में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारें किसी भी उद्योग पर इसे तभी लागू कर सकती हैं जब उसमें कम से कम १००० व्यक्ति काम करते हैं। इसका प्रभाव यह है कि १००० से कम व्यक्तियों वाले उद्योगों में काम करने वाले मजदूर इसका कोई लाभ नहीं उठा सकते।

न्यूनतम मजदूरी की दर किम प्रकार निर्धारित की जाए यह एक जटिल प्रश्न है। इस विषय पर कानून में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करने का कार्य जिन समितियों द्वारा किया जाता है उनमें मालिकों तथा कर्मचारियों के समान संख्या में प्रतिनिधि होते हैं किन्तु उनके चुनाव तथा नियुक्ति की व्यवस्था दोषपूर्ण है।

न्यूनतम मजदूरी कानून में १९५४ में कुछ संशोधन (Amendments) किये गये हैं। कानून में एक सूची है जिसमें उन उद्योगों का उल्लेख किया गया है जिन पर यह कानून लागू किया जा सकता है। इन सूची के दो खंड हैं। प्रथम खंड में जिन उद्योगों का उल्लेख है उन पर यह कानून लगभग सभी राज्यों में लागू हो चुका है। सूची का दूसरा खण्ड कृषि मजदूरी से सम्बन्ध रता है। कृषि मजदूरी के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना और भी जटिल कार्य है। क्योंकि देहातो में मजदूरी के भुगतान का कोई निश्चित तरीका नहीं है। इस क्षेत्र में कानून को लागू करने के लिये समस्या को पूरी तरह जांच पड़ताल करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। कुछ राज्यों में स्थानीय रूप से कृषि मजदूरी के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है।

न्यूनतम मजदूरी कानून की सफलता की सम्भावना — जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण एक उच्च आदर्श की प्राप्ति के लिये किया जाता है। वह आदर्श यह है कि कुछ समय के पश्चात् देश के प्रत्येक मजदूर को चाहे वह किसी भी प्रकार के व्यवसाय में कार्य करता है एक जीविका योग्य (Living Wage) निर्धारित करना है जीविका योग्य मजदूरी उषे कहते हैं जिससे मजदूर एक अच्छा रहन सहन का स्तर बनाये रख सके कशलता पूर्वक कार्य करे और उसका जीवन सामान्य रूप से सुखमय हो। जादिका योग्य मजदूरी सबसे वाद की सीढ़ी है। इसे पूर्व न्यायपूर्ण मजदूरी (Fair Wage) का प्रश्न आता है। न्यायपूर्ण मजदूरी का अर्थ यह है कि श्रमिक अपनी कार्य कुशलता को बनाये रख सके और सामान्य खर्चों के वाद कुछ बचत भी करता रहे। यह हमारे आदर्श के बीच की सीढ़ी है। भारत में न्यायपूर्ण मजदूरी की दर निर्धारित करने से सम्बन्धित कानून ससद के सामने पेश हो चुका है किन्तु अभी तक पास नहीं हुआ। न्यायपूर्ण मजदूरी के विषय में यह कहा गया है कि यह न्यूनतम मजदूरी से अधिक और जीविका मजदूरी से कुछ कम होनी चाहिये। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जीविका योग्य मजदूरी अथवा न्यायपूर्ण मजदूरी भी सारे देश के मजदूरों पर लागू नहीं हुई है।

न्यूनतम मजदूरी कानून में कुछ दोष हैं जिनके कारण इसकी प्रगति बहुत धीमी रही है। सर्व प्रथम तो यह कानून बहुत सीमित क्षेत्र में कुछ श्रेणियों तथा व्यवसायों में लागू किया गया है। दूसरे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय कौनसी विधि अपनाई जावे इस विषय में कानून में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। तीसरी बात यह है कि मालिक इसके अधिक पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उनका मत

यह है कि न्यूनतम मजदूरी उसी समय लागू की जानी चाहिये जब उद्योग उसका भार सहन करने की क्षमता रखता हो। वर्तमान समय में उनके अनुसार भारतीय उद्योग इस स्थिति में नहीं है कि न्यूनतम मजदूरी अथवा न्यायपूर्ण मजदूरी का भार सहन कर सके।

हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की कोई भी योजना उभी समय सफल हो सकती है जब देश की राष्ट्रीय आय में सन्वित वृद्धि हो। इसके लिए उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब उनमें कार्य करने वाले कार्य कुशल हो। भारत में राष्ट्रीय आय में अभी तक इस मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है कि इस प्रकार की योजनाएँ सारे देश पर लागू की जा सकें। यह बात स्पष्ट है कि मजदूरी आदि का वितरण राष्ट्रीय आय में से ही होता है। यदि मजदूरों को उनकी सेवाओं के अनुसार उचित मजदूरी मिल रही हो तो मजदूरी की दर में वृद्धि की जा सकती है किन्तु स्थाई रूप से सुधार की योजना तभी लागू हो सकती है जब राष्ट्रीय आय में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो ताकि उद्योग उसके भार को सहन कर सके।

उपरोक्त विवेचन में हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि निकट भविष्य के भारत में सामान्य रूप से न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की कोई सम्भावना नहीं। इसके लिये अभी काफी समय चाहिए।

प्रश्न ७७—भारत में श्रम सघ आन्दोलन के विकास पर प्रकाश डालिए। इसकी मन्द गति के क्या कारण रहे हैं? इसे मजबूत बनाने के लिए अपने सुझाव दीजिए।

(आगरा ५६; पटना ५५; इलाहाबाद ५०; ४८ राजपूताना ५३; ५५ पंजाब ५६; ४८)

Trace the growth of Trade Union Movement in India. Account for its slow progress and offer suggestions to make it strong

(Agra 56, Patna 55, Allahabad 50, 48, Rajputana 53, 55, Punjab 56, 48)

भारत में श्रम आंदोलन का विकास

भारत में २० वीं शताब्दी के आरम्भ में कुछ श्रम सघ (Trade Unions) थे जिनका कार्य क्षेत्र बहुत सीमित था। इन श्रम सघों का मुख्य कार्य हड़तालों का आयोजन करना था क्योंकि इसके अतिरिक्त इनके पास अन्य और कोई प्रोग्राम नहीं था। भारत में प्रारम्भिक काल में श्रम आन्दोलन की सन्तोष जनक प्रगति नहीं हुई जिसके अनेक कारण थे। भारत में न तो उस तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ जैसा कि अन्य देशों में हुआ था और न देश में वह वातावरण उत्पन्न हो सका जो एक सगठित तथा मजबूत श्रम आन्दोलन के लिये आवश्यक है।

श्रम आन्दोलन के सगठन का वास्तविक प्रयत्न १९१८ में तथा उसके बाद के वर्षों में किया गया। यह कहना गलत न होगा कि स्वतन्त्रता आंदोलन के साथ

साथ भारतीय श्रम आंदोलन ने भी जोर पकड़ा और मजदूर वर्ग में एक नई प्रकार की चेतना जागृत हुई। १९२० में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सूती मिल मजदूर सघ स्थापित किया जिससे सारे देश के मजदूरों को संगठित होने और अपनी आवाज बुलन्द करने की प्रेरणा मिली। इससे पूर्व १९१९ में जिनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ (International Labour Organisation) की स्थापना हो चुकी थी जिसमें भाग लेने के लिये भारत से मजदूर प्रतिनिधि भी गए थे। इससे भारतीय श्रम आंदोलन को बड़ा प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रीय आघार पर श्रम आंदोलन को संगठित करने के लिये १९० म अखिल भारतीय श्रम सघ कांग्रेस (All India Trade Union Congress) की स्थापना हुई।

श्रम सघ कानून १९२६ (Trade Union Act 1926)—प्रसिद्ध मजदूर नेता एन० एम० जोशी (N M Joshi) ने सर्व प्रथम १९२२ में श्रम सघों के संरक्षण के लिये एक उचित कानून पास करने का प्रस्ताव पेश किया। १९२६ में श्रम सघ कानून पास किया गया जिसके अनुसार श्रम सघों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को अपने उद्देश्य की घोषणा करनी पड़ती थी। अपने सदस्यों की सूची तैयार करनी पड़ती थी। सघ के हिसाब किताब की सालाना जांच अनिवार्य थी। सघ के कम से कम ५ प्रतिशत पदाधिकारी उन्नी उद्योग के कर्मचारी होने चाहिए जिनके विरुद्ध हड़ताल या औद्योगिक भगड़ों के सम्बन्ध में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सघ का पैसा मजदूरों के हित के कार्यों पर व्यय किया जा सकता था यद्यपि राजनैतिक प्रचार के लिये उन्हें एक अलग कोष स्थापित करने का अधिकार था।

१९२७ के बाद कम्युनिस्ट नेताओं का प्रभाव श्रम आन्दोलनों में बढ़ने लगा जिसके कारण श्रम नेताओं के विचार में मतभेद हो गया। इसके फलस्वरूप १९२६ में नेशनल ट्रेड यूनियन फ़ेडरेशन (National Trade Union Federation) श्री एन० एम० जोशी की अध्यक्षता में स्थापित हुई क्योंकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता श्री रानाडे और श्री देशपाण्डे थे। १९३० में श्री गिरि (V V Giri) के प्रयत्नों से इन दोनों संस्थाओं का एकीकरण हो गया।

दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होते ही श्रम सघ में फिर फूट पड़ गई और १९४० में श्री एम० एन० राय ने इण्डियन फ़ेडरेशन ऑफ़ लेबर (Indian Federation of Labour) की स्थापना की। १९४७ के बाद सरदार पटेल तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं के प्रयत्न से भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (Indian National Trade Union Congress) की स्थापना की। १९४९ में समाजवादियों ने हिन्द मजदूर सभा की स्थापना की। इस प्रकार इस समय भारत में अखिल भारतीय स्तर के ४ सघ हैं।

- (१) भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (I N T U C)
- (२) हिन्द मजदूर सभा
- (३) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (U T U C)

(४) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन (A.I. T. U C)

श्रम संघ संशोधन कानून १९४७ (Trade Union Amendment Act) १९४७ में १९२६ के श्रम संघ कानून में कुछ आवश्यक संशोधन कर दिये गये। अब प्रतिनिधि श्रम संघों को मान्यता देना उद्योगपतियों के लिये अनिवार्य हो गया है। मजदूरी तथा अन्य झगड़ों में उन्हें श्रम संघ में फँसना करना पड़ता है और यदि कोई बाधा हो तो फँसला करने के लिये श्रम न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई है। जो श्रम संघ कानून के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करते हैं उनका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा हड़ताल आदि करने से पूर्व उन्हें उचित नोटिस देना पड़ता है।

श्रम संघ कानून १९५१— इन कानूनों के अनुसार श्रम संघ के कार्य में उद्योगपतियों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मजदूरों का कोई भी मामला हो उसे निपटाने का अधिकार केवल श्रम संघ को ही है। इस कानून के पास होने से श्रम संघों का महत्व बहुत बढ़ गया है और श्रम आन्दोलन में एक प्रकार की दृढ़ता आ गई है। निम्नलिखित तालिका में १९५२-५४ के काल में भारत में कुल रजिस्टर्ड श्रम संघों की संख्या दिखाई गई है और चारों अखिल भारतीय श्रम संघों से सम्बन्धित श्रम संघों की संख्या तथा उसके सदस्यों की संख्या भी दिखाई गई है।

तालिका (१)

रजिस्टर्ड श्रम संघ तथा उनके सदस्यों की संख्या

	केन्द्रीय संघों की संख्या		राज्य संघों की संख्या	
	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५४-५५	१९५५-५६
रजिस्टर में अंकित संघ	१४४	१७	६५०४	७६७५
संघ जो अपनी वार्षिक रिपोर्टें भेजते हैं।	१०"	१०५	३००८	३८०६
वार्षिक रिपोर्टें भेजने वाले संघों की सदस्य संख्या।	१,७५,५०८	२,१२,८४८	१९,९४,९४२	२०,१२,४६२

तालिका (२)
अखिल भारतीय धर्म संघों की सदस्य संख्या

	सम्बन्धित धर्म संघों की संख्या			सदस्य संख्या		
	१९५४	१९५५	१९५६	१९५४	१९५५	१९५६
१-भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	६०९	६०४	६१७	८,८८,२९१	९,३०,९६८	९,७१,५४०
२-हिन्द मजदूर संघ	३३१	१५७	११९	४९,३६२	२,११,३१५	२,०३,७९८
३-अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	९२५	४८१	५५८	—	३,०९,९६३	४,२२,८५१
४-यूनाईटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस	१६९	२२८	२३७	—	१,९५,२४२	१,५९,१०९
योग	२०३१	१४७०	१५३१	—	६,४४,४८८	१७,५७,४९८

भारत के सभी राज्यों में धर्म आन्दोलन की प्रगति एक साथ नहीं हुई है। बम्बई, मद्रास, बिहार, उत्तर-प्रदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश तथा केरल राज्य में इनका विशेष रूप से विकास हुआ है।

धर्म की मन्द गति के कारण

भारत में धर्म संघ आन्दोलन की प्रगति कुछ धीमी रही है और इस आंदोलन में कुछ कमजोरी भी पाई जाती है जिसके निम्नलिखित मुख्य कारण हैं —

(१) धर्म की निरक्षरता—भारत में अधिकतर मजदूर अनपठ हैं। वे धर्म के हित तथा अनहित को भली प्रकार सोच नहीं पाते। वे धर्म संघ तथा उसके कार्यों में कोई रुचि नहीं रखते। न तो वे धर्म संघ के सदस्य बनने हैं और न उसके कार्यों में सहयोग देते हैं।

(२) गरीबी—भारतीय मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है जिससे अपना और अपने परिवार वालों का पेट पालना ही कठिन हो जाता है। वे धर्म संघ का चन्दा तक नहीं दे पाते। इस कारण अधिकतर धर्म संघों की आर्थिक दशा खराब रहती है और वे अपने कार्यों को ठीक प्रकार नहीं चला पाते।

(३) राजनीतिक नेताओं का अधिकार—भारत में धर्म आन्दोलन का विकास राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ हुआ जिसमें देश की राजनीतिक संस्थाओं तथा उनके

नेताओं का प्रमुख हाथ रहा है। यह स्थिति आज भी बनी हुई है। यह राजनैतिक नेता श्रम सघों में घुसकर अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हड़तालें आदि कराने हैं। होना चाहिए कि मजदूरों के नया स्वयं मजदूरों में से उत्पन्न हो जो राजनैतिक दलबन्दी से अलग रह कर मजदूरों के हित की बात सोच सकें। विभिन्न राजनैतिक दलों के कारण मजदूर पूरी तरह संगठित नहीं हो पाते। उनमें आपस में फूट रहती है जिसके कारण उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है।

(४) मिल मालिकों की विरोधपूर्ण नीति—अधिकांश भारतीय मिल मालिक श्रम सघों तथा उनके नेताओं को अपना शत्रु समझते हैं और हर प्रकार के उपायों द्वारा उनमें फूट डालने अथवा उन्हें असफल करने का पयत्न करते हैं। वे श्रम सघों में क्रियाशील भाग लेने वाले मजदूरों के साथ तरह तरह के बुरे बर्ताव करते हैं जिसके भय से बहुत से मजदूर श्रम सघ का कार्य में भाग लेने से डरते हैं।

(५) जाति भेद—भारतीय श्रम आन्दोलन की कमजोरी का एक प्रमुख कारण यह भी है कि जाति भेद के तथा छूआछूत के कारण मजदूरों में एकता तथा भाई-चारे का भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। वे एक साथ बँटकर तथा एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकते।

(६) बोल चाल तथा रीति-रिवाज की भिन्नता—जो मजदूर अलग अलग प्रान्तों से आते हैं उनकी बोली, खान-पान तथा रीति-रिवाज एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस भिन्नता के कारण वे एक दूसरे से मिलने जुलन में सकोच करते हैं और उन्हें सका की दृष्टि से देखते हैं।

उन्नति के सुझाव

स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही मजदूरों में भी एक प्रकार की नई जागृति उत्पन्न हो गई है। उनमें एकता की भावना का विकास हो रहा है। भारत सरकार ने जो श्रम सघ कानून बनाये हैं उनमें श्रम आन्दोलन का भविष्य काफी उज्ज्वल हो गया है। फिर भी श्रम सघ आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिये निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

(१) शिक्षा का प्रसार—यथा सम्भव मजदूरों को शिक्षित बनाया जाय ताकि वे अपने हित तथा अहित को भली प्रकार सोच सकें और संगठित होकर अपने हितों की भली प्रकार रक्षा कर सकें।

(२) श्रम सघों की आर्थिक स्थिति में सुधार—श्रम सघों को अपनी सदस्य सख्या बढ़ानी चाहिये और अपने पास एक सुरक्षित कोष की व्यवस्था करनी चाहिये। जब तक इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी यह कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते। केवल हड़ताल करना ही श्रम सघ का उद्देश्य नहीं है। अपने सदस्यों के हित के लिये श्रम सघ और भी अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं किन्तु इसके लिये उन्हें धन की आवश्यकता होगी। इसलिये आर्थिक स्थिति में सुधार परम आवश्यक है।

(३) मजदूर नेता—श्रम सघो का सञ्चालन राजनैतिक कार्य कर्त्ताओं के हाथ में न रह कर स्वयं मजदूरों के अपने नेताओं के हाथ में होना चाहिये। उनका कर्तव्य है कि वे मिल मालिकों से सहयोग और सद्भावना स्थापित करें और राजनैतिक दलबन्दी से अलग रहे।

इसके अतिरिक्त यदि मिल मालिक भी श्रम सघो के प्रति उदारता की भावना रखें और मजदूरों में आपसी ऊँच नीच का विचार समाप्त हो जाये तो श्रम आन्दोलन अधिक तीव्रता से उन्नति कर सकता है।

प्रश्न ७८—फैक्ट्री कानून के इतिहास में पिछले ४० वर्षों में भारत में जो महान परिवर्तन हुए हैं उनका वर्णन कीजिए। इनका श्रम की कार्य कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ा है। (आगरा ५३)

Describe the landmarks in the history of factory legislation in India during the past 40 years. Discuss their influence on the efficiency of labour. (Agra 53)

उत्तर—भारत में सर्व प्रथम १८८१ में एक फैक्ट्री कानून पास किया गया। जिसके अनुसार ७ साल से कम आयु के बच्चों की भर्ती कम कर दी गई और ७ से १२ वर्ष तक के बच्चों के लिए ६ घंटे प्रतिदिन काम की सीमा निर्धारित कर दी गई। यह कानून उन कारखानों पर लागू किया गया जिनमें १०० से अधिक मजदूर काम करते थे। १८८१ के फैक्ट्री कानून की कमियों को दूर करने के लिए १८९१ में एक दूसरा कानून पास किया गया जो उन सभी कारखानों पर लागू होता था जिनमें ५० या ५० से अधिक व्यक्ति काम करते थे। इस कानून में ६ साल तक के बच्चों की भर्ती बन्द कर दी गई और १४ साल तक के बच्चों के लिए ७ घंटे प्रतिदिन का काम निश्चित किया गया। बच्चों और स्त्रियों के रात्रि में काम करने पर पाबन्दी लगा दी गई। यह स्पष्ट है कि इस कानून में पहले से अधिक सुविधाएँ प्रदान की गई थीं। फिर भी अधिक सुधार की आवश्यकता थी।

१९११ का फैक्ट्री कानून (Factory Act of 1911)—इस कानून की आवश्यकता इसलिए हुई कि २० वीं शताब्दी के आरम्भ में तथा उसके बाद अधिकतर कारखानों में शक्ति का प्रयोग होने लगा और यह कारखाने रात दिन चलने लगे जिससे मजदूरों की स्थिति पहले से भी बिगड़ गई। उन्हें बहुत अधिक काम करना पड़ता था और उनकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य आदि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। १९११ में जो फैक्ट्री कानून पास किया गया उसमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की गई।

(१) बच्चों के लिए ६ घंटे प्रतिदिन का काम निश्चित किया गया, और भरती से पूर्व उन्हें अपनी आयु का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया।

(२) स्त्रियों तथा बच्चों को रात्रि में काम करने से रोक दिया गया।

(३) मजदूरों के लिए १२ घंटे प्रतिदिन का काम निश्चित किया गया। दोपहर के समय १ घंटे की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई है।

(४) यह कानून उन कारखानों पर लागू किया गया जिनमें २० या २० से अधिक व्यक्ति काम करते हों और सारे साल अथवा वर्ष में चार महीने चालू रहते हों जैसे चीनी के कारखाने ।

(५) इस कानून में कारखाने के निरीक्षण की व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई ।

(६) मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना कारखानों के लिए अनिवार्य हो गया ।

१९२२ का फेब्रुअरी कानून—प्रथम महाएंड्र मे लड़ाई की मांग बढ़ जाने के कारण कारखानों को पूरे जोर से कार्य करना पटा जिसके कारण काम की दशाएँ काफी खराब हो गईं जिनके कारण मजदूरों में भारी असन्तोष फैलने लगा । इधर देश में श्रम आन्दोलन भी जोर पकड़ रहा था । ऐसी स्थिति में मजदूरों की शशा सुधारने के लिए १९२२ में एक नया फेब्रुअरी एक्ट पास किया गया । इस कानून में निम्नलिखित बातों की व्यवस्था थी ।

(१) यह कानून उन सभी कारखानों पर लागू किया गया जिनमें शक्ति का प्रयोग होता था और जिनमें २० या २० से अधिक मजदूर काम करते थे । प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे यदि चाहे तो यह कानून उन कारखानों पर भी लागू कर सकती हैं जिनमें कम से कम १० मजदूर काम करते हैं ।

(२) मजदूरों के लिए ११ घण्टे प्रतिदिन का काम निश्चित किया गया तथा सप्ताह में ६० घण्टे का काम और एक दिन की छुट्टी निश्चित की गई । ६ घण्टे लगातार काम करने के पश्चात् १ घण्टे का विश्राम भी अनिवार्य हो गया ।

(३) १२ साल से कम के बच्चे काम पर नहीं रखे जा सकते थे । उनके लिए ६ घण्टे प्रतिदिन का काम और ४ घण्टे लगातार काम करने के बाद १½ घण्टे का विश्राम निश्चित किया गया ।

(४) मजदूरों को अतिरिक्त काम (Over Time Work) के लिए १½ गुनी मजदूरी देने की व्यवस्था की गई ।

(५) कारखानों का निरीक्षण करने के लिए प्रान्तीय सरकारों को आज्ञाएँ दी गईं ।

(६) मजदूरों की शारीरिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य का प्रबन्ध कुछ और कड़ा कर दिया गया ।

१९३४ का फेब्रुअरी कानून—१९२६-३१ में शाही श्रम आयोग (Royal Commission on Labour) ने अपनी रिपोर्ट में मजदूरों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये जिन पर पूरी तरह विचार करने के बाद १९३४ में एक नया फेब्रुअरी एक्ट पास किया गया जिसकी मुख्य धाराएँ निम्नलिखित हैं ।

(१) १२ से १५ साल तक के बच्चों के लिए ५ घण्टे काम निश्चित किया गया ।

(२) कारखानों के दो वर्ग कर दिये गये । एक तो मौसमी कारखाने जिनमें साल में कुल १८० दिन से कम काम होता है और दूसरे वे कारखाने जो १८० दिन से अधिक चालू रहते हैं ।

(३) मौसमी कारखानों में मजदूरों के लिये ११ घण्टे प्रतिदिन अथवा ६० घण्टे प्रति सप्ताह का काम निश्चित किया गया और सारे साल चलने वाले कारखानों के मजदूरों के लिए १० घण्टे प्रतिदिन और ५४ घण्टे प्रति सप्ताह का काम निश्चित किया गया ।

(४) अतिरिक्त काम के लिये १॥ गुनी मजदूरी दिए जाने की व्यवस्था की गई ।

(५) कारखानों में विश्राम गृह, प्रारम्भिक सहायता (First Aid) स्वास्थ्य रक्षा आदि की व्यवस्था की गई और यह भी तय किया गया कि स्त्रियों और बच्चों के लिये अलग २ कमरे होने चाहिए ।

(६) ५० से अधिक स्त्रियाँ जिस कारखाने में काम करती हो वहाँ काम के समय उनके बच्चों की देखभाल के लिए पालने अथवा भूले का प्रबन्ध अनिवार्य कर दिया गया ।

(७) शाम के ७ बजे से सुबह के ६ बजे तक स्त्रियाँ तथा बच्चे काम पर नहीं बुलाए जा सकते । स्त्रियों के लिये १० घण्टे प्रतिदिन का काम निश्चित किया गया ।

(८) १५ साल से १७ साल तक की आयु के व्यक्तियों की एक नई श्रेणी बनाई गई जो न तो बच्चों में शामिल थे और न आदमियों में । इन्हें अपनी आयु का डाक्टरी आयु पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया ।

१९४६ का संशोधन कानून-- इन संशोधन कानून के अनुसार स्याई कारखानों में ९ घण्टे प्रतिदिन अर्थात् ४८ घण्टे प्रति सप्ताह और अस्याई कारखानों में १० घण्टे प्रतिदिन अथवा ५४ घण्टे का काम निश्चित किया गया । अतिरिक्त कार्यों के लिए दोगुना वेतन देने की व्यवस्था की गई ।

१९४७ में इस कानून में फिर संशोधन किया गया जिसके अनुसार २५० से अधिक मजदूर जिस कारखाने में काम करते हों वहाँ एक कॅन्टिन का होना अनिवार्य हो गया ।

१९४८ का फैक्ट्री कानून

पिछले ४० वर्षों के अम इतिहास में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण कानून है जो १९४८ में पास किया गया और १९४९ में लागू हुआ । इसमें मजदूरों की सुरक्षा तथा उनके हित के लिये कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ की गई हैं । इसकी मुख्य धाराएँ निम्नलिखित हैं —

(१) इस कानून के द्वारा राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल गया है कि वे कारखाने की किसी शाखा अथवा विभाग को एक पृथक संस्था घोषित कर सकती हैं ।

(२) सारे साल चलने वाले तथा मौसमी कारखानों का भेद समाप्त कर दिया गया ।

(३) जिन कारखानों में २० या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं किन्तु शक्ति का प्रयोग नहीं होता तथा उन कारखानों में जहाँ १० या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं और शक्ति का प्रयोग होता है, यह कानून लागू किया गया है ।

(४) मजदूरों के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया। कारखाने के कमरों की सप्ताह में एक बार धुलाई और १४ महीने में एक बार सफेदी अनिवार्य है। जिले का मजिस्ट्रेट अपने जिले का फँक्टी निरीक्षक होगा। कारखाने में प्रति-व्यक्ति ३४० घनफुट स्थान होना जरूरी है। १ अप्रैल १९४२ के बाद बनने वाले कारखानों के कमरों में प्रति व्यक्ति ५०० घनफुट स्थान होना चाहिये।

(५) मजदूरों के पीने के लिये शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए तथा शौचालय आदि का भी उचित प्रबन्ध होना चाहिये।

(६) मजदूरों की रक्षा के लिये मशीनों ढक कर रखी जायें और चालू मशीनों के पास स्त्रिया या बच्चे काम न करें। कारखाने के अन्दर नहाने की भी व्यवस्था होनी चाहिये और जहाँ १५० व्यक्तियों से अधिक काम करते हैं वहाँ भोजन करने का स्थान और विश्राम गृह का प्रबन्ध होना चाहिए। २५० से अधिक मजदूरों वाले कारखाने में एक कैंटीन का होना अनिवार्य है।

(७) प्रत्येक कारखाने में प्रारम्भिक सहायता (First Aid) का उचित प्रबन्ध होना चाहिये। और जहाँ ५०० से अधिक व्यक्ति काम करते हैं वहाँ एक डाक्टरी कमरा (Ambulance Room) होना चाहिये।

(८) जिस कारखाने में ५० से अधिक स्त्रिया काम करती हैं वहाँ उनके ६ साल से कम आयु वाले बच्चों के लिये एक पालना गृह होना चाहिये।

(९) ५०० से अधिक मजदूरों वाले कारखाने में एक श्रम हितकारी अफसर (Labour Welfare Officer) की नियुक्ति अनिवार्य करदी गई।

(१०) हर व्यक्ति के लिये ६ घण्टे प्रतिदिन और ४८ घण्टे प्रति सप्ताह का काम निश्चित किया गया है जिसमें आधे घण्टे का विश्राम भी शामिल है।

(११) १३ साल से कम बच्चों की भरती नहीं हो सकती और उनसे ४६ घण्टे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं लिया जा सकता।

(१२) सप्ताह में एक दिन की छुट्टी अनिवार्य है इसके अतिरिक्त एक साल लगातार काम करने के बाद हर २० दिन के पीछे १ दिन की सर्वेसट्ट छुट्टी मिलेगी।

(१३) यदि किसी मजदूर का देहान्त हो जाये या चोट लग जाने या बीमारी के कारण ४८ घण्टे तक कार्य न कर सके तो कारखाने के मैनेजर को इसकी सूचना फँक्टी इन्स्पेक्टर के पास भेजनी चाहिये।

१९५५ का फँक्टी संशोधन कानून

इस संशोधन के अनुसार साल के १४० दिन काम कर लेने के बाद मजदूर सर्वेसट्ट छुट्टी लेने का अधिकारी है। यदि किसी त्योहार की छुट्टी शुरू, बीच अथवा अन्त में पड़ जाये तो वह सर्वेसट्ट छुट्टी में नहीं जोड़ी जायेगी। एक साल की छुट्टी दूसरे साल की छुट्टी में जोड़ी जाएगी किन्तु मजदूर को ३० दिन से अधिक की छुट्टी नहीं दी जा सकती। एक मजदूर ३ महीने में ५० घण्टे से अधिक अतिरिक्त काम नहीं कर सकता।

श्रम की कार्य कुशलता पर प्रभाव—हम देखते हैं कि फेक्ट्री कानून वर श्रम की कार्य कुशलता पर अच्छा प्रभाव पटा है। इससे पूर्व मजदूरों को दिन में १५-१६ घण्टे तक काम करना पन्ता था और उनके स्वास्थ्य तथा धारीरिक सुरक्षा का और कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती था। १९४८ के फेक्ट्री कानून में विशेष रूप से उन सब बातों की व्यवस्था कर दी गई है जो श्रम की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिये एक प्रकार से आवश्यक हैं। काम करने के घण्टे पहले से बहुत कम कर दिये गये हैं। लगातार काम के बीच विश्राम सप्ताह में एक दिन की छुट्टी तथा अतिरिक्त काम के लिये दुगना वेतन श्रम की कार्य-कुशलता पर अच्छा प्रभाव डालने वाली बातें हैं। इसी प्रकार कारखानों में काफी वायु तथा प्रकाश का प्रबन्ध पीने के पानी की व्यवस्था, फेन्टान की व्यवस्था तथा डाक्टरी सुविधा आदि से श्रम की कार्य-कुशलता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

इस विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह श्रम हितकारी अफसर की नियुक्ति है। श्रम हितकारी अफसर का यह कर्तव्य है कि वह मजदूरों की सब प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखे और मिल मालिकों को इस बात का अन्वसर न दे कि वे अपनी मनमानी कर सकें तथा मजदूरों का शोषण कर।

कारखानों के निरीक्षण के विषय में भी अब काफी सख्ती बरती जाती है। यदि किसी मिल मालिक ने कानून की व्यवस्था के अनुकूल काम नहीं किया है तो उसे दण्ड दिया जाता है। इस प्रकार वास्तव में १९४८ का फेक्ट्री कानून मजदूरों के लिये बहुत हितकर सिद्ध हुआ है। यह सच है कि श्रम की कार्य-कुशलता पर अन्य बहुत सी बातों का भी प्रभाव पड़ता है किन्तु फेक्ट्री कानून भी उनमें से एक है।

प्र० ७९—भारत में औद्योगिक झगडों को निपटाने तथा कम करने की वर्तमान प्राणली क्या है ?

(बम्बई ५२, मद्रास ५३, कलकत्ता ५५)

Describe the existing machinery for the settlement and prevention of industrial disputes in India

(Bombay 52, Madras 53, Calcutta 56)

औद्योगिक झगडों का अर्थ—औद्योगिक झगडों से हमारा तात्पर्य मजदूरों तथा मिल मालिकों के बीच होने वाले उस संघर्ष से है जिनके कारण या तो मजदूरों द्वारा हड़ताल की जाती है अथवा मिल मालिक तालाबन्दी (Lock out) कर देते हैं। छोटी २ बातों पर भी अनेक प्रकार के विवाद और संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं जिससे न केवल मजदूरों को हानि होती है और उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने में बाधा होती है वरन् एक प्रकार से सारे देश को नुकसान पहुंचता है। इसलिये यह आवश्यक समझ गया है कि जहां तक सम्भव हो मिल मालिकों और मजदूरों के आपसी सम्बन्ध अच्छे रहे और उनके बीच जो भी विवाद अथवा संघर्ष उत्पन्न हो जाये उसे शान्तिपूर्ण ढंग से आपसी समझौते द्वारा अथवा पञ्च फंसले के द्वारा निपटा दिया जाये। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा भी इस बात की कानूनी

व्यवस्था कर दी गई है कि औद्योगिक झगड़े यथा सम्भव रीति से जा सकें तथा उनका निपटारा आसानी से किया जा सके। इसके लिए श्रम अदालतों आदि की व्यवस्था की गई है।

श्रीचौगिक झगड़े निपटारने की पद्धति—श्रीचौगिक झगड़ों का मुख्य कारण मजदूरों का संगठन तथा उनकी आपसी एकता है क्योंकि संगठित शक्ति के सामने मिल मालिक अपनी मनमानी नहीं कर सकते और यदि करते हैं तो उनका विरोध किया जा सकता है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तथा अपनी उचित मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल करना मजदूरों का जन्म सिद्ध अधिकार माना गया है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मजदूर जब चाहे तथा जिस बात के लिये चाहें हड़ताल कर दें। ऐसा करने से औद्योगिक शांति भंग होती है और उत्पादन के कार्य में बाधा पड़ती है।

१९२६ में जो भारतीय श्रम सघ कानून (Indian Trade Union Act) पास किया गया था उनमें दो बातों की विशेष रूप से व्यवस्था कर दी गई थी। एक तो यह कि रजिस्टर्ड श्रम सघ के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मिल मालिकों द्वारा किसी प्रकार का अत्याचार अथवा कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सके और दूसरे यह कि हड़ताल करने से पूर्व इस बात का प्रयत्न किया जाये कि झगड़ा निपट जाये अथवा हड़ताल के लिए उचित कारणों का होना आवश्यक है वरन् हड़ताल अर्थात् मानी जायेगी।

१९४७ का औद्योगिक सघर्ष कानून (Industrial Disputes Act 1947)—श्रीचौगिक झगड़ों को निपटारने के लिए हाल ही में जो कदम उठाए गये हैं उनमें १९४७ के इस कानून का विशेष महत्व है। इस कानून में औद्योगिक सघर्ष निपटारने के लिए निम्नलिखित सस्याओं की व्यवस्था की गई है।

(१) कार्य समितियाँ (Work Committees)—यह समितियाँ उन सभी कारखानों में स्थापित की जाती हैं जिनमें १०० या १०० से अधिक मजदूर काम करते हैं। इन समितियों में मजदूरों तथा मिल मालिकों अथवा मिल मनेजर्स के बराबर सख्या में प्रतिनिधि होने हैं। इन समितियों का कार्य यह है कि कारखाने में दिन प्रतिदिन के होने वाले छोटे मोटे वाद विवादों को आपसी बातचीत के द्वारा निपटारना और औद्योगिक सम्बन्धों को मजबूत करना ताकि औद्योगिक सघर्ष पैदा न होने पावे।

(२) समझौता अफसर (Conciliation officer)—इन अफसरों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इनका कार्य झगड़ों में बीच-बचाव करना है ताकि आपसी समझौते हो सकें और औद्योगिक सम्बन्ध बिगड़ने न पावे।

(३) समझौता बोर्ड (Conciliation Board)—समझौता बोर्डों का भी लगभग वही कार्य है जो समझौता अफसर है। सरकार समझौता बोर्डों की नियुक्ति उस समय करती है जब समझौता अफसर समझौता कराने में असफल रहते हैं।

(४) श्रम अदालत (Industrial Court)—जब समझौता अधिकारी अथवा समझौता बोर्ड अपने कार्य में असफल रहता है तो वह इसकी सूचना १४ दिन के अंदर सरकार के पास भेज देता है जो इस भगड़े को या तो श्रम न्यायालय के पास भेज देती है अथवा आरबीट्रेशन बोर्ड (Arbitration Board) के पास भेज देती है जिसका फैसला दोनों पक्षों पर मान्य होता है।

श्रम अदालतें राज्यों में कार्य करती हैं। इनमें केवल एक न्यायाधीश होता है। यह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो कानून के क्षेत्र में ७ वर्षों का अनुभव रखना हो अथवा किमी श्रम अदालत में ५ वर्षों तक न्यायाधीश रह चुका हो। जिन भगड़ों में १०० या १०० से कम मजदूर सम्बन्धित होते हैं वे श्रम अदालत के सामने पेश किये जाते हैं। जो भगड़े विशेष महत्व रखते हैं अथवा १०० से अधिक मजदूर उनसे प्रभावित हैं तो वे भगड़े राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक ट्रिब्यूनल (Industrial Tribunal) के सामने पेश किये जाते हैं जिसका सभापति हाई कोर्ट का जज होता है। औद्योगिक ट्रिब्यूनल एक ऊंचे किस्म की श्रम अदालत है। उसी प्रकार जो भगड़े राष्ट्रीय महत्व रखते हैं अथवा जिनका सम्बन्ध १ से अधिक राज्यों से होता है वे राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के सामने पेश किये जाते हैं जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है और जो बहुत ऊंचे किस्म की श्रम अदालत है।

यह तीनों प्रकार की श्रम अदालतें एक दूसरे से अलग कार्य करती हैं और एक के निर्णय की अपील दूसरी अदालत में नहीं हो सकती। १९५२ से पूर्व श्रम एपीलेट ट्रिब्यूनल (The Labour Appellate Tribunal) थी जो १९५६ के संशोधन कानून के द्वारा भंग कर दी गई। उसके स्थान पर अब श्रम न्यायालय की अपील हाई कोर्ट अथवा उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।

इन तीनों प्रकार की श्रम अदालतों को गवाह बुलाने तथा बयान लिखने के वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो एक दीवानी अदालत को प्राप्त हैं। इन अदालतों के सामने जो मामले पेश होते हैं वे या तो सरकार द्वारा अपनी मरजी से भेजे जाते हैं अथवा सम्बन्धित पक्षों में से किसी एक अथवा दोनों की प्रार्थना पर भेजे जाते हैं।

जा मामले श्रम अदालतों के सामने पेश किये जा सकते हैं उनका उल्लेख कानून की दूसरी तथा तीसरी सूची में किया गया है। दूसरी सूची में निम्नलिखित मामले सम्मिलित हैं —

(१) मजदूरों को नौकरी से अलग करना अथवा बरखास्त करना।

(२) हड़ताल का वैध अथवा अवैध होना।

(३) स्टान्डिंग ऑर्डर्स (Standing Orders) के लागू होने तथा उनकी व्याख्या से सम्बन्धित समस्याएँ।

(४) अन्य वे सभी बातें जिनका उल्लेख तीसरी सूची में नहीं किया गया है।

तीसरी सूची में निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया गया है —

- (१) मजदूरों के भुगतान का समय तथा भुगतान के तरीके से सम्बन्धित झगड़े ।
- (२) मुद्रावजा तथा अन्य भत्तों का भुगतान ।
- (३) काम करने के गण्टे तथा विश्राम का समय ।
- (४) सवेतन छुट्टी तथा सामान्य छुट्टियाँ ।
- (५) वीनस प्राविडेन्ट फण्ड इत्यादि का भुगतान ।
- (६) अनुशासन के मामले ।
- (७) अभीनवीकरण आदि ।
- (८) मजदूरों की छुट्टी तथा कारखाने को बन्द करना ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित जो झगड़े उत्पन्न होते हैं उन्हें सर्व प्रथम आपसी बात चीत के द्वारा समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है । यदि इसमें सफलता नहीं मिलती तो बीच बचाव तथा पंच फँसले (Conciliation and Arbitration) का प्रयत्न किया जाता है । यदि इससे भी सफलता नहीं मिलती तो सरकार उन झगड़ों को श्रम अदालत के सुपुर्द कर देती है जिसका निर्णय अन्तिम तथा दोनों पक्षों पर मान्य होता है ।

वैसे तो मजदूरों का मिल मालिकों को इस बात का अधिकार नहीं होता कि वे सीधे श्रम अदालत के सामने किसी मामले को ले जाएँ किन्तु बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध कानून (Bombay Industrial Relations Act) मजदूरों तथा मिल मालिकों को इस बात का अधिकार देता है कि वे सीधे श्रम अदालत या अन्य ट्रिब्यूनल के सामने किसी भी मामले को ले जाएँ ।

वैसे तो श्रम अदालत का निर्णय अन्तिम होता है किन्तु भारतीय संसद ने भारत सरकार को इस बात का अधिकार दिया हुआ है कि वह श्रम अदालत अथवा ट्रिब्यूनल के निर्णय को अस्वीकार करदे अथवा उसमें संशोधन कर दे । यह कार्य केवल सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर किया जा सकता है ।

कानून में इस बात की व्यवस्था है कि सार्वजनिक हित की सस्थाओं में (Public Utility Concerns) में कोई भी हड़ताल अथवा तालाबन्दी गैर-कानूनी मानी जायेगी यदि उससे पूर्व ६ सप्ताह का नोटिस नहीं दिया गया है अथवा वह झगड़ा किसी श्रम अदालत के विचाराधीन है । यदि झगड़ों को निपटाने के लिए आपसी समझौते के प्रयत्न किये जा रहे हों तो उस काल में हड़ताल अथवा तालाबन्दी नहीं की जा सकती ।

१९५१ से १९५७ (अक्टूबर मास) तक भारत में होने वाले औद्योगिक झगड़ों का अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है :—

वर्ष	भगडो की संख्या	प्रभावित मजदूरो की संख्या (हजारो मे)	थम दिनों की हानि (हजारो मे)
१९५१	१०७१	६९१	३८१९
१९५२	९६३	८०९	३३३७
१९५३	७७२	४६७	३३८३
१९५४	८४०	४७७	३३७३
१९५५	११६६	५२८	५६९८
१९५६	१००३	७१५	६९९२
१९५७	१९०	९५	४७२

अध्याय ११

यातायात के साधन

प्रश्न ८०—भारतीय यातायात की मुख्य समस्याएँ क्या हैं ? इनका उचित समाधान क्या हो सकता है ? (आगरा १९५६)

What are the main problems of transport in India to-day ?
How may they be best tackled ? (Agra 1956)

उत्तर—भारत में यातायात के प्रमुख तथा उल्लेखनीय साधन चार हैं अर्थात् रेल, सड़क, वायु तथा जल यातायात । इन चारों से सम्बन्धित प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं :—

(१) रेल यातायात की समस्याएँ :—रेलें भारत के यातायात के साधनों में सबसे प्रमुख हैं । दूसरे महायुद्ध के काल में रेलों की स्थिति काफी बिगड़ गई थी जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो गई थी । देश की राष्ट्रीय सरकार यातायात की समस्याओं को मुलभूत तथा यातायात के साधनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का पूरा प्रयत्न कर रही है । रेल यातायात की मुख्य समस्याएँ इस प्रकार हैं :

(अ) रेल के इंजन तथा डिब्बों की कमी.—जिम गति से देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तथा देश के आर्थिक विकास का कार्य चल रहा है उसको देखते हुए भारतीय रेलें यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं । मवारों गाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ रहती है किन्तु इंजन तथा डिब्बों की कमी के कारण नई गाड़ियाँ चालू नहीं की जा सकतीं । माल गाड़ियों की स्थिति इसमें अधिक खराब है । पंचवर्षीय योजनाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक कच्चा माल, कोयला, इस्पात, मशीनें, लोहा तथा सीमेंट आदि पहुँचाने के लिए बहुत अधिक संख्या में माल गाड़ी के डिब्बों की आवश्यकता है । देश की खाल स्थिति को देखते हुए भी अनाज को लाने से जाने के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए । इन सब कारणों से रेलों के सुचारु रूप से चलाने में कठिनाई अनुभव हो रही है ।

(ब) रेलों की कार्यक्षमता :—भारतीय रेलों की कार्यक्षमता कम होने के अनेक कारण हैं, भारत में तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों की कमी है । गाड़ियाँ अक्सर समय के अनुसार नहीं चलतीं । अधिकांश र्लर्व लाइनें तथा रेल के पुल पुराने हैं । उनपर तेज रफ्तार वाली गाड़ियाँ नहीं चलाई जा सकती । इसके लिये पहिले नए पुलों का निर्माण करने की आवश्यकता है साथ ही पुरानों के स्थान पर अधिक बजट वाली नई लाइनें डाली जानी चाहिए ।

(स) रेल दुर्घटनाएँ :—भारतीय रेलों पर दुर्घटनाएँ भी अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। इसका एक कारण पुलों तथा लाइनों का पुराना होना है दूसरे देश में वर्षा तथा बाढ़ के कारण लाइनें बह जाती हैं। इन दुर्घटनाओं से लाखों रुपये के माल तथा जानों की हानि होता है। एक अन्य कारण यह भी है कि भारतीय रेलों में अभी तक पूरी तरह स्वचालित यंत्रों (Automatic Machines) का प्रयोग नहीं हुआ है। गाड़ियों के सिगनल आदि का कार्य मानव शक्ति के द्वारा ही होता है जिसमें भूल की संभावना अधिक रहती है।

(द) भ्रष्टाचार:—भ्रष्टाचार भारतीय रेलों की मुख्य विशेषता है। विशेष रूप से माल यातायात में घन तथा सामान आदि की चोरी के कारण रेलों की प्रति वर्ष लाखों रुपये की हानि होती है। यही बात रेलों के वर्कशापों के विषय में है। वहाँ भी लाखों रुपये का स्टोर्स का सामान चोरी हो जाता है। सरकार ने भ्रष्टाचार तथा चोरियों को रोकने के लिये अनेक आवश्यक कदम उठाये हैं किन्तु इनसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। हा बिना टिकट चलने की समस्या अब बहुत कुछ हल हो गई है।

(२) सड़क यातायात की समस्या.—भारत जैसे विशाल देश में जहाँ की अधिकांश जनता देहातो में रहती है, सड़क यातायात का विशेष महत्व है। यह सच है कि रेलों का राष्ट्रीय महत्व बहुत अधिक है किन्तु रेल प्रत्येक गाँव तक नहीं पहुँचाई जा सकती। ग्रामीण यातायात की समस्या केवल सड़कों द्वारा ही पूरी हो सकती है। सड़क यातायात की मुख्य समस्याएँ इस प्रकार हैं—

(अ) अच्छी सड़कों की कमी :—भारत की विशालता को देखते हुए यहाँ सड़क की लम्बाई बहुत कम है। अविनाश गाँव एक दूसरे से श्रयवा मण्डी से सड़क द्वारा जुड़े हुए नहीं हैं। पक्की सड़कों का तो कहना ही क्या देश में कच्ची सड़कों का भी अभाव है। नई सड़कों का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का सुधार भारत के लिये परम आवश्यक है।

(ब) मोटर यातायात के विकास की कमी :—भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन काल से बैलगाड़ी का प्रयोग होता आया है। देश में मोटर चलाने योग्य सड़कें बहुत कम हैं और मोटर यातायात का विकास इतना अधिक नहीं हो पाया है जितना वर्तमान युग के अनुसार होना चाहिए था। देश में किराये पर चलने वाली मोटर गाड़ियों की संख्या बहुत कम है और उन्हें दूर के स्थानों तक चलाने की अनुमति नहीं है। इस सम्बन्ध में मोटर गाड़ियों से सम्बन्धित कानून भी काफी कठोर है।

(स) रेल सड़क प्रतियोगिता—रेल तथा सड़क यातायात के विकास में दावा डालने वाली एक अन्य समस्या ग्रामीण प्रतियोगिता (Competition) की है। रेल तथा सड़क एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य न करके प्रतिद्वन्दी के रूप में कार्य करती हैं जिससे दोनों विशेषकर रेलों को अधिक हानि पहुँचती है। इस समस्या के उपचार के अनेक उपाय किए गये हैं जिनमें सड़क यातायात का राज्यों द्वारा

राष्ट्रीयकरण भी है। इस क्षेत्र में अभी तक पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। रेल तथा सड़क यातायात के बीच सामंजस्य स्थापित करने में अभी कई बाधाएँ हैं।

(३) 'जल यातायात की समस्याएँ' — जल यातायात का अर्थ नदियों तथा नहरों में नाव चलाने से और समुद्री तट पर तथा गहरे समुद्र में जहाजरानी से है। भारत में नदियों तथा नहरों के द्वारा यातायात का कार्य प्राचीन काल में होता आया है किन्तु आधुनिक ढंग में देश में इनका विकास नहीं हुआ है। भारत में नदियों में वर्ष भर तक इतनी अधिक पानी नहीं रहता कि छोटे जहाज अथवा स्टीमर्स (Steamers) उनमें चल सकें। भारतीय नहरों भी इस योग्य नहीं हैं। भविष्य में इनका विकास की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है। भारतीय समुद्री जहाजरानी की मुख्य समस्याएँ यह हैं।

(प्र) उत्तम श्रेणी के आधुनिक जहाजों की कमी :— भारत के पास पर्याप्त सख्या में उत्तम श्रेणी के आधुनिक जहाजों की कमी है। इन जहाजों को विदेशों से खरीदने में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती। देश में इनका निर्माण शुरू तो हो गया है किन्तु उसकी प्रगति इनकी तीव्र नहीं है जो देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

(व) बन्दरगाहों में सुधार की आवश्यकता — कराची बन्दरगाह में पाकिस्तान में चले जाने से बम्बई बन्दरगाह पर अधिक भीड़ (Conjestion) रहने लगी है। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास को छोड़ कर शेष बन्दरगाह आधुनिक सुविधाओं से से पूर्ण बड़े बन्दरगाह नहीं हैं। उनमें सुधार की आवश्यकता है। काधला (Kandla) नामक नये बन्दरगाह के बन जाने से यह समस्या कुछ हद तक हल हो जावेगी।

(स) विदेशी कम्पनियों की प्रतियोगिता :— स्वतन्त्रता मिलने से पूर्व सम्पूर्ण भारतीय जहाजरानी पर विदेशी कम्पनियों का एकाधिकार था। भारतीय कम्पनियों में उनका मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद भारत सरकार ने तटबर्ती जहाज रानी (Coastal Shipping) पूरी तरह भारतीय कम्पनियों के लिए सुरक्षित कर दी है। शेष में उन्हें विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(४) वायु यातायात की समस्याएँ — भारतीय वायु यातायात की अधिकांश समस्याओं का समाधान इसके राष्ट्रीयकरण के बाद हो गया है। इस समय वायु यातायात के सामने एक समस्या अच्छे हवाई अड्डों की है जहाँ सब प्रकार की नवीनतम सुविधाएँ उपलब्ध हों। दूसरी समस्या नये प्रकार के हवाई जहाजों की है। हवाई जहाजों की निर्माण कला में दिन प्रतिदिन नवीन सुधार हो रहे हैं। विदेशी कम्पनियाँ अच्छे से अच्छे हवाई जहाज प्रयोग में लाती हैं। भारत में हवाई जहाजों के निर्माण का काम अभी इतनी उन्नति नहीं कर सका है। इसका परिणाम यह है कि अपनी आर्यक्षमता को बनाए रखने के लिये भारत को विदेशों से हवाई जहाज

खरीदने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की भारत के पास कमी है इसीलिये भारतीय वायु यातायात पूरी तरह उन्नति नहीं कर रहा। भारत के पास योग्य कुशल तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी अभाव है। इन सब बातों के होते हुये भी भारत में अब तक भी वायु यातायात की प्रगति को सतोषजनक नहीं कह सकते

प्रश्न ८१—भारतीय रेलों के विकास पर एक निबन्ध लिखिए तथा बताइए कि रेलों के विकास से भारतीय कृषि तथा उद्योग धर्मों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

Write an essay on the development of Indian Railways
What has been its influence on the agricultural and industrial growth of India ?

उत्तर—यतायात के साधनों में रेल यातायात का विशेष स्थान है क्योंकि व्यापारिक एवं औद्योगिक दृष्टियों में यह साधन अधिक उपयुक्त है क्योंकि भारी से भारी माल इस साधन द्वारा शीघ्र से शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा सकता है।

विकास—१८४३ में गर्वनर जार्ज ग्रार्थर के निमन्त्रण पर श्री जी० टी० क्लार्क नामक रेलवे इंजीनियर बम्बई आये जिनके आने का मुख्य उद्देश्य था भारत में रेल यातायात की सम्भावनाओं का स्थानीय अध्ययन करना। परन्तु रेलों के निर्माण कार्य का प्रारम्भ बस्तुतः लार्ड डलहौजी के समय से प्रारम्भ हुआ। इसका निर्माण कार्य नितान्त राजनैतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया था। आर्थिक दृष्टिकोण को दूसरा स्थान दिया गया था।

पुरानी गारन्टी पद्धति :—“ईस्ट इण्डिया कम्पनी” और “ग्रेट इण्डियन पैनिन-शुला” आदि से सरकार से सम्झौता हुआ जिसमें कुछ शर्तों सहित रेल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। यह शर्तें निम्नलिखित थीं—

(१) भारत सरकार द्वारा बिना मूल्य के भूमि प्रदान करना।

(२) भारत सरकार को यह अधिकार था कि २५ अथवा ५० वर्ष बाद अपनी इच्छा से यदि चाहे तो रेलवे रेलवे का सामान (Rolling Stock) आदि समुचित मूल्यांकन में खरीद सकते हैं।

(३) एक बात यह भी थी कि निश्चित दर से (४ $\frac{३}{४}$ % से ५ $\frac{०}{१०}$ %) अधिक लाभ होने पर आधा लाभ सरकार को जमानत के रूप में ब्याज की पूर्णता के लिये दी हुई राशि के भुगतान में लगाया जायेगा तथा आधा हिस्सेदारों में बाँटा जायेगा।

(४) निजी कम्पनियों को उनकी लगी हुई पूँजी पर सरकार द्वारा ४ $\frac{३}{४}$ से ५% मुँद की दर न्यूनतम गारन्टी देना।

(५) निरीक्षण का अधिकार सरकार को था।

जब उक्त सम्झौते पर हस्ताक्षर हो गए तब निजी कम्पनियों ने रेल यातायात का निर्माण प्रारम्भ किया और खूब मनमाना व्यय किया जिससे आद के बजाय वह धन भी नहीं मिला जिससे ब्याज ही निपटा दिया जाता यह सारा बोझ

पाटे के रूप में भारत सरकार को पूरा करना पड़ा।

सरकार द्वारा रेल निर्माण :—उपरोक्त कारणों से १८६६ में रेलों के निर्माण तथा संचालन की समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने हाथ में ले ली और निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। परन्तु इसी समय भारत में अकाल पड़ जाने एवं अकालान युद्ध के शुरु हो जाने के कारण रेलवे का राजनीतिक दृष्टि से निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक हो गया। १० वर्षों में ही कम्पनी से ३ लाख पर ही लगभग २००० मील नई रेलों का निर्माण कराया। १८६६ से १८८१ तक रेलों के निर्माण में सरकार को १५ करोड़ रुपये की हानि हुई। इसके कारण रेलों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार को फिर से अपनी नीति बदलनी पड़ी।

नई गारन्टी पद्धति (१८८१ से १९०० तक).—इस काल में रेलों को तीन श्रेणियों में बाँटकर उनका निर्माण कराया गया जो इस प्रकार थी। (अ) उत्पादक रेलें जिनमें लगी हुई पूँजी पर ५ वर्षों के भीतर ४% व्याज बगूल होने लगा। (ब) अनुत्पादक रेलें जिनसे कोई लाभ नहीं होता था किन्तु सड़ाई के विचार से उनकी आवश्यकता थी। (स) संरक्षण रेलें, जिनके द्वारा उन स्थानों में जहाँ अकाल आदि पड़ने थे लोगों की जान बचाने के लिए अनाज आदि भेजने का प्रबन्ध करना पड़ता था। सरकार के पास धन की कमी हो जाने के कारण सरकार को रेलों के निर्माण का कार्य छोड़ देना पड़ा और सरकार ने फिर से कम्पनियों के साथ रेलों के निर्माण के लिये समझौता किया। सरकार ने उन्हें गारन्टी दी कि जितनी पूँजी वह इस कार्य में लगायेंगी उस पर उन्हें ३½% व्याज मिलेगा। इसके बदले में यदि कम्पनियों को रेलों से जो अतिरिक्त लाभ होगा उसका ३/४ सरकार ले लेगी। २५ वर्षों के बाद यदि सरकार चाहे तो रेलों को खरीद सकती है। इस नई गारन्टी पद्धति के काल में ४ हजार मील लम्बी नई लाइनें डाली गईं।

प्रथम महायुद्ध से पूर्व का काल (१९०६—१९१४):—वैसे तो १९०० तक देश की मुख्य लाइनें बन चुकी थी किन्तु प्रायः लाइनों की बहुत अधिक आवश्यकता थी। १९०७ में मैके कमिटी ने भी इस बात पर विशेष जोर दिया था। इस काल में सरकार ने १० हजार मील लम्बी छोटी तथा बड़ी लाइनें डाली। १९१४ में भारत में कुल २४००० मील लम्बी रेलें बन चुकी थी।

प्रथम महायुद्ध तथा उसके बाद का काल :—प्रथम महायुद्ध के काल में नई रेलों का निर्माण नहीं हो सका। इसके विपरीत भारतीय रेलों की युद्ध के कारण बहुत अधिक कार्य करना पड़ा जिसके कारण रेलों की व्यवस्था बहुत अधिक खिल गई। युद्ध समाप्त होने के बाद रेलों की हानत में सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई। १९१० में सरकार ने आकवर्थ कमिटी की नियुक्ति की। इस कमिटी के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि सरकार रेलों को अपने हाथ में ले ले अथवा कम्पनियों द्वारा उनका संचालन होने दे। इस प्रश्न पर बहुत बाद विवाद हुआ और अन्त में सरकार ने रेलों को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। १९२५ तक लगभग सभी महत्वपूर्ण रेलें भारत सरकार के हाथ में आ गईं और अभी से अब यह

पूर्वतया भारत सरकार के स्वामित्व एवं प्रबंध में है।

द्वितीय महायुद्ध तथा उसके बाद की स्थिति (१९३९ से १९४७)।—द्वितीय महायुद्ध के समय भारतीय रेलों की स्थिति काफी अच्छी हो गई थी किन्तु ज्यूं २ युद्ध जोर पकड़ता गया और रेलों पर भार बढ़ना गया भारतीय रेलों की व्यवस्था बिगड़ती गई। रेल के डिब्बों तथा इंजिनों की कमी अनुभव होने लगी और यात्रियों तथा सामान को ढोने में अनेक प्रचार की कठिनाइया उत्पन्न हो गईं। यह स्थिति युद्ध के बाद के काल में भी चलती रही क्योंकि उस समय तक अधिकांश इंजिन तथा डिब्बे जोएँ अवस्था में पहुँच चुके थे। सरकार को रेलों की कार्य कुशलता को बनाये रखना अहमत्व हो गया।

देश के विभाजन का प्रभाव और उसके बाद की स्थिति (१९४७ से १९५१)।— १९४७ में देश के विभाजन का रेलों पर भी प्रभाव पड़ा। अधिकांश कुशल कर्मचारी पाकिस्तान चले गए। रेलवे में भ्रष्टाचार और अकुशलता बहुत अधिक बढ़ गई। सरकार ने यह आवश्यकता अनुभव की कि रेलों की स्थिति सुधारने के लिए विदेशों से नये इंजिन मंगाये जाएँ तथा भारत में उनके निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जाए। इसी प्रकार रेल के डिब्बों की संख्या में वृद्धि के प्रयत्न किये गये।

१९५० में भारत सरकार ने रेलों का पुनर्गठन किया जिसके अनुसार समस्त रेलों को ७ वृत्तों (Zones) में बांट दिया। बाद में इन वृत्तों की संख्या ८ कर दी। अब इन वृत्तों को उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे तथा पश्चिम रेलवे के नाम से पुकारा जाता है। निम्नलिखित तालिका में रेलवे वृत्तों (Zones) की पूर्ण विवरण दिया गया है —

वृत्त का नाम	जन्म तिथि	मुख्य कार्यालय	लम्बाई मीलों में
दक्षिण रेलवे	१४-४-५१	मद्रास	६१००.०४
मध्य रेलवे	५-११-५१	बम्बई	५२०५.९२
पश्चिम रेलवे	५-११-५१	बम्बई	६०१२.९३
उत्तर रेलवे	१४-४-५२	दिल्ली	३३८.६३
उत्तर-पूर्व रेलवे	१४-४-५२	गोरखपुर	३०६०.३०
उत्तर-पूर्व सीमावर्ती रेलवे	१५-१-५८	पाटो	१७३८.००
पूर्व रेलवे	१-८-५५	कलकत्ता	२३२१.४३
दक्षिण-पूर्व रेलवे	१-८-५५	कलकत्ता	३४२३.५६

वर्तमान स्थिति (१९५१ से १९५७ तक)।—१९५१ में भारत की प्रथम पंच-वर्षीय योजना चालू की गई जिसमें रेलों के विकास तथा पुनर्गठन पर विशेष जोर दिया गया। इस काल में कई महत्वपूर्ण नई रेलवे लाइनें बिछाई गईं। रेलों के

इंजिन बनाने का एक कारखाना चित्तूरजन में स्थापित किया गया जो तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और १०० से अधिक इंजिन बना चुका है। रेल के डिब्बों को बनाने के कार्य में भी काफी प्रगति हुई है। इस काल में भ्रष्टाचार कम करने तथा तीसरे दर्जे को अधिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में अनेक प्रयत्न किये गये हैं। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण रेलों के विकास का कार्य उतनी तीव्र गति से नहीं चल पा रहा है जितनी कि आशा की जाती थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी बड़े पैमाने पर रेलों के विकास की व्यवस्था की गई है जिसमें रेल यातायात से सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखा गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलों पर ४०० करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था थी जबकि वास्तव में ४३२ करोड़ रुपया व्यय किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल मिलाकर ११२५ करोड़ रुपया व्यय करने का अनुमान है। १९५५—५६ के अन्त तक भारत में कुल मिलाकर ३४७३६ मिलन लम्बी रेलवे लाइनों थीं जिनमें ६७५५० लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है। भारतीय रेलों से ३१७५१ लाख रुपया प्रतिवर्ष का कुल आमदनी (Gross Earnings) हुई और कुल चालू व्यय २६०१७ ला रुपये हुआ।

निम्नलिखित तालिका से रेलों की प्रगति का सही अनुमान लगाया जा सकता है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	लम्बाई मीलो में	पूँजी	शुद्ध आय
१८५३	२०	३८	०.४६
१८६३	२५०७	५३००	८७.००
१८७३	५.६७	६१७३	३६५.००
१८८३	१०४४७	१४८३१	८४२.००
१८९३	१८१५६	२३३१८	१२७३.००
१९०३	२६६५६	३४१११	१८६०.००
१९१३	३४६५६	४६५०६	२०६६.००
१९२३	३८०३६	७१७६३	३६३५.००
१९३३	४०६५३	८८४४१	३००४.००
१९४३	४०५१२	८५८५४	८५२१.००
१९५१	३४११६	८६१५५	६६५५.००
१९५६	३४७४४	१०७८२३	७०४२.००

१९४७ में देश के विभाजन के कारण कुछ रेलें पाकिस्तान को दे दी गईं जिससे रेलों की लम्बाई में कुछ कमी आ गई। पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई रेलों के निर्माण पर विशेष जोर दे रही है।

रेलों का आर्थिक महत्व—प्रत्येक देश में कृषि तथा उद्योगों के विकास पर यातायात के साधनों का विशेष प्रभाव होता है। यातायात के

साधनों में रेलों का प्रमुख स्थान है क्योंकि अन्य साधनों की अपेक्षा रेलें अधिक सुविधायें प्रदान करती हैं। लम्बी दूरी तय करने तथा भारी मात्रा में कच्चा माल कृषि, पदार्थ, कारखानों की बनी हुई वस्तुएँ और मशीनरी आदि को रेलों ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता पूर्वक ल जा सकती है।

भारत एक विशाल देश है जहाँ बड़ी मात्रा में कृषि वस्तुएँ तथा अन्य प्रकार के औद्योगिक पदार्थ देश से बाहर भेजे जाते हैं और विदेशों से आयात किये जाते हैं। इन वस्तुओं को बन्दरगाहों तक ले जाना तथा बन्दरगाहों से देश के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य भारतीय रेलों ही करती हैं। यह काम वस्तुओं को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने के लिए रेलों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेलों के विकास का भारतीय कृषि उद्योग तथा व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जो निम्नलिखित है।

कृषि पर प्रभाव—रेलों के विकास ने भारतीय कृषि का मौलिक स्वरूप ही बदल दिया है। अब खेती केवल जीवन निर्वाह के लिए ही नहीं की जाती बल्कि व्यापार की दृष्टि से भी की जाती है। भारत में व्यापारिक फसल जैसे गन्ना, कपास, तम्बाकू कच्ची जूट, तिलहन तथा अन्य प्रकार की अन्य वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा है। यह वस्तुएँ भारतीय उद्योगों में कच्चे पाल के रूप में प्रयोग होती हैं और विदेशों को भी भेजी जाती हैं। इस कार्य को करने में भारतीय रेलों का महत्वपूर्ण स्थान है और वे देश की एक महत्वपूर्ण सेवा कर रही हैं।

रेलों के विकास से पूर्व भारत के किसी न किसी भाग में अनाज पड़ते रहते थे जबकि अन्य भागों में अनाज की बहुतायत रहती थी। यह स्थिति कुछ कुछ आज भी है किन्तु रेलों के विकास से अनाज की स्थिति का सुगमता पूर्वक सामना कर लिया जाता है। भारी मात्रा में विदेशों से जो अनाज आयात किया जाता है उसे रेलों की सहायता पूर्वक कमी वाले इलाकों तक पहुँचा देती है। भारत जैसे अनाज की कमी वाले देश के लिए रेलों की यह बहुत बड़ी सेवा है।

उद्योगों पर प्रभाव—कृषि की भाँति उद्योगों के विकास पर भी रेलों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। रेलों उन स्थानों को जहाँ बड़े बड़े कारखाने स्थित हैं मशीनें, कोयला, कच्चा माल तथा मजदूरों आदि को पहुँचानी हैं और जो नामान उन मालों में तैयार होना है उसे देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ताओं के लिए तथा बन्दरगाहों तक निर्यात के लिए पहुँचानी हैं। यदि देखा जाय तो भारत में उद्योग धन्धे उन्हीं स्थानों पर विकसित हुए हैं जहाँ रेल यातायात की सुविधाएँ पहले से मौजूद हैं। अब जिन स्थानों पर उद्योगों का विकास किया जा रहा है वहाँ रेलों पहले से पहुँचाई जा रही हैं। रेलों के विकास के बिना उद्योगों का विकास सम्भव नहीं है।

भारत जैसे विशाल देश को देखते हुए रेल यातायात की बहुत कमी है और भारत के आर्थिक दृष्टि से अविकसित होने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है।

प्रश्न ८२—भारत में सड़क यातायात का क्या महत्व है? इसके पिछड़े रहने के कारणों पर प्रकाश डालिये और बताइए कि सड़क यातायात की उन्नति के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं?

What is the importance of road transport in India ? Discuss the causes for its being undeveloped and write the steps taken by the Government for its progress

सड़क यातायात का महत्व—वर्तमान युग में सड़को का बड़ा भारी महत्व आर्थिक एवं सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में है। सड़को का महत्व गावों एवं शहरों दोनों के लिए ही है। किसी भी देश की आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का अनुमान हम सड़को से ही लगा सकते हैं। रस्किन ने कहा है कि 'राष्ट्र की मारी सामाजिक व आर्थिक प्रगति सड़को के निर्माण में ही निहित है। भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते इस देश के लिए सड़को का विशेष महत्व है। सड़को के होने से ही ग्रामों से अच्छा माल और कृषि उत्पादन कारखानों, कस्बों, और नगरों तक पहुँचाया जाता है और बन्दरगाहों तथा कारखानों से माल कस्बों तक सड़क की सहायता से भेजा जाता है। परन्तु भारत में सड़को का बहुत अधिक अभाव है जिसके कारण कृषक को मजदूरान अपना माल गावों में ही बेच देना पड़ता है इसके अभाव में न तो वह अपना माल नगरों तक पहुँचा पाते हैं और न ही अपने उपयोग की वस्तुओं को नगरों से ला सकते हैं। सड़क यातायात के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जानमयाई ने कहा था 'यदि देश के विपुल स्रोत एवं असीमित जन शक्ति का उपयोग साधारण मानव के लिये करना है तो उनका उपयोग मानव के लिए होना चाहिए जो यातायात साधनों से विशेषतया सड़क यातायात से प्रगतिशील बनाये जा सकें।

सड़को की सहायता से ही व्यक्ति एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। देश की सुरक्षा के लिए भी सड़क यातायात का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी स्थान पर फौजों को सुगमता से भेजा जा सकता है यदि सड़कों का अभाव हो तो सेना शीघ्र एवं सुगमता से नहीं भेजी जा सकती। आधुनिक युग में फौजों का भी यन्त्रोत्तरण सा हो गया है जिसमें उनका आवागमन अधिकतर मोटरों एवं ट्रैक्टरों तथा अन्य चक्रवाह साधनों (Wheels) से होता है जिसके लिए सड़को का होना अत्यन्त आवश्यक है।

सड़को का महत्व सामाजिक दृष्टिकोण से भी है क्योंकि किसी भी देश का सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास इस बात पर निर्भर रहता है कि सब देश के विभिन्न भाग एक सूत्र से बंधे हों जिससे उनमें परस्पर विचार विनिमय एवं संचार आदि सुगमता से हो सके। यह तभी सम्भव होता है जब सड़क यातायात का विकसित रूप होता है।

आर्थिक प्रगति तभी सम्भव है जब सड़क यातायात अच्छा हो अर्थात् सड़के आर्थिक स्थिति की परिचायक हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि समाज की क्या स्थिति है तो आप वहाँ की सड़को को देख कर उसी प्रकार जान सकते हैं जितना कि वहाँ के विद्यालयों एवं पुस्तकालयों के देखने से क्योंकि यदि समाज में गति है तो सड़के जो गति की परिचायक हैं इस तथ्य को प्रकट करेंगी। इसी प्रकार यदि किसी प्रकार की प्रगति हो रही है यदि नवीन कल्पनाएँ एवं आशाओं का

संचार है तो वहा की निर्मित सड़को से वहा का ज्ञान हो सकता है। सम्पूर्ण सजन क्रियाएँ चाहे वे सरकार, उद्योग, विचार अथवा धर्म सम्बन्धी हो सड़कों का निर्माण कराती हैं।

इसके अतिरिक्त भी सड़क यातायात का विशेष महत्व है। जैसे सड़क यातायात की व्यवस्था करने में उतना अधिक व्यय नहीं करना पड़ता जितना अन्य यातायात के साधनों में जैसे रेल यातायात। इसके लिए यह भी जरूरत नहीं होती कि उसके संचालन करने के लिये काफी मुसाफिरो या सामान इत्यादि की आवश्यकता हो। कम सामान और थोड़े से मुसाफिरो के होने से ही हम मोटर गाडिया को सड़कों पर दौड़ा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुसाफिर आदि के कम होने तथा गाव की दूरी कम होने के कारण सड़क यातायात का विशेष महत्व है क्योंकि वहा रेल यातायात से अधिक लाभ नहीं होगा।

आज स्वतंत्र भारत देश के नव निर्माण की योजनाएँ बना रहा है। कृषि के विकास की तथा उद्योग धन्धों की उन्नति की योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। परन्तु इन सबका मयेष्ट उद्योग तब तक नहीं हो सकता जब तक देश में सड़को का यथेष्ट विकास न हो। हमारी बहुत सी राष्ट्रीय समस्याओं का हल तब तक नहीं हो सकता जब तक सड़को को अच्छी व्यवस्था का प्रभाव रहेगा। खाद्यान्नों तथा कच्चे व बने हुए माल का उत्पादन व वितरण सड़को के पूर्ण विकास पर ही निर्भर है। अतएव सड़क यातायात का उचित विकास हमारे देश के आर्थिक उत्थान के लिये नितान्त आवश्यक है। इस में कोई भी सन्देह नहीं है कि सड़को के प्रपूर्यक्त विकास के कारण ही भारत की औद्योगिक एवं कृषि की समृद्धि नहीं हो सकी है। क्योंकि भारत में आज भी गाँव एवं कृषि राजारो में सड़को के अभाव से सम्पर्क नहीं है, इसलिये आन्तरिक यातायात के विकास की ओर आज भी ध्यान देना अति आवश्यक है।

सड़क यातायात के अविक्सित होने के कारण—सड़क यातायात का विकास किसी निश्चित योजना को अपनाकर नहीं किया गया। जिस प्रकार से रोम के प्राचीन नगरों का निर्माण हुआ था उसी प्रकार भारत में भी सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सड़को का विकास किया गया क्योंकि भारत काफ़ी समय तक गुलाम रहा। शासकों ने इस देश को आर्थिक लाभ पहुँचाने की चेष्टा ही नहीं की। जिन सड़को का निर्माण हुआ भी वह केवल अपने हित को ध्यान में रखकर किया गया। उससे भारतीय जनता को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। मुख्य सड़को का निर्माण बीसवीं सदी के प्रारम्भ में हुआ। भारत में बर्मा का छोड़कर लगभग १७६००० मील सड़कें थीं जिनमें से ४७००० मील पक्की तथा १२१००० मील कच्ची थीं। इसी समय इंग्लैंड में भी उतनी ही सड़कें थीं जब कि वहाँ का क्षेत्रफल ब्रिटिश भारत का $\frac{1}{10}$ था और अमेरिका में भारत से १२ गुनी अधिक सड़कें थीं। भारत में सड़को का निर्माण अत्यन्त नीमीगति से हुआ है। इनकी पुष्टी इससे की जा सकती है कि १६०० से १६४१ तक कुल ६०,५३५ मील नई सड़को का निर्माण हुआ था जब कि इतनी लम्बी सड़कें अमेरिका में १३ वर्षों में ही बन गई थीं। विभाजन से ५७,०००

मील सड़कों पाकिस्तान में चली गई । १९५६ तक सड़कों का योग २६१००० मील तक हो गया था । भारत की विशालता एवं यहाँ की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए २६५००० मील सड़कों अत्यन्त कम हैं । दूसरे देशों की तुलना में भारतीय सड़कों की घनिष्ठता निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट है ।

देश	क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मील पर सड़कों (मीलों में)	सड़कों प्रति १०० ००० व्यक्तियों पर
भारत	०.२०	१.४० मील
संयुक्त राज्य अमेरिका	१.००	२.५३ मील
जर्मनी	१.१६	५.६५ मील
फ्रांस	१.८६	१३.६० मील
यू.के.	२.००	२७.७ मील
जापान	३.००	६८.६ मील

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सड़कों भारत में अन्य देशों की तुलना में बहुत कम हैं । भारत में दो अिन प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं है जैसे आसाम राजपूताना इत्यादि स्थानों में सड़कों और भी अधिकांक है । आज भारत स्वतन्त्र हो गया है और वह जिस समस्या को सुलभाना चाहे अपनी नीति से सुलभाना सकता है परन्तु भारत में सड़कों के विकास की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है, इसके कई कारण हैं—

(१) भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । देश में वित्त का बहुत अधिक अभाव है जिसके कारण नगरपालिकाओं और जिन्ना बोर्डों के अधीन जो सड़कों हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है । राज्य सरकारों की भी स्थिति अच्छी नहीं है । वैसे उनके पास कुछ कोष है परन्तु उनका उपयोग सड़कों के निर्माण में कम और अन्य कार्यों में अधिक किया गया है और न ही केन्द्रीय सरकार ने कोई विशेष ध्यान दिया है ।

(२) सरकार और स्थानीय संस्थाओं ने सड़कों के विकास की ओर उचित ध्यान नहीं दिया । इसपर कुछ वर्षों से ही सड़कों के विकास की आवश्यकता और इनके महत्व की ओर सरकारों का ध्यान गया है और दोनों सरकारों ने सड़क याता-यात के विकास की योजनाएँ बनाई हैं ।

(३) सड़को के अतिक्रमण होने का प्रमुख कारण है निर्माण कार्यों के लिए सामान एवं मशीनों का अभाव जिनके लिए हम को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु सरकार की नीतियों से इन प्रकार की सभी वस्तुओं का उत्पादन भारत में ही होने लगा है। फिर भी इस क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं।

उपरोक्त कारणों से देश में सड़क यातायात उन्नति नहीं कर सका।

सड़क यातायात की उन्नति के लिए किए गए प्रयत्न

भारत में सड़क यातायात की उन्नति के लिये सबसे महत्वपूर्ण प्रथम अच्छी सड़को का है। १९२७ में डॉक्टर जायकर की अध्यक्षता में एक सड़क विकास कमेटी (Road Development Committee) नियुक्त की गई थी। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि सड़को की दशा की सुधारने का भार केन्द्रीय सरकार पर होना चाहिए क्योंकि मोटर तथा पेट्रोल पर लगाया हुआ कर केन्द्रीय सरकार भी वसूल करती है।

१९२४ में सड़क निर्माण करने वाले इंजीनियरों की सदस्यता में एक भारतीय सड़क कांग्रेस (Indian Road Congress) की स्थापना की गई जो आज तक अस्तित्व में है। इस संस्था ने सड़को के निर्माण तथा उनमें सुधारआदि की समस्याओं पर विचार करके अपनी राय प्रकट की।

१९४३ में भारत सरकार के निर्माण में नागपुर में एक सम्मेलन हुआ जिससे सड़को के विकास की एक दस वर्षीय योजना बनाई गई जो नागपुर योजना (Nagpur Plan) के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना के अनुसार सड़को की राष्ट्रीय (National Highways), प्रदेशीय, जिला तथा ग्राम सड़को के नाम से चार श्रेणियों में विभाजित किया गया। नागपुर योजना के अनुसार १० वर्ष में ४४८ करोड़ रुपये की लागत से ४ लाख मील लम्बी सड़को का निर्माण किया जाना था।

जैसा कि ऊपर कहा गया है १९२७ में जायकर कमेटी ने सड़को के विकास के विषय में कुछ सुझाव दिये थे। इन्हीं में से एक सुझाव के अनुसार १९३० में एक केन्द्रीय सड़क विकास कोष (Central Road Development Fund) स्थापित किया गया था जिसमें मोटर-स्प्रिंट पर बढाया हुआ कर जमा किया जाता है। इस कोष का १५ प्रतिशत केन्द्रीय सड़क अनुसंधान कोष (Central Road Research Fund) को दे दिया जाता है और कुछ भाग एक सुरक्षित कोष (Reserve Fund) में जमा हो जाता है। शेष विभिन्न राज्यों के सड़क विकास के किये दिया जाता है।

नागपुर योजना में समस्त भारत के लिये ३३१००० मील लम्बी सड़कों का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसका विवरण इस प्रकार था -

राष्ट्रीय सड़के	१९६००	मील
राष्ट्रीय पूरक सड़कें	६१५०	,
प्रांतीय सड़कें	५३६५०	,
जिला तथा ग्रामीण सड़के	२५६३००	"
	<u>३३१०००</u>	"

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में नागपुर योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य में केवल १००० मील पक्की तथा ६०००० मील कच्ची सड़कों की ही कमी रह गई थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों का विस्तार—प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भारत में कुल ६८००० मील लम्बी पक्की सड़कें तथा १५१००० मील लम्बी कच्ची सड़कें थीं। १९५६ में जब प्रथम योजना समाप्त हुई उस समय देश में कुल ३२०५२२ मील लम्बी कुल सड़कें थी जिनमें १२२१७० मील लम्बी पक्की सड़कें तथा १९८३५२ मील कच्ची सड़कें थीं। इनमें वे सड़कें भी शामिल हैं जो नागपुर विकास योजना तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा सण्ड योजना के अन्तर्गत बनाई गई हैं। यह कमी दूसरी पंचवर्षीय योजना में घबड़प पूरी हो जायगी। सड़कों के विकास में एक मुख्य बाधा यह है कि सभी नदियों पर यथा स्थान पुल नहीं बनाए जा सकते। इनमें काफी समय लगने की सम्भावना है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना और सड़कों का विकास :—दूसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों ने सड़कों के विकास के लिए २ अरब ४६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसमें नई सड़कों का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का सुधार शामिल है। इस धन के अतिरिक्त केन्द्रीय सड़क विकास कोष से २५ करोड़ रुपया और प्राप्त होगा। आशा है कि दूसरी योजना में नागपुर योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरे हो जावेंगे।

पटली योजना में जो कार्य शुरू किया गया था उसे चालू रखा जायगा। सड़कों को एक दूसरे से मिलाने वाले ६०० मील लम्बी सड़कें तथा ६० बड़े पुल बनाने की व्यवस्था है। ७०० मील लम्बी सड़कें सुवारी जाएंगी और ३००० मील लम्बी सड़कें जोड़ी गी जाएंगी।

राज्या के सड़क विकास कार्यक्रम के अनुसार दूसरी योजना में १७००० मील लम्बी सड़कें बनाने की आशा है। सड़क मन्त्रालय के राष्ट्रीयकरण (Nationalization) पर अधिक जोर दिया जावेगा। इस कार्य के लिये योजना में १३ करोड़ ५० लाख रुपये की व्यवस्था है।

इस प्रकार हम उम्हने हैं कि हमारी सरकार सड़क यातायात की अन्य योजनाओं की भांति विशेष महत्त्व देती है और इनके विकास के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील है।

प्रश्न ८३—भारत में रेल तथा सड़क यातायात के सामंजस्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। उपरोक्त दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में सड़क यातायात की प्रगति की विवेचना कीजिए ? (आगरा १९५५)

Examine the necessity of Rail-Road Co-ordination in India
Discuss the working of the road transport in U. P. from the
above point of view (Agra 1955)

उत्तर—परिवहन विक्रम का आवश्यक अंग है। आधुनिक व्यवसायिक विकास के लिये सड़कों के संचार के महत्त्व को बहुत बढ़ा दिया है। परन्तु इसमें कोई सदेह

नहीं कि भारी यातायात और दूरी के फामले के क्षेत्र में सड़क यातायात रेलों से किसी प्रकार की भी प्रतियोगिता नहीं कर सकता। सड़क यातायात तो केवल थोड़ी सी दूरी तय करने और इल्को व सहगी वस्तुओं को इधर से उधर ले जाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। भारत जैसे देश के लिए दोनों प्रकार के परिवहनो की आवश्यकता है। इसमें संदेह नहीं कि अच्छी परिवहन व्यवस्था से कृषि उत्पादन को निश्चय ही प्रेरणा मिलेगी और जीवन निर्वाह कृषि का स्थान व्यवसायिक कृषि लेगी जिसमें ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊँचा होगा, समय की बचत होगी तथा निर्यात या आंतरिक उपभोग वाले कृषि उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों को भी पर्याप्त सहायता पहुँचेगी। दोनों परिवहन उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायक सिद्ध होंगे।

भारत में अधिकांश सड़कें रेलों के समानांतर हैं जिसके फलस्वरूप दोनों में प्रतिस्पर्धा की शोष खब होती है। निक्ट भविष्य में रेल यातायात के विकास के लिए नई और बड़ी २ योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। परन्तु इतने विशाल देश के लिये वह तब भी अपर्याप्त रहेगी। इस अपर्याप्तता को दूर करने के लिये हमको औद्योगिक केन्द्रों को बन्दरगाहों से सम्बद्ध करने के लिये सड़क यात यात से सहायता लेनी पड़ेगी। सड़क यातायात के नवीन निर्माण में अधिक व्यय करना पड़ेगा। परन्तु रेल यातायात से वह व्यय कम ही होगा। सड़क यातायात के सस्ते होने का एक यह भी कारण है कि सड़क की देखभाल पर जो व्यय होता है वह कर द्वारा वसूल कर लिया जाता है और रेलों को एक तो पटरी आदि बिछानी पड़ती है और फिर डमकी देखभाल पर स्वयं ही व्यय करना पड़ता है। परन्तु इन दोनों परिवहनो का होना प्रति आवश्यक है। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर वे एक दूसरे को सहायता पहुँचाते हैं और पूरक का काम करती हैं और कुछ स्थानों पर इन दोनों साधनों में प्रतिद्विदिता भी रहती है। सड़कें जमानों की चीजों को बाजारों और पास के स्टेशन से सयुक्त करती हैं। इसके विपरीत रेलवे उत्पादन क्षेत्र और दूर के उपभोक्ताओं के बीच सम्बन्ध स्थापित करती हैं तथा नगर के उत्पादकों और हल कुत्रिम खद और कपडा खरीदने वाले जमानों को मिलाने हैं, अच्छी और पर्याप्त सड़क के बिना कोई भी रेलवे परिवहन के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठी नहीं करे सकती। इसके विपरीत सबसे अच्छी सड़कें भी फसल का उत्पादन करने वालों को उपभोक्ताओं के सम्पर्क में नहीं ला सकती। इस तथ्य से इस बात की तो पृष्टी होती ही है कि रेलवे और सड़कों के बीच थोड़ी सी प्रतियोगिता तो अवश्य बनी रहेगी। यही कारण था कि १९२० में दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई और सड़क यातायात को काफी हानि उठानी पड़ी। १९२६ में इन दोनों की प्रतियोगिता ने और भी विकट रूप धारण कर लिया। क्योंकि महा-जारी के प्रकोप से रेल यातायात को खर खर ले जाते के लिए सरकारी अही प्रिन्सी और दूसरी आर मोटरो की कीमते गिरी पेट्रोल आदि भी सस्ता हो गया। इस प्रतियोगिता के काल में रेल यातायात को २ करोड रु० प्रतिवर्ष की हानि उठानी पड़ी।

इस समस्या पर विचार हेतु १९३२ में सरकार ने मिचेल कर्नेस समिति (Mitchell Kirkness Committee) बनाई जिसने सुझाव दिया कि सड़क

यातायात पर नियंत्रण रखा जाये और यातायात सम्बन्धी एक केन्द्रीय यातायात मण्डल बनाया जाए। इस सुझाव के अनुसार प्रत्येक प्रांत में यातायात परामर्शदाता समितियाँ (Transport Advisory Committee) स्थापित की गईं। इसके अतिरिक्त एक सर्वजन विभाग (Communication Department) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य समस्त यातायात के साधनों पर निरीक्षण करने का था।

सन् १९३६ में वेजवुड समिति (Wedgewood Committee) की स्थापना की गई जिसने रेल मंडल प्रतिस्पर्धा की आर्थिक समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। जिसने बताया कि प्रांतीय सरकारों का सड़क परिवहन का नियमन अपर्याप्त और अस्त व्यस्त था। इस प्रकार की नीति का अनुसरण सरकार ने किया था कि जिससे रेलों को नुकसान हो और स्वयं भी नया का कार्य न कर सकें। समिति इस बात से सहमत नहीं थी कि सड़कों का नियमन केवल रेलवे की सुरक्षा की दृष्टि से ही किया जा रहा था। केन्द्रीय सरकारों द्वारा निश्चित सिद्धांतों के अनुसार प्रांतीय सरकारों को सड़कों का नियमन करना चाहिए किंतु सड़कों के परिवहन पर इस प्रकार के कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहिए जिन से उनके विकास में बाधा पड़े। इसने यह सुझाव दिया कि मोटर यातायात पर नियंत्रण रखने के लिये मोटर चालकों व मालिकों को अनुमति पत्र (Licence) दिए जाने चाहिए। इसके अनिश्चित इसने यह भी सिफारिश की कि सड़क यातायात में रेलवे को भी भाग लेना चाहिए अर्थात् रेलों को स्वयं अपनी मोटरें चलानी चाहिए।

इस प्रतिस्पर्धा को नष्ट करने के लिए १९३६ में मोटर गाड़ों अधिनियम बनाया गया जिसमें सवारी सख्या निश्चित की गई, माल लदान निश्चित किया गया, मोटर कमचारियों के काम करने के घण्टे मोटर रपतार आदि निश्चित किए गए। उपरोक्त कार्यों की देखभाल के लिये प्रांतीय यातायात अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कानून के उलघन करने वाले के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई। इसके बाद १९५८ में राष्ट्रीय सरकार ने यातायात निगम अधिनियम (Road Transport Corporation Act) पास किया। इसके अनुसार राज्य सरकारों को सड़क यातायात पर पूर्ण अधिकार संचालन एवं नियंत्रित करने का मिल गया। रेल यातायात का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद सड़क यातायात का भी राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य हो गया। कुछ राज्यों ने तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया है। इस अधिनियम के बन जाने से प्रतिस्पर्धा को कम करने में काफी सहायता मिली परन्तु जब दोनों साधनों का राष्ट्रीयकरण हो गया तो स्पर्धा का लगभग अन्त हो गया।

पहले रेलों के समानांतर ही सड़कों का निर्माण किया गया था तथा प्रतिस्पर्धा का होना अति आवश्यक था। किंतु भविष्य में जिन सड़कों का निर्माण होगा उनका उद्देश्य होगा कि वे वर्षाण मात्रा में रेलों को सामग्री प्रदान कर सकें। दूसरे शब्दों में मोटर गाड़ियाँ अन्य क्षेत्रों में चलनी जिससे दोनों में स्पर्धा का प्रश्न ही नहीं आयेगा।

स्पर्धा को दूर करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि सरकार इनमें हस्त-

क्षेप करे कि सड़क यातायात में मोटरो आदि न बहुत अधिक लाभ होने लगा । जिससे पूंजीपतियो ने अपना अपना धन रेल यातायात की बजाय मोटर यातायात में लगाना प्रारम्भ किया जिसका प्रभाव हुआ कि रेल और सड़क यातायात में प्रतिस्पर्धा बड़ी जितने रेलों को काफी हानि उठानी पड़ी और दूसरी ओर स्वयं मोटर मालिकों में प्रतियोगिता का शीर्गणेश हुआ जिससे मोटर यातायात को काफी घटना पहुंचा । उपरोक्त समस्याओं को सुलझाने के हेतु सरकार को सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण पर विचार करना पड़ा । इस राष्ट्रीयकरण की नीति की आलोचना हुई और समा-लोचना भी ।

आलोचना—जब राष्ट्रीयकरण की बात मोटर मालिकों ने सुनी तो उन्होंने कडा विरोध किया । मिन मालिकों ने कहा कि इस उद्योग में हमारी काफी पूंजी लगी हुई है । और जब इसको हानि का सामना करना पड़ रहा था तब किसी ने राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव नहीं रखा और जब लाभ होने लगा तब सरकार राष्ट्रीयकरण की बात सोच रही है । इन्होंने कहा कि सरकार यातायात में स्पर्धा के अभाव से यात्रियों की कुशलता एवं सुविधा का ध्यान नहीं रखता जायेगा । इसके अनतिरिक्त राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार को काफी बड़ी धन राशि मोटर मालिकों को मुआवजे के रूप में देनी पड़ेगी । जबकि सरकार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वह यातायात के किराये भाडे भी अधिक रखेंगे जिसे व्यवसाय और यात्रियों को हानि होगी । ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयकरण से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि मोटर यातायात पर नियन्त्रण करने के लिये मोटर गाड़ी शक्तिव्यय की विभिन्न धारायें पर्याप्त हैं । अतः राष्ट्रीयकरण से रेल सड़क सामग्र्य का कोई निश्चिन्त रूप से लाभ नहीं हो सकता । इसके अनतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को कोई विशेष लाभ नहीं होगा वरन् इसकी सम्भावना अधिन है कि उसकी आय भी कम हो जाय ।

समालोचना — कुछ व्यक्तियों का कहना है राष्ट्रीयकरण से किराये भाडे में कमी होगी और क्षमता व कुशलता में वृद्धि होगी । राष्ट्रीयकरण से यात्रियों को विविध प्रकार की सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी—जैसे मोटर और बस समयानुसार चलेंगी और भीड़ कम होगी इसके अनतिरिक्त सड़क निर्माण कर्ताओं तथा सड़क प्रयोग कर्ताओं में कोई झेद नहीं होगा । इस यातायात को बहा भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा जहां यह यातायात अलाभकारी सिद्ध हुआ है । इस नीति के अनुसरण से यातायात विभाग के कर्मचारियों को उचित वेतन आराम तथा छुट्टी आदि अनेक प्रकार सुविधा हो सकेंगी ।

उत्तर प्रदेश में सड़क यातायात की प्रगति—भारत सरकार ने रेलों के राष्ट्रीयकरण के बाद राज्य सरकारों द्वारा सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण की नीति की अपनाने का निश्चय किया है । इस प्रकार यदि रेल तथा सड़क यातायात पर सरकार का स्वामित्व तथा प्रबन्ध होगा तो दोनों में सुगमता पूर्वक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है । उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण करके एक प्रयत्नशील कदम उठाया है । राज्य के कुछ थोड़े से भागों की छोटी-से सड़कें सब भागों

पर यू० पी० गवर्नमेन्ट रोडवेज की बसें चलाई जाती हैं। रोडवेज के स्वामित्व में उत्तर प्रदेश सरकार तथा रेलों का हिस्सा है। पुरानी निजी मोटर कंपनियों को भी मुद्रावली के रूप में इसके कुछ हिस्से मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट रोडवेज का संचालन राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है। प्रारम्भ के कुछ सालों में रोडवेज के कारण सरकार को काफी हानि हुई किन्तु बाद में सरकार को पर्याप्त लाभ हो रहा है। इन समय उत्तर प्रदेश में १००० के लगभग रोडवेज की बसें चल रही हैं। बसों के निर्माण के लिए कानपुर में एक केन्द्रीय निर्माणशाला स्थापित की गई है। इसके प्रतिरिक्त राज्य को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र में एक छोटी वर्कशॉप स्थापित की गई है जहाँ बसों की मरम्मत तथा सफाई आदि का कार्य होता है।

उत्तर प्रदेश में सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण से अब रेल सड़क प्रतियोगिता का भय कम हो गया है। छोटी दूरी के लिए सरकारी बसें सुविधाजनक यात्रा प्रदान करती हैं किन्तु इनका किराया रेलों की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। जो लोग अधिक व्यय करके समय की बचत और सुविधाजनक यात्रा करना चाहते हैं वे इन बसों में सफर करते हैं। सरकारी रोडवेज का मुख्य उद्देश्य केवल धन कमान नहीं है बल्कि जनता की सेवा करना भी है। बसों का समय पर छूटना, उनमें यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधा तथा कार्य कुशलता का विशेष ध्यान रखा जाता है। रेल सड़क यातायात सामंजस्य की दृष्टि से इसे पूरी सफलता प्राप्त हुई है।

(प्रश्न ८४ — निजी मोटर कंपनियों की अपेक्षा सरकारी रोडवेज द्वारा सवारी और सामान लेजाने के क्या लाभ हैं। अपना उत्तर तर्क सहित दीजिए।

(आगरा १९५२)

Discuss the merits of Government Roadways as against private motor companies in the carrying of passengers and goods Give reasons for your reference
(Agra 1952)

उत्तर—रेल तथा सड़क यातायात के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से १९४८ में सड़क यातायात निगम अधिनियम (Road Transport Corporation Act) पारित किया गया जिसमें राज्यों को इस बहन का अधिकार मिल गया कि वे एक सड़क यातायात निगम के द्वारा सड़क यातायात का संचालन तथा नियंत्रण कर सकते हैं। इनसे पूर्व कई राज्यों में राज्यों की सरकारों ने यातायात का राष्ट्रीयकरण करके उसे अपने हाथ में ले लिया था। उस समय यह वादविवाद बड़े जोरों के साथ उत्पन्न हुआ कि सड़क यातायात को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये निजी मोटर कंपनियों अधिक उपयुक्त हैं अथवा सरकारी रोडवेज। दोनों पक्षों की ओर से अनेक तर्क पेश किये गये। काफी विचार के बाद यही उचित समझा गया कि सड़क यातायात में सवारी तथा सामान ले जाने के लिए सरकारी रोडवेज की व्यवस्था ही अधिक उपयुक्त और लाभपूर्ण है। इससे निम्नलिखित लाभ हैं—

सरकारी रोड-वेज के लाभ

(१) कार्य क्षमता में वृद्धि — सरकारी रोडवेज केवल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं चलाई जाती वरन् जनता की सेवा का भाव भी उसमें रहता है। बसें समय पर चलाई जाती हैं चाहे उसमें पूरे यात्री हों या न हों। निजी मोटर कम्पनियों के मालिक समय का कोई ध्यान नहीं रखते। जब तक यात्री पूरे न हों जब्त वे बस को नहीं चलते। उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही होता है। सरकारी रोडवेज में बसों की मरम्मत तथा उनकी चालू हासत ठीक रखने की पूरी व्यवस्था रहती है। इससे बसें रास्ते में कम खराब होती हैं। जब बसें पुरानी हो जाती हैं तो उनके स्थान पर नई बसें सड़को पर चलाई जाती हैं। बसों की मरम्मत की व्यवस्था करना सरकारी रोडवेज के लिए सरल है क्योंकि उनकी क्षेत्रीय तथा स्थानीय वर्कशाप स्थापित कर दी जाती है। यह कार्य बड़े पैमाने पर होता है इसलिए उसमें पूरी किरायायत रहती है। निजी मोटर कम्पनियाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाती।

(२) किराए में निश्चितता — सरकारी रोडवेज के किराये निश्चित हंगे हैं। उनमें बार बार हेर फेर नहीं किया जाता। निजी मोटर कम्पनियाँ के किराये निश्चित नहीं रहते। वे समय तथा स्थिति के अनुसार अपने किराये में हेर फेर कर लेते हैं। यदि मोंड अधिक है तो वे अपने किराये बढ़ा लेते हैं और यदि यात्री कम हैं तो कम पैसे लेकर भी उन्हें बिठा लेते हैं। यह नीति उचित नहीं मानी जाती। सरकारी रोडवेज में पूरी तरह किराए की समानता और स्थिरता रहती है।

(३) यात्रियों की निश्चित संख्या — सरकारी रोडवेज में यात्रियों की संख्या निश्चित रहती है। कानून द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक एक भी यात्री नहीं बिठाया जा सकता। निजी मोटर कम्पनियों के कर्मचारी यात्रियों की संख्या का विशेष ध्यान नहीं रखते। वे आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित संख्या से भी अधिक बैठे लेते हैं चाहे उससे अन्य यात्रियों को कितनी ही असुविधा क्यों न हो।

(४) अक्सर प्रतिस्पर्धा की समाप्ति — सरकारी रोडवेज की स्थापना से रेल सड़क प्रतियोगिता तो समाप्त होती ही है सड़क यातायात वालों की आपसी प्रतियोगिता भी नष्ट हो जाती है। निजी मोटर कम्पनियाँ किराये कम करके तथा अन्य प्रकार की अनुचित रीतियाँ अपनाकर एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। यह प्रतियोगिता एक ओर तो रेल यातायात के लिए हानिकारक है और दूसरी ओर इसका सड़क यातायात की कार्यकुशलता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे मार्गों पर जहाँ काफी यातायात हुआ है बहुत बड़ी संख्या में निजी बसें चलती रहती हैं जबकि उनकी आवश्यकता नहीं होती। सरकारी रोडवेज प्रत्येक मार्ग पर सम्भावित यातायात का पूरी तरह अनुमान लगाकर ठीक संख्या में बसें चलाती है।

(५) अलाभकारी मार्गों पर भी बसें का चलना — निजी मोटर मालिक उन मार्गों पर अपनी बसें चलाना पसन्द नहीं करते जिन पर अधिक लाभ की आशा नहीं होती क्योंकि वे किसी प्रकार की हानि सहन करने को राजी नहीं हो सकते। सर-

कारी रोडवेज जनता की सेवा के विचार से ऐसे मार्गों पर भी अपनी बसें चलाती है। सरकारी रोडवेज लाभकारी तथा प्रलाभकारी दोनों प्रकार के मार्गों पर चलती हैं। इसलिए जिन मार्गों पर रोडवेज को हानि होती है वह अन्य मार्गों के लाभ से पूरी हो जाती है।

(६) सड़क निर्माण कर्ता तथा सड़क प्रयोग कर्ता के भेद की समाप्ति—सड़क यातायात की एक विशेषता यह है कि सड़कों का निर्माण तथा उनको मरम्मत तथा देखभाल सरकार द्वारा की जाती है किन्तु उनका प्रयोग निजी मोटर कम्पनियों तथा जनता के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार बच्ची सड़कों के बनाने तथा उनको देखभाल का व्यय तो सरकार को करना पड़ता है किन्तु उनका लाभ निजी मोटर कम्पनियों को प्राप्त होता है। सरकारी रोडवेज के चलने से यह भेद समाप्त हो जाता है। सरकार अच्छी सड़कें बनाती है, उनकी देखभाल में खर्च लेती है और उनका पूरा लाभ प्राप्त करती है।

(७) समाजवादी अर्थ व्यवस्था की ओर एक कदम—भारत समाजवादी अर्थ व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है जिसके लिये समस्त लोक हितकारी सेवाओं का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ताकि उनका संचालन व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सामाजिक लाभ के लिये हो सके।

(८) राजकीय आय का साधन—सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण से यह राजकीय आय का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। वर्तमान युग में सरकार को अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार भारतीय रेलों केन्द्रीय सरकार की आय का एक अच्छा साधन हैं उसी प्रकार सरकारी रोडवेज राज्य सरकारों की आय का एक अच्छा साधन हैं।

(९) कर्मचारियों की दशा में सुधार—सरकारी रोडवेज के कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलता है तथा छुट्टी आदि की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। उन्हें अपनी नौकरी छुटने का इतना अधिक भय नहीं होता जितना निजी कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को रहता है। वे २४ घण्टे के नौकर होते हैं और उन्हें अपने मालिक की इच्छाओं के अनुसार काम करना पड़ता है। सरकारी रोडवेज के कर्मचारी सरकार के नौकर होते हैं। उनके काम के घण्टे तथा अन्य बाने सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चलती हैं।

जहाँ तक माल लाने ले जाने का प्रश्न है इस क्षेत्र में सरकारी रोडवेज ने अभी तक कोई प्रगति नहीं की है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस सम्बन्ध में किसी विशेष प्रगति की आशा भी नहीं है। तब तक यह कार्य निजी मोटर कम्पनियों के पास ही रहेगा। यह बात निश्चित है कि सरकारी रोडवेज की कार्य-क्षमता निजी कम्पनियों की कार्य क्षमता से सवारी अथवा माल यातायात दोनों ही क्षेत्रों में अधिक होगी।

निजी मोटर कम्पनियों के पक्ष में भी बहुत से तर्क पेश किये गये हैं और उन्हें सरकारी रोडवेज से अधिक कार्य-कुशल बताया गया है किन्तु अब यह विषय अधिक

विवाद का नहीं रहा क्योंकि इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति स्पष्ट रूप में घोषित कर दी गई है और योजना आयोग ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है। सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण बने भी समाजवादी अर्थ व्यवस्था की नीति के अनुसार ही है।

प्रश्न ८५—भारतीय जहाजरानी के विकास तथा वर्तमान स्थिति की विवेचना करो।

Discuss the growth, development and present position of Indian Shipping

उत्तर—समुद्री यातायात का आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से अन्य यातायात की भांति काफी महत्व है। इस समय भारत में जहाजरानी अविकसित रूप में है परन्तु प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपान करने से पता लगता है कि भारत में बने मजबूत और सुन्दर जहाजों के सहारे ही ईरान, अरब, पूर्वी अफ्रीका, मलाया और पूर्वी द्वीपों इत्यादि देशों से व्यापारिक सम्बन्ध थे और जहाजरानी की सहायता से ही माल बसाते तथा विभिन्न प्रकार के सामान इन देशों को भेज जाते थे। डा० राधा-कमल मुर्जी ने इस विषय में लिखा है कि भारत की प्राचीन सम्यता इसलिये सस्यार के कोने कोने तक पहुंची कि इन्में बड़ी सामुद्रिक शक्ति प्राप्त थी। इसके कारण ही सस्यार के लोग हमारे धर्म और संस्कृति से प्रभावित हुए थे। जहाज का उद्योग प्राचीन समय में भी था। इतिहास से पता चलता है कि जब सिकन्दर महान अपने देश को वापिस हो रहा था तब २००० भारतीय जहाजों पर अपनी सेना एक सामान ले गया था। भुगल शासन काल में भी जहाजरानी उद्योग विकास की ओर बढ़ रहा था। इस उद्योग की प्रशंसा करते हुए बावरी और फ्रायर ने लिखा है कि “उस समय भारत में मजबूत जहाज बनाने जाते थे। यूरोपीय देशों में इतने विशाल जहाजों का अभाव था। १६६२ के लगभग जहाज बनाने के केन्द्र ढाका, जैसोर, मुरत, मसूली पट्टम गोवा, बेसिन और हगली थे।

शिवाजी के पास भी मजबूत जहाजों का बड़ा था जिस वेंडे से अंग्रेजों को सदा शय बना रहता था। उसके बाद के काल में भी जहाजरानी की दशा अच्छी रही परन्तु २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही यह उद्योग अवनति करता गया जिसका मुख्य कारण था अंग्रेजों का भारत पर शासन स्थापित होना।

भारत में रेल यातायात की स्थापना हो जाने के बाद रेल यातायात और समुद्री यातायात में प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई। सरकार ने इस प्रतिस्पर्धा को नष्ट करने के लिये कभी कोई कदम नहीं उठाया। बरतू जब कभी भारतीय कम्पनियों ने समुद्र में अपने जहाज चलाने के प्रयत्न भी किए तब उनको विदेशी जहाजरानी कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी जिससे उनको काफी हानि का सामना करना पड़ा। यह प्रतिस्पर्धा दो प्रकार से लड़ी जाती थी—एक तो भाड़ा कम करके दूसरे बिलम्बित कटौती प्रथा द्वारा। उदाहरण के लिए जब टाटा कम्पनी ने चीन से सूत का व्यापार करने के लिए जहाजरानी कम्पनी प्रारम्भ करने का सोची तभी १९०९

पो० कम्पनी (P & O Co.) ने अपने भाड़े १६ ह० टन मील से घटाकर १३ ह० टन प्रति मील कर दिया। इससे टाटा कम्पनी प्रतियोगिता लेने में असमर्थ रही और बाद में भाड़े को बढ़ाकर १७ ह० कर दिया। विलम्बित बटौती प्रथा (Deferred Rebate System) के अनुसार विदेशी कम्पनियां कुछ समय पश्चात् भारतीय व्यापारियों को पिछले दिये हुए किराये में से कुछ कटौती इस शर्त पर देती थी कि भविष्य में वह अपना माल इन्हीं जहाजरानी कम्पनी द्वारा ही भेजेंगे। इस प्रतिस्पर्धा का मुकाबला भारतीय जहाजरानी कम्पनियां नहीं कर सकी जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश कम्पनियों का एक प्रकार से एकाधिकार हो गया जिससे मनमाना भाड़ा लेकर अनुचित लाभ कमाने लगी।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भारतीयों में जागृति का संचार हुआ और उन्होंने इस बात की मांग करना प्रारम्भ की कि भारतीय जहाजरानी उद्योग को अपना विकास करने का अवसर प्रदान किया जाए। अतः १९२३ में इण्डियन मरकन्टाइल तथा मेरिन कमेटी (Indian Mercantile Marine Committee) की नियुक्ति की गई। इस समिति का उद्देश्य यह जांच करना था कि भारतीय जहाज चलाने तथा जहाज बनाने के काम में किन किन उपायों से उन्नति हो सकती है। समिति ने जो सुझाव दिये वह इस प्रकार हैं:—

- (१) भारतीय व्यापारिक जहाजरानी के लिये अनिवार्य अफसरों की प्रशिक्षण हेतु सरकार द्वारा बम्बई में जलयान प्रशिक्षण की स्थापना की जानी चाहिये।
- (२) सामुद्रिक इंजीनियरों की ट्रेनिङ्ग के लिए इंजीनियरिंग कालिजों की सुविधाएँ दी जानी चाहिए तथा सामुद्रिक अनुभवों की सुविधाएँ भी देनी चाहिए।
- (३) तटीय व्यापार लाईसेंस प्राप्त जहाजों के लिए सुरक्षित रखा जाय।
- (४) भारतीय कम्पनियों को व्यापार हेतु अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जाए।
- (५) कलकत्ता को स्वतन्त्र जलयानों के निर्माण का केन्द्र बनाया जाये।
- (६) भारतीय कम्पनियों द्वारा जलयान निर्माण प्राणालय की स्थापना में सरकार को सहायता देनी चाहिये।

(७) भारतीयों को विदेशी कम्पनियों से नियुक्त किया जाना चाहिए। सिवाए इसके कि डॉफरिन (जहाजी वेड़े) में जहाजी कर्मचारियों तथा इंजीनियरों की शिक्षा की व्यवस्था हो गई, उपरोक्त किसी भी सिफारिश को नहीं माना। इसके बाद १९२८ में श्री हाजी साहब ने असेम्बली में तटीय यातायात को भारतीय जहाजों के लिये सुरक्षित रखने के हेतु एक विधेयक पेश किया। बिल के जो सिद्धान्त थे वे प्रायः व्यापारिक जहाजरानी का विकास करने के इच्छुक प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अपनाये गये हैं, परन्तु भारत सरकार ने कहा कि वह इस मामले को तब तक हाथ में नहीं ले

सकती जब तक कि भारत और इंग्लैंड के व्यापारिक सम्बन्ध और विभेदकारी अधिनियमों के बारे में निर्णय नहीं हो जाता अर्थात् यह बिल प्रस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद १९३६ में ज्ञानी साहू ने विलम्बित वट्ट के अन्त (Abolition of Deferred Rebates) के लिये प्रस्ताव रखा परन्तु इसमें भी सफलता न मिल सकी। १९३७ में सर अब्दुल हाकिम गजनवी ने एक विशेषरूप से किया परन्तु उसका भी कोई परिणाम न निकला। इस प्रकार जहाजरानी के विकास के लिये जा भी प्रयत्न किये गये वे सब असफल रहे।

द्वितीय विश्वयुद्ध में पूर्व भारत के पास केवल १०५००० जी० टन० टो० (Gross Registered Tonnage) के जहाज थे जो सन् १९३० के जहाजों का ०.२५ प्रतिशत भाग है। जब युद्ध का समय निकट आया तब अंग्रेजों सरकार को भारत की जहाजी सम्बन्धी कमी का काफी ज्ञान हुआ। उस समय भारतीय नौसेना के महत्व का पता चला। दसरी और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, खाने की कमी हो गई। भारत के पास खाद्यान्न के यातायात के लिये यथेष्ट जहाज न होने के कारण स्थिति और भी गम्भीर हो गई। युद्ध काल में जापानी और जर्मनी के जहाजों की प्रतियोगिता से बचने के लिये ब्रिटिश सरकार को कातून बनाने की सूझी। सरकार की आखें खुलीं। जहाजरानी की गम्भीर समस्या पर विचार करने के लिए सर सी० पी० रामास्वामी ऐयर की अध्यक्षता में एक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण नीति उपसमिति (Post War Reconstruction Policy's Sub-Committee) की नियुक्ति की जिसने अपनी विज्ञप्ति १९४५ में पेश की जिसमें सरकार की नीति की आलोचना की गई। इसने सिफारिश की कि ५, ७ वर्षों की अवधि में भारतीय जहाजरानी उद्योग की क्षमता २० लाख टन कर दी जाय। दूसरे भारत के तटीय व्यापार का १०० प्रतिशत, निकटवर्ती देशों के साथ होने वाले व्यापार का ७५ प्रतिशत दूरवर्ती देशों के साथ होने वाले व्यापार का ५० प्रतिशत तथा जर्मनी आदि शत्रु राष्ट्रों के खोये हुये व्यापार का ३० प्रतिशत भाग भारतीयों के हाथ में ५ से ७ वर्ष तक आ जाना चाहिये। परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई उल्लेखनीय कार्यवाही नहीं की। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जहाजी कम्पनियों की सहायता देने का निश्चय किया।

उपरोक्त लक्ष्य पर पहुँचने के शिर्षण एक्ट १९४७ पास किया गया जिसके द्वारा जहाजों का लाइसेंसिंग प्रणियोजन किया गया। इसके बाद एक सम्मेलन द्वारा जहाजी निगमों (Shipping Corporations) की स्थापना का निर्णय किया गया। इन निगमों का उद्देश्य भारतीय जहाजों की टन क्षमता तथा जहाजी यातायात में वृद्धि करनी होगी। ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन आज पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व में है।

वर्तमान स्थिति—स्वाधीनता के बाद राष्ट्रीय सरकार अपने जहाजी व्यापार के विकास के लिये काफी प्रयत्न कर रही है। नवीन बन्दरगाहों का निर्माण जारी है और योजना बनाई जा रही है। भारत सरकार अब इस बात को भली भाँति

जानती है कि भारतीय जलयानों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तथा राष्ट्र की रक्षा में बड़ी कार्य करना है। इसके लिये वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में बम्बई में एक डायरेक्टरेट जनरल आफ शिपिंग की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य भारतीय जलयान नीति का एकीकरण करना है। विजगापट्टम बन्दरगाह को सरकार अधिक सहायता भी प्रदान कर रही है। सरकार ने यह भी निश्चय कर लिया है कि भविष्य में भाड़े आदि के सधर्प के कारण भारतीय जहाजरानी या जलयान उद्योग को कोई हानि नहीं होने पायेगी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय जलयान कम्पनियाँ भारत यूरोप तथा उत्तरी अमरीका के बीच अच्छी सेवाएँ कर रही हैं।

भारत सरकार ने १९५१ में अंग्रेजी प्रभुत्व के जहाजी सम्मेलन के स्थान पर एक नया भारतीय तटीय सम्मेलन (Indian coastal conference) की स्थापना की जिसके द्वारा सारा तटीय व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा किया जाता है। जह् ज-रानी को इतना प्रोत्साहित करने के बाद भी भारतीय जहाजरानी पूर्ण विकसित नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार का कुल ५ प्रतिशत भाग भारतीय जहाजों द्वारा किया जाता है जबकि लक्ष्य ५० प्रतिशत था। इस प्रकार जहाजरानी के विकास क लिये बहुत कुछ करना है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना—योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रथम योजना में जहाजों उद्योग की टन शक्ति ६ लाख टन बढ़ाने की थी। जिसके लिये जहाज खरीदने के लिये १९५ करोड़ रुपये की सहायता देने की सिफारिश थी। योजना में पूर्वी कांफॉरेशन के लिए इतनी धनराशि का आयाजन किया था कि वह ६०००० टन के जहाज खरीद सके। योजना आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार इस उद्योग को अधिक सहायता प्रदान करे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि जहाजी बेड़े को विकास योजना को दी हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की योजना से मिला देना चाहिये। जिससे अधिक उन्नति हो सके। यह भी आवश्यक है कि प्रति-स्पर्द्धा को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाये जिसके लिये भाड़े उचित और एक समान होने चाहिये। सरकार ने उपोक्त सभी सुझावों को गान्यता प्रदान की और हर प्रकार से इस उद्योग के विकास में सहयोग प्रदान कर रही है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४५ करोड़ रुपए का आयोजन जहाजरानी के लिये किया है इसमें ८ करोड़ रुपए की पहली योजना की शेष धन राशि का समावेश भी है। प्रथम योजना में ६ लाख टनेज की पूरा होने में कुछ कमी रह गई लेकिन दूसरी योजना के अन्तर्गत ९०००० टन के जहाज बदले जायेंगे और टनेज का लक्ष्य ९००००० टन रखा गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय जहाजों का भाग १५ प्रतिशत तक हो जाने की आशा है।

बड़े बन्दरगाहों की विकास योजना पर ५८३१ करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा। जो इस प्रकार होगा—

१. कलकत्ता	१६ ८८ करोड़ रु०
२ बम्बई	१७.४२ "
३ मद्रास	८ ४६ ,
४ कोचीन	३ ६१ "
५ काघला	८ ६४ "
	<hr/>
	५८ ३१ ,

द्वितीय योजना में ४ करोड़ रु० प्रकाश गृह के ऊपर व्यय किया जायेगा। छोटे बन्दरगाहों के विकास के हेतु ५ करोड़ रु० निर्धारित किये गये हैं। इस समय विशालापट्टम शिपयार्ड की उत्पादन शक्ति ४ बड़े जहाजों की है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरा शिपयार्ड कोचीन में स्थापित किया जायेगा जिससे विदेशों से व्यापार में प्रगति की जा सके। इसके अतिरिक्त मौजूदा प्रकाश-स्तम्भों का आधुनिकीकरण करने और कई नये प्रकाशस्तम्भ बनाने की भी दूसरी योजना में व्यवस्था है।

दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पहली योजना में जो योजनाएँ शुरू की गई थी उन्हें पूर्ण किया जाये तथा उपकरणों से सुसज्जित किया जाए और गोदियों (डॉक) का आधुनिकीकरण किया जाये तथा उन उपकरणों से सुसज्जित किया जाय जिनसे देश के आर्थिक व औद्योगिक विकास से पैदा होने वाली जरूरतें पूरी की जा सकें।

प्रश्न ८६—भारत में वायु यातायात के विकास तथा वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए तथा इसकी भावी उन्नति की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए ?

Discuss the growth and present position of Air Transport in India. What are the possibilities of its further development ?

प्रारम्भिक काल—अन्य देशों की अपेक्षा वायु यातायात का विकास काफी देर से हुआ। वैसे तो १६११ में बम्बई के गवर्नर सर जार्ज लायेड ने बम्बई से कराँची तक प्रयोगात्मक वायु यात्रा प्रारम्भ की थी किन्तु इसे सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। १६१४ में जब प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तब वायु यातायात को कुछ प्रोत्साहन मिला किन्तु वह केवल लडाईं से सम्बन्धित था।

१६२७ में भारत सरकार ने एक नागरिक उडान विभाग (Civil Aviation Department) की स्थापना की और १६२८ में दिल्ली कराँची, बम्बई तथा कलकत्ता में उडान क्लब (Flying Clubs) खोले। १६२९ में इम्पीरियल एयरवेज सर्विस को दिल्ली तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई। इसी के साथ साथ विमान चालकों और टेक्नीकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध किया गया। वह यह समय था जिसके बाद से वास्तव में भारत में वायु यातायात का धी-धीरे गणेश हुआ।

१६३२ में टाटा एयरवेज लिमिटेड ने इलाहाबाद, कलकत्ता तथा कोलम्बो के बीच वायु यातायात शुरू किया और बाद में कर्णाची तथा मद्रास को भी इससे जोड़ दिया। १६३३ में भारतीय राष्ट्रीय एयरवेज (Indian National Air Ways)

ने भी देश के वायु मार्गों पर अपने वायुयान चलाना शुरू किया। १९३७ में एयर-मर्विसेज आफ इण्डिया (Air Services of India) नामक एक कम्पनी भी स्थापित हुई जो कुछ समय बाद सिन्धिया कम्पनी द्वारा खरीद ली गई। १९३८ में एम्पायर एयर भेल योजना चासू की गई।

इस प्रकार हम देखने हैं कि दूसरे महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक भारत में कई वायु यातायात कम्पनियाँ स्थापित हो चुकी थीं यद्यपि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उनमें से कई एक को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। उसका एक कारण यह था कि उस समय तक वायु यातायात न तो पूरे तटस्थ देश में लोकप्रिय हुआ था और न सुरक्षा तथा टैक्नीकल क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति हो पाई थी जितनी आज देखने को मिलती है। उस समय तक देश में अच्छे हवाई अड्डों का भी अभाव था।

दूसरे महायुद्ध में वायु यातायात को विशेष प्रोत्साहन मिला। इस युद्ध में वायु सेना का भी एक महत्वपूर्ण कार्य रहा। भारतीय वायु सेना के विस्तार के उद्देश्य में सरकार ने देश में अनेक हवाई अड्डे बनाये और वायुयान भी खरीदे। वायु सेना के विकास के साथ साथ नागरिक वायु यातायात को भी विकसित होने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ।

दूसरे महायुद्ध के बाद का काल—युद्ध की समाप्ति के बाद वायु यातायात को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हुईं। जो हवाई अड्डे युद्ध काल में वायु सेना के प्रयोग के लिये बनाये गए थे वे नागरिक वायु यातायात के विकास के लिये प्रयोग में आने लगे। बहुत से डैकोटा हवाई जहाज विमान चालक, टैक्नीकल कर्मचारी तथा अन्य प्रकार की सामग्री इन कम्पनियों के लिये कम दामों पर उपलब्ध हो गई। युद्धोत्तर काल में सरकार ने वायु यातायात के भावी विकास के लिये एक निश्चित नीति निर्धारित की जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल थीं।

(१) वायु यातायात का संचालन तथा स्वामित्व निजी क्षेत्र में अर्थात् गैर सरकारी कम्पनियों पर छोड़ दिया गया।

(२) जो कम्पनियाँ निश्चित रूप से वायु यातायात के क्षेत्र में कार्य करना चाहती थीं उन्हें वायुयान लाइसेंस बोर्ड से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हो गया।

(३) विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा इन कम्पनियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई जिससे कि वे शंशय काल की कठिनाइयों का सामना करने में समर्थ हो सकें। इस प्रकार तेजी से वायु यातायात का विकास होने लगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्—देश के विभाजन के समय से लेकर १९४४ तक पाकिस्तान से शरणार्थियों को भारत लाने के कार्य में महत्वपूर्ण योग दिया। १९५० में जब पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया तो वायु यातायात के कारण ही कम से कम समय में भारतीय सेनाएँ काश्मीर की रक्षा के लिये भेजी जा सकी।

दूसरे महायुद्ध के काल में वायु यातायात की जो प्रगति हुई उसके कारण भारतीय पूँजीपतियों ने व्यवसाय में और अधिक रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप कई नई कम्पनियों की स्थापना हो गई। १९४६ के अन्त तक भारत में कुल ११ वायु यातायात कम्पनियाँ लाइसेंस प्राप्त कर चुकी थीं। १९४६ से भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात में भी भाग लेना प्रारम्भ कर दिया और भारतीय विमान घाटियों तथा सामान को लेकर योरोप तथा उत्तर के अन्य प्रमुख देशों के बीच चलने लगे। १९४६ में रात्रि वायु डाक व्यवस्था भी की गई।

१९५० तक की वायु यातायात की प्रगति उत्साहवर्धक होते हुये भी अनियन्त्रित तथा योजना रहित थी। जिन कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये उनके पास न तो पूरी सामग्री थी और न देश में इतनी कम्पनियों के लायक कार्य ही था। परिणाम यह हुआ कि इन कम्पनियों में आपसी प्रतियोगिता प्रारम्भ हो गई। इस प्रकार एक ओर तो इन कम्पनियों का संचालन व्यय बढ़ता गया और दूसरी ओर इन्हे पर्याप्त मात्रा में आय नहीं हुई। अपने को जीवित रखने के लिए इन्हें सरकार से कर्ज तथा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता की माँग करनी पड़ी। सरकार द्वारा भरसक सहायता प्रदान करने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह कम्पनियाँ कभी भी स्वावलम्बी बनकर कार्य नहीं कर सकेंगी। दूसरे शब्दों में इन्हें सदैव बड़ी मात्रा में सरकारी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा। सरकार ने यह सोचा कि जब उसे इतना अधिक व्यय करना पड़ता है तो क्यों न इनका संचालन अपने हाथ में ले लें। १९५० में इस प्रश्न की जाँच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई।

राज्याध्यक्ष समिति (१९५०)—बम्बई हाई कोर्ट के जज श्री राजाध्यक्ष के सभापतित्व में वायु यातायात जाँच समिति (Transport Enquiry Committee) की नियुक्ति १९५० में की गई। इस समिति ने वायु यातायात की विभिन्न समस्याओं तथा कठिनाइयों पर पूरी तरह विचार करने के बाद कुछ सुझाव दिये जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

- (१) अगले ५ वर्षों तक वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण न किया जाये।
- (२) कुछ कम्पनियों को दुबारा लाइसेंस न दिये जायें और जो स्थाई कम्पनियाँ हैं उन्हें इस प्रकार संगठित किया जाय कि केवल चार कम्पनियाँ ही देश में कार्य करें।
- (३) इन कम्पनियों के भागों को पुनर्विभाजित किया जाये कि एक मार्ग पर कई कम्पनियाँ कार्य न कर सकें।
- (४) वायु यातायात के विरामे इस प्रकार सञ्चालित किए जायें कि कम्पनियों की अचल पूँजी पर १० प्रतिशत के लाभ के सिद्धांत को आधार माना जाये।
- (५) पुराने वायुयानों को हटा दिया जाए और अतिरिक्त कर्मचारियों को भी अलग कर दिया जाए।
- (६) सरकार को आर्थिक सहायता जारी रखनी चाहिये।

भारत सरकार ने समिति के अधिकांश सुझाव मित्रातिरु रूप से स्वीकार कर लिए किन्तु उन पर कार्य नहीं किया। इसके विपरीत वायु कम्पनियों की विगडती हुई दशा का देखकर सरकार ने उनके राष्ट्रीयकरण का निश्चय कर लिया। यद्यपि जांच समिति ने इसका विरोध किया।

वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण—१९५२ में वायु यातायात के संचालकों तथा नागरिक उडान विभाग (Civil Aviation Department) का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें यह सिफारिश की गई कि पुराने वायुयानों के स्थान पर नए वायुयान खरीदने के लिए सरकार आर्थिक सहायता दे। इसके अतिरिक्त सरकार को ४० लाख रुपये प्रतिवर्ष परीक्षा रूप से सहायता के रूप में व्यय करने पड़ते थे। इन सब बातों को सोचकर तथा योजना आयोग की अनुमति पर राष्ट्रीयकरण का निश्चय कर लिया गया।

२१ मार्च १९५३ को संचार मंत्री श्री जगजीवन राम ने सदन के सामने वायु यातायात निगम बिल (Air Transport Corporation Bill) पेश किया जो दोनों सदनो द्वारा पारित कर दिया गया और कानून के रूप में २ अगस्त १९५३ से लागू हो गया। इस कानून के अनुसार २ निगमों की स्थापना की गई जिनमें एक भारतीय एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा दूसरा एयर इण्डिया इण्टर नेशन के नाम से कार्य कर रहे हैं।

वर्तमान स्थिति—भारतीय एयर लाइन्स कारपोरेशन में ८ वायु यातायात कम्पनियों को शामिल किया गया है और इसके वायुयान देश के भीतर एक नगर से दूसरे नगर तक उडान करते हैं। वायु यातायात को ७ भागों में बांटा गया है जिनका भार ७ रेजीडेंट प्रतिनिधि सम्भालते हैं। इनमें से तीन के प्रधान कार्यालय कलकत्ते में और शेष के दिल्ली, मद्रास और हैदराबाद में हैं। इस समय इस निगम के पास ६१ वायुयान हैं जिनमें ६६ डैकोटा, १२ विकिंग्स, ६ स्काई मास्टर और २ हैरोस हैं। देश के अन्दर वायु यातायात के कुल मार्गों का विस्तार १६६८५ मील है।

दूसरा निगम एयर इण्डिया इण्टर नेशनल श्री जे आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में विदेशी वायु यातायात का संचालन करता है। इसके पास इस समय ५ सुपर कान्सटेलेशन, ३ कान्सटेलेशन और १ डैकोटा जहाज है। १५ देशों में तथा २३४८३ मील के वायु मार्ग पर यह वायुयान उडान करते हैं। १९५४-५५ में जब कि भारतीय एयर लाइन्स कारपोरेशन को ६०-१५ लाख रुपये का घाटा हुआ था एयर इण्डिया नेत्राल को ३३-५४ करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार ने निजी कम्पनियों को मुआवजा देने की व्यवस्था की थी जिसकी रकम ४८ करोड़ रुपये तक की गई। इसमें से ४८ लाख रुपये नकद तथा शेष को ऋण पत्रों के रूप में दिया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में वायु यातायात के विकास को दो भागों में विभाजित किया गया था। १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के दो वर्षों में १८५ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई। बाद के तीन वर्षों में ६६७ करोड़ का व्यव-

स्था थी जिसमें पालू ध्यय के अतिरिक्त आवश्यक सामग्री खरीदने तथा निजी कम्पनियों को मुआवजा देने की व्यवस्था थी। प्रथम योजना में ११ नये हवाई अड्डे स्थापित किये गये। इस प्रकार इस समय नागरिक वायु यातायात विभाग के आधीन ८१ हवाई अड्डे हैं।

भावी विकास की सम्भावनाएं—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वायु यातायात के विकास के लिये १२ ५ करोड़ रुपया निर्धारित हुआ है जबकि वास्तव में १८ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। इसमें से हवाई अड्डों के निर्माण एवं सुधार पर ८३ करोड़ रुपया टेली कम्प्यूनिवेशन की सा-ग्री पर २८ करोड़ रुपया, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के सामान पर ५० लाख तथा अनुसंधान तथा विकास आदि पर २६ करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा। दूसरी योजना में ८ नये हवाई अड्डे बनाये जायेंगे और वर्तमान अड्डों में आवश्यक सुधार होंगे ताकि दिन तथा रात में वायुयानों की उड़ान के कार्य में और अधिक प्रगति हो सके। इस प्रकार भारत के समस्त राज्यों की राजधानियां तथा देश के सभी प्रमुख नगर वायु मार्ग पर आ जायेंगे। भारतीय एयर लाइन्स कारपोरेशन के विवास पर १६ करोड़ रुपया तथा एयर इण्डिया इन्टर नेशनल के विकास पर १४ ५ करोड़ रुपया व्यय करने का आयोजन है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अगले कुछ वर्षों में ही यातायात के अन्य साधनों की भांति वायु यातायात भी भारत में यातायात का एक प्रमुख साधन बन जायगा।

अध्याय ११

भारत में आर्थिक नियोजन

प्रश्न ८८—भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिये। यह कहा तक सफल हुई है? (आगरा १९५४)

Describe the main features of the First Five year Plan of India How far has it been successful? (Agra 1954)

उत्तर—भारतीय संविधान लागू हो जाने के बाद १९५० में ही भारत सरकार ने योजना आयोग (Planning Commission) की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास तथा लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार करने के लिये पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करना था। जीलाई १९५१ में योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा पेश किया। यह योजना प्रथम अप्रैल १९५१ से ३१ मार्च १९५६ तक के लिये बनाई गई थी। प्रारम्भिक मसौदे में कुछ संशोधन करने के बाद अन्तिम रूप में यह योजना प्रधान मंत्री द्वारा ८ दिसम्बर १९५२ को भारतीय संसद के सामने की गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तथा विशेषताएँ—योजना आयोग के शब्दों में “योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊँचा करना तथा उन्हें एक सुखी और अधिक व्यापक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना था।” दूसरे शब्दों में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाकर, लोगों को पूर्ण रोजगार प्रदान करके तथा देशवासियों को आर्थिक तथा सामाजिक न्याय की व्यवस्था करके वास्तविक अर्थ में एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना उस आधार शिला के समान थी जिस पर देश के भावी विकास की इमारत बनेगी।

मिश्रित अर्थ व्यवस्था—प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत के लिये एक मिश्रित अर्थ व्यवस्था की कल्पना की गई जिसमें सरकार को एक महत्वपूर्ण तथा क्रियाशील भाग लेना था। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करके सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बीच सामन्जस्य स्थापित करने की आशा प्रकट की गई ताकि अपने क्षेत्र में दोनों का विकास हो सके।

कृषि की प्रधानता—इस योजना में कृषि के विकास को सबसे अधिक महत्व दिया गया। द्वितीय महायुद्ध तथा देश के विभाजन के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था में एक प्रकार का असन्तुलन उत्पन्न हो गया था। देश में खाद्य सामग्री तथा कच्चे माल

के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कृषि विकास तथा छोटी बड़ी सिंचाई की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई।

जल विद्युत का विकास—एक बड़े पैमाने पर जल-विद्युत उत्पन्न करने की आवश्यकता को अनुभव करते हुये योजना में इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। योजना आयोग के विचार में सिंचाई तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिये बड़े पैमाने पर बिजली का निर्माण आवश्यक है। इसलिये जनता को पूर्ण रोजगार की सुविधाएँ प्रदान करने के लिये बिजली का विकास किा जाना चाहिए।

यातायात के साधनों का विकास—सिंचाई तथा जल-विद्युत के बाद याता-यात के साधनों के विकास की आवश्यकता अनुभव की गई। रेल यातायात तथा सड़क यातायात के विकास के साथ ग्रामोद्योग सड़कों को बनाने के लिये जनता के सामुदायिक प्रयत्न तथा श्रमदान को महत्व दिया गया और सामुदायिक विकास योजनाएँ पंचवर्षीय योजना में शामिल की गईं।

उद्योग-धन्धों का विकास—बड़े पैमाने के उद्योगों के विषय में यह सोचा गया कि उपभोक्ता की वस्तुओं से सम्बन्धित नये कारखाने न लगाये जायें बरन् वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता को ही पूरी सीमा तक प्रयोग में लाया जाये। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का विकास किया जाए।

निम्नलिखित तालिका में प्रथम पंचवर्षीय योजना का संक्षिप्त विवरण दिया गया है —

		(करोड़ रुपये में)		
		प्रारम्भिक अनुमान	संशोधित अनुमान	प्रतिशत व्यय
१.	कृषि तथा सामुदायिक विकास	३६१	३७२	१६
२.	सिंचाई तथा बिजली	६१	६६१	१८
३.	उद्योग तथा खनिज पदार्थ	१७३	१७६	७
४.	यातायात तथा संचार	१६७	५५६	२४
५.	समाज सेवाएँ	४२५	५४७	२३
६.	अन्य कार्य	५५२	४१	२
योग		२५६६	२३५६	१००

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार योजना पर २०६६ करोड़ रुपये व्यय किये जाने थे किन्तु देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के तत्कालीन ममाधान के उद्देश्य से यह व्यय २३५६ करोड़ रुपये कर देना पड़ा। निजी क्षेत्र में भी १५०० करोड़ रुपये से बढ़ाकर १५०० करोड़ रु० के विनियोग की व्यवस्था करदी गई।

योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य—योजना में कई बड़ी बहुमुखी नदी घाटी योजनायें सम्मिलित की गई जिसे १६८ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई तथा ४६ किलोवाट अतिरिक्त बिजली उत्पन्न होने का अनुमान था। देश में खाद्य उत्पादन में भी इस योजना के फलस्वरूप ७६ लाख टन की वृद्धि की कल्पना की गई इसी प्रकार कपास, कच्ची जूट, गन्ना तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी काफी वृद्धि का अनुमान लगाया गया। उपरोक्त लक्ष्यों में प्राप्ति के अतिरिक्त सहकारी ग्राम प्रबंध, सामुदायिक ग्राम योजनायें तथा राष्ट्रीय विचार सेवा खण्डों के माध्यम से ग्रामीण जीवन के सर्वमुखी विकास पर जोर दिया गया।

योजना में उद्योग धन्यो के विकास पर १७३ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी जिसमें बिसेप जोर लोहा तथा इस्पात उद्योग तथा भारी रसायनिक पदार्थों के विकास पर किया गया। इसके बाद कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को भी आवश्यक स्थान मिला। अन्य उद्योगों की उत्पादन क्षमता को देखते हुए उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किये गये। निजा क्षेत्र द्वारा उद्योगों के विकास पर २३३ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था।

राष्ट्रीय सड़कों के विकास के लिए २६ करोड़ रुपये तथा राज्यों के प्राधीन सड़कों के विकास के लिए ७३ ५४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। जहाजी कम्पनियों के विकास के लिए सहायतार्थ १५ करोड़ रु०, काडला के नये बन्दरगाह के लिए १३ ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। समाज सेवाओं के लिए जो धन व्यय होना था उसमें से शिक्षा पर १५१ करोड़ रु०, स्वास्थ्य पर ६६ करोड़ रुपये, मकानों के निर्माण पर ४६ करोड़ रु०, श्रम हितकारी कार्यों के लिए ७ करोड़ रु० तथा पिछड़ी हुई जातियों के लिए २६ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई।

१९५०—५१ में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगभग ६ हजार करोड़ रुपये का था। यह कल्पना की गई कि १९५५-५६ तक भारत की राष्ट्रीय आय १० हजार करोड़ रुपये हो जायेगी अर्थात् २ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने की सम्भावना थी। राष्ट्रीय आय की वृद्धि का $\frac{1}{2}$ फिर से विकास कार्यों में विनियोग हो जाना चाहिए। रोजगार के सम्बन्ध में यह अनुमान लगाया गया कि योजना काल में लगभग ५५ लाख व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार तथा ३५ लाख व्यक्तियों को अर्ध रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

योजना की वित्त व्यवस्था—योजना पर व्यय होने वाले २०६६ करोड़ रुपये में से विभिन्न साधनों द्वारा जो धन प्राप्त होने की सम्भावना थी उसका अनुमान निम्नलिखित तालिका में लगाया जा सकता है।

१	केन्द्रीय सरकार द्वारा बचत	१६०	करोड	रुपये
२	रेलो की बचत	१७०	"	"
३	राज्य सरकारों द्वारा बचत	४०८	"	"
४	सार्वजनिक ऋण	११५	"	"
५	छोटी बचतें	१७०	"	"
६	डिपॉजिट तथा प्रावीडेन्ट फण्ड	२३५	"	"
७	विदेशी सहायता	१२१	"	"
८	घाटे का बजट	२६०	"	"
योग		२०६६	करोड	रुपये

प्रथम पंचवर्षीय योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना ने प्रारम्भ के वर्षों में बहुत थोड़ी प्रगति की। १९५३ के मध्य में बेरोजगारी की समस्या जटिल हो जाने के कारण सरकार को अधिक मात्रा में योजना पर धन व्यय करना पड़ा। वैसे तो संशोधित अनुमान के अनुसार योजना के काल में विकास कार्यों पर कुल २३५६ करोड रु० व्यय होना था किन्तु वास्तव में केवल १६६० करोड रु० व्यय किया जा सका अर्थात् प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अनुमान से १७ प्रतिशत कम व्यय किया जा सका। प्रतिवर्ष के व्यय के आकड़े निम्नलिखित हैं—

१९५१-५२	२५६ करोड रु०
१९५२-५३	१७३ " "
१९५३-५४	३४० " "
१९५४-५५	४७६ " "
१९५५-५६	६१२ " "

पांच साल का कुल व्यय का योग

१६६० " "

उपरोक्त व्यय निम्नलिखित साधनों से प्राप्त किया गया।

१	रेलो सहित राजस्व की बचत से	७४५ करोड रु०
२	सार्वजनिक ऋण से	२०३ " "
३	छोटी बचतों द्वारा	३०० " "
४	पू. ग्रीकत खाते में अन्य प्राप्ति	१०० " "
५	विदेशी सहायता	१६७ " "
६	घाटे की बजट व्यवस्था	४१५ " "
योग		२६६० " "

प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिन सध्यों की प्राप्ति की जा सकी है उहे अभी अन्तिम रूप में प्रकाशित नहीं किया गया है यद्यपि ३१ मार्च १९५६ को प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई थी। २२ जून १९५७ की योजना आयोग के उप सभापति ने जो विज्ञप्ति प्रकाशित करने के हेतु तैयार की थी उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति तथा सफलताओं की विवेचना की गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात की

झीर सकेत किया गया है वह यह है कि यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमान से लगभग ४२६ करोड़ रु० कम व्यय हुआ परन्तु निजी क्षेत्र ने इस दिशा में पूरी सफलता प्राप्त की अर्थात् औद्योगिक विकास के लिये २३३ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान था जबकि वास्तव में २३१ करोड़ रु० व्यय किया गया।

पहली योजना का व्यापक प्रभाव इस बात से प्रकट होता है कि योजना काल में वास्तविक राष्ट्रीय आय में लगभग १८% की वृद्धि हुई है। १९५२-५३ के मूल्यों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि १९५५-५६ में राष्ट्रीय आय १८०० करोड़ रु० हो गई जब कि यह १९५०-५१ में केवल १५१० करोड़ रु० थी। इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) में ११% की वृद्धि और उपभोग व्यय में ९% की वृद्धि हुई है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रगति कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हुई। खाद्यान्न का उत्पादन २०% कपास का उत्पादन ४५% तथा मुख्य तिलहनो का उत्पादन ८ प्रतिशत बढ़ गया। सिंचाई की छोटी और बड़ी योजनाओं के परिणाम स्वरूप सिंचित भूमि में १०६० एकड़ भूमि की वृद्धि हो गई है। बिजली का उत्पादन १९५०-५१ में ६ लाख ७७ करोड़ ५० लाख किलोवाट घण्टे था। १९५५-५६ में यह बढ़ कर ११ अरब किलोवाट हो गया। औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक १९५० में १०५ था जो १९५५ में बढ़कर १६१ हो गया।

सार्वजनिक क्षेत्र में योजना काल के जो नये क रखाने खोले गये उनमें से कुछ के नाम यह हैं।

- (१) सिधरो—रसायनिक खाद का कारखाना
- (२) चितरंजन—रेल के इंजिन बनाने का कारखाना
- (३) हिन्दुस्तान केबल्स दुर्गापुर
- (४) हिन्दुस्तान सिपयार्ड विशाखापटनम
- (५) इन्ट्रैल कोच फैंक्ट्री मद्रास
- (६) हिन्दुस्तान मशीन टूल मँसूर
- (७) नैशनल टन्सट्रूमन्ट्स फैंक्ट्री कलकत्ता
- (८) टेलीफोन फैंक्ट्री बंगलौर

पहली योजना की अवधि में अर्थव्यवस्था में कुल विनियोग (Investment) ३१०० करोड़ रु० आका गया है। विनियोग की दर १९५०-५१ में लगभग ५ प्रतिशत थी जो १९५५-५६ में बढ़कर ७.३ प्रतिशत हो गई। विनियोग में हुई इस वृद्धि के अग्र्य देशों से मुद्रा स्थिति से वृद्धि हुई। इस योजना के आरम्भ के काल की तुलना से सामान्य मूल्य स्तर में योजना समाप्त होने तक लगभग १३ प्रतिशत की कमी हो गई। विदेशी भुगतान का सतुलन अनुकूल ही रहा है। वरन् उसमें कुछ थोड़ी सी बचत हुई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की कमियाँ—यद्यपि पंचवर्षीय योजना को पर्याप्त मात्रा में सफलता प्राप्त हुई किन्तु इसमें बहुत सी त्रुटियाँ भी रह गईं। कुछ लोगों का अनुमान है कि जितना धन योजना पर व्यय किया गया उसके अनुपात में उत्पादन

में वृद्धि नहीं हुई अर्थात् भारी मात्रा में देश के पैसे का प्रयोग हुआ। सरकार ने भी कुछ अर्थों में इस बात को स्वीकार किया है। उनके अनुसार इसका मुख्य कारण अनुभवहीनता तथा जनता के सहयोग की कमी थी। पूँजी गत समग्री की कमी के कारण तथा टैक्नीकल कर्मचारियों के अभाव की वजह से बहुत से कार्य क्रम पूरे नहीं हो सके। योजना के प्रारम्भ के तीन वर्षों में आवश्यक सामग्री के कमी के कारण बहुत कम कार्य हुआ और बाद के दो वर्षों में तीव्रगति से कार्य को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया जिसकी वजह से धन तथा सामग्री की ख़ासी स्वाभाविक ही थी।

कुछ आलोचकों का कहना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना वास्तव में विनाम की योजना नहीं थी वरन् भविष्य की योजनाओं की सफलता के लिये आवश्यक बाना-वरण प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस लिये सरकार ने इस योजना के विज्ञापन पर बहुत अधिक व्यय किया। यह मानना पड़ता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के कारण देश में एक प्रकार की जागृति उत्पन्न हो गई और लोग अपने उत्तरदायित्वों तथा सरकार की कठिनाइयों को अनुभव करने लगे हैं।

प्रश्न ८६—भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों तथा विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह प्रथम योजना से किस प्रकार भिन्न है ?

Describe the main objectives and features of the Second Five Year Plan of India How does it differ from the First Five Year Plan ?

उत्तर— प्रथम पंचवर्षीय योजना ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुई। दूसरी योजना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) में बोलते हुये प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था “हमने अपनी यात्रा का पहला चरण पूरा कर लिया है किन्तु हम तुरन्त ही अपनी दूसरी यात्रा के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए”। आगे चलकर उन्होंने कहा “जिस प्रकार जीवन का निर्वाह जारी रहता है, उसी प्रकार योजना और विकास भी जो किसी राष्ट्र के जीवन प्रवाह का नियम करते हैं, निरन्तर जारी रहने वाली प्रयत्निय हैं”। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के तुरन्त बाद अर्थात् १ अप्रैल सन् १९५६ को दूसरी योजना लागू कर दी गई। दूसरी योजना का मसौदा बनाने से पूर्व सरकार ने २१ भारतीय अर्थशास्त्रियों के एक मण्डल द्वारा विचार करने के बाद उसे अन्तिम स्वरूप दिया।

दूसरी योजना के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण बातों को याद रखना आवश्यक है। पहली बात यह है कि दूसरी योजना ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई हेर फेर किया जा सके किन्तु वह अनिवार्य रूप से माननीय है। आर्थिक तथा वित्तीय गति विधियों तथा विविध क्षेत्रों में हुई प्रगति को ध्यान में रखकर वार्षिक कार्य-क्रमों के आधार पर यह योजना चलाई जा रही है। प्रत्येक समय पर पुनर्विचार किया जाता है। दूसरी बात यह है कि तीव्रगति से होने वाले विकास के इस काल में जो मुद्रा स्फीति

होने की सम्भावना है उसके प्रभाव को कम करने के लिए योजना में जो प्रस्तावित कृषि उत्पादन के लक्ष्य रखे गये हैं उन्हें और अधिक बढ़ाया जायेगा। सक्षेप में 'दूसरी योजना का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण किया जाये। औद्योगिक उन्नति की नींव डाली जाये और जनता के उस भाग का जो कमजोर है और अपेक्षाकृत अधिकारहीन है, अपने विकास का अधिक से अधिक अवसर दिया जाए।"

दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

जैसा कि ऊपर कहा गया है, दूसरी योजना का उद्देश्य भारत की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना तथा तीव्रगति से देश का औद्योगिक विकास करना है। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

(१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि—५ वर्षों के समय में राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जिसमें कि प्रति व्यक्ति आय तथा प्रति व्यक्ति उपभोक्ता में वृद्धि हो और रहन सहन का स्तर ऊँचा उठ सके।

(२) आधारभूत उद्योगों का विकास—दूसरी योजना में खनिज पदार्थों के विकास और आधारभूत उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग तथा मशीन बनाने के उद्योग आदि पर विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि देश के भावी औद्योगीकरण के लिए इन उद्योगों का विकास प्रति आवश्यक है।

(३) बेरोजगारी की समस्या का समाधान—दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग एक करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ रोजगार हानि लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इस बात को पूरी तरह ध्यान में रखा गया है।

(४) समाजवादी अर्थव्यवस्था—भारत अब तक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति पर चल रहा है किन्तु धीरे-२ देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था चालू की जाएगी जिसके अनुसार यद्यपि निजी क्षेत्र को भी कार्य करने का अवसर मिलेगा किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में ३० अप्रैल सन् १९५६ को भारतीय संसद ने सरकार की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पास कर दिया है। समाजवादी अर्थ व्यवस्था का अर्थ यह होगा कि इससे सम्पत्ति और आय की असमानता को कम करके लोगों के जीवन को अधिक सुखी और समृद्ध शाली बनाने के प्रयत्न किये जाएंगे।

उपरोक्त सब उद्देश्य एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित हैं। रहन सहन का स्तर ऊँचा उठाना अधिक उत्पादन पर निर्भर है। अधिक उत्पादन के लिए तेजी से औद्योगीकरण की आवश्यकता है और औद्योगीकरण के लिए मूल उद्योग का विकास आवश्यक है। मूल उद्योगों में पूँजी लगाने से उपभोग की वस्तुओं की मांग बढ़ती है जिससे बहुत हद तक बेरोजगारी की समस्या का हल हो सकता है क्योंकि उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन सुसंगठित ढंग से कुटीर उद्योग घरों के विकास द्वारा किया जा सकता है।

योजना आयोग के शब्दों में "दूसरी योजना एक प्रगतिशील सामाजिक तथा आर्थिक दर्शन पर आधारित है। इसलिये इस योजना का उद्देश्य आर्थिक तथा सामाजिक विशेषताओं को घटाते हुए देश का विकास करना है।"

योजना की रूपरेखा—दूसरी पंचवर्षीय योजना उन विकास प्रयत्नों का ही एक झट्ट रूप है जो प्रथम योजनाओं में चालू किए गए थे। प्रथम योजना में कुल २०६६ करोड़ रुपये की (जो बाद में २३५६ करोड़ रुपये कर दी गई) व्यवस्था की गई थी। इसकी तुलना में दूसरी योजनाएँ केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के विकास कार्यों पर ४८०० करोड़ रु० व्यय किए जायेंगे। इनमें से ३५५६ करोड़ रुपये केंद्रीय सरकार तथा २०४१ करोड़ रुपये राज्य सरकारें व्यय करेंगी जिन मंदा पर यह रुपये व्यय किया जायगा। उसका व्यौरा निम्नलिखित है—

विवरण	कुल व्यय करोड़ रु० में	तिशत
(१) कृषि तथा सामुदायिक विकास	५६८	११.८०/०
(२) बिजली और विज्ञान	६१२	१२.००/०
(३) उद्योग और मन्दि	८६०	१५.८०/०
(४) परिवहन और संचार	१३८५	२८.६०/०
(५) समाज सेवाएँ	६४२	१३.३०/०
(६) विविध	६६	१.३०/०
योग	४८००	१००.००/०

उपरोक्त व्यौरे से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दूसरी योजना में उद्योगों, खानों, परिवहन तथा संचार साधनों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है। योजना के कुल व्यय का लगभग भाग इनके विकास पर व्यय किया जायेगा। जब कि प्रथम योजना के कुल व्यय का तिहाई भाग ही इन पर व्यय किया गया था। यदि विज्ञान को भी औद्योगिक विकास का अंग मान लिया जाये तो यह व्यय कुल व्यय का लगभग ५६ प्रतिशत हो जाता है।

सांस्कृतिक क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के विकास कार्यों पर जो व्यय होगा उसका व्यौरा निम्नलिखित है—

(१) संगठित उद्योग और खानें	५७५ करोड़ रुपय
(२) वागान बिजली उद्योग और रेलो को छोड़कर अन्य परिवहन	१२५ "
(३) निर्माण	१००० "
(४) कृषि तथा ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योग	३०० "
(५) स्टाव	४०० "
योग	<u>२४००</u> "

इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में मिलाकर दूसरी पंचवर्षीय योजना पर केवल ६२०० करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है।

योजना के वित्तीय साधन — दूसरी पंचवर्षीय योजना के सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए निम्नलिखित साधनों से धन प्राप्त किया जाएगा।

क्रम संख्या	वितरण -	करोड़ रुपए
१	घरेलू साधन	
	१—घालू राजस्व से बचत	
	(क) कर की वर्तमान दरों के अनुसार	३५०
	(ख) अतिरिक्त करों से	४५०
	२—जनता से ऋण के रूप में	१२००
	(क) बाजार में ऋण	७००
	(ख) छोटी बचत	५००
	३—बजट के अन्य साधनों से	४००
	(क) विकास कार्यों में रेलों का भाग	१५०
	(ख) भविष्य विधि तथा जमा खाते	२५०
	विदेशों से	६००
२	घाटे का बजट बनाकर	१२००
३	कमी जो देश में नये साधनों	४००
४	द्वारा पूरी करनी होगी	
	कुल योग	४६००

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस योजना पर जो व्यय होगा, उसका लगभग आधा भाग घरेलू साधनों से पूरा किया जायेगा। शेष का ५ प्रतिशत भाग घाटे का बजट बनाकर ३३ प्रतिशत विदेशी सहायता से पूरा किया जायेगा।

योजना में निर्धारित लक्ष्य

विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों के द्वारा जिन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी उनका विस्तृत व्योरा इस प्रकार है।

(१) कृषि उत्पादन—कृषि उत्पादन में १८ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। १९५५-५६ में अनाज का उत्पादन ६५० लाख टन था जो १९६०-६१ तक ७५० लाख टन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त गन्ने के उत्पादन में २२ प्रतिशत, तिलहन के उत्पादन में २७ प्रतिशत, जूट में २५ प्रतिशत तथा कपास में ३१ प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। सिंचाई के साधनों के विकास में २१० एकड़ नई भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। १९५५-५६ में लगभग ६ लाख टन रसायनिक खाद का प्रयोग किया गया था जो १९६०-६१ में १८ लाख टन हो जायेगा।

अनाज का लक्ष्य निर्धारित करते समय देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी विचार किया गया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता १८ औंस प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मानी गई।

कृषि उत्पादन के अतिरिक्त मछली पकड़ने के उद्योग का विकास तथा वन विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। १९५५-५६ में ११ लाख रुपया था। १९६०-६१ में यह १४ लाख रु० हो जाने की आशा है। वनों के सम्बन्ध में यह अनुमान है कि इनका क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ाकर देश के कुल क्षेत्रफल का ३ प्रतिशत कर देना चाहिए।

(२) सिंचाई के साधन—प्रथम योजना में १७३ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की गई थी। दूसरी योजना में २१० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की जायेगी। सिंचाई की योजना में १९५५ प्रोजेक्ट शामिल किये गये हैं। ५५८ ट्यूबवैल बनाने का भी प्रबंध किया गया है।

(३) जल विद्युत—प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय जल विद्युत विकास की २५ वर्षीय योजना बनाई गई थी जिसका दूसरा चरण इस योजना में पूरा होगा। १९५५-५६ में ११०००० लाख यूनिट बिजली का उत्पादन था। योजना के अन्त तक इसके दोगुने हो जाने की आशा है। आशा की जाती है कि योजना काल में १०००० तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान पर बिजली पहुंचाई जा सकेगी।

(४) औद्योगिक विकास—दूसरी योजना में मूल उद्योगों के विकास को मुख्य स्थान दिया गया है। योजना काल में ३ लोहा-इस्पात के बड़े कारखाने स्थापित किये जाएंगे जिन पर क्रमशः १२८ करोड़ ११० करोड़ और ११० करोड़ रुपया व्यय होगा। यह कारखाने रुरकेला, भिलाई और दुर्गापुर नामक स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। इनसे स प्रत्येक की उत्पादन क्षमता १० लाख टन प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त बिजली का सामान बनाने के उद्योग पर २० करोड़ रुपया, औद्योगिक मशीन के बनाने पर १० करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा। नागल और

बड़े उद्योग और सनिज पदार्थ	८००
कुटीर और छोटे उद्योग	४५०
बन मछली पकड़ना, सामुदायिक विकास	४१५
शिक्षा	२६०
स्वास्थ्य	११६
अन्य समाज सेवाएं	४२
सरकारी नौकरियां	४३४
व्यापार और वाणिज्य	२७०४
योग	<u>७४६</u>

इस प्रकार यह आशा की जाती है कि कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में ० लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। भूमि सुधार, सिंचाई की सुविधाओं के कारण तथा वायान और साग सजी उद्योग के विकास से लगभग १६ लाख व्यक्तियों को अर्थ रोजगार के स्थान पर पूरे समय का रोजगार मिलने लगेगा।

दूसरी योजना की प्रथम योजना से तुलना

प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थ व्यवस्था की जड़ मजबूत करना और उसे स्थिर तथा स्थिरता प्रदान करना था। प्रथम योजना उस समय बनाई गई थी जब हमारे महायुद्ध और विभाजन के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था अ-त-व्यस्त हो गई थी। अन्न तथा आवश्यक कच्चे माल की कमी और मुद्रा स्फीति के कारण आर्थिक प्रमत्तुलन हो गया था जिसे ठीक करना और गतिवद्ध अर्थ व्यवस्था को गति प्रदान करना इसके उद्देश्य था। दूसरी योजना निम्नलिखित बातों में प्रथम योजना से भिन्न है—

(अ) प्रथम योजना पांच सालों की एक समुचित योजना थी जबकि दूसरी योजना प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद परिस्थितियों तथा अनुभव के परिचाय बदलती रहेगी। इस प्रकार यह कठोर योजना नहीं है।

(ब) प्रथम योजना में कृषि विकास तथा सिंचाई और विजली पर अधिक बल दिया गया था। दूसरी योजना में मूल उद्योग तथा उद्योगों को प्रारम्भिकता दी गई है।

(स) प्रथम योजना की सफलता को ध्यान में रखकर तथा उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर दूसरी योजना काफी विस्तार और व्यापक बनाई गई है।

(द) प्रथम योजना में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पर जोर दिया गया था जिसका आधार १९४८ की औद्योगिक नीति का प्रभाव था। दूसरी योजना समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को आधार मानकर बनाई गई है। इसका आधार १९५६ की नई औद्योगिक नीति है।

प्रश्न ६०— भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए विदेशी सहायता तथा षांटे की अर्थ व्यवस्था का क्या महत्व है ?

Discuss the role of foreign aid and deficit financing for the success of the Second Five Year Plan in India

उत्तर—दूसरी पंचवर्षीय योजना में केवल मावर्जनिक क्षेत्र में ४८०० करोड रु० के व्यय होने का अनुमान है। हो सकता है कि वास्तविक व्यय इससे भी अधिक हो जाये। ४८०० करोड रु० प्राप्त करने के लिए योजना में जिन विभिन्न साधनों का उल्लेख किया गया है उनमें घाटे की वज्रत व्यवस्था (Deficit Financing) तथा विदेशी सहायता का भी उल्लेख है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में विदेशी सहायता से ८०० करोड रु० तथा घाटे की वज्रत व्यवस्था से १८०० करोड रु० प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता से १६७ करोड रु० तथा घाटे की वज्रत व्यवस्था से ४१५ करोड रु० प्राप्त किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन दोनों साधनों को अधिक महत्व का स्थान दिया गया है। अब यह देखना है कि यह दोनों साधन इस योजना की सफलता में कहा तक सहायक सिद्ध हो सक्त हैं।

विदेशी सहायता—जिस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया जा रहा था उस समय राजनैतिक क्षेत्रों में इस बात पर रुन्देह प्रकट किया गया कि शायद भारत सरकार ८०० करोड रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त न कर सके। इसका मुख्य कारण विश्व की राजनैतिक स्थिति तथा भारत की तटस्थता पूर्ण नीति बताया गया। फिर भी यह आशा की गई कि यदि पर्याप्त मात्रा में विदेशी सहायता प्राप्त न की हुई तो भी योजना के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा चाहे उसका लिए जो भी उपाय करना पड़े

दूसरी पंचवर्षीय योजना में मूल उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। जिसके लिए सरकार का ज़रूरी मात्रा में विदेशों में लोहा तथा इस्पात और मशीनों आदि का आयात करना पटना है। इस प्रकार विदेशी भुगतान की स्थिति में भारी घाटा उत्पन्न हो जाने की सम्भावना है। इसे पूरा करने के लिए प्रारम्भ में ही सरकार ने इस प्रकार की नीति और नियत नानि अपनाई है कि देश में अनावश्यक और कम महत्व वाली वस्तुओं का आयात कम किया जाय। दूसरी ओर देश के निर्यातों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाये। इसके अनतिरिक्त भारत के पौंड पावनों (Sterling Balances) तथा सुरक्षित विदेशी मुद्रा के कोष (Foreign Exchange Reserves) का प्रयोग किया जा रहा है। किन्तु योजना के प्रारम्भ के दो वर्षों में ही कुछ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण विदेशी भुगतान के सम्बन्ध में एक संकट की स्थिति का भय होने लगा है। अनुमान लगाया गया है कि समस्त सम्भव प्रयत्न करने के बाद भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के कारण भारत को लगभग ७०० करोड रु० के विदेशी भुगतान के घाटे का सामना करना पड़ेगा। यह घन या तो विदेशों से वार्षिक सहायता तथा दीर्घकालीन ऋण के रूप में प्राप्त होना चाहिये अथवा योजना में योग को दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ काट छाट करना पड़ेगा जिसका अभाव कुछ ऐसे कार्यक्रमों पर पड़ेगा जो देश

के विकास की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं किन्तु जिनकी सफलता विदेशों से आयात की हुई वस्तुओं और सामग्री पर निर्भर है।

इस सकटपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिये गितम्बर सन् १९५७ में भारत के वित्त मंत्री श्री टी. टी. कृष्णामाचारी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड तथा पश्चिमी जर्मनी के दौरे पर गये थे और वहाँ उन्होंने इस बात की छानबीन की थी कि इन क्षेत्रों से विशेषकर अमेरिका से भारत को किस सीमा तक विदेशी सहायता प्राप्त हो सकती है अमेरिका में उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई यद्यपि उन्होंने अमेरिका सरकार के उच्च अधिकारियों तथा पूंजीपतियों से बातचीत करके भारत की वास्तविक स्थिति तथा भारत की आवश्यकताओं से उन्हें पूरी तरह अवगत करा दिया था। उनकी असफलता के दो मुख्य कारण रहे। एक तो भारत की आर्थिक स्थिति, जो समाजवादी अर्थ व्यवस्था पर आधारित है और जिसके अन्तर्गत धीरे-२ प्रमुख उद्योग धन्धों का राष्ट्रीयकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार शामिल हैं। इस नीति के कारण अमेरिका के पूंजीपति तथा बैंक आदि भारत में अपनी पूंजी का विनियोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी बात अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की विदेश नीति है जिसमें अमेरिका सहमत नहीं है और जिससे कारण अमेरिका भारत को उस सीमा तक सहायता देने को तैयार नहीं है जिस सीमा तक भारत को उसकी सहायता की आवश्यकता है यद्यपि भारत सरकार की ओर से यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि भारत किसी प्रकार की भीख नहीं चाहता और किसी भी कोमत पर भारत अपनी स्वतन्त्रतापूर्ण विदेशी नीति को त्याग नहीं सकता। भारत को केवल दीर्घकालीन ऋण के रूप में विदेशी सहायता की आवश्यकता है जिसे वह ईमानदार देश की भाँति आगे चलकर चुका देगा। इस सम्बन्ध में सत्तार में भारत की सात काफी उंची है। इन आश्वासनों का अमेरिकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही स्थिति कनाडा और इंग्लैंड में भी उत्पन्न हुई और वहाँ भी उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली।

इसके विपरीत पश्चिमी जर्मनी, जापान तथा यूगोस्लाविया आदि देशों ने भारत को ऋण के रूप में सहायता प्रदान करने का वचन दिया है। यह सहायता किस मात्रा में और किस रूप में प्रदान की जायेगी इस सम्बन्ध में सन्नधि न देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। यह नहीं कहा जा सकता कि भारत दूसरी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने में विदेशी भुगतान के इस धाँचे को कम करने में कहाँ तक सफल होगा और यदि योजना में काट छाँट करनी पड़े तो उसका रूप क्या होगा। इस बीच भारत सरकार ने कुछ वस्तुओं जिनमें चीनी, काली मिर्च, काजू तथा कपड़ा आदि शामिल हैं की निर्यात को बढ़ाने की व्यवस्था की है। जापान से एक समझौता किया जा रहा है जिसमें भारत जापान को कच्चा लोहा निर्यात करेगा और उसके बदले जापान से लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये मशीनें आदि प्राप्त होगी। श्री कृष्णामाचारी के स्वदेश लौटने के बाद विभिन्न राज्य सरकारों को यह आदेश जारी किये गये हैं कि वे खनिज पदार्थों को अधिक मात्रा में निकालने के उद्देश्य से उन सभी व्यक्तियों को उदारतापूर्वक लाइसेंस प्रदान करें जिनके आवेदन पत्र राज्य सरकारों के विचाराधीन

है। इस प्रकार आने वाले काल में भारत से और अधिक मात्रा में खनिज पदार्थों का निर्यात हो सकेगा।

१ नवम्बर १९५७ को भारत सरकार ने एक आदेश द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में कुछ आवश्यक संशोधन किये हैं जिसके अनुसार रिजर्व बैंक के पास विदेशी प्रतिभूतियाँ (Foreign Securities) तथा सोने की न्यूनतम मात्रा ३०० करोड़ से घटाकर २०० करोड़ कर दी गई है। इस प्रकार यह १०० करोड़ रुपये योजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रयोग हो सकेंगे।

घाटे की अर्थ व्यवस्था — दूसरी योजना के लिए १२०० करोड़ रुपये के घाटे की अर्थव्यवस्था का भी प्रबन्ध किया गया है। योजना तैयार करने से पूर्व ३१ अर्थशास्त्रियों का जो मंडल सरकार ने परामर्श देने के लिए नियुक्त किया था उसके एक सदस्य प्रो० शिनोई (Shenoi) ने घाटे की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में अपना विपरीत मत प्रकट किया था और इस बात पर जोर दिया था कि घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण देश में मुद्रा स्फीति होना अनिवार्य है। इसके कारण जो मूल्यों में वृद्धि होगी तथा आर्थिक परिणाम निकलेंगे उनका योजना पर बुरा भाव पड़ सकता है। हो सकता है कि सरकार उस समय स्थिति का सामना न कर सके। अन्य अर्थशास्त्रियों ने घाटे की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और यह सुझाव दिया कि प्रारम्भ से ही सरकार को मुद्रा स्फीति से सतर्क रहना चाहिए और उसकी रोकथाम के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए १९५६ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में संशोधन किया गया जिससे रिजर्व बैंक को धिक नोट छापने की स्वतन्त्रता मिल गई। इसी के साथ रिजर्व बैंक को साख नियन्त्रण के लिये पहले से अधिक व्यापक अधिकार प्रदान कर दिये गये ताकि मुद्रा स्फीति की रोकथाम की जा सके।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के एक वर्ष में ही घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण मुद्रा प्रसार के लक्षण नजर आने लगे जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अपनी नीति में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा। भा. त. के नये वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी के विचार में घाटे की अर्थव्यवस्था के स्थान पर अतिरिक्त ऋण लगाकर धन प्राप्त करना अधिक उपयुक्त रहेगा। इसी नीति का अनुसरण करते हुये १९५७-५८ के बजट में कई नए करो की व्यवस्था की गई है। जिस स्थिति से होकर योजना इस समय गुजर रही है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि योजना के अन्तिम वर्षों में सरकार को और अधिक मात्रा से घाटे के बजट का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि आन्तरिक ऋण तथा बजट से भी उतना धन प्राप्त नहीं हो सकता जितना कि योजना में अनुमान लगाया गया है।

प्रश्न ६१—भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालिए।

Write a brief descriptive note on the progress of the 2nd Five year Plan

उत्तर—भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना १ अप्रैल १९५६ को प्रारम्भ हुई। प्रारम्भ से योजना की सफलता के विषय में तरह-तरह की रायें उत्पन्न होने लगी। कुछ लोगो ने यह मत प्रकट किया कि यह योजना आवश्यकता से अधिक व्यापक तथा बड़ी है जिसे पूरा करने की सामर्थ्य भारत जैसे निर्धन देश में नहीं है। ४८०० करोड़ रुपये की इस योजना को पूरा करने के लिये जिन-जिन स्रोतों से धन प्राप्त करने के अनुमान लगाये गये थे उनके बारे में भी यह सोचा गया कि शायद इतनी मात्रा में उन साधनों से धन प्राप्त न हो सके। इसलिए इस बात की आशंका प्रकट की गई कि या तो सरकार को योजना में फेर बदल करनी पड़ेगी अथवा यह योजना सफल नहीं हो सकती।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के समय से ही देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के साधनों पर बराबर दबाव पड़ता रहा है। अप्रैल १९५६ और अगस्त १९५७ के बीच थोक मूल्यों में १४ प्रतिशत की वृद्धि हो गई। बाद में उनमें कुछ गिरावट आई किन्तु जून १९५८ के बाद फिर एक बार थोक मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। अप्रैल १९५६ से मार्च १९५८ तक के प्रथम दो वर्षों में विदेशी भुगतान सतुलन में ८२ करोड़ रुपए की कमी रही। इधर देश के सामने खाद्य समस्या एक विकट रूप में आ उपस्थित हुई है जिसने स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया है। इन अवस्थाओं को सुधारने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं और किए जा रहे हैं जिनमें विदेशी निर्यातों को प्रोत्साहन देना आयातों पर कठोर प्रतिबन्ध लगाना, विदेशी सहायता तथा दीर्घकालीन ऋण के लिये अमेरिका पश्चिमी जर्मनी तथा जापान आदि भिन्न देशों से बातचीत करना आदि शामिल हैं। जो कठिनाइयाँ दूसरी योजना के प्रारम्भ से ही देखने में आ रही हैं उनका मूलभूत रूप से विकास कार्यों से सम्बन्ध है और आशा है कि वे योजना के अन्त तक जारी रहेंगी।

पहले दो वर्षों में योजना पर १४९६ करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। चालू वर्ष अर्थात् १९५८-५९ में कुल आय का योग ६६० करोड़ रुपये हो सकता है। इस प्रकार योजना के प्रथम तीन वर्षों के व्यय का कुल योग लगभग २४५६ करोड़ रुपये बनता है। शेष दो वर्षों में जो व्यय करना होगा वह कुल योजना के व्यय के आधे से कुछ ही कम होगा। देखना यह है कि उसे किस प्रकार से पूरा किया जा सकेगा अथवा योजना में कुछ फेर बदल करनी पड़ेगी। प्रथम तीन वर्षों में जो २४५६ करोड़ रुपए का व्यय हुआ है उसका विवरण इस प्रकार है।—

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व से शेष	४३९
रेल्वों का योगदान	१२९
सांख्यिक ऋण, छोटी बचत और अन्य पूंजीगत प्राप्ति	५३३
विदेशी सहायता	४३८

(करोड़ रुपये में)

घाटे की वित्त व्यवस्था
योग

६१७

२४५६

आयोजना के लिये उपलब्ध साधन अब तक आशा से कहीं कम रहे हैं। १९५७-५८ के बजट में ४६४ करोड़ रुपये का घाटा रहा था जो घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा पूरा किया गया। चालू वर्ष अर्थात् १९५८-५९ के बजट में ऋणों तथा छोटी बचत से काफी अधिक धन मिलने की आशा की गई है जिसके फलस्वरूप ऐसा अनुमान है कि १९५७-५८ की अपेक्षा घाटे की वित्त व्यवस्था में २५० करोड़ रुपये की कमी हो जायगी। १९५७-५८ में विदेशी सहायता केवल १०० करोड़ रुपये के लगभग प्राप्त हुई थी परन्तु चालू वर्ष में वह बढ़कर ३०० करोड़ रुपये हो जाने की आशा है।

विदेशी विनिमय की कमी—१९५७-५८ में विदेशी विनिमय की कमी ने एक विषय समस्या उत्पन्न कर दी थी। ऐसी दशा में कुछ प्रायोजनाओं को विदेशी विनिमय की आवश्यकता की दृष्टि से अत्यावश्यक मानना पड़ा और आयोजना के विविध क्षेत्रों के लिये निर्धारित खर्चों में भी ढेर फेर करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके अतिरिक्त आयोजनों के प्रकार पर भी नये सिरे से विचार करना पड़ा। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया और यह निश्चय किया गया कि द्वितीय आयोजन का व्यय ४८०० करोड़ रुपये यथावत बनाये रखा जाये। विकास परिषद के सामने प्रश्न यह था कि योजना के अन्तिम ७ वर्षों में २३४४ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जो ४८ करोड़ रुपये के आधे से कुछ ही कम है। चूँकि पहले दो वर्षों में घाटे की वित्त व्यवस्था बहुत अधिक मात्रा में करनी पड़ी थी और अब उसे कम से कम प्रयोग में लाना है इसलिये २३४४ करोड़ रुपये की इस राशि का प्रबंध करना आसान नहीं है। प्रथम तीन वर्षों की प्रवृत्तियों को देखते हुये तथा ऋणों और छोटी बचतों से होने वाली प्राप्ति को ध्यान में रखते हुये यह अनुमान लगाया गया है कि आयोजनाओं के अन्तिम दो वर्षों में अधिक से अधिक १८०४ करोड़ रुपये ही उपलब्ध हो सकेंगे और पाचो वर्षों का कुल योग ४८०० करोड़ की बजाय ४२६० करोड़ रुपये ही हो पायगा। इस प्रकार व्यय के लिये उपलब्ध धन में जो कमी रह जायगी उसे न तो घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा पूरा करना उचित है और न विदेशी सहायता पर अधिक भरोसा करना उचित है इसलिए यह कमी अन्य साधनों अर्थात् ऋणों, ऋणों तथा छोटी बचतों आदि से भरोसा करने तथा विशेष प्रयत्न करके पूरती करनी होगी। आयोजना के अतिरिक्त होने वाले व्यय में कपायत करना भी परम आवश्यक है। एक उपाय यह भी हो सकता है कि आयोजन का खर्च ४८०० करोड़ से घटाकर ४२६० करोड़ रुपये की सीमा तक ले जाया जाय यद्यपि ऐसा करना न केवल अवाञ्छनीय है वरन् ऐसा करने में बहुत सी कठिनाइयाँ भी हैं। यदि साधनों की स्थिति को देखते हुये आयोजना का व्यय घटाकर ४२६० करोड़ रुपये की सीमा तक लाना पड़ा तो सामाजिक सेवाओं के व्यय में अधिक कटौती करनी पड़ेगी जो आयो-

जना के सतुलन को बनाये रखने के उद्देश्य से वांछनीय नहीं है। इसलिये वास्तव में किये जाने वाले व्यय का स्तर ४५०० करोड़ रुपये में कम नहीं होना चाहिये। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय विकास परिषद ने आयोजना का व्यय ४८०० करोड़ रुपये ही बनाये रखने का निश्चय किया किन्तु साथ ही उसने यह सुझाव दिया कि आयोजना के कार्य क्रमों को दो भागों में बांट दिया जाये अर्थात् (क) प्रथम भाग में कृषि का उत्पादन बढ़ाने से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले कार्य क्रमों के अतिरिक्त वे कार्य-क्रम हों जिन्हें मुख्य प्रायोजनाओं माना गया है अथवा वे हों जो काफी धीरे धीरे बढ़ चुकी हैं अथवा वे जिन्हें रोकना नहीं जा सकता। (ख) शेष योजनाओं को दूसरे भाग में रखा जाय और उन पर कुल २०० करोड़ रुपये व्यय किया जाय।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में कहा गया था कि योजना की सफलता कुछ आवश्यक शर्तों पूरी होने पर निर्भर होगी। वे शर्तें इस प्रकार थी —

(१) कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हो जाय।

(२) घरेलू बचतों में बराबर वृद्धि हो।

(३) आयोजना के कारण होने वाली विदेशी विनिमय की कमी पूरी करने के लिये पर्याप्त विदेशी सहायता मिले।

(४) मूल्यों के स्तर ऐसे रूप में स्थिर रहे जायें जो उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के लिये उचित हों।

(५) प्रशासन चंचल रहे, प्रथम तथा द्वितीय आयोजनाओं के अन्तर्गत उत्पन्न हुए साधनों का उत्तम ढंग से उपयोग किया जाय।

इन सभी शर्तों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। आयोजना तैयार करते समय इनका जो महत्व था उससे कहीं अधिक आज है क्योंकि कृषि उत्पादन में अनुमान के अनुसार वृद्धि नहीं हो रही है, घरेलू बचत भी अनुमान से कम है, विदेशी विनिमय की कमी को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में विदेशी सहायता नहीं मिल रही है और मूल्यों के स्तर में निरन्तर वृद्धि हो रही है, इस प्रकार दूसरी आयोजना की सफाई के लिये इन सभी शर्तों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ज्ञान लेना अत्यन्त आवश्यक है —

करो से प्राप्ति—जब से आयोजना प्रारम्भ हुई करो से काफी वृद्धि हो गई अब तक केन्द्र ने जो कर लगाये हैं नये पांच वर्षों में लगभग ७२५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार इन पांच वर्षों में राज्यों को करो से १७३ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आयोजना की अवधि में करो से प्राप्ति ६०० करोड़ रुपये के लगभग होगी।

करो से होने वाली इस प्राप्ति का बहुत बड़ा भाग अन्य मन्दी पर लक्ष्य होगा जिनमें प्रतिरक्षा का खर्च प्रमुख है। करो से इतनी अधिक प्राप्ति करने का प्रयत्न किए जाने पर भी केंद्रीय योजनाओं के खर्च के लिए केवल ४५ करोड़ रुपये ही अधिक प्राप्त हो सकेंगे। इसका यह अर्थ हुआ कि बहुत कम राशि उपलब्ध हो सकेगी।

राज्यों के अतिरिक्त करोड़ों में आयोजना अवधि में १७३ करोड़ रुपये प्राप्त होने वित्त आयोग के निश्चयानुसार राज्यों को १६० करोड़ रुपये के अतिरिक्त केन्द्रीय करोड़ों में भी काफी अधिक हिस्सा मिलता था इतने पर भी आयोजना पर खर्च करने के लिए राज्यों के पास आयात से कमी कम धन उपलब्ध हो सकता है। यदि यह मान लिया जाए कि राज्य सरकारों से २२१ करोड़ रुपये प्राप्त कर सकेंगे तो वे अपने राजस्व में से आयोजना पर सम्भवतः ३५० करोड़ रुपये खर्च कर सकेंगे जबकि आयात ३७० करोड़ रुपये खर्च करने की थी।

पहले तीन वर्षों में केन्द्र तथा राज्यों के बजटों में आयोजना के लिए जो धन रखा जायगा उसका योग ११०० करोड़ रुपये होगा जबकि पाँच वर्षों का अनुमान २४०० करोड़ रुपये था। इस प्रकार ४०० करोड़ रुपये की कमी रह जाती है।

घाटे की वित्त व्यवस्था—साधनों की कमी के कारण आयोजना के शुरू के वर्षों में घाटे की वित्त व्यवस्था का अत्यधिक आश्रय लेना पड़ा है। इस समय इसे पास के वर्षों में अधिक से अधिक ६०० करोड़ रुपये तक रखना था। परन्तु अब यह निश्चित लगता है कि यह राशि १२०० करोड़ रुपये तक जायगी जैसा कि पहले अनुमान किया गया था। सच तो यह है कि यदि (क) साधनों में और अधिक वृद्धि करने तथा (ख) आयोजनों के खर्चों को सीमित रखने के प्रयत्न न किए गए तो घाटे की राशि और भी अधिक बढ़ सकती है।

यदि देश के पास विदेशी विनिमय का बहुत अधिक भण्डार सुरक्षित हो तो कार्यक्रम तैयार करने में कुछ ढील की जा सकती है। परन्तु वर्तमान स्थिति में तो ऐसा करना सम्भव नहीं। अप्रैल १९५६ और मार्च १९५८ के बीच रिजर्व बैंक का विदेशी विनिमय पाठना घटकर ४७६ करोड़ रुपये रह गया। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम में जमा ६५ करोड़ रुपये की राशि का भी उपयोग कर लिया गया है। द्वितीय आयोजना आरम्भ होने से अब तक जितनी विदेशी सहायता स्वीकृत हो चुकी है उसका योग २७६ करोड़ रुपये है। आयोजना की शेष अवधि में विदेशी विनिमय की जो आवश्यकता होगी उसे पूरा करने के लिए ५०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता और भी मिलनी चाहिये। आयोजना की आवश्यकता सरकारी प्रयोजनाओं के लिये भी २६६ करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

उत्पादन क्षमता का उपयोग—वर्तमान आयात नीति बहुत ही सख्त है और आगे भी सख्त रखनी होगी। परन्तु देश में उत्पादन की जो क्षमता स्थापित हो चुकी है उसका यदि पूरा पूरा उपयोग न किया गया तो नये कारखाने बनाने और नई मशीनें लगाने पर खर्च करना भी एक सीमा पर पहुँचकर रोक देना होगा।

योजना की लागत में भी काफी वृद्धि हो गई है। फिर भी उसकी सीमा ४८०० करोड़ रुपये पर स्थिर रखी गई है। इसका अर्थ हुआ कि हमें भौतिक लक्ष्यों में कमी करनी होगी। अतः इस समय हमारी समस्या यह है कि ४८० करोड़ रुपये का खर्च निकासने के लिये काफी साधन खोज निकाले जा सकते हैं अथवा नहीं।

ऐसी दशा में यह स्पष्ट चताना भी उचित है कि साधनों की कमी को पूरा करने के लिये भविष्य में हम और ब्या प्रयत्न कर सकते हैं।

आयोजना के अन्तिम दो वर्षों में २३४४ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यदि १९५७-५८ तथा १९५८-५९ के खर्च अनुमान से कहीं अधिक हुए तो २३४४ करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की आवश्यकता होगी। परन्तु वर्तमान लक्षणों से प्रकट होता है कि ४२६० करोड़ रुपये से अधिक उपलब्ध न हो सकेंगे। अतः कम से कम ३० करोड़ रु० प्रतिवर्ष विदेशी सहायता मिलनी चाहिए तथा सांख्यिक ऋणों और छोटी बचतों से भी अधिक धन प्राप्त होना चाहिए।

४०० करोड़ रुपये का कुल खर्च निकालने के लिए जो अतिरिक्त साधन बनाने हैं उनमें अतिरिक्त करो से १०० करोड़ रु० ऋणों तथा बचत से ६० करोड़ रुपये और खर्च में कृपायत करके ८० करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान है।

केन्द्र द्वारा अतिरिक्त कर लगाए जाने की बहुत कम गुंजाइश है फिर भी केन्द्र अगले दो वर्षों में अतिरिक्त करो से ४० करोड़ रु० प्राप्त करने का यत्न कर सकता है। राज्यों के लिए करो की सीमा पहले २२५ करोड़ रु० रखी गई थी। उन्होंने अब तक जो प्रयत्न किए हैं उनसे १७३ करोड़ रु० प्राप्त हुए हैं इस प्रकार उनके प्रयत्नों में ५० करोड़ रु० की कमी रही है। राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे अगले दो वर्षों में अतिरिक्त करो से ६० करोड़ रु० प्राप्त करने का यत्न करें। यदि यह लक्ष्य स्वीकार कर लिया जाय तो इसे प्राप्त करने के उपाय भी निर्धारित किये जा सकते हैं।

सांख्यिक ऋण—सांख्यिक ऋणों का प्राप्त करना बहुत कुछ बाजार की हालत पर निर्भर होता है। इसलिये ऋणों तथा छोटी बचत से प्राप्त होने के लिए ६० करोड़ रु० की जो राशि रखी गई है उसका अधिकांश भाग छोटी बचत को प्राप्ताहित करके प्राप्त करना होगा।

आयोजना से सम्बन्ध न रखने वाले खर्चों में कृपायत करके तथा दोष पड़े करो और ऋणों को शीघ्र वसूल करके ८० करोड़ रुपये प्राप्त करने हैं। यह कठिन है परन्तु इसके लिए केन्द्र तथा राज्यों में हृदय प्रयत्न करने होंगे। राज्यों में तो ये प्रयत्न अवश्य होने चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यदि ये सब प्रयत्न किए जाएं तो क्या आयोजना के लिए ४५०० करोड़ रुपये तक का खर्च निकल सकता है। साधनों का निश्चय हुए बिना इससे अधिक खर्च करने का कोई वचन नहीं दिया जा सकता।

इस समय देश में आर्थिक स्थिरता तथा विदेशों से हमारी अछड़ी सात्व होती आवश्यक है। चूंकि विदेशी विनिमय के भण्डार में बहुत कमी हो गई है इसलिए घाटे की वित्तीय स्थिति का सहारा बहुत कम हा लिया जा सकता है।

आयोजना आयोग ने विकास की विभिन्न मंशों के लिए राशियां निर्धारित की हैं वे यही सोचकर की हैं कि ४५०० करोड़ रुपये प्राप्त करने के प्रयत्न कर लिये जायेंगे यह राशि किस प्रकार प्राप्त की जा सकेगी यह नीचे की तालिका में दिखाया गया है —

	योजना में निर्धारित राशि	प्रतिशत	मसौदित राशि	प्रतिशत	साधनों की स्थिति के अनुसार अव प्रस्ता- वित व्यय	प्रतिशत
१. कृषि तथा सामुदायिक विकास	५६८	११.८	८६८	११.८	५१०	११.३
२. सिंचाई तथा विजली	६१३	१६.०	८६०	१७.६	८२०	१८.२
३. ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	२००	४.२	२००	४.२	१६०	३.६
४. उद्योग तथा खनिज	६६०	१४.४	८८०	१८.४	७६०	१७.५
५. परिवहन तथा संचार	१३८५	२८.६	१३४५	२८.०	१३४०	२६.८
६. समाज सेवाएँ	८४५	१६.७	८६३	१८.०	८१०	१८.०
७. विविध	६६	२.०	८४	१.७	७०	१.६
योग	४८००	१००.०	४८००	१००.०	४५००	१००.०

यदि ऊपर दिये गये साधनों अनुमानों के अनुसार आयोजना के खर्च को भी ४५०० करोड़ रुपये पर सीमित कर देना है तो राज्यों की योजना में काफी कटौती करनी होगी जो समाज मेवाओं में विशेषतया की जायगी। यह कटौती तभी बचाई जा सकती है जबकि ग्राम के अतिरिक्त साधन देश में ही खोज निकाले जायें।

वित्तीय साधनों की कमी के पीछे उत्पादन तथा बचत का अपर्याप्त होना भी लगा हुआ है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सुविधायें की जा चुकी हैं उनका पूरा उपयोग किया जाना अत्यावश्यक है। आयोजना के लक्ष्यों की सफलता का अनुमान केवल उसके खर्च निर्धारित कर देने से ही नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ ही प्रत्येक कदम पर यह भी देखना चाहिए कि जो नई सुविधायें उपलब्ध हुई हैं उनका हम कब तक उपयोग कर सकेंगे।

काम पाने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से काम के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि देश में रुपये का जो विनियोग हो रहा है वह हमारी अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुये अपेक्षाकृत कम है। विशेष क्षेत्रों में नियोजन के अवसर उपलब्ध करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिए ६०,००० अध्यापक नियुक्त करने का हाल में ही निश्चय किया गया है। परन्तु अधिक बचत किए बिना अधिक लोगों को काम नहीं दिया जा सकता।

अभी यह कहना कठिन है कि आयोजना के मूल लक्ष्यों में अब जो संशोधन किये जायेंगे उनके कारण उत्पादन तथा नियोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह अनेक बातों पर निर्भर है, जैसे निजी क्षेत्र में विनियोजन की स्थिति, उत्पादन को काफी ऊँचा बनाये रखने के लिए आयात की सुविधाएँ इत्यादि। मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि संशोधनों का आयोजना के औद्योगिक तथा अर्थ अत्यावश्यक अंगों पर

कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिवहन तथा संचार के कार्यक्रम भी ठीक तौर से निभ जायेंगे। समाज सेवा योजनाओं में कमी हो सकती है और सिंचाई प्रयोजनाओं में भी कुछ विलम्ब होने की आशंका है। विद्युत उद्योग का विकास आवश्यकता के अनुसार नहीं चल सकेगा।

जहां तक नियोजन का सम्बन्ध है हमारे पास उसकी पिछली तथा आपामी स्थितियों के खोके का अन्दाज लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। आयोजना आयोग में की गई कुछ गणनाओं के अनुसार प्रवृत्त होना है कि आयोजना के अमल में आने के फलस्वरूप पहले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र से बाहर काम के लगभग २० लाख स्थान देने हैं। आशा है कि चालू वर्ष में १० लाख भजदूरो को काम मिलेगा। आयोजना में ७६ लाख व्यक्तियों को कृषि से बाहर के क्षेत्रों में तथा १६ लाख को कृषि क्षेत्रों में काम दिए जाने की आशा की गई थी। विभिन्न प्रयोजनाओं का खर्च बढ़ जाने के कारण ४८०० करोड़ रुपये की आयोजना में कृषि से बाहर के क्षेत्रों में नियोजन के स्थान घटकर ७० लाख रह जाने की आशा की गई है। आयोजना का खर्च यदि घटकर ४५०० करोड़ रु० रहता है तो सरकारी धन में नियोजन के बचकर भी घटकर ६५ लाख रह जायेंगे। वे बहुत ही मोटे अनुमान हैं परन्तु इनसे कम से कम इतना तो प्रकट हो ही जाता है कि प्रतिवर्ष श्रमिकों के दल में जो वृद्धि होती जा रही है उसे काम देने योग्य बचकर निकासने के लिये पर्याप्त रूप का विनियोजन नहीं किया जा रहा है। रूप का विनियोजन बचत पर निर्भर होता है। इसलिए देश में जितने लोगों को काम देने की आवश्यकता है उतने के लायक विनियोजन नहीं हो रहा है।

खाद्य उत्पादन—आयोजना तैयार करते समय खर्च की व्यवस्था में ४०० करोड़ रुपये की ऐसी कमी छोड़ दी गई थी जिसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्यों ने मांग की है उनके कारण धन की आवश्यकता और भी बढ़ गई। आयोजना के आरम्भ में निजी क्षेत्रों में भी काफी अधिक परिमाण में रूपय लगाया गया। इससे मुद्रा वजार में जो सजनी आ गई उसका सरकार द्वारा खिय जाने वाले ऋणों पर बुरा प्रभाव पड़ा। परन्तु वित्तीय साधनों की कमी का बड़ा कारण तो खाद्य उपदन का प्रश्न है। देश में खाद्यान्नों के भाव चढे हुये हैं और विदेशों से उनका आयात करना पड रहा है। देश में मांग के अनुसार खाद्यान्नों का उत्पादन भी नहीं बढ़ रहा है।

विद्युत कुछ वर्षों में सिंचाई के काफी साधनों का निर्माण किया गया है। परन्तु उन साधनों का उपयोग नहीं किया जा सका है। आयोजना के अन्तर्गत तैयार किये गए बहून में साधनों से अभा लान उठाया जाना सम्भव नहीं हुआ है। इसके कारण हमारे अग्रगण्य प्रयत्न भी सीमित रहेगे। इसलिए सिंचाई के जो साधन तैयार हो गए हैं उनका पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। इस समय आवश्यकता यह है कि आयोजना में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो उपाय बताये गये हैं उनके अनुसार पूरा पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो सका तो हमारे

रूप से रोजगार पाए हुए हैं। यहाँ की बेरोजगारी की समस्या अन्य देशों की समस्या से बिल्कुल भिन्न है। भारत की बेरोजगारी को हम मुख्यतया तीन भागों में बांट सकते हैं।

- १ कृषि सम्बन्धी बेकारी।
- २ औद्योगिक बेकारी।
- ३ शिक्षित समुदाय में बेकारी।

यहाँ अब हम इन तीनों प्रकार की बेकारी पर अलग-अलग २ प्रकाश डालेंगे।

(१) कृषि सम्बन्धी बेकारी (Agricultural Unemployment) — ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रभाव बड़े अंश में पड़ा है। यह बेकारी मौसमी भी है और स्थायी भी। मौसमी बेकारी के समय गाँव वालों के पास वर्ष के ५ से लेकर ६ महीनों तक कोई काम बंधा नहीं रहता है क्योंकि इन दिनों खेती का काम बन्द रहता है। स्थायी रूप की बेकारी इस बात पर आधारित है कि एक और लाभप्रद कृषि के लिये भूमि तो उपलब्ध है किन्तु दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खेती के लिये भूमि की आवश्यकता है। कृषि सम्बन्धी बेकारी के लिये निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं —

(१) हमारे यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है जो कभी समय पर नहीं होती या होती है तो अधिक मात्रा में जिसके परिणामस्वरूप मौसमी बेकारी और दुर्भिक्षों का सामना करना पड़ता है।

(२) गाँव में उद्योग उद्योगों का अभाव।

(३) बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रतियोगिता के कारण छोटे उद्योगों के कारीगरों को अपने उत्पादन से वास्तविक लागत भी नहीं प्राप्त हो पाती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय रहती है। इसी के प्रभाव से कुटीर उद्योगों का विनाश होता है और बेरोजगारी की समस्या विकट रूप धारण करती है।

(४) जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ने का प्रभाव यह हो रहा है कि जनसंख्या का भार कृषि पर बढ़ रहा है जिससे बेकारी की समस्या और बढ़ती जा रही है।

(५) उपज के बेचने की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

(६) अन्तिम कारण है भूमि का विभाजन होना, किसानों का ऋण अन्त होना एवं कृषि की दोषपूर्ण प्रणाली।

उपरोक्त कारणों से पता चलता है कि भारत में कृषि का स्तर बिल्कुल ही गिर गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो लोग इस धंधे में फसे हुये हैं वे अपना जीविकोपार्जन में असमर्थ हैं। देश में गरीबी और दरिद्रता का प्रकोप है जिससे बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल रूप धारण करती जा रही है।

ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को सुलभाने के उपाय

ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए निम्नलिखित अल्प-व-दीर्घकालीन

उपाय अपनाये जा सकते हैं —

(१) मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के लिए उत्पादन कार्यों को अपना सकते हैं जैसे सार्वजनिक योजना चालू करना, सिंचाई की नाली आदि बनाने की योजना चालू करना । इसके अतिरिक्त कुछ फालतू फसलों को पैदा करना चाहिए । इसके साथ ही साथ इस समस्या को सुलभाने के हेतु पशु व मुर्गी आदि पालने का व्यवसाय अपनाना चाहिये ।

(२) ऐसा उपाय करना चाहिये कि बढ़ती हुई जनसंख्या का भार खेती योग्य भूमि पर न पड़े

(३) कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि में अधिक पूंजी लगाई जानी चाहिये ।

(४) खेतिहर मजदूरों की संख्या को कम करने के लिए खेती के लिए अधिक भूमि का प्रबन्ध करना चाहिये, और देश में औद्योगीकरण कर देना चाहिये जिससे बची हुई जनसंख्या उद्योगों में काम कर सके ।

(५) बेरोजगारी की समस्या को सुलभाने के लिए हमको छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास अवश्य करना चाहिये । हाथकर्म उद्योग के साथ साथ ताले, मोमबत्ती, बटन, जूते इत्यादि बनाने के छोटे कुटीर उद्योगों को अपनाना चाहिए । इसके अतिरिक्त खेती के औजार चाकू, साइकिलों के छोटे २ पुर्जे, विजली का सामान आदि उद्योगों को अपनाकर इस समस्या का बहुत कुछ समाधान किया जा सकता है ।

(६) कृषि कार्य को व्यक्तिगत रूप से न करके संगठित रूप से करना चाहिए अर्थात् सामूहिक कृषि की नीति को अपनाना चाहिये ।

(७) देहातों की दुर्भिक्षों से रक्षा हेतु यातायात का उचित प्रबन्ध होना चाहिये ।

उपरोक्त सुधारों को अपनाकर ही हम ग्रामीण क्षेत्रों की बेकारी की समस्या को समाप्त करने में सफल हो सकते हैं और इन साधनों के न अपनाये जाने से आर्थिक विकास में असम्भव है ।

अर्थोद्योगिक क्षेत्र में बेकारी की समस्या (Industrial Unemployment)—एक समय था जब हमारे उद्योगों में श्रम का अभाव था । देश में उद्योगों की स्थापना हो रही थी परन्तु श्रमिकों का अभाव हो रहा था । उस समय जो शत्रुओं में काम करने के लिए गांव के लोग आते थे, उसका कोई न कोई मुख्य कारण अवश्य होता था चाहे वह सामाजिक हो या राजनैतिक या और कोई कारण हो परन्तु श्रमिक प्रवृत्तियों के ही गांव चला जाया करते थे । इससे मिल मालिकों को कठिन समस्या का सामना करना पड़ता था । परन्तु अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है । अब श्रमिक खाली घूमा करते हैं और आज उद्योगों में नौकरी पाने की आशा रखने वालों की संख्या बहुत अधिक है । इसका मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्रों की हीन प्रवृत्ति । अब श्रमिकों को अभाव की समस्या न होकर इस क्षेत्र में बेकारी की समस्या फैल गई है । इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—

(१) अभी हमारे देश के उद्योगों का विकास नहीं हुआ है जिसमें इसमें अधिक धर्मियों को खपाया नहीं जा सकता ।

(२) उद्योगों का स्थानीयकरण बड़ा अनाधिक व नुस्तिपूर्ण है देश में जिन उद्योगों की स्थापना हो चुकी है उनकी स्थापना मुनियोजित रूप में नहीं हुई है ।

(३) आर्थिक मन्दी के कारण उद्योगों की स्थिति खिगट जाती है जिसके परिणामस्वरूप बहूत से मजदूरों को अपनी रोजी से नाय होना पटना है ।

(४) ग्रामों की स्थिति असन्तोषजनक होने के कारण भी हमारे उद्योग अपना विकास नहीं कर पाते ।

(५) जनता की क्रय शक्ति मुद्रा स्फीति के कारण भी कम हो गई इससे माल की माग कम हो गई है ।

(६) कुछ उद्योगों के अभिनवीकरण से भी यह समस्या ब गई है ।

उपरोक्त सभी कारणों से हमारे उद्योग धन्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को अपने में खपा सकें । टी० एन० रामास्वामी ने कहा कि भारतीय औद्योगिक व्यवस्था बुरी तरह कुए और खाई के बीच पड गई है । एक ओर तो अल्प-अल्प-मन्दी है और दूसरी ओर निर्वह । अर्थ व्यवस्था के बड़े दिक्के में जकडी हुई जनता की उपभोग प्रवृत्ति की गति से निश्चित गौरव मन्दी है ।

इस समस्या के समाधान के उपाय इस समस्या के उपचार के लिए सर्व प्रथम हमको औद्योगिक विकास करना चाहिये । इस विकास के लिए औद्योगिक संगठन का परिवर्तन करने की आवश्यकता है । धन्यों के अधिक केन्द्रीयकरण को दूर करना चाहिए कच्चे माल की बगलिटी सुधारनी चाहिए, धर्मियों की औद्योगिक शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये, पूंजी स्रोतों को प्राप्त करना चाहिए और प्रबन्धकीय कौशल आदि में सुधार करने से इस समस्या का समाधान में काफी सहयोग मिलेगा । वास्तव में बेकारी की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब औद्योगिक विकास सम्भव होगा । कृपि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह बची हुई बकार जनसंख्या को खपा सके । निसर्वेह उद्योगों के विकास के सहारे ही हम इस संकट से छुटकारा पा सकते हैं । अर्थात् जब पूर्ण औद्योगिक विकास हो जायेगा बेकारी स्थिति ही समाप्त हो जायेगी । भारतीय उद्योग अभी शिशु अवस्था में है । यदि सावधानी से देश के आर्थिक विकास में एक सम्बद्ध एवं संयोजित प्रयत्न के रूप में औद्योगिक व्यवस्था का निर्माण किया जाय तो बेकारी का स्तर ऊँचा बन सकेगा ।

शिक्षित वर्ग में बेकारी की समस्या— इस वर्ग में इस समस्या का होना बहुत ही हानिकारक एवं इसमें समस्या का भयानक रूप है क्योंकि सम्स्त समाज की यही शक्ति है । इस वर्ग में बेकारी होने से राज्य को ही नहीं बरन् समस्त देश को हानि पहुंच सकती है ।

इस बेकारी का मुख्य कारण यहाँ की शिक्षा पद्धति है । यहाँ जिन प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है उसका व्यवहारिक जीवन से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है । अर्थात् यहाँ की शिक्षा किताबी शिक्षा है । जिसकी सहायता से विद्यार्थी

उच्च डिग्री प्राप्त कर लेते हैं परन्तु उनके जीवन का सार कुछ नहीं होता। ऐसे साधनों की कमी है जिनके द्वारा वह शिक्षा पाकर अपने जीवन स्तर को ऊँचा रख सकें क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर ही कार्य करना चाहता है। इस शिक्षा पद्धति की समय समय पर खूब आलोचना का गई है। १९२३ में पंजाब वेकारी समिति ने कहा कि लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति केवल एक अनुवादकों का वर्ग उत्पन्न करने के लिए थी जो दुभाषियों का काम कर सके। शिक्षा न इन दुभाषियों को दुभाषिया ही बना छोड़ है। उससे ज्यादा कुछ नहीं और बाकी सब तकल और भ्रमा है जिसमें एक भ्रष्टोद्योग को उत्थान बनाने लायक कोई चीज नहीं है। जार्ज एडरसन ने भी इस भारतीय शिक्षा पद्धति की बड़े कड़े शब्दों में आलोचना की। श्री आर्थस्ट्रॉम ने तो पंजाब के सांख्यिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर से कहा था कि इसमें जरा भी सदेह नहीं की शिक्षा के हमारे आर्थिक स्वरूप न ही भूतकाल में अपने विद्यार्थियों को बड़े दायरे में नोकरी पाने में मदद दी है। इनका यह कथन विन्कुल सत्य है। उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि शिक्षा पद्धति बड़ी दोषपूर्ण है। महात्मा गांधी ने भी इस शिक्षा पद्धति की कठोर शब्दों में आलोचना इस प्रकार की थी—“नवीन शिक्षा प्रणाली किसी भी रूप या अक्षर में देश की अनेशाओं की पूर्ति नहीं करता। शिक्षा के ऊँचे क्षेत्र में अग्रजी की शिक्षा का माध्यम बना देने से करोड़ों से ऊपर के शिक्षितों और नीचे के अधिकांश अशिक्षितों में एक स्वाधीन शक्ति खड़ी हो गई। इसके कारण ज्ञान नीचे की जनता तक नहीं पहुँच पाता। अग्रजी भारतीय जीवन का मानसिक रूप में पगु बना देता है और वह अपने देश में अजनबी बन जाता है। व्यवसायिक शिक्षा के अभाव में शिक्षित वर्ग उत्पादक कार्यों के लिए अनुयुक्त से हो गये हैं और उनकी शारीरिक व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है।”

शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी दूर करने के उपाय—शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी दूर करने का स्याई इलाज तो यह हो सकता है कि देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार कर दिया जाये। शिक्षा इस प्रकार की प्रदान करनी चाहिये जिससे पढ़ने के तुरन्त बाद ही व्यक्ति रोजगार पा जायें। औद्योगिक क्षेत्र में सरकार को स्वयं देख भाल कर उसका विकास करना चाहिये। इसे वेकारी को दूर करने में सहायता मिलेगी। बनाने औद्योगिक ढाँचे को अधिक कायक्षम बनाया जाये। सरकार को विकास क्षेत्र के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। इसके लिये व्यक्तिगत रूप से पूर्ण विनियोग करने वालों के सामने अपनी योजनायें पूरी कर पूँजी की भाँची सम्भावनाएँ स्पष्ट रूप से रखना चाहिए जिससे सरकार अपनी योजना पूरी कर सके और बेरोजगारी का समस्या का समाधान हो सके।

निष्कर्ष—उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हमारी वेकारी का सबसे बड़ा कारण हमारा आर्थिक पतन है अतः इस समस्या को सुलझाने के लिए हम विशेष नीति का अनुसरण करना होगा। इस नीति का मुख्य ध्येय यह होना चाहिए कि पहले तो इसके द्वारा अल्पकाल में ही इस समस्या को सुलझाने के प्रयास निहित हों और फिर रोजगारी के दीर्घकालीन विस्तार के लिए सुदृढ़ नींव डाली जा सके। योजना कमी-

शन में पंचवर्षीय योजनाओं में इस बान का काफी प्रयत्न किया है कि धार्मिक वर्ग इसमें खराबे जा सके परन्तु योजनाओं का ढांचा इस प्रकार का है कि उसमें बेरोजगारी की समस्या के समाधान के हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं है। पं० जवाहर लाल नेहरू ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में यह कहा था कि दूसरी योजना में पहली पंचवर्षीय योजना के अपेक्षाकृत इस समस्या को अधिक भली प्रकार सुलभाने का प्रयत्न किया जायेगा। निःसन्देह यदि बेरोजगारी की समस्या को सुलभाने का प्रयत्न नहीं किया गया तो आर्थिक विकास असम्भव है।

प्रश्न ६३—राष्ट्रीय आय से आय क्या सम्भते हैं? राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है? राष्ट्रीय आय को आकने की विभिन्न रीतियों पर प्रकाश डालिए। भारत की राष्ट्रीय आय जानने के क्या प्रयत्न किये गये हैं। विभिन्न अनुमानों में भिन्नता के क्या कारण हैं?

What is National Income? What is its importance? What are the various methods of calculating it? Discuss the various efforts made so far to calculate the National Income of India and account for the variations in these calculations

राष्ट्रीय आय की परिभाषा—राष्ट्रीय आय को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न ढंगों से परिभाषित करन का प्रयत्न किया है। मार्शल के शब्दों में भौतिक और अधौतिक वस्तुओं और सेवाओं (जो साल भर में किसी देश में उत्पन्न की जाती हैं) के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय वह वस्तु है जो किसी वर्ष में किसी देश के प्राकृतिक साधनों द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसमें कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों और सेवाओं के द्रव्य मूल्य (Money Value) का योग होता है। प्रो० पीगू के शब्दों में "समुदाय की आय का वह भाग जो मुद्रा में मापा जा सके राष्ट्रीय आय कहलाता है" प्रो० कालिन क्लार्क (Prof. Colin Clark) ने राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी अवधि की उन वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य से लगाया है जो उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं और जिनका प्रचलित दर पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें नई पूँजी का मूल्य जोड़कर पुरानी पूँजी की डिस्काव्ट का मूल्य घटा दिया जाता है।

प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री डा० बी० के० ग्रार० जी० राव ने राष्ट्रीय आय को इन शब्दों परिभाषित किया है "राष्ट्रीय आय आयत को मिलाकर वे वस्तुएँ और सेवाएँ होती हैं जो किसी अवधि में विक्री के लिये उपलब्ध होती हैं और जिनका अनुमान प्रचलित मूल्य के आधार पर किया जाता है। इनमें से निम्न मदी का मूल्य घटा देना चाहिये।

(अ) स्टाक की कमी का मूल्य।

(ब) उत्पादन में व्यय की हुई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य।

(स) वर्तमान पूँजी की सुरक्षा हेतु प्रयोग हुई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य।

(द) परोक्ष करों से राज्य की आय।

(घ) विदेशी व्यापार का अनुकूल सन्तुलन (Favourable Balance of Trade)

(न) विदेशी ऋण में वृद्धि अथवा विदेशी में बचा हुआ धन चाहे वह सरकारी हो या व्यक्तिगत ।

अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत नहीं है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौनसी वस्तुएँ और सेवाएँ सम्मिलित करनी चाहियें । उदाहरण के लिये जिन सेवाओं का मूल्यांकन द्रव्य के रूप में नहीं हो सकता वे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं हो सकती चाहे वे कितनी महत्वपूर्ण हो । जैसे माता अथवा पत्नी द्वारा परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिये की गई सेवाएँ । यही सेवाएँ यदि एक गृह सेविका अथवा नौकरानी द्वारा प्रदान की जाती हैं तो उन्हें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लेते हैं । कुछ विद्वानों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं तथा मिलने वाली पेंशन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करना चाहिये ।

राष्ट्रीय आय का महत्व—किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगा लेने के बाद बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का पता चल जाता है । उदाहरण के लिये देश ने आर्थिक प्रगति की है अथवा नहीं, लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ है या नहीं देश की जनसंख्या का अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा इसी प्रकार की हूत सी बातें जानी जा सकती हैं । यदि हम गत वर्षों की राष्ट्रीय आय की वर्तमान वर्षों की राष्ट्रीय आय से तुलना करें तो हमें पता चल सकता है कि आर्थिक दृष्टि में कितनी उन्नति हुई है ।

देश की आर्थिक क्रियाओं में जैसे आयात निर्यात कर लगाना उद्योगों को आर्थिक सहायता देना मजदूरी की दर निश्चित करना तथा कृषि और उद्योगों में समन्वय स्थापित करने में राष्ट्रीय आय के आँकड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं । हम जानते हैं किसी भी देश के लोगों का आर्थिक कल्याण राष्ट्रीय आय के न्यायपूर्ण वितरण पर निर्भर होता है । भारत एक समाजवादी अर्थ व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जिसके लिये विकास की पंचवर्षीय योजनाएँ चलाई जा रही हैं एक योजना समाप्त हो गई है और दूसरी पर कार्य हो रहा है । इन योजनाओं का अन्तम अनुमान इस बात से लगाया जायेगा कि इनके फल स्वरूप राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होती है ।

राष्ट्रीय आय आकने की रीतियाँ—राष्ट्रीय आय नापने की दो प्रमुख रीतियाँ हैं—

(१) परिगणना रीति अथवा उत्पादन गणना रीति (Inventory Method or Census of Production Method)—इस रीति में विभिन्न उद्योगों, कृषि, व्यवसायों तथा सेवाओं द्वारा किये गये उत्पादन का द्रव्य के मूल्य में मूल्यांकन किया जाता है । यदि उत्पादन के सही आँकड़े उपलब्ध किये जा सकें तो यही रीति काफी सरल और सही है । इसमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है । एक तो यह कि दोहरी गणना न होने पावे और दूसरा यह कि मशीनों आदि की धिमावट का मूल्य घटा दिया जाये ।

(२) आय कर रीति (Income tax Method)—इस रीति के

द्वारा हम सरकार को मिलने वाले आय कर के आधार पर देश के सभी व्यक्तियों की वास्तव आय का अनुमान लगा सकते हैं और यही देश की राष्ट्रीय आय होगी। इस रीति में दोष यह है कि सभी व्यक्ति आय कर नहीं देते। दूसरे आय कर समान दर में नहीं लिया जाता। बहुत से लोग आय कर की चोरी भी करते हैं। इसलिये इस रीति के अनुसार राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया जाएगा वह पूरी तरह सदा नहीं हो सकता।

डा० वी० के० आर० वी० राव ने अपने अध्ययन में उपरोक्त दोनों रीतियों का एक साथ प्रयोग किया है और इस प्रकार एक तीसरी रीति का आविष्कार हो गया है। उन्होंने समस्त अर्थ व्यवस्था को तीन वर्गों में विभाजित करके एक वर्ग पर प्रथम रीति तथा अन्य दो वर्गों पर दूसरी रीति का प्रयोग किया है।

भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान—सर्व प्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया था। भारत की गरीबी और उसके कारणों की खोज करते हुए उन्होंने १८६८ में भारत की प्रति व्यक्ति आय (Per capita Income) का अनुमान २० रुपए लगाया था। १८७-९८ में लार्ड कर्जन ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया। उनके अनुसार यह प्रति व्यक्ति आय ३० रुपये थी। इसके पश्चात् फिन्डले शिराज ने कई बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। उनके अनुसार यह १९११ में ५९ रुपए, १९२१ में १०७ रुपये, १९२२ में ११६ रुपये और १९३१ में ६३ रुपए थी।

उपरोक्त सभी अनुमानों में सही हम किसी की भी नहीं कह सकते क्योंकि अनुमान कर्तव्यों के पास न तो उत्पादन आदि के पर्याप्त आंकड़े ही थे और न उन्होंने किसी वैज्ञानिक रीति का प्रयोग इस कार्य के लिये किया था। वास्तव में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के जो प्रयत्न वर्तमान समय में किये गए हैं उनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं—

डा० वी० के० आर० वी० राव का अनुमान (१९३१-३२)—प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री डा० राव ने १९३१-३२ में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान १६८६ करोड़ रुपए लगाया था जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय ६५ रुपए प्रतिवर्ष प ही गई थी। डाक्टर राव ने कुल भारतीय अर्थ व्यवस्था को तीन वर्गों में विभाजित किया। प्रथम वर्ग कृषि तथा सम्बन्धित व्यवसायों का था जिनमें कृषि के अतिरिक्त वन रुजिज, मछली पकड़ना, मुर्गी पालना तथा डेरी उद्योग शामिल किये गये। डाक्टर राव ने इन समस्त उद्योगों की कुल उत्पत्ति को उनके मूल्यों से गुणा करके कुल उत्पादन का द्रव्य के रूप में अनुमान लगाया। दूसरे वर्ग उन व्यक्तियों का था जो आय कर (Income tax) देते हैं। इस वर्ग में सरकारी कर्मचारी, औद्योगिक मजदूर तथा विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए कारीगर भी शामिल किये गये। तीसरे वर्ग में विविध मदे जैसे मकान तथा जायदाद तथा सरकारी व्यापारिक संस्थाएँ शामिल की गईं। इतसे उत्पन्न वार्षिक आय का अनुमान लगाया गया।

इस प्रकार तीनों वर्गों की वार्षिक आय का अलग अलग अनुमान लगाकर तथा उसे जोड़कर १९३१-३२ की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया। डा० राव ने १९३१-३२ का वर्ष इस लिए चुना कि उसी वर्ष जन गणना (Population Census) की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिससे डाक्टर राव को काफी सहायता मिली। डाक्टर राव ने अ-व सरकारी प्रकाशनो (Government Publications) से महत्वपूर्ण आंकड़े सकलित किये तथा विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों तथा कारीगरों से स्वयं आवश्यक पूछताछ की। अन्त में उनके अनुमान के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति आय ५१ रु तथा नगरों में १६६ रुपये थी और औसत आय ६५ रु थी।

यद्यपि डाक्टर राव के अनुमान में भी गलतियों की सम्भावना है किन्तु डाक्टर राव से पूर्व जितने भी अनुमान लगाये गए थे उनकी अपेक्षा डा० राव ने काफी वैज्ञानिक ढंग से इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया।

राष्ट्रीय आय समिति के अनुमान (National Income Committee)—भारत सरकार ने १९४६ में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की। इस समिति का कार्य भारत की राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए—

(१) भारत की राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करना।

(२) आंकड़े को एकत्रित करने की रीति के सुधार में सुझाव देना।

(३) राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में भविष्य में अनुमान लगाने के सुझाव देना।

उपरोक्त कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर महल गोविन्द थे तथा अन्य सदस्यों में डाक्टर वो० के० आर० वी० राव, प्रोफेसर डी० आर० गाडगिल तथा श्री आर० सी० देसाई थे। राष्ट्रीय आय कमेटी ने अपनी प्रथम रिपोर्ट १९५१ में तथा दूसरी रिपोर्ट १९५४ में प्रस्तुत की। इन दोनों रिपोर्टों में १९४८-४९ से १९५०-५१ तक की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय कमेटी के स्थान पर एक राष्ट्रीय आय इकाई (National Income Unit) नियुक्त की जिसने हाल में १९५-५२ की राष्ट्रीय आय का अपना अनुमान प्रकाशित किया है। निम्नलिखित तालिका में यह सारा अनुमान दिखाये गये हैं—

वर्ष	कुल आय (करोड़ रुपये)	प्रति व्यक्ति आय
१९४८-४९	८६५०	२४६.९ रुपए
१९४९-५०	८८३०	२४८.६ "
१९५०-५१	८८५०	२४६.३ "
१९५१-५२	९१००	२५०.१ "
१९५२-५३	९४६०	२५६.६ "
१९५३-५४	१००३०	२६८.७ "
१९५४-५५	१०२८०	२७१.९ "
१९५५-५६	१०४२०	२७२.१ "

उपरोक्त अनुमान १९४८-४९ को आधार मान कर तथा चालू मूल्यों

(Current Prices) को स्थिर मान कर लगाया गया है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय—भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य १९१०—११ से १९५५—५६ तक राष्ट्रीय आय में १५ प्रतिशत की वृद्धि करना था । इस सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप में ध्यान में रखने योग्य है कि भारत की बढ़ती हुई जन-संख्या को भी ध्यान में रखा जाए क्योंकि जन-संख्या में वृद्धि की दर का प्रति व्यक्ति आय में सीधा सम्बन्ध है । योजना आयोग के अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में भारत में प्रति व्यक्ति आय में ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । १९११—५२ में राष्ट्रीय आय ६१२० करोड़ रुपये में बढ़ कर १९५५—५६ में १०२०० रुपये हो गई है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय—दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्य उद्देश्यों के साथ साथ एक मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय में इतनी काफी वृद्धि करना है जिससे देश के रहन सहन का स्तर ऊँचा हो । दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत की राष्ट्रीय आय १३४२० करोड़ रुपये तक हो जाने का अनुमान है । आशा की जाती है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में जो भारत की राष्ट्रीय आय थी उसकी दो गुनी आय १९७३—७४ तक हो जावेगी ।

राष्ट्रीय आय के अनुमान में भिन्नता के कारण—गत वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय को आंकने में जो प्रयास किये गए हैं वे पूर्णतया सही नहीं हैं । उनमें काफी भिन्नता पाई जाती है और यत्नी की सम्भावना रहती है । इस भिन्नता के अनेक कारण हैं जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं—

(१) भिन्नता का पहला कारण यह है कि अनुमान एक ही समय पर तैयार नहीं किये गये हैं । समय की भिन्नता के कारण परिस्थितियों में भी भिन्नता हो जाती है । जनसंख्या उत्पादन की मात्रा, वस्तुओं का मूल्य स्तर आदि सभी कुछ बदल जाता है इसलिए यह भिन्नता होनी स्वाभाविक है ।

(२) जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं ने राष्ट्रीय आय का पणना करने का पयन किया है उनके पास विश्वमनीय सूत्रों में सम्पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं थे । भारत में उत्पादन के आंकड़े सकलित करने की पद्धति ही दोषपूर्ण है । स. य. धन तथा योग्य कर्मचारियों के अभाव के कारण राष्ट्रीय आय के अनुमान में भिन्नता हो जाती है ।

(३) विभिन्न संस्थानों तथा व्यक्तियों ने समान रूप से एक ही क्षेत्र अथवा म्यान पर राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की है । कुछ न अपना अध्ययन में सम्पूर्ण देश को सम्मिलित किया है और कुछ ने केवल कुछ राज्यों को । आरम्भ में जिन व्यक्तियों ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया वे राजनैतिक कारणों की वजह से प. ग. पात से दूर नहीं रह सके । कुछ ने जन बूझकर अपने अनुमानों को घटाकर बताया ताकि समस्त उत्तरदायित्व विदेशी शासन पर रखा जा सके और कुछ ने उसे बढ़ाकर व्यक्त किया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में यद्यपि काफी पहले से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के प्रयत्न किये गये हैं किन्तु उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता ।

अध्याय २३

भारतीय विदेशी व्यापार

प्रश्न ६४—भारत के विदेशी व्यापार में गत २० वर्षों में हुए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए ।
(दिल्ली १०, ५२, बम्बई ५२, कलकत्ता ५२)

Explain the main changes in India's foreign trade during the last 20 Years
(Delhi 50, 52, Bombay 52, Calcutta 52)

उत्तर—पिछले २० वर्षों के भारतीय विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिन पर दूसरे महायुद्ध, देश के विभाजन, रुपये के प्रचलन तथा पंचवर्षीय योजनाओं का विशेष प्रभाव पड़ा है। हमारे विदेशी व्यापार की मात्रा तथा उसके मूल्य आयात नियत की वस्तुओं, विदेशी भुगतान की स्थिति तथा जिन देशों से भारत का विदेशी व्यापार होता है इन सब में गत २० वर्षों में आधारभूत परिवर्तन हो गये हैं। दूसरे महायुद्ध से पूर्व भारत का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल था। उस समय भारत एक पराधीन देश था और विदेशी व्यापार क क्षेत्र में उसे अपनी इच्छानुसार नीति अपनाने की स्वतन्त्रता नहीं थी। भारत से मुख्यतया कच्चा माल विदेशों को जाता था और उसके बदले उपभोग की वस्तुएँ तथा मशीनें आदि आयात की जाती थी। भारतीय उद्योगों को पूरी तरह उन्नति करने की सुविधाएँ नहीं थीं।

दूसरे महायुद्ध के काल में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। युद्ध के कारण बहुत सी वस्तुओं का आयात लगभग बन्द हो गया और भारतीय उद्योगों को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करना पड़ा। क्योंकि युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने का भार भारतीय उद्योगों पर भी था। इसी काल में भारी संख्या में विदेशी सेनाएँ भारत में पड़ी हुईं जो जिनकी आवश्यकताओं को भारत ने पूरा किया। इस प्रकार युद्धकाल में भारत का व्यापार सन्तुलन अनुकूल हो गया और लगभग १७०० करोड़ ६० के पीण्ड पावनों (Sterling Balances) के रूप में भारत ने जमा कर लिये। युद्ध के काल में भारत के आर्थिक विकास का प्रदक्ष उत्पन्न हुआ जिसके लिए विदेशी पूँजी तथा मशीनों आदि की आवश्यकता हुई। उसी समय भारत ने पुनः उपभोग की वस्तुओं के आयात को कम करने का प्रयत्न किया। देश के विभाजन तथा भयंकर खाल समस्या के कारण भारत के विदेशी व्यापार में असन्तुलन उत्पन्न हुआ। जूट तथा कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये और इनके कारखाने भारत में रह गये। इसी समय भारत को भारी मात्रा में अनाज विदेशों से आयात

करना पड़ा। १९४६ में रुपये का अचमूल्यान हुआ जिसका भारत के विदेशी व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। १९५१ के बाद से भारत की पंचवर्षीय योजनाएं चालू हो गईं। इन विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए सरकार को अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़े हैं। बहुत सी वस्तुओं का आयात बिल्कुल बन्द हो गया है और वे वस्तुएं भारत में ही बनने लगी हैं। जो वस्तुएं भारत पहले आयात करता था उससे से कुछ का अर्थ देश में निर्यात होता है। इसके विपरीत अब बड़ी मात्रा में विदेशों से मशीनें, लोहा तथा इस्पात तथा अन्य पृथीगत सामग्री भारत में मंगाई जा रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की विशालता के कारण इन वस्तुओं की मांग और अधिक बढ़ गई है और आयात निर्यात का समुलन बनाए रखना सरकार के लिये कठिन हो गया है। गत दस वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में जो परिवर्तन हुये हैं उनका विस्तृत व्योरा इस प्रकार है —

(१) हमारा विदेशी व्यापार मूल्य तथा मात्रा की दृष्टि से बहुत अधिक बढ़ गया है:—गत वर्षों में न केवल भारत के निर्यात वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। १९३८—३९ में भारत का कुल व्यापार ३२१ करोड़ रु० था। १९५३—५४ में बढ़कर यह ११३१५ करोड़ रु० तथा १९५५—५६ में १३६१७ करोड़ रु० हो गया है। इस वृद्धि का एक कारण भारत तथा अन्य देशों में मुद्रा स्फीति है जिसकी वजह से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। देश के विभाजन के कारण जूट तथा कपास का व्यापार जो पहले भारत के घरेलू व्यापार में शामिल था अब विदेशी व्यापार का अंग बन गया है।

(२) आयात निर्यात की वस्तुओं में परिवर्तन — पहले कपास, जूट, अनाज, खनिज पदार्थ तथा तिलहन इत्यादि मुख्य रूप से भारत के निर्यात में शामिल थे। इसी प्रकार कपड़ा, मशीन मोटर कार तथा साइकिलें इत्यादि भारत में आयात होती थीं। देश की स्वतन्त्रता तथा विभाजन से परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब हमें कपास तथा कच्ची जूट पाकिस्तान से आयात करनी पड़ती है। इसी प्रकार भारत को गत १० वर्षों में बहुत अधिक मात्रा में अनाज विदेशों से मगाना पड़ा है। इसके विपरीत अब भारत से कच्चे मंगल का निर्यात काफी कम हो गया है। अब देश से बनी हुई वस्तुएं जैसे कपड़ा चीनी, सिलाई की मशीनें, बिजली का सामान, वनस्पति घी इत्यादि विदेशों को जाता है। दूसरी ओर अब भारत में उपभोग की वस्तुएं जिनमें कपड़ा, साइकिलें, मोटरकार, हजामत के ब्लेड, दवाइया तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुओं का आयात कम हो गया है और इनके स्थान पर मशीनों आदि का आयात बढ़ गया है।

(३) विदेशी व्यापार क्षेत्र का विस्तार : द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः इंग्लैंड, राष्ट्र मण्डल के देशों, जापान तथा अन्य कुछ देशों तक ही सीमित था। इस काल के भारत ने बहुत से देशों से अपने व्यापार सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं। समुक्त राज्य अमेरिका से भारत के व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया, कनाडा, बर्मा, मिस्र, युगोस्लाविया चीन, रूस,

गोलैण्ड हंगरी, रुमानिया तथा पश्चिमी जर्मनी आदि से भी भारत के मजबूत व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो गए हैं। इन सम्बन्धों को अधिक व्यापक करने के प्रयत्न जारी हैं।

(४) विदेशी भुगतान के सतुलन में अन्तर — वैसे तो दूसरे महायुद्ध से पूर्व ही भारत का व्यापार सतुलन अनुकूल ही रहता था किन्तु भारत को सदैव इंग्लैंड का कर्जदार रहना पड़ता था। इसका कारण यह था कि भारत को करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष घरेलू धन्य (Home Charges) के रूप में देने पड़ते थे। और विदेशी पूँजी के व्याज के रूप में भुगतान करना पड़ता था। जैसा कि ऊपर कहा गया है दूसरे महायुद्ध में एक लेनदार देश के स्थान पर एक देनदार देश बन गया। युद्ध के बाद के काल में विशेष रूप से, डालर क्षेत्र के देशों के साथ भारत का व्यापार सतुलन प्रतिकूल हो गया। इसका कारण यह था कि भारत को इन देशों से अनाज तथा मशीनों आदि का आयात करना पड़ा। १९४८-४९ में लगभग २८४ करोड़ रु० का प्रतिकूल विदेशी भुगतान सतुलन था। यह स्थिति इंग्लैंड तथा स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य देशों को भी थी। इसे सुधारने के लिये आयातों पर प्रतिबन्ध लगाये गये और १९४९ में रुपये का अवमूल्यन किया गया। १९४९-५० में भुगतान सतुलन का घाटा केवल ६० करोड़ रु० रह गया। अगले वर्ष कोरिया युद्ध के कारण यह घाटा केवल ३५ करोड़ रु० रह गया। १९५१-५२ में फिर से मशीनों तथा अनाज के भारी आयात के कारण २३२.८ करोड़ रु० का घाटा था। १९५५-५६ में यह घाटा १०६५ करोड़ रु० था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में कुल मिला कर ७५० करोड़ रु० के घाटे का अनुमान है जिसे कम करने के लिये आयातों पर प्रतिबन्ध तथा निर्यातों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है।

(५) डालर क्षेत्र से विदेशी व्यापार की कठिनाइयाँ — महायुद्ध से पूर्व डालर क्षेत्र के देशों से भारत का व्यापार सतुलन अनुकूल रहा करता था। किन्तु युद्ध के दिनों में स्थिति बदल गई। युद्ध के बाद के काल में भी भारत को इन देशों से प्रतिकूल विदेशी भुगतान की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिये अनेक प्रयत्न किए हैं जिनमें रुपए का अवमूल्यन तथा आयातों पर प्रतिबन्ध भी शामिल हैं किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं के कारण तथा देश की खराब स्थिति के कारण कोई सुधार नहीं हुआ। दूसरी और पंचवर्षीय योजना के काल में स्थिति के और अधिक बिगड़ जाने की सम्भावना है। हाल में भारत के वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी अमेरिका तथा कनाडा गए थे किन्तु उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अमेरिकन बाजार में भारी प्रतियोगिता के कारण भारतीय वस्तुओं को अधिक खपत नहीं हो पाती। भारत सरकार ने एक निर्यात प्रोत्साहन समिति (Export Promotion Committee) नियुक्त की थी जिसे अपनी रिपोर्ट ३ नवम्बर सन् १९५१ को प्रकाशित की है। इस समिति ने डालर क्षेत्र के देशों को निर्यात बढ़ाने के विषय में बहुत से सुझाव दिये हैं।

(६) व्यापार समझौते :— १८ वर्षों में भारत सरकार ने अनेक देशों से सीधे

व्यापार समझौते किये हैं। इन समझौतों का उद्देश्य सीधा समझौते स्थापित करके उन वस्तुओं को प्राप्त करना है जो प्रचलित व्यापार प्रणाली के आधार पर आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती। इन समझौतों से दोनों सम्बन्धित देशों को लाभ होता है। भारत ने इन समझौतों द्वारा अपनी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया है और उनके बदले दुर्लभ वस्तुएँ जैसे अखबारों का कागज, पूँजीगत सामग्री तथा रूपाय का सामान इत्यादि प्राप्त किया है। यह वस्तुएँ भारत के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिये बहुत आवश्यक हैं। आपसी व्यापार समझौतों से विदेशी भुगतान की जटिल समस्याएँ भी उत्पन्न नहीं होतीं। जिन देशों से भारत ने इन प्रकार के समझौतों किये हैं उनमें से कुछ के नाम यह हैं—स्वीटजरलैंड, हंगरी, पोलैंड, मिस्र, इरान, आस्ट्रिया, अफगानिस्तान, बर्मा, आस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, पश्चिम जर्मनी, हिन्दचीन तथा जापान। इन समझौतों के सामूहिक प्रभाव में भारत को अपने विदेशी व्यापार सतुलन करने तथा आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने में बहुत सहायता मिली है।

७) निर्यात को प्रोत्साहन देने के प्रयत्न—गत वर्षों में प्रतिकूल भुगतान सतुलन को ठीक करने के लिये निर्यातों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसलिये सरकार की नीति निर्यात प्रतिबन्ध के स्थान पर निर्यात प्रोत्साहन की हो गई है। घरे २ निर्यात प्रतिबन्धों को ढीला कर दिया गया। विदेशों से व्यापार समझौते किए गये। भारत की विदेशी व्यापार सेवाओं का पुनः संगठन किया गया। भारत ने विदेशी औद्योगिक मेलों तथा नूमाइशों में भाग लेकर अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन किया, सप्ताह के प्रमुख केन्द्रों में भारतीय वस्तुओं के शोस्य (Show Room) स्थापित किये गए। निर्यात की वस्तुओं के उत्पादन में सुधार किया गया और विदेशों में इन वस्तुओं के प्रचार तथा विज्ञापन पर विशेष ध्यान दिया गया। अब सरकार निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता तथा उत्पादन करों तथा निर्यात करों में छूट देने के विषय में विचार कर रही है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गत २० वर्षों में विशेषतया स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद भारत के विदेशी व्यापार में हर दिशा में व्यापक तथा मूलपरिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है। अब भारत सरकार की व्यापार नीति एक स्वतन्त्र देश की व्यापार नीति है जिसका एकमात्र उद्देश्य देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना तथा देश के उद्योगों का विकास करके देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग करना है ताकि भारत दीर्घ एक उन्नतिशील देश बन सके।

प्रश्न ६५—भारतीय विदेशी व्यापार की प्रमुख आयात निर्यात की वस्तुएँ क्या हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनका क्या महत्त्व है?

What are the chief commodities of import and export in India's foreign trade? What is their importance for the Second Five Year Plan

उत्तर—विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भारत का सप्ताह में पाचवा स्थान है।

१९५५—५६ में भारत का कुल विदेशी व्यापार १३६१.७ करोड़ रु० था जिसमें से

६६१ करोड़ रु० के निर्यात तथा ७५० करोड़ रु० के आयात थे। दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में विदेशी व्यापार के और अधिक बढ जाने की सम्भावना है। भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएँ निम्न प्रकार हैं। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी में चाय, तम्बाकू, मसाले, अनाज दाल, आटा, मछली, फल तथा सब्जी शामिल है। दूसरी श्रेणी में खनिज पदार्थ, बीज, चमड़ा, खाल, तेल, भोज, चपड़ा, गोद, नारियल का सामान राल, रबर, कपास, जूट, खाद, दवाइया, इमारती लकड़ो, चाकू छुरे, क गज और कागज बनाने का सामान शामिल है। तीसरी श्रेणी में सूत और सूती कपड़ा, ऊन और ऊनी कपड़ा तथा जूट का सामान शामिल है। प्रमुख वस्तुओं का व्योरा इस प्रकार है।

(१) जूट का सामान :—भारत के विदेशी व्यापार में जूट के सामान को एक विशेष महत्व का स्थान प्राप्त है। डालर क्षेत्रों के देशों में जूट के सामान की काफी माग है जिससे भारत को काफी डालर की आय होती है। कुछ समय तक भारत को जूट के सामान के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त था। किन्तु देश के बटवारे से स्थिति कुछ बदल गई है। कच्चा जूट पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में आ गए हैं और अधिकांश जूट की मिलें भारत के हिस्से में आ गई हैं। भारत पाकिस्तान व्यापार सम्बन्धों में कुछ अड़चनें पड जाने से भारत को सुगमतापूर्वक पाकिस्तान से कच्ची जूट प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस कारण भारत में जूट के सामान की उत्पादन लागत भी कुछ बढ गई है। जिन देशों को भारत में जूट का सामान जाता है उनमें अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, हिन्द चीन, जावा, मिस्र तथा बर्मा शामिल हैं। १९४९-५० में १२६.९६ करोड़ रु०, १९५०-५१ में १४६.३१ करोड़ रु०, १९५३-५४ में ११.८८ करोड़ रु०, १९५४-५५ में १२४.२ करोड़ रुपया तथा १९५५-५६ में १९८.४ करोड़ रु० का जूट का सामान भारत में निर्यात हुआ। 'पछले दो तीन वर्षों में जूट के सामान के निर्यात में कमी का कारण पाकिस्तान की प्रतियोगिता रहा।

(२) सूती कपड़ा—द्वितीय महायुद्ध के बाद से भारत के बने सूती कपड़े का निर्यात कई गुना बढ गया है। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग ने दक्षिण पूर्व एशिया तथा मध्य पूर्व के देशों के बाजारों पर अपना अधिकार जमा लिया है। भारतीय सूती कपड़े के मुख्य खरीदारों में मलाया, आस्ट्रेलिया, हिन्द चीन, चीन, बर्मा, थैलैंड, मिस्र एशिया, ईराक, अफगानिस्तान, ईरान, अरब, सूडान, हांगकांग तथा दक्षिणी अफ्रीका शामिल हैं। १९५०-५१ में भारत ने १३१ करोड़ रु० का निर्यात किया। १९५४-५५ में केवल ७४.०५ करोड़ रु० का कपड़ा देश से निर्यात किया गया क्योंकि सरकार ने घरेलू आवश्यकताओं को देखते हुए कपड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। १९५५-५६ में भी केवल ५७ करोड़ रु० का कपड़ा भारत से निर्यात हुआ। जिसका मुख्य कारण स्वेज नहर का भंगडा तथा मध्य पूर्व के देशों की राजनैतिक स्थिति था। जब सरकार फिर से सूती कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है।

(३) चमड़ा तथा हड्डिया—भारतीय व्यापार निर्यात में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह कच्ची तथा कमाई हुई स्थिति में निर्यात की जाती हैं। अमेरिका, इंग्लैंड जर्मनी और फ्रांस भारत के मुख्य अर्थक हैं।

१९१४—१५ में भारत में १६५ करोड़ रु० के मूल्य की कमाई हुई थी तथा हड्डिया निर्यात की गईं। १९१५—१६ में इन वस्तुओं का कुल निर्यात २८३६ करोड़ रु० का था।

(४) तम्बाकू—भारतीय तम्बाकू इंग्लैंड, जापान, स्वीडन, नीदरलैंड तथा ब्रिजजीयम आदि देशों को निर्यात किया जाता है। १९५१—२ में भारत से १४५३ करोड़ रु०, १९५३—५४ में ११२५ करोड़ रु०, १९५४—५५ में १०८२ करोड़ रु०, १९५५—५६ में १०६५ करोड़ रु० के मूल्य का तम्बाकू भारत से निर्यात किया गया।

(५) चाय—भारतीय निर्यात व्यापार में जूट के सामान के बाद चाय का दूसरा स्थान है। चीन के बाद चाय के उत्पादन में भारत समार में दूसरे नम्बर का देश है। भारत अपनी कुल चाय की पैदावार का ७१% विदेशों को निर्यात कर देता है। कुल निर्यात का लगभग ७०% भाग कंबन इन्डोनेशिया द्वारा खरीदा जाता है। अन्य खरीदार देशों में कनाडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, हॉलैंड तथा मिश्र शामिल हैं। १९५२—५३ में भारत से १८०६ करोड़ रु०, १९५३—५४ में १०१६५ करोड़ रु०, १९५४—५५ में १४७७१ करोड़ रु०, १९५५—५६ में १०६२ करोड़ रु० के मूल्य की चाय भारत से निर्यात की गई। भारतीय चाय एक ऐसी वस्तु है जिसका निर्यात और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

(६) तिलहन—भारत में इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, कनाडा, हंगरी, स्वीटजरलैंड फ्रांस तथा अमेरिका को तिलहन निर्यात किया जाता है। इसमें मूंग फली, सरसों, तिल, अलसी, आदि शामिल हैं। १९५२—३ में भारत से १६८ करोड़ रु० के मूल्य का तिलहन निर्यात किया गया।

(७) तेल—भारत से तिल का तेल तथा वनस्पति तेल निर्यात किया जाता है। खरीदार देशों में लका, अरब, ब्रिजजीयम, इटली, मिश्र, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, कनाडा आदि शामिल हैं। १९५४—५५ में ६५ करोड़ रु० के मूल्य का तेल भारत से निर्यात किया गया। इन सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से जानने योग्य है कि भारत से वनस्पति तेल का निर्यात दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और भविष्य में इस घोर अधिक प्राप्ति मिलने की सम्भावना है।

(८) कॉफी—चाय की भांति कॉफी भी भारत से निर्यात होती है। हालांकि भारतीय कॉफी की समार में इतनी अधिक मात्रा नहीं है जितनी चाय की है। खरीदार देशों में इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ईराक, आस्ट्रेलिया, हॉलैंड आदि शामिल हैं।

(९) मसाले—भारत से कॉफी समय पूर्व से मसालों का निर्यात होता आया है। इसमें काली मिर्च का विशेष स्थान है। भारत से मसाले अरब, स्वीडन, अमेरिका, इंग्लैंड और पाकिस्तान आदि देशों को भेजे जाते हैं। १९५३—५४ में १६.३३

करोड ६० के मूल्य के मसाले भारत से निर्यात किये गये ।

(१०) खनिज पदार्थ — लोहा, तावा मैंगनीज, जस्ता, अबरक, क्रोमाइट, आदि वस्तुएँ भारत से निर्यात की जाती हैं । १९५२-५३ में ३६ ५६ करोड ६० के मूल्य के खनिज पदार्थ भारत से निर्यात किये गये । दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए खनिज पदार्थों के निर्यात को और अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है । भारत तथा जापान के बीच एक व्यापारिक समझौते की बातचीत चल रही है जिसके अनुसार भारत बड़ी मात्रा में जापान को कच्चा लोहा निर्यात करेगा ।

उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कोयला और कोक, शी लकड़ा तथा पाकिस्तान को निर्यात किया जाता है । इसी प्रकार गोंड लकड़ और राल, ऊनी और सूती कपड़ा, तारियन का सामान फन और सब्जी, काजू तथा रबर तथा रबर का सामान भारत के निर्यात व्यापार में शामिल हैं ।

भारत के आयात विदेशों से भारतमें आयात होने वाली वस्तुओं में निम्न-लिखित वस्तुओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है:—

(१) खाद्यान्न:—भारत को पिछले कुछ वर्षों से एक गम्भीर खाद्य स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । प्राकृतिक प्रकोपी के कारण भारत में अनाज का उत्पादन अनुमान के अनुसार नहीं चल पाया और अनाज की कमी को पूरा करने के लिए भारत को विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता है । इस संकटपूर्ण स्थिति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि १९५८-५९ से १९५२-५३ के ५ वर्षों में भारत ने ७०३ करोड ६० के मूल्य का अनाज विदेशों से आयात किया । १९५३ के बाद से अनाज के आयात में बहुत कुछ कमी हो गई है किन्तु निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि भारत को अब विदेशों से कितना अनाज मागना पड़ जाये । वैसे हम आशा करते हैं कि दूसरी पञ्चवर्षीय योजना की सफलता में भारत में अनाज का उत्पादन इतना बढ़ जायेगा कि विदेशी आयात पर निर्भर रहने का आवश्यकता नहीं रहेगी । जिन देशों से भारत को अनाज मागना पड़ता है उनमें अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना तथा बर्मा शामिल हैं ।

(२) सामान्य इञ्जीनियरिंग का सामान:—इसमें मशीनें, औजार कृषि यन्त्र, पम्पिंग मशीनें, टाइप की मशीनें डिजिल इंजिन बोल्लर तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुएँ शामिल हैं । देश की पञ्चवर्षीय योजनाओं के साथ साथ इनके आयात के मूल्य में भी वृद्धि होती जा रही है । इनके आयात का मूल्य लगभग ६५ करोड रुपये है । जिन देशों से यह मशीनें आदि आयात की जाती हैं उनमें इंग्लैंड अमेरिका, जर्मनी आदि का प्रमुख स्थान है । १९५६-५७ के प्रथम ६ माह में भारत ने ८६४ करोड ६० की मशीनें, २० ७४ करोड रुपये के मूल्य के औजार तथा ५३८७ करोड ६० के मूल्य का लोहा तथा इस्पात आयात किया ।

(३) बिजली का सामान — वैसे तो भारत विविध प्रकार के बिजली के सामान का उत्पादन स्वयं करने लगा है किन्तु फिर भी भारत को काफी मात्रा में विविध प्रकार का बिजली का सामान आयात करना पड़ता है जिसका औसत मूल्य

लगभग ३० करोड रु० प्रतिवर्ष है।

(४) यातायात की सामग्री — इसमें रेल के इंजिन, समुद्री जहाज, हवाई जहाज, मोटरकार, तथा यातायात सेवाओं से सम्बन्धित वस्तुएँ शामिल हैं। इनके वार्षिक आयात का मूल्य लगभग ४० करोड रु० है।

(५) कपास — भारत के विभाजन के पश्चात् कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये। जिसके कारण भारत को अपने सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिये बड़ी मात्रा में कपास का आयात करना पड़ता है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत में अच्छे किस्म की कपास उत्पन्न नहीं होती। १९५४—५५ में भारत ने ५८४४ करोड रुपये की कपास विदेशों से आयात की। भारत तथा मिस्र के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण भारत को मिस्र से बढ़िया कपास प्राप्त होती है। मिस्र के अतिरिक्त पाकिस्तान, सूडान, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका तथा अमेरिका आदि शामिल हैं। भारत में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। १९५५—५६ में भारत ने ५७३३ करोड रुपये तथा १९५६—७ के प्रथम ६ महीनों में ५८४६ करोड रुपये के मूल्य का आयात किया है।

(६) कच्ची जूट — कपास की भांति जूट पर भी देश के विभाजन का गहरा प्रभाव पड़ा है। विभाजन से पूर्व भारत कच्ची जूट का निर्यात करता था। अब भारत को अपने जूट के कारखाने चालू रखने के लिए पाकिस्तान से जूट का आयात करना पड़ता है। १९५४—५५ में भारत ने १३ करोड रुपये का आयात किया। १९५५—५६ में १९३२ करोड रुपये के मूल्य को कच्ची जूट मंगाई गई। भारत सरकार देश में कच्चे जूट के उत्पादन को बढ़ाकर आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का परो प्रयत्न कर रही है।

(७) खनिज तेल — निज तेल के उत्पादन में भारत बहुत पीछे है। माटर्न वसें तथा वाई जहाज आदि चलाने के लिये भारत को खनिज तेल आयात करना पड़ता है। यह वस्तुएँ मुख्यतया ईरान, अमेरिका तथा बर्मा से आयात की जाती हैं। १९५८—५९ में ८२५ करोड तथा १९५५—५६ में भारत ने ६२२ करोड रुपये के मूल्य के खनिज तेल का आयात किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत ने खनिज तेल साफ करने का कारखाना तथा खनिज तेलों में सम्बन्धित वस्तुओं का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है।

(८) मोटर गाड़ियाँ — १९५४—५५ में ३५७ करोड रु० तथा १९५५—५६ में ५८ करोड रु० के मूल्य की मोटर गाड़ियाँ तथा टक आदि भारत में आयात किए गये। वैसे तो इनका निर्माण भारत में भी शुरू हो गया है। किन्तु अभी कुछ वर्ष तक भारत को इनका निर्यात जारी रखना पड़ेगा। मोटर गाड़ियाँ इंग्लैंड, अमेरिका तथा कनाडा से निर्यात की जाती हैं।

(९) रसायनिक पदार्थ तथा दवाइयाँ — भारत में रसायनिक पदार्थों का आयात प्रतिवर्ष ३६ करोड रुपये के मूल्य का होगा है। तथा लगभग १० करोड रुपये के मूल्य की दवाइयाँ आयात की जाती हैं।

(१०) शीशे और चीनी मिट्टी का सामान — इसमें चोट ग्लास, प्रयोगशाळा-

घो के लिए चीजे का सामान तथा चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि शामिल हैं। यह वस्तुएँ लगभग १५ करोड़ रुपये के मूल्य की प्रतिवर्ष आयात की जाती हैं।

(११) कागज विविध प्रकार का कागज जिमें मसख्तकारी कागज भी शामिल है विदेशो से मंगाया जाता है जिसका वार्षिक मूल्य लगभग १२ करोड़ ०० है।

(१२) ऊनी वस्त्र आदि—भारत ऊनी कपड़े तथा ऊनी सामान के आयात का प्रमुख स्थान रहा है। किन्तु पिछले कुछ दिनों से सरकार की नीति इसे कम करने की रही है। १९५३—५४ में भारत ने कुल ६८६ करोड़ रुपये के मूल्य का ऊनी सामान विदेशो से आयात किया।

उपरोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त जो अन्य वस्तुएँ भारत में आयात की जाती हैं उनमें इमारती लकड़ी, मांस, तांबुन, मिश्रोट, एसबस्टस सीमेन्ट, फर्नीचर, धाराव रबड़ वगैर सामान, फाउन्टेन पेन तथा अन्य विविध प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में आयात निर्यात का महत्व—दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि भारत के निर्यातों को जहाँ तक सम्भव हो प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए भारतीय वस्तुओं के लिए नए बाजार खोजने तथा उनका विस्तार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि निर्यात का अधिक न अधिक बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अधिक मात्रा में उपलब्ध की जा सके और इसका उपयोग भारी मशीनों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात में किया जा सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो भारत उन आवश्यक वस्तुओं का आयात नहीं कर सकता जो योजना के लिए आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में सरकार को योजना में बाट छांट करनी पड़ेगी। एक तरीका यह भी हो सकता है कि भारत को विदेशी आर्थिक सहायता के रूप में अथवा दीर्घकालीन कर्ज के रूप में पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त हो जाए जिससे भारत विदेशी बाजारों से मशीनों, लोहा तथा उत्पात तथा अन्य वस्तुएँ खरीद सके। हम सम्बन्ध में अधिक सफलता की कोई आशा प्रतीत नहीं होती। इसलिए योजना को बचने के लिए एक मात्र उपाय यही है कि अनावश्यक वस्तुओं के आयात को कम किया जाए और निर्यात को प्रोत्साहन देकर व्यापार संतुलन को बहुत अधिक बिगड़ने न दिया जाए। इस सम्बन्ध में दूसरी योजना में उत्पादन के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं—

	निर्यात के लक्ष्य *
जूट का सामान	६००००० टन
उत्पात	३००००० टन
मँगनीज	१००००० टन
नमक	३००००० टन
वनस्पति तेल	२५००० टन
कोरु	३०००० टन
सूनी कपड़ा	११००० लाख गज
साइकिलें	१०००००

उपरोक्त वस्तुओं के निर्यात के लक्ष्यों को योजना काल में और अधिक बढ़ाने के विषय में निर्यात प्रोत्साहन समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

अध्याय १४

भारतीय मुद्रा तथा विनिमय

प्रश्न ६६—१९२५ तक भारतीय चलन के इतिहास की पूर्ण विवेचना कीजिए ।

Give an outline of the history of Indian currency till the Year 1925

उत्तर—भारतीय चलन के इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए हम १८३५ के बाद के काल तक ही अपने अध्ययन को सीमित रखेंगे। भारतीय मुद्रा अणाली अनेक प्रकार के परिवर्तनों के काल से होकर गुजरी है और प्रत्येक का भारतीय अर्थ व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। १८२५ से १९३६ तक के लगभग १०० वर्षों की इस लम्बी अवधि को हम चार मुख्य खण्डों में बाट सकते हैं। यह काल खंड इस प्रकार है—

प्रथम महायुद्ध से पूर्व का काल (१८३५ से १९१४):— १८३५ तक भारत में द्विधातुमान का चलन था। भारत के विभिन्न राज्यों में चांदी के सिक्के और सोने की चांदी के सिक्के चलन में पाए जाते थे। इनमें किसी प्रकार की समानता अथवा एकरूपता नहीं थी। १८३५ तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी का ध्यान केवल अपने राज्य के विस्तार की ओर रहा। १८३५ में प्रथम बार ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने आधीन प्रदेशों में राजतमान की स्थापना की। समस्त प्रदेशों में एक तोला तथा १८० ग्रैन भार के चांदी के सिक्के चलाए गये जिनमें शुद्ध चांदी की मात्रा १६५ ग्रैन थी। इस प्रकार चांदी का रुपया पूरी तरह भारत का प्रमाणिक सिक्का बन गया। चांदी के सिक्कों की ढलाई मुक्त (Free Coinage) कर दी गई। चांदी का मूल्य सोने में घोषित किया गया। यद्यपि सोने और चांदी के बीच कोई निश्चित अनुपात नहीं था। जिस प्रकार सोने और चांदी के बाजार भाव में परिवर्तन होते थे उसी प्रकार यह अनुपात भी बदलता रहता था। सोने के सिक्कों का चलन बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। सन् १८६६ में भारतीय रुपये का मूल्य १ रुपया = २ शिलिंग के रखा गया किन्तु इस दर को स्थिर रखना लगभग असम्भव था। इसके कई कारण थे। सर्व प्रथम तो इसी काल में चांदी की कई नई खानों का पता चल गया था जिससे चांदी की पूर्ति बढ़ गई और सोने में चांदी का मूल्य घटने लगा। दूसरे समार के कुछ प्रमुख देशों ने चांदी के सिक्कों की ढलाई बन्द कर दी और इस प्रकार द्विधातुमान के स्थान पर स्वर्णमान के रूप में एक तुमान की स्थापना की। इन देशों में फ्रांस, इटली,

जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे आदि शामिल थे। १८७३ में लेटिन संघ (Latin Union) ने भी स्वर्णमान स्थापित किया। इस प्रकार चादी का मूल्य बराबर घटता ही गया और १८६२ में एक रुपया केवल १ शिलिंग ३ पेंस के बराबर रह गया। १८६६ में मैसफील्ड आयोग (Mansfield Commission) ने भारत में सोने को भी कानूनी ग्राह्य बनाने की सलाह दी थी किन्तु परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की रही कि प्रयत्न करने पर भी भारत में स्वर्णमान स्थापित नहीं हो सका।

१८६३ तक चादी के मूल्य इतने अधिक गिर गये थे कि सरकार के सामने एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई। लोगों ने सस्ते भाव पर चाँदी खरीदकर बड़ा सख्या में सिक्के बनवाना प्रारम्भ कर दिया जिससे कुछ २ मुद्रा प्रसार की स्थिति पैदा हो गई और वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगे। १८७३ से १८६३ तक मूल्य स्तर में लगभग २६ प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि भारत को प्रतिवर्ष घरेलू व्यय (Home Charges) के रूप में जो घन इंग्लैंड को भेजना पड़ता था उसका भार भारत पर बहुत अधिक बढ़ गया क्योंकि अब भारत को अधिक मात्रा में अपनी मुद्रा प्रदान करनी पड़ती थी। भारत के विदेशी व्यापार को भी इससे हानि हुई। सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिए करोड़ों में वृद्धि की तथा बजट को भी सतुलित करने का प्रयास किया। किन्तु हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। परिस्थिति का सामना करने के लिये सरकार को एक समिति नियुक्त करनी पड़ी जिसका उद्देश्य स्थिति को जांच करना तथा सरकार को आवश्यक परामर्श देना था। यह समिति १८६२ में नियुक्त की गई और यह हरशेल कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है।

हरशेल समिति के सुझाव—लार्ड हरशेल (Lord Herschell) इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति को तीन प्रश्नों पर विचार करके अपना सुझाव देना था। यह प्रश्न इस प्रकार थे -

(१) भारत में चादी की मुक्त ढलाई समाप्त करके स्वर्णमान की स्थापना का प्रश्न।

(२) भारत में सोने के सिक्के चालू करने का प्रश्न।

(३) रुपये स्टर्लिंग विनिमय दर को १ शिलिंग ६ पेंस निश्चित करने का प्रश्न।

उपरोक्त समिति ने १८६९ में अपने सुझाव पेश किये। इन सुझावों के अनुसार भारत में सोने के सिक्के चालू करना अनावश्यक तथा अनुपयुक्त था। सोने के सिक्के चालू करने से स्थिति और भी गम्भीर हो जाने का भय था। इसी प्रकार समिति ने १ शिलिंग ६ पेंस की विनिमय की दर को भी अनुपयुक्त समझा। इसके विचार में इस दर का भारत के उद्योग, व्यापार तथा आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। समिति ने अनुभव किया कि रुपये की मुक्त ढलाई बन्द हो जानी चाहिये। सरकार यह कर सकती है कि १ शिलिंग ४ पेंस प्रति रुपया की दर पर अपनी टकसालों में चादी के रुपये ढालती रहे और सरकारी खजानों में सभी

प्रकार के भुगतान इसी दर पर सोने के रूप में स्वीकार करती रहे। इसी प्रकार बिना सोने के सिक्को के चलाए भी स्वर्णमान की स्थापना हो सकती है।

हरशूल समिति के सुझावों के परिणामस्वरूप सोने और चांदी दोनों की मुक्त ढलाई बन्द कर दी गई। टक्कालों के दरवाजे जनता के लिए सशुद्ध के लिए बंद हो गये। दूसरी ओर एक रुपये में उतने वजन की चांदी नहीं रही जितना कि उसका वाहरी मूल्य था। दूसरे शब्दों में रुपया एक सांकेतिक सिक्का बन गया।

सरकार ने समिति की सिफारिशों के आधार पर १८८३ में भारतीय मुद्रण कानून (Indian Coinage Act) पास किया जिसके अनुसार रुपये की मुक्त ढलाई बन्द हो गई और अन्य सिफारिशों को कातूनी रूप दे दिया गया। रुपये की विदेशी विनिमय की दर १ शिलिंग ४ पैसे हो गई और इसी दर पर सोने के बदले टक्काल से रुपया देने तथा करों आदि के रूप में सोने के सिक्के स्वीकार करने की सरकार ने जिम्मेदारी ली। कुछ अर्थ ई कमी अथवा वृद्धि के अनिश्चित रूप की विनिमय दर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और १९१६ तक इसी प्रकार कार्य चलता रहा। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि अब चांदी की कीमतों का विनिमय दर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था।

फोल्डर समिति १८९८ (Fowler Committee 1898)—जब विनिमय की दर १ शिलिंग ४ पैसे पर स्थिर हो गई तो एक बार भारत में पूर्ण स्वर्णमान स्थापित करने का प्रश्न उठाया गया। मार्च १८९८ में भारत सरकार ने इस संबंध में भारत सचिव स प्रार्थना की। इस प्रकार इसी वर्ष सर हेनरी फोल्डर (Sir Henry Fowler) की अध्यक्षता में एक और समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये—

- (१) रुपये और स्टैलिन की विनिमय दर १ शिलिंग ४ पैसे पर ही स्थिर रहनी चाहिये
- (२) भारत में ब्रिटिश सावरन (सोने का सिक्का) चलन में होना चाहिये और उसे असीमित विधिप्राप्तता प्रदान की जाय। इसकी ढलाई भारत तथा इंग्लैंड दोनों देशों में हो।
- (३) रुपया सांकेतिक सिक्का तो रहे किन्तु उसे भी प्रसीमित विधिप्राप्तता ही रखा जाये। जब तक कि सोने के सिक्के एक निश्चित मात्रा से अधिक चलन में न हो जाए चांदी और अधिक रूपों की ढलाई बन्द रखी जाये।
- (४) विनिमय दरों में स्थिरता लाने के लिये भारत में सोने का एक संचित कोष होना चाहिए।
- (५) सरकार को एक अलग सोने का सुरक्षित कोष रखना चाहिये जो पत्र मुद्रा कोष तथा अन्य कोषों से प्रयुक्त हो। इस प्रकार के कोष से विदेशी भुगतानों के लिये सोने के निर्यातों में सुगमता होगी। रुपये की ढलाई से जो लाभ प्राप्त हो वह सुरक्षित कोष में रखा जाये।

(६) भारत सरकार ने फाऊलर समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया ब्रिटिश सावरेन (सोने का सिक्का) को कानूनी विधिग्राह्यता प्रदान कर दी गई और भारत में उनकी ढलाई की भी व्यवस्था कर दी गई। सरकार भारत में स्वर्ण चलन (Gold Currency Standard) स्थापित करना चाहती थी किन्तु उसे अपने प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली। सन् १९०० में रुपये की ढलाई का कार्य फिर से प्रारम्भ कर दिया गया। सरकार ने घोषणा की कि रुपये के बदले सावरेन केवल विदेशी भुगतानों के लिये ही दिया जायेगा। इसका अर्थ यह था कि देश के अन्दर सोने के सिक्कों का चलन समाप्त हो गया। इस प्रकार भारत में जो मुद्रामान स्थापित हुआ उसे स्वर्ण विनिमय मान कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने उसे स्टर्लिंग विनिमय मान मान है। इस मुद्रा मान की चार प्रमुख विशेषताएँ थीं।

(१) देश में सोने के सिक्कों का चलन नहीं था।

(२) देश की घरेलू आवश्यकताओं के लिये चादी के रुपये सोने के सिक्कों अथवा सोने में परिवर्तनशील न थे।

(३) विदेशी भुगतानों के लिए सरकार रुपये के बदले एक निश्चित मात्रा में सोना देने के लिये बाध्य थी।

(४) विदेशी भुगतान की सुविधा के लिये सोने का सुरक्षित कोष रखा जाता था जिसका एक भाग इंग्लैंड में था। पार्लियामेंट काउन्सिल बिल (Council Bills) तथा रिवर्स काउन्सिल बिल (Reverse Council Bills) के चलन के द्वारा होता था।

फाऊलर समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत में स्वर्ण मान स्थापित तो हुआ किन्तु उसका जो प्रभाव देश के घरेलू मूल्य स्तर पर पड़ा तथा उसकी जो कड़ी आलोचना हुई उसके कारण सरकार को एक अन्य समिति नियुक्त करनी पड़ी।

चैंबरलेन आयोग (Chamberlain Commission) १९१३ —

सन् १९१३ में चैंबरलेन आयोग को नियुक्ति हुई जिसने अपनी रिपोर्ट १९१४ में प्रस्तुत की। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्न लिखित थीं —

(१) इस आयोग ने स्वर्ण विनिमय मान को जारी रखने का समर्थन किया।

(२) आयोग ने अनुभव किया कि भारत में सोने के सिक्कों की ढलाई के लिये एक साल खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु यदि भारत सरकार इसका व्यय स्वीकार करे तो सावरेन तथा $\frac{1}{2}$ सावरेन ढालने के लिए एक एक साल की स्थापना भारत में की जा सकती है।

(३) स्वर्णमान कोष में वृद्धि की जाये और यह कोष इंग्लैंड में रखा जाय।

(४) सरकार यह गारन्टी दे कि यदि विनिमय दर गिरने लगे अथवा अन्य किसी कारण से आवश्यकता पडने पर वह स्टर्लिंग ३३ $\frac{1}{3}$ पेंस प्रति रुपए की दर पर रिवर्स काउन्सिल बिल (Reverse Council Bills) बेच देगी।

(५) भारत में पत्र मुद्रा (Paper money) को और अधिक लोचदार बना देना चाहिये।

(६) स्वर्णकोष की चादी वाली शाखा बन्द कर देनी चाहिये । चैम्बरलेन

आयोग की सिफारिशों पर विचार करने से पूर्व ही प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो गया ।

प्रथम महायुद्ध में भारती मुद्रा (१९१४ से १९१९)—प्रथम महायुद्ध का भात की राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा । विदेशी व्यापार में अस्थिरता आ गई । विनिमय की दरें गिरने लगी । लोगों ने कागज के नोटों को चादी के रूपों तथा सोने में बदलवाने की कोशिश करनी प्रारम्भ कर दी क्योंकि लोगों को पत्र मुद्रा पर विश्वास नहीं रहा था । १० करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कागज के नोट सरकारी खजानों को लौटा दिये गए । अगस्त १९१४ में सरकार ने स्वर्ण विनिमय मान कुछ काल के लिये स्थगित कर दिया और लोगों को नोटों के बदले सोना देना बन्द कर दिया ।

जैसे जैसे युद्ध प्रगति करता गया भारत के निर्यातों की वृद्धि होती गई और आयात कम होते गए । इस प्रकार एक वर्ष के भीतर ही विदेशी भुगतान सतुलन भारत के पक्ष में हो गया । वैसे तो भारत को इस स्थिति में सोना बाहर से मिलना चाहिए था किन्तु युद्ध के कारण यह सम्भव न था । इधर भारत में मुद्रा की माँग का बढ़ना स्वाभाविक था । सरकार ने पत्र मुद्रा चालू की । इसी काल में चादी के भाव चढ़ने लगे जिसके फलस्वरूप विदेशी विनिमय की दर १ शिलिंग ४ पेंस से बढ़कर २ शि० ४ पेंस तक हो गई । इसका सोने के मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ा । मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इंग्लैंड ने भी अस्थायी रूप से स्वर्णमन स्थगित कर दिया । सोने और चादी की कमी के कारण भारत में भी अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का चलन शुरू हो गया । चादी के रूपों की दलाई पूरी तरह बन्द कर दी गई थी ।

इस प्रकार प्रथम युद्ध के काल में स्वर्ण विनिमय मान पूरी तरह टूट गया ।

प्रथम महायुद्ध के बाद का काल (१९१९ से १९२५)—सन् १९१९ में महायुद्ध समाप्त हो गया किन्तु युद्ध के काल में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ बनी रहीं । विदेशी भुगतान सतुलन अब भी भारत के अनुकूल था । चादी के भाव बढ़े रहने के कारण कागज के नोटों को चादी के सिक्कों में बदलना कठिन था । सरकार के सामने यह प्रश्न था युद्ध के बाद के काल में इन समस्याओं का किस प्रकार सामना किया जाये । स्थिति की पूर्ण रूप से जांच करने के लिए १९१९ में एक और समिति नियुक्त की गई ।

बैबिंगटन स्मिथ समिति (Babington Smith Committee)—

इस समिति ने यह सुझाव दिया कि १ रुपया=२ शिलिंग की विनिमय की दर स्थापित की जाए । समिति के विचार में चादी के भाव कुछ और वर्षों तक ऊँचे रहने की सम्भावना थी । इसलिये ऊँची विनिमय की दर स्थापित करना आवश्यक था जिससे रुपये की सांकेतिक दशा बनी रह सके । दूसरे ऊँची विनिमय की दर स गृह व्यय (Home charges) के भुगतान में भी बचत होने की आशा थी । तीसरे यह दर वस्तुओं के मूल्यों की और अधिक बढ़ने से रोकने में सहायक होगी । समिति के अन्य सुझाव इस प्रकार थे —

१—सावरेज के बदले में रुपये देने की सरकारी जिम्मेदारी बन्द होनी चाहिये ।

२—सोने के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध न हो ।

३—स्वर्ण कोष का अधिक से अधिक आधा भाग भारत में रखा जाना चाहिये शेष ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रखा जाये ।

४—पत्र मुद्रा के सम्बन्ध में अनुपातिक निधि प्रणाली (Proportional Deposit Method) अपनाई जाये ।

—रुपये की विनिमय दर स्टर्लिंग के स्थान पर सोने में निर्धारित की जाए ।

समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुये १९२० में एक कानून द्वारा भारत में १ रु०=२ शिलिंग की विनिमय दर लागू हो गई किन्तु इसे बनाये रखना सरकार को कठिन प्रतीत हुआ । सरकार को इस दर पर भारी आर्थिक हानि होने लगी । इधर भारत के विदेशी भुगतान की स्थिति अनुकूल से प्रतिकूल हो गई । विनिमय की दर में अस्थिरता के कारण देश में असंतोष उत्पन्न होने लगा । सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भी विनिमय की दर गिरती गई और उसे ऊंचा रखने के सारे प्रयत्न व्यर्थ गए तथा भारत के लिये अहितकर सिद्ध हुये ।

१९२५ में इंग्लैंड ने स्वर्णमान ग्रहण कर लिया और सोने तथा स्टर्लिंग की कीमतों में समानता स्थापित कर दी । १९१६ से १९२५ तक का काल अस्थिरता का काल था जिसमें सरकार ने अपनी मुद्रा सवन्धी नीति की मूल के कारण भारी हानि उठाई ।

प्रश्न ६६— १९२५ से १९३६ तक के भारतीय चलन के इतिहास की पूर्ण विवेचना कीजिए ।

Describe the history of Indian currency from the year 1925 to 1939

उत्तर—प्रथम महायुद्ध के बाद के काल में भारतीय मुद्रा तथा चलन पर भी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक अस्थिरता तथा अनिश्चितता का गहरा प्रभाव पड़ा । यह काल युद्धकालीन अर्थव्यवस्था से शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था की ओर जाने का था । इन परिस्थितियों में सरकार ने २ शिलिंग की विनिमय की दर को स्थगित कर दिया । यह कदम ठीक ही था क्योंकि उस हालत में किसी बात का सही अनुमान पहिले से लगा लेना सम्भव न था । इधर इंग्लैंड में युद्ध काल में काफी मुद्रा प्रसार हो गया था जिसका मुख्य कारण यह था कि युद्धकाल में स्टर्लिंग का मूल्य बराबर गिरता गया । १९२५ में इंग्लैंड ने फिर से स्वर्णमान ग्रहण कर लिया । अब रुपये का भी स्टर्लिंग अथवा सोने से सबन्ध स्थापित हो गया और विनिमय की दर १ शिलिंग ६ पैस हो गई । इस समय तक संसार भर में युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के स्थान पर शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई थी और स्थिति स्थिर होती जा रही थी । भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि देश की मुद्रा व्यवस्था में भी आवश्यक सुधार किये जाने चाहिए ताकि उसका नए रूप से संगठन हो सके ।

हिल्टन यंग आयोग (Hilton Young Commission)—१९२३ में श्री हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक नया आयाग नियुक्त किया गया जिसमें श्री पुरुषोत्तम दास टाकुर दास, एक मात्र भारतीय सदस्य थे। इस आयाग का उद्देश्य 'भारतीय चलन और विनिमय प्रणाली तथा व्यवहार की जांच करना तथा उस पर अपना मत प्रकट करना था। आयाग ने १९२६ में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की जो एक बहुमतीय रिपोर्ट थी क्योंकि श्री पुरुषोत्तम दास टाकुर दास इससे सहमत न थे। हिल्टन यंग आयाग ने निम्नलिखित सिफारिश की।

१—भारत में स्वर्ण विनिमय मानक स्थान पर स्वर्ण खण्ड मानक (Gold Bullion Standard) की स्थापना हानी चाहिये। इस मानक पर जनता का अधिक विश्वास प्राप्त हो सकता है क्योंकि स्पष्ट रूप से जनता को रुपये का सोने से सम्बन्ध दिखाई देने लगेगा। स्वर्ण खण्ड मानक का निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए—

(अ) देश में सोने के सिक्कों का चलन न हो किन्तु मुद्रा का मूल्य सोने की एक निश्चित मात्रा के मूल्य से सम्बन्धित होना चाहिये।

(ब) मुद्रा संचालक को एक निश्चित मूल्य पर असंमित मात्रा में सोना खरीदने अथवा बचने के लिए उत्तरदायी होना चाहिये। यह तब विकल्प चाहिये किसी भी समय कतिपय न हो।

(स) सोना व आयात अथवा निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

(द) प्रत्येक व्यक्ति सरकार से कागजी नोटों के बदले सोना प्राप्त करने का अधिकारी है।

२—रुपयत १ स्टैलिम अथवा रुपए तथा सोने का विनिमय दर १ शिलिंग ६ पैसे पर स्थिर रखी जाए

३—बड़े महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए जिसका मुख्य कार्य देश की मुद्रा तथा साख पर नियन्त्रण करना हो और जो विदेशी विनिमय की दर का भी प्रबन्ध करे। इस केन्द्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्य होने चाहिए—

(अ) २५ अथवा तक नोट छापने का अधिकार केवल केन्द्रीय बैंक को ही हो।

(ब) केन्द्रीय बैंक द्वारा छापे गये नोटों पर भारत सरकार की गारन्टी होनी चाहिये।

(स) जनता को नोटों के बदले रुपए के सिक्के प्राप्त करने का कानूनी हक न हो केन्द्रीय बैंक जो प्रायः से मुद्रा संचालक का कार्य करेगा इस बात के लिये स्वतंत्र है कि वह जनता को नोटों के बदले रुपये के सिक्के दे अथवा छोटी कीमत के नोट दे।

४—स्वर्णमान निधि तथा पत्र मुद्रा निधि जो अब तक दो अलग सोने के कोषों के रूप में रखी जाती थीं उन्हें मिलाकर एक कोष कर दिया जावे।

(५) भारत सरकार द्वारा च लू किए गये एक रुपये के नोटों का फिर से केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्गम किया जाए।

उपरोक्त सिफारिशों आयोग के सदस्यों के बहुमत स की गई थी। कुछ प्रश्नों पर ऐसा मतभेद उत्पन्न हो गया जिसके कारण आयोग सर्व सम्मति से अपनी रिपोर्ट नहीं दे सका। जैसा कि ऊपर कहा गया है आयोग के एक मात्र भारतीय सदस्य श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने आयोग की सिफारिशों का विरोध किया। उनका विरोध दो बातों पर था। प्रथम तो यह कि वे भारत में पूर्ण स्वण चलनमान (Gold Currency standard) की स्थापना चाहते थे जिसमें सोने के सिक्कों का चलन हो, दूसरे वे १ शिलिंग ६ पैस के बजाये १ शिलिंग ४ पैस की विनिमय की दर के समर्थक थे। उनका मत था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें तीन चार साल की लगातार अच्छी फसलों के कारण एक प्रकार की आर्थिक सम्पन्नता दिखाई देने लगी है जो केवल अस्थायी है। इस अस्थायी सम्पन्नता के कारण ही १ शि० ६ पैस की विनिमय की दर स्थापित हो गई थी। यह दर अवास्तविक थी क्योंकि देश की आर्थिक सम्पन्नता के अधिक काल तक बने रहने की कोई आशा नहीं थी। इसका बाद में देश के विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। ऊची दर के कारण विदेशी प्रतियोगिता बढ़ने तथा देश के उद्योग धंधों को हानि पहुंचने की भी आशका थी।

हिल्टन यज्ञ आयोग की सिफारिशों को सरकार ने मंजूर कर लिया। मार्च सन् १९२७ में भारतीय धारा सभा ने एक करेन्सी बिल पास किया जिसके द्वारा विनिमय की दर १ शि० ६ पैस निश्चित कर दी गई। सरकार पर यह भार सौंपा गया कि वह २१ रु० ७ आने १० पाई की दर पर जनता स सोना खरीदे और ४०—४० तोले की सोने की छड़ों के रूप में जनता के हाथ सोना वेचे। विदेशी भुगतान के लिये सरकार उपरोक्त विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा भी वेच सकती थी। इसके सार्थ २ सोने के सिक्कों (सावरेन तथा ३ सावरेन) का चलन बन्द कर दिया गया। भारत में केन्द्रीय बैंक की स्थापना के प्रश्न को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया।

विनिमय दर सम्बन्धी वाद विवाद—जिस समय हिल्टन यज्ञ आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसी समय से १ शि० ६ पैस की विनिमय की दर के विषय में एक भारी वाद विवाद उठ खड़ा हुआ। सरकारी क्षेत्रों से इनके समर्थन में अनेक तर्क पेश किये गए और गैर सरकारी क्षेत्रों से इनके विरोध में बहुत कुछ कहा गया। उपरोक्त विनिमय की दर के पक्ष में निम्नलिखित तर्क पेश किये गए:—

(१) यह दर पिछले दो वर्षों से स्थिर थी जो इस बात का सकेत था कि यह प्राकृतिक दर थी तथा भारत और ससार की आर्थिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई थी। इसलिये इसे स्थिर रखना उचित था।

(२) इस दर पर देश के मूल्य-स्तर, उत्पादन व्यय तथा अन्य क्षेत्रों में भारत

की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित हो चुका था और इसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता न थी।

(२) केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों ने अपने बजट बनाते समय इसी दर को आधार माना था। इस दर के परिवर्तन से और अधिक कर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती थी।

(४) एक शिलिंग ४ पेंस की दर पर भारत के घरेलू मूल्य स्तर के नीचे गिर जाने की सम्भावना थी जिसे ऊपर उठाने के लिए और अधिक मुद्रा प्रसार करना पड़ता।

(५) १ शिलिंग ३ पेंस की दर अवास्तविक मानी गई क्योंकि उसे बनाए रखने के लिये मुद्रा प्रसार करना अनिवार्य था इसके बिना कार्य नहीं चलता।

विपक्ष के तर्क — गैर सरकारी क्षेत्रों से २ शि० ६ पेंस की विनिमय दर के विरोध में निम्नलिखित तर्क पेश किये गए —

(१) पिछले २० वर्षों से विनिमय की दर १ शि० ४ पेंस पर बनी हुई थी और वही उसकी वास्तविक दर थी।

(२) भारत में वस्तुओं का मूल्य स्तर १९१४ तथा १९२६ में एक समान ही था। इस प्रकार १९१४ में १ शि० ४ पेंस जो विनिमय की दर थी वही १९२६ में भी रहनी चाहिये।

(३) पिछले चार वर्षों में भारत में अच्छी फसलों के कारण एक प्रकार की अस्थायी सम्पन्नता उत्पन्न हो गई थी। इसके आधार पर विनिमय की दर को १ शि० ६ पेंस स्थायी रूप से स्वीकार कर लेना भारी भूल है क्योंकि यह दर आगे चलकर अवास्तविक सिद्ध होगी।

(४) ऊँची विनिमय की दर विदेशी प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देगी और भारतीय उद्योगों को जो सरक्षण सरकार द्वारा प्रदान किया गया था उसका उद्देश्य विफल हो जायेगा।

(५) उस समय तक जो विदेशी व्यापार की स्थिति भारत के अनुकूल थी अर्थात् भारत के निर्यात आयातों से अधिक थे, उनकी स्थिति विपरीत हो जाने की आशंका थी। इससे देश का आर्थिक हानि होगी।

(६) नई विनिमय की दर को बनाये रखने के लिये मुद्रा सङ्कुचन की आवश्यकता पड़ेगी जिसके परिणामस्वरूप देश की उत्पादन प्रगति को ठेस पहुँचेगी।

(७) सशर भर में सोने के भाव गिर जाने की आशा थी जिसके कारण १ शि० ६ पेंस की दर को बनाए रखना बड़ा कठिन कार्य होगा।

(८) इस दर को बनाये रखने का एक मात्र उपाय भारत से भारी मात्रा में सोने का निर्यात करना है। यह देश के लिए अहितकर सिद्ध होगा क्योंकि इससे भारत के स्वयं कोष कम हो जाने की सम्भावना रहेगी।

(९) ऊँची विनिमय दर का मतलब एक प्रकार से परोक्ष ढंग के कर लगाने का है क्योंकि इसे एक प्रकार का अदृश्य मुद्रा प्रसार माना जाता है।

भारत सरकार ने उपरोक्त तर्कों पर कोई ध्या नही दिया। नई व्यवस्था के कारण देश को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा।

हिल्टन यङ्ग आयोग ने भारत के लिये सभी प्रकार के स्वर्ण मानों की सम्मानना पर विचार करने के बाद स्वर्ण खण्डमान को सबसे उपयुक्त समझा था तथा स्वर्ण विनिमय मान की समाप्ति की सिफारिश की थी किन्तु व्यवहार में सरकार ने इस पर धमल नहीं किया। अब भी विदेशी मुद्राओं से रुपए का सम्बन्ध सोने के स्थान पर स्टर्लिंग से ही बना हुआ था। यहाँ तक कि जब स्टर्लिंग का सोने में अवमूल्यन हो गया तब भी रुपये तथा स्टर्लिंग की विनिमय दर पहिले जैसी ही बनी रही। १९२७ तथा २८ के दो वर्ष भारत में तथा सारा भर में आर्थिक संतुलन के वर्ष थे। १९२९ में विश्व व्यापी मन्दी (World Depression) शुरू हुई जिसका सबसे बुरा प्रभाव कृषि प्रधान देशों पर पड़ा। भारत भी इसके परिणाम से अछूता नहीं रह सका। १९३० में इस मन्दी के प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी नजर आने लगे। वीरे २ भारतीय निर्यात कम होने लगा और अनुकूल व्यापार संतुलन समाप्त होता गया। इसका एक प्रभाव यह हुआ कि १ शिलिंग ६ पैसे की विनिमय की दर को स्थिर रखना कठिन हो गया। इधर भारत में कई कारणों से विदेशी मुद्राओं की माग बढ़ने लगी और विदेशों में भारतीय रुपये की माग कम होती गई।

१९३१ में इङ्ग्लैण्ड ने स्वर्ण मान का त्याग कर दिया। इसका भारतीय मुद्रा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब रुपये का सम्बन्ध स्टर्लिंग से रह गया। रुपये की सोने में परिवर्तनशीलता समाप्त कर दी गई क्योंकि स्टर्लिंग का अब सोने से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस प्रकार १९३१ के बाद भारत में स्वर्ण खण्ड मान के ध्यान पर स्टर्लिंग विनिमय मान (Sterling Exchange Standard) स्थापित हो गया।

स्वर्णमान समाप्त हो जाने के कारण स्टर्लिंग का सोने में मूल्य घटने लगा और यही बात रुपये के साथ भी हुई। इस पतन को रोकने के लिये सरकार ने विनिमय नियंत्रण लागू कर दिया जिसका मुख्य उद्देश्य मूद्रों की प्रवृत्ति को रोकना था। अनुभव ने यह सिद्ध किया कि इन विनिमय नियंत्रण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए १९३२ में इसे समाप्त कर दिया गया।

१९३२ से १९३८ तक के काल में विनिमय की दर १ शिलिंग ६ पैसे पर ही स्थिर रही किन्तु इसकी भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी। जैसा कि अनुमान था आर्थिक मन्दी के काल में भारत का विदेशी व्यापार संतुलन अनुकूल से प्रतिकूल हो गया और इन प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण भारी मात्रा में सोना भारत से निर्यात किया गया। सोने का निर्यात ही विनिमय की दर को स्थिर रखने का एक मात्र उपाय था। १९३१ से १९३८ तक के काल में भारत से लगभग ३५० करोड़ रुपये के सोने का निर्यात किया गया। यह नीति सरकार ने जान बूझकर अपनाई थी। जब समार के अन्य देश सोने का सचय कर रहे थे भारत से सोने का निर्यात हो रहा था क्योंकि विदेशी सरकार भारत से अधिक से अधिक मात्रा में सोना इङ्ग्लैण्ड ले जाना चाहती थी। भारत के लोगों ने इस बात की माग भी की कि सोने

के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाए किन्तु उस पर कोई विचार नहीं किया गया। सरकार का कर्तव्य था कि भारत में सोने की कोई कमी नहीं है और भारत को समका अर्थात् मूल्य मिल रहा है।

रिजर्व बैंक की स्थापना—हिल्टन यंग आयोग ने भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया था। १९३१ को केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति (Central Banking Enquiry Committee) ने इसकी स्थापना पर फिर से जोर दिया। अगस्त १९३४ में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट (Reserve Bank of India Act) पार किया जिसके द्वारा १ अप्रैल १९३५ को इस बैंक की स्थापना हो गई। रिजर्व बैंक की स्थापना से भारतीय चलन प्रणाली में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नोट छापने तथा उनकी निर्यात का कार्य अब रिजर्व बैंक के हाथ में सौंप दिया गया। रिजर्व बैंक को देश में साख नियंत्रण (Credit Control) का भी भार सौंपा गया। पत्र मुद्रा कोष (Paper Currency Reserve) स्वर्ण कोष (Gold Reserve) तथा बैंकिंग कोष को एक में मिला दिया गया जिसके संभालन तथा प्रबन्ध की जिम्मेदारी अब रिजर्व बैंक पर थी। रिजर्व बैंक की विदेशी विनिमय की दर का प्रबन्ध करने का भार भी सौंप दिया गया।

भारत से चांदी का निर्यात—१८३१ से १९३६ के बीच सोने के साथ २ भारत से भारी मात्रा में चांदी का भी निर्यात किया गया। इसके दो कारण थे। प्रथम तो यह कि विदेशों में चांदी के भाव भारत की अपेक्षा अधिक थे। दूसरे अब भारत सरकार के रजत कोषों (Silver Reserves) की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी क्योंकि सरकार ने कामज के नोटों के बदले चांदी के रूप में देना बन्द कर दिया था। १९३४ तक २ करोड़ औंस चांदी भारत से निर्यात की गई। १९३३ में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार अमेरिका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया आदि देशों ने प्रतिवर्ष ३५ करोड़ औंस चांदी खरीदने का निर्णय किया। १९३५ में अमेरिका ने बहुत बड़ी मात्रा में चांदी खरीदना शुरू कर दिया जिससे चांदी के भाव बढ़ गये। उसी समय चीन को रजत मान (Silver Standard) का त्याग करना पड़ा जिस से अमेरिका को भी अपनी नीति बदलनी पड़ी और चांदी के दाम फिर गिरने लगे। १९३६ तक भारत से चांदी का निर्यात होता ही रहा।

हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों का भारतीय चलन प्रणाली के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है यद्यपि आयोग के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। आयोग रुपये का सोने से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था जबकि व्यवहार में रुपये का सम्बन्ध स्टर्लिंग से ही स्थापित हो सका। इस प्रकार विदेशी बाजार में रुपये की कोई स्वतन्त्र स्थिति नहीं थी। आयोग ने १ शिलिंग ३ पैस की विनिमय दर की सिफारिश अवश्य की थी किन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं था कि हर स्थिति में इन्ही दर को न्यूनतम रखा जाय। उन समय इंग्लैंड द्वारा स्वर्णमान की समाप्ति का कोई

प्रश्न नहीं था यह दर तो केवल रुपये का सोने से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी।

प्रश्न ६७—भारतीय चलन तथा विनिमय के इतिहास में दूसरे महायुद्ध के काल में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना कीजिए।

Discuss the changes brought about by the 2nd World War in the history of Indian Currency and exchange

उत्तर—दूसरा महायुद्ध मितम्बर सन् १९३९ को प्रारम्भ हुआ था। उस समय तक भारत में स्टर्लिंग विनिमय मान स्थापित था और भारत से सोने तथा चादी का निर्यात बराबर हो रहा था। युद्ध शुरू होने के बाद भी यह निर्यात चलता रहा। १९३८—३९ में १३७९ करोड़ रुपये तथा १९३९—४० में ४२०२ करोड़ रुपये के मूल्य का सोना भारत से निर्यात किया गया। वैसे तो अब विदेशी भुगतान का सतुलन (Balance of Payments) भारत के लिए अनुकूल था और भारत को इंग्लैंड से सोना मिलना चाहिए था किन्तु भारत सरकार को केवल स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ (Sterling Securities) ही प्राप्त हुईं और उनके आधार पर देश में मुद्रा प्रसार होने लगा। स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के सामने कई सुझाव रखे गए जिनमें एक तो यह भी था कि सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाय और अमेरिका से जो भारत का व्यापाराधिक्य है उसके बदले अमेरिका बाजार से ही सोना खरीद लिया जावे। रिजर्व बैंक को अधिकार दिया जाय कि वह अपने पास सुरक्षित कोष में रखे हुए सोने का मूल्य बाजार भाव के अनुसार आकले और उसका प्रयोग भारत तथा अमेरिका में रखे जाने वाले कोषों के लिए कर सके।

युद्ध के दिनों में भारतीय मुद्रा की अजीब स्थिति थी। भारतीय रुपया एक शक्तिशाली-प्रामाणिक सिक्के की हैसियत से कार्य कर रहा था। घरेलू आवश्यकताओं के छोटे सिक्के निकाल के तथा तांबे के पैसे चालू किये गए थे। लोग चादी के रूपों को दबाकर रखने लगे थे। इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को अनेक कदम उठाने पड़े।

वैसे तो भारत का दूसरे महायुद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं था किन्तु एक गुलाम देश होने के कारण भारत को भी युद्ध में भाग लेना पड़ा। युद्ध की प्रगति के साथ साथ भारतीय अर्थ व्यवस्था में भी परिवर्तन होते गये। युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि भारत में मुद्रा प्रसार (Inflation) हो गया। एक ओर तो वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई और दूसरी ओर उनके लाभ प्रतिदिन बढ़ने लगे। इसका सबसे अधिक लाभ किसानों को हुआ। उनके पुराने कर्ज समाप्त हो गये और उनकी आर्थिक दशा में सुधार होने लगा। समस्त भारतीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला क्योंकि विदेशों से वस्तुओं के आयात लगभग बन्द हो गये थे और भारतीय उद्योगों को ही सैनिक तथा नागरिक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ रहा था। विनिमय की दर १ शिलिंग ६ पैसे पर ही थी किन्तु उसे स्थिर रखने के लिये विनिमय नियंत्रण की शरण लेनी पड़ी। देश में कागज के नोटों का चलन बहुत अधिक बढ़ गया।

युद्ध के धारम्भ की स्थिति को देखते हुए जनता को यह विश्वास होने लगा कि अग्रज युद्ध में हार जावेगी और यह सरकार बदल जावेगी। इसलिये लोगों ने डाकखानों तथा बैंकों से रुपये निकालना शुरू कर दिया। सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities) तथा डाकखाने के कैश सर्टिफिकेट (Cash Certificates) बढ़ते जाने लगे जिसमें सरकार के सामने एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई। रिजर्व बैंक ने जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कुछ समय तक नोटों की सिकको में बदलना जारी रखा किन्तु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। सरकारी टकसालें इतनी अधिक मात्रा में चाँदी के रुपये नहीं ढाल सकती थी जितनी कि देश में उनकी मांग थी। सरकार ने इस मांग को कम करने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए किन्तु कोई लाभ न हुआ। हार कर सरकार ने जून १९४० में १ रुपये के मूल्य के नोट जारी किए जो हर प्रकार से रुपये के सिक्के के बराबर माने गये और उन्हें भी वही दर्जा मिला जो रुपये के सिक्के का था। इस प्रकार चाँदी के रुपये के स्थान पर १ रुपये के नोटों का चलन बढ़ गया। इसी काल में देश में छोटे मूल्य के सिक्के का भी अभाव हो गया। लोगों ने रेजगारी को दाब कर रखना शुरू कर दिया।

सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिए महारानी विक्टोरिया के रुपये तथा अठसियाँ गैरकानूनी घोषित कर दिए और इनके स्थान पर नये प्रकार के सिक्के बनाए जिनमें चाँदी की मात्रा पहिले से बहुत कम थी। छोटी रेजगारी को जमा कर के रखना एक अग्रगण्य घोषित किया गया। एक समय तो ऐसा आ गया था कि डाक के टिकट दियामलाई तथा अन्य वस्तुएँ रेजगारी के रूप में प्रयोग होने लगी थी और जनता को वही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने नये प्रकार की रेजगारी चालू की जो भार तथा खरेपन में पत्रिले से भिन्न थी। इसमें खेददार पैसा, तथा दो पैसे का सिक्का, पीले रंग की दुपट्टी तथा इकट्टी तथा पीतल और निकिल की बनी हुई चबूती तथा अठसियाँ भी शामिल थी। सरकार ने सिक्को के उत्पादन को बढ़ाने के विचार में एक नई टकसाल खोलने का भी निश्चय किया। कुछ समय बाद स्थिति काबू में आ गई।

मुद्रा प्रसार—युद्ध काल में मुद्रा का बहुत अधिक प्रसार हुआ। शुरु में कुल मिलाकर १८० करोड़ रुपये के नोट चलन में थे जिनकी संख्या बाद में १०३५ करोड़ रुपये हो गई। इसका एक कारण यह था कि युद्ध को चालू रखने के लिए भारी मात्रा में वास्तुएँ भारत से भिन्न राष्ट्री को भेजी जा रही थी। विदेशी भुगतान सतुलन भारत के अनुकूल था किन्तु बदले में भारत को न तो सोना मिला और न किन्ही प्रकार की वस्तुएँ अथवा सेवाएँ। केवल स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ (Sterling Securities) प्राप्त होनी रही जो पौंड पावनों (Sterling Balances) के रूप में एकत्र होती रहीं। इसके विपरीत देश में बराबर मुद्रा प्रसार होता गया और वस्तुओं की कमी होती गई। सरकार ने मुद्रा प्रसार को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। सामान्य मूल्य स्तर (General Price Level) लगभग चार गुना बढ़ गया था।

विनिमय नियंत्रण (Exchange Control)—विदेशी विनिमय की दर में स्थिरता रखने के उद्देश्य तथा युद्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिए इंग्लैंड ने विनिमय नियंत्रण का निश्चय किया। भारत सरकार ने भी इस नीति का अनुसरण किया ताकि किसी प्रकार की विनिमय सम्बन्धी समस्या उत्पन्न न होने पावे, भारतीय रक्षा विधान (Defence of India Rules) के अधीन सरकार न निम्नलिखित बातों पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया—

- (१) विदेशी विनिमय का भरोसा
- (२) विदेशी विनिमय प्राप्त करना
- (३) प्रतिभूतियों का वेचना तथा उनका निर्यात
- (४) प्रतिभूतियों का प्राप्त करना

अरबी और से इन बातों के शासन का अधिकार सरकार ने रिजर्व बैंक को दे दिया।

सरकार की ओर से विदेशी विनिमय सम्बन्धी बाध करने के लिए कुछ व्यवस्थित तथा सम्झौतों को लाइसेंस (Licences) दे दिए गये। इसी प्रकार के लाइसेंस कुछ विदेशी विनिमय बैंकों को भी दिए गए। यह प्रतिबन्ध ब्रिटिश साम्राज्य वाले देशों पर लागू नहीं था। विदेशी भुगतानों के लिए रिजर्व बैंक से आज्ञा लेनी पड़ती थी। आज्ञा के बिना प्रतिभूतियों का आयात-निर्यात नहीं हो सकता था।

देश का विदेशी व्यापार (आयात तथा निर्यात दोनों) विनिमय नियंत्रण के फलस्वरूप नियंत्रित कर दिया गया था। यह नियंत्रण स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों पर तो लागू नहीं था किन्तु दुर्लभ मुद्रा वाले देशों तथा डालर क्षेत्र के देशों से व्यापार करने पर लागू था। कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था बिना लाइसेंस प्राप्त किए अथवा रिजर्व बैंक से अनुमति लिये हुये इन देशों से न तो कोई चीज आयात कर सकता था और न किसी प्रकार का विदेशी भुगतान कर सकता था। केवल युद्ध तथा उपभोक्ता सम्बन्धी वस्तुएँ ही आयात करने की अनुमति दी जाती थी। यह प्रतिबन्ध निर्यातों पर भी था। भारत सरकार ने ऐसी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण करना उचित समझा जो स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर वाले देशों को भेजी जाती थी इन वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य निर्यात से अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना तथा उसके भुगतान को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना था। इस उद्देश्य में सरकार सफल हुई किन्तु उसका जो लाभ हुआ वह ब्रिटिश सरकार को भारत के खाते में दिया गया दूसरे शब्दों में भारत के पौड पावने (Sterling Balances) दिन प्रतिदिन बढ़ते गये किन्तु तत्काल लाभ कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यह कमाई युद्ध के संचालन के कार्यों में ही व्यय होती रही।

साम्राज्य डालर कोष (The Empire Dollar Pool)—युद्ध के शुरुआत के दिनों में ही ब्रिटिश सरकार साम्राज्य वाले देशों की विदेशी विनिमय निधि (Foreign Exchange Reserves) पर नियंत्रण कर दिया था ताकि उनका प्रयोग व्यक्तिगत देशों द्वारा न होकर सामूहिक रूप से युद्ध के लिये संचालन किया।

करोड़ रुपए था जिसमें से पुराने कर्जों को घटाकर १७२४ करोड़ रुपए की वास्तविक वचत हुई थी। दूसरा महायुद्ध समाप्त होने ही पौंड पावनों के भुगतान का प्रश्न उत्पन्न हुआ। भुगतान की दानचीन युद्ध में ही गलू हो गई थी। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि या तो यह भुगतान न करना उड़े और यदि करना उड़े तो इसमें भारी कमी कर दी जावे। दूसरी बात भुगतान के समय तथा स्वरूप की थी। ब्रिटिश सरकार अपनी सुविधा के अनुसार दीर्घकाल में भुगतान करना चाहती थी। यह भुगतान वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में होना था। लम्बे बाद विवाद के बाद भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार के बीच पौंड पावनों के भुगतान के विषय में एक समझौता हो गया जो दोनों पक्षों को मंजूर था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे महायुद्ध का काल भारतीय मुद्रा तथा चलन के इतिहास में काफी महत्व का स्थान रखता है।

प्रश्न ६८ — भारतीय मुद्रा तथा चलन के इतिहास में दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद के काल में होने वाली प्रमुख घटनाओं की विवेचना कीजिए।

Discuss the principal developments in the history of Indian Currency since the close of the second world war

उत्तर — दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद के काल में भारतीय मुद्रा तथा चलन प्रणाली में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि १९४५ में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और १९४७ में भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई। १९४६ से ही भारत की मुद्रा सम्बन्धी नीति एक स्वतन्त्र देश की नीति के रूप में निर्धारित होने लगी थी। युद्ध के दिनों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था पूरी तरह विदेशी सरकार की इच्छानुसार निर्धारित की गई थी जिसका उद्देश्य युद्ध के संचालन में इंग्लैंड को सहायता प्रदान करना था।

युद्ध के दिनों में जिन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ था वे युद्ध के बाद के काल में भी चलती रही। उदाहरण के लिये भारत में मुद्रा प्रसार (Inflation) उसी रूप में बना हुआ था जैसा कि युद्ध के दिनों में था वरन् उसकी तीव्रता में कुछ वृद्धि ही हुई थी। विदेशी व्यापार तथा विनिमय के क्षेत्र में जो नियन्त्रण लगाये थे वे कुछ पीमा तक ढीले कर दिये गए थे किन्तु विनिमय की कठिनाइयां जारी थी। भारत ने जो पौंड पावने (Sterling Balances) जमा कर लिये थे उनके भुगतान का प्रश्न था। युद्ध के अन्तिम दिनों में ही अमेरिका में ब्रॉटन वुड्स (Bretton Woods) नामक स्थान पर १९४४ में एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा को (International Monetary Fund) तथा विश्व बैंक (World Bank) की स्थापना का निश्चय किया गया। भारत भी इन समस्याओं का सदस्य बन गया। उपरोक्त काल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में रिजर्व बैंक तथा इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, रुपए का अवमूल्यन, भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ, मुद्रा प्रसार विरोधी नीति तथा अन्य बातें शामिल हैं। हम इनमें से प्रत्येक का पृथक-पृथक अध्ययन करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना —दूसरे महायुद्ध के बाद प्रत्येक देश को अपनी अर्थ व्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता थी। इस बात का अनुमान उसी समय लगा लिया गया जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था। १९४४ में अमेरिका में ब्रॉटन वुड्स (Bratton Woods) नामक स्थान पर संयुक्त-राष्ट्र-नीतिक एवं वित्त सम्मेलन (United Nations Monetary & Financial Conference) बुलाया गया था जिसमें ४४ देशों ने भाग लिया था। भारत भी इसमें शामिल था। इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा संस्थाओं का सदस्य बनना स्वीकार किया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता से भारत को अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं। १९४७ में कोष ने भारत को स्टर्लिंग से सम्बन्ध तोड़ देने की अनुमति दे दी। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे पूर्व संधार में भारतीय मुद्रा को कोई स्वतन्त्र स्थान प्राप्त नहीं था। रुपये की परिवर्तनशीलता स्टर्लिंग के रूप में ही होती थी। अब भारतीय रुपये का संधार की अन्य मुद्राओं से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसका भारत के विदेशी व्यापार पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भारत ने कई देशों से सीधे व्यापार सम्भालते किये। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को अपने विदेशी भुगतान के सन्तुलन को स्थिर रखने में भी समय समय पर सहायता प्रदान की। स्वतन्त्रता मिलने के बाद भारी सस्या में मशीनों तथा पूंजीगत सामान (Capital Goods) अमेरिका से मगाने पड़ी। इससे भारत की डालर क्षेत्र में विदेशी भुगतान की स्थिति प्रतिबल हो गई। इसी काल में भारत को इन दानों से भारी मात्रा में अनाज आयात करना पड़ा क्योंकि देश के धानने खाद्य सन्त उत्पन्न हो गया था। इसका भी भारत की विदेशी भुगतान की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मुद्रा कोष से भारत को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) की सदस्यता के साथ २ भारत विश्व बैंक का भी सदस्य है। यह दोनों संस्थाएँ एक दूसरे की पूरक तथा सहायक संस्थाएँ हैं। एक का सदस्य बनने के लिये दूसरे का सदस्य बनना अनिवार्य है। विश्व बैंक सदस्य देशों के आर्थिक विकास तथा पुनर्निर्माण के लिये साख की व्यवस्था करता है। विश्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य ऐसे देशों के आर्थिक विकास में सहायता देना है जो युद्ध में बर्बाद हो चुके थे अथवा जो कम विकसित देश थे। भारत को भी अपनी विकास की नई योजनाओं के लिये विश्व बैंक से कर्ज प्राप्त हुआ है। ३ करोड़ ४ लाख डालर का एक कर्ज रेल के इजिन खरीदने के लिए, १ करोड़ डालर का कर्ज ट्रेक्टर खरीदने के लिये तथा १ करोड़ ८५ लाख डालर का एक कर्ज दामोदर घाटी योजना के लिये प्राप्त हुआ है। रेलों के विकास के लिये एक अन्य कर्ज की बातचीत चल रही है। भारत को अन्य योजनाओं के लिये भी विश्व बैंक से कर्ज मिलने की आशा है। यह आशा की जाती है कि उपरोक्त दोनों विश्व संस्थाओं की सदस्यता से जिस प्रकार भारत को अब तक लाभ पहुँचा है वैसे आगे भी पहुँचता रहेगा।

मुद्रा प्रसार विरोधी नीति (Anti Inflationary Measures) —

युद्ध काल में ही मुद्रा प्रसार के प्रभाव दिखाई देने लगे थे और उनकी रोक थाम के लिये सरकार ने कुछ प्रयत्न भी किये । परन्तु यह प्रयत्न केवल युद्ध को ठीक ढंग से चलाते रहने के उद्देश्य से ही किये थे । इन प्रयत्नों में अन्तर्राष्ट्रीय बचत की योजना, नए कर लगाना, जनता से कर्ज प्राप्त करना वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण (Price Control), सट्टे पर प्रतिबन्ध, साख नियन्त्रण तथा अन्य उपाय शामिल थे । शुरू में इन प्रयत्नों का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ किन्तु युद्धके बाद के काल में सरकार ने मुद्रा प्रसार विरोधी नीति अधिक तीव्रता के साथ लागू की और उसके अच्छे परिणाम निकले । वैसे तो आज भी भारत में मुद्रा प्रसार के प्रभाव देखने की मिलते हैं किन्तु स्थिति सरकार के काबू में है । प्रथम तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing) की शरण लेनी पड़ी है जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मुद्रा प्रसार बढ़ गया है किन्तु दूसरी ओर वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है । मुद्रा प्रसार के बुरे परिणामों की रोकथाम के लिए १९५६ में रिजर्व बैंक अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया गया जिसके अनुसार रिजर्व बैंक को साख नियन्त्रण के लिए व्यापक अधिकार दे दिये गये हैं । इसी नियम के द्वारा पत्र मुद्रा निर्गम प्रणाली में भी संशोधन कर दिया गया है जिसका प्रभाव यह होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing) के लिए सरकार को अधिक स्वतंत्रता मिल गई है ।

रुपए का अवमूल्यन—जब कोई देश आर्थिक सकट अनुभव करता है तथा देश के आयात निर्यात में अधिक होने लगते हैं तो उनमें सुधार करने के लिये मुद्रा के अवमूल्यन की आवश्यकता पड़ती है । मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ दूसरे देश की मुद्रा के विनिमय में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देने में होता है । भारत ने भी १९४९ में रुपए का अवमूल्यन किया था जिसके निम्नलिखित कारण थे —

(१) भारत राष्ट्र मंडल का सदस्य है तथा भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार राष्ट्र मंडलीय देशों से ही है । युद्ध के दिनों से ही इंग्लैंड को डालर वाले देशों से व्यापार करने में प्रतिकूल भ्रुगतान सतुलन का सामना करना पड़ रहा था । यह स्थिति युद्ध के बाद के दिनों में और अधिक जटिल हो गई । इस आर्थिक सकट का सामना करने के लिए इंग्लैंड ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F.) से अनुमति प्राप्त करके १८ सितम्बर १९४९ की शक्ति को पौंड के अवमूल्यन की घोषणा कर दी । इस घोषणा से १ पौंड का मूल्य डालर में ४०३ से घटकर २८० डालर रह गया । राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों को भी इन नीति का अनुसरण करना पड़ा । पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों ने जिनमें भारत भी शामिल था उसी अनुसरण में अपनी मुद्रा के अवमूल्यन की घोषणा कर दी । इससे स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों की आपसी विनिमय की दरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वैसे भारत के सामने कोई तत्कालिक समस्या ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से उसे उसी समय रुपए का अवमूल्यन करना पड़ता किन्तु भारत राष्ट्रमंडल में रहते हुये तथा स्टर्लिंग क्षेत्र से इतना पुराना सम्बन्ध रखते हुये अपनी स्वतन्त्र नीति अपना नहीं सकता था करना उसे हानि उठानी पड़ती जैसा

कि वाद में पाकिस्तान के साथ हुआ। इसलिए मजबूर होकर भारत को इंग्लैंड का साथ देना पड़ा और रुपये का डालर में अवमूल्यन हो गया।

(२) यदि भारत सरकार रुपये का अवमूल्यन न करती तो भारत के पौंड पावनों (Sterling Balances) का मूल्य उसी अनुपात में कम हो जाता जिस अनुपात में इंग्लैंड ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया था।

(३) उस समय तक भारत को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पूरी तरह स्वतन्त्र स्थान प्राप्त नहीं था। भारत का विदेशी व्यापार तथा भुगतान स्टर्लिंग के ही रूप में होता था। अवमूल्यन न करने से भारत को विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भी भारी हानि उठानी पड़ती।

(४) रुपये के अवमूल्यन से डालर क्षेत्र के देशों में भारत का निर्यात व्यापार बढ़ने तथा आयात व्यापार कम होने की आशा थी। यह भारत के विपरीत व्यापार संतुलन को कम करने में सहायक होती इसलिए अधिक लाभ के विचार से भी भारत सरकार ने अवमूल्यन का निश्चय किया।

(५) यदि भारत रुपये का अवमूल्यन न करता तो डालर क्षेत्र के देशों में उस अपनी वस्तुएँ बेचने के लिए राष्ट्रमंडल के अन्य देशों से प्रतियोगिता का मुकाबला करना पड़ता। इस प्रतियोगिता में भारत को हानि उठाने की सम्भावना थी क्योंकि भारतीय वस्तुएँ विदेशी बाजारों में महंगी बिकती।

रुपये के अवमूल्यन का भारतीय अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव—रुपये के अवमूल्यन का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि अमरीका से आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई। मुद्रा प्रसार के कारण वैसे ही भारत में कीमते अधिक थीं किन्तु रुपये के अवमूल्यन में उनमें और अधिक वृद्धि कर दी। वास्तव में अवमूल्यन से भारत की लाभ ही हुआ १९४६ तथा १९० के बीच डालर क्षेत्र से भारत का व्यापारिक घाटा ७१ करोड़ रुपये था। एक दो वर्ष के भीतर ही यह घाटा वचत में बदल गया। इस प्रकार डालर में भारत के विदेशी भुगतान की समस्या हल हो गई। इसका कारण यह था कि सरकार ने आयातों पर नियंत्रण कर दिया तथा निर्यातों को प्रोत्साहन मिला और व्यापारधिक्य भारत के अनुकूल हो गया। भारत इससे और अधिक लाभ उठा सकता था किन्तु इसी काल में खराब संकट के कारण भारत को अमरीका तथा कनाडा से भारी माना में गेहूँ आयात करना पड़ा जिसका भारत को अवमूल्यन के कारण अधिक मूल्य देना पड़ा।

रुपये के अवमूल्यन का भारत पाकिस्तान व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा। दोनों देशों के व्यापार सम्बन्ध खराब हो गये और कुछ समय के लिये व्यापार स्थगित कर देना पड़ा। इसका मुख्य कारण यह था कि पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया। इससे पाकिस्तानी वस्तुओं, मुख्य रूप से कच्ची लूट तथा कपास का भारत को अधिक मूल्य चुकाना पड़ा। पाकिस्तान का १ रुपया भारत के १ ४४ रुपये के बराबर हो गया। भारत ने इस दर को स्वीकार नहीं किया। बाद में जब मुद्रा कोष (I M F.) ने इस दर को स्वीकार कर लिया तो १९५१ में भारत

को पाकिस्तान से एक नया व्यापार सम्झौता करना पड़ा। भारत को पाकिस्तान की इस नीति के कारण करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ी। बाद को पाकिस्तान को भी अपने रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। पाकिस्तान का प्रथम निर्यात आर्थिक कारणों से नहीं बरन् राजनैतिक कारणों से लिया गया था।

रुपए के पुनर्मूल्यन का प्रश्न—कुछ विद्वानों का मत है कि जिन परिस्थितियों में रुपए का अवमूल्यन किया गया था वे इंग्लैंड के लिये लाभदायक सिद्ध हुईं। भारत ने उस समय इस नीति को अपनाकर भारी भूल की। जो भी हो अब समय आ गया है कि रुपए का पुनर्मूल्यन कर दिया जावे। कुछ विद्वान अब भी पुनर्मूल्यन के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए डालर की कमी को पूरा करने के लिए भारत को अपने निर्यातों को प्रोत्साहन देना है तथा आयात को कम करना है। ऐसी हालत में पुनर्मूल्यन का प्रश्न ही नहीं उठता। पुनर्मूल्यन के पक्ष तथा विपक्ष में जो तर्क पेश किये गये वे इस प्रकार हैं —

पुनर्मूल्यन के पक्ष में तर्क—रुपए के पुनर्मूल्यन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क पेश किये हैं :—

(१) भारत में आयात होने वाली मशीनों आदि का कम मूल्य चुकाना पड़ेगा। अन्य वस्तुओं के आयात पर सरकार पहले की भांति प्रतिबन्ध लगा सकती है। इस प्रकार आयातों के बढ़ जाने का कोई भय नहीं है।

(२) भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का देश को अधिक मूल्य प्राप्त होगा। भारत से निर्यात होने वाली अधिकांश वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी विदेशी मांग बेलोचदार है इसलिये पुनर्मूल्यन से निर्यात व्यापार के कम हो जाने का कोई भय नहीं है।

(३) देश के बढ़ते हुए मूल्य स्तर को कम करने का यही एक मात्र उपाय है। करो के भार तथा बड़े हुए मूल्यों से जनता पीड़ित है। पंचवर्षीय योजना के लिए पूंजी की आवश्यकता है किन्तु देश में पूंजी के संचय अथवा बचत का अभाव है। लोगों में बचाने की क्षमता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पुनर्मूल्यन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है।

(४) रुपये का अवमूल्यन विदेशी ऋणतान की स्थिति सुधारने के लिये किया गया था। अब पुनर्मूल्यन देश की आन्तरिक अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिये होना चाहिये।

पुनर्मूल्यन के विपक्ष में तर्क—रुपये के पुनर्मूल्यन के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क पेश किये जाते हैं —

(१) रुपये के पुनर्मूल्यन से भारत के आयात व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत के निर्यात कम हो जावेगे। भारत इस समय ऐसी स्थिति में से गुजर रहा है कि भारत को अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। भारत अपने निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देकर तथा आयात में कमी करके इस स्थिति का सामना करना चाहता है। ऐसी हालत में पुनर्मूल्यन की बात

तो सीधी भी नहीं जा सकती। यदि हो सके तो रुपये के और अधिक प्रवृत्तयन के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

(२) यदि अकेले भारत ने रुपये का पुनर्मूल्यन कर दिया तो डालर क्षेत्र के देशों में भारत स्टलिङ्ग क्षेत्र के देशों की प्रतियोगिता का मुकाबला नहीं कर सकेगा। भारत पुनर्मूल्यन के प्रश्न पर उसी समय विचार कर सकता है जब राष्ट्रमण्डल के अन्य देश भी इसके पक्ष में हों।

(३) भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री देशमुख के अनुमान के अनुसार पुनर्मूल्यन से भारत को विदेशी व्यापार में लगभग ६५ करोड़ रुपए तक का घाटा हो सकता है।

(४) पुनर्मूल्यन के लिए भारत को मुद्रा कोष (I. M. F.) की अनुमति लेनी होगी जो उसे किसी भी मूल्य में नहीं भिन्न सकती। भारत ने अपने विदेशी सतुलन को स्थिर रखने के लिये मुद्रा कोष से १००० लाख डालर का कर्ज ले रखा है जो अभी तक चुकाया नहीं गया है। भारत को और अधिक कर्ज की आवश्यकता है। ऐसी मूल्य में मुद्रा कोष कैसे भारत को पुनर्मूल्यन की आज्ञा दे सकता है?

पौंड पावने का भुगतान—पौंड पावने के भुगतान के सम्बन्ध में भारत तथा इंग्लैंड के बीच पहिला समझौता जनवरी सन् १९४७ में हुआ किन्तु कुछ दिन बाद इंग्लैंड तथा अमेरिका के बीच एक नया समझौता हो जाने के कारण भारत व इस समझौते का कोई उपयोगिता ही नहीं रह गई। ४ अगस्त सन् १९४७ को भारत तथा इंग्लैंड के बीच एक नया समझौता किया गया जिसके अनुसार पौंड पावने की रकम १५४७ पौंड निश्चित की गई। इस समझौते के आधीन दो खाते चालू किये गये। पहले खाते में ६५ करोड़ पौंड जमा किया गया जिसमें से भारत को यह अधिकतर था कि वह किसी भी देश से माल खरीद सकता था। दूसरे खाते में ११६ करोड़ पौंड जमा किये गये जिसमें से भारत केवल पूंजीगत माल (Capital Goods) ही खरीद सकता था। भारत ने दूसरे खाते में से ४० करोड़ रुपया चालू प्रन्तर के लिए तथा ४७ करोड़ रुपया विदेशी विनिमय प्राप्त के लिए प्रयोग किए।

जनवरी सन् १९४८ में एक दूसरा समझौता किया गया। इस समझौते के अनुसार भारत को अपने पौंड पावने में से २४ करोड़ रुपए और अधिक निकालने की अनुमति मिल गई। भारत इस समस्त धन राशि का प्रयोग नहीं कर सका क्योंकि भारत के पास उस समय तक कोई निश्चित आयात योजना नहीं थी।

जुलाई १९४८ में फिर एक समझौता हुआ जिसमें निम्नलिखित बातें तय हुईं:—

(१) भारत छोड़ने समय इंग्लैंड ने जो फौजी सामान भारत में छोड़ा था उसे भारत सरकार ने १३३३ करोड़ रुपये में खरीद लिया।

(२) स्वतन्त्रता के बाद भारत को अंग्रेज अफसरों की पेंशन तथा वेतन आदि के रूप में हरया देना था उस भारत सरकार ने एक साथ भुगतान कर दिया। इस मद में १९७ करोड़ रुपये भारत सरकार की ओर से तथा २७ करोड़ रुपये प्रान्तीय सरकारों की ओर से दिये गये। यह धन पौंड पावने में से कम कर दिया गया।

(३) पिछले समझौते के अनुसार भारत को पौंड पावनों में से जो धन लेना था उसका भारत ने प्रयोग नहीं किया था। वह उसे अत्र प्रयोग करने का अधिकार मिल गया। लगभग इतना ही धन भारत को अगले तीन वर्षों में अर्थात् ३० जून १९५१ तक व्यय करने का अधिकार मिल गया।

(४) यह भी तय हुआ कि भारत एक साल में दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से व्यापार के लिए २० करोड़ रुपये से अधिक व्यय नहीं कर सकता।

५) इससे पूर्व पौण्ड पावनों में से पाकिस्तान को १२६ करोड़ रुपये उसके हिस्से के दे दिये गये थे।

जुलाई सन् १९४९ में फिर से समझौता करने की आवश्यकता इंग्लैंड को अनुभव हुई यद्यपि पिछला समझौता १९५१ तक के लिये था। नये समझौते की आवश्यकता इस लिए अनुभव हुई कि इंग्लैंड डालर की कमी अनुभव कर रहा था और अपने बायदे को पूरा करने में असमर्थ था। भारत को यह अधिकार मिला कि विश्व बैंक से उधार लेकर अमेरिका से माल खरीद सकता है।

फरवरी सन् १९५२ में फिर एक समझौता हुआ। उस समय भारत के पौंड पावने केवल ७६१ करोड़ के मूल्य के रह गये थे। शेष राशि में से काफी धन ख ख सामग्री आयात करने में व्यय हो गया था। नया समझौता ३० जून सन् १९५७ तक के लिये था। इसके अनुसार भारत को प्रतिवर्ष ३५ करोड़ पौंड मिलना था। इसके अतिरिक्त खाता न० १ में ३१ करोड़ पौंड की रकम जमा की गई जिसका प्रयोग सकट काल में भारत ब्रिटिश सरकार की अनुमति से कर सकता है।

पंचवर्षीय योजनाओं के लिए तेजी से पौंड पावनों का प्रयोग किया जा रहा है मई १९५७ तक केवल ५०० करोड़ रुपये के मूल्य के पौंड पावन शेष रह गये हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह राशि समाप्त हो जाने की आशा है।

रिजर्व बैंक तथा इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण

रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की माग बहुत दिनों से चली आ रही थी किन्तु सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरे महायुद्ध के बाद यह माग और भी तीव्र हो गई। भारत स्वतन्त्र हो जाने के बाद सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और १ जनवरी सन् १९४९ को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर प्रथम कदम था।

१९४५ में सरकार ने इम्पीरियल बैंक का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India) के नाम से स्थापित किया गया है। स्टेट बैंक का मुख्य कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संगठन करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साल सुविधाओं का विस्तार करना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे महायुद्ध के बाद का काल भारतीय चलन प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

प्रश्न ९९—भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली क्या है? १९५६ तथा १९५७ के रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियमों का इस पर क्या प्रभाव पड़ा।

What is the present Monetary System in India ? What has been the influence of the Reserve Bank of India (Amendment) Act 1956 & 57 on it ?

उत्तर — किसी देश की मुद्रा प्रणाली के घन्तर्गत हम दोनों बातों को शामिल करते हैं। एक तो यह कि देश की आन्तरिक मुद्रा व्यवस्था किस चीज पर आधारित है दूसरे यह न्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की मुद्रा का मूल्य अर्थात् विनिमय की दर किस प्रकार निर्धारित होती है। इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली का अध्ययन करेंगे। जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विनिमय की दर के निर्धारण का प्रश्न है हमें यह बात ज्ञात है कि भारतीय मुद्रा का स्टैलिंग से सम्बन्ध टूट चुका है। अब भारत में स्टैलिंग विनिमय मान नहीं है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) का सदस्य है। मुद्रा कोष के नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा का मूल्य सोने की एक निश्चित मात्रा के मूल्य के रूप में घोषित करना पड़ता है। उसी के अनुसार प्रत्येक मुद्रा की एक दूसरे से विनिमय की दर निर्धारित हो जाती है। इस दर में थोड़ी मात्रा में तो परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु अधिक परिवर्तन के लिए मुद्रा कोष की अनुमति लेना आवश्यक है। इंग्लैंड तथा भारत आदि देशों ने १९४६ में जब अपनी मुद्राओं का प्रथममूल्यन किया था तो उससे पूर्व मुद्रा कोष (IMF) की अनुमति प्राप्त कर ली थी। मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे की रकम सोने तथा अपनी मुद्रा के रूप में कोष के पास जमा करनी पड़ती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विनिमय दर मुद्रा कोष द्वारा नियन्त्रित रहती है जिसका सम्बन्ध परोक्ष रूप से स्वर्ण से रहता है। हम कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय की सुगमता के लिये परोक्ष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान स्थापित हो गया है और भारत भी इसका एक सदस्य है।

भारत की आन्तरिक मुद्रा व्यवस्था अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा पर आधारित है। दूसरे शब्दों में भारत में पत्र मुद्रा मान (Paper Standard) है तथा पत्र मुद्रा किसी धातु (स्वर्ण अथवा चादी) में परिवर्तनशील नहीं है। भारत में दूसरे महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक चादी के सिक्कों का चलन था तथा कागज के चादी के सिक्कों के परिवर्तन की मांग इतनी अधिक बढ़ गई कि सरकार को मजबूर होकर १ रुपये के मूल्य के नोट चालू करने पड़े। धीरे-धीरे चादी के सिक्कों का चलन पूरी तरह बन्द हो गया। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारा भारत को प्रधान मुद्रा है किन्तु रुपये का जो सिक्का बनाया जाता है उसमें चादी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। दूसरी ओर १ रु० के मूल्य के कागज के नोट ही चलने में देखने को मिलते हैं जिनका निर्गम भारत सरकार के वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा होता है।

भारतीय पत्र मुद्रा

भारत में कागज के नोटों का चलन बहुत दिनों से होता आ रहा है। १९३६ में जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो नोटों के निर्गम का अधिकार रिजर्व बैंक को

दे दिया गया तथा सरकार द्वारा इन नोटों की परिवर्तनशीलता की गारन्टी दी गई। यह नोट अससीमित विधि ग्राह्य (Unlimited legal tender) होते हैं। पन मुद्रा के निर्गम (Issue) के लिए रिजर्व बैंक के दो विभाग खोले गये हैं —

(१) निर्गम विभाग (Issuc Department)— जो नोटों को छापने तथा उनके निर्गम के लिए उत्तरदायी है।

(२) अधिकेयण विभाग (Banking Department)— जो मुद्रा सम्बन्धी नीति की सफलता के लिये देश के अन्य बैंकों को सहायता प्रदान करता तथा साख पर नियन्त्रण करता है।

उपरोक्त दोनों विभाग एक दूसरे से पृथक हैं तथा उनके कार्य क्षेत्र भी एक दूसरे से भिन्न हैं।

१९३४ के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम (Reserve Bank of India Act) के अनुसार जिसमें १९४८ में कुछ संशोधन कर दिए गए थे, निर्गम विभाग के लिये यह आवश्यक था कि यह जितने भी नोट छापे उसका ५०% सुरक्षित निधि के रूप में अपने पास रखे। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भारत में नोट छापने की अनुपातिक कोप प्रणाली (Proportional Deposit Method) का चलन था। इस प्रणाली के अनुसार नोटों की कुल मात्रा का ४० प्रतिशत जो सुरक्षित कोप के रूप में रखा जाता था उसका कुछ भाग सोने अथवा सोने के सिक्कों के रूप में कुछ भाग विदेशी प्रतिभूतियाँ (Foreign Securities) के रूप में होना चाहिये था। कोप के लिए चादी के सिक्के, भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ Govt of India Securities), स्वीकृत विनिमय विपत्र (Authorized Bills of Exchange) तथा स्वीकृत प्रतिज्ञा पत्रों (Authorized Promissory Notes) को आड के रूप में रखा जा सकता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में यह बात स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी गई थी कि ४० प्रतिशत सोने के सिक्कों तथा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य तो है ही किन्तु इसमें से कम से कम ४० करोड़ रु० के मूल्य का सोना अथवा सोने के सिक्कों का होना अनिवार्य है। १९४८ के संशोधन से पूर्व विदेशी प्रतिभूतियों का अर्थ केवल स्टर्लिंग प्रतिभूतियों (Sterling Securities) से ही लगाया जाता था क्योंकि वे सोने के ही समान सुरक्षित मानी जाती थी। युद्ध के दिनों में जो मुद्रा द्रमर हुआ उसके पीछे स्टर्लिंग प्रतिभूतियों की ही आड में रखी गई थी।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में यह भी व्यवस्था की कि भारत सरकार की जो प्रतिभूतियाँ आड के लिये रखी जाएँ उनका मूल्य ५० करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिये। विशेष परिस्थितियों में भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति को पूर्व स्वीकृति से इस मात्रा में १० करोड़ रु० की वृद्धि की जा सकती थी।

जहाँ तक विनिमय विपत्रों (Bills of Exchange) तथा प्रतिज्ञा पत्रों (Promissory Notes) का प्रश्न था, रिजर्व बैंक केवल उन्हीं विपत्रों तथा प्रतिज्ञापत्रों को खरीद सकता था जिन पर किसी अनुसूचित बैंक (Scheduled

Bank) की गारन्टी हो और कम से कम एक आदरणीय पक्ष के हस्ताक्षर हों।

उपरोक्त नियमों में कुछ छूट देने की भी व्यवस्था की किन्तु वह नभी सम्भव था जब निम्नलिखित नियमों का पालन किया जावे —

(१) राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति प्राप्त करना।

(२) केवल ३० दिन के नियमों को ढोला करना जो अर्थात् राष्ट्रपति की आज्ञा से १५ दिन की ओर बढ़ाई जा सकती थी।

(३) नियत निर्गम की मात्रा से ऊपर जितना भी निर्गम किया जाता था उस पर रिजर्व बैंक को एक प्रकार का कर देना पड़ता था जिसकी दर निर्गम की मात्रा में वृद्धि के साथ २ बढ़ती जाती थी।

उपरोक्त व्यवस्था इसलिये की गई थी कि देश में अत्यधिक मुद्रा प्रसार न होने पावे अर्थात् रिजर्व बैंक के नोट छापने के अधिकारों पर समुचित नियन्त्रण रखा जा सके साथ ही मुद्रा प्रणाली लोचदार बनी रहे।

नोट छापने की नवीन प्रणाली अर्थात् १९५६ का सशोधन—भारत में पत्र मुद्रा के निर्गम की जिस प्रणाली का उल्लेख ऊपर किया गया है उसमें १९५६ में मूल परिवर्तन कर दिए गये हैं। अब भारत में अनुवातिक कोष प्रणाली (Propotional Deposit Method) के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Deposit Method) को अपना लिया गया है। इस नवीन परिवर्तन को करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम में १९५६ में आवश्यक सशोधन कर दिए हैं। इस परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई कि सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता थी। सब मुर्माकिन साधनों को खोज लेने के बाद भी लगभग १२०० करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया। इस कमी को पूरा करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing) की शरण लेने का निश्चय किया गया जिसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह होता है कि सरकार अधिक मात्रा में नोट छापकर अथवा मुद्रा प्रसार करके इसे पूरा करना चाहती थी। इतनी बड़ी मात्रा में पत्र मुद्रा का निर्गम करने के लिए रिजर्व बैंक अधिनियम में सशोधन करना आवश्यक था। इसके दो कारण थे। प्रथम तो यह कि वर्तमान नियमों के अनुसार रिजर्व बैंक को कुल नोटों का ४० प्रतिशत मात्रा अथवा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता जबकि इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी प्रतिभूतियाँ एकत्र करना संभव न था। दूसरे १२०० करोड़ रुपये का निर्गम से मुद्रा प्रसार का भय था जिसकी रोकथाम के लिये कड़े साख नियन्त्रण (Credit Control) की आवश्यकता पड़ती। इसलिये यह भी आवश्यक हो गया कि साख नियन्त्रण के लिये रिजर्व बैंक को और अधिक अधिकार प्रदान किये जायें।

इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुये १९५६ में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (सशोधन) अधिनियम [Reserve Bank of India (Amendment) Act] पास किया गया। इस अधिनियम में निम्नलिखित बातों की व्यवस्था है—

(१) अब रिजर्व बैंक को नोट छापते समय ४० प्रतिशत सुरक्षित कोप रखने की आवश्यकता नहीं है। अब कम से कम ४०० करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ आड के रूप में रखना अनिवार्य है। यह निधि घटाकर ३०० करोड़ रुपये भी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार दण्ड के रूप में कोई कर वसूल नहीं कर सकती।

(२) निर्गम विभाग (Issue Department) को सोने अथवा सोने के सिक्कों के रूप में कम से कम ११५ करोड़ रुपये के मूल्य का सोना अवश्य रखना चाहिए।

उपरोक्त न्यूनतम मात्रा (Minimum Quantity) में सुरक्षित कोप की आड रखकर रिजर्व बैंक जितने भी चाहे नोट छाप सकता है। इस प्रकार अब रिजर्व बैंक को मुद्रा प्रसार की अधिक स्वतन्त्रता मिल गई है।

हम ऊपर कह चुके हैं कि रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग को अब ११५ करोड़ रुपये के मूल्य का सोना रखना अनिवार्य है जबकि पहिले केवल ४० करोड़ का सोना ही काफी था। शेष मूल्य का सोना कहा से प्राप्त किया जाय इस प्रश्न का उत्तर सशोधित अधिनियम में ही दे दिया गया है; पहिले जो ४० करोड़ रुपये के मूल्य का सोना रखा जाता था उसका मूल्य २१ रु० १३ आने १० पाई प्रति तोले की दर से लगाया जाता था जबकि अब सोने का मूल्य काफी बढ़ गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप ने सोने का मूल्य ६२ रु० ८ आने प्रति तोला निर्धारित किया है। इसी दर पर यदि रिजर्व बैंक के कोप में रखे हुये सोने का मूल्य लगाया जाय तो वह ४० करोड़ से बढ़कर ११५ करोड़ हो जाता है। इसलिए और अधिक सोना खरीदने के आवश्यकता नहीं है। सशोधन अधिनियम में रिजर्व बैंक को साख नियन्त्रण के विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि घाटे की वित्त व्यवस्था से जो मुद्रा प्रसार हो उसका सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सके।

रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंक को यह आदेश दे सकता है कि वे अधिक अनुपात में रुपया रिजर्व बैंक के पास जमा करें। अभी तक प्रत्येक अनुसूचित बैंक ने अपनी मांग देनदारी अथवा चालू खाते में जमा धन (Demand Liability or Current Deposits) का ५ प्रतिशत और समय देनदारी (Time Liability or Fixed Deposits) का २ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता था। अब नये अधिनियम के अनुसार अनुसूचित बैंकों को अपनी मांग देनदारी (Demand Liability) का ५ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक तथा समय देनदारी (Time Liability) का ० प्रतिशत से ८ प्रतिशत तक रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ सकता है। इससे उनकी साख उत्पन्न करने की शक्ति कम हो जावेगी।

इस प्रकार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम के सशोधन से भारतीय नोट निर्गम प्रणाली में मूल परिवर्तन हो गया है सोने के मूल्यांकन का आधार बदल गया है और साख नियन्त्रण के लिए रिजर्व बैंक को विशेष अधिकार प्राप्त हो गए हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम में अक्टूबर १९५७ में फिर संशोधन किया गया है जिसके अनुसार विदेशी प्रतिभूतियों को न्यूनतम मात्रा घटाकर— २०० कराड रुपये कर दी गई है। यह इसलिए किया गया है कि भारत को दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिए विदेशी मुद्रा की कमी अनुभव हो रही थी। अब रिजर्व बैंक के पास जो विदेशी प्रतिभूतियाँ सुरक्षित कोष में रखी हुई हैं उनका प्रयोग पंच वर्षीय योजना के लिये आवश्यक सामान आयात करने के लिए किया जा सकेगा। इस नीति के अपनाने से पूर्व सरकार को काफी सोच विचार करना पड़ा क्योंकि इस प्रश्न पर विशेषज्ञों के विचारों में मत भेद था। कुछ विशेषज्ञ जिन में डाक्टर बी० के० आर० वी० राव भी हैं इस नीति के समर्थक हैं। उनके विचार में इसका कोई हानिकारक परिणाम निकलने की आशंका नहीं है। वह केवल एक अस्थायी कदम है। योजना पूरी होने ही पुरानी व्यवस्था पर वापिस जाया जा सकता है। कुछ विद्वान इस नीति को देश के लिए घातक समझते हैं। उनके विचार में यह आर्थिक दिवालियापन का संकेत मान है और इस नीति को अपनाकर सरकार ने एक खतरनाक कदम उठाया है।

प्रधान मंत्री नेहरू के मतानुसार भारत हर प्रकार का त्याग तथा जोखिम सहन कर सकता है किन्तु इस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने का पूरा प्रयत्न किया जावेगा। देश का भविष्य इसी योजना की सफलता पर निर्भर है।

इस प्रकार भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली में पत्र मुद्रा का मुख्य स्थान है। देश में १ रुपये तथा २ रुपये के नोट भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा तथा ५, १०, १०० तथा १००० के नोटों का निर्माण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। १००० रुपये का नोट कुछ सालों के लिये बन्द कर दिया गया था किन्तु अब फिर नये रूप में चालू किया गया है।

प्रश्न १००—दशमिक मुद्रा प्रणाली से आप क्या समझते हैं। भारत को इस प्रणाली के लागू करने से क्या लाभ होंगे ?

✓ what do you understand by the Decimal system of coinage. How will India be benefitted by adopting it ?

दशमिक प्रणाली—यह सतार में सबसे सरल मुद्रा प्रणाली मानी जाती है। इसके अनुसार देश की प्रधान मुद्रा को १०० अथवा १० से विभाजित होने वाले छोटे सिक्कों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिये रुपया भारत की प्रधान मुद्रा है। अभी तक इसे १६ आनों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक आने में १२ पाई अथवा ४ पैसे होते थे। इस प्रकार एक रुपये में १६२ पाई अथवा ६४ पैसे होते थे। दशमिक प्रणाली में केवल दो इकाईया ही होती हैं अर्थात् प्रधान सिक्का या रुपया और उसका १०० वा भाग अथवा एक नया पैंसा। रुपये और नये पैसे के बीच कोई दूसरी इकाई आने पाई के रूप में नहीं होती। वैसे तो चलन की सुविधा के लिये २, ५, १०, २५ तथा ५० नये पैसे के सिक्के भी बनाये गये हैं किन्तु हिसाब किताब के लिए केवल रुपया तथा नया पैंसा नाम की ही दो इकाईया

मानी जावेगी। दूसरे शब्दों में नया पैसा भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई है। इसका नाम नया पैसा इसलिए रखा गया है कि तीन साल तक नये तथा पुराने सिक्के एक साथ चले गे जिनके मूल्य में भिन्नता होगी। पुराने पैसे का मूल्य नये पैसे के मूल्य से अधिक है। जनता के भ्रम को दूर करने के लिये नये सिक्के का नाम नया पैसा रखा गया है। जब पुराने सिक्के का चलन बन्द हो जायेगा तब पैस के आगे से नया शब्द उड़ा दिया जावेगा।

दशमिक मुद्रा प्रणाली अपनाने वाला भारत प्रथम देश नहीं है। ससार के लगभग सभी प्रगतिशील देशों ने इस प्रणाली को अपनाया हुआ है। इस समय ससार में लगभग १४० देशों की अपनी मुद्राएँ हैं जिनमें से १०५ ने दशमिक प्रणाली को अपनाया हुआ है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सर्व प्रथम अमेरिका ने १७८६ तथा ७६ में दशमिक प्रणाली को अपनाया और डालर को मुद्रा की इकाई तथा सेन्ट को उसका १०० वा भाग माना। १७२६ तथा १८०३ में फ्रांस ने इसे अपनाया। १८६५ में लैटिन सघ के देशों ने इसे अपनाया। अन्य प्रमुख देशों ने इसे जिस समय अपनाया है उनके नाम इस प्रकार हैं —

जर्मनी	१८७३
डेनमार्क	१८७५
नार्वे	१८७५
स्वीडन	१८७५
आइलैंड	१८७५
आस्ट्रिया	१८७०
हंगरी	१८७० तथा १८६२
रूस	८३६ तथा १८६७
लैटिन अमेरिकन देश	१८७१
जापान	१८७१
भारत	१९५७

भारत में दशमिक प्रणाली की आवश्यकता

भारत में दशमिक सिक्के चालू करने के प्रश्न पर सर्व प्रथम १८६७ में विशेषज्ञों ने अपनी आवाज उठाई थी। उसी समय सरकार ने इस प्रश्न पर काफी विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि धीरे धीरे भारत में यह प्रणाली लागू होनी चाहिए। १८७१ में इस विषय पर एक कानून भी बनाया गया परन्तु अनेक कारणों से वह लागू नहीं हो सका।

१९४६ में भारतीय विज्ञान कांग्रेस (Indian Science Congress) ने इस प्रश्न पर विचार किया और भारतीय विज्ञान कांग्रेस के ३४वें अधिवेशन में निर्वाचित अध्यक्ष श्री जवाहर लाल नेहरू तथा भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्राफेसर अफजल हुसैन ने एक संयुक्त पत्रव्यव प्रकाशित किया था जिसके

अनुसार "भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन कई सालों से सिक्को तथा नाप तोल के पैमानों का दशमिकीकरण करने का समर्थन करता आया है। जनवरी १९४६ में बंगलौर में विज्ञान कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें सदस्यों की साधारण सभा ने सर्वे सम्मति से दशमिकीकरण के पक्ष में राय दी। विज्ञान कांग्रेस इस बात पर सतोष प्रकट करती है कि भारतीय मुद्रा के दशमिकीकरण के बारे में एक विशेषक विधान सभा में पेश किया गया है।"

उसी वर्ष केन्द्रीय विधान सभा में भी सिक्को के दशमिकीकरण करने के बारे में एक बिल पेश किया गया किन्तु उस पर विचार नहीं हो सका।

भारत सरकार ने तोल और नाप के पैमानों के दशमिकीकरण के बारे में एक विशेष समिति नियुक्त की थी जिसकी रिपोर्ट १९४६ में सरकार के सामने पेश हुई। इस रिपोर्ट में सिक्को के दशमिकीकरण के बारे में निम्नलिखित विचार प्रकट किया गया था।

समिति यह अनुभव करती है कि नाप तोल की दशमिक प्रणाली अपनाने से पहले दशमिक मुद्रा चालू करना अधिक लाभदायक होगा। इसलिये समिति यह सिफारिश करती है कि भारत की अन्त कालीन सरकार के दशमिक मुद्रा अपनाने के निर्णय को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाये। समिति यह भी सिफारिश करती है कि नये सिक्को के आकार और वजन में तथा नाप और तोल की दशमिक प्रणाली में आपसी सन्ध हो, ताकि जनता को इन नये सिक्को तथा नाप और तोल के पैमानों से परिचित होने में सुविधा हो।"

उस समय से अतन्त्र बराबर इन प्रणाली के प्रस्ताव जाने के पक्ष में होता गया और १९५५ में भारत सरकार ने इन विषय पर एक बिल सदन में पेश किया। सितम्बर १९५५ में यह बिल एक कानून के रूप में पास कर दिया गया। इन कानून के अनुसार भारत सरकार को देश में दशमिक मुद्रा प्रणाली लागू करने का अधिकार मिल गया। सरकार ने १ अप्रैल १९५७ से दशमिक सिक्को को सारे देश में लागू कर दिया है।

दशमिक सिक्को को चालू करने से पूर्व सरकार ने योजना आयोग (Planning Commission) राज्य सरकारों रिजर्व बैंक, उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा वाणिज्य-मण्डलों (Chambers of Commerce) से भी परामर्श कर लिया था और उनकी राय पर पूरी तरह ध्यान दिया गया है।

हमारे नए सिक्के

जैसा कि ऊपर कहा गया है नई मुद्रा प्रणाली में भारतीय रुपये को १०० इकाईयों में बाटा गया है। रुपये के १०० वें भाग को १ नया पैसा कहते हैं। १ नए पैसे के अतिरिक्त २ ५ ०, ० तथा ५० नए पैसे के सिक्के भी होंगे। सरकार ने २, ५ तथा १० नये पैसे के सिक्के तो चालू कर दिए हैं किन्तु २५, ५० तथा १०० नये पैसे (अर्थात् रुपये) का नया सिक्का अभी चालू नहीं किया है।

वर्तमान चवन्नी, अठन्नी तथा रुपया ही २५, ५० और १०० नये पैसे के सिक्को के स्थान पर प्रयोग होंगे। इसका कारण यह है कि सम्स्त देश में नए सिक्के चालू करने के लिए भारी सख्या में सिक्के ढालने की आवश्यकता है। भारत की वर्तमान टकसाले इतने कम समय में पर्याप्त मात्रा में सिक्को की ढलाई नहीं कर सकती इसलिये केवल छोटे मूल्य के सिक्के ही बनाये जा रहे हैं। चवन्नी, अठन्नी तथा रुपए का मूल्य पहले १६ पैसे, ३२ पैसे तथा ६४ पैसे था किन्तु अब २५, ५० तथा १०० नये पैसे हैं।

नये सिक्को के आकार, वजन तथा धातु रचना का व्यौरा इस प्रकार है—

एक नया पैसा—यह कासे वा बना सिक्का है जिसका आकार गोल है। इसका व्यास १६ मिलिमीटर तथा भार १.५ ग्राम है। इसकी सीधी तरफ तीन शेर वाली छाप है तथा अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में India व भारत लिखा हुआ है। इसकी उल्टी तरफ 'रुपये का सोवा भाग / नया पैसा' हिन्दी में लिखा हुआ है। इसके चालू होने की वर्ष अर्थात् १९५७ भी अंकित है।

२ नये पैसे:— यह सिक्का तांबा और गिल्ट को मिलाकर बनाया गया है। इसका आकार ८ वक्र किनारेदार हैं तथा भार ३ ग्राम है। इसका व्यास १८ मिली-मीटर तथा दोनों तरफ के दाने (Beads) ५६ हैं। सिक्के के सीधी तरफ तथा उल्टी तरफ की डिजाइन १ नये पैसे जैसी ही है। अन्तर केवल इतना है कि इसमें उल्टी तरफ रुपये का ५० वा भाग ० नये पैसे लिखा हुआ है।

५ नये पैसे :— यह सिक्का भी तांबा और गिल्ट को मिलाकर बनाया गया है। यह वर्गाकार है किन्तु इसके किनारे गोल हैं। इसका व्यास २२ मिलीमीटर तथा भार ४ ग्राम है। दोनों तरफ के दानों की सख्या ४४ है।

१० नये पैसे—यह सिक्का भी तांबा और गिल्ट को मिलाकर बनाया गया है। इसका आकार घाठ वक्र किनारेदार है। इसका व्यास २३ मिलीमीटर तथा वजन ५ ग्राम है। दोनों तरफ के दानों की सख्या ५६ है।

२५ नये पैसे—यह सिक्का अभी चालू नहीं हुआ है। यह शुद्ध गिल्ट का बना हुआ होगा। इसका आकार गोल, दोनों तरफ के दानों की सख्या ०, व्यास १६ मिलिमीटर, वजन २.५ ग्राम तथा किनारों के दानों (serrations) की सख्या १०० होगी।

५० नये पैसे :— यह सिक्का भी अभी चालू नहीं हुआ है। यह भी शुद्ध गिल्ट का होगा। इसका आकार गोल, दोनों तरफ के दानों की सख्या ५०, व्यास २४ मिलीमीटर, वजन ५ ग्राम तथा किनारों के दानों की सख्या ८० होगी।

१ रुपया अथवा ८० नये पैसे—यह सिक्का भी अभी चालू नहीं हुआ है। यह भी शुद्ध गिल्ट का होगा। इसका वजन दस ग्राम, आकार गोल, व्यास २८ मिलिमीटर, दोनों तरफ के दाने ५० तथा किनारों के दानों की सख्या २०० होगी।

नये और पुराने सिक्को का आपसी सम्बन्ध — वर्तमान दुप्रन्नी, इकन्नी, अषन्ने और पैसे के मूल्य के बराबर वाले सिक्के नहीं बनाए गए हैं। उनकी जगह १०, ५, २ तथा १ नये पैसे के सिक्के चालू किए गए हैं। पुराने सिक्को का नये सिक्को में मूल्य जानने के लिए परिवर्तन तालिकाएँ छाप दी गई हैं। परिवर्तन करते समय मूल्य में जो थोड़ा बहुत अन्तर आता है उसे पूरी इकाई में बदल दिया गया है। इस प्रकार या तो लेनदार को या देनदार को थोड़ी बहुत हानि उठानी पड़ती है। यह समस्या केवल उसी समय तक रहेगी जब तक पुराने तथा नये दोनों प्रकार के सिक्कों का चलन देश में रहेगा।

भारतीय टकसालें :—भारत में सिक्के ढालने की कई टकसालें हैं। इनमें से एक अलीपुर (कलकत्ता) में दूसरी बम्बई में, तीसरी मद्रास में तथा चौथी छोटी टकसाल हैदराबाद में है। अलीपुर की टकसाल प्राधुनिकतम तथा सबसे बड़ी है। यह १९५२ में स्थापित की गई है। इससे पूर्व भी कलकत्ता में एक टकसाल थी जिसका काम अब नई टकसाल में ही होता है।

हमारे नये सिक्के अलीपुर बम्बई तथा हैदराबाद की टकसालों में ढाले जा रहे हैं। आधा है एक दो साल में पर्याप्त मात्रा में नये सिक्के चलन में आ जावेंगे।

दशमिक मुद्रा प्रणाली से भारत को लाभ - दशमिक मुद्रा प्रणाली को अपनाते से भारत को बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। इनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं —

(१) हिसाब किताब की सुविधा — दशमिक मुद्रा प्रणाली से हिसाब किताब के कामों में बड़ी आसानी हो गई है। अब केवल दशमलव (Decimal) बिन्दु को आगे पीछे करने से बड़ी २ सख्याओं का गुणा म.ग आसानी से होने लगा है। रुपये आने पाई वाली प्रणाली इस दृष्टि से काफी जटिल थी। गणित की शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी बच्चों को हिसाब किताब सीखने में आसानी होगी।

(२) हिसाब किताब की मशीनों का प्रयोग — अभी तक भारत में हिसाब किताब लगाने वाली मशीनों का प्रयोग बड़ी सख्या में नहीं होता है। किन्तु भारत औद्योगिक प्रगति के युग में प्रवेश कर रहा है। अगले १० या १५ वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं के कारण भारत की अर्थ व्यवस्था काफी जटिल हो जावेगी। देश के औद्योगिक विकास के साथ साथ हिसाब किताब की मशीनों का लाखों की सख्या में प्रयोग होगा। अभी भारत में इन मशीनों का निर्माण नहीं हो रहा है किन्तु आगे चलकर होगा। इसलिये मुद्रा सुधार का यही सबसे उपयुक्त समय है। अब दशमिक प्रणाली पर आधारित मशीनों का ही निर्माण किया जावेगा क्योंकि यह कार्य सरल है।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग — ससार के अधिकांश देश इसी प्रणाली को अपनाते हुये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में आपसी लेन देन के समय हिसाब किताब में बड़ी असुविधा होती है। भारत द्वारा इस प्रणाली को अपनाए जाने से अब विदेशी

विनिमय में सुगमता होगी तथा आपसी सहयोग बढ़ेगा ।

(४) नाप तथा वजन के पैमानों में सुधार—भारत में काफी समय से नाप तथा वजन के पैमानों में भी सुधार की आवश्यकता अनुभव की जा रही है । यह सुधार उम्र समय तक अधूरे रहेंगे जब तक मुद्रा सम्बन्धी सुधार पूरे न हो जायें तथा जनता उनसे भली भाँति परिचित न हो जावे । सरकार ने इसी उद्देश्य से दशमिक मुद्रा प्रणाली को पहिले लागू किया है । अब शीघ्र ही नाप तथा वजन के पैमानों में भी सुधार होने वाला है । इससे सम्बन्धित अधिनियम भी पस हो चुका है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दशमिक मुद्रा प्रणाली के लागू होने से भारत को बहुत से लाभ होंगे । कुछ काल तक एक पद्धति के न्याय पर दूसरी पद्धति के परिवर्तन से देश की जनता को (विशेषकर ग्रामीण जनता को) कुछ असुविधा अनुभव होना स्वाभाविक ही है क्योंकि बहुत काल से पुरानी प्रणाली में परिचित चले आ रहे हैं और यह उनके लिए एक नई चीज है किन्तु यह असुविधा तथा कठिनाइयाँ एक दो साल के भीतर ही दूर हो जावेगी । जब नये वजन व नाप के पैमाने लागू हो जावेगे तो कार्य और भी सरल हो जावेगा ।

अध्याय २५

भारतीय बैंकिंग प्रणाली

प्रश्न १०१—भारतीय बैंकिंग प्रणाली के मुख्य दोष क्या हैं ? रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दूर करने में क्या सहायता मिली है ? इसे मजबूत बनाने के लिए अपने सुझाव दीजिए ।
(दिल्ली ५४, पलाघ ५६, बम्बई ५३)

What are the main defects of Indian Banking system ? How far the Reserve Bank of India has succeeded in removing them ? Suggest remedies
(Delhi 54, Punjab 53, Bombay 53)

उत्तर—भारतीय बैंकिंग प्रणाली को दो अंगों में विभाजित किया जाता है । प्रथम अंग के अन्तर्गत प्राधुनिक बैंकिंग संस्थाएँ आती हैं जिनमें व्यापारिक बैंक, विनिमय बैंक, औद्योगिक बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया आदि शामिल हैं । दूसरे अंग के अन्तर्गत देशी बैंक आदि शामिल हैं । भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विभिन्न अंगों का समुचित तथा सुसंगठित विकास नहीं हुआ । इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं —

अर्द्ध विकसित बैंकिंग प्रणाली—जिस प्रकार भारतीय अर्थ व्यवस्था का पूर्ण विकास नहीं हुआ है उसी प्रकार भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विभिन्न अंगों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है । भारत की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल को देखते हुये देश में बैंकों की संख्या बहुत कम है । यदि हम अन्य देशों से भारत की तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि बैंकिंग सुविधाओं के विकास में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है । निम्नलिखित आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है :—

देश	(प्रति दस लाख व्यक्ति बैंक शाखाओं की संख्या)
ऑस्ट्रेलिया	४५०
कनाडा	२५६
इंग्लैण्ड	२२६
भारत	१५५

यह आंकड़े १९४६ के वर्ष से सम्बन्ध रखते हैं ।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अर्द्ध विकसित होने का मुख्य कारण यह है कि अभी तक भारत में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है । कृषि व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति एक जैसी ही है । भारत की प्रतिव्यक्ति आय केवल २६६ रुपये है जबकि इंग्लैण्ड में ४३५१ रुपये तथा अमेरिका में ६४१० रुपये हैं । जिस देश में

प्रति व्यक्ति प्राय इतनी कम हो वहाँ के लोग न तो पूँजी का संचय कर सकते हैं और न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

1 भारतीय जनता में बैंकिंग की आदत (Banking Habits) की कमी है— भारतीय बैंकिंग प्रणाली के पिछड़े हुए होने का एक कारण यह भी है कि भारतीय जनता पूरी तरह शिक्षित नहीं है। लोगों में बैंकिंग की आदतों का उदय नहीं हुआ है। लोग बैंक में रुपया जमा करने में सकोच करते हैं। चूँकि अथवा साख पत्रों के प्रयोग की आदतों का भी विकास नहीं हुआ। अशिक्षित होने के कारण बैंक की काय प्रणाली भी एक साधारण व्यक्ति की समझ में आसानी से नहीं आती। कुछ लोग अपनी धन दौलत को गुप्त रखना चाहते हैं और बैंक में रुपया इसलिए जमा नहीं करते कि उन्हें प्रायकर विभाग का भय रहता है।

2 देश के विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों का असमान वितरण— भारत एक विशाल देश है। कुछ भाग आर्थिक दृष्टि से काफी विकसित हो चुके हैं। ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का भी विश्वास हुआ है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो औद्योगिक तथा वाणिज्य के क्षेत्र में अशिक्षित अथवा कम विकसित हैं। इन स्थानों में बैंकिंग का विकास भी बहुत कम हुआ है। हम देखते हैं कि कुछ स्थानों पर तो अनेक बैंकों की शाखाएँ स्थापित की गई हैं और कुछ स्थानों पर एक भी बैंक की शाखा नहीं है।

भारतीय जनता अधिकतर ग्रामीणों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में तथा छोटे कस्बों में जो भी बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध हैं वे या तो देशी बैंकसँ अर्थात् महाजनो और साहूकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं या सहकारी साख संस्थाओं द्वारा। दुर्भाग्य यह है कि आधुनिक बैंकों तथा देशी व सहकारी बैंकों के बीच किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं पाया जाता। दूसरे यह सहकारी साख समितियों तथा महाजन स्वयं अनेक शोषण तथा कमियों के शिकार हैं।

3 असन्तुलित बैंकिंग प्रणाली— जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कई प्रकार की बैंकिंग संस्थाएँ शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक का समान विकास नहीं हुआ है। इससे सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली में असन्तुलन पाया जाता है जो देश के सर्वमुँची आर्थिक विकास में बाधक हुआ है। देश में अधिकांश बैंक मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बैंक हैं। यह बैंक प्रमुख नगरों तथा व्यापार केन्द्रों में कार्य करते हैं और मुख्य रूप से व्यापार तथा वाणिज्य को साख की सुविधाएँ प्रदान करते हैं। देश के औद्योगिक विकास के लिये औद्योगिक बैंक (Industrial Banks) की आवश्यकता होती है जिनका भारत में पूरी तरह अभाव रहा है। 1९४८ में भारत सरकार के प्रयत्नों से औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Corporation) की स्थापना हुई थी। यह औद्योगिक विकास के लिये साख प्रदान करने वाली प्रथम संस्था थी। पिछले एक दो वर्षों में इस प्रकार की कई अन्य संस्थाओं की भी स्थापना की गई है। किन्तु देश की आवश्यकताओं को देखते हुए यह सुविधाएँ आज भी अपर्याप्त हैं। यही स्थिति कृषि बैंकों की भी है। कृषि भारतीय जनता का मुख्य

व्यवसाय है किन्तु कृषि साख प्रदान करने वाले प्राधुनिक बैंकों का भारत में पूर्ण अभाव है। इस कमी को सहकारी साख समितियों की स्थापना करके पूरा करने का प्यत्न किया गया है किन्तु भारतीय सहकारी आन्दोलन में भी अनेक दोष हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि सहकारी साख समितियों तथा प्राधुनिक बैंकों में सामञ्जस्य स्थापित नहीं हो सका है। स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना से इस कमी को दूर करने में सहायता मिल सकती है।

यदि हम विनिमय बैंकों (Exchange Banks) को और नजर डालें तो वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। भारत के विदेशी व्यापार तथा विदेशी भुगतान का कार्य विदेशी बैंकों के हाथ में है। यह सभी बैंक वास्तव में विदेशी हैं। अभी तक भारत में एक भी विनिमय बैंक स्थापित नहीं हो सका है। वर्तमान विनिमय बैंकों की नीति भी पक्षपातपूर्ण रही है यद्यपि अब उनकी कार्य विधि पर रिजर्व बैंक का पूरा नियन्त्रण है।

५ भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुसंगठन का अभाव—ऊपर बताया जा चुका है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में दो अंग हैं—प्रथम अंग में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया मिलाते पूँजी वाले बैंक (Joint Stock Banks) जिन्हें व्यापारिक बैंक भी कहते हैं (Commercial Banks) औद्योगिक बैंक, विनिमय बैंक सहकारी बैंक तथा भूमि ऋणक बैंक (Land Mortgage Banks) आदि शामिल हैं। दूसरे अंग में देशी बैंकस महाजन साहूकार तथा प्रायः अनिया आदि शामिल हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के इन दोनों अंगों की कार्य प्रणाली एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। देशी बैंकस तो साखों की सख्या में देश भर में फैले हुए हैं और बड़े ही विस्तृत क्षेत्र में लेन देन का काम करते हैं किन्तु यह पूर्णतया असंगठित हैं। वे रिजर्व बैंक से किसी प्रकार से सम्बद्ध नहीं हैं। प्राधुनिक बैंकिंग संस्थाएँ जो प्रथम अंग के अन्तर्गत आती हैं उनके भी आपसी सम्बन्ध सहयोगपूर्ण नहीं हैं। स्टेट बैंक बनने से पूर्व इम्पीरियल बैंक एक व्यापारिक बैंक था किन्तु उसे विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनके कारण अन्य सहकारी बैंक उनकी प्रतियोगिता में मुकाबला नहीं कर पाते थे। आज भी स्टेट बैंक बन जाने से स्थिति में कोई भारी अन्तर नहीं हुआ है। अन्य व्यापारिक बैंक भी एक दूसरे में ईर्ष्या करते हैं और कड़ी प्रतियोगिता भी करते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि भारत में कोई अखिल भारतीय बैंक संघ (All India Banks Association) नहीं है जो इनमें आपसी सहयोग पैदा कर सके। सहकारी बैंकों तथा मिश्रित पूँजी वाले बैंकों में आपसी सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है किन्तु इसका भी देश में अभाव है। इस असंगठन तथा सूत्र बढ़ता के अभाव के कारण रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली के सुसंगठित विकास में पूरा योग नहीं दे पाता जैसा कि अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है।

६ विपन्न बाजार का अभाव—भारतीय मुद्रा बाजार (Indian Money Market) का एक बड़ा दोष यह है कि यहाँ सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित विपन्न बाजार (Bill Market) का अभाव है। विपन्न बाजार के विकसित होने से व्यापारी वर्ग

को सुगमता पूर्वक सस्ती दरो पर साख प्राप्त होने लगती है और बैंको को अपनी फालतू निधि (Surplus Funds) का विनियोग करने का अच्छा अवसर मिल जाता है। भारत में बहुत दिनों से विपन्न बाजार की कमी अनुभव की जा रही है किन्तु कुछ विशेष कमियों के कारण एक सुसंगठित विल बाजार का विकास नहीं हो सका है। रिजर्व बैंक ने भी इस कमी को अनुभव करते हुये विपन्न बाजार के विकास के लिये एक योजना लागू की है। इस योजना की सफलता के लिए काफी समय चाहिए। विपन्न बाजार का विकास बैंकिंग प्रणाली के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इससे बैंको को साख सृजन (Creation of Credit) के लिए नकद साख की आवश्यकता नहीं रहती। नकद साख के आधार पर साख का सृजन अपेक्षाकृत उहेंग पडता है। विपन्न बाजार के विकसित होने से साधनों की सरलता बनी रहती है। किसी भी समय साख पत्रों को विल बाजार में बेचकर नकद रूपया प्राप्त किया जा सकता है। इसलिये खजाने में अधिक मात्रा में नकदी रखने की आवश्यकता नहीं पडती।

उपरोक्त दोषों के अतिरिक्त भारत में जितने भी प्रकार के बैंक पाये जाते हैं वे सब स्वयं अपनी सम्पत्तियों तथा दोषों से पीडित हैं जिनका उल्लेख अगे किया गया है।

रिजर्व बैंक द्वारा इन दोषों को दूर करने के उपाय—रिजर्व बैंक की स्थापना १९३५ में हुई थी। तब से निरन्तर रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सुधारने तथा सुसंगठित करने के उपाय किये हैं। इस समय रिजर्व बैंक के चार विभाग हैं। इनमें से निगम विभाग (Issue Department) तो पत्र मुद्रा के संचालन तथा निगम से सम्बन्ध रखता है। दूसरा विभाग बैंकिंग विभाग (Banking Department) है जो बैंकिंग सम्बन्धी सब प्रकार के कामों का संचालन करता है। इन कामों में निरीक्षण, अनुसन्धान तथा परामर्श आदि के कार्य भी शामिल हैं। रिजर्व बैंक का तीसरा विभाग कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) है। इस विभाग के द्वारा कृषि साख की सुविधाओं का विस्तार तथा सहकारी आन्दोलन को सहायता देने का काम किया जाता है। रिजर्व बैंक सहकारी आन्दोलन की प्रगति का अध्ययन करके उसमें सुधार के सुझाव पेश करते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना से सहकारी आन्दोलन के पुनर्गठन तथा कृषि साख सुविधाओं के विस्तार में बड़ी सफलता मिली है। रिजर्व बैंक का चौथा विभाग विनियम नियन्त्रण विभाग (Exchange Control Department) है जो विनियम बैंको की कार्य प्रणाली का नियन्त्रण करता है और विदेशी विनियमों की समस्याओं को हल करने में सरकारी नीति का संचालन करता है।

इस प्रकार रिजर्व बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विभिन्न भागों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करता है वरन् उनके कार्यों पर नियन्त्रण भी करता है। साथ ही उन्हें एक मित्र की हैसियत से सलाह भी देता है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष एक बुलिटिन प्रकाशित किया जाता है जिसमें साल भर की बैंकिंग समस्याओं की प्रगति

का सर्वेक्षण रहता है। साथ ही उनकी कमियों का उल्लेख तथा उन्हें दूर करने के सुझाव भी रहते हैं।

रिजर्व बैंक बैंक दर नीति (Bank Rate Policy) तथा खुले बाजार के कार्य क्रमों (Open Market Operations) के द्वारा साख नियन्त्रण का कार्य भी करता है। १९३६ में जो बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट (Indian Banking Companies Act) पास किया गया है उससे रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों पर (सहकारी बैंकों को छोड़कर) नियन्त्रण के विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गये हैं। रिजर्व बैंक ने भारत में एक सुसंगठित विपण बाजार की स्थापना के लिये भी एक योजना चालू की है।

सुधार के लिए अन्य सुझाव

(१) भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सुझाव के लिये यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राधुनिक बैंकिंग सुविधाओं को पहुँचाया जाये। देश की आर्थिक उन्नति के साथ ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी हुई प्रति व्यक्ति आय को उत्पादक कार्यों में ले जाने के लिये यह आवश्यक है कि बचत को प्रोत्साहन दिया जाये। इस प्रकार बैंकिंग सुविधाओं के विकास से ग्रामीण जनता को घन बचतें तथा उसका विनियोग करने का प्रोत्साहन मिलेगा और राष्ट्रीय दर पर उन्हें उन्पादन कार्यों के लिये साख की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इसके लिये व्यापारिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों में पूर्ण सहयोग तथा सामञ्जस्य की आवश्यकता है। स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना से यह समस्या हल होने की सम्भावना है।

(२) देशी बैंकर्स तथा प्राधुनिक बैंकों में सामञ्जस्य की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। भारत में देशी बैंकर्स लाजों की समस्या में लज-देन का कार्य करते हैं। उनके संगठन की आवश्यकता है तथा साथ ही उनकी कार्य विधियों में समानता स्थापित की जाये। यह कार्य रिजर्व बैंक को करना चाहिए। देशी बैंकर्स भी रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में कार्य करें तथा प्राधुनिक बैंकिंग संस्थाओं के साथ उनका सामञ्जस्य तथा सहयोग होना चाहिये।

(३) विपण बाजार की स्थापना—जैसा कि ऊपर कहा गया है रिजर्व बैंक ने १९५२ में विपण बाजार के संगठन की एक योजना लागू की है। योजना की पूरा होने में बहुत समय लगेगा। इनकी सफलता के लिये और अधिक प्रयत्नों की जरूरत है। यह एक मुश्किल कार्य है जिसके लिए काफी सोच विचार की आवश्यकता है।

(४) लोगों में बैंकिंग की आदतों का विकास—शिक्षा तथा प्रचार के द्वारा जनता को बैंकों के लाभ से परिचित कराया जावे और उन्हें बचत करने तथा बैंकों में रुपया जमा करने के लिये प्रोत्साहन दिया जावे। भारत में चेक (Cheques) का बहुत कम प्रयोग होता है। लोगों को चेक तथा अन्य साख पत्रों का प्रयोग तथा फायदों से परिचित किया जावे।

(५) जापसी प्रिनसिपलता के स्थान पर परस्पर सहयोग को प्रोत्साहन दिया

जावे । विभिन्न प्रकार की बैंकिंग संस्थाएं एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें और उनमें आपसी सहयोग हो तभी बैंकिंग प्रणाली की उन्नति हो सकती है ।

प्रश्न १०२—भारत में व्यापारिक बैंकों की वर्तमान स्थिति क्या है ? इनके मुख्य दोष क्या हैं ? १९४६ के बैंकिंग कानून द्वारा इन्हें दूर करने में क्या सहायता मिली है ?
(दिल्ली १९३५ ४०, ५०, पंजाब ५८)

What is the present position of Joint stock Banks in India ? What are their main defects ? How far have they been removed by the Banking Act of 1949 ?
(Delhi 1935, 40, 50, Punjab 48)

उत्तर भारतीय आधुनिक मुद्रा बाजार (Indian Money Market) में मिश्रित पूंजी वाले व्यापारिक बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है । १९ वीं शताब्दी के अन्त में भारतीय पूंजी से देश में कुछ व्यापारिक बैंकों की स्थापना हुई थी । तब से ज्यों-त्यों घरेलू व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ है उसी के साथ २ भारत में बहुत से व्यापारिक बैंकों की स्थापना हुई है तथा इनकी शाखाओं का विस्तार हुआ है । आज भारत के प्रत्येक प्रमुख नगर तथा व्यापारिक केन्द्र पर इन बैंकों की शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं ।

व्यापारिक बैंकों को दो अंगों में विभाजित किया जाता है :—

(१) अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) ।

(२) गैर अनुसूचित बैंक (Non-Scheduled Banks) ।

(१) अनुसूचित बैंक—वह बैंक जिसकी चुकता पूंजी (Paid up Capital) ५ लाख रुपए या इससे अधिक है और जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की अनुसूची में दर्ज है, एक अनुसूचित बैंक कहलाता है । अनुसूचित बैंक बनने के लिये बैंक को रिजर्व बैंक के पास प्रार्थना पत्र भेजना पड़ता है । जब रिजर्व बैंक इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लेता है और बैंक का नाम अनुसूची में दर्ज कर लेता है तो वह बैंक अनुसूचित बैंक बन जाता है । ३१ मार्च १९५६ को भारत में कुल मिलाकर ८६ अनुसूचित बैंक थे ।

अनुसूचित बैंकों को अपनी मांग देनदारी (Demand Liability or Current Deposits) का ५ प्रतिशत तथा समय देनदारी (Time Liability or Fixed Deposits) का २ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है । उन्हें प्रति सप्ताह अपने हिसाब किताब का व्यौरा रिजर्व बैंक के पास भेजना पड़ता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि बैंक के पास कितना मकद रुपया है, कितने कर्ज बैंक ने दिये तथा कितने विपत्तों को भुनाया ।

अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से अनेक प्रकार की सुविधाएं तथा सहायताएं भी प्राप्त होती हैं । उदाहरण के लिये वे आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं, विनिमय विपत्तों को दुबारा भुना सकते हैं (Rediscount) तथा निःशुल्क छपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज सकते हैं ।

१९५६ के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (सशोधन) अधिनियम के अनुसार रिजर्व

बैंक को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह अनुसूचित बैंको से अपनी मांग देनदारी Demand Liability का ५ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक तथा समय देनदारी (Time Liability) का २ प्रतिशत से ८ प्रतिशत तक अपने पास जमा करा सकता है। यह अधिकार इसलिये दिया गया है कि बैंको द्वारा साख सृजन पर रिजर्व बैंक का अधिक कठोर नियन्त्रण रह सके।

(२) गैर अनुसूचित बैंक—गैर अनुसूचित बैंक वे होते हैं जो रिजर्व बैंक से इतना निवृत्त का सम्बन्ध नहीं रखते। उनके नाम रिजर्व बैंक की अनुसूची में दर्ज नहीं होते। उन्हें वे सुविधाएँ प्राप्त नहीं होती जो अनुसूचित बैंको को होती हैं। ३१ मार्च १९६६ को भारत में कुल गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या ३८४ थी।

व्यापारिक बैंकों के कार्य—व्यापारिक बैंक मुख्य रूप से घरेलू व्यापार तथा वाणिज्य को साख की सुविधायें प्रदान करते हैं। कुछ बैंक अल्पकाल के लिये उद्योगों को भी वित्त प्रदान करते हैं किन्तु यह कार्य औद्योगिक बैंकों का है। कृषि साख प्रथवा विदेशी व्यापार के क्षेत्र में व्यापारिक बैंक कोई कार्य नहीं करते। इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

(१) विभिन्न प्रकार के खातों में रुपया जमा करना—सामान्यतः पर व्यापारिक बैंको द्वारा तीन प्रकार के खातों में रुपया जमा किया जाता है जो इस प्रकार हैं—

(अ) **चाल खाता (Current A/c)**—**चाल** खाते में रुपया जमा करने वालों को यह अधिकार होता है कि वे दिन में जितनी बार चाहें रुपया जमा कर सकते हैं अथवा बैंक द्वारा निकाल सकते हैं। इन खातों पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता। उल्टा कुछ न कुछ बसूल करता है। यह खाता व्यापारी वर्ग की सुविधा तथा सहायता के लिये होता है। यह जमा रुपया बैंक की मांग देनदारी (Demand Liability) होती है क्योंकि जमा करने वाला किसी भी समय उसे मांग सकता है।

(ब) **निश्चित खाता (Fixed Deposit A/c)**—इस प्रकार के खातों में रुपया जमा करने वाला उस एक निश्चित समय से पूर्व नहीं निकाल सकता है। यह समय प्रायः एक साल या ६ माह होता है। इस खाते पर बैंक ३½ प्रतिशत प्रथवा ३ प्रतिशत का ब्याज देता है। समय समाप्त होने से पूर्व जमा करने वाले को अपनी इच्छा बतानी पड़ती है कि वह अपना रुपया वापिस लेना चाहता है अथवा जमा रखना चाहता है। निश्चित खातों में जमा रुपया बैंक की समय देनदारी (Time Liability) कहलाती है।

(स) **बचत खाता (Savings Bank A/c)**—यह खाता उन लोगों के लिये है जो छोटी बचत का पैसा बैंक में जमा करना चाहते हैं। इन खातों में से सप्ताह में केवल एक या दो बार रुपया निकाला जा सकता है। इस खाते पर बैंक १½ प्रतिशत या २ प्रतिशत ब्याज देता है।

(२) **रुपय उधार देना**—व्यापारिक बैंक उचित जमानत पर अपने शाहको की साख की सुविधाएँ प्रदान करते हैं। यह साख अल्पकाल के लिये प्रदान की जाती

है और इस पर बैंक ५% या ६% का व्याज लेता है। साख प्रदान करने के दो तरीके हैं—

(अ) नकद साख (Cash Credit)—नकद साख में बैंक सामान अथवा अन्य प्रकार की उचित जमानत पर रुपया उधार देता है।

(ब) ओवर ड्राफ्ट (Over Draft)—इसके अन्तर्गत बैंक अपने ग्राहकों को अपने चालू खाते में से कुछ सीमा तक अधिक रुपया निकालने की अनुमति दे देता है। इस प्रकार जो रुपया निकाला जाता है वह एक प्रकार का उधार है जिस पर बैंक व्याज वसूल करता है।

(३) हुन्डी तथा बिलमय विपत्रों को भुनाना—व्यापारिक हुन्डी तथा विपत्रों (Bills of Exchange) का आधुनिक वाणिज्य में बड़ा महत्व है। व्यापारिक बैंक इन साख पत्रों को भुनाने का कार्य करते हैं। भारत में अभी तक विपत्र बाजार का पूरी तरह विकास नहीं हुआ है।

(४) व्यापारिक बैंक को अपने ग्राहकों के अभिकर्ता (Agents) के रूप में कार्य करना—व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए उनके बैंकों का रुपया जमा करते हैं। उनके लिए बीमे के प्रीमियम (Premium) जमा करना तथा लाभांश (Dividends) आदि वसूल करने का कार्य भी करते हैं।

(५) रुपए को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में सहायता देना—बैंक ड्राफ्ट (Bank drafts) के द्वारा रुपया सुगमतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है। बैंक द्वारा रुपया भेजने की पद्धति काफी सस्ती, सुरक्षित तथा सुगम है।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंक विभिन्न प्रकार के अन्य बहुत से कार्य भी करते हैं।

भारत की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल को देखते हुये देश में व्यापारिक बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। व्यापारिक बैंकों के निम्नलिखित दोष हैं—

व्यापारिक बैंकों के दोष

(१) नकद कोषों (Cash Reserve) की कमी—बैंक के प्रयोग की आवश्यकता का देश में पूरी तरह विकास न होने के कारण बैंकों को अधिक मात्रा में नकद रुपया अपने पास रखने की आवश्यकता पड़ती है। मुनाफे के लालच में बहुधा बैंक अपने नकद कोष का विनियोग कर देने में अथवा उधार दे देते हैं। प्रारम्भ के काल में काफी मात्रा में नकद रुपया अपने पास रखना बैंक की सुरक्षा के लिये आवश्यक है। इस नीति का पालन न करने के कारण ही अक्सर बैंक फेल हो जाते हैं।

(२) बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में भाग लेना—बहुधा बैंक अपने क्षेत्र के बाहर के व्यवसायों में भी भाग लेने लगते हैं जिनमें सट्टा तथा वाणिज्य आदि शामिल हैं। यह नीति बैंक के लिये घातक सिद्ध हो सकती है।

(३) बैंक के साधनों का गलत उपयोग—भारत के अधिकांश व्यापारिक बैंक

बैंक के कार्य क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम पूंजी की मात्रा निर्धारित करने में हेर फेर नहीं किया जा सकता है। कोई भी बैंक रिजर्व बैंक की पूर्ण अनुमति लिये बिना नई शाखा नहीं खोल सकता और न पुरानी शाखा का स्थान परिवर्तन कर सकता है।

(२) जो व्यक्ति किसी बैंक का डायरेक्टर अथवा मैनेजिंग एजेंट है वह हमारे देश में यह पद ग्रहण नहीं कर सकता।

(३) कोई बैंक बैंकिंग के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये अपनी कोई सहायक कम्पनी स्थापित नहीं कर सकता और न अपनी चुकता पूंजी अथवा उस सहायक कम्पनी की चुकता पूंजी का ३० प्रतिशत में अधिक उसमें विनियोग कर सकता है।

(४) बैंक स्वयं अपने शेयर्स (Shares) की जमानत पर अथवा बिना जमानत के किसी भी डायरेक्टर अथवा किसी फर्म अथवा बम्पनी को उधार नहीं दे सकता जिसका बैंक स्वयं अथवा उसका डायरेक्टर साभोदार है अथवा उसमें रुचि रखता है।

(५) प्रत्येक बैंक को सुरक्षित कोष (Reserve Fund) रखना पड़ेगा जिसमें उन प्रतिवर्ष अपने लाभ का २० प्रतिशत उन समय तक जमा करना पड़ेगा जब तक कि वह सुरक्षित बैंक कोष बैंक की चुकता पूंजी के बराबर न हो जावे।

(६) प्रत्येक बैंक को अपनी माँग बेनबारी का ५ प्रतिशत तथा समय देनदारी का २% नकद कोष के रूप में अपने पास अथवा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा।

(७) प्रत्येक बैंक को अपने पास विभिन्न खातों में जमा हुआ कुल धन का कम से कम २० प्रतिशत नकदी सोने अथवा स्वीडन प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ेगा।

(८) विभिन्न खातों में जमा कुल धन के ७५ प्रतिशत भाग को भागत में रखना पड़ेगा।

उपरोक्त अधिनियम द्वारा रिजर्व बैंक को व्यापक तथा विस्तृत अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं ताकि वह व्यापारिक बैंकों पर कठोर नियन्त्रण रख सके। यदि आवश्यक हित में आवश्यक हो तो रिजर्व बैंक इन बैंकों की साख नीति (Lending Policy) का स्वयं निर्धारण कर सकता है। रिजर्व बैंक को इन बैंकों के हिसाब किताब की जांच करने का अधिकार है और वह अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश कर सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि १९३६ के इस अधिनियम से व्यापारिक बैंकों के दोषों को दूर करने में बड़ी सहायता मिली है। रिजर्व बैंक को जो अधिकार दिये गये हैं उसका उसने बड़ी समझदारी के साथ प्रयोग किया है। यह कहना अनुचित न होगा कि यह अधिनियम बैंकों को सुसंगठित करके उनके दोषों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रश्न १०३—इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक में क्यों परिवर्तित किया गया ? इसकी स्थापना से ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग की समस्या कहाँ तक हल हो सकती ?

Why was the imperial Bank Converted into the State Bank ?
How far will its establishment solve the problem of rural bankig ?

उत्तर — भारतीय बैंकिंग प्रणाली में इम्पीरियल बैंक का स्थान—इम्पीरियल

बैंक की स्थापना १९२१ में बम्बई, मद्रास तथा बंगाल के तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर की गई थी। इम्पीरियल बैंक की पूंजी तथा व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी। वैसे तो यह बैंक एक व्यापारिक बैंक ही था किन्तु इसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जो अन्य व्यापारिक बैंकों को नहीं थे। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक के कार्य भी करना था। उस समय तक रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं हुई थी इसलिए इम्पीरियल बैंक ही वे सब कार्य करता था जो आज रिजर्व बैंक द्वारा किये जाते हैं अर्थात् सरकार बैंक का कार्य, बैंकों का बैंक तथा साख्त वा नियन्त्रण आदि का कार्य इम्पीरियल बैंक ही करता था।

हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर भारत में जब केन्द्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न उठा तो उस समय एक मत यह भी व्यक्त किया गया कि इम्पीरियल बैंक को ही केन्द्रीय बैंक में बदल दिया जाए किन्तु भारतीय मत उसके विरोध में था। अन्त में रिजर्व बैंक के नाम से १९३५ में एक प्रथम केन्द्रीय बैंक भारत में स्थापित किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद इम्पीरियल बैंक अधिनियम में भी संशोधन करना अनिवार्य हो गया। यह संशोधन अधिनियम १९३४ में ही पास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा इम्पीरियल बैंक पर से बहुत से प्रतिबन्ध हटा लिये गये। पहले बैंक को ६ महीने से अधिक के लिये साल प्रदान करने की आज्ञा नहीं थी। न ही वह किसी व्यक्ति को बिना उचित जमानत के उधार दे सकता था। इसी प्रकार बैंक विदेशी विनिमय के क्षेत्र में कार्य कर सकता था रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद इन प्रतिबन्धों को कोई आवश्यकता नहीं रही। रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद इम्पीरियल बैंक को रिजर्व बैंक का अधिकारी (Agent) नियुक्त किया गया। जिन स्थानों पर सरकारी खजाने नहीं हैं वहां यह बैंक सरकारी लेन देन का कार्य भी करता रहा है। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में इम्पीरियल बैंक का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रिजर्व बैंक की भांति यह भी अपने प्रकार का अकेला बैंक था जिसका उदाहरण सारा के अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलता।

इम्पीरियल बैंक के स्टेट बैंक में परिवर्तन के कारण

(१) इम्पीरियल बैंक सदैव से एक अजीब प्रकार की स्थिति में रहा है। न तो यह पूरी तरह एक व्यापारिक बैंक ही था और न केन्द्रीय बैंक। इसका पूंजी प्रबन्ध अंग्रेजों के हाथ में था। बैंक के उच्च पद के कर्मचारी भी अंग्रेज ही हुआ करते थे। यह लोग भारतीय ग्राहकों के साथ पक्षपात पूर्ण नीति अपनाते थे। दूसरे इस बैंक पर सरकार की हमेशा कृपा दृष्टि रहती थी जिससे अन्य बैंक इससे ईर्ष्या रखते थे। इम्पीरियल बैंक को कुछ कार्यों में एकाधिकार प्राप्त था। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद इसकी पुरानी स्थिति बनाये रखना सम्भव नहीं था। इसलिये इसका राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक हो गया।

(२) इम्पीरियल बैंक ने सरकारी कृपा के कारण ही उन्नति की थी। इतनी उन्नति कर लेने के बाद उसकी स्थिति को अन्य बैंकों के बराबर से जाना उचित न

या। दूसरे इसके राष्ट्रीयकरण को भाग काफी जोर पकड़ती जा रही थी इसलिए सरकार को उस पर विचार करना पडा।

(३) रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण १९४६ में ही कर दिया गया था। इसके बाद इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होना भी स्वाभाविक ही था।

(४) रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (All India Rural Credit Survey Committee) ने भी अपनी रिपोर्ट में इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की। उपरोक्त समिति के विचार ग्रामीण भाग के पुनर्गठन में इसमें सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का प्रसार हो सकेगा।

उपरोक्त कारणों से १ जुलाई १९५५ को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई। स्टेट बैंक ने इम्पीरियल बैंक की समस्त शाखाओं को अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार इम्पीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में परिवर्तित हो गया।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का संविधान

स्टेट बैंक का शासन एक केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके निम्न-लिखित सदस्य हैं—

(१) रिजर्व बैंक की सलाह से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष। श्री पी० सी० भट्टाचार्य स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त एक या दो डायरेक्टर।

(३) रिजर्व बैंक की सलाह से केन्द्रीय बैंक द्वारा नियुक्त ८ डायरेक्टर जिनमें से दो सहकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली से भरी प्रकार परिचित होने चाहिए।

(४) रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य शेयर होल्डर्स (Share Holders) द्वारा चुने गये ६ डायरेक्टर।

(५) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक डायरेक्टर।

(६) रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक डायरेक्टर।

स्टेट बैंक की पूंजी - स्टेट बैंक की अधिकृत पूंजी (Authorized Capital) २० करोड़ रुपये है। ५६२५ करोड़ रुपये की चुकता पूंजी (Paid up Capital) रिजर्व बैंक को हस्तांतरित कर दी गई है। यह पूंजी इम्पीरियल बैंक के शेयरों के बदले दी गई है जो रिजर्व बैंक के पास थे। इम्पीरियल बैंक के अन्य शेयर होल्डर्स को हजमि के रूप में स्टेट बैंक के कुछ शेयर दिये गये हैं।

स्टेट बैंक के कार्य - स्टेट बैंक वे सब कार्य करता रहेगा जो उसकी स्थापना से पूर्व इम्पीरियल बैंक द्वारा किये जाते थे। हैदराबाद स्टेट बैंक, पटियाला स्टेट बैंक तथा सौराष्ट्र बैंक को स्टेट बैंक में मिला दिया गया है। व्यापारिक बैंक के कार्यों के साथ साथ स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के अधिकर्ता (Agent) के रूप में भी कार्य करता रहेगा। स्टेट बैंक को कानून द्वारा आदेश दिया गया है कि वह ५ वर्ष के अन्दर अपनी ४०० नई शाखाएँ स्थापित करे जिससे सारे देश में बैंकिंग सुविधाओं

का विस्तार हो सके। १ जुलाई १९५५ से ३१ दिसम्बर १९५६ तक स्टेट बैंक ६६ नई शाखाएँ स्थापित कर चुका है। नई शाखाएँ खोलने के कार्य क्रम को तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

ग्रामीण बैंकिंग तथा स्टेट बैंक—भारत में बहुत दिनों से यह कमी अनुभव की जा रही थी कि आधुनिक बैंकिंग की सुविधाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होती। देश के व्यापारिक क्षेत्र इस ओर कोई ध्यान नहीं देते तथा अपना कार्य क्षेत्र केवल व्यापारिक केन्द्रों तथा बड़े नगरों तक ही सीमित रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की साख तथा बैंकिंग सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का भार सहकारी संस्थाओं पर है। सहकारी संस्थाएँ पूँजी के अभाव तथा आर्थिक कठिनाइयों से पीड़ित हैं। उनके तथा व्यापारिक बैंकों के बीच किसी प्रकार का सामन्वय नहीं है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का यह एक भारी दोष है। स्टेट बैंक की स्थापना से यह दोष बहुत कुछ दूर हो जावेगा। कारण यह है कि स्टेट बैंक अपना कार्य क्षेत्र का ग्रामों की ओर विस्तार करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को भी आधुनिक बैंकिंग की सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी और सहकारी संस्थाओं को स्टेट बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। स्टेट बैंक की जो ४०० नई शाखाएँ स्थापित की जा रही हैं वे ऐसे स्थानों में स्थापित होंगी जहाँ बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है।

स्टेट बैंक की स्थापना से ग्रामीण बचत को भी प्रोत्साहन मिलेगा तथा इस बचत के संग्रह का समुचित व्यवस्था हो सकेगा। यह कहना अनुचित न होगा कि स्टेट बैंक ग्रामीण साख का एक शक्तिशाली साधन बनेगा और सहकारी बैंकों तथा गोदाओं के विकास में महत्वपूर्ण योग देगा।

भारत के वित्त उपमंत्री ने स्टेट बैंक के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ की ७०% से अधिक जनसंख्या ग्रामों में रहती है ग्रामीण साख का विशेष महत्व है जिसके अभाव में ग्रामीण जनता ऋण के भार से दबी हुई है। वर्तमान ग्रामीण ऋण का अनुमान ७५० करोड़ रुपये है। भारतीय ग्रामों में एक भारी संख्या भूमिहीन किसानों की भी है। इन्हें रोजगार दिलाने तथा उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए भी सुसंगठित साख व्यवस्था की आवश्यकता है।

प्रश्न १०४—रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को कार्य प्रणाली को विवेचना कीजिए ।
(पंजाब ४०, ४५, ५०, दिल्ली ५२, बम्बई ५२)

Describe the various functions performed by the Reserve Bank of India.
(Punjab 40, 45, 50, Delhi 52, Bombay 52)

उत्तर— रिजर्व बैंक की स्थापना—हिस्टन यंग आयोग (Hilton Young Commission) ने १९२५ में भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था और १९३४ में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम पास किया गया जिसके अधीन १९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई । रिजर्व बैंक की स्थापना से भारतीय बैंकिंग के विकास तथा सुधार में महत्वपूर्ण योग मिला है ।

१९३४ के एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक एक हिस्सेदारों का बैंक था जिसकी कुल पूंजी ५ करोड़ रुपये थी । १९४६ में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । सरकार ने प्रत्येक १०० रुपये के शेयर को ११६ रुपये १० आने देकर मोल ले लिया । इस प्रकार अब रिजर्व बैंक पूरी तरह सरकारी बैंक है ।

रिजर्व बैंक का विधान

रिजर्व बैंक के प्रबंध का भार एक केन्द्रीय संचालक समिति (Central Board of Directors) के हाथ में है । इस संचालक समिति के १४ सदस्य हैं । एक गवर्नर तथा दो उप-गवर्नर केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है, ४ संचालक स्थानीय बोर्डों से लिए जाते हैं और ७ केन्द्रीय सरकार नामजद करती है ।

प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं जो प्रादेशिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

रिजर्व बैंक की पूंजी आज भी ५ करोड़ २० ही है जो भारत सरकार के हाथ में है । इसका अब किसी हिस्सेदार से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

रिजर्व बैंक के विभाग—रिजर्व बैंक के प्रमुख विभाग चार हैं —

- (१) नियंत्रण विभाग (Issue Department) ;
- (२) बैंकिंग विभाग (Banking Department) ;
- (३) कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) ;
- (४) विनिमय नियन्त्रण विभाग (Exchange Control Deptt)

उपरोक्त विभागों में पहला विभाग पत्र मुद्रा के निर्माण तथा संचालन (Issue & Regulation of Paper Currency) का कार्य करता है । दूसरा विभाग अर्थात् बैंकिंग विभाग तीन उपविभागों की सहायता से सामान्य बैंकिंग कार्य करता है । इसका मुख्य उद्देश्य देश की बैंकिंग प्रणाली का नियन्त्रण करना है । इसके तीन उपविभाग इस प्रकार हैं (अ) संचालन विभाग (Operation Division), (ब) निरीक्षण विभाग (Inspection Division), (ग) निस्तारण विभाग (Liquidation Division) । यह तीनों विभाग अपने २ क्षेत्र में कार्य करते हैं । बैंक का तीसरा प्रमुख विभाग कृषि साख विभाग है जो कृषि साख का

संचालन करता है तथा सहकारी साख सस्थाओं को साख प्रदान करता है। यह विभाग उम कमी को पूरा करता है जो भारत में एक अखिल भारतीय महकारी बैंक न होने के कारण पाई जाती है। रिजर्व बैंक का चौथा विभाग विनियम नियन्त्रण विभाग है जिसकी स्थापना दूसरे महायुद्ध के काल में हुई थी। यह विभाग विनियम बैंक को का नियन्त्रण करना है तथा देश की विदेशी विनियम सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में सरकार की सहायता करता है।

इस प्रकार रिजर्व बैंक उपरोक्त चारों विभागों के द्वारा अपने कार्यों का संचालन करता है।

रिजर्व बैंक के कार्य—रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है इसलिये इसे वे सब कार्य सौंपे गए हैं जो एक देश के केन्द्रीय बैंक को करने चाहियें। रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं।—

- (१) पत्र मुद्रा का निर्गम (Issue of Paper Money)।
- (२) सरकार का बैंक (Banker of the Government)।
- () बैंकों का बैंक (Banker of the Banks)
- (४) साख का नियन्त्रण (Control of Credit)।
- (५) विनियम नियन्त्रण (Exchange Control)।
- (६) कृषि साख को व्यवस्था (Supply of Agricultural Credit)।
- (७) सरकार की आर्थिक तथा वित्तीय नीति का संचालन (Regulation of the Economic & Financial Policies of the State)।
- (८) राष्ट्र की धात्विक निधि को धरोहर के रूप में रखना (Custodian of Nation's Metallic Reserve)।

(१) पत्र मुद्रा का निर्गम:—सरकार ने पत्र मुद्रा के निर्गम का अधिकार रिजर्व बैंक को दिया है। रिजर्व बैंक द्वारा ५, १०, १०० तथा १००० रुपये के नोट छापे जाते हैं जिनपर सरकार की गारन्टी होती है। यह कार्य निर्गम विभाग द्वारा किया जाता है। १९५६ के रिजर्व बैंक (सशोधन) अधिनियम के अनुसार अब भारत में अनुसूचित निधि प्रणाली के आधार पर नोट छापे जाते हैं। रिजर्व बैंक को ११५ करोड़ रुपये की न्यूनतम निधि होने के रूप में तथा ४०० करोड़ रुपये की निधि विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखनी पडनी है। इस न्यूनतम निधि के बाद बैंक जितनी मात्रा में चहे नोट छाप सकता है। अक्टूबर १९५७ के एक अन्य सशोधन के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम मात्रा बढ़ाकर २०० करोड़ रुपये कर दी गई है। प्रथम सशोधन दूमरी पंचवर्षीय योजना के लिए घाट की व्यवस्था (Deficit Financing) में सरकार को सहायता देने के लिए किया गया था दूसरा सशोधन इस लिए किया गया है कि दूसरी योजना में विदेशी विनियम की भारी कमी अनुभव हो रही है। यह विदेशी विनियम कोष (Foreign Exchange) उम कमी को पूरा करने के लिये प्रयोग में लाए जावेंगे।

१९५४ — ५५ में भारत में कुल ११९६१९ लाख रुपये के नोट चलन में थे।

लिए इन नीति को सक्रिय रूप से अपनाया है। पहले भारत में बैंक दर ३% थी। सन् १९५१ में रिजर्व बैंक ने बढ़ाकर इसे ३½% कर दिया था। यह नीति भागत में मुद्रा प्रसार के रोकथाम करने में सहायक सिद्ध हुई है।

(ब) खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations) रिजर्व बैंक साल नियन्त्रण के लिये खुले बाजार की क्रियाओं का भी विशेष प्रयोग करता है। इस नीति के अनुसार असाधारण परिस्थितियों में रिजर्व बैंक विपन्नो को अनुसूचित बैंकों के द्वारा न खरीद कर स्वयं खुले बाजार से खरीदता है। यह नीति उस समय अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है जब देश में सुसंगठित मुद्रा बाजार तथा विपन्न बाजार स्थापित हो जाए। इस समय रिजर्व बैंक को खुले बाजार में केवल सरकारी प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय करना पड़ता है। यदि वह अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता रहे तो इसमें सरकार की साख बभ होने का भय रहता है क्योंकि रिजर्व बैंक सरकारी बैंक है और सरकार का अभिकर्ता भी है।

(ग) नकद कोष अनुसूचित बैंक जो नकद कोष (Cash Reserve) अपने पास रखते हैं उनका प्रतिशत बढ़ाकर रिजर्व बैंक साल नियन्त्रण कर सकता है। उसे यह अधिकार प्राप्त है यद्यपि अभी उसने इस नीति का प्रयोग नहीं किया है।

(द) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)—रिजर्व बैंक को भी अधिकार है कि वह किसी भी बैंक को बैंकिंग व्यवसाय करने से रोक दे। वह उनका निरीक्षण भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी साख सम्बन्धी नीति (Lending Policy) स्वयं निर्धारित करता है।

(५) विनिमय नियन्त्रण—विनिमय नियन्त्रण का कार्य रिजर्व बैंक अपने विनिमय नियन्त्रण विभाग द्वारा करता है। विनिमय नियन्त्रण दूपरे महायुद्ध के दिनों में लगाया गया था। अब कोई भी एन रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता। भारत सरकार की विदेशी व्यापार नीति के अनुसार तथा विदेशी भुगतान सतुलन की स्थिति को देखते हुए वह विनिमय नियन्त्रण करता है। देश में जितने भी विदेशी विनिमय बैंक हैं वे सभी रिजर्व बैंक के पूरे नियन्त्रण में हैं और रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें लाइसेंस (Licences) प्रदान किये गये हैं। यह नीति पच-वर्षीय योजना की सफलता के लिये अधिक कठोरता से अपनाई जा रही है।

(६) कृषि साख व्यवस्था (Provision of Agricultural Credit)—रिजर्व बैंक की न्यायना से पूर्व भारत में सहकारी साख आन्दोलन की स्थिति बड़ी असन्तोषजनक थी। उसे मजबूत बनाने के लिये तथा साख की सुविधाओं का समुचित प्रबन्ध करने के लिए भारत में एक अखिल भारतीय सहकारी बैंक की स्थापना होनी चाहिए थी किन्तु यह भार रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया है। रिजर्व बैंक प्रत्नीय सहकारी बैंक को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करता है, देश में सहकारी आन्दोलन की गतिविधि की देखभाल करता है और उसमें सुधार के सुझाव सरकार के सामने पेश करता है। कृषि साख के पुनर्गठन के हेतु रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण (All India Rural

Credit Survey) का आयोजन किया था। इसकी सिफारिशों के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं जिनमें इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण भी शामिल है। स्टेट बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक बैंकिंग की सुविधाएँ प्रदान करने तथा सहकारी आन्दोलन को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से ही किया है। ग्रामीण साख के क्षेत्र में निम्नले २२ वर्षों में रिजर्व बैंक ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

(७) सरकार की आर्थिक तथा वित्तीय नीति का संचालन— भारत की आर्थिक नीति समाजवादी अर्थ व्यवस्था की आधार मान कर बनाई गई है। देश पच वर्षीय विकास योजनाओं के युग में प्रवेश कर चुका है। इन योजनाओं की सफलता के लिए सरकार को अपनी वित्तीय नीति में समय समय पर हेर फेर करना पड़ता है। यह हेर फेर मुद्रा प्रसार विरोधी नीति, विदेशी भुगतान सम्बन्धी नीति, घाटे की अर्थ व्यवस्था तथा सार्वजनिक ऋण प्रादि से सम्बन्ध रखते हैं। इस विषय में रिजर्व बैंक सरकार की आवश्यक परामर्श देता है और सरकारी नीति को कार्यरूप देने अथवा उसे सफल बनाने में योग देता है। राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक भारत सरकार की आर्थिक नीति के संचालन का एक महत्वपूर्ण साधन है।

(८) राष्ट्र की धात्विक निधि को धरोहर के रूप में रखना— देश के स्वर्ण कोष, रजत कोष तथा विदेशी विनिमय कोषों को रिजर्व बैंक धरोहर के रूप में अपने पास रखता है और उनका संचालन करता है।

रिजर्व बैंक की असफलताएँ

(१) रिजर्व बैंक देश के आन्तरिक मूल्य स्तर को स्थिर रखने में असफल रहा है। रिजर्व बैंक की समस्त मुद्रा प्रसार नीतियों के बाद भी भारत में मुद्रा प्रसार का जोर है और मूल्य स्तर बहुत ऊँचा है। इस असफलता के अनेक कारण हैं जिसका उल्लेख अन्य प्रश्न के उत्तर में किया जा चुका है।

(२) रिजर्व बैंक भारत की बैंकिंग प्रणाली को पूर्ण रूप से विकसित करने तथा उसे मजबूत बनाने में भी असफल रहा है। यद्यपि इसे स्थापित हुये भी २० वर्षों से अधिक हो चुके हैं।

(३) रिजर्व बैंक अभी तक भारत में एक सुसंगठित विल बाजार की स्थापना करने में भी असफल रहा है। रिजर्व बैंक ने १९५२ में इसकी एक योजना लागू की है किन्तु अभी तक उसे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

(४) भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करने में भी रिजर्व बैंक असफल रहा है। विशेष रूप से देशी बैंकों की समस्या को सुलझाने तथा उन्हें आधुनिक बैंकों की ही भाँति नियंत्रित करने के इसने कोई उपाय नहीं किए हैं।

आशा की जाती है कि भविष्य में रिजर्व बैंक अपने इन कार्यों को अधिक सफलता पूर्वक कर सकेगा और समाजवादी अर्थ व्यवस्था वाले देश इसका और अधिक महत्वपूर्ण स्थान होगा।

अध्याय १६

भारतीय वित्त व्यवस्था

प्रश्न १०५—भारत सरकार की आय तथा व्यय की मुख्य स्रोत क्या हैं ?
(पंजाब १९५२, देहली ५३)

What are the main sources of revenue and expenditure of the Union Government ?
(Punjab 1952, Delhi 53)

उत्तर—भारत गणराज्य का नया सविधान २६ जनवरी १९५० को लागू किया गया जिसके अनुसार भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की आय तथा व्यय के साधन निर्धारित कर दिए गए। जिस आधार पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र निश्चित किए गए हैं उसी आधार पर उनकी आय व व्यय के साधनों का भी बंटवारा किया गया है। भारत सरकार की आय तथा व्यय के निम्नलिखित साधन हैं—

भारत सरकार की आय के साधन

- ✓(१) कस्टम्स अथवा आयात निर्वाह कर (Customs)
- ✓(२) सशोध उत्पादन कर (Central Excise Duty)
- ✓(३) कॉर्पोरेशन कर (Corporation Tax)
- ✓(४) आयकर (कॉर्पोरेशन कर के अतिरिक्त) (Income tax)
- (५) मृत्युकर (Death Duties)
- (६) सम्पत्तिकर तथा व्यय पर कर (Tax on Property and Expenditure tax)
- (७) भोज से आय
- (८) अफीम
- (९) सिविल शासन
- (१०) करेन्सी तथा टकमाल
- (११) सिविल निर्माण कार्य
- (१२) डाक एवं तार विभाग से आय
- (१३) आय के अन्य साधन
- ✓(१४) रेलवे से प्राप्त आय

आय के उपरोक्त साधनों का विस्तृत ब्योरा इस प्रकार है—

(१) कस्टम्स अथवा आयात निर्वाह कर—यह कर भारत से बाहर जाने वाले अथवा देश के अन्दर आने वाले सामान पर लगाया जाता है। यह भारत सरकार की

उसको वसूल भी करती है किन्तु बाद में इसका कुछ भाग राज्य सरकारों को भी दिया जाता है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच आय कर के वितरण का प्रश्न विवाद पूर्ण रहा है। सर ओटोनियर तथा धा देशमुख आदि ने इस पर अपने निर्णय दिये। वर्तमान वितरण प्रथम वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के आधार पर होता है। प्रत्येक पाच साल के बाद एक नया वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है जो इस सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करके अपनी सिफारिशें पेश करता है। भारत का दूसरा वित्त आयोग नियुक्त हो चुका है और उसकी रिपोर्टें शीघ्र सरकार के सामने पेश होने वाली हैं। १९५८-५९ के बजट में आयकर से कुल १६१.५० करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान है। १९५७-५८ के बजट के अनुसार ३६०० रुपये प्रतिवर्ष की आय वाले व्यक्तियों पर आयकर लग जाता है। इससे पूर्व यह सीमा ४२०० रुपये प्रतिवर्ष थी। आयकर लगाने की प्रणाली में भी कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं।

(४) क्वापरिशन कर—यह भी आय कर की ही भाँति एक कर है जो कम्पनियों आदि की आय पर लगाया जाता है। १९५८-५९ के बजट के अनुसार इस मद से ५५.५० करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान है।

(५) मृत्यु कर—मृत्यु कर अधिनियम १९५३ में पास किया गया था। इस कानून के अनुसार मरने के बाद हर व्यक्ति की सम्पूर्ण चल और अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है और यदि उस सम्पत्ति का मूल्य ५०००० रुपये से अधिक है तो उस पर मृत्यु कर अथवा उत्तराधिकार कर उसके उत्तराधिकारी से वसूल किया जाता है। इस कर के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की आलोचनाएँ की गई हैं किन्तु यह कर न्यायोचित ही है और लगभग सभी देशों की कर प्रणाली में इसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस कर की आय राज्यों सरकारों को दी जाती है। अभी तक इस कर से अधिक आय प्राप्त नहीं होती किन्तु भविष्य में होने की आशा है।

(६) सम्पत्तिकर तथा व्यय पर कर—यह एक नये प्रकार का कर है जो १९५७-५८ के बजट में लगाया गया है। भारत सरकार ने कुछ दिन पूर्व राजस्व के विवेची विशेषज्ञ श्री कोल्डर को भारत में बुलाया था। व्यय पर कर लगाने का सुझाव उन्होंने दिया। यह सर्व प्रथम भारत द्वारा ही परीक्षण के रूप में लगाया गया है। इस कर के सम्बन्ध में तरह तरह की आलोचनाएँ की गई हैं। इसी प्रकार सम्पत्ति कर के विषय में भी अनेक प्रकार के मत व्यक्त किये गये हैं। वास्तव में कर आय पर लगाने चाहिये न कि सम्पत्ति पर किन्तु भारतीय कर प्रणाली का यह भी एक नया परीक्षण है। यह कर उन व्यक्तियों से वसूल किया जायेगा जिनकी सम्पत्ति २ लाख रुपये से अधिक मूल्य की है। सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि के साथ कर की भी दर बढ़ती जावेगी। १९५८-५९ के बजट में इससे १.५ करोड़ रुपये का अनुमान है।

(७) करेंसी तथा टकसाल—रिजर्व बैंक तथा भारतीय टकसालों से जो आय होती है वह भारत सरकार को मिलती है। १९५८-५९ के बजट के अनुसार इन साधनों से ३६.६२ करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान लगाया गया है।

(८) डाक तथा तार—डाक तथा तार विभाग की आय भी भारत सरकार को मिलती है किन्तु यह अधिक नहीं है। १९५८—५९ के बजट के अनुमान के अनुसार इस साधन से २३४ करोड़ रुपये की आय का अनुमान है।

(९) भारतीय रेलों से आय—१९५० के रेलवे प्रस्ताव (Railway Convention) के अनुसार भारत सरकार को रेलों में लगी पूँजी पर ४ प्रतिशत की दर से लाभांश (dividend) मिलता है। इसमें से व्याज की दर घटा कर भारत सरकार के पास छोड़ी सी आय बच रहती है। १९५८—५९ के बजट के अनुसार रेलों से ७०४ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा है।

सितम्बर १९५७ में रेल यात्री पर एक अतिरिक्त कर भी लगाया गया है १९५८—५९ में जिससे ६२२ करोड़ रुपये की आय होगी जो राज्य सरकारों को दे दी जायेगी।

(१०) ग्रफीम—ग्रफीम की खेती करने, उसे बनाने तथा बेचने से भारत सरकार को पहले काफी आम होती थी। अब सरकार ने इसकी खेती आदि कम करा दी है। १९५८—५९ के बजट में इस साधन से केवल २८७ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा है।

(११) दान कर (Gift Tax)—यह एक नया कर है जो १९५८—५९ के बजट में लगाया गया है। चालू वर्ष में इससे ३०० करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने का अनुमान है।

(१२) अन्य साधन—अन्य साधनों में व्याज की आय, सिविल शासन, सिविल निर्माण आदि से भी आय होती है। १९५७—५८ के बजट में इनसे अनुमानित आय का ब्यौरा इस प्रकार है।

सिविल शासन	४३२१ करोड़ रुपये
व्याज	४६० " "
सिविल निर्माण	२६५ " "
अन्य आय	२७६५ " "

१९५८—५९ में भारत सरकार को कुल ७६८६६ करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

व्यय की मदें

भारत सरकार की व्यय की मुख्य मदें इस प्रकार हैं—

- १—राजस्व की सीधी मांगें।
- २—प्रतिरक्षा व्यय।
- ३—सिविल शासन।
- ४—ऋण पर व्याज।
- ५—सार्वजनिक निर्माण कार्य।
- ६—राज्य सरकारों को अनुदान।
- ७—शरणार्थियों पर व्यय।
- ८—प्रसाधारण व्यय।

६—पेन्शन ।

१०—करमी तथा टक्काल ।

११—अन्य व्यय ।

१९५८-५९ के बजट में भारत सरकार का कुल व्यय ७६६.०१ करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

(१) राजस्व की सीधी माँगें—विभिन्न प्रकार के करों आदि को वसूल करने में जो धन व्यय किया जाता है वह इस मद के अन्तर्गत आता है । १९५८-५९ में इस पर ६४.४४ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(२) प्रतिरक्षा व्यय (Defence)—भारत सरकार को देश की सुरक्षा के लिये सेना रखनी पड़ती है यह सरकारी व्यय की सबसे बड़ी मद है । पाकिस्तान की सश्रुता पूर्ण नीति के कारण सरकार को इस पर अधिक व्यय करना पड़ रहा है । १९५८-५९ में बजट के अनुसार प्रतिरक्षा पर कुल २७८.१४ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । भारत जैसे गरीब देश के लिये यह व्यय बहुत अधिक है किन्तु दक्षिण पूर्व एशिया की राजनैतिक स्थिति को देखते हुये इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है ।

(३) सिविल शासन—इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों पर होने वाले व्यय शामिल हैं । स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से मन्त्रालयों की सहाय्य और आकार बहुत बढ़ गया है । १९५८-५९ के बजट के अनुसार इस मद पर २००.४४ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । कुछ क्षेत्रों में यह विचार प्रकट किया जाता है कि भारत सरकार जनता के पैसे को फिजूल खर्चों के साथ व्यय करती है । विशेषकर विदेशों में भारत के दूतावास इस आलोचना के वास्तव में पात्र हैं ।

(४) व्याज पर व्यय—भारत सरकार विकास की योजनाओं के चलाने के लिए जनता से तथा विदेशों से बड़ी मात्रा में ऋण लेती है जिस पर उसे व्याज देना पड़ता है । पञ्चवर्षीय योजनाओं के कारण यह व्यय पिछले कुछ सालों में बहुत अधिक बढ़ गया है । चालू वर्ष में इस मद पर ३५ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है ।

(५) शर्णाधिकारों पर व्यय—देश के विभाजन के बाद से यह भी व्यय की महत्वपूर्ण मद हो गई है । आशा की जाती है कि दूसरी पञ्चवर्षीय योजना की समाप्ति तक यह कार्य समाप्त हो जावेगा और फिर इस पर व्यय की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । चालू वर्ष में इस मद पर २०.४८ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(६) राज्य सरकारों को अनुदान—राज्य सरकारों की अपनी विकास योजनाओं को चलाने के लिये धन की आवश्यकता होती है । भारत सरकार अनुदान तथा ऋण के रूप में उनकी सहायता करती है । चालू वर्ष में राज्यों को अनुदानों के रूप में ४७.०३ करोड़ रुपये देम जाने का अनुमान है ।

(७) राष्ट्र निर्माण के कार्यों पर व्यय—राष्ट्र निर्माण कार्यों के अन्तर्गत वह व्यय किया जाता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, मकान निर्माण आदि कार्यों पर व्यय किया जाए । चालू वर्ष में इस मद पर १८.७१ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(८) अन्य व्यय—उपरोक्त मदों के अतिरिक्त सिवार्ड, पेन्शन, करेन्सी तथा टकसाल ग्रादि पर भी सरकार धन खर्च करती है।

प्रश्न १०६—भारतीय राज्य सरकारों की आय तथा व्यय की मुख्य मदों की पूर्ण विवेचना कीजिये।

Give the main sources of revenue & expenditure of the State Governments in India

उत्तर—भारतीय राज्यों को संविधान के अनुसार आय के जो साधन तथा व्यय की जो मदें प्रदान की गई हैं उनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :—

आय के साधन

(१) मालगुजारी (Revenue)—बहुत काल से मालगुजारी राज्य सरकारों की आय का मुख्य साधन बना हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की ६० प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है तथा कृषि पर निर्भर है। प्रत्येक काश्तकार को या तो सरकार को या जमींदार को भूमि के प्रयोग के बदले कुछ न कुछ अनिवार्य रूप से देना पड़ता है। इसका सिद्धान्त यह है कि देश की सारी भूमि राज्य (State) की सम्पत्ति है जिसे जोतने का अधिकार किसान को राज्य से प्राप्त होता है इसलिए उसे मालगुजारी देनी चाहिये। जमींदारी प्रथा वाले क्षेत्रों में सरकार अपने अधिकार जमींदार को दे देती है। जमींदार मालगुजारी सरकार को देने के उत्तरदायी होते हैं परंतु लगान के रूप में उन्हें किसान से इसे वसूल करने का अधिकार होता है। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् जमींदारी प्रथा का कई राज्यों में उन्मूलन कर दिया गया है और अब किसान का सरकार से सीधा, सम्बन्ध स्थापित हो गया है। उत्तर-प्रदेश भी इन राज्यों में से एक है। कर जाच समिति (Taxation Enquiry Committee) ने मालगुजारी को राज्य सरकारों की आय का एक लोचदार साधन बनाने के लिये कुछ आवश्यक सुझाव दिये हैं। समिति के अनुसार जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् राज्य सरकारों को लगभग ७० करोड़ रुपये साल की आय इस एक साधन से होने लगी है जबकि पहले केवल ३०-४० करोड़ रुपये की आय हुआ करती थी। मालगुजारी की दर निर्धारित करने की प्रथा दीपपूर्ण होने के कारण इससे अधिक आय नहीं हो पाती।

(२) आवकारी (Provincial Excise):—राज्य सरकारें नशीली वस्तुओं की बिक्री पर आवकारी कर लगाती हैं। यह कर शराब, अफीम, गाजा, चरस आदि वस्तुओं पर लगाया जाता है। आवकारी कर से दो लाख प्राप्त होते हैं। एक तो इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने के कारण लोग अधिक मात्रा में इनका प्रयोग नहीं कर पाते दूसरे सरकार को अच्छी आय प्राप्त हो जाती है। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् इस साधन से प्राप्त होने वाली आय प्रतिवर्ष घटती जा रही है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस सरकार शुरू से ही नशा बन्दी के पक्ष में रही है। सरकार का अन्तिम लक्ष्य समस्त देश में पूर्ण नशा बन्दी (Prohibition) लागू करना है। उस समय आय का स्रोत समाप्त हो जायगा। बम्बई, मद्रास तथा उत्तर

(५) सिंचाई—राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई की जो सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं उनके शुल्क के रूप में उन्हें काफी आय प्राप्त होती है। यह सुविधाएँ नहरों, बिजली के कुम्भों तथा तालाबों आदि से प्रदान की जाती हैं। प्रथम तथा दूसरी पंच-वर्षीय योजनाओं में सिंचाई के साधनों के विकास पर सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इन योजनाओं के पूरा हो जाने से न केवल कृषि की उन्नति होगी वरन् राज्य सरकारों की आय भी बढ़ेगी।

(७) रजिस्ट्रेशन (Registration)—सम्पत्ति के हस्तांतरण तथा अन्य सौदों की रजिस्ट्रेशन कराते समय सरकार को उसका शुल्क देना पड़ता है। सरकारी शुल्क दिये बिना यह कार्य नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन से राज्य सरकारों को बहुत अधिक आय प्राप्त नहीं होती। यह आय का महत्वपूर्ण साधन नहीं है।

(८) स्टाम्प (Stamps)—अदालतों में जो मुकदमे होते हैं उन पर कोर्ट फीस देनी पड़ती है। इसके लिए सरकार द्वारा स्टाम्प की बिक्री की व्यवस्था है, मुकदमेबाजी कम हो जाने के कारण अब इस साधन से होने वाली आय भी कम होती जा रही है।

(९) कृषि आय कर (Agricultural Income Tax)—बैसे तो आयकर कृषि आय पर लागू नहीं होता किन्तु राज्य सरकारों को अलग से कृषि पर आयकर लगाने का अधिकार दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा उड़ीसा राज्य ने कृषि आयकर लगाया है। कुछ अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया है। जमींदारों उन्मूलन के कारण इससे प्राप्त होने वाली आय घट गई है। अभी तक इस कर की प्रगति उत्साहजनक नहीं रही है।

(१०) आयकर का भाग (Share from Income Tax)—आयकर बैसे तो केन्द्र सरकार लगाती और वसूल करती है किन्तु इसका ५५/१०० भाग राज्य सरकारों में बाँट दिया जाता है।

(११) केन्द्रीय सरकार से अनुदान—राज्य सरकारों की व्यय की मदों को देखते हुये उनकी आय के साधन बहुत अपर्याप्त हैं। भारत के संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता देती है। इस सम्बन्ध में हर पाँच साल के बाद वित्त आयोग अपनी सिफारिशें पेश करता है। दूसरे वित्त आयोग ने अपनी अन्तिम सिफारिशों में आयकर, मृत्युकर तथा केन्द्रीय उत्पादन कर का कुछ भाग राज्यों में बाँटे जाने के लिए दर निर्धारित की हैं। आयोग की पूर्ण रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है।

(१२) अन्य कर—अन्य करों में मोटर गाड़ियों तथा पेट्रोल की बिक्री पर कर तथा बिजली कर आदि शामिल हैं।

व्यय की मदें

(१) सिविल शासन (Civil Administration)—राज्य सरकारों की व्यय की यह सब से महत्वपूर्ण मद है। इसके अन्तर्गत सामान्य शासन, पुलिस, जेल

तथा न्याय आदि की व्यवस्था आती है। राज्य सरकारें अपनी कुल आय का लगभग २५% भाग इस एक मद पर व्यय करती हैं।

(२) राजस्व की सीधी माँग—राज्य सरकारों को भी विभिन्न करों आदि को वसूल करने के लिए धन व्यय करना पड़ता है। यह व्यय इस मद के अन्तर्गत आता है।

(३) राष्ट्र निर्माण के कार्य (National Building Activities)—राष्ट्र निर्माण के कार्यों के अन्तर्गत वे समाज सेवाएँ आती हैं जिन पर लोक कल्याण निर्भर है। वास्तव में यदि देखा जाय तो राष्ट्र निर्माण के सभी कार्य जिन पर अधिक धन व्यय होने की आवश्यकता है, राज्य सरकारों के सुपुर्ण कर दिए गए हैं जबकि उन की आय के साधन अपर्याप्त तथा बलौचदार हैं। राष्ट्र निर्माण के कार्यों में निम्न-लिखित विभाग शामिल हैं—

(प्र) शिक्षा—भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित है। देश में शिक्षा के प्रसार का कार्य एक विशाल कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक प्राइमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का विस्तार व पुनर्गठन करना है। इसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त टैक्नीकल शिक्षा, कृषि शिक्षा तथा डॉक्टरों की शिक्षा पर भी धन व्यय करना पड़ता है। कुछ समय से केन्द्रीय सरकार को शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों को शिक्षा के प्रसार तथा सुधार के लिये आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है।

(ब) स्वास्थ्य सेवा (Public Health)—राज्य सरकारों को दवाखानों तथा अस्पतालों की भी व्यवस्था करना पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं का बड़ा अभाव है। इस कार्य के लिये भी बड़ी मात्रा में धन चाहिये यदि हम वास्तव में एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं।

(स) उद्योग (Industries)—कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना तथा विकास का भार राज्य सरकारों पर है। सरकार को यथा सम्भव धन निकाल कर उद्योगों के विकास पर व्यय करना पड़ता है क्योंकि राज्य की जनता की आर्थिक उन्नति इसी पर निर्भर है।

(द) कृषि सुधार तथा सामुदायिक विकास—कृषि विभाग मुख्यतया राज्य सरकारों के आधीन ही है। कृषि सुधार के महत्व को हम सब जानते हैं। भारतीय कृषि की समस्याओं में भी हम भली भाँति परिचित हैं। इस विशाल कार्य के लिए राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष अधिक से अधिक मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है।

(ध) सहकारिता (Co-operation)—कृषि की ही भाँति सहकारिता का भी हमारे आर्थिक जीवन में बड़ा महत्व है। सहकारिता भी एक प्रार्थय विषय है। सहकारी आन्दोलन की उन्नति के लिये राज्य सरकारों को काफी धन व्यय करना पड़ता है।

(४) सिविल निर्माण—यह भी राज्य सरकारों के व्यय की एक प्रमुख मद है जिस पर सब राज्यों का कुल व्यय लगभग ५० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होता है।

(५) **व्याज**—राज्य सरकारें जो ऋण केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक अथवा मुद्रा बाजार से लेती हैं उन पर उन्हें प्रतिवर्ष काफी व्याज देना पड़ता है। पंचवर्षीय योजनाओं के कारण राज्य सरकारों को अधिक मात्रा में ऋणों की आवश्यकता पड़ने लगी है तथा इस मद के अन्तर्गत होने वाला व्यय बढ़ गया है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हमारी राज्य सरकारें धन की कमी से पीड़ित हैं उन्हें जो कार्य सोंपे गये हैं उनकी तृलना में धन के पर्याप्त साधन प्रदान नहीं किये गये हैं। प्रथम वित्त आयोग के सामने यह प्रश्न आया था। काफी विचार करने के बाद आयोग ने सिफारिश की कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करे। इधर देश के आर्थिक विकास की गति तीव्र होती जा रही है जिससे राज्य सरकारों के वित्तीय उत्तरदायित्व भी बढ़ते जा रहे हैं। यह प्रश्न इस समय दूसरे वित्त आयोग (Second Finance Commission) के विचाराधीन है। दूसरे वित्त आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को आयकर में से ५५ प्रतिशत भाग, मृत्यु कर की कुल आय (खर्च आदि निकालकर) तथा दिया मलाई तम्बाकू तथा वनस्पति तेल से प्राप्त उत्पादन कर का ४० प्रतिशत भाग राज्य सरकारों में बाँट दिया जाए। इसके अतिरिक्त राज्यों को कुछ विशेष योजनाओं के लिए अनुदानों के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। वित्त आयोग की पूरी रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार के सामने पेश होने वाली है।

प्रश्न १०७—भारतीय सार्वजनिक ऋण के आकार तथा स्थिति पर प्रकाश डालिए। क्या आप स्थिति को सतोषजनक मानते हैं? (कलकत्ता १९५५)

Describe the size and position of India's public debt Do you regard the position as satisfactory? (Calcutta 1955)

उत्तर—आधुनिक युग में प्रत्येक सरकार के उत्तरदायित्व इतने अधिक बढ़ गये हैं कि उन्हें पूरा करने के लिये भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। यह धन करो के द्वारा तो प्राप्त किया ही जाता है किन्तु कुछ कार्यों के लिए सरकार ऋण लेकर भी अपना कार्य चलाती है। सार्वजनिक ऋण प्रायः विकास की दीर्घकालीन योजनाओं को चलाने के लिये, युद्ध के लिए अथवा अल्पकालीन तथा अस्थायी कामों को पूरा करने के हेतु लिए जाते हैं। जिस प्रकार राजस्व में सार्वजनिक व्यय तथा आय का महत्व है उसी प्रकार सार्वजनिक ऋण का भी है। सार्वजनिक ऋण के सम्बन्ध में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उसके भुगतान का है। इसके लिये सरकार के पास कई उपाय रहते हैं। प्रथम तो पुराने ऋणों को नये ऋणों में बदल दिया जाता है, दूसरे सरकार अपनी राजस्व की आय में से कुछ भाग प्रतिवर्ष एक प्रलग सुरक्षित कोष में जमा करती जाती है और अन्त में उषों में से ऋण का भुगतान कर दिया जाता है। सरकार ऋण का भुगतान करने को मना भी कर सकती है (Repudiation) किन्तु यह आघातपूर्ण परिस्थितियों में नहीं होता। विद्वानों का मत है कि सार्वजनिक ऋणों का भार आने वाली पीढ़ियों पर पड़ना है इसलिये सरकार को देख लेना चाहिये कि ऋण उचित कार्य के लिये ही लिए जा रहे हैं। अनुत्पादक कार्यों के लिये जो ऋण

लिए जाते हैं वे देश पर एक प्रकार के भार के रूप में होते हैं। यह बात केवल परेलू ऋणों पर ही लागू नहीं होती वरन् विदेशी ऋणों पर भी लागू होती है।

भारतीय सार्वजनिक ऋण का आकार तथा स्थिति—भारत में सार्वजनिक ऋण का प्रचलन ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा किया गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनीने सार्वजनिक ऋण प्राप्त करके भारत में कई युद्ध लड़े और अपने शक्ति का विस्तार किया। जिस समय भारत का शासन कम्पनी के हाथ में ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया उस समय भारत का कुल सार्वजनिक ऋण लगभग १० करोड़ पाँड था। इसके कुछ भाग रुपये के रूप में था और कुछ स्टलिंग के रूप में था।

१८६० के पश्चात् भारत सरकार ने उत्पादक कार्यों के लिये ऋणों प्राप्त किये। इन कार्यों में नहरों तथा रेलों का बनाना प्रमुख था। १८७६ में भारत का उत्पादन ऋण ८५६ करोड़ रुपये तथा अन्य ऋण १०५८ करोड़ रुपये था। २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारतीय रेलों घटे में ही चलती रही और रेलों का निर्माण बजट की वचतों में से न होकर ऋणों के द्वारा ही होना रहा। १८६८ में भारत का उत्पादक ऋण १६६३ करोड़ रुपये तथा साधारण ऋण ६१ करोड़ रुपये ही गया था।

१८६६ से १९१३ तक भारत के उत्पादक ऋणों में और अधिक वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि सरकार ने रेलवे कम्पनियों से कुछ रेलों खरीदी ली तथा साधारण ऋण को उत्पादक ऋण में बदल दिया। १९१४ में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया जिसके फलस्वरूप भारत के अनुत्पादक ऋण बढ़कर २०४६५ करोड़ रुपये हो गये। यह स्थिति उत्पादक ऋणों की भी थी। यह १९१४ में ४११२ करोड़ से बढ़कर १९२० में ४१६२ करोड़ रुपये हो गया था। रेलों की उन्नति पर और अधिक धन व्यय होने के कारण यह १९२४ में ५७८३ करोड़ रुपये हो गया।

जब देश में आर्थिक मन्दी (१९-२-३०) आई तो सरकार को निरन्तर बजट के घाटे महान करने पड़े जिससे सार्वजनिक ऋण की मात्रा बढ़ती गई। १९३७ में यह कुल १२०६ करोड़ रुपये थी। जब भारत में प्रांतीय स्वशासन (Provincial Autonomy) लागू हुआ तो उसके बाद भी सार्वजनिक ऋण में वृद्धि ही होती रही। १९३६ में दूसरे महायुद्ध के प्रारम्भ होने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का ऋण १२०३८६ करोड़ रुपये तथा प्रांतीय सरकारों का ऋण १७६१ करोड़ रुपये था। इसके पश्चात् की वृद्धि का अनुमान निम्नलिखित तालिका में लगाया जा सकता है—

वर्ष	केन्द्रीय	प्रांतीय अथवा राज्यों का
१९४०—४१	१२४७६	१६६.६१
१९४५—४६	२२८३३८	१६२.६७
१९४७—४८	२१६२३४	१६८.१४
१९४९—५०	२.६६६४	१८६.६४
१९५०—५१	२५१००६	२४५.८६
१९५१—५२	२६१११६	३२२.८८
१९५२—५३	२६४०२६	३९.८६
१९५४—५६	३३११५६	—
१९५६—५७	३६३१६८	—

— उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत के सार्वजनिक ऋण में पहिले कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण भारत की विकास योजनाएँ हैं जिन्हें पूरा करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता सामान्य राजस्व के मा. नो से पूरी नहीं की जा सकती।

१९५६-५७ के जट के अनुमान के अनुसार राजस्व की कुल आय (Revenue Income) ४९३.६० करोड़ रुपये थी जबकि सार्वजनिक ऋण का अनुमान ३९११.६६ करोड़ रुपये का था। इसका अर्थ यह हुआ कि सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक आय से ८ गुना अधिक है। यह स्थिति देखने में बड़ी गम्भीर प्रतीत होती है किन्तु वास्तव में इतनी खराब नहीं है। जो भी धन विकास के कार्यों के लिए उधार लिया जाता है उसमें देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और यह ऋण देश के लिए आवश्यक ही है।

भारतीय सार्वजनिक ऋण की एक बड़ी विशेषता यह है कि अब तक इसका ६०% से भी अधिक भार घरेलू ऋण (Rupees Loans) के रूप में है जो देश के अन्दर ही प्रसारित किया गया है। विदेशी कर्जों की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। ३९३१.६६ करोड़ के कुल ऋण में से ३७५.२६ करोड़ रुपये के मूल्य का घरेलू ऋण है। शेष भाग स्टर्लिंग, डॉलर अन्य देशों की मुद्राओं के रूप में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में भारत सरकार को लगभग ७०० करोड़ रुपया घरेलू ऋण के रूप में तथा ५०० करोड़ छोटी बचत के रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। लगभग ७५० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता भी चाहिये जिसे भारत विदेशों से दीर्घकालीन ऋण के रूप में लेना चाहता है। आशा की जाती है कि अमेरिका, रूस पश्चिम जर्मनी जापान तथा अन्य देशों से भारत को विदेशी ऋण प्राप्त हो सकेंगे। इन सबका सामूहिक प्रभाव यह होगा कि देश के सार्वजनिक ऋण की मात्रा और अधिक बढ़ जावेगी। यदि हम दीर्घता के साथ देश का विकास करना चाहते हैं तो यह कार्य करना ही पड़ेगा।

भारत सरकार जो ऋण लेती है उसका कुछ भाग राज्य सरकारों को भी ऋण के रूप में दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार को इस पर व्याज प्राप्त होता है। १९५५-५७ के बजट के अनुसार सरकार ने रेलों को १०८७.०६ करोड़ रुपये, राज्यों को १०८०.३२ करोड़ रुपये तथा पाकिस्तान पर ३०० करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किये हुए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के पास नरुदी तथा अन्य प्रतिभूतियाँ आदि हैं जिनमें पूंजी का विनियोग किया हुआ है। इन सबका मूल्य कम कर देने के बाद कुल सार्वजनिक ऋण जित पर सरकार को ध्यान देना पड़ता है उसका मूल्य केवल ८८४ करोड़ रुपये रह जाता है। शेष पर सरकार एक ओर से व्याज वसूल करती है और दूसरी ओर दे देती है। घरेलू ऋणों के कारण कर दाताओं पर अथवा कुछ अधिक भार रहता है किन्तु देश की सामान्य आर्थिक स्थिति पर कोई भार नहीं पड़ता क्योंकि देश का धन देश के अन्दर ही रहता है। विदेशी ऋणों का देश के भुगतान संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है किन्तु अभी तक ऐसे कर्जों का भार बहुत अधिक नहीं है।

अगर हम इस प्रश्न पर दूसरी तरह से विचार करें तो हम देखेंगे कि भारत सरकार ने लगभग १००० करोड़ रुपए से अधिक राज्यों को उनके विकास कार्यों के लिये दे रखे हैं। १००० करोड़ रुपए से अधिक भारतीय रेलों को पूंजीगत विनियोग के उधार दिये हैं। १००० करोड़ रु० से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों तथा अन्य योजनाओं पर लगा रखे हैं जिनसे बाद में सरकार को धाय होने लगेगी। इसी धाय में से ऋणों के ब्याज तथा असल का भुगतान भविष्य में हो सकेगा।

सरकार जो ऋण लेती है वह कई प्रकार के होते हैं। अल्पकाल के लिये जो ऋण दिये जाते हैं वे राज्य कोष विपत्रों (Treasury Bills) के रूप में होते हैं। इनका उद्देश्य दिन प्रतिदिन के व्यय में होने वाले धन की कमी को पूरा करना है। यह अधिक से अधिक ६ मास तक के लिये लिए जाते हैं।

सरकार राष्ट्रीय बचत के रूप में भी ऋण प्राप्त करती है। दूसरे महायुद्ध के दिनों में ही प्रतिरक्षा बचन सर्टिफिकेट (Defence Savings Certificates) के रूप में जनता को धन बचाने और उसका विनियोग करने का प्रोत्साहन दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में राष्ट्रीय बचन योजना तथा अल्प बचत पर विशेष जोर दिया था। दूसरी योजना के काल में भी लगभग ५०० करोड़ रुपया इस प्रकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया जावेगा। इस प्रकार प्राप्त धन भी एक प्रकार का सार्वजनिक ऋण है जो १० या १२ वर्ष में सरकार को वापिस करना पड़ेगा।

प्रथम योजना के काल में सरकार ने राष्ट्रीय योजना ऋण (National Plan Loans) प्राप्त किये हैं। दूसरी योजना में इस प्रकार के कई बड़े ऋण लिये जावेगे। यह ऋण दीर्घ काल के लिये होते हैं और ५ या २० वर्ष के बाद इनके भुगतान का प्रश्न उत्पन्न है।

ऋण उत्पादन कार्यों के लिये ही लिये जा रहे हैं इतना ही काफी नहीं है। हमें यह भी देखना चाहिये कि उनका उपयोग किस प्रकार होता है। यदि इस धन का अपव्यय होता है और योजना सफल नहीं होती तो अन्त में यह भार भाने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। इसलिये ऋण लेने से पूर्व उसके उद्देश्य की सफलता की सम्भावनाओं पर भली प्रकार विचार कर लिया जाता है।

प्रश्न १०८—भारतीय सविधान के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच धाय के साधनों का बंटवारा, किस प्रकार किया गया है? केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों पर भी प्रकाश डालिये। (दिल्ली ५०, ५१ कलकत्ता ५६)

Examine the allocation of financial resources between the centre and the states Discuss also the financial relation between the two (Delhi 50, 51, Calcutta 54)

उत्तर—भारतीय सविधान में जिस आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच धाय के साधनों का बंटवारा किया गया है तथा केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों की जो व्यवस्था की गई है उसे भली प्रकार समझने के लिये हमें १९३५ के भारत सरकार कानून (Government of India Act of 1935) तथा

उसकी वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि इसी के आधार पर नये सविधान में सघात्मक वित्त व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों को आय के वे ही साधन दिए गये हैं जो १९३५ के कानून के अनुसार दिए गए थे। इन सूचियों में दो एक मदों की वृद्धि अवश्य कर दी गई है ताकि भविष्य में अपने बढ़ते हुये व्यय को पूरा करने में सरकारों को सफलता मिल सके। केन्द्र तथा राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति को सन्तुलित रखने के लिये इनके वित्तीय सम्बन्धों के विषय में भी सविधान में उचित व्यवस्था की गई है जिसका उल्लेख हम आगे चलकर करेंगे।

१९३५ का भारत सरकार कानून—वैसे तो १९१६ के भारत सरकार कानून के द्वारा ही केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारों के आय तथा व्यय के साधन कुछ सीमा तक प्रलग कर दिये गये थे किन्तु इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम १९३५ के कानून के द्वारा उठाया गया था। इस कानून में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों की आय के स्रोत निम्नलिखित थे —

सघोय स्रोत अथवा भारत सरकार की आय के साधन

(१) आयात निर्यात कर

(२) श्रौपधियों तथा कुछ अन्य नशीले पदार्थों को छोड़कर भारत में बनने वाले माल पर उत्पत्ति कर।

(३) कारपोरेशन कर।

(४) नमक कर।

(५) कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर।

(६) कृषि भूमि को छोड़ अन्य सम्पत्ति पर सम्पत्ति कर।

(७) उत्तराधिकार कर (कृषि भूमि को छोड़कर)।

(८) तमाम व्यवसायिक आदान प्रदानों पर स्टाम्प कर।

(९) वायु तथा रेल मार्ग द्वारा भेजे जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमा कर।

(१०) न्यायालयों के स्टाम्प से कर।

(११) अन्तर्देशीय जल मार्गों द्वारा भेजे जाने वाले माल तथा मुसाफिरो पर कर।

उपरोक्त कर केन्द्रीय सघ सरकार द्वारा लगाये जाते हैं तथा वहीं इनको वसूल करती है। परन्तु इनमें कुछ करों की आय बाद को प्रान्तों को बाटने की व्यवस्था थी। इन करों में निम्नलिखित शामिल हैं —

(१) कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर। (२) चूक विल आदि पर स्टाम्प कर। (३) मुसाफिरो तथा माल पर सीमा कर। (४) भाडे तथा महसूल पर लगाये हुये कर।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य करों से प्राप्त आय के सघ तथा प्रान्तों के बीच बाटे जाने की भी व्यवस्था थी ताकि प्रान्त अपने व्यय को भली प्रकार चला सकें और उनके बजट में असंतुलन उत्पन्न न हो। इन करों में निम्नलिखित शामिल हैं —

(१) आय कर (कृषि आय को छोड़कर) । (२) केन्द्रीय उत्पत्ति कर । (३) निर्यात कर (विशेष कर सूट के नियमि कर) में होने वाली आय को सम्बन्धित प्रांती तथा केन्द्र के बीच विभाजित करने का व्यवस्था थी ।

प्रांतीय आय के स्रोत—१९३५ के कानून में प्रांतों की आय के निम्नलिखित साधन प्रदान किए गये थे —

- (१) मालगुजारी
- (२) सिंचाई कर
- (३) कृषि आय कर
- (४) वनों से आय
- (५) आवकारी
- (६) दिनी कर
- (७) मोटर गाडियों पर कर
- (८) स्टाम्प
- (९) रेविस्ट्रेशन ।
- (१०) मनोरंजन कर ।
- (११) घुड़ दौड़ आदि पर कर ।

१९३५ के कानून के अनुसार राष्ट्रीय विकास के कार्य प्रांतों को दे दिये गये थे । किन्तु प्रांतों की आय के अधिकतर स्रोत वेलोचदार थे । दूसरी ओर सभ सरकार के व्यय को देखते हुए आय के सब स्रोचदार साधन सभ सरकार को दिये गये थे । इससे प्रांतों की वित्तीय स्थिति में असन्तुलन उत्पन्न होने का भय था । इस समस्या का समाधान करने के लिये वार्षिक अनुदान के रूप में सभ सरकार द्वारा प्रांतों को वित्तीय सहायता देने की भी व्यवस्था थी ।

प्रांतों तथा केन्द्र के बीच आय कर आदि के बटवारे तथा अनुदानों के प्रश्न को तय करने के लिये १९३५ में सर ओटोनीमियर, १९४९ में श्री देशमुख तथा १९५२ में प्रथम वित्तीय आयोग ने अपने सुझाव दिये हैं । दूसरे वित्तीय आयोग की रिपोर्ट नवम्बर १९५७ में प्रकाशित हुई है । दोनों वित्तीय आयोगों की रिपोर्टों का उल्लेख हम आगे करेंगे ।

नये सविधान में वित्तीय व्यवस्था—जैसा कि ऊपर कहा गया है नये सविधान में भी सभ सरकार तथा राज्यों के बीच आय के साधनों का बटवारा उसी प्रकार किया गया है जैसा कि १९३३ के कानून में किया गया था । सभ सरकार की आय के पुराने स्रोतों के अतिरिक्त समाचार पत्रों के क्रय, विक्रय तथा विज्ञापन के प्रकाशन पर कर भी सभ की आय सूची में शामिल कर दिये गये हैं ।

राज्य सरकारों की आय के स्रोतों में विजली के क्रय, विक्रय तथा उपयोग पर कर शराब तथा अफीम के प्रयोग से बचने वाली औषधियों पर कर तथा सौन्दर्य बढ़ाने वाले उपकरणों पर करों को भी शामिल कर दिया गया है ।

नये सविधान की जिन धाराओं में आय के स्रोतों के बटवारे का उल्लेख है

उनमें से निम्नलिखित धाराएं महत्वपूर्ण हैं -

सविधान की धारा २६८ में यह व्यवस्था की गई है कि स्टाम्प कर और केन्द्रीय सरकार की अधिकार सूची में शामिल दवाइयों, श्रु मार के प्रसाधनों इत्यादि पर उत्पादन कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये और वसूल किए जावेंगे। इनकी आय राज्य सरकारों को दी जायेंगी।

धारा २६९ के अनुसार अन्य प्रकार के कर जैसे उत्तराधिकार और सम्पत्ति-कर, रेल अथवा वायु मार्ग के यातायात पर सीमा कर और रेल के किराये तथा भाडे पर कर आदि तथा वितरण ससद के द्वारा बनाये गए कानून द्वारा होगा।

धारा २७० के अन्तर्गत आय कर वितरण वित्तीय आयोग की स्थापना से पूर्व राष्ट्रपति के आदेश से होगा। सविधान लागू होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रपति प्रथम वित्तीय आयोग की नियुक्ति तथा उसके हर पाच साल के बाद एक वित्तीय आयोग की नियुक्ति करते रहेंगे और इन आयोगों की सिफारिशों पर वितरण सम्बन्धी आयोग जारी करते रहेंगे।

धारा २७३ के अन्तर्गत जूट तथा जूट के सामान के निर्यात कर के बदले में पश्चिम बंगाल बिहार आसाम तथा उड़ीसा को १० वर्ष तक सहायता अनुदान (Grants in aid) देने की व्यवस्था की गई है। यह अनुदान भारत की सचि त निधि में से दी जायेगी। राज्यों को अनुदान देने के विषय में उदारतापूर्ण नीति अपनाए जाने की भी व्यवस्था है। यह अनुदान राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर अथवा कुछ विशेष कार्यक्रमों के लिए भी दिये जा सकते हैं। परिगणित जातियों के कल्याण तथा आसाम के कबाईली क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

इस प्रकार भारतीय सविधान ने केवल आय के साधनों का बटवारा राज्य तथा सघ के बीच कर दिया है वरन् दोनों की वित्तीय स्थिति में सतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्व प्रणाली को लोचदार बना दिया है।

सघ तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध —केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध स्थापित करने का प्रश्न नया नहीं है। सघात्मक वित्त व्यवस्था में इसकी आवश्यकता पड़ती ही है।

प्रारम्भ में जब केन्द्र तथा राज्यों के आय के साधन अलग किये गये, प्रात की स्थिति मजबूत हो गई थी और प्रान्तों द्वारा केन्द्र की सहायता की व्यवस्था की गई थी। बाद में स्थिति उल्टी हो गई। अब केन्द्र की स्थिति मजबूत है और राज्यों को केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।

केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय सतुलन बनाये रखने के लिये नये सविधान में कुछ ऐसे करों की व्यवस्था है जो केन्द्र द्वारा वसूल किये जाते हैं किन्तु उनकी आय का बटवारा केन्द्र तथा राज्यों के बीच किया जाता है। कुछ कर केन्द्र द्वारा लगाये जाते हैं किन्तु उनसे प्राप्त आय राज्यों को दे दी जाती है। इन सबका सक्षिप्त उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

प्रथम वित्तीय आयोग (First Finance Commission)—भारतीय संविधान लागू होने के २ वर्ष बाद राष्ट्रपति ने प्रथम वित्तीय आयोग की नियुक्ति की जिसका उद्देश्य केन्द्र द्वारा प्रवर्धित तथा विभाजनशील प्राय में से राज्यों का भाग निर्धारित करना तथा राज्यों को मिलने वाले सहायता अनुदानों की मात्रा निर्धारित करना था। प्रथम वित्तीय आयोग ने १९५१ में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं।

(१) आयकर में से राज्यों को ५० प्रतिशत के स्थान पर ५५ प्रतिशत भाग दिया जाए। प्रत्येक राज्य का अपना हिस्सा ८ प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर तथा २ प्रतिशत कर वसूली के आधार पर दिया जाये। उस समय के राज्यों को निम्नलिखित प्रतिशत मिलना तै हूया।

बम्बई	१७.५० प्रतिशत	राजस्थान	३.५०
उत्तर प्रदेश	१५.७५ "	पंजाब	३.२२
मद्रास	१५.२५ "	ट्रावनकोर-कोचीन	०.५०
पश्चिम बंगाल	११.२५ "	आसाम	२.२५
बिहार	६.७५ "	मैसूर	२.२५
मध्य प्रदेश	५.२५ "	मध्य भारत	१.७५
हैदराबाद	४.५० "	सौराष्ट्र	१.००
उड़ीसा	३.५० "	पेप्सू	०.७५

(२) केन्द्रीय उत्पादन करों में से तम्बाकू, दिमाखलाई तथा वनस्पति तेल से प्राप्त होने वाली आय का ८० प्रतिशत भाग राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है।

(३) जूट निर्यात कर के बढ़ने में सम्बन्धित राज्यों को जो वार्षिक अनुदान दिया जाता है वह इस प्रकार है—

	लाख रुपये
पश्चिम बङ्गाल	१५०
आसाम	७५
बिहार	७५
उड़ीसा	१५

(४) सहायता अनुदानों के विषय में वित्तीय आयोग ने कई सुझाव दिए थे। आयोग के अनुसार मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, राजस्थान, मध्य भारत तथा पेप्सू को सहायता अनुदान की कोई आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा सौराष्ट्र को प्रतिवर्ष ८० लाख रुपये, ७० लाख रुपये तथा ४० लाख रुपये दिये गये। पंजाब और आसाम को १.२५ करोड़ रुपये तथा १ करोड़ रुपये दिये गये। मैसूर तथा ट्रावनकोर-कोचीन को ४० लाख तथा ४५ लाख रुपये के वार्षिक अनुदान दिये गये।

(५) कुछ राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार के लिए चार वर्ष तक वार्षिक अनुदान देने की व्यवस्था की गई। यह राज्य निम्नलिखित हैं —

राज्य	लाख रुपये
बिहार	४१
मध्य प्रदेश	४५
हैदराबाद	२०
राजस्थान	२०
उड़ीसा	१६
पंजाब	१४
मध्य भारत	६
पेप्सू	५

प्रथम वित्तीय आयोग की सिफारिशों के विषय में अनेक प्रकार की आलोचनाएँ की गई हैं क्योंकि वित्तीय आयोग प्रत्येक राज्य सरकार को उसकी इच्छा के अनुसार अनुदान तथा आयकर में भाग प्रदान नहीं कर सका।

दूसरा वित्तीय आयोग—१९५६ में राष्ट्रपति ने दूसरा वित्तीय आयोग नियुक्त किया जिसका कार्य प्रथम वित्तीय आयोग की ही भांति केन्द्राय तथा राज्यों के बीच आय कर के बंटवारे, उत्तराधिकार कर, तथा रेल के भाड़े पर लगाय गये करों के वितरण पर विचार करना था। इसके अतिरिक्त सविधान की धारा २७३ तथा २७५ के अन्तर्गत निर्धारित प्रश्नों पर विचार करना था। दूसरे वित्तीय आयोग की रिपोर्ट १४ नवम्बर १९५७ को वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी द्वारा भारत ससद में पेश की गई जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं —

(१) आयकर वितरण—आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों को आयकर में से ५५ प्रतिशत के स्थान पर ६० प्रतिशत भाग प्रदान किया जाय। प्रत्येक राज्य को जो हिस्सा मिलेगा उसका निर्धारण ६० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर तथा १० प्रतिशत वसूली के आधार पर किया जावेगा।

(२) केन्द्रीय उत्पादन कर में से तम्बाकू दिवासलाई तथा वनस्पति तेल के अतिरिक्त पाँच अन्य वस्तुओं पर कर की जो आय होगी उसमें से भी राज्यों को भाग दिया जावेगा। यह वस्तुएँ हैं—कहुवा, चाय, चीनी, कागज तथा वनस्पति गैर आवश्यक तेल (Vegetable Non-Essential Oils)। इस प्रकार अब इन ८ वस्तुओं के उत्पादन कर की आय का २५ प्रतिशत भाग राज्यों में बाँट दिया जावेगा। यह बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होगा।

(३) सहायता अनुदान—भारतीय गणराज्य के १४ वर्तमान राज्यों में से २१ को आयोग ने काफी बड़ी मात्रा में सहायता अनुदान देने की सिफारिश की है। अन्धस बम्बई तथा उत्तर प्रदेश को कोई सहायता नहीं दी जायेगी क्योंकि इन्हे इसकी आवश्यकता नहीं है। अन्य राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिए जावेंगे —

राज्य	करोड रुपए
आन्ध्र प्रदेश	४ ००
आसाम	४०५
बिहार	३८०
बम्बई	—
केरल	१७३
मध्य प्रदेश	३००
मद्रास	—
मैसूर	६ ००
उड़ीसा	३ ३५
पंजाब	२२५
राजस्थान	२ ५०
उत्तर प्रदेश	—
पश्चिम बंगाल	३ ३५
जम्मू तथा काश्मीर	३ ००
योग	<u>३७ ५५</u>

उपरोक्त अनुदानों को देते समय इस बात का कोई विचार नहीं होगा कि यह प्रारम्भिक शिक्षा अथवा अन्य किसी विशेष कार्य के लिये ही व्यय किये जाए ।

(४) उत्तराधिकार कर का वितरण—अभी तक उत्तराधिकार की सम्पूर्ण आय राज्यों को संसद के कानून के अनुसार बांट दी जाती थी । इसका आधार वही था जो आय कर का है अर्थात् ८० प्रतिशत जनसंख्या तथा २० प्रतिशत वसूली के आधार पर बांटा जाता है ।

भविष्य के लिये आयोग ने सिफारिश की है कि इस मद की कुल आय को दो श्रेणियों में बांटा जाये—(१) अचल सम्पत्ति से उत्तराधिकार कर की आय । (२) अन्य सम्पत्ति से आय । प्रथम को प्रत्येक राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के आधार पर तथा दूसरे को जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाये ।

(५) रेल के किराये पर कर—जो अभी हाल में लगाये गए हैं उनका वितरण राज्यों में किया जाएगा । प्रत्येक राज्य को जो अनुमानित भाग मिलेगा उसका उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है ।

देश	लाभ रुपए
आन्ध्र प्रदेश	१३१
आसाम	४०
बिहार	१३६
बम्बई	२४६
केरल	२७

मध्य प्रदेश	१२३
मद्रास	६६
मैसूर	६६
उड़ीसा	२६
राजस्थान	१००
पंजाब	१२०
उत्तर प्रदेश	२७८
पश्चिम बंगाल	६४
कुल योग	<u>१४८१</u>

(६) मिस्र का सूती कपडा, चीनी तथा तम्बाकू से विभिन्न राज्यों को प्रति वर्ष लगभग ३२ ५० करोड़ रुपये की आय बिक्री कर के रूप में होती है। इस कर के रथान में जो उत्पादन कर में वृद्धि की गई है उससे राज्यों को बिक्री कर की हानि होगी। उसकी क्षति पूति के रूप में उपरोक्त अतिरिक्त उत्पादन कर को सम्बन्धित राज्यों में बांट दिया जाएगा।

इस प्रकार दूसरे वित्तीय आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय आय में से प्रतिवर्ष लगभग १४० करोड़ रुपया राज्यों में वितरित हो जाया करेगा। इससे राज्यों को भी अपनी बजटीय स्थिति में संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्र से अपनी विकास योजनाओं के लिए जो सहायता मिलती है उस पर वित्तीय आयोग की सिफारिशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।



University Examination Papers

1955

Answer any five questions All questions are of equal value

1 Discuss the economic significance of the occupational distribution of population in India

Suggest measures to remove rural under employment in India

2 Examine the position from the point of view of security of tenure and fair rents, of different tenure holders after the abolition of zamindari in the U P

3 Discuss the working of either a multi purpose co operative society or a primary credit society

What are the conditions for their success ?

4 Give an account of the river valley projects in India Discuss their influence on (a) agriculture and (b) industries

5 Describe the growth and state the present position of either the coal industry or the cotton industry in India

What are the main problems from the point of view of management ?

6 Examine the working of the First Five Year Plan

Discuss the role of foreign aid in its success

7 Examine the necessity and importance of rail road coordination in India

Discuss the working of state transport in the U P. from the above point of view

8 Examine the functions of the Reserve Bank of India How far has it succeeded in coordinating urban and rural banking in India

9 Describe the division of revenues between the Union and the States under the Constitution

State the position of income tax in the above allocation.

10 Write comprehensive notes on any two of the following —

(a) National income of India. (b) Early famines in India
(c) Labour welfare and efficiency in India (d) Air transport

1956

Answer any five questions All questions carry equal marks

1 What economy system and pattern of society would you advocate for India and why ?

2 Discuss what solution you consider to the main problem of Indian population

3 What improvements would you suggest in the present system of agricultural marketing in India ?

4 Discuss the present position of the Indian cotton textile Industry.

5 Heavy, small and other industries—all need to be developed at the same time in the present economic conditions of India. Do you agree? Give reasons for your answer.

6 Discuss the desirability of nationalizing insurance in India in the next five years.

7 State the role which the State should play in the agricultural development of India.

8 What are the main problems of transport in India today? How may they best be tackled?

9 Attempt a lucid essay on the progress of the co-operative movement in India.

10 Write brief notes on any three of the following—

(a) Agricultural holdings in India, (b) Provincial Co-operative Banks, (c) Factory Legislation, (d) Transport Co-ordination (e) Labour Welfare (f) Co-operative Marketing in India.

B. A. Part II 1956

Answer any five questions. All questions are of equal value.

1 In what sense is India over populated? Do you advocate population control? Give reasons.

2 Examine the national income of the country. Why is it so low?

3 How is agricultural land distributed in India? Examine the case for land distribution and suggest lines of further land reforms in U P.

4 Discuss the main problems of agricultural marketing in India. Suggest suitable remedies.

5 How does the Government promote and regulate the large scale industries in India? What further measures do you advocate in this regard?

6 To what extent is social security guaranteed to industrial and agricultural workers in India? How would you proceed to extend its scope?

7 Distinguish between various economic systems and bring out the salient features of the economic system of India.

8 Discuss the main features of the Indian money market and suggest suitable steps to improve its functioning.

9 Examine critically the main sources of local revenue in U P. Do you advocate transfer of any State taxes to local bodies?

10 Write short notes on any three of the following—

(a) Agricultural holdings in India (b) Multipurpose Co-operative Societies (c) Trade Unions in India (d) Protective Tariff (e) Sales Tax.

Paper I 1957

Five questions only are to be attempted All questions carry equal marks Write concisely and to the point Not more than six pages should be written in answer to any question

केवल पाँच सवालों का जवाब दीजिये । सब सवालों के उत्तर बराबर हैं । जवाब संक्षिप्त में लिखिये, और जो पूछा गया है उस ही का जवाब दीजिये । किसी भी सवाल में अपनी कापी के छ पृष्ठों से अधिक न लिखिये ।

1 What do you understand by national income ? What is the national income of India,

राष्ट्रीय आय से आप क्या मतलब समझते हैं ? भारत की राष्ट्रीय आय क्या है ?

2 What are the causes and effects of sub division and fragmentation of agricultural holdings ? What remedial measures have been adopted to check and eradicate the evil ?

खेता के विभाजन और टुकड़े टुकड़े हो जाने के कारणों और और परिणामों पर प्रकाश डालिये । इस बुराई को रोकने और दूर करने के क्या उपाय किये गये हैं ?

3 What is the importance of co operative marketing in the rural economy of India ? What are the difficulties in making it more widespread and successful ? Suggest remedies

भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सरकारी कय-प्रणाली का क्या महत्व है ? इस व्यवस्था को फैलाने और अधिक सफल बनाने में क्या २ कठिनाइयाँ हैं ? उनको दूर करने के उपाय बतनाइये ।

4 What is the present position of India in the matter of hydro electric development ? Mention a few schemes undertaken recently to develop hydro electric power in the country

भारतवर्ष में पानी से विजली की उत्पत्ति का सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ? देश में पन-विजली बढ़ाने की कुछ हालत का योजनाओं पर प्रकाश डालिये ।

5 In what respects have trade unions in India helped to improve the working and living conditions of factory labour ?

भारतवर्ष में मजदूरों के कार्य करने और रहन-सहन की दशा सुधारने में मजदूर संघों ने किस हद तक सहायता की है ?

6 Discuss the importance of water transport in India How can this type of transport be further developed and made more beneficial for the country ?

भारत में जल यातायात के महत्व का वर्णन कीजिये । इस प्रकार के यातायात को और अधिक उत्तम और उपयोगी बनाने के लिए क्या प्रयत्न किए जाने चाहिए ?

7 Give in brief the main features of the Second Five Year Plan for India

भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में श्राथिक उन्नति के लिए किये जाने वाले कुछ मुख्य प्रयत्नों का वर्णन कीजिये ।

8 Give an estimate of the forest wealth of India How can this wealth be better preserved and utilized ?

भारत की वन-सम्पत्ति का उल्लेख कीजिये । इस सम्पत्ति को सुरक्षित रखने और अधिक उपयोगी बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये जाने चाहिये ?

9 What do you understand by the public and private sectors of Indian industries ? What measures have been suggested to secure the co existence of both sectors ?

भारतीय उद्योगों में public और private क्षेत्र से आप क्या मतलब समझते हैं ? इन दोनों में सह-अस्तित्व कायम करने के लिये क्या यत्न किये जा रहे हैं ?

10 Write short notes on any two of the following —

- Joint family system
- Family planning
- Sale and purchase societies
- Scope of Indian economics

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिये —

- संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली ।
- कुटुम्ब रचना
- क्रय और विक्रय समितियाँ ।
- भारतीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र ।

B. A. Paper II 1957

Answer any five questions All questions carry equal marks

किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सब प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1 Explain how the economic development of India has been conditioned by its social environment

भारत का श्राथिक विकास उसका सामाजिक वातावरण पर किस प्रकार निर्भर रहा है स्पष्ट कीजिये ।

2 How far do you agree with the view that the rapid growth of population in India stands in the way of economic progress ?

भारतीय जनसंख्या की तीव्र वृद्धि श्राथिक विकास में बाधक है । इस बात से आप कहां तक सहमत हैं ?

3 Discuss the significance of cottage industries in solving the problem of unemployment in India.

भारत में बेकारी की समस्या सुलझाने में कुटीर उद्योग-धन्धों का क्या स्थान है ? समझाइये ?

4 Is the supply of capital for new industrial concerns in India

inadequate present time ? Give the factors responsible for such inadequacy.

क्या नये उद्योग-धंधों के लिये पूंजी वर्तमान समय में अपर्याप्त है ? इस अपर्याप्त मात्रा के नया कारण हैं ?

5 Describe the present position of the sugar industry in India.

भारत में शक्कर-उद्योग की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए ।

6 How far have the Co-operative societies proved helpful to the agriculturists in India ?

भारत में सहकारी समितियाँ किसानों के लिए कहां तक लाभप्रद रही हैं ?

7 Explain the difficulties of Indian coastal shipping and show how they can be met ?

भारतीय तटीय जहाजरानी की समस्या पर प्रकाश डालिये और यह बताइये कि इस समस्या की किस प्रकार हल किया जाय ।

8 How far can the State help in the developmet of road transport in India

प्रान्तीय शासन सड़क यातायात की प्रगति में कहां तक सहायक हो सकता है ?

9 Write short notes on any three of the following—

(a) Principal Agricultural Crops of India

(b) Indian Road Transport

(c) Shortage of Seaports in India.

(d) The Food problem

(e) Classification of Co operative societies

(f) The state and Agriculture.

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—

(अ) भारत में कृषि की मुख्य फसलें ।

(आ) भारतीय सड़क यातायात ।

(इ) भारत में बन्दरगाहों की न्यूनता ।

(ई) खाद्य समस्या ।

(उ) सहकारी समितियों का वर्गीकरण ।

(ऊ) राज्य और कृषि का सम्बन्ध ।

1958

1 'Viewed over a long period the Indian economy has been more or less stagnant and has failed to meet the demands of a rapidly growing population'

Do you agree with the above statement ? Give reasons for your answer.

“प्राचीन काल से भारतीय अर्थ व्यवस्था बहुत कुछ स्थिर चली आती है,

और जनसंख्या की वेगयुक्त वृद्धि की मांग के अनुसार उस नहीं हुआ। ”

rists

क्या आप ऊपर दिये हुए बयान से सहमत हैं ? अपना उत्तर कारण सहित दीजिए ।

का

2 'Agriculture is the dominant issue in India. It can not be dealt with unless all feudal relics are swept away and modern methods introduced and Co operative farming encouraged.'

Discuss the above statement, with special reference to Uttar Pradesh

“भारत में कृषि समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उस समय तक हल नहीं हो सकता जब तक सामन्त प्रणाली का कोई भी बिन्दु रहता है और जब तक आधुनिक तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाता और सहकारी खेती को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ।

ऊपर दिये हुए कथन पर, उत्तर-प्रदेश की स्थिति विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए बहस कीजिए ।

3 Discuss the steps taken in recent years to reorganize rural credit Co operation in Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण साव सहकारिता को पुनः संगठित करने के लिये क्या किया गया है ?

4 Point out the distribution of sugarcane, cotton, tea and coal in India, and discuss their importance in Indian trade and industry.

गन्ना, कपास चाय और कोयला भारत में कहा कहा होता है भारतीय व्यापार और उद्योग के लिए उनका क्या महत्व है ?

5 Examine the importance of cottage industries in Indian economy How can they hold their own against large scale industries ?

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योग के महत्व का परीक्षण कीजिए । बड़े पैमाने पर चलाने वाले उद्योगों का किस प्रकार सामना कर सकते हैं ?

6 Discuss India's industrial policy under the Second Five Year Plan and describe the steps that are going to be taken to implement it

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय औद्योगिक नीति पर बहस कीजिए और यह बतलाइये कि इसे क्रियात्मक रूप देने के लिए क्या क्या करने का विचार है ।

7 'If Indian labour does not Co operate with employers in increasing production, not only the community but also labour will suffer' Examine Carefully this statement

inadequate भारतीय मजदूर कारवानेदारों से मिलकर उत्पादन में वृद्धि नहीं करेगा तो इससे केवल समाज को ही नहीं बल्कि उनके अपने हितों को भी हानि पहुँचेगी।" इस कथन का ध्यान पूर्वक विश्लेषण कीजिए।

8 How far do our means of transportation serve the needs of rural areas? Make suggestion for their development.

हमारे यातायात के साधन ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता कहां तक पूर्ण करते हैं? उनके विकास के उपाय बतलाइये।

9 Discuss the merits of re-grouping of Indian railway. What measures would you recommend to reduce over-crowding in railways?

भारतीय रेलों के पुन. समूहकरण से क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं? रेलों में भीड़ कम करने के लिए आप क्या बतायेंगे?

10 Write short notes on any two of the following.—

- Positive and preventive Checks;
- Land mortgage banks,
- Managing agency system,
- Recent trends in India's foreign trade.

निम्नलिखित में से किसी दो पर टिप्पणी कीजिए—

(क) नैसर्गिक और कृत्रिम रोक, (ख) भूमि बन्धक बैंक, (ग) प्रबन्ध अभिकार्य प्रणाली, (घ) भारतीय विदेशी व्यापार में आधुनिक प्रवृत्ति।

Supplementary Examinations, 1958

केवल पांच सवालों का जवाब दीजिए। सब सवालों के नम्बर बराबर हैं। जवाब संक्षेप में लिखिए और जो पूछा गया है उसी का जवाब दीजिए। किसी भी सवाल के जवाब में छ. पृष्ठों से अधिक न लिखिए।

1 Discuss the economic advantages and disadvantages of the joint family system. Why is this system breaking up in India.

संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली के आर्थिक गुणों और अवगुणों पर बहस कीजिए। यह प्रणाली भारत में क्यों समाप्त होती जा रही है?

2 Discuss the present occupational distribution of population in India. What trend would you suggest for the future?

भारत की जनसंख्या के आधुनिक व्यवसायिक वितरण पर बहस कीजिए। आप भविष्य के लिये किस प्रकार की प्रवृत्ति की सिफारिश करेंगे?

3 Point out the distribution of mineral resources of India and discuss their importance in industrialization of the country.

भारत के खनिज पदार्थों के वितरण के विषय में लिखिए और यह बताइये कि देश के औद्योगीकरण में उनका क्या महत्व है।

4 Discuss the importance of Central Banks and Provincial

Co-operative Banks in providing credit to Indian agriculturists.

भारतीय कृषकों को ऋण देने में केन्द्रीय बैंक और सहकारी प्रांतीय बैंकों का महत्व बताइये ।

5 What is the present position of the Indian steel industry ? What are its future prospects ?

भारत के इस्पात उद्योग की आधुनिक स्थिति क्या है ? उसके भविष्य के विषय में आपका क्या मत है ।

6 Write a note on the achievements of the First Five Year Plan

प्रथम पंच-वर्षीय योजना के कारण देश में जा प्रगति हुई है उस पर टिप्पणी कीजिए ।

7 Bring out clearly the role of cottage industries in removing unemployment and under employment in india How can Government assist in their development ?

भारत में देकारी या अर्द्ध-देकारी हटाने में कुटीर-उद्योग क्या भाग ले सकते हैं ? सरकार इनके विकास में किस प्रकार सहायता दे सकती है ?

8 Write a note on the working conditions of labour in Indian factories What part has legislation played and can play in this regard ?

भारतीय कारखानों में श्रमिकों के कार्य-स्थानों की दशा पर टिप्पणी लिखिए ? इस विषय में कानून ने क्या सहायता दी है और क्या दे सकता है ?

9 What have been the effects of the development of rail transport upon Indian rural economy ?

रेल-यातायात के विकास से भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है ?

10 Write short notes on any two of the following :—

(a) Sale and Purchase Societies,

(b) Co operative farming,

(c) Air transport in India,

(d) Agricultural improvements.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए:—

(क) क्रय-विक्रय समितियाँ,

(ख) सहकारी खेती,

(ग) भारत में वायु यातायात,

(घ) कृषि सम्बन्धी उन्नतियाँ ।



हमारे अर्थशास्त्र सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रकाशन

१. मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनिमय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
बी० ए० व बी० कॉम के लिए, प्रथम संस्करण १९५८
लेखक — प्रो० आनन्द स्वरूप गर्ग एम० ए०
मेरठ कालिज मेरठ।
२. मुद्रा, बैंकिंग तथा विदेशी विनिमय
बी० कॉम के लिए, प्रथम संस्करण १९५८
लेखक.—प्रो० आनन्द स्वरूप गर्ग एम० ए
३. अर्थशास्त्र के सिद्धान्त : सरल अध्ययन
बी ए के लिये भाग १ व भाग २
प्रथम संस्करण १९५८
लेखक:—प्रो० अरवि किशोर सक्सेना एम ए
अर्थशास्त्र विभाग, नानक चन्द डिग्री कालिज मेरठ।
४. भारतीय अर्थशास्त्र : सरल अध्ययन
द्वितीय संस्करण १९५८
लेखक — प्रो० अरवि किशोर सक्सेना एम ए
५. अर्थशास्त्र की रूप रेखा (दसवां संस्करण १९५८)
(इण्टर कक्षाओं के लिये)
लेखक — प्रो० आनन्द स्वरूप गर्ग एम० ए.
६. अर्थशास्त्र की रूप रेखा [सिद्धान्त-Theory] (नवां संस्करण १९५८)
लेखक — प्रो० आनन्द स्वरूप गर्ग एम० ए
७. वारिण्य अर्थशास्त्र की रूप रेखा (दूसरा संस्करण १९५८)
लेखक:—प्रो० आनन्द स्वरूप गर्ग एम ए
८. इण्टर अर्थशास्त्र : सरल अध्ययन (तृतीय संस्करण १९५८)
लेखक — प्रो० विजय पाल एम ए
९. हाई स्कूल अर्थशास्त्र पर चुने प्रश्न और उत्तर
लेखक: प्रो० विजय पाल एम ए
१०. हाई स्कूल आर्थिक भूगोल पर चुने प्रश्न और उत्तर
लेखक — प्रो० विजय पाल एम ए.

राजहंस प्रकाशन मन्दिर

मेरठ।